मूल नियमों तथा अनुपूरक नियमों का संकलन

COMPILATION OF F. R. AND S. R.

भाग 1

PART 1

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

भारत सरकार

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension

(Department of Personnel and Training)

Government of India

हिन्दी अनुवाद ।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा राजभाषा विधायी खण्ड, विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षित

भूमिका

मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के अद्यतन संस्करण की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी। इन नियमों का पिछला सरकारी संकलन महालेखाकार, डाक व तार द्वारा वर्ष 1974 में निकाला गया था। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान संकलन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मूल नियमों के अलावा, सरकार के व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखा परीक्षा अनुदेशों को संगत नियमों के नीचे रखा गया ।

आशा है यह संकलन स्थापना आदि विषयों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संकलन में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो उसे कृपया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में ला दें।

नई दिल्ली,
दिनांक

मनीश बहल
सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

विषय सूची

मूल नियम

भाग—1

अध्याय		पृष्ठ
I	लागू होने का विस्तार	9
II	परिभाषाएं	15
	भाग—II	
III	सेवा की सामान्य शर्तें	83
	भाग—III	
IV	वेतन	115
V	वेतन में परिवर्तन	305
VI	नियुक्ति का संयोजन	373
VII	भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति	381
VIII	पदच्युति, सेवा से हटाया जाना और निलम्बन	387
IX	सेवा निवृत्ति	401
	भाग—IV	
X	छुट्टी (मुद्रित नहीं)	415
XI	कार्य ग्रहण की अवधि	415
	भाग—V	
XII	बाह्य सेवा	417
XIII	स्थानीय निधियों के अधीन सेवा	455

अनुपूरक नियम

भाग—I सामान्य

प्रभाग		पृष्ठ
I	इस संकलन का भाग-II देखें	457
II	इस संकलन का भाग-II देखें	457
III	सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश पर स्वस्थता प्रमाण पत्र (मूल नियम—10)	457
	भाग II—वेतन में परिवर्धन	
IV	प्रतिकरात्मक भत्तों का लिया जाना (मूल नियम 44 और 93)	475
V	फीस (मूल नियम 46 क और 47)	481
	यात्रा भत्ते	
VI	इस संकलन का भाग-II देखें	489
	भाग III—सेवा के अभिलेख	
VII	राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी [मूल नियम 74—(क)—(IV)]	489
	भाग IV—छुट्टी	
VIII से XXI तक मुद्रित नहीं		501

भाग V—कार्य ग्रहण अवधि

पृष्ठ

XXII मुद्रित नहीं 503
XXIII विलोपित 503

भाग VI—बाह्य सेवा

XXIV अंतिशोध्य अभिदायों पर ब्याज [मूल नियम 119 (ख)] 503
XXIV-क यात्रा भत्ता 505

भाग VII—प्रत्यायोजन

XXV शक्तियों का प्रत्यायोजन (मूल नियम 4, 6 और 7) 507

भाग VIII—सरकारी निवास स्थान

प्रभाग

XXVI निवास स्थानों का आबंटन (मूल नियम 45) 509
XXVI-क से XXVI-छ तक मुद्रित नहीं 513
XXVII सरकारी निवास स्थानों की लाइसेंस फीस [मूल नियम 45(क)] . . . 513
XXVIII सरकारी निवास स्थानों की लाइसेंस फीस [मूल नियम 45(ख)] . . . 521

परिशिष्ट

1 मूल नियम 114 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश . . . 529
2 (मूल नियम 116 तथा 117) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश—सक्रिय बाहय विभाग सेवा के दौरान पेंशन तथा छुट्टी वेतन के लिए अदा किए जाने वाली अंशदान की दरें। 535
3 मूल नियम 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन 543
4 प्राधिकारी जो विभिन्न अनुपूरक नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 557
5 केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979 563
6 हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन 579

विषय सूची 599

मूल नियम

भाग—1

अध्याय 1 :

लागू होने का विस्तार

मूल नियम 1 ये नियम मूल नियम कहे जा सकेंगे। ये 1 जनवरी, 1962 से प्रवृत्त होंगे।

[1]मूल नियम 2 ये मूल नियम, नियम 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन सभी सरकारी सेवकों को लागू है जिनका वेतन भारत के सिविल प्राक्कलनों के नामे डाला जाता है और भारत के किसी भी अन्य ऐसे वर्ग के सरकारी सेवकों को भी लागू हैं जिन पर इनके लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा करें।

भारत सरकार के आदेश

1. सैनिक प्राक्कलनों से वेतन का भुगतान किए जाने वाली सेवाओं में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किए गए सिविलीयनों पर लागू किया जाना.— सिविल प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे किसी सरकारी सेवक को जिसे ऐसी सेवा में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाता जिसका कि वेतन सैनिक प्राक्कलनों से दिया जाता है, उस पर मूल नियमों की शर्तें लागू रहेगी।

[भारत सरकार, एफ० डी० संकल्प सं० 614 सी० एस० आर०, तारीख 19 जून, 1922]

2. रक्षा प्राक्कलनों से वेतन का भुगतान किए जाने वाली सेवा में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किए गए सिविलीयनों पर लागू किए जाना.—सिविल प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे किसी सरकारी सेवक को जिसे ऐसी सेवा में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिसका कि वेतन रक्षा प्राक्कलनों से दिया जाता है, उस पर मूल नियमों की शर्तें लागू रहेगी। चूंकि किसी प्रकार का कोई सामान्य संरक्षण सिविल सेवा विनियमों के अधीन तथा रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान किए जाने वाले उन सरकारी सेवकों को प्राप्त नहीं हैं जिन्हें अस्थायी रूप से ऐसी सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है जिनका कि वेतन सिविल प्राक्कलनों से दिया जाता है, ऐसे स्थानान्तरण के दौरान ये सरकारी कर्मचारी, छुट्टी को छोड़कर सभी प्रयोजनों से स्वतः ही मूल नियमों के अधीन होंगे।

[भारत सरकार एफ० डी० पृष्ठांकन संख्या एफ 2(2)-आर-1/45 तारीख 27 नवम्बर, 1945]

3. रक्षा सेवा विभाग के कार्मिकों पर लागू किया जाना—राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि 1 जुलाई, 1976 से रक्षा लेखा विभाग के कार्मिक (i) उन सभी मामलों में जिनमें वे इस समय सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित होते हैं, और (ii) शुल्कों तथा मानदेय की मजूरी से सम्बन्धित ऐसे सभी मामले जो इस समय वित्तीय विनियमावली, भाग 1 के नियम 271 के अधीन शासित होते हैं, मूल नियमों द्वारा शासित होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो उक्त विभाग की सेवा में 1 जुलाई, 1976 को है (इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जो प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्य सेवा में है) को एक विकल्प देने की सुविधा होगी कि वे सिविल सेवा विनियमावली के उपबन्धों के अधीन शासित होते रहना चाहेंगे या पहली जुलाई, 1976 से मूल नियमों द्वारा शासित होना चाहेंगे। यह विकल्प 30 सितम्बर, 1976 तक अथवा इससे पहले देना होगा। ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित अवधि के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सकेंगे वे स्वतः ही 1 जुलाई, 1976 से मूल नियमों के अधीन आ जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

[भारत सरकार, रक्षा प्रभाग, का० ज्ञा० संख्या 17030/लेखा/एन(पी०सी०) तारीख 15 जून, 1976]

रक्षा लेखा महानियंत्रक के आदेश

ऊपर रक्षा लेखा महानियंत्रक आदेश निर्दिष्ट निर्णय (3) के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनुपूरक अनुदेश सभी सम्बन्धितों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाते हैं :—

(i) उक्त निर्णय के पैराग्राफ (2) की शर्तों के अनुसार दिया जाने वाला विकल्प उस रक्षा लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधीन कर्मचारी सेवारत है या जिसकी प्रोफार्मा कर्मचारी पद संख्या पर वह बना हुआ है। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में विकल्प सेवा पंजी में दर्ज किया जाएगा तथा राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विकल्प लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा। भारतीय रक्षा सेवा के ऐसे लेखा अधिकारियों के मामले में जो प्रतिनियुक्ति पर है, रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) प्रोफार्मा नियंत्रक होगा।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18 (13)-ई० IV(ए)/70 तारीख 29 जनवरी, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और यह नियम 6, फरवरी 1971 से प्रभावी होता है।

(ii) छुट्टी, यात्रा भत्ता, पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं तथा सामान्य भविष्य निधि के मामले में रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित नियमों के अधीन शासित होते रहेंगे :—

(क) **छुट्टी** :—समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972।

(ख) **यात्रा भत्ता**:—यथा संशोधित, समय समय पर अनुपूरक नियमावली।

(ग) **पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं**:—समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972।

(घ) **सामान्य भविष्य निधि**:—समय समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) नियमावली, 1960।

[रक्षा लेखा महानियंत्रक, सं० 17030/लेखा/ए० एन०-जे०, तारीख 21 जुलाई, 1976]।

मूल नियम 3 :—जब तक कि किसी मामले में इन नियमों द्वारा या इनके अधीन सुभिन्नतः अन्यथा उपबंधित न हो, वे नियम उन सरकारी सेवकों पर लागू नहीं है जिनकी सेवा की शर्तें सेना या सामुहिक विनियमों से शासित है।

[1]**मूल नियम 4 :—विलोपित**

[1]**मूल नियम 5 :—विलोपित**

[2]**मूल नियम 5-क :—जहां किसी मंत्रालय की या सरकार के विभाग की यह राय हो कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को अनुचित कष्ट हो सकता है तो, यथास्थिति, वह मंत्रालय या विभाग, आदेश द्वारा, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उस नियम की अपेक्षाओं को, उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण निपटारे के लिए अवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा :**

परन्तु ऐसा कोई आदेश वित्त मंत्रालय की सहमति के सिवाए नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार के आदेश

मार्गदर्शी सिध्दांत :— जब किसी विशिष्ट मामले को न्यायोचित तथा समान रीति से निपटाया जाना आवश्यक समझा जाता है तो नियमों मे ढील देने की शक्ति पहले की भांति विरल तथा आपवादिक मामलों में ही लागू करनी होगी। भविष्य में ऐसे मामलों को निपटाने के लिए की जाने वाली कारवाई केवल स्वीकृत कार्यविधि के अनुसार ही की जानी चाहिए। किसी मामले में ढील देने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व वित्त मंत्रालय से परामर्श कर लेना चाहिए तथा भारत सरकार के सचिवालय के किन्हीं ऐसे विद्यमान कार्य संचालन या कार्या विधि संबंधी नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए। जिनका उपर्युक्त विषय से सम्बन्ध हो।

यदि वित्त मंत्रालय द्वारा किसी मामले में यह सहमति हो जाती है कि यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें कि किसी नियम में ढील देने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए तो ऐसे ढील देने के कारणों को उपयुक्त फाइल में रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कारण इस संबंध में जारी किए जाने वाले औपचारिक आदेशों का, अपने में कोई भाग नहीं होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 25 मार्च, 1955 का यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 108/ 54/स्था०(क)।

मूल नियम 6 :—केन्द्रीय सरकार, इन नियमों द्वारा उसे दी गई कोई भी शक्ति, सिवाए निम्नलिखित के, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अपने अधिकारियों में से किसी को प्रत्यायोजित कर सकेगी :—

(क) नियम बनाने की सभी शक्तियां,

(ख) नियम 6, 9(6) (ख), 44,45-क, 45-ख, 45-ग, 83, 108-क, 119, 121 और 127-ग द्वारा तथा नियम 30 के खण्ड (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा दी गई अन्य शक्तियां

[विभिन्न मूल नियमों के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की गई शक्तियां इस संकलन के परिशिष्ठों में दी गई है।]

[2]**मूल नियम 7 :—इन नियमों के अधीन किन्ही भी शक्तियों का प्रयोग या प्रत्यायोजन वित्त मंत्रालय से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा। उस मंत्रालय को इस बात की छूट होगी कि वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामले विहित करे जिनमें यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह सम्मति दे चुका है।**

भारत सरकार के आदेश

प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन.—दिनांक 10 अप्रैल, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 10 (13) ई (समन्वय) 75 के पैराग्राफ 3 में

[1] भारत सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18 (13)-ई IV(ए)/70 तारीख 29-1-1971 के अनुसार हटा दिया गया।

[2] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ 18 (13)-ई०IV(क)/70 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 6 फरवरी, 1971 से प्रभावी होता है।

यह उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय निम्न लिखित अर्थात—पदों का सृजन, हानियों को बट्टा खाते डालने और—मूल बजट व्यवस्था के 10 प्रतिशत से अधिक का पुनः विनियोजन के अतिरिक्त सभी मामलों में शक्तियों का अपने अधीनस्थ प्राधिकारणों को पुनः प्रत्यायोजन कर सकते है।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने यह संदेह व्यक्त किया है कि क्या यह पुनः प्रत्यायोजन की शक्ति वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली की शक्तियां तक सीमित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनः प्रत्यायोजन की यह शक्ति सभी नियमावलियों, अर्थात् वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, सामान्य वित्तीय नियमावली तथा मूल तथा अनुपूरक नियमावली के सम्बन्ध में हैं।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 8 मार्च, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 10 (13)-ई० (समन्वय)/75)

मूल नियम 8 :—इन नियमों का निर्वचन करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है।

अध्याय 2

परिभाषाएं

मूल नियम 9 :—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस अध्याय में परिभाषित पदों का प्रयोग नियमों में उसी अर्थ में किया गया है जो कि यहां स्पष्ट किया गया है :—

[1](1) ''अधिनियम'' से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट अभिप्रेत है ।

[2](1-क) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है अन्तर्गत उत्तर पूर्व सीमा के अभिकरण के संबंध में राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाला असम का राज्यपाल भी है ।

2. (1-ख) ''आबंटन'' से, किसी सरकारी सेवक को निवास स्थान के रूप में उपयोग के लिए सरकार के स्वामित्वाधीन पट्टाकृत या अभिगृहीत मकान या उसके किसी भाग को अधिभोग में रखने के लिए लाइसेंस अनुज्ञप्ति की मंजूरी अभिप्रेत है ।

[3](2) ''औसत वेतन'' से उस मास के ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान उपार्जित औसत मासिक वेतन अभिप्रेत है जिस मास में यह घटना घटती है जिसके कारण औसत वेतन की संगणना की आवश्यकता पडती है

परन्तु :—

(क) किसी ऐसी अवधि के बारे में जो भारत के बाहर अन्यत्र सेवा में बिताई गई हो, वस्तुतः लिए गए वेतन के स्थान पर उस वेतन को गणना में लिया जाएगा, जो वह सरकारी सेवक, यदि भारत के बाहर अन्यत्र सेवा में न होता तो, भारत में कर्तव्यरत होने की दशा में लेता ।

[3](ख) विलोपित

(ग) उन सैनिक अफिसर के जिसको भाटक मुक्त क्वार्टर दिया गया हो और जो इसी कारण उसके बदले में वास-भत्ता न लेता हो, औसत वेतन की संगणना, यदि वह छुट्टी पर जाने के पूर्व ऐसा क्वार्टर छोड देता है, ऐसे की जाएगी मानो वह अधिभोग की अवधि के दौरान उतना वास-भत्ता लेता रहा था जिसका वह अन्यथा हकदार होता ।

[3]टिप्पणी—विलोपित

[3](3) विलोपित

(4) ''काडर'' से किसी सेवा या सेवा के भाग को पृथक इकाई के रूप में मंजूर की गई, पद रूप संख्या अभिप्रेत है ।

(5) ''प्रतिकारात्मक भत्ता'' से वह भत्ता अभिप्रेत है जो किन्हीं ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण जिनमें कर्तव्य का पालन किया जाता है, आवश्यक वैयक्तिक व्यय की पूर्ति के लिए दिया जाए । इसमें यात्रा भत्ता तो आता है किन्तु समचुअरी भत्ता या भारत के बाहर के किसी स्थान को या उससे समुद्र द्वारा निशुल्क यात्रा हेतु दी गई राशि नहीं आती ।

भारत सरकार के आदेश

वेतन में वृद्धियों की मंजूरी के कारणों को दर्ज तथा संसूचित किया जाना—विशेष वेतन और प्रतिपूरक भत्ता आदि जैसे वेतन वृद्धियों के साथ जुड़े सही वर्गीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए सामान्य सिद्धान्त के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि वेतन में इस प्रकार दी जाने वाली वृद्धियों के कारणों को इसके स्वीकृति पत्र अथवा ज्ञापन में संक्षेप रूप में दर्ज किया जाना चाहिए । तथापि इन मामलों में जहां खुले पत्र में सरकारी रिकार्ड अवांछनीय हो सकता है, लेखा परीक्षा प्राधिकारी को ऐसे कारणों की गोपनीय रूप से सूचना दी जा सकती है ।

[भारत सरकार, एफ० डी० संख्या-एफ 9 बी-सि० से० वि०/27 तारीख 15 फरवरी, 1927]

[4](6) (क) कर्तव्य में निम्नलिखित सम्मिलित है ।

(i) परिवीक्षाधीन या शिक्षा के रूप में सेवा, परन्तु यह तब जबकि ऐसी सेवा के पश्चात पुष्टि हो गई हो, तथा

(ii) कार्यग्रहण अवधि

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई iv (ए)/70 तारीख 29 जनवरी, 1971 द्वारा अन्तर्निदिष्ट और 6 फरवरी, 1971 से प्रभावी होता है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11(51)/68 डब्लू एण्ड ई० तारीख 4 अक्तूबर, 1969 द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13) -ई iv(ए)/70 तारीख 29-1-1971 द्वारा हटा दिया गया है ।

4. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18(13)-ईiv (ए) 70 तारीख 29 जनवरी, 1971 और यह 6 फरवरी, 1971 से प्रभावी होता है ।

साथ परामर्श करने पर यह निर्णय किया गया है कि ऐसे उम्मीदवारों को, जिनको डाक व तार विभाग में किसी अन्य पद पर वास्तविक रूप से नियुक्ति होने से पूर्व उनके द्वारा भेजे गए आवेदनों के आधार पर डाक व तार विभाग में ऐसे पदों के लिए चुन लिया जाता है जिनमें प्रशिक्षण शामिल होता है, पूर्णतः बाहय उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। उनके द्वारा प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि को मूल नियम 9(6) (ख) के अधीन ड्यूटी के रूप में नहीं माना जाएगा तथा वे उन्हीं भत्तों के हकदार होंगे जो कि केवल बाहय उम्मीदवार को स्वीकार्य होते हैं। नई नियुक्ति के लिए उनकी कार्यमुक्ति से पूर्व उनसे प्राप्त किए गए त्याग पत्र मूल नियम 22 के नीचे आदेश संख्या 6 में दिए गए उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त डाक व तार वित्त के साथ परामर्श करने के बाद यह भी निर्णय किया गया है कि जो उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवारों के रूप में, उचित माध्यम द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के आधार पर ऐसे किसी संवर्ग में नियुक्ति के लिए चुन लिए जाते हैं जिनमें प्रशिक्षण शामिल है, उन्हें किसी निम्न संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण पर रहते हुए विभाग के कर्मचारियों के बराबर मानते हुए सामान्य नियमों के अधीन वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदारी होंगी जो कि भर्ती के लिए बाहय उम्मीदवार के रूप में आवेदन करते हैं।

[महा निदेशक, डाक व तार का ता० 17 अगस्त, 1970 तथा 19 अगस्त, 1972 का पत्र संख्या 23/7/68-पी०ए०टी०।]

उपर्युक्त 20(I) के आदेश केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जो विभाग में अपनी नियुक्ति होने से पूर्व दो विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं तथा जो एक पद पर कार्य करते हुए किसी अन्य पद के लिए चुन लिए जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को रैंक से बाहर का व्यक्ति माना जाता है तथा वे केवल नए पद के प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ही प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। ये आदेश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं जो बाहय कोटे के लिए एक पद पर कार्य करते हुए, उचित माध्यम द्वारा, किसी अन्य पद के लिए आवेदन करते है। उदाहरणार्थ एक कर्मचारी जो टेलीफोन आपरेटर के रूप में कार्य करते हुए, उचित माध्यम द्वारा, इंजीनियरी अभियंता के पद के लिए बाहरी व्यक्ति के रूप में आवेदन करता है, वह कनिष्ठ अभियंता के रूप में अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान टेलीफोन आपरेटर के पद के वेतन तथा भत्ते पाने का हकदार होगा।

[महा निदेशक, डाक व तार का तारीख 4 मई, 1972 का पत्र संख्या 23/7/18-पी०ए०टी०।]

21. **कार्यपालक प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की राज्यों में प्रतिनियुक्ति** (1) इस समय कार्यपालक प्रशिक्षण के लिए राज्यों में प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी समय-समय पर स्वीकार्य अपना ग्रेड वेतन तथा स्वीकार्य प्रति पूरक तथा मकान किराया भत्ता लेते हैं। इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे अधिकारियों को उचित विशेष प्रतिपूरक भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कतिपय मामलों में दो स्थापनाओं की एक (मुख्यालय में तथा दूसरा प्रशिक्षण स्थल पर) व्यवस्था करनी होती है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार कर लिया गया है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन अधिकारियों को जो राज्यों में कार्यपालक प्रशिक्षण के लिए जाते वक्त अपने ड्यूटी के स्थान पर परिवार को छोड़ जाते है उन्हें ऐसे प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए विद्यमान आदेशों के अनुसार स्वीकार्य अपने ग्रेड वेतन तथा नगर प्रतिपूरक तथा मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिपूरक भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए परन्तु शर्त यह होगी कि उन्हें उनके कार्य- पालक प्रशिक्षण से सम्बंधित उन सभी यात्राओं के लिए (जिसमें मुख्यालय से राज्यों तक तथा राज्यों से मुख्यालय में आने जाने की यात्राएं शामिल हैं) जिनके लिए इस समय स्थानान्तरण की भांति यात्रा भत्ता अनुदेय है उन्हें यात्रा भत्ता, "आकस्मिकताओं" इसके अतिरिक्त, उन्हें सहित दौरे की भांति स्वीकार्य दरों पर अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निजी सामान लाने ले जाने पर हुए वास्तविक व्यय की उसी सीमा तक अदायगी की भी अनुमति होगी जो कि स्थानान्तरण पर किसी अकेले अधिकारी पर लागू होती है।

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान राज्य के भीतर किए गए दौरों के लिए, वर्तमान की ही तरह, वे दौरे पर होने की भांति यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेते रहेंगे।

(2) उपर्युक्त छूट निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :—

(क) जो अधिकारी अविवाहित है या जिनका अन्यथा कोई परिवार नहीं है, तथा

(ख) वे अधिकारी जिनका परिवार तो है लेकिन उनका परिवार, उनकी प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान, पुराने मुख्यालय के स्थान पर नहीं रहता है।

इन आदेशों के प्रयोजन से "परिवार" में यथास्थिति पत्नी/पति, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा/रह रही हो, के अतिरिक्त उनके साथ रह रही उनकी वैध संतान जिनमें सौतेली संतान या कानूनी रूप से गोद ली गई संतान जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, भी शामिल है, सम्मिलित होगी, लेकिन उसमें माता, पिता, भाई या बहनें आदि शामिल नहीं होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 16 जून, 1964 का का० ज्ञा० सं० 19/28/63-केन्द्रीय सेवा (क)।]

22. **भारत में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने पर कार्यग्रहण रिपोर्ट की आवश्यकता.**—एक प्रश्न उठाया गया कि क्या जब किसी सरकारी कर्मचारी को भारत में ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा उसके प्रशिक्षण की अवधि को मूल नियम 9(6) (ख) (1) के अधीन ड्यूटी के रूप में माना जाता है तो उस स्थिति में औपचारिक कार्यग्रहण रिपोर्ट की आवश्यकता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि इन आदेशों के जारी होने की तारीख को अथवा इसके बाद भारत में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किए गए किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में उसके द्वारा पद त्याग किया जाना तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट तैयार किया जाना अपेक्षित है भले ही उसके पद पर कोई स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की गई हो। यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह प्रशिक्षण संस्थान/ अधिकारी आदि के माध्यम से सम्बन्धित लेखाधिकारी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय और तारीख के साथ साथ प्रशिक्षण की समाप्ति पर कार्य मुक्ति की तारीख व समय भी सूचित करें।

व्यक्तिगत मामलों में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी की गई मंजूरी में प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि निर्दिष्ट होनी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 27 फरवरी, 1965 का का० ज्ञा० सं० एफ 13(9)-ई/IV/ (ख) /65।]

23. **प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी के रूप में समझना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण हुई रिक्तियों का भरा जाना.**—(1) उक्त विषय पर दिनांक 15 फरवरी, 1977 के का० ज्ञा० सं० 12011/8/76—प्रशि० (अमुद्रित) का अधिक्रमण करते हुए, यदि कार्मिकों को उन विभागों द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है जिसमें वे कार्य कर रहे है तो नीचे वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रशिक्षण की अवधि का मूल नियम 9(6) (ख) (1) के अधीन ड्यूटी के रुप में समझा जाएगा।

(i) केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ii) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित-प्रायोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम; और

(iii) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

टिप्पणी :—अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची संकलित की जाएगी और अलग से परिचालित की जाएगी। सूची में केवल उन्हीं कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव है जो सभी मंत्रालयों आदि के समान हित के है तथा लोक प्रशासन और सामान्य प्रबन्ध के क्षेत्रों के हैं। अन्य मामलों अर्थात् किसी विशेष मंत्रालय के विशेषीकृत/तकनीकी पाठ्यक्रमों आदि के बारे में जिन्हें पूरा करने पर बाजार मूल्य वाले प्रमाण-पत्र दिए जाते है, सम्बन्धित मंत्रालयों आदि द्वारा सामान्य नियमों के अधीन प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग को पत्रादि लिखना आवश्यक नहीं है।

(2) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को भेजे जाने के कारण 45 दिन से अधिक की रिक्तियों को मंत्रालयों आदि द्वारा सामान्य तरीके से भरा जा सकता है। 45 दिन की लघु अवधि या उससे कम अवधि की रिक्तियों को नहीं भरना चाहिए।

(3) ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजे गए अधिकारियों के वेतन और भत्तों का खर्च उस मंत्रालय के बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा जिस मंत्रालय ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा है।

[निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध कार्य, नई दिल्ली को सम्बोधित भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 31 मई, 1979 का पत्र सं० 12015/1/79-प्रशि०।]

24. **नियुक्ति से पहले के प्रशिक्षण की अवधि की विभागीय परिक्षाओं में बैठने की पात्रता के "ड्यूटी" के रूप में माना जाना.**—(1) राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष ने अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया था कि ग्रेड में कार्रवाई की नियमित नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई सेवा को विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए ड्यूटी के रूप में समझा जाए।

(2) राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष से किए गए अनुरोध की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें पद पर वास्तविक नियुक्ति से पहले सेवा-पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक समझा गया उनमें ऐसी नियुक्ति से तत्काल पहले अधिकारियों को प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि को विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा, भले ही अधिकारी को पद का वेतनमान न दिया गया हो बल्कि नाम मात्र का भत्ता दिया गया हो

(3) वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है वे उपर्युक्त निर्णय सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्मचारियों सहित अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों के मार्गनिर्देशन के लिए उनकी जानकारी में ला दें।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का दिनांक 3 मार्च, 1983 का का० ज्ञा० संख्या 14034/5/81-स्था०(घ)]

25. **राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूदों में भाग लेना तथा भाग लेने से पहले प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेना**—खिलाड़ी पुरुषों और खिलाड़ी महिलाओं को कुछ और अधिक प्रोत्साहन सुविधाएं मंजूर करने का प्रश्न पिछले कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है और निम्नानुसार निर्णय किया गया है।

ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूदों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, खेलकूदों में भाग लेने की अवधि तथा ऐसे टूर्नामिन्टों/खेल-स्थल तक और खेल-स्थल से वापसी की यात्रा में व्यतीत किए गए दिनों का वास्तविक अवधि ड्यूटी के रूप में समझी जाए। इसके अतिरिक्त, यदि पूर्व ऊपर उल्लिखित खेलकूदों के सम्बन्ध में भाग लेने से पूर्व कोई प्रशिक्षण कैम्प लगाया जाता है और सरकारी कर्मचारी के लिए उसमें भाग लेना आवश्यक है तो इस अवधि को भी ड्यूटी के रूप में समझा जाए। परिणामस्वरूप इस मद में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने के सम्बन्ध में विद्यमान उपबन्ध रद्द किए गए समझे जाए।

उपयुक्त उपबन्ध मैनेजरों, प्रशिक्षकों (कोचर्स) लीडरस्, रेफरीज् आदि के मामलों में लागू नहीं किए जा सकते तथा वे विद्यमान उपबन्धों द्वारा शासित होते रहेंगे।

[भारत सरकार, प्रशासनिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 16 जुलाई, 1985 का का० ज्ञा० सं० 6/1/85-स्था० (वेतन-1) पैरा 3 (1) और 29 नवम्बर, 1985 का का०ज्ञा०सं० 6/2/85-स्था० (वेतन-1)।]

25क राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामिन्टों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना।

इस विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 1985 के का०ज्ञा० सं० 6/1/85-स्थापना(वेतन-1) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल-कूद प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामिन्टों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि (वृद्धियां) जिन्हें वेतन की भविष्य की वेतन-वृद्धियों में समाहित नहीं किया जाता है, मंजूर की जाती है। वैयक्तिक वेतन की दर, रिआयत मंजूर करने के समय देय, अगली वेतनवृद्धि की राशि के बराबर होती है और यह पूरी सेवा की अवधि के दौरान नियत रहती है।

2. चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1986 से वेतनमान संशोधित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में, वैयक्तिक वेतन की दर को संशोधित करने का मामला, जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल-कूद प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामिन्टों में भाग लिया था तथा जो 1-1-1986 से पूर्व वैयक्तिक वेतन ले रहे थे, सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति अब यह निर्णय करते हैं कि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में वैयक्तिक वेतन की दर, जो उपर्युक्त का०ज्ञा० में दिए गए उपबन्धों की शर्तों के अनुसार, 1-1-1986 से पूर्व पहले ही वैयक्तिक वेतन ले रहे थे (संशोधित वेतनमान में, उस पद के तदनुरूपी वेतनमान में, जिसमें संबंधित व्यक्ति ने संशोधन पूर्व वेतनमान में वैयक्तिक वेतन लिया था, वेतन-वृद्धि की निम्नतम दर के समतुल्य राशि के बराबर होगी तथा उन्हें संशोधित वेतनमान में उतनी ही वेतनवृद्धियां अनुज्ञेय होंगी जितनी कि उन्हें संशोधन पूर्व वेतनमान में लेने की अनुमति दी गई थी।

3. इस विभाग के दिनांक 16-7-1985 के का०ज्ञा० में दिए गए कुछ उपबन्धों को स्पष्ट करने तथा कुछ और प्रोत्साहन/सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रश्न की भी सरकार ने जांच की है तथा इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(i) इस विभाग के दिनांक 16-7-1985 के इसी संख्या के का०ज्ञा० के पैरा 1(vi) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

"(vi) सरकार द्वारा (युवा कार्य तथा क्रीड़ा विभाग) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय क्रीड़ा फैड-रेशनों/क्रीड़ा बोर्डों द्वारा आयोजित किए गए क्रीड़ा कोचिंग कैम्पों में भाग लेना"।

(ii) उपर्युक्त का०ज्ञा० में दी गई सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से अलग-अलग खेलों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय क्रीड़ा फैडरेशनों द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों तथा राष्ट्रीय औलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्रीय महत्व के खेलों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(iii) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से, संबंधित खेलों में अन्त-र्राष्ट्रीय क्रीड़ा निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे खेलों को जिसमें सरकार (युवा कार्य तथा क्रीड़ा विभाग) के पूर्व अनुमोदन से भाग लिया जाता है अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलों के रूप में माना जाए।

(iv) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलों में टीम के भाग लेने की व्यवस्था/कोच/प्रबन्ध करने के लिए नियमों के अधीन फैडरेशनों द्वारा अनुमोदित अथवा अपेक्षित मैनेजरों/कोचों/मैसरों/डाक्टरों जैसा भी मामला हो, को टीमों के आंतरिक हिस्से के रूप में माना जाए तथा इन अधिकारियों को भी वही सुविधाएं दी जाएं जब उन्हें संबंधित विभागों द्वारा प्रायोजित किया जाता है तो उस स्थिति में अग्रिम वेतनवृद्धियों के रूप में पुरस्कारों में मंजूर करने के प्रश्न को छोड़कर मामलों के गुण-दोषों पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि ऐसे खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी व्यक्तियों को उपलब्ध है। किन्तु टूर्नामेन्टों की व्यवस्था करने से संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को, टीमों के एक हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा, परन्तु उन्हें विशेष आकस्मिक छुट्टी लेने की सुविधाएं वैसी ही दी जाएंगी जैसी कि इस विभाग के दिनांक 16-7-1985 के इसी संख्या के का०ज्ञा० के पैरा 1(iii) से (vii) में आने वाले व्यक्तियों के मामलों से अनुज्ञेय है।

(v) अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड के ऐसे खिलाड़ी जो कोचिंग कैम्पों में भाग लेते हैं तथा विभिन्न अखिल भारतीय सिविल सेवा खेलों में भाग लेते हैं, वे भी इस का०ज्ञा० के अन्तर्गत आते हैं ताकि उन्हें विशेष आकस्मिक छुट्टी की सुविधा दी जा सके।

(vi) इस विभाग के दिनांक 16-7-1985 के का०ज्ञा० के पैरा 3(iv)(ग) को निम्नप्रकार पढ़ा जाए।

"(iv)(ग) इस प्रकार मंजूर की गई वेतनवृद्धियां सेवानिवृत्ति तक इसी दर पर ली जाती रहेंगी परन्तु ये पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं अथवा महंगाई भत्ते/नगरप्रतिपूर्ति भत्ते आदि जैसे किसी सेवा मामलों के लिए नहीं गिनी जाएगी।"

4. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 6/1/85-स्थापना (वेतन-1) दिनांक 7-11-88]

25ख. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों और टूर्नामेन्टों में भाग लिया जाना—इस विभाग के दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन सं० 6/1/85-स्था० (वेतन-1) के उपबंधों की **प्रयोज्यता।**

उपर्युक्त विषय से मिलते जुलते स्वरूप के कतिपय संदेहपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए पत्रों का हवाला देते हुए स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

संदेह के मुद्दे	स्पष्टीकरण
(क) क्या दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन की प्रसुविधाएं केवल उन्हीं तक सीमित हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा तैनात किया जाता है।	दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन के उपबंध राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले/वाली केन्द्रीय सरकार के पुरुष/महिला खिलाड़ियों पर ही लागू होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें केवल भारत सरकार द्वारा ही तैनात किया जाना चाहिए।
(ख) क्या राष्ट्रीय खेल संगठनों की कोई सूची तैयार की गई है।	मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों की एक सूची संलग्न है।
(ग) क्या भारत सरकार द्वारा भेजे गए खेल संगठनों द्वारा चुने गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दौरे पर होने की भांति यात्रा भत्ता अर्थात् दैनिक भत्ता अनुज्ञेय है अथवा केवल रेल किराया/हवाई यात्रा का किराया ही अनुज्ञेय है।	ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें भारत के भीतर ही राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के लिए चुन लिए जाते हैं उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाए। भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन संबंधी मामलों में उन्हें किफायती श्रेणी से हवाई यात्रा करने का हकदार बनाया जाए। खेलों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाता है और इसलिए वे दौरे पर होने की भांति ही नियमों के अधीन दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
(घ) क्या राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेलों (इंडोर और आउटडोर दोनों) के लिए वेतनवृद्धि पर विचार किया जाना है।	जी हां।

	प्रश्न	उत्तर
(ङ)	क्या मूल नियम 27के अधीन यथापरिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए गए खेल प्रदर्शन के आधार पर मंजूर की जाने वाली वेतन-वृद्धियों की संख्या का निर्णय किया जाना है ।	
(च)	क्या वेतनवृद्धि मंजूर करने की प्रभावी तारीख श्रेष्ठता हासिल करने की तारीख से आगामी माह की पहली तारीख से होगी ।	वेतनवृद्धि उस माह से अगले मास की पहली तारीख से मंजूर की जाती है जिसमें कि खेल समाप्त होते हैं ।
(छ)	क्या कर्मचारी द्वारा वेतन वृद्धि की मांग किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ।	इसके लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई है । तथापि श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चाहिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इसकी मांग करें ।
(ज)	क्या दिनांक 16-7-85 के कार्यालय ज्ञापन के उपबंध विगत मामलों पर भी लागू होते हैं ।	दिनांक 16-7-85 के का०ज्ञा० के उपबंध इसके जारी होने की तारीख से ही लागू किए गए हैं और ये विगत मामलों पर लागू नहीं हैं ।
(झ)	क्या खेलों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में माने जाने संबंधी कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त हैं ।	कोई विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए हैं । तथापि मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे अलग-अलग खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपस को तथा भारतीय ओलोम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्रीय स्तर का खेल माना जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त खेलों और जिनमें सरकार (युवा कार्य और खेल विभाग) के पूर्वानुमोदन से भाग लिया गया है को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल माना जाए ।
(ञ)	क्या वेतनवृद्धि की दर को उस खेल विशेष की तारीख को जिसमें कर्मचारी ने भाग लिया था ले रहे वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा उस तारीख के संदर्भ में जिसको कि समग्र प्रतियोगिताएं समाप्त होती हैं निर्धारित किया जाए ।	वेतनवृद्धि समग्र प्रतियोगिताओं के समाप्त होने की तारीख के संदर्भ में होनी चाहिए ।
(ट)	वेतनवृद्धि की दर—क्या यह संशोधन पूर्व वेतनमान में है अथवा संशोधित वेतनमान में ।	इस विभाग के दिनांक 7-11-88 के का० ज्ञा० सं० 6-1-85-वेतन द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं ।
(ठ)	क्या दिनांक 16-7-85 के का०ज्ञा० के उपबंध बैटरन मीट्स पर लागू होते हैं ।	जी नहीं । ये उपबंध वैटरन मीट्स पर लागू नहीं होते ।

2. जहां तक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 6/2/85-स्थापना (वेतन-I) दिनांक 30-1-89.]

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों के पते

1. एरो क्लब आफ इन्डिया, अरबिन्द मार्ग, सफदरजंग एयर पोर्ट, नई दिल्ली ।
2. आरकरी एसोसिएशन आफ इंडिया, सी 1/5, पंडारा पार्क, नई दिल्ली ।
3. बास्केटबाल फेडरेशन आफ इंडिया, नं० 14/ए रोड, जमशेदपुर ।
4. ब्रिज फेडरेशन आफ इंडिया, 3-6/190, हिमायत नगर, हैदराबाद ।
5. बेडमिन्टन एसोसिएशन आफ इंडिया, जेक्शन्स रोड, जबलपुर ।

6. इन्डियन अमातेर बोक्सिग फेड०, 25 राजा राम मोहन राय रोड़, बम्बई।

7. बिलियर्डस् एण्ड स्नोकर फेड० आफ इंडिया, मार्फत दि बंगाल बोन्डिड वैयर हाऊस एसोसिएशन, 25. नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता।

8. बॉल बेडमिंटन फेडरेशन आफ इंडिया, बालसा नगर त्रिवेन्द्रम 695 014।

9. बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया, विजय नगर कालोनी, बिरवानी 125021।

10. वीमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन आफ इंडिया, 41/बी, करन नगर एक्सटेंशन, जम्मू।

11. आल इंडिया चैस फेडरेशन, 14 फिफ्त करोल स्ट्रीट, शास्त्री नगर, मद्रास 600 020।

12. आल इंडिया कैरम फेडरेशन, 2 नेहरू स्टेडियम, मद्रास 600003।

13. साइकिलिंग फेडरेशन आफ इंडिया, यमुना वेलोड्रम, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।

14. इक्वेस्ट्रेन फेडरेशन आफ इंडिया, आर्मी हेडक्वार्टस, वेस्ट ब्लाक, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

15. आल इंडिया फुटबाल फेड०, नेताजी इन्डोर स्टेडियम, एडन गार्डनस्, कलकत्ता 21।

16. इन्डियन गोल्फ यूनियन, टाटा सेन्टर, 111 फ्लोर, 43 चोरंगी रोड़, कलकत्ता 700071।

17. इन्डियन हॉकी फेडरेशन, रूम नं० 106, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली।

18. आल इंडिया वीमेन्स हॉकी एसोसिएशन, ए/2, जानकी देवी कालेज, गंगा राम हास्पिटल मार्ग, नई दिल्ली।

19. एमतर हेन्डबाल फेडरेशन आफ इन्डिया, 27 परेड ग्राऊन्ड, जम्मू।

20. खो खो फेडरेशन आफ इंडिया, "सामीथा", 7/बी 14 क्रास रोड़, मलेश्वरम, बंगलोर।

21. फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब आफ इन्डिया, 14 नार्थ क्रीसेन्ट रोड़, टी० नगर, मद्रास 600001।

22. इन्डियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन, 40-2/ए सुबारबन स्कूल रोड़, कलकत्ता 70004।

23. इन्डियन पोलो एसोसिएशन, सी/ओ प्रेसिडेन्टस बोडी गार्डस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

24. नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इन्डिया, रूम नं० 46, फस्ट फ्लोर, रघुश्री काम्पलेक्स, अजमेरी गेट, नई दिल्ली 110006।

25. सॉफ्ट बाल एसोसिएशन आफ इंडिया, रावटोन का वास, जोधपुर 420002।

26. स्क्वेस रेकेट फेडरेशन आफ इंडिया, सी/ओ दि कलकत्ता रेकेट्स क्लब नीयर सेन्ट पोलस कैथेडरल, कलकत्ता।

27. स्वीमिंग फेडरेशन आफ इंडिया, 3552, दरवाजा खन्चा शालीपुर, अहमदाबाद।

28. टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया, रूम नं० 1000, ब्लाक "ई", फस्ट फ्लोर, पोस्ट बाक्स नं० 282, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड़, नई दिल्ली।

29. आल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन, दीपिका-6, मोहन कुमारमंगलम स्ट्रीट, नानागुम्बकम, मद्रास।

30. हालीबाल फेडरेशन आफ इंडिया, 6, नेहरू स्टेडियम, मद्रास।

31. वैट लिफ्टिंग फेडरेशन आफ इंडिया, 2/2 बजेसिबपुर रोड़, II बाई लेन, हावड़ा

32. याचिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, रूम नं० 33, डायरेक्टोरेक्ट आफ नेविल ट्रेनिंग, "सी० विंग" सेना भवन, नई दिल्ली।

33. साइकिल पोलो फेडरेशन आफ इंडिया, बुन्दलोड हाऊस, बाबा सड़क, सिविल लाइन्स, जयपुर।

34. अमातेर एथलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया, रूम नं० 452, रेल भवन, नई दिल्ली।

35. जिमनास्टिक फेडरेशन आफ इंडिया, नं० 61, सैक्टर 10/ए, चण्डीगढ़।

36. एमतर कबड्डी फेडरेशन आफ इंडिया, 19/1030, खेर नगर, बान्द्रा (ईस्ट), बम्बई 400051।

37. वीमेन्स फुटबाल फेडरेशन आफ इंडिया, 103 वजीर गंज, लखनऊ 226001।

38. रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया, सी/ओ इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन, रूम नं० 1104, (एफ) ब्लाक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली।

39. इन्डियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन, 2219, विज्ञान प्रेस, नासिक 422001।

40. जूडो फेडरेशन आफ इंडिया, सेनावाला बिल्डिंग, 11 फ्लोर, 65, बम्बई समाचार मार्ग, बम्बई 400023।

41. आल इंडिया स्पोर्टस काउंसिल आफ डैफ, 8, नार्थ एण्ड काम्पलेक्स, श्रीरामाकृष्णा आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।

42 टेनिस कोइट फेडरेशन आफ इंडिया, रूम नं० 23, 1 फ्लोअर, लाल बहादुर स्टेडियम, नई दिल्ली।

43 रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया, "सेक्रेटिरिएट", 9, आर्चबीशप, मेथियास एवेन्यु, मद्रास 28।

44 स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया, 54/55, कार्लमेन्टस बिल्डिंग, शिमला 171004।

45 इन्डियन आलम्पिक एसोसिएशन, रूम नं० 1104. ब्लाक बी, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली।

46 इन्डियन माऊन्टेनियरिंग फेडरेशन बेमटो जवारिवस रोड, आनन्द निकेतन नई दिल्ली।

47 आल इंडिया कराटे फेडरेशन 9 सनशाइन 156 एम० कर्वे रोड़ बम्बई 400020।

48 इन्डियन बोडी बिल्डिंग फेडरेशन 3 राधना नगर सायनतमिपेट मद्रास/600013।

49 आल इंडिया अत्या-पत्या फेडरेशन नागपुर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय डाक्टर मोंगा रोड़, धनतोली, नागपुर 12।

25-ग राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलों तथा प्रतियोगिताओं में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 7-11-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या का हवाला दिया जाता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(V) को निम्नप्रकार पढ़ा जाए :----

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा क्रीड़ा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं को इस विभाग के दिनांक 16-7-1985 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई प्रसुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय महत्व के खेलों के रूप में मान्यता दी गई है।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 6/1/85-स्थापना (वेतन-1) दिनांक 8-6-89]

26. **डाक व तार से सम्बन्धित विविध आदेश**---भारतीय डाक व तार विभाग की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई प्रशिक्षण की अवधि के दौरान जिसमें प्रशिक्षण कक्षा से आने-जाने की यात्राओं पर वास्तविक रूप से लगा समय भी शामिल है, को मूल नियम 9(6)(ख)(i) के अधीन ड्यूटी के रूप में माना जाना चाहिए :---

अधिकारियों का संवर्ग	प्रशिक्षण का स्वरूप/स्थान	प्राधिकारी
1. कोल चपरासी या समूह "घ" कर्मचारी डाक तार मैनुअल खण्ड IV के अनुसार जब अपेक्षित हो अथवा अनुमति हो।	विभागीय निर्माण पार्टियों या किसी विशेष कक्षा में लाईनमैन के रूप में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेना।	एफ०ए०(सी०) का पृष्ठांकन संख्या ई०ए०7 38/4/, ता० 27-3-1939
2. विभागीय उम्मीदवार	तार प्रशिक्षण	एफ०ए०(सी०) का पृष्ठांकन सं०ई०एस०बी०-221/5/47, ता० 8-4-1942
3. इस सेवा में सीधी भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन तार संकेतक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के लिए चुने गए विभागीय कर्मचारी।	तार संकेतक	एफ०ए०(सी०) का पृष्ठांकन सं० ई 319-2/43, ता० 1-10-1943
4. तार मास्टर के ग्रेड	तार मास्टर	एफ०ए०(सी०)का पृष्ठांकन संख्या एस० 166-3/45, ता० 3-10-1945
5. पोस्टल प्रभागों में कार्य कर रहे तथा रेल डाक सेवा प्रभागों में स्थायी नियुक्ति के लिए अनुमोदित अस्थायी लिपिक	रेल डाक सेवा प्रशिक्षण कक्षाएं	एफ०ए०(सी०) का पृष्ठांकन संख्या ए०सी०-18-54/47, ता० 2-8-1947
6. विभागीय उम्मीदवार/टेलीफोन आपरेटरों की प्रशिक्षण कक्षा	टेलीफोन आपरेटरों की प्रशिक्षण कक्षा	एम०एफ०(सी०) का पृष्ठांकन सं० टी०ई०-31-35/52, तारीख 17-3-1954
7. भर्ती परीक्षा/पास करने के पश्चात् नियुक्ति के लिए चुने गए विभागीय उम्मीदवारों से भिन्न विभागीय अधिकारी	टेलीफोन आपरेटरों की प्रशिक्षण कक्षा	एम०एफ०(सी०) का पृष्ठांकन संख्या टी०ई०-31-35/52, ता० 28-2-1955
8. बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के टेलीफोन जिलों के विभागीय उम्मीदवार	लाईनमैन के संवर्ग में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एम०एफ०(सी०) का पृष्ठांकन संख्या ए० टी०बी०-376-19/52/ए०सी०एस०-1-52/55, ता० 22-2-1956
9. तार मास्टर	हिन्दी मोर्स कोड प्रशिक्षण	महानिदेशक, डाक व तार के ता० 30-4-1958 के ज्ञा० सं० टी-2/84/7/57 पी० एण्ड ए० पर एम० एफ०(सी०) का पृष्ठांकन

अधिकारियों का संवर्ग	प्रशिक्षण का स्वरूप/स्थान	प्राधिकारी
10. डाकघरों तथा रेल डाक सेवा के निरीक्षक	डाक अधीक्षक समूह II में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण	महानिदेशक डाक व तार के ता० 15-11-1960 के ज्ञा० सं० 29/4/60 पी०एल०जी०आई० द्वारा यथा संशोधित उनका ता० 8-6-59 का ज्ञा० सं० पी०एल०जी० 98-41/53।
11. आरम्भ में डाक मोटर सेवा में भर्ती हुए तथा रेल डाक सेवा में समाहित किए जाने वाले लिपिक। (सीधी भर्ती तथा विभागीय, दोनों प्रकार के)	रेल डाक सेवा प्रशिक्षण कक्षा में प्रशिक्षण	एम०एफ०(सी०) का ता० 6-11-1959 का पृष्ठांकन सं० 23/13/59-एस०पी०बी०आई०।
12. निम्न अनुभाग ग्रेड मानिटर्स।	टेलीफोन आपरेटर्स प्रशिक्षण कक्षा में अनुदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व बम्बई या कलकत्ता में प्रशिक्षण।	डाक व तार के महानिदेशक के ज्ञापन संख्या 75/2/60 एस०सी०सी० पर एम०एफ०(सी०) ता० 18-8-1960 पर एम०एफ०(सी०) का पृष्ठांकन।
13. इंजीनियरी पर्यवेक्षक तथा यांत्रिक	टेलीप्रिंटर तथा टेलीप्रिंटर रख-रखाव तथा ओलिवेट्टी टेलीप्रिंटर के रख-रखाव में अपने मुख्यालय से दूर रहकर अल्पावधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एम०एफ०(सी०) का ता० 30-6-1952 का पृष्ठांकन संख्या एन०एम० 31/10/52 I तथा ता० 7-9-1961 का संख्या 45/187/60-पी० एण्ड ए०।
14. तार यातायात सेवा के अधिकारी तथा तार में मास्टर II	तार की आधुनिक पद्धति में प्रशिक्षण।	महा निदेशक, डाक व तार का ता० 4-1-1963 का ज्ञापन संख्या 59/1/62 एस०टी०सी०ए०।
15. बाह्य उम्मीदवार के रूप में या विभागीय उम्मीदवार के रूप में भर्ती हुए विभाग के कर्मचारी।	आटो एक्सचेंज सहायकों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण	महानिदेशक, डाक व तार का ता० 19-1-1963 का ज्ञा० सं० 40/1/61 एन०सी०सी० तथा डाक व तार बोर्ड की ता० 12-6-1963 की अधिसूचना सं० 40/1/61-एन०सी०सी०।
16. विभागीय उम्मीदवार	तकनीकी सहायकों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण	डाक व तार बोर्ड का ता० 23-2-1967 का ज्ञापन संख्या 2/1/62-डब्ल्यू० के० तथा ता० 17-2-1967 का एम०एफ०यू०ओ० संख्या 372 टी०सी०सी० 67।
17. अधिकारी	व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित (अधिकतम चार माह) भारत में क्लास बार तकनीक में प्रशिक्षण।	डाक व तार बोर्ड का ता० 25-4-1967 का पत्र संख्या 100/29(iii) 65-एस०टी०ए०।
18. उसी यूनिट अथवा किसी अन्य शाखा में निम्न ग्रेड के अधिकारी, भले ही वे विभागीय उम्मीदवारों के रूप में चुने गए हों या बाह्य उम्मीदवारों के रूप में	लिपिकीय संवर्गों में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण।	डाक व तार वित्त की सहमति से उनके ता० 6-6-1968 के यू०ओ० संख्या 2439-एफ० ए०आई०/68 द्वारा जारी किया गया महानिदेशक, डाक व तार का ता० 19-6-1968 का पत्र सं० 23/1/67-पी०ए०टी०।
19. विभागीय अधिकारी	पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	महानिदेशक, डाक व तार का ता० 18-7-68 का ज्ञा० सं० 30/7/66-प्रशिक्षण (पी०ए० टी०)।
20. कनिष्ठ लेखापालों और वरिष्ठ लेखापालों (अब कनिष्ठ लेखा अधिकारी) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारी	पदोन्नति पर प्रशिक्षण	एम०एफ०(पत्र) सं० एस०पी०ए० 214/5/51, दिनांक 11-8-54 और दिनांक 28-5-1955 का पत्र सं० एस०पी०ए०-214-4/54।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) (क) "परिवीक्षाधीन" शब्द में ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं है जो किसी संवर्ग में मूल रूप से स्थायी पद धारण किए हुए है तथा अन्य पद में "परिवीक्षापर" नियुक्त किया जाता है।

(ख) किसी संवर्ग में मूल रूप से स्थायी पद पर नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति तब तक परिवीक्षाधीन नहीं है जब तक कि उसकी नियुक्ति के साथ परिवीक्षा के लिए ऐसी कोई सुस्पष्ट शर्त न लगाई गई हो कि वह निश्चित परीक्षाएं पास करने तक परिवीक्षाधीन बना रहेगा।

(ग) किसी परिवीक्षाधीन के रूप में उस स्तर को माना जाएगा जैसा कि किसी अधिष्ठायी अधिकारी का स्तर होता है बशर्ते कि नियमों में अन्यथा कुछ निर्धारित न किया गया हो।

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित अनुदेशों को पारस्परिक रूप में पूरक ही माना जाएगा न कि एक दूसरे से अलग अलग। संयुक्त रूप से इनमें निर्धारित करने के लिए परीक्षण का कार्य कि कब किसी सरकारी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन अथवा मात्र परिवीक्षा पर समझा जाना चाहिए, भले ही ऐसा सरकारी कर्मचारी पहले से ही स्थायी कर्मचारी हो अथवा वह मात्र ऐसा सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो जिसका किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार न हो जबकि परिवीक्षाधीन एक ऐसा कर्मचारी हुआ करता है जिसे परिवीक्षा की कुछ निश्चित शर्तों सहित किसी स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है इसके विपरीत परिवीक्षा पर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो (यह आवश्यक नहीं कि पद मूल रूप से रिक्त हो जिससे कि उस पद में उसकी सम्भावित मूल नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता को निर्धारित किया जा सके। इन लेखा परीक्षा अनुदेशों में कोई ऐसी व्यवस्था विद्यमान नहीं है जो कि किसी संवर्ग के स्थायी कर्मचारी को (उदाहरणार्थ कोई प्रथम श्रेणी प्रमण्डल सहायक जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा समूह "ख" के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो) दूसरे ऐसी स्थिति में दूसरे किसी संवर्ग (जैसे कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा भारतीय सीमा शुल्क सेवा और आय कर सेवा, समूह "क") के पद पर "परिवीक्षाधीन" के रूप में (चाहे ऐसा विभागीय समिति द्वारा चयन किए जाने के कारण अथवा संघलोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप किया जा रहा हो) नियुक्ति करने में संरक्षण प्रदान नहीं करता है जब कि विभागीय परीक्षा पास करने जैसी परिवीक्षा के लिए निश्चित शर्तें निर्धारित की गई हों। ऐसे किसी मामले में, सरकारी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन के रूप में माना जाना चाहिए और उसे (बशर्ते कि इसके विपरीत कोई नियम विद्यमान न हो) मात्र परिवीक्षाधीन अवधि के लिए निर्धारित वेतन की दरों पर प्रारम्भिक और अनुवर्ती वेतन को अनुमत किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी वेतन दरें सम्बन्धित सेवा के समय वेतनमानों में सम्मिलित की हुई हों या उनसे अलग दर्शायी गई हों। तथापि उसी विभाग के चयन द्वारा पदोन्नत विभागीय उम्मीदवारों का मामला (उदाहरणार्थ अधीनस्थ लेखा सेवा) केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (भारतीय लेखा परीक्षा विभाग का ऐसा कोई अधीक्षक अथवा लेखा अधिकारी जिसकी भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा में ऐसी पदोन्नति के लिए विद्यमान कोटे के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति हुई हो) भिन्न है यदि भारत सरकार से सम्बन्धित विभाग यह आवश्यक समझे कि इन "पदोन्नत" कर्मचारियों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे समूह "क" अधिकारी के वास्तविक कार्य को अच्छी तरह से कर सकते है, कुछ समय के लिए "परिवीक्षा पर" रख सकते है और इस बीच उनके पूर्ववर्ती पदों पर उनके धारणाधिकार (सक्रिय अथवा निलम्बित) को सम्भावित प्रत्यावर्तन के लिए बनाए रख सकते हैं परन्तु उनकी "परिवीक्षा पर" रहने की अवधि के दौरान उनकी क्षमताओं आदि की जांच करने के लिए विभागीय प्रबन्ध भले ही कैसे हों, उनके प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण वेतन निर्धारण को विनियमित करने वाले सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

[लेखापरीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुनःमुद्रित) का खण्ड I अध्याय II का पैरा 3 (i)]।

(2) प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं की छुट्टी अनु-पूरक नियम 292 (केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 33) द्वारा शासित होती है, तथा वे स्थायीकरण पर अपनी प्रशिक्षुता की अवधि को छुट्टी के लिए किसी स्थायी पद में मौलिक रूप से की गई सेवा की भांति नहीं गिन सकते।

[लेखापरीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुनःमुद्रित) खण्ड I, अध्याय II पैरा 3 (ii)]।

(3) भारतीय सेना तथा सिविल सरकारी सेवा में रायल इंडियन फ्लीट के रिजर्व अधिकारियों द्वारा, जब उन्हें क्रमशः समय समय पर मिलिट्री तथा नेवल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के स्थान से आने-जाने में लगी अवधि को सिविल छुट्टी तथा सिविल वेतन की वेतनवृद्धियों के प्रयोजनों से ड्यूटी के रूप में माना जाएगा।

[लेखा अनुदेशों के मैनुअल का (पुनःमुद्रित) खण्ड I अध्याय II, पैरा 4 (I)]।

(4) मूल नियम 26 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की मद (4) देखें।

(5) मूल नियम 105 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की मद संख्या (2) देखें।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर आयोजित दक्षता परीक्षा में बैठने वाले कार्यरत आशुलिपिकों के मामले में यात्रा में व्यतीत की गई अवधि

तथा परीक्षा की तारीख को ड्यूटी के रूप में मानने के लिए देखें अनु० नियम 130 के नीचे नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक का निर्णय (2) देखें।

(6क) "फीस" से वह आवर्ती या अनावर्ती संदाय अभिप्रेत है जो सरकारी सेवक को भारत की संचित निधि [1][या किसी राज्य की संचित निधि संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि] से भिन्न किसी से चाहे सीधे ही सरकारी सेवक को या सरकार के माध्यम से परोक्ष रूप से किया जाए, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(क) अनुपार्जित आय जैसे सम्पत्ति, लाभांशों और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, और

[2](ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रयासों से आय, और शौक के रूप में खेलकूद सम्बन्धी कार्यकलापों से प्राप्त आय।

[3](7) "अन्यत्र सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसके दौरान सरकारी सेवक अपना वेतन, सरकार की मंजूरी से भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि या किसी संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से प्राप्त करता है।

(8) विलोपित

(9) "मानदेय" से वह आवर्ती या अनावर्ती संदाय अभिप्रेत है जो सरकारी सेवक को यदाकदा किए जाने वाले या आन्तरायिक प्रकार के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत की संचित निधि या किसी राज्य[4] की संचित निधि (या किसी राज्य क्षेत्र की संचित निधि) में से अनुदत्त किया जाए।

भारत सरकार के आदेश

मानदेय शब्द की व्याप्ति—भारतीय डाक तथा तार विभाग में देय योग्य अतिरिक्त समय भत्ते अथवा समयोपरि वेतन, पाई राशि तथा अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते को आवर्ती मानदेय के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इनका भुगतान इस नियम के अर्थ के अनुसार आकस्मिक स्वरूप के श्रमसाध्य कार्य के लिए किया जाता है।

[एफ० ए०, डाक व तार के तारीख 4 फरवरी, 1932 का पृष्ठांकन संख्या 779-एफ/26]

(10) "कार्य ग्रहण अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जो सरकारी सेवक को नए पद का कार्य भार ग्रहण करने के लिए या उस स्थान को या उससे, जहां कि वह तैनात किया गया हो, यात्रा करने के लिए अनुज्ञात की जाए।

(11) मुद्रित नहीं

(12) "छुट्टी वेतन" से वह मासिक रकम अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा ऐसे सरकारी सेवक को दी जाए जो छुट्टी पर हो।

(13) "धारणाधिकार" से सरकारी सेवक का किसी स्थायी पद को, जिसके अन्तर्गत सावधिक पद भी है, जिस पर उसकी नियुक्ति अधिष्ठायी रूप से हुई है परन्तु या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के पर्यवसान पर अधिष्ठायी रूप से धारण करने का हक अभिप्रेत है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निर्णय

ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में जो किसी पद पर, सिवाय उसके, जिसे समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, धारणाधिकार नहीं रखता है तो ऐसे पद समाप्त किए जाने की सही तारीख उस तारीख तक आस्थगित कर दी जाएगी जिस तारीख तक स्वीकृत की जाने वाली छुट्टी समाप्त होगी।

[महालेखा परीक्षक के ता० 13 सितम्बर, 1922 का शा० सं० 641-1/194-22]

(14) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है :—

(क) उन निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व जो विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा, चाहे साधारणतया सभी कार्यवाहियों के बारे में या किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों जैसे, उनके बजटों की मंजूरी, विशिष्ट पदों के सृजन या भरे जाने की मंजूरी, या छुट्टी, पेंशन या ऐसे ही नियमों के अधीन अधिनियम, के बारे में सरकार के नियंत्रण के अधीन आते हैं, तथा

(ख) किसी ऐसे निकाय के राजस्व, जो राष्ट्रपति द्वारा इस रूप में विशिष्टतः अधिसूचित किए जाए।

[5](15) विलोपित

(16) (क) "सैनिक आयुक्त आफिसर" से,

(i) विभागीय आयुक्त आफिसर,

(ii) भारतीय चिकित्सा विभाग के आयुक्त आफिसर से भिन्न, आयुक्त आफिसर अभिप्रेत है।

इसके अन्तर्गत वारंट आफिसर नहीं आता।

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 8 (13) ई-II (बी)/73(1) तारीख 15 फरवरी, 1974 द्वारा अन्तर्निविष्ट।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना संख्या 16013/1/79-भत्ते, तारीख 10 अप्रैल, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना की संख्या 18(13)/ई-IV/70 ता० 29 जनवरी, 1971 और एफ०-I(12)-ई-III(बी०)/72 तारीख 27 नवम्बर, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 15 फरवरी, 1974 की अधि० सं० (13)-ई II (ख)/73-(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18 (13) ई-IV(ए)/70 ता० 29 जनवरी, 1971।

(ख) "सैनिक आफिसर" से कोई भी आफिसर जो सैनिक आयुक्त आफिसर की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, या उपरोक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या (ii) के अन्तर्गत आता हो या कोई भी वारंट आफिसर, अभिप्रेत है।

(17) "लिपिकीय सेवक" से अभिप्रेत है किसी अधीनस्थ सेवा का वह सरकारी सेवक जिसके कर्तव्य पूर्ण रूप से लिपिकीय हैं और किसी भी अन्य वर्ग का वह सेवक जो केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में विशेष रूप से परिभाषित है।

भारत सरकार के आदेश

(1) यह निर्णय किया गया है कि समूह "ख" सेवा के वे सदस्य जिनकी ड्यूटी प्रधानतः लिपिकीय है, को मूल नियमों के नियम 9 के खण्ड (17) के प्रयोजन से लिपिकीय सेवक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

[भारत सरकार महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को सम्बोधित तारीख 1 अप्रैल, 1933 का भारत सरकार वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ 11(6)-आर० 1/33]

(2) यह निर्णय किया गया है कि सचिवों तथा संयुक्त सचिवों के निजी सचिवों को, उनकी ड्यूटी से सम्बद्ध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए "लिपिकीय" रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 3 मार्च, 1952 का पत्र संख्या एफ० 12/2/52-स्था०]

(18) "मास" से केलेण्डर मास अभिप्रेत है मासों और दिनों के रूप में अभिव्यक्त अवधि की गणना करने में, प्रत्येक मास में दिनों की संख्या कितनी भी क्यों न हो पहिले पूर्ण केलेण्डर मासों की गणना की जानी चाहिए और तत्पश्चात् शेष दिनों की संख्या की गणना की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा अनुदेश

मास तथा दिनों के अनुसार व्यक्त की गई अवधि की गणना:—

(क) 25 जनवरी को और उस तारीख 3 मास 20 दिन की गणना करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनायी जानी चाहिए :—

	वर्ष	मास	दिन
25 जनवरी से 31 जनवरी	0	0	7
फरवरी से अप्रैल	0	3	0
पहली मई से 13 मई	0	0	13
	0	3	20

(ख) 30 जनवरी से प्रारम्भ होने तथा 2 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार 1 मास 4 दिन माना जाना चाहिए:—

	वर्ष	मास	दिन
30 जनवरी से 31 जनवरी	0	0	2
फरवरी	0	1	0
1 मार्च से 2 मार्च	0	0	2
	0	1	4

[लेखापरीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनःमुद्रित) में संशोधन पर्ची संख्या 105]

(19) "स्थानापन्न रूप में कार्य करना" सरकारी सेवक किसी पद पर स्थानापन्न रूप में तब काम करता है जब कि वह पद के कर्तव्यों का पालन करता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार है।* केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे किसी सरकारी सेवक को, किसी ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी जिस पर किसी अन्य सरकारी सेवक का धारणाधिकार न हो।

(20) "विदेश में मिलने वाला वेतन" से वह वेतन अभिप्रेत है जो किसी सरकारी सेवक को इस बात के प्रतिफलस्वरूप दिया जाता है कि वह अपने अधिवास के देश से भिन्न देश में सेवा कर रहा है।

(21) (क) "वेतन" से वह रकम अभिप्रेत है जो सरकारी सेवक द्वारा प्रति मास निम्नलिखित रूप में प्राप्त की जाए :—

(i) विशेष वेतन या उसकी वैयक्तिक अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुए दिए जाने वाले वेतन से भिन्न वेतन जो वे उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न हैसियत में धारित पद के लिए लिया गया है या जिसका वह काडर में अपनी स्थिति के कारण हकदार है, तथा

(ii) विदेश में मिलने वाला वेतन, [1][ ]विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, तथा

(iii) कोई भी अन्य उपलब्धियां जो राष्ट्रपति द्वारा वेतन के रूप में विशेषतया वर्गीकृत की जाएं।

(ख) 1 जुलाई, 1924 को आरम्भ की गई वेतन की दरों को प्राप्त करने वाले सैनिक आफिसर की दशा में, वेतन के अन्तर्गत वह रकम आती

1. "तकनीकी वेतन" शब्द भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 18 (13)ई० IV (क)/70 द्वारा हटा दिया गया है।

है जिसे वह निम्नलिखित रूप में प्रतिमास प्राप्त करता है :—

(i) नियुक्ति वेतन, वासा भत्ता और विवाह भत्ता, तथा

(ii) रैंक वेतन, समावेश-वेतन, अतिरिक्त वेतन, भारतीय सेना भत्ता, वासा-भत्ता और विवाह भत्ता ।

(ग) 1 जुलाई, 1924 से पूर्व प्रवृत्त वेतन की दरों को प्राप्त करने वाले सैनिक आफिसर की दशा में, वेतन के अंतर्गत वह रकम आती है, जिसे वह निम्नलिखित नामों से प्रति मास प्राप्त करता है :—

(i) सैनिक वेतन और भत्ते तथा कर्मचारिवृन्द वेतन,

(ii) भारतीय सेना वेतन और कर्मचारिवृन्द वेतन, तथा

(iii) समेकित वेतन ।

टिप्पण :—भारत सरकार के मुद्रणालयों के उजरती कामगार के मामले में जबकि उसकी नियुक्ति समय वाले पद पर की जाए तो "वेतन" उसके प्रतिघंटा वर्ग दर के दो सौ गुणा के समतुल्य समझा जाएगा ।

भारत सरकार के आदेश

वायरलेस आपरेटरों को मंजूर किए गए निपुणता वेतन को मूल नियम 9(21) (क) (iii) के अधीन वेतन माना जाएगा ।

[एफ० ए० (सी०) का ता० 10 फरवरी, 1943 का पृष्ठांकन संख्या स्था० ख-401-23/39/को]

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का निर्णय

केन्द्रीय सरकार की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि सैनिक प्रशिक्षण पर जाने वाला कोई सिविल आफिसर मूल नियम 9(1) (ख) में परिभाषित किए अनुसार "सैनिक आफिसर" नहीं है, तथा उसके मामले में "वेतन" में, जैसा कि मूल नियम 9(21) (क) में परिभाषित किया गया है, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्राप्त किया गया "रैंक वेतन" शामिल नहीं है ।

[लेखा परीक्षक का ता० 29 दिसम्बर, 1938 का पत्र संख्या 958 ए०सी०/139-38]

(22) "स्थायी पद" से एक निश्चित वेतन दर वाला ऐसा पद अभिप्रेत है जो अपरिसीमित काल के लिए मंजूर किया गया हो ।

भारत सरकार के आदेश

अधि संख्यक पदों का सृजन :—ऐसा प्रतीत होता है कि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अधिसंख्यक पदों का सृजन किन परिस्थितियों में किया जाए और ऐसे पदों का सृजन किन सिद्धान्तों द्वारा अधिशासित होगा । जबकि ऐसी परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनके अधीन इन पदों का सृजन किया जा सकता है, फिर भी ऐसे पदों के सृजन को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है ।

(i) सामान्यत: किसी ऐसे अधिकारी के धारणाधिकार को बनाए रखने के लिए कोई अधिसंख्या पद सृजित किया जाता है, जो ऐसे पद का सृजन करने का सक्षम प्राधिकारी की राय में किसी नियमित स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने का हकदार है, परन्तु जो, नियमित स्थायी पद के उपलब्ध न होने के कारण, ऐसे पद पर अपना धारणाधिकार नहीं रख सकता है ।

(ii) यह एक कतिपय पद है अर्थात् ऐसे पदों के साथ कोई ड्यूटी नहीं जुड़ी होती है । ऐसा कोई अधिकारी जिसका ऐसे किसी पद पर धारणाधिकार रखा जाता है वह सामान्यत: किसी अन्य रिक्त अस्थायी अथवा स्थायी पद पर कार्य किया करता है ।

(iii) ऐसे पद का सृजन केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जबकि कोई अन्य ऐसा रिक्त स्थायी और अस्थायी पद उपलब्ध हो जिससे उस आदमी को कार्य दिया जा सके जिसका अधिसंख्यक पद के सृजन द्वारा धारणाधिकार बनाए रखा जाता है । दूसरे शब्दों में ऐसे पद का सृजन ऐसी परिस्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे पद के सृजन के समय अथवा उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाए ।

(iv) यह निश्चित रूप से स्थायी पद होता है तथापि क्योंकि किसी ऐसे पद का सृजन ऐसे स्थायी अधिकारी को उस अवधि तक समायोजित करने के लिए किया जाता है जब तक कि उसे किसी नियमित स्थायी पद पर खपाया नहीं जाता, अत: इस पद्द को अन्य स्थायी पदों की भांति अनिश्चित अवधि के लिए सृजित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे पद को, इसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय को ध्यान में रखते हुए, किसी निश्चित और निर्धारित अवधि के लिए ही सृजित किया जाना चाहिए ।

(v) जिस अधिकारी के लिए ऐसे पद का सृजन किया जाता है उसके लिए ही यह एक व्यक्तिगत पद हुआ करता है और ऐसे पद पर किसी

अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। जिस अधिकारी के लिए यह पद सृजित किया जाता है यदि वह किसी अन्य नियमित स्थायी पद पर अपने स्थायीकरण हो जाने या सेवानिवृत्त हो जाने या किसी अन्य कारण से पद को छोड़ देता है तो ऐसा पद तत्काल समाप्त हुआ माना जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे किसी पद के लिए कोई भी स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जा सकती है। चूंकि कोई अधिसंख्य पद कार्यपद नहीं हुआ करता है इसलिए किसी संवर्ग में कार्य पदों की संख्या को उसी तरीके से नियमित किया जाता रहेगा जिस प्रकार नियमित पदों का कोई स्थायी पदाधिकारी किसी संवर्ग में वापस आ जाता है और ऐसे सभी पद भर लिए जाते है और संवर्ग के अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को उस अधिकारी के लिए स्थान बनाना पड़ेगा। ऐसे अधिकारी को किसी अधिसंख्य पद पर नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(vi) ऐसे पदों के सृजन करने में, बढ़ाए गए वेतन तथा भत्ते, पेंशन सम्बन्धी प्रसुविधाओं इत्यादि के रूप में, कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल नहीं है।

यह निर्णय लिया गया है कि अधिसंख्य पदों को प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों के अधीन उसी सीमा तक सृजित किया जा सकता है, जिस सीमा तक कि वे नियमित स्थायी पद सृजन करने के लिए सक्षम है, बशर्ते कि पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाए। ऐसे मामलों में जिनमें उपरोक्त सामान्य मापदण्ड से हटकर कार्यवाही की गई है, उन पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही की जाए।

प्रशासनिक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे पेंशन के लिए सेवा के सत्यापन के प्रयोजन से अधिसंख्य पदों का एक रिकार्ड रखें जिसमें उन अधिकारियों के ब्यौरे हों जिनका ऐसे पदों पर धारणाधिकार या ऐसे पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अथवा उनको नियमित स्थायी पदों में खपाए जाने के कारण ऐसे पदों के क्रमिक रूप से समाप्त होने का ब्यौरा भी हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15 मार्च, 1961 का का०ज्ञा०सं० फा 9(4) ई जी I/61]

(23) **"वैयक्तिक वेतन" से ऐसा अतिरिक्त वेतन अभिप्रेत है जो किसी सरकारी सेवक को—**

(क) सावधिक पद से भिन्न किसी स्थायी पद के संबंध में अधिष्ठायी वेतन की ऐसी हानि को बचाने के लिए दिया जाए जो वेतन के पुनरीक्षा के कारण या अनुशासनिक अध्युपाय के रूप में होने से भिन्न किसी कारणवश ऐसे अधिष्ठायी वेतन में कोई कमी की जाने के कारण हुई हो, या

(ख) अन्य वैयक्तिक कारणों से असाधारण परिस्थितियों में दिया जाए।

भारत सरकार के आदेश

1. **वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति के मामले में वित्त मंत्रालय को मामला भेजना आवश्यक है :—** इस विषय से संबंधित सभी पिछले आदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों को जिनमें मूल नियम 9(25) (ख) के अधीन वैयक्तिक वेतन स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव हो, संबंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से भारत सरकार के वित्त विभाग को भेजे जाने चाहिए। जो मामले पूर्णत: आपवादिक स्वरूप के नहीं होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अत: वैयक्तिक वेतन की मंजूरी दिए जाने से संबंधित किसी भी मामले को प्रस्तुत करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का ता० 28 सितम्बर, 1936 का पत्र संख्या एफ् 14-XXXII-ई० एक्स II तथा ता० 16 अगस्त, 1938 का पत्र संख्या एफ 16(14)-ई० एक्स I/38]

2. **मंत्रालयों आदि को शक्तियों का प्रत्यायोजन :—** भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के स्टाफ के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का निर्णय लिया गया :—

(क) **किसी अन्य पद में पदोन्नति होने पर किसी पद पर लिए गए विशेष वेतन का संरक्षण :—** निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ड्यूटी के कार्यों में विशिष्ट वृद्धि या कार्य की श्रम साध्यता के लिए स्वीकृत किये गए विशेष वेतन को पदोन्नति पर, निम्न पद में दिए गए वेतन, जमा विशेष वेतन तथा निम्न पद के मूल वेतन के आधार पर उच्चतर पद में देय वेतन के बीच के अन्तर की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन मंजूर करते हुए संरक्षण दिया जाएगा। अन्य मामले के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत किया गया विशेष वेतन इस श्रेणी में आता है :—

(क) रोकड़िया और (ख) मशीन आपरेटर ये शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) यह प्रमाणित किया जाए कि सरकारी कर्मचारी अन्य पद पर अपनी नियुक्ति न होने की स्थिति में ऐसा विशेष वेतन लेता रहता।

(ii) संरक्षण केवल तभी तक जारी रहेगा जब तक सरकारी कर्मचारी ऐसा विशेष वेतन पाता रहता।

(iii) वैयक्तिक वेतन को वेतन में बाद में होने वाली वृद्धियों में समाहृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 1—उस कार्यालय का अध्यक्ष जिसमें कर्मचारी जिसको अपने पिछले पद में विशेष वेतन का संरक्षण दिया गया है। कार्य कर रहा हो, इस बात का जिम्मेदार है कि वह अपने आपको संतुष्ट कर ले कि सरकारी सेवक संरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र बना हुआ है। इस प्रयोजन से उसे चाहिए कि वह प्रत्येक छः महिने के बाद अर्थात सितम्बर और मार्च के मास में संबंधित प्राधिकारी से एक आवधिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। इस प्रकार से प्राप्त प्रमाणपत्र को संबंधित सरकारी सेवक के उन मासों के वेतन बिलों की कार्यालय प्रति के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का तारीख 29 जुलाई, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(113) ई-111/62।]

टिप्पणी 2—एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी की पदोन्नति पर उसके वेतन को नियत करने वाला सक्षम प्राधिकारी इन आदेशों के अधीन वेतन नियत करने और वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति देने के लिए भी सक्षम होगा। ऐसे मामलों में वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक नहीं है जब तक कि वे पदोन्नति पर वेतन नियत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी न हो। इस स्पष्टीकरण को वित्त मंत्रालय (सी) की सहमति से उसके दिनांक 7 मार्च 1967 के यू०ओ० संख्या 1208/पी० टी०-I द्वारा जारी किया गया है।

[महानिदेशक, डाक व तार का ता० 6 अप्रैल, 1967 का पत्र संख्या 2-1/67-पी०ए०पी० ।]

(ख) **वित्त मंत्रालय की सहमति से मूल रूप में स्वीकृत किए गए विशेष वेतन को जारी रखना :—** उन मामलों में जहां सुपरिभाषित मापदण्डों के आधार पर अथवा सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट दर पर विशेष वेतन स्वीकृत किया जाता है वहां सारी शक्तियां पूर्ववत् बनी रहेंगी, बशर्ते कि यह प्रमाणित किया जाए कि जिस प्रतिफल के लिए ऐसा विशेष वेतन मंजूर किया गया अब भी वह मौजूद है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ता० 30 जून, 1965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(23)/ई-111/62 द्वारा यथासंशोधित तारीख 22 जून, 1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ6(23)/ई-111/62।]

(3) **हिन्दी कार्य के लिए वैयक्तिक वेतन :—** उपर्युक्त विषय पर अब तक जारी किए गए आदेशों का अतिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर किया जाए :—

(i) **प्राज्ञ परीक्षा :—** वैयक्तिक वेतन उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम, अध्ययन के अन्तिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है :

लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या किसी प्राइवेट संस्था से हिन्दी को एक ऐच्छिक, नियमित, अतिरिक्त या वैकल्पिक विषय के रूप में, या माध्यम के रूप में लेकर मैट्रिक या उसके बराबर या उससे उच्च परीक्षा, पास कर रखी हो, अथवा जिस कर्मचारी की मातृभाषा हिन्दी है, तथा जो हिन्दी में अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त कर सकता है, अथवा जिसे हिन्दी के सेवा कालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो, वह प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का पात्र नहीं होगा।

एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति होने पर उसे वैयक्तिक वेतन उसी प्रकार दिया जाता रहेगा जो उसे उच्चतर पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में दिया जाता।

यह भी निर्णय किया गया है कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा संचालित पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा पास करने पर (जन, 1978 या उसके बाद) उसी समान और उन्हीं शर्तों पर उन्हें भी एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन 12 माह की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जैसा कि प्राज्ञ परीक्षा पास करने वालों को दिया जाता है।

(ii) **प्रवीण परीक्षा :—** वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम को अध्ययन के अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है :—

(क) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर,

(ख) राजपत्रित अधिकारियों को 60% या इससे अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर।

लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, या गैर-प्राइवेट निकाय द्वारा ली गई मिडिल (कक्षा-VIII) या इसके समकक्ष या इससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ या हिन्दी माध्यम से पास की रखी हो, या जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, या जो ऐसे पद पर कार्य कर रहा है, जिस पर भर्ती/नियुक्ति के लिए प्रवीण (मिडिल) स्तर का ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया हो, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो, वह प्रवीण परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का पात्र नहीं होगा।

(iii) **प्रबोध परीक्षा :—** वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अध्ययन के अंतिम पाठ्यक्रम

के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर पास करते हैं ।

लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी स्कूल प्राधिकरण/सरकारी अभिकरण/बोर्ड, या किसी प्राइवेट निकाय से प्राइमरी (कक्षा–5) परीक्षा या इसके समकक्ष या इससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ, या हिन्दी माध्यम से पास कर रखी हो, या जिसकी मातृभाषा हिन्दी हो या जो ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो, जिस पर नियुक्ति के लिए प्रबोध (प्राइमरी) स्तर का ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित हो, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो, अथवा प्रबोध परीक्षा पास करने पर, वैयक्तिक वेतन पाने का पात्र नहीं होगा ।

राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा ।

(iv) **हिन्दी टाइपिंग परीक्षा** :—अराजपत्रित कर्मचारियों को ही हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा :

लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले से ही हिन्दी टाइपिंग की कोई परीक्षा पास कर रखी हो अथवा जिसके लिए हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, वह हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का पात्र नहीं होगा ।

(v) **हिन्दी आशुलिपि परीक्षा** :—(1) वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित को स्वीकृत किया जाएगा :—

(क) अराजपत्रित कर्मचारियों को, हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा में पास अंक प्राप्त करने पर;

(ख) राजपत्रित आशुलिपिकों को, 90 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ।

लेकिन, जिस कर्मचारी ने पहले से हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास कर रखी है अथवा जिसके लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, वह हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने का पात्र नहीं होगा ।

(2) जिन आशुलिपिकों और स्टेनो टाइपिस्टों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित, दोनों) की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों की राशि के बराबर, वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा । ये वेतनवृद्धियां संबंधित कर्मचारियों की भावी वेतनवृद्धियों में समाहृत की जाएंगी । ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों की राशि के बराबर और दूसरे वर्ष में पहली वेतनवृद्धि के समाहृत किए जाने पर, केवल एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि का वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेंगे । राजपत्रित आशुलिपिकों के मामले में अंकों की शर्त वही होगी जैसी कि उपर्युक्त पैरा i (ख) में दी गई है ।

(3) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को हिन्दी, या हिन्दी टाइपिंग या हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर मंजूर किए गए वैयक्तिक वेतन से किसी प्रकार की कोई आर्थिक हानि होती है तो वह जिस तारीख से चाहे, इसे लेना बन्द कर सकता है । यदि कोई कर्मचारी चाहे तो बिना कोई कारण बताए भी ऐसे प्रोत्साहन को अपनी पसन्द की तारीख से लेना बन्द कर सकता है । दोनों ही प्रकार के मामलों में इसके लिए, उसे अपने कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करना होगा ।

(4) वैयक्तिक वेतन के लिए संबंधित कर्मचारी नीचे लिखी तारीखों में से कोई भी तारीख चुन सकता है ।

(क) जिस महीने में परीक्षाफल घोषित किया जाता है, उसके अगले महीने की पहली तारीख से, अथवा

(ख) परीक्षाफल घोषित होने के बाद कर्मचारी की सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि के देय होने की तारीख से (जिसका अर्थ सामान्य वेतनवृद्धि के अतिरिक्त एक अग्रिम वेतनवृद्धि होगा) ।

इस सम्बन्ध में संबंधित कर्मचारी को परीक्षाफल घोषित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विकल्प देना होगा । एक बार दिया गया विकल्प, अन्तिम माना जाएगा । यदि कोई संबंधित कर्मचारी परीक्षाफल घोषित होने की तारीख को छुट्टी पर हो तो तीन महीने की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख को वह छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटेगा । यदि कोई सरकारी कर्मचारी परीक्षा परिणामों के घोषित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपना विकल्प नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त कर्मचारी को वैयक्तिक वेतन लेने में रूचि नहीं है । ऐसे किसी कर्मचारी को कोई वैयक्तिक वेतन स्वीकृत नहीं किया जाएगा । किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विकल्प देने की तारीख को बढ़ाए जाने से संबंधित निर्णय उनके द्वारा संबंधित कर्मचारियों के मामले के गुण-दोषों को देखते हुए लिया जाना चाहिए तथा इस बारे में राजभाषा विभाग को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(5) वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करने और उसकी अदायगी के बारे में अन्य शर्तें, इस प्रकार होंगी:—

(1) वैयक्तिक वेतन उस नकद पुरस्कार तथा एकमुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त होगा जिसके लिए ऐसा कर्मचारी, समयसमय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पात्र होता है ।

(2) वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाएगा जो पाठ्यक्रम की समाप्ति के 15 महीने के अन्दर निर्धारित परीक्षा पास करते हैं। उन कर्मचारियों के मामले में जो प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में नियमित प्रशिक्षण पर गए बिना परीक्षा पास करते हैं, 15 महीने की अवधि उनकी पहली बार उक्त परीक्षा में बैठने की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) जो कर्मचारी हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग या हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं एक साथ अथवा एक के बाद एक पास करते हैं, उन्हें प्रत्येक परीक्षा पास करने पर अलग-अलग वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। दूसरी परीक्षा के लिए वैयक्तिक वेतन, पहले वैयक्तिक वेतन को मंजूर किए जाने से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही स्वीकार्य होगा और यह भी पूरे 12 महीने की अवधि के लिए होगा।

(4) सरकारी कर्मचारी को उस पद का वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा जिस पद पर वह परीक्षाफल घोषित होने की तारीख को अथवा जिस तारीख के लिए उसने विकल्प दिया है, को कार्य कर रहा था। तथापि, ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों के मामले में जो अपने हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के दौरान अथवा हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा में बैठने के बाद परन्तु परीक्षा परिणाम निकलने से पहले, अथवा परीक्षाफल निकलने के बाद परन्तु वैयक्तिक वेतन लेना प्रारम्भ करने की तारीख से पहले, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं, उन्हें हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर मिलने वाला वैयक्तिक वेतन उसी दर पर और उसी अवधि के लिए अनुमत होगा, जो उन्हें उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता।

(5) जो कर्मचारी नीचे के पद पर वैयक्तिक वेतन पा रहा हो, वह

(क) किसी राजपत्रित पद से दूसरे किसी उच्चतर अराजपत्रित पद पर पदोन्नति होने पर, उसी दर से और उसी अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा जिस दर पर और जिस अवधि तक उसे उच्चतर पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता।

(ख) किसी अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर पदोन्नति होने पर, कर्मचारी बाकी समय के लिए केवल वैयक्तिक वेतन ही पाता रहेगा, यदि उसने ऐसा वैयक्तिक वेतन राजपत्रित पद पर रहते हुए लिया होता, तथापि वैयक्तिक वेतन दर और अवधि वही होगी, जो संबंधित अधिकारी के राजपत्रित पद पर पदोन्नति न होने की स्थिति से होती।

ऐसा कोई अवर श्रेणी लिपिक जो हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो, वह उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हो जाने पर भी उसी दर और उसी अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा जिस दर पर और जिस अवधि के लिए वह उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति न होने की स्थिति, में पाता।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित कर्मचारी का यदि निचले पद पर प्रत्यावर्तन हो जाता है तो वह वैयक्तिक वेतन तब तक लेता रहेगा जब तक उसे अपने विकल्प के अनुसार, उच्चतर पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता रहता।

(7) किसी भी कर्मचारी के उच्चतर पद से निम्न पद पर प्रत्यावर्तित होने पर उसे उच्चतर पद से स्वीकृत किया गया वैयक्तिक वेतन उसी बाकी बची अवधि के लिए मिलता रहेगा जिस अवधि तक वह प्रत्यावर्तित न होने की स्थिति उच्चतर पद पर प्राप्त करता रहता। इस अवधि में वैयक्तिक वेतन की दर निचले पद की वेतनवृद्धि की दर के बराबर होगी और इस पर यह शर्त लागू होगी कि उसके वेतन और वैयक्तिक वेतन का जोड़ उसके निचले पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं होगा।

(8) यदि कोई कर्मचारी अपने ग्रेड वेतन के अधिकतम पर पहुँच चुका है तो उसे एक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि का वैयक्तिक वेतन 12 मास की अवधि तक, अथवा उस अवधि तक जब कर्मचारी उच्च ग्रेड में पदोन्नत हो जाए इनमें से जो भी अवधि पहले हो, दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो अपने वेतन का अधिकतम ले रहे हैं, उन्हें भी हिन्दी शिक्षण योजना की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति होने पर भी 12 मास की शेष अवधि के लिए विशेष मामले के रूप में वैयक्तिक वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। तथापि वैयक्तिक वेतन की दर वही रहेगी जो उसके उच्चतर पद पर पदोन्नति न होने की स्थिति में होती।

इसी प्रकार, अपने ग्रेड के वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचे अहिन्दी भाषी अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन पहले वर्ष में दो वेतनवृद्धियों की

राशि के बराबर और दूसरे वर्ष में एक वेतनवृद्धि की राशि के बराबर दिया जाएगा। परन्तु उन्हें उनकी अगले पद पर पदोन्नति हो जाने पर ऐसा वैयक्तिक वेतन मिलना बंद हो जाएगा।

6. वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति के लिए प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भरा गया घोषणा पत्र का एक नमूना इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है। अमुद्रित घोषणा पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर ही कर्मचारी के वैयक्तिक वेतन की मंजूरी के लिए पात्रता के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

7. वैयक्तिक वेतन, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा मंजूर किया जाएगा और इस पर होने वाला खर्च उन्हीं मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा दी जाएगी और इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा वहन किया जाएगा।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 2 सितम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा०भा०(डी) तथा तारीख 13 मार्च, 1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/1/79-रा०भा०(डी०)]।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने इस विभाग से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या हिन्दी, हिन्दी टाइपलेखन एवं हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर मिलने वाले वैयक्तिक वेतन को पेंशन/ग्रेच्युटी का निर्धारण करते समय संबंधित कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाले वैयक्तिक वेतन को संबंधित अधिकारी के अधिवर्षता के आधार पर रिटायर होने, उसे जबरदस्ती रिटायर करने पर या उसके द्वारा स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने पर उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी निर्धारण करते समय उसके वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का का०ज्ञा० सं० 12014/2/86 रा०भा०(डी०), दिनांक 29-12-86]

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं जो मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष हों या उससे उच्चतर हों तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मान्यता दी गई हो, पास करने पर अराजपत्रित कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार के अलावा 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन भी दिया जाए। वैयक्तिक वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश पूर्वोक्त वैयक्तिक वेतन पर भी लागू होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय के तारीख 21 मई, 1977 के का० ज्ञा० सं० 12013/3/76 रा०भा०(डी०) से उद्धरण]।

महानिदेशक, डाक व तार के आदेश

1. यह निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तथा महाराष्ट्र सर्किलों के पोस्टल, रेल डाक सेवाओं, इंजीनियरी तथा तार यातायात प्रभागों में कार्य कर रहे ऐसे समय मान लिपिकों को जिन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय या डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित केन्द्रों में चलाई जा रही कक्षाओं में भाग लेकर हिन्दी टंकण परीक्षा पास करने की अनुमति दी गई हो, वे समय-समय पर निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे, जो कि भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धि में समाहृत कर ली जाएगी। ऐसा वैयक्तिक वेतन विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा। अपने प्रयत्नों से अर्थात सरकार या विभागीय केन्द्रों में किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिए बिना परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पदाधिकारी भी समय-समय पर निर्धारित सामान्य शर्तों के अध्यधीन अन्य प्रसुविधाओं के अतिरिक्त रु० 150 (1-10-1984 से रु० 200) प्रति उम्मीदवार एक मुश्त पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। इस संबंध में प्रत्येक डिवीजन के अधिक से अधिक दो समयमान लिपिक जिनसे टंककों के रूप में कार्य लेना अपेक्षित होगा, उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे।

[डाक व तार (वित्त) की सहमति से जारी किया गया महानिदेशक डाक व तार, नई दिल्ली का तारीख 27 अगस्त, 1970 का पत्र संख्या 4-3/67-हिन्दी का]।

2. टेलीफोन उन निरीक्षकों, को देय रु० का टेलीफोन ड्यूटी भत्ता मूल नियम 9(25) के अधीन स्वीकृत किया गया है। यदि लाइन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर परिलब्धियों में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो टेलीफोन ड्यूटी भत्ते को मूल नियम 9(23) के नीचे भारत सरकार के आदेश संख्या (2) में अन्तर्विष्ट आदेशों के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

[महानिदेशक डाक व तार, नई दिल्ली का तारीख 15 फरवरी, 1982 का पत्र संख्या 13-27/78 पी०ए०टी०]।

[1](24) "पद का उपधारणात्मक वेतन" से, जब वह किसी विशिष्ट सरकारी सेवक के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए। वह वेतन अभिप्रेत है जिसका वह पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने और उसके कर्त्तव्यों का पालन करने की दशा में हकदार होता, किन्तु विशेष वेतन इसके अन्तर्गत तब तक सम्मिलित नहीं है, जब तक वह सरकारी सेवक उस काम का पालन या उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता है जिसके कारण उसे वह विशेष वेतन मंजूर किया गया था।

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1971 की अधिसूचना संख्यांक एफ 1(9)-ई-III (क)/70 द्वारा प्रतिस्थापित।

लेखापरीक्षा अनुदेश

परिभाषा का प्रथम भाग ऐसे सरकारी कर्मचारी जो किसी पद से कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो गया है लेकिन उस पद पर अपना धारणाधिकार भी रखे हुए है, के संबंध में शब्द का प्रयोग सुकर बनाने के अभीष्ट है।

[लेखापरीक्षा अनुदेश के मैनुअल (पुन: मुद्रित) का भाग 1 अध्याय 11 का पैरा 7]

[1](25) **"विशेष वेतन" से–**

(क) कर्त्तव्यों विशेषतः कठिन प्रकृति

अथवा

(ख) काम या उत्तरदायित्व में विनिर्दिष्ट परिवर्धन[2]

भारत सरकार के आदेश

1. सरकार द्वारा, विशेष वेतन किए जाने से सम्बन्धित केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। यह निर्णय लिया है कि विशेष वेतन की विद्यमान दरें, जहां पर इस प्रकार के विशेष वेतन पहले ही विद्यमान है और जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के अधीन, 1-1-1986 से लागू किए गए नए वेतनमानों में जोड़ा नहीं गया है, दुगुनी हो जाएगी, किन्तु शर्त यह है कि विशेष वेतन की अधिकतम सीमा 500 रुपये प्रत्येक माह होगी।

ये आदेश उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को कोई कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के अनुसार लागू संशोधित वेतनमान में वेतन लेना शुरू करता है।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29 सितम्बर, 1986 का का०सं० 6/29/86-स्था (वेतन-II)]

(2) संगठित समूह "क" अधिकारियों की वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव, उप सचिव तथा निदेशक के पद पर नियुक्ति पर विशेष वेतन।

सरकार सभी समूह "क" अधिकारियों/पदों को विशेष वेतन की अनुज्ञेयता के प्रश्न की पुनरीक्षा कर रही है। किन्तु, इस संबंध में निर्णय होने तक राष्ट्रपति यह निर्णय करते है कि संगठित समूह "क" के अधिकारियों की वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अधीन अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के पद पर तैनाती होने पर वे निम्नलिखित शर्तों पर या तो उनके पद के साथ सम्बद्ध वेतनमान में निर्धारित किए गए वेतन अथवा अपना ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन लेने के हकदार होंगे :

(क) **अवर सचिव :** रु० 400 प्रति मास का विशेष वेतन परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन रु० 4500 से अधिक नहीं होगा।

(ख) **उप सचिव/निदेशक :** रु० 500 प्रति मास का विशेष वेतन परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन रु० 5850 से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी :—

(i) यदि सचिवालय में कार्यरत किसी अधिकारी का ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन 5850 से अधिक हो जाता है तो, इस विशेष वेतन का उपयुक्त समायोजन करके इसे रु० 5850 तक सीमित करना होगा। जब विशेष वेतन की मात्रा कम कर दी जाती है तो उस स्थिति में अधिकारी को अपने मूल संवर्ग में वापिस जाने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(ii) जब अधिकारी का ग्रेड वेतन रु० 5850 से अधिक हो जाता है तो अधिकारी ऐसी तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपने मूल संवर्ग में वापिस चला जाएगा।

(iii) उन अधिकारियों के संबंध में जो इस समय सचिवालय में उप सचिवों/निदेशकों के पद पर कार्यरत है तथा जिनका वेतन 1-1-1986 से रु० 5850 से अधिक निर्धारित किया गया है– वे अधिकारी अधिक से अधिक 31-12-1987 तक अथवा सचिवालय में उनके कार्यकारी के पूरा होने की तारीख तक इनमें जो भी पहले हो अपने मूल संवर्ग में वापिस भेज दिए जाएंगे।

2. ये आदेश 1-1-1986 से लागू होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण का दिनांक 22-9-1987 का कार्यालय ज्ञापन संख्या- 6/30/86-स्थापना (वेतन-II)]

(4) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन संगठित समूह "क" सेवाओं की केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों के रूप में तनाती—कार्यावधि प्रतिनियुक्ति भत्ते की मंजूरी।

केन्द्रीय सचिवालय में केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों के रूप में तैनात संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों के मामले में विशेष वेतन की दरों तथा विशेष वेतन सहित ग्रेड वेतन की अधिकतम सीमा के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 सितम्बर, 1987 के का०ज्ञा० सं० 6/30/86-स्था० वेतन II का हवाला दिया जाता है।

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 30 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ० 6(2)-ई-11 (ख)/68 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशि० विभाग की दिनांक 21-7-88 की अधिसूचना संख्या 18-11-87-स्था (वेतन) द्वारा विलोपित।

2. चूंकि केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों/उप-सचिवों/निदेशकों के पदों पर तैनात संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारी, उनकी तैनाती के सामान्य क्षेत्र से बाहर उनके लिए संवर्ग बाह्य पदों पर कार्य करते हैं तथा उन पर वे कार्यावधि आधार पर कार्य करते हैं इसलिए उन्हें मंजूर किया गया विशेष वेतन वास्तव में उस रूप में विशेष वेतन नहीं है जिस रूप में उसे वस्तुतः समझा जाता है, बल्कि वह प्रतिनियुक्ति भत्ते की प्रकृति का होता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि इन अधिकारियों को विशेष वेतन मंजूर करने की विद्यमान पद्धति के स्थान पर 1-3-1989 से निम्नलिखित शर्तों पर केन्द्रीय सचिवालय (कार्यावधि प्रतिनियुक्ति) भत्ता योजना रखी जानी चाहिए :—

(i) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों के पदों पर तैनात संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों को उनके संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अर्थात् संवर्ग बाह्य पदों के रूप में माना जाएगा ;

(ii) उनकी तैनाती निर्धारित कार्यावधि के अधीन है जिसकी समाप्ति पर वे अपने मूल विभागों में अपने संवर्गों को वापिस भेज दिए जाएंगे ;

(iii) कार्यकाल के दौरान उन्हें उनके ग्रेड वेतन के 15 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सचिवालय (कार्यावधि प्रतिनियुक्ति) भत्ते के नाम से एक भत्ता दिया जाएगा परन्तु शर्त है कि अवर सचिवों के लिए इसकी अधिकतम सीमा रुपए 400 प्रति मास तथा उप सचिवों/निदेशकों के लिए रुपए 500 प्रति मास होगी ;

(iv) इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक शर्त यह भी होगी कि केन्द्रीय सचिवालय (कार्यावधि प्रतिनियुक्ति) भत्ते सहित उनका ग्रेड वेतन अवर सचिवों के मामले में अधिक से अधिक रु० 4,500 और उप सचिवों/निदेशकों के मामले में रु० 5,850 होगा ;

(v) अवर सचिवों के लिए तीन साल की, उप सचिवों के लिए चार साल की तथा निदेशकों के लिए पांच साल की सामान्य कार्यावधि के बाद भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा ; और

(vi) केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों तथा उससे उच्चतर पदों पर तैनात इन सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी :—

(1) यदि किसी अधिकारी के मामले में केन्द्रीय सचिवालय (कार्यावधि प्रतिनियुक्ति) भत्ता सहित उसका ग्रेड वेतन अवर सचिव के रूप में रु० 4,500 अथवा उप सचिव/निदेशक के रूप में रु० 5,850 से अधिक हो जाता है, तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ते का उपयुक्त रूप में समायोजन करके, उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम सीमा तक सीमित कर दिया जाएगा। भत्ते की मात्रा कम कर दिए जाने पर अधिकारी को अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प होगा।

(2) जब अवर सचिवों के मामले में अधिकारी का ग्रेड वेतन रु० 4,500 से और उप सचिवों/ निदेशकों के मामले में रु० 5,850 से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में अधिकारी उस तारीख से छः माह के भीतर अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

2. जहां तक इन आदेशों को, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों पर लागू करने का संबंध है, उन्हें भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 4/7/87-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 1-3-89]

3 ख. मुख्यालय संगठनों में तैनात संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों को अनुज्ञेय विशेष वेतन।

समूह "क" के सभी अधिकारियों/पदों को विशेष वेतन की अनुज्ञेयता के प्रश्न की सरकार द्वारा फिलहाल पुनरीक्षा की जा रही है। तथापि, इस संबंध में निर्णय लिए जाने तक, राष्ट्रपति यह निर्णय करते है कि संगठित समूह "क" गैर-तकनीकी, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी सेवाओं के अधिकारियों को जब कभी उन विभागों के मुख्यालय संगठनों में अर्थात् नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड आदि जैसे विभागों के शीर्षस्थ पद पर प्रशासनिक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें निम्नलिखित दरों पर विशेष वेतन का भुगतान किया जाएगा :—

	विशेष वेतन की दर
वरिष्ठ वेतनमान (रु० 3000—4500) के अधिकारी	400 रुपये प्रति मास बशर्ते कि ग्रेड वेतनमान तथा विशेष वेतन मिलाकर 4,500 रु० से अधिक नहीं होगा।
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड (रु० 3700-5000 तथा 4500-5700) के अधिकारी	500- रुपये प्रति मास बशर्ते कि ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन मिलाकर 5,850 रु० से अधिक नहीं होगा।

2. ये आदेश उन सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जिनके संवर्ग में केवल मुख्यालय संगठनों के पद शामिल है अथवा जिन सेवाओं के अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव/उप सचिव अथवा निदेशक के पद पर तैनात किए जाने पर भी किसी विशेष वेतन के हकदार नहीं है ।

3. ये आदेश 1-1-1986 से लागू होंगे ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30-11-1987 का का० ज्ञा० सं० 6/30/86-स्थापना (वेतन-II)]।

उपर्युक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट विशेष वेतन की प्रसुविधा संबंधित संगठित सेवाओं के श्रेणी I ग्रुप क के अधिकारियों को केवल तभी स्वीकार्य होगी जब कि उन्हें उनके विभागों के मुख्यालय संगठनों में अर्थात उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में तैनात किया जाए । ऐसी किसी संदेह की स्थिति में, कि क्या कोई सेवा संगठित है या नहीं इसके बारे मे सरकार निर्णय करेगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 6 मई, 1982 का का० ज्ञा० संख्या एफ 9(7)-ई-III/82] ।

4. सामान्य लिपिक संवर्ग से बनाए गए टेलीफोन आपरेटरों को विशेष वेतन :— (1) सामान्य लिपिक संवर्ग से आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए टेलीफोन आपरेटरों को 1 जनवरी, 1973 से निम्नानुसार एक समान दर पर विशेष वेतन मंजूर करने का निर्णय किया है :—

(i) अवर श्रेणी लिपिकों से बनाए गए टेलीफोन आपरेटरों के मामले में रु० 20 प्रति माह; और;

(ii) जहां कतिपय पर्यवेक्षकीय पदों को भरने के लिए उच्च श्रेणी लिपिकों को टेलीफोन आपरेटर बनाया गया हो, रु० 30 प्रति माह।

गृह मंत्रालय आदि अपने अधीन आने वाले कार्यालयों में टेलीफोन आपरेटरों के संवर्ग की पुनरीक्षा को तथा स्टाफ को नियमित लिपिकीय सेवा में शामिल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें । उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट विशेष वेतन ऐसे मामलों में लागू नहीं होता जहां किसी विभाग द्वारा प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से पृथक संवर्ग को बनाए रखना आवश्यक समझा जाता है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 20 सितम्बर, 1974 का का०ज्ञा० सं० एफ 6(15)-ई III(ख)/73] ।

(2) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 13-12-1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/58/71-सी०एस० (iii) जो मुद्रित नहीं किया गया है (में निहित इस आशय के अनुदेशों के बावजूद कि सहभागी कार्यालयों में टेलीफोन आपरेटरों के सभी पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों में से ही भरे जाने चाहिए, कतिपय मंत्रालयों/विभागों में टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर ली है । ऐसे टेलीफोन आपरेटरों कोई भी विशेष वेतन पाने के हकदार नहीं है ।

(3) निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया है कि :—

(1) 1971 में या इससे पहले नियुक्त किये गए सभी टेलीफोन आपरेटरों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी में शामिल कर लिया जाए और इस प्रयोजन के लिए उनके मामले में कोई अर्हक परीक्षा पास करने की शर्त न लगाई जाए । ऐसे सभी टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता खुली प्रतियोगिता परीक्षा 1971 के माध्यम से भर्ती किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों के नीचे निर्धारित की जायगी ।

(2) 1972 में या उसके बाद नियमित आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे टेलीफोन आपरेटरों को भी जिन्होंने या तो 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिन्हें स्थायिवत् घोषित कर दिया गया है,

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में शामिल कर लिया जाए । ऐसे सभी टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता जिस वर्ष में उन्हें नियुक्त किया गया था, उस वर्ष खुला प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों के नीचे निर्धारित की जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल किये जाने के बाद ऐसे टेलीफोन आपरेटर जब तक टेलीफोन आपरेटर के रूप में कार्य करेंगे तब तक 20 रुपये प्रति माह की दर से विशेष वेतन पाने के हकदार होंगे ।

(4) ऐसे टेलीफोन आपरेटर, उन्हें दी गई वरिष्ठता के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे । उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के बाद वे टेलीफोन आपरेटर के रूप में कार्य करते रह सकते है क्योंकि निम्न श्रेणी ग्रेड और उच्च श्रेणी ग्रेड के पद आपस में अदला-बदली किये जाने योग्य होते है । तथापि उच्च श्रेणी लिपिक, टेलीफोन आपरेटर के रूप में सेवा करते हुए कोई विशेष वेतन पाने के हकदार नही होंगे । यदि उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति

के फलस्वरूप निम्न श्रेणी ग्रेड में प्राप्त वेतन के सन्दर्भ में सामान्य नियमों के अधीन निर्धारित किया गया वेतन निम्न श्रेणी ग्रेड के वेतनमान में प्राप्त ग्रेड वेतन में 20 रुपये का विशेष वेतन जोड़ने के बाद जो रकम बैठती है, उससे कम बैठती है तो जितनी राशि कम पड़ती है वह विशेष वेतन के रूप में मंजूर कर दी जाएगी जिसे वेतन की भावी वृद्धि में समाहित कर लिया जाएगा। ऐसा इस शर्त पर किया जाएगा कि सम्बन्धित निम्न श्रेणी लिपिक ने टेलीफोन आपरेटरों के रूप में कार्य किया था और वे उच्च श्रेणी ग्रेड में अपनी पदोन्नति से तत्काल पहले विशेष वेतन ले रहे थे।

(5) टेलीफोन आपरेटरों के कम से कम 10 पदों के रहने पर मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में मोनिटरों/पर्यवेक्षकों के एक पद की मंजूरी दे दी जाए।

(6) मोनिटरों/पर्यवेक्षकों का पद उच्च श्रेणी लिपिकों में से भरा जाय और ऐसे पदों के धारकों को ग्रेड वेतन के अलावा 30 रुपये प्रति माह की दर से विशेष वेतन भी मंजूर किया जाए। मोनिटरों/पर्यवेक्षकों के जो पद किन्हीं मंत्रालयों/विभागों में रुपये 330—560 से इतर किसी अन्य वेतनमान में पहले से बनाए जा चुके हैं, उन्हें इन पदों के मौजूदा धारकों के लिए वैयक्तिक रूप में तब तक दिया जाता रहे जब तक कि वे अपने पदों से मुक्त नहीं हो जाते और उसके बाद इन पदों को रुपये 330—560 के वेतनमान में रखा जाए और उन्हें वेतन के उपर्युक्त वेतन मान में वेतन के अतिरिक्त 30 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन भी दिया जाए और ऐसे पदों को उच्च श्रेणी लिपिकों में से भरा जाए।

(7) यह प्रक्रिया अपने आप में एक ही बार की जाएगी और टेलीफोन आपरेटरों के पदों पर भविष्य में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और इस प्रकार की सभी रिक्तियां केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्यों में से भरी जाएगी।

(8) उपर्युक्त एक मुश्त समझौते के अधीन लिये गये निर्णय के फलस्वरूप टेलीफोन ऑपरेटरों को दी जाने वाली चयन ग्रेड की सुविधा उस तारीख से खतम हो जाएगी जिससे कि उन्हें केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल किया जाता है।

(9) वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे मार्ग-दर्शन/उपयुक्त कार्यवाही के लिए उपर्युक्त निर्णयों को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 7 नवम्बर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/4/83-के० से० II]

5. **टेलेक्स आपरेटरों को विशेष वेतन** :—(1) टेलेक्स मशीनों पर कार्य कर रहे आपरेटरों को 1 जनवरी, 1973 से रु० 20 प्रतिमाह की एक समान दर पर विशेष वेतन मंजूर करने का निर्णय लिया है।

(2) ऊपर निर्दिष्ट की गई दरों पर विशेष वेतन की अनुमति केवल सभी को दी जाए, जब आपरेटर ने वित्तीय वर्ष के दौरान 500 संदेश भेजे हों तथा 500 संदेश प्राप्त किए हों।

(3) केवल निम्नतम् ग्रेड के लिपिक स्टाफ को टेलेक्स मशीन का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ऐसे एक से अधिक कर्मचारीयों को विशेष वेतन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) इन आदेशों के अधीन न आने वाले मामलों को मंजूरी के लिए इस मंत्रालय (स्थापना प्रभाग) के पास भेजा जाए जैसा कि अब तक भेजा जाता रहा है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 9 जनवरी, 1974 का का० ज्ञा० सं० एफ 9 (42)-ई/II (ख)/61]

6. **सहायक संगणकों/कनिष्ठ संगणकों/की पंच आपरेटरों को विशेष वेतन** :—तृतीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 17 के पैराग्राफ 36 में यह सिफारिश की है कि 260—400 रुपये के संशोधित वेतनमान में आने वाले सहायक संगणकों, कनिष्ठ संगणकों, तथा "की" पंच आपरेटरों को 20 रु० प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन दिया जाय। इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अतः यह निर्णय किया गया है कि रु० 260—400 के संशोधित वेतनमान में आने वाले सहायक संगणकों, कनिष्ठ संगणकों, तथा "की पंच" आपरेटरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1 जनवरी, 1973 से 20 रु० प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाए।

(i) किसी विशिष्ट कंपनी से प्राप्त मशीनों के न्यूनतम कार्यनिष्पादन का निर्धारण कंपनी के साथ परामर्श करके किया जाए और तब मशीन में तेल लगाने आदि में लगने वाले समय के लिए कुछ गुंजाइश रखकर 'सामान्य कार्यपालन औसत निकाला जाय। यदि इस प्रकार का कार्य निष्पादन दिखाया गया हो तो ऊपर निर्दिष्ट विशेष वेतन दिया जाए।

(ii) ऊपर विनिर्दिष्ट विशेष वेतन की स्वीकृति देने से पूर्व, इस बात की जाँच की जानी

चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों को दी जाने वाली मशीनों के प्रचालन में वस्तुतः अतिरिक्त कुशलता की आवश्यकता है। जिन मामलों में मुहैया की गई मशीन ऐसी साधारण मशीन है जिससे किसी व्यक्ति को अपना कार्य भाग सुविधा से तथा शीघ्रता से निपटाने में सहूलियत होती है, वहां कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा।

(iii) प्रति मशीन, इस प्रकार के एक से अधिक कर्मचारियों को विशेष वेतन नहीं दिया जाएगा।

(iv) इस बात का लिहाज रखे बिना कि पद धारी व्यक्ति मशीन को वस्तुतः प्रचालित कर रहा है अथवा नहीं, ऊपर विनिर्दिष्ट दर पर विशेष वेतन सभी पदों के साथ संबंध नहीं किया जाना चाहिए।

(2) जो मामले इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें स्वीकृति के लिए अब तक की तरह, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (संस्थापन प्रभाग) को भेजा जाय।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 21 अक्टूबर, 1974 का का०ज्ञा०सं० एफ 6(18)-ईIII(ख)/74]

रोकड़ियों को विशेष वेतन की मंजूरी से संबंधित निर्णय

रोकड़ियों के विशेष वेतन की दरों के बारे में केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय II के पैरा 11.56 में दी गई सिफारिशों को सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 25 सितम्बर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा०9(10)-स्था०III-80 द्वारा यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के दिनांक 30 अक्टूबर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा०6(2)-स्था०III (ख)/76 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के रोकड़ियों के विशेष वेतन की मंजूरी निम्नलिखित आदेशों से विनियमित होगी :—

2. विशेष वेतन मंजूर करने के लिए मंत्रालयों और विभागाध्यक्षों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है जो अपने विवेकानुसार रोकड़ियों का कार्य करने के लिए अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक नियुक्त कर सकते हैं। विशेष वेतन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :

(i) मंजूर किए जाने वाले विशेष वेतन की धन-राशि चैकों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को छोड़कर प्रतिमाह संवितरित की जाने वाली औसत नगद धन-राशि पर निर्भर करेगी। चूंकि राजपत्रित अधिकारियों को वेतन और भत्ते चैकों द्वारा देय होते हैं इसलिए संवितरित नगद धन-राशि की गणना करते समय उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। प्राप्त की जाने वाली धन राशि को भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(ii) संबंधित मंत्रालय अथवा विभागाध्यक्ष को, पिछले वित्तीय वर्ष के औसत के आधार पर, संवितरित की गई नगद धनराशि प्रमाणित करनी चाहिए और उसी धनराशि के अनुसार विशेष वेतन की दर मंजूर की जानी चाहिए। संवितरित की गई नकद राशि का औसत निकालने के लिए कैश-बुक में संवितरित दर्शायी गई कुल राशि में से चैकों/आर०टी०आर०/ड्राफ्ट इत्यादि के रूप में संवितरित धनराशि को घटा कर, राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित सभी लेन-देन को भी हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

(iii) विशेष वेतन की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(iv) प्रत्येक कर्मचारी को जिसे रोकड़िये के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के अध्याय 15 में निहित उप-बन्धों और समय-समय पर उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रतिभूति (सिक्योरिटी) प्रस्तुत करनी चाहिए बशर्ते कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बारे में छूट न दे दी जाए।

(v) विशेष वेतन उस तारीख से मंजूर किया जाएगा, जिस तारीख को किसी व्यक्ति को रोकड़िये के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा उस तारीख से, जिस तारीख को वह प्रतिभूति (सिक्योरिटी) प्रस्तुत करता है, जो भी बाद में हो।

(vi) किसी एक कार्यालय/विभाग में विशेष वेतन एक से अधिक कर्मचारियों को नहीं दिया जाना चाहिए।

(vii) प्रत्येक मामले में यह मंजूरी अनिवार्यतः उसी व्यक्ति के नाम पर जारी की जानी चाहिए जिसे कैश का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और जिसके लिए विशेष वेतन मंजूर किया जाता है।

3. विशेष वेतन के लिए निम्नलिखित दरें अपनाई जाएंगी :—

प्रतिमाह संवितरित की गई औसत नकद धन-राशि	विशेष वेतन की दर
रुपए 75,000 तक	रुपए 50 प्रति माह
रुपए 75,000 से अधिक और रुपए 2,00,000 तक	रुपए 75 प्रति माह
रुपए 2,00,000 से अधिक और रुपए 5,00,000 तक	रुपए 100 प्रति माह
रुपए 5,00,000 से अधिक	रुपए 125 प्रति माह

4. किसी नए कार्यालय के मामले में, जहां उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन करना सम्भव नहीं है, वहां मंत्रालय और विभागाध्यक्ष, उस कार्यालय के अस्तित्व में आने के पहले वर्ष के दौरान, स्वयं ही प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली धनराशि की औसत के आधार पर, रोकड़ियों को विशेष वेतन की मंजूरी दे सकते हैं। तथापि उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित अन्य शर्तें लागू होंगी।

5. ऐसे मामलों में जहां रोकड़ियों के पद पर सीधी भर्ती करने का विचार हो, वहां कोई विशेष वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, जहां किसी विभाग/संगठन में एक व्यवहार्य संवर्ग तैयार करने के लिए विभिन्न ग्रेडों में रोकड़ियों की पर्याप्त संख्या हो तो उस स्थिति में रोकड़ियों के पद के लिए कोई विशेष वेतन नहीं होगा।

6. ये आदेश अलग आदेशों द्वारा शासित रोकड़ियों अर्थात् रेलवे, डाक व तार, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रोकड़ियों पर लागू नहीं होते हैं।

7. इन शर्तों में कोई ढील दिए जाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होगा।

8. जहां तक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जा रहे हैं।

9. ये आदेश 1-1-1986 से प्रवृत्त होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29 सितम्बर, 1986 का का०ज्ञा० 6/31/86-स्था० (वेतन II)].

7क रोकड़ियों को विशेष वेतन की मंजूरी से संबंधित स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 सितम्बर, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/31/86-स्थापना (वेतन-II) के पैरा 2(i) और 2(ii) के अनुसार रोकड़ियों का कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों को विशेष वेतन, राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित सभी लेन देन को छोड़कर, प्रतिमाह नगद संवितरित की जाने वाली धनराशि के औसत पर निर्भर है। इस स्थिति की पुनर्रीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कुछ स्तरों तक राजपत्रित अधिकारियों को वेतन तथा भत्ते आदि अब नगद भी दिए जाते हैं, इसलिए प्रति माह नगद संवितरित की जाने वाली धनराशि की औसत गणना करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित नगद लेन देन को भी शामिल किया जाना चाहिए।

2. इसके अतिरिक्त, इस विभाग के दिनांक 29-9-1986 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(5) के अनुसार, विशेष वेतन उस तारीख से मंजूर किया जाएगा जिस तारीख को किसी व्यक्ति को रोकड़िये के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा जिस तारीख को वह प्रतिभूति (सिक्योरिटी) प्रस्तुत करता है, जो भी बाद में हो। ऐसा इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि सामान्य बीमा कम्पनी की चार सहायक कम्पनियों प्रीमियम की अदायगी के पश्चात् विश्वस्तता बंध-पत्र/पालिसी (जो एफ०आर० के अधीन प्रतिभूति का जो एक स्वीकृत प्रकार के हैं) को जारी करने के लिए 3-4 माह का समय लगता है। इस प्रकार रोकड़िया विश्वस्तता बन्ध-पत्र/पालिसी रोकड़ियों के रूप में नियुक्ति की तारीख और जोखिम की तारीख से काफी समय पश्चात् तक विभागाध्यक्ष को सौंप सकता है और इसके फलस्वरूप वह इस बीच की अवधि का विशेष वेतन नहीं ले पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि विशेष वेतन किसी व्यक्ति को रोकड़िये के रूप में नियुक्ति आदेश जारी करने की तारीख से मंजूर की जाए या प्रतिभूति के किसी एक स्वीकृत प्रकार के माध्यम से जोखिम की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो। फिर भी, विशेष वेतन का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जबकि रोकड़िया द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रतिभूति/विश्वस्तता बन्ध-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3. इस विभाग के दिनांक 29-9-86 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(i), 2(ii) और 2(v) को उक्त प्रभावी तारीख अर्थात् 1-1-86 से उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के बाद जारी किए जा रहे हैं।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 4/30/83-वेतन-II दिनांक 24-4-89।]

8. बैंकों से नकदी लाने में खजांचियों की सहायता करने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों को विशेष वेतन :— (1) राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया था कि बैंकों आदि से नकदी लाने में खजांचियों की सहायता करने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी और जोखिम के लिए विशेष वेतन की मंजूरी दी जाए। राष्ट्रीय परिषद् की समिति में जिसको यह मामला भेजा गया था, सम्मत निष्कर्ष के अनुसरण में तथा 26 और 27 अगस्त, 1977 को हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक द्वारा अंगीकार किए जाने पर यह निर्णय किया गया है कि नकदी जमा कराने के लिए अथवा निकलवाने के लिए बैंकों में जाने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाँच रुपये प्रति माह की दर से विशेष वेतन मंजूरी दी जाए।

(i) ऐसे कार्यालय में केवल एक ही खजांची अथवा नकदी सम्भालने वाला एक ही क्लर्क होना

चाहिए जिसे नकदी से संबंधित कार्य के लिए पद दिया गया हो और उस प्रयोजन के लिए वह विशेष वेतन पा रहा हो।

(ii) खजांची अथवा नकदी से संबंधित कार्य सम्भालने वाले क्लर्क अथवा अनुभाग के रोकड़ एकक के साथ समूह "घ" का एक कर्मचारी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

(iii) प्रश्नगत समूह "घ" कर्मचारी को छोटी रकमों अर्थात् 250 रुपये अथवा इसके समान लगभग राशि को जमा कराने अथवा लाने के लिए बैंकों में अकेले ही जाने के लिए उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा, नियमित उपाय के रूप में प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

(iv) प्रश्नगत के समूह "घ" का जो कर्मचारी नकदी को सम्भालने सम्बन्धित कार्य करेगा उसे सम्बद्ध कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा समूह "घ" के कर्मचारी को नकदी से सम्बन्धित कार्य के लिए जितनी रकम तक प्राधिकृत किया जाएगा उसके बराबर की रकम के लिए सांकेतिक प्रतिभूति अथवा विश्वस्तता बॉण्ड देना होगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए, जब किसी समूह "घ" के कर्मचारी को आपातकालीन के विशेष अवसर पर इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए कहा जाए तो वह अवसर शामिल नहीं है। उपर्युक्त व्यवस्था, समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा संभाली जाने वाली नकदी से सम्बन्धित कार्य की जिम्मेदारी से सम्बन्धित सरकार के सामान्य नियमों के अधीन रहेगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय राजकोष नियमावली खण्ड 1 के नियम 77 (viii) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 7 दिसम्बर, 1977 का का०ज्ञा०सं० 6(22)-ई-III (ख)/78।]

9.1 **संसद सहायकों को विशेष भत्ता** :—यह निर्णय किया गया है कि संसद सहायकों को विशेष भत्ते की मंजूरी निम्न प्रकार से विनियमित की जाएगी :

(i) मंत्रालय में किसी ऐसे सहायक को जिसे संसदीय कार्य (जिसमें प्रश्नों, मंत्रियों के लिए पैड तैयार करने, सरकारी दीर्घा में उपस्थिति संबंधी कार्य शामिल है) में पूर्णकालिक रूप से कार्य करने के लिए लगाया जाता है उसे रुपये 200 प्रतिमास की दर से विशेष भत्ता देने की अनुमति होगी।

(ii) तथापि, अगर ऊपर (i) में उल्लिखित प्रकार के कार्य के लिए किसी उच्च श्रेणी लिपिक को लगाया जाता है तो उसे रुपये 150 प्रतिमास की दर से विशेष भत्ता लेने की अनुमति होगी।

(iii) प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए, जिसमें संसद का सत्र उस मास विशेष में कम से कम 15 दिन के लिए चलें ऐसा भत्ता पूरी दरों पर अनुज्ञेय होगा। उस मास के लिए जितने संसद का सत्र 15 दिन से कम अवधि तक चले, ऐसा भत्ता पूरे मास के लिए निर्धारित की गई दरों से आधी दर पर अनुज्ञेय होगा।

(iv) साधारणतया, किसी मंत्रालय में केवल एक संसद सहायक का ही ऐसा भत्ता अनुज्ञेय होगा जहां कोई मंत्रालय एक से अधिक संसद सहायकों को पूर्णकालिक संसद ड्यूटी के लिए लगाना आवश्यक समझता है वहां वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा अतिरिक्त स्टाफ भी अपने स्तर अनुसार ऊपर निर्दिष्ट किए गए विशेष भत्ते को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) संसद सहायक को उस कैलेण्डर मास के लिए कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाएगा जिस माह में संसद का सत्र चल रहा हो।

(3) ऊपर उल्लिखित विशेष भत्ते को अन्य भत्ते के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 10 फरवरी, 1970 का का०ज्ञा०सं० 16(1)-ई-ii(ख)/70 ता० 18 अगस्त, 1978 का का० ज्ञा० सं० एफ 15020/4/78-ई-ii (ख) तथा ता० 21 अप्रैल, 1986 का का०ज्ञा०सं० 15020/18/4-स्थापना (भत्ते)]।

10. **गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन** :—कर्मचारी पक्ष के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की एक समिति की स्थापना कर्मचारी पक्ष के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए की गई थी कि चूंकि गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में रुपये 330—560 के वेतनमान में कुछ प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिक पेचीदे स्वरूप के ऐसे मामले नियंत्रित कर रहे है, जिनमें कार्रवाई करने के लिए गहन अध्ययन और कौशल की आवश्यकता होती है, अतः सचिवालय में उच्च श्रेणी लिपिकों के कुछ पदों को रुपये 425—800 के वेतनमान वाले सहायक ग्रेड के समतुल्य बना दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद द्वारा उसकी दिनांक 2 तथा 3 फरवरी, 1979 को हुई बैठक में समिति की उस रिपोर्ट को जिसे 27 जनवरी, 1979 को अन्तिम रूप दिया गया था स्वीकार कर लिया गया था। समिति के मान्य निष्कर्षों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में बहुत ही पेचीदे तथा महत्वपूर्ण स्वरूप के मामले निपटाने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों को रुपये 35 प्रतिमाह का विशेष

वेतन मंजूर किया जाए। इस प्रकार के पदों की कुल संख्या सम्बन्धित संवर्ग में 10% तक सीमित होनी चाहिए तथा इन पदों को विवेकपूर्ण कार्यों वाले तथा पेचिदे स्वरूप के उच्चतर दायित्वों वाले पद समझे जाने चाहिए जिसकी सामान्यतः उच्च श्रेणी लिपिकों से अपेक्षा नहीं की जा सकती।

ये आदेश 5 मई, 1979 से लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 5 मई, 1979 का का० ज्ञा० सं० एफ 7(52)-ई-iii 78]।

(क) यह उल्लेख किया जाता है कि 35 रुपये के विशेष वेतन की मंजूरी का संबंध उन उच्च श्रेणी लिपिकों के पद से है, जिनको उच्च श्रेणी लिपिकों द्वारा सामान्य तथा किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा उच्चतर एवं विवेकपूर्ण कार्यों और जटिल प्रकृति के उत्तरदायित्वों वाला माना गया है, न कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों से इस बारे में उठायी गई शंकाओं पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

शंकाओं का विषय	लिया गया निर्णय
(1) क्या इन आदेशों को केवल मुख्यालयों के संगठनों में ही उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर ही लागू किया जाए या उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों में भी लागू किया जाए।	ये आदेश सचिवालय स्कीम में भाग न लेने वाले अधिनस्थ कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों पर लागू है जहां पर्यवेक्षक ग्रेडों और तकनीकी सहायक अन्वेषक आदि सहित उच्च श्रेणी लिपिकों के मध्य कोई बीच का स्तर नहीं है।
(2) क्या इन पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के साथ परामर्श करके वरियता एवं योग्यता के आधार पर भरा जाए या विवेकपूर्ण कार्यों, जटिल प्रकृति के उत्तरदायित्वों वाले माने गए पद पर कार्य करने के लिए किसी विशेष अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर।	चयन विवेकपूर्ण कार्यों और जटिल प्रकृति के उत्तरदायित्वों वाले माने गये पद पर कार्य करने के लिए उस विशेष अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। ऐसे पदों को भरने के लिए वरियता एवं योग्यता मानदण्ड नहीं होगा।
(3) क्या 35/-रु० प्रति महीने का विशेष वेतन 425-700 रु० के वेतनमान में चयन ग्रेड उच्च श्रेणी लिपिकों / लेखापरीक्षकों / वरिष्ठ लेखाकारों को भी स्वीकार किया जाए और क्या 10% की सीमा लागू करने के प्रयोजन के लिए चयन ग्रेड आदि के पदों को भी स्वीकार किया जाए और क्या 10% की सीमा लागू करने के प्रयोजन के लिए चयन ग्रेड आदि पदों को भी ध्यान में रखा जाए।	हाँ।
(4) उन मामलों में जहां एक संगठन के अधीन अनेक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और ऐसी प्रत्येक इकाई में उच्च श्रेणी लिपिकों की संख्या 10 से कम है, तो क्या यह लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इन इकाइयों का एक समूह बना लिया जाए।	नहीं

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 29 दिसम्बर, 1982 का का०ज्ञा०सं० एफ-7(52)/ई-iii78) (तारीख 1 जुलाई, 1983 की संख्या 2]

(ख) कर्मचारी पक्ष में संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में यह मांग की थी कि 5 मई, 1979 के ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन के रूप में प्रतिमाह अदा किए गए 35 रुपयों को पदोन्नति पर वेतन के नियतन के समय हिसाब में लिया जाना चाहिए। यह मामला मध्यस्थता बोर्ड को भेजा गया था जिसने 28 अप्रैल, 1987 को अपना अवार्ड दिया तद्नुसार मध्यस्थता बोर्ड के अवार्ड के अनुसरण में राष्ट्रपति जी ने निम्नानुसार निर्णय किया है :—वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 5-5-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7 (52)/ई iii/78 के अधीन उच्च श्रेणी लिपिकों को दिये गए 35/-रुपये प्रतिमाह के विशेष वेतन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लिया जायेगा :—

(क) जिस पदधारी के लिए विशेष वेतन प्रदान किया गया है वह उस पद को स्थायी रूप से धारण कर रहा हो।

अथवा

(ख) वह पदधारी, उच्चतर पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख को उस निचले पद पर जिसके लिए विशेष वेतन प्रदान किया गया है, स्थानापन्न रुप में लगातार तीन वर्ष से कम की अवधि के लिये न रहा हो।

2. ये आदेश 1 सितम्बर, 1985 से लागू होंगे।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 1-9-1987 का का०ज्ञा०सं० 7 (35)/ई-iii/87]

10 क. गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों को 35 रु० प्रतिमाह के विशेष वेतन की मंजूरी—इस प्रश्न के संबंध में निर्णय कि क्या इस राशि को पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1987 के का०ज्ञा० सं० 7(35)-ई-111/87 का हवाला दिया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5-5-1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 7(52)-ई-111/78 के तहत उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन उच्च श्रेणी लिपिकों को दिया गया 35 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। यह निर्णय विवाचन बोर्ड के अधिनिर्णय पर आधारित था तथा 1 सितम्बर, 1985 से प्रभावी हुआ था।

2. चूंकि उल्लिखित दिनांक 1 सितम्बर, 1987 के आदेश उन उच्च श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं थे जिन्हें 35 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन लेते हुए 1-9-85 से पूर्व उच्चतर पदों पर पदोन्नत कर दिया गया था उनकी पदोन्नति पर वेतन 35 रु० के विशेष वेतन को हिसाब में लिए बिना नियत किया गया था। ऐसे बहुत से उच्च श्रेणी लिपिकों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाएं दायर कीं जिनमें यह दावा किया गया कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से उनका नुकसान हुआ है क्योंकि 35 रु० का विशेष वेतन लेने वाले उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन, जिन्हें 1-9-1985 को या उसके बाद उच्चतर पदों पर पदोन्नत किया गया था, उच्चतर स्टेज पर नियत किया गया है। चूंकि ऐसे वेतन नियतन में 35 रु० का विशेष वेतन हिसाब में लिया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने निर्णय दिए हैं कि उन उच्च श्रेणी लिपिकों, जो 35 रू० का विशेष वेतन ले रहे हैं तथा 1-9-1985 से पूर्व उच्च पदों पर पदोन्नत हो गए हैं, के वेतन का पुनः नियतन 35 रु० के विशेष वेतन को हिसाब में लेते हुए उनकी पदोन्नति की तारीख से काल्पनिक आधार पर किया जाए और बकाया राशि का भुगतान किए बिना उन्हें 1-9-1985 से वास्तविक लाभ दिए जाए। यह वित्त मंत्रालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(35)/ई-111/87 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा। यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को केवल याचिकाओं पर ही लागू किया जाए।

3. उसी प्रकार की स्थिति वाले उच्च श्रेणी लिपिकों को भी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के लाभ पहुंचाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि उन उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतन का पुनः नियतन, जो इस मंत्रालय के दिनांक 5-5-1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(52)-ई-111/78 की शर्तों के अनुसार 35 रु० का विशेष वेतन प्राप्त कर रहे थे और जो 1-9-1985 से पूर्व उच्चतर पदों पर पदोन्नत हो गए थे तथा जो इस मंत्रालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7(35)/-ई-111/87 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं, 35 रु० के विशेष वेतन को हिसाब में लेते हुए उनकी पदोन्नति की तारीख से काल्पनिक आधार पर किया जाए और उन्हें किसी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान किये बिना 1-9-1985 से ही वास्तविक लाभ प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

4. इन आदेशों के जो भी लाभ हों उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति की तारीख पर ध्यान दिए बिना उन उच्च श्रेणी लिपिकों को नहीं मिलेंगे जो 35 रू० का विशेष वेतन न ले रहे हों अथवा जो दिनांक 1-9-87 के कार्यालय ज्ञापन में विहित शर्तों को पूरा न करते हों।

[वित्त मंत्रालय का दिनांक 22-5-79 का का०ज्ञा० सं० 7(29)-संस्था III-89]

11. **फ्रैंकिंग मशीनों पर कार्य करने के लिए ग्रुप "घ" कर्मचारियों को विशेष वेतन :—**(1) विभागीय परिषद् (जे०सी०एम०) की 31 वीं सामान्य बैठक में कर्मचारी पक्ष फ्रैंकिंग मशीन पर कार्य करने वाले ग्रुप "घ" के कर्मचारियों के लिए उठायी गई 20/- रु० प्रतिमास की अपनी विशेष वेतन की मांग के बजाय 15/- रुपये प्रतिमास दिये जाने पर सहमत हो गया था। तदनुसार, फ्रैंकिंग मशीन आपरेटर के रुप में कार्य करने वाले ग्रुप "घ" कर्मचारियों को इन शर्तों के अधीन 15/-रुपये प्रतिमास विशेष वेतन मंजूर करने का निर्णय लिया गया है—(i) उसी फ्रैंकिंग मशीन को चलाने के लिए विशेष वेतन एक ही समय पर एक से अधिक ग्रुप "घ" कर्मचारियों को न दिया जाए और (ii) यदि फ्रैंकिंग मशीन आपरेटरों के लिए अलग से कोई वेतनमान निर्धारित किया गया हो, तो विशेष वेतन देय नहीं होगा।

(2) ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 5 फरवरी, 1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(1)-ई० III/81]।

12. **सरकार द्वारा किराए पर लिए गए भवनों अथवा सरकारी भवनों के केयर टेकरों को विशेष वेतन की मंजूरी :—**राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की समिति की स्थापना कर्मचारी पक्ष के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए की गई थी कि सरकारी भवनों के केयर टेकरों के पद को संवर्ग-बाहय पद बनाया जाये और ड्यूटी की भारी जिम्मेदारी के लिए प्रतिपूर्ति करने के संबंध में केयर टेकर के पद के साथ वेतन का 30 प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में जोड़ दिया जाये।

समिति ने मामले पर विचार किया। समिति द्वारा मान्य निर्णयों के अनुसार निर्णय किया गया है :—

(i) केयर टेकरों के पदों को भविष्य में संवर्ग-बाह्य पद माना जाये और सामान्य नियमों/आदेशों के अधीन यथा स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता की अनुमति दी जाये। जहां केयर टेकर की ड्यूटी के लिए पूरे समय ध्यान देने की आवश्यकता हो। प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता की स्वीकार्यता समय-समय पर यथा संशोधित दि. 7-11-75 के का० ज्ञा० सं० एफ. 1 (11)-ईIII/(ख)/75(परिशिष्ठ) में निर्धारित सभी शर्तों तथा इस शर्त के अधीन होगें कि वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता मिलाकर पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक न हों।

(ii) केयर टेकर के पद के स्तर का निर्णय कार्यालय के आकार, उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या, अंतर्ग्रस्त ड्यूटी और उत्तरदायित्व आदि के आधार पर किया जायेगा। केयर टेकर के पद के स्तर को निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तथा समय जारी किये जायेंगे। भविष्य में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले केयर टेकरों के पद को भरने के लिए कोई अलग श्रेणी या संवर्ग नहीं बनाया जाएगा।

(iii) यदि केयर टेकर की ड्यूटी का कार्य अंशकालिक आधार पर संस्थापना से संबंधित किसी विद्यमान कर्मचारी द्वारा किया जा सकता हो तो पदधारी को उसके ग्रेड वेतन के अलावा 25 रुपये प्रतिमाह समेकित विशेष वेतन दिया जाये।

(2) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 27 फरवरी, 1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 9(7)-ई III 9]।

13 अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की प्रतीक्षा करने वाले लेखा-परीक्षकों को विशेष वेतन :— अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की प्रतीक्षा करने वाले भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग के लेखा परीक्षक एस०ए०एस० की परीक्षा पास करने के पश्चात् प्रथम वर्ष के दौरान प्रति माह 20 रु० विशेष वेतन के हकदार होंगे। किन्तु एस०ए०एस० की परीक्षा पास करके अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों के मामले में 22 सितम्बर, 1979 से परीक्षा पास करने की तारीख के बाद दूसरे वर्ष से 35 रुपये प्रतिमाह की बढी हुई दर स्वीकार्य होगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 22 सितम्बर, 1979 का पत्र संख्या ए-27023/(41)/74-ई जी आय]।

14 स्वीकृत पद के अभाव में नियमित आधार पर गेस्टेटनर आपरेटर के रूप में कार्य कर रहे समूह "घ" के कर्मचारियों को विशेष वेतन :— (1) यह निर्णय किया गया है कि यदि किसी कार्यालय में गेस्टेटनर आपरेटर का नियमित पद मंजूर नहीं किया गया है किन्तु समूह "घ" कर्मचारी उक्त कार्य नियमित आधार पर करता है तो उसे केवल 10 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन मंजूर किया जाए।

(2) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होते हैं और अन्यथा निर्णित पिछले मामलों पर दोबारा विचार करना आवश्यक नहीं है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का दिनांक 8 अप्रैल, 1983 का का० ज्ञा० सं० 17016/5/80 भत्ता]।

15. ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों को मानदेय की मंजूरी जिन्हें अल्पावधियों के लिए गेस्टेटनर आपरेटरों के रूप में कार्य करना पड़ता है।

इस विभाग के दिनांक 28-4-81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17016/5/80-स्था० (भत्ता) और दिनांक 8-4-83 के का०ज्ञा० संख्या 17016/5/80-स्था० (भत्ता) का हवाला दिया जाता हैं। गेस्टेटनर आपरेटर का कार्य निष्पादित करने के लिए समूह "घ" कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय की दरों को संशोधित करने का प्रश्न काफी समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गेस्टेटनर आपरेटर के कार्य को निष्पादित करने वाले समूह "घ" कर्मचारियों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा अर्थात् :—

(i) गेस्टेटनर आपरेटर की अनुपस्थिति के दौरान अल्पावधि के लिए गेस्टेटनर आपरेटरों के कार्यों को निष्पादित करने वाले समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में रु० 1 प्रति दिन।

(ii) किसी कार्यालय में गैस्टेटनर आपरेटर का पद मंजूर न होने की दशा में नियमित आधार पर गैस्टेटनर आपरेटर का कार्य करने वाले समूह "घ" कर्मचारियों को रु० 20 प्रति माह।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे तथा अन्यथा निर्णित विगत मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा।

3. जहां तक लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है इन आदेशों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया गया है।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का०ज्ञा० सं० 17016/2/88-ई- (भत्ता) दिनांक 10-11-88]

जब कोई नियमित गेस्टेटनर आपरेटर छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में मानदेय की स्वीकृति के लिए देखें मूल नियम 46 के अधीन आदेश।

[1](26) विलोपित

(27) "निर्वाह अनुदान" से वह मासिक अनुदान अभिप्रेत है जो उस सरकारी सेवक को दिया जाए जिसे वेतन या छुट्टी वेतन नहीं मिल रहा है।

(28) "अधिष्ठायी वेतन" से विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या राष्ट्रपति द्वारा नियम 9(21) (क) (iii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत परिलब्धियों से भिन्न, वह वेतन अभिप्रेत है, जिसका सरकारी सेवक, उस पद के कारण जिस पर कि वह अधिष्ठायी रूप से नियुक्त हुआ है, या काडर में अपनी अधिष्ठायी स्थिति के कारण हकदार है।

टिप्पण 1:— भारत सरकार के मुद्रणालयों के मात्रानुपाती कर्मकार (पीसवर्कर) के मामले की दशा में, जब उसकी नियुक्ति समय वेतनमान वाले पद पर की जाए, "अधिष्ठायी वेतन" उसके प्रति घंटा दर के दो सौ गुणा के समतुल्य समझा जाएगा।

टिप्पण 2:— उस व्यक्ति की दशा में जिसका कि किसी राज्य सरकार के अधीन किसी स्थायी पद पर स्थायी धारणाधिकार है "अधिष्ठायी वेतन" से राज्य सरकार के सुसंगत नियमों में यथा परिभाषित अधिष्ठायी वेतन अभिप्रेत है।

भारत सरकार के आदेश

सेना में सैन्य अधिकारियों का विवाह भत्ता और आवास भत्ता तब तक "अधिष्ठायी वेतन" की परिभाषा के अधीन आता है जब तक उन्हें वेतन का अंश माना जाता है।

[महालेखा परीक्षक का ता० 15 अगस्त, 1936 का पृष्ठांकन संख्या 281-ए/289-35]।

[1](29) विलोपित

(30) "अस्थायी पद" से एक निश्चित वेतन-दर वाला ऐसा पद अभिप्रेत है जो परिसीमित काल के लिए मंजूर किया गया हो।

भारत सरकार के आदेश

1. पदधारी को मंजूर की गई छुट्टी की अवधि को पूरा करने के लिए अस्थायी पद को बढ़ाने की आवश्यकता केवल तभी समीचीन होगी जब छुट्टी की मंजूरी में "सरकार का कोई व्यय" अन्तर्निहित नहीं है और इस शर्त के न होने पर अनुचित होगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 1 अप्रैल, 1933 का पत्र संख्या एफ 11(5)-आर-1/33]

2. भारत सरकार के अधीन किसी भी ग्रेड में अस्थायी पदों पर स्थायी आधार पर नियुक्त करने की प्रथा पूर्णतया बन्द कर दी जानी चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 19 अप्रैल, 1952 का का०ज्ञा०सं० फा० 2(2)-स्था० (विशेष)/52]

(30-क) "सावधिक पद" से वह स्थायी पद अभिप्रेत है, जिसे कोई सरकारी सेवक एक परिसीमित कालावधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकेगा।

टिप्पण :—संदेह होने पर केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित कर सकेगी कि कोई विशिष्ट पद सावधिक पद है अथवा नहीं।

(31) (क) "समय वेतनमान" से वह वेतन अभिप्रेत है जो, इन नियमों में विहित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, आवधिक वेतनवृद्धियों द्वारा किसी न्यूनतम से किसी अधिकतम तक बढ़ता है। इसके अन्तर्गत वेतन का वह वर्ग आता है जो अभी तक प्रगामी के रूप में ज्ञात था।

(ख) समय वेतनमान तब समान कहे जाते हैं जब कि उन वेतनमानों का न्यूनतम, अधिकतम, वेतनवृद्धि की कालावधि और वेतन वृद्धि की दर समान हों।

(ग) यह तब कहा जाता है कि कोई पद उसी समय वेतनमान पर है जिस पर दूसरा पद है जब दोनों समय वेतनमान समान हों, और पद एक ही ऐसे काडर या काडर के वर्ग में लगभग आते हों, जो काडर या वर्ग, किसी सेवा या स्थापना या स्थापनाओं के समूह में लगभग उसी प्रकार के और उसी मात्रा के उत्तरदायित्व के कर्तव्य वाले सभी पदों को भरने के लिए इस प्रकार सृजित किया गया हो कि किसी विशिष्ट पद के धारक का वेतन, काडर या वर्ग में उसकी स्थिति से अवधारित होता हो न कि इस बात से कि वह उस पद को धारण कर रहा है।

भारत सरकार के आदेश

1. जब वेतनमान समान हो लेकिन दक्षतारोध भिन्न हो :—एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या उन वेतनमानों को जो दक्षतारोध को छोड़कर सभी प्रकार से समान हैं समान समझा जाना चाहिए अथवा नहीं। यह निर्णय किया गया है कि दो समान वेतनमानों को, मूल नियम 9(31)(ख) के अर्थ के अनुसार समान माना जाना चाहिए भले ही दक्षता रोध के उपबंधों की दृष्टि में उनमें भिन्नता हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 10 अप्रैल, 1963 का का०ज्ञा०सं०एफ० 2(7)-ई० III/63]

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 18(13) ई० IV (क)/70 द्वारा विलोपित किया गया और यह तारीख 6 फरवरी, 1971 से प्रभावी होंगे।

(2) नियुक्ति की औसत लागत को निर्धारण करने की पद्धति जिसका सामान्यतः मद्रास सूत्र के रूप में उल्लेख किया जाता है :—

1 * *

2. 1. जब वेतनवृद्धि की अवधि वार्षिक अथवा द्विवार्षिक हो तथा वेतनवृद्धियों की अवस्थाओं की संख्या पांच से अधिक हो।

(क) लिपिकीय नियुक्तियों के मामले में :—
मूल्य = न्यूनतम + अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच के अन्तर का $(\frac{3}{4} - \frac{x}{60})$

(ख) लिपिकीय नियुक्तियों से इतर नियुक्तियों के मामले में :—मूल्य = न्यूनतम + अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच के अन्तर का $(\frac{2}{3} - \frac{x}{90})$

उपर्युक्त में X का आशय उस अवधि से है जो कि वार्षिक आधार पर दी जाने वाली वेतनवृद्धियों के मामले में पांच और द्विवार्षिक आधार पर दी जाने वाली वेतनवृद्धियों के मामले में चार अवस्थाओं से जितनी अधिक हो।

[सा०आं०सं० 447 दिनांक 16 जुलाई, 1904] मद्रास (I)

टिप्पण :—यदि लिपिकीय नियुक्तियों के मामले में 12 वर्ष बीत जाने से पहले तथा गैर-लिपिकीय नियुक्तियों के मामले में 9 वर्ष बीत जाने से पहले अधिकतम तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो उन मामलों में औसत मूल्य अधिकतम और न्यूनतम के बीच माध्य (Mens) के रूप में लिया जाए।

[सी० एस० आर० में बर्मा सप्लीमेंट का पैराग्राफ 256 ।]

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के अधीन संशोधित वेतनमानों (लिपिकीय तथा लिपिकीय से इतर) के मामले में :

औसत लागत = न्यूनतम + (अधिकतम — न्यूनतम) $(\frac{3}{4} - \frac{x}{60})$ जब X का आशय समय वेतन की अवधि में से 5 घटा कर निकली अवधि से है।

[महानिदेशक डाक व तार, का तारीख 26 सितम्बर, 1975 का एन०डी० संख्या 1-32/75-पी०ए०पी० ।]

(32) "यात्रा भत्ता" से वह भत्ता अभिप्रेत है जो सरकारी सेवक को उन व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जाता है जो वह लोक सेवा के हित में यात्रा करने में करता है। इसके अन्तर्गत वे भत्ते भी आते हैं जो सवारी, घोड़े और तम्बुओं के रखरखाव के लिए दिए जाते हैं।

भाग II

अध्याय III

सेवा की सामान्य शर्तें

मूल नियम 10 :—इस नियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय सरकारी सेवा में किसी पद पर भारत में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति स्वास्थ्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना नहीं की जा सकेगी। केन्द्रीय सरकार वह प्रारूप जिसमें चिकित्सीय प्रमाण पत्र तैयार किए जाने चाहिए, और वे विशिष्ट चिकित्सीय या अन्य अधिकारी जिनके द्वारा वे हस्ताक्षरित होने चाहिए, विहित करने वाले नियम बना सकेगी। वह व्यष्टिक मामलों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी और साधारण आदेशों द्वारा सरकारी अधिकारियों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के लिए अनुपूरक नियम 3, 4 तथा 4-क देखें।]

भारत सरकार के आदेश

1. पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों में स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना कोई नियुक्ति नहीं :—(1) जैसा कि मंत्रालयों को ज्ञात है, सरकारी सेवा में आरम्भिक नियुक्ति पर प्रत्येक नए प्रवेशकर्ता को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्रशासनिक मंत्रालयों को राष्ट्रपति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है कि वे एफ० आर० 10 में ढील दे कर सरकारी सेवा में नई नियुक्ति के बारे में स्वास्थ्य सम्बन्धी डाक्टरी प्रमाण पत्र के बिना अधिक से अधिक दो मास की अवधि के लिए वेतन तथा भत्ते लेने का प्राधिकार दे दें।

(2) परिवार पेंशन के बारे में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 27-1-79 के का०ज्ञा०सं० 1 (10)/ ई०वी० (बी०)/78 में सूचित किए गए सरकार के निर्णय न्यूनतम सेवा अवधि के बिना परिवार पेंशन की हकदारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में किसी पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसकी डाक्टरी जांच नहीं हो जाती और उसे स्वस्थ नहीं पाया जाता।

(3) सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को उनके द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के तुरन्त पश्चात् नियुक्ति-प्रस्ताव भेजने में इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप देरी न हो।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 26 जून, 1979 का का०ज्ञा०सं० 15015/1/79-स्थापना (घ)।]

2. किसी व्यक्ति को डाक्टरी परीक्षा के आधार पर अयोग्य घोषित करने वाले प्रमाण पत्र की अनदेखा करने का कोई भी विवेकाधिकार नहीं :— यदि किसी प्राधिकारी द्वारा एक बार किसी उम्मीदवार से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह दिया जाता है, चाहे वह प्रमाण पत्र स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी सेवा में आने के लिए हो, या किसी अन्य प्रयोजनार्थ हो, और उसकी वास्तव में जांच कर ली गई हो, और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रमाण पत्र को अनदेखा करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की छूट नहीं होगी। जहां कहीं कुछ प्रशासनिक कारणों से अस्थायी आधार पर ऐसे कार्मिक की सेवाओं को रोक रखना नितान्त आवश्यक हो उन मामलों को गृह, स्वास्थ्य तथा वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 16 अक्टूबर, 1958 का का०ज्ञा०सं० 5-9-58-आर०पी०एस०]

3. स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व नियुक्ति तथा बाद में जिन्हें "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया गया हो उन्हें सेवा में रखना :—(1) मूल नियम 10 के अधीन किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त न किया जाए। इसका आशय यह है कि डाक्टरी परीक्षा वास्तविक नियुक्ति से पहले होनी चाहिए। जहां इस पद्धति का अनुपालन नहीं किया जाता तथा कर्मचारी अपने पद पर सेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नौकरी की अवधि के लिए वेतन की अदायगी, केवल मूल नियम 10 में विशेष छूट दे कर की जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में अनुपूरक नियम 4(4) उपयुक्त ढंग से लागू नहीं होता। अतः नियुक्ति से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा करना एक नियम होना चाहिए।

(2) किन्तु बहुत आवश्यक मामलों में किसी व्यक्ति विशेष को सीधे नियुक्त करना तथा उसके बाद तत्काल सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था करना प्रायः आवश्यक हो जाता है किन्तु ऐसे मामलों की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए। जहां सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी को विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए "योग्य नहीं" के रूप में घोषित कर देता है तो ऐसे कर्मचारी की सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय के ता० 13 दिसम्बर, 1955 के का०ज्ञा०सं० 5-35/55-एम०-11 (अनुपूरक 4 के नीचे दिया गया आदेश देखें) के उपबन्धों के अध्यधीन, तत्काल समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि चिकित्सकों की राय में किसी उम्मीदवार को "अस्थायी नौकरी के लिए योग्य" घोषित नहीं करना चाहिए फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन मामलों में अस्थायी अयोग्यता का समुचित समय के भीतर इलाज हो सकने की सम्भावना होती है उनमें एक निर्धारित अवधि के बाद दोबारा जांच की शर्त लगा कर उम्मीदवार को "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित कर दिया जाता है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में शारीरिक रूप से "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किए गए सरकारी कर्मचारी को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बने रहने देने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि :—

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा वह अवधि, जिसके पश्चात् दूसरी चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाने वाली है निर्दिष्ट की गई हो ;

(ii) जिस हालत के कारण अस्थायी अयोग्यता हुई है, उसके बारे में यह घोषणा की गई हो कि उपयुक्त अवधि के अन्दर उसका इलाज हो सकता है ;

(iii) रोग इस प्रकार का न हो कि सरकारी सेवक का ड्यूटी के दौरान जिन अन्य लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ता हो, उनके लिए वह जोखिम का कारण बने ; तथा

(iv) जहां कहीं इस प्रकार से सेवा में बनाए रखने की अवधि छः मास से अधिक हो, वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(3) मूल नियम 10 के उपबन्धों में छूट दे कर यह भी निर्णय किया गया है कि स्वास्थ्य परीक्षा से पहले इस प्रकार से नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को जब वह "अयोग्य" घोषित किया जाता है तो उसकी नौकरी की अवधि के वेतन का तथा ऊपर पैराग्राफ-2 में निर्दिष्ट किए अनुसार यदि वह "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया जाता है, तो उसे सेवा में बनाए रखने की अवधि के वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।

(4) जहां किसी अधिकारी को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया गया हो तथा वह इन आदेशों के अनुसार सेवा में बना रहता है वहां उस अवधि की सूचना लेखापरीक्षा को देनी चाहिए जिस अवधि के लिए अधिकारी को "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया गया है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 22 जुलाई, 1957 का का०ज्ञा०सं० 5/2/57-आर०पी०एस० तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का 25 जनवरी, 1964 का यू०ओ०सं० 3617/ई 5 (ख)/63 तथा वित्त मंत्रालय का दिनांक 24 अगस्त, 1966 का का० ज्ञा० सं० 25(24)-ई-V/66।)]।

4. **आरोग्य प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में नियुक्ति के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन और उसकी शर्तें :—** राष्ट्रपति, मूल नियम 10 में छूट देते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को आरोग्य प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में, नई भर्ती के लिए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक दो महीने तक के वेतन तथा भत्तों के अर्हन की शक्तियां प्रत्यायोजित करते है, किन्तु शर्त यह है कि यदि सम्बन्धित व्यक्ति बाद में डाक्टरी परीक्षा करने पर अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड के निष्कर्षों को उसे सूचित करने की तारीख से एक माह की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् उस दशा में समाप्त कर दी जानी चाहिए जब उस अवधि के दौरान उस दूसरी डाक्टरी परीक्षा के लिए कोई अपील प्राप्त नहीं होती तो दूसरी डाक्टरी परीक्षा के मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। इस शर्त को नियुक्ति से सम्बन्धित प्रारंम्भिक पत्र में स्पष्टतः उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(2) तथापि प्रशासनिक मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही विरल तथा अपवादिक परिस्थितियों में ही करेंगे, अर्थात् जब लोक-हित में यह आवश्यक समझा जाता है कि चुने गये व्यक्ति को उसकी चिकित्सा परीक्षा की प्रत्याशा में तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिए।

(3) जहां कोई सक्षम प्राधिकारी किसी नए नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को बिना स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र के दो महीने से अधिक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों का आहरण प्राधिकृत करता है वहां इस आशय का एक एक प्रमाण पत्र प्रथम वेतन बिल के साथ भेजा जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 16 दिसम्बर, 1960 का का० ज्ञा० सं० एफ० 67(21)/ई-V/60 तथा वित्त मंत्रालय का दिनांक 24 अगस्त, 1966 का का०ज्ञा०सं० 25(24)/ई-V/66।)]।

5. **राजपत्रित पदों में पदोन्नति की स्थिति में उपयुक्त उपबन्ध का लागू किया जाना** :—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 12 फरवरी, 1960 के का०ज्ञा०सं० फा० 55(11)-ई-V/59 के साथ पठित तारीख 5 जुलाई, 1962 के कार्यालय ज्ञा०सं० 15(1)/ई-V(ख)/62 (अनुपूरक नियम 4 के नीचे के आदेश देखें) के उप पैराग्राफ (4) के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों से इतर सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्हें राजपत्रित पदों को धारण करने के लिए पदोन्नत किया जाता है तथा जिन्हें समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा डाक्टरी परीक्षा कराना अपेक्षित होता है, उनके मामले में यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, मूल नियम 10 में ढील देते हुए ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना दो महीने तक के वेतन तथा भत्तों के आहरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं किन्तु शर्त यह है कि यदि संबन्धित व्यक्ति बाद में डाक्टरी जांच करने पर अयोग्य पाया जाता है तो उसे जांच करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्षों को उसे सूचित करने की तारीख से, एक माह की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् जिस निम्नतर पद से उसे पदोन्नत किया गया हो उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान उससे दूसरी चिकित्सा परीक्षा के लिए कोई अपील प्राप्त नहीं होती अथवा यदि ऐसी अपील, की जाती है तो दूसरी डाक्टरी परीक्षा के मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद उसे उस निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए जिससे कि उसे पदोन्नत किया गया था। इस शर्त का उल्लेख राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के आदेशों में स्पष्टत: किया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 16-2-1966 का का० ज्ञा० सं० फा० 20(15)ई/V(क) (65)]।

6. **केवल आपवादिक मामलों में डाक्टरी परीक्षा से पूर्ण छूट** :—(1) भारत सरकार के मंत्रालय अलग अलग मामलों में सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त में छूट देने के लिए सक्षम है। इस मंत्रालय के ध्यान में एक मामला आया है जिसमें एक अधिकारी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय चिकित्सा बोर्ड द्वारा डाक्टरी परीक्षा किए बिना समूह "क" राजपत्रित पद पर नियुक्त किया गया था तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बाद में पद पर स्थायीकरण के समय स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा डाक्टरी परीक्षा से यह मानते हुए छूट दे दी कि उन्हें मूल नियम 10 के अधीन ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त है। सम्बन्धित मंत्रालय की ओर से यह कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग मंत्रालय द्वारा केवल उसी स्थिति में किया जा सकता था जब कि आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय उक्त पद पर उक्त अधिकारी की नियुक्ति से पहले ले लिया गया होता। अत: सम्बन्धित मंत्रालय वित्त मंत्रालय की सहमति बिना अधिकारी को उसके स्थायीकरण के समय डाक्टरी परीक्षा से छूट प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था।

(2) यद्यपि मूल नियम 10 के अधीन मंत्रालय अलग अलग मामलों में सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्र से छूट देने के लिए सक्षम है तथापि प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा मूल नियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उदारतापूर्वक नहीं किया जाना चाहिए तथा छूट की मंजूरी लोक हित में केवल विरल तथा आपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। डाक्टरी परीक्षा नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के हितों में आवश्यक है। यदि वस्तुत: किसी विशेष मामले में जब कि सम्बन्धित व्यक्ति अत्यधिक योग्यता प्राप्त है और भारत सरकार के अधीन पद विशेष को धारण करने के लिए अन्यथा पूरी तरह योग्य है, तो इस आशय की छूट वित्त मंत्रालय के परामर्श से दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में जहां कहीं आवश्यक हो, वहां वित्त मंत्रालय, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों से परामर्श कर सकता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 24 फरवरी, 1964 का का०ज्ञा०सं० फा० 20 (1) ई-V (क)/64]।

7. **पहली नियुक्ति पर आरोग्यता का चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने की सेवा पंजी में प्रविष्ट** :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा इसे उसके सेवा कैरियर संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ सुरक्षित जगह रखना चाहिए। फिर भी, उसकी सेवा पंजी में कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से इस आशय की एक प्रविष्टि कर दी जाए कि उसने आरोग्यता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 12 अप्रैल, 1967 का का०ज्ञा०सं० फा० 25-(24)-ई-V/66]।

संशोधित सेवा पंजी

1. **जीवनवृत्त**

2. **प्रमाण पत्र और अनुप्रमाण पत्र**

सं०	विषय	प्रमाण पत्र	प्रमाणित करने वाले अधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर
1	2	3	4
1	चिकित्सा परीक्षा	कर्मचारी की परीक्षा दिनांक..... को .... द्वारा	

की गई और उसे आरोग्य पाया। चिकित्सा प्रमाणपत्र सेवा पंजी के खण्ड-II के क्र० सं०.....में सुरक्षित रख दिया गया है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 11 मार्च, 1976 का का०ज्ञा०सं० एफ० 3 (2) ई-IV(एफ)/73]।

सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेजों को कार्यालयाध्यक्ष की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गई सेवा पंजी के खण्ड II में सुरक्षित रखना चाहिए।

मूल नियम 11 :—जब तक कि किसी मामले में अन्यथा सुभिन्नतः उपबंधित न किया गया हो, सरकारी सेवक का सम्पूर्ण समय उस सरकार को समर्पित होगा जो उसे वेतन देती है, और वह अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा किये बिना ही उचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी भी रीति से नियोजित किया जा सकेगा, भले ही वे सेवाएं जिनकी अपेक्षा उससे की जाए ऐसी हों जिनका पारिश्रमिक मामूली तौर पर साधारण राजस्वों से, स्थानीय निधि से, या किसी ऐसे निकाय की निधियों से दिया जाए, जो निगमित हो अथवा न हो या जो सम्पूर्णतः या सारभूत रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हो।

मूल नियम 12 :—(क) दो या अधिक सरकारी सेवक एक ही स्थायी पद पर, एक ही समय में, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किए जा सकते [—][1]

(ख) [——][1] किसी सरकारी सेवक को एक ही समय में दो या अधिक स्थायी पदों पर अधिस्थायी रूप से नियुक्ति, नहीं की जा सकती।

(ग) कोई सरकारी सेवक उस पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्य सरकारी सेवक का धारणाधिकार है।

मूल नियम 12 क :—जब किसी मामले में, इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो। सरकारी सेवक किसी स्थायी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति होने पर, उस पद पर धारणाधिकार अर्जित कर लेता है और किसी अन्य पद पर पूर्व अर्जित उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है।

भारत सरकार के आदेश

(1) **सेवा अथवा संवर्ग में स्थायीकरण, किसी पद का धारणाधिकार प्राप्त करने के बराबर है :—** यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या "सेवा" अथवा "संवर्ग" में सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण पर धारणाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। धारणाधिकार सम्बन्धी नियमों के पीछे भावना यह है कि सरकारी सेवा में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित संवर्ग में उसका अपना अधिष्ठायी स्थान प्राप्त कराया जाए। कतिपय संगठित सेवाएं जैसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा में सदस्यों को किसी विशिष्ट पद पर नहीं बल्कि सेवा/संवर्ग के किसी विशिष्ट ग्रेड में हीं, इस प्रकार स्थायी कर लिया जाता है। ऐसे मामलों में, सरकारी सेवक का सेवा में स्थायीकरण उस सेवा के समुचित संवर्ग में किसी पद का (भले हो ऐसा निर्दिष्ट न किया गया हो) धारणाधिकार प्राप्त करने के बराबर हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 16 मई, 1967 का का० ज्ञा० सं० 2(2)-ई-IV (क)/67]।

(2) **स्थायीकरण को स्थायी पदों की उपलब्धता से अलग करना :—**विद्यमान पद्धति के अनुसार स्थायीकरण के लिए एक पूर्व अपेक्षा यह है कि ऐसा स्थायी पद उपलब्ध होना चाहिए जिस पर अन्य किसी सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार न हो। सरकारी कर्मचारी को स्थायी करने के उद्देश्य से स्थायी पद का पता लगाने के लिए, खाली स्थायी पदों का तथा साथ ही वह वास्तविक तारीख जिससे ये पद उपलब्ध हैं का पता लगाने के लिए आधिक्य कारवाई की जाती है। स्थायी पदों की उपलब्धता स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र उच्च पद पर सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण, अस्थायी पदों के अस्थायी पदों में परिवर्तित होने आदि जैसे कारणों पर निर्भर करती है इसके अतिरिक्त, विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी के कैरियर में स्थायीकरण एक बार होने वाली घटना नहीं है। उसे प्रत्येक पद अथवा ग्रेड में जिसमें वह पदोन्नत होता है निरन्तर स्थायी किया जाना होता है बशर्ते कि प्रत्येक ग्रेड में स्थायी पद उपलब्ध हो।

(3) इस प्रकार स्थायी खाली पदों का पता लगाने तथा इन पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें बुलाने में काफी समय लगता है तथा यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कि विद्यमान नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को स्थायी हैसियत देने से पहले, अपनानी पड़ती है। स्थायीकरण की प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में देरी तथा जटिलता होती है जिसके परिणामस्वरूप प्रायः ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां किसी कर्मचारी को आगामी उच्च ग्रेडों में कई वर्षों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करना पड़ता है जबकि वह केवल उसी ग्रेड में स्थायी होता है जिसमें वह सेवा के समय प्रविष्ट हुआ था।

[1] [—] "अस्थायी उपाय के रूप में की गई व्यवस्था को छोड़ कर" शब्दों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 30 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)/एफ(क)/75 द्वारा विलोपित कर दिया गया।

(4) स्थायीकरण की प्रक्रिया में कुछ सरलीकरण लाने की दृष्टि से एक कार्यदल वित्त मंत्रालय के दिनांक 5-1-1976 के आदेश संख्या फा॰ 1(5)/75-विशेष द्वारा 1976 में गठित ने स्थायीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की गई। जिसकी सिफारिश निम्नानुसार थी :—

(i) सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण को स्थायी खाली पदों की उपलब्धता से अलग कर दिया जाना चाहिए, तथा

(ii) सरकारी कर्मचारी के कैरियर में क्रमिक पदों/ग्रेडों में कई-कई स्थायीकरणों की बजाए केवल एक ही बार स्थायीकरण होना चाहिए।

इन सिफारिशों पर तब संघ लोक सेवा आयोग आदि के परामर्श से विचार किया गया था किन्तु मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गई चूंकि इसी बीच सेवा के 20 वर्षों के पश्चात् अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी दिए जाने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गए थे। नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के अभियान के संदर्भ में कुछ समय पहले हाथ में लिया था इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया। अब स्थायीकरण से स्थायी रिक्त पद की उपलब्धता से अलग करके तथा सरकारी कर्मचारी के कैरियर में केवल एक ही बार स्थायीकरण किए जाने का निर्णय किया गया है।

(5) उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में विद्यमान नियमों तथा अनुदेशों पुनरीक्षा की गई है तथा विभिन्न मामलों, जैसे की परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता, धारणाधिकार, स्थायी सेवा नियमों आदि के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली संशोधित प्रक्रिया नीचे निर्दिष्ट की गई है।

5.1 **स्थायीकरण**

(क) **सामान्य**

(i) किसी कर्मचारी का सेवा में केवल एक बार स्थायीकरण किया जाएगा जो कि प्रविष्ठ ग्रेड में होगा।

(ii) स्थायीकरण को ग्रेड में स्थायी रिक्त की उपलब्धता से अलग कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में ऐसा कोई अधिकारी जिसने सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है उसके स्थायीकरण पर विचार किया जाए।

(ख) **उस ग्रेड में स्थायीकरण जिसमें प्रारम्भ में भर्ती की गई थी।**

(i) विद्यमान की ही तरह नियुक्त किए गए व्यक्ति को संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा पूरी करनी चाहिए।

(ii) मामले को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष (स्थायीकरण के लिए) रखा जाएगा।

(iii) मामले में सभी दृष्टियों से अनापत्ति होने पर स्थायीकरण के विशिष्ट आदेश जारी किए जाएंगे।

(ग) **पदोन्नति पर**

(i) यदि भर्ती नियमों में परिवीक्षा अवधि निर्धारित नहीं है तो, यदि कोई अधिकारी नियमित आधार पर (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति आदि प्रक्रिया का पालन करने के बाद) पदोन्नत होता है तो उस व्यक्ति को वही लाभ प्राप्त होंगे जो उस व्यक्ति को उस ग्रेड में स्थायी व्यक्ति को प्राप्त होते।

(ii) जहां परिवीक्षा निर्धारित है वहां नियोक्त अधिकारी निर्धारित परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद स्वयं ही अधिकारी के कार्य तथा आचरण का मूल्यांकन करेगा तथा यदि वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि अधिकारी उच्च पद पर कार्य करने के लिए उपयुक्त है तो वह यह घोषित करते हुए आदेश पारित करेगा कि सम्बन्धित अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि अधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है अथवा उसके काम पर कुछ और समय के लिए निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है तो उसे यथास्थिति उस पद अथवा ग्रेड में पदोन्नत कर सकता है जिससे वह पदोन्नत हुआ था अथवा परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है।

चूंकि पदोन्नति का कार्य स्थायीकरण नहीं होगा, इसलिए किसी अधिकारी के द्वारा परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूरा किए जाने की घोषणा करने से पहले उसके कार्यनिष्पादन की कड़ाई से जांच की जानी चाहिए तथा यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है तो उस व्यक्ति को उस पद अथवा ग्रेड में प्रत्यावर्तित करने में कोई हिचकीचाहट नहीं होनी चाहिए जिससे वह पदोन्नत हुआ है।

5.2 **केन्द्रीय सिविल सेवा (स्थायी सेवा) नियमावली :—**

(i) चूंकि किसी भी ऐसे अधिकारी को जो स्थायीकरण के लिए अन्यथा पात्र है स्थायी रिक्ति के उपलब्ध होने तक, स्थायीकरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए किसी व्यक्ति को स्थायीवत् घोषित करने की विद्यमान क्रिया के पालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तदनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली में स्थायीवत्ता से सम्बन्धित उपबन्ध विलोपित कर दिए जायेंगे।

(ii) चूंकि ऐसी स्थितियां भी हो सकती है जिनमें ऐसे पदों/स्थापनाओं में नियुक्तियां की जाती है जो कि निश्चित तथा सर्वथा अस्थायी अवधि के लिए सृजित की जाती है अर्थात विशेष प्रकार की आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए गठित समितियां/जांच आयोग, संगठन जिनके कुछ वर्षों से अधिक बने रहने की सम्भावना नहीं है, विशिष्ट अवधियों के लिए परियोजनाओं के लिए सृजित पद, इनके सम्बन्ध में अस्थायी सेवा नियमों के बाकी के उपबन्ध लागू रहेंगे।

(5.3) **धारणाधिकार**

मूल स्थायी पद को धारण करने के लिए सरकारी कर्मचारी के अधिकार के रूप में धारणाधिकार की अवधारणा में परिवर्तन हो जाएगा। धारणाधिकार अब केवल नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी हो, तत्काल अथवा अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के सरकारी कर्मचारी के अधिकार/हक को व्यक्त करेगा। इस प्रकार, ग्रेड में धारणाधिकार का लाभ उन सभी अधिकारियों को मिलेगा, जो प्रविष्टि के ग्रेड में स्थायी है अथवा जिन्हें यथा निर्धारित इस आशय की घोषणा के बाद कुछ पद पर पदोन्नत किया गया हो कि, उन्होंने, परिवीक्षा अवधि जहां निर्धारित की गई है पूरी कर ली है अथवा जहां ऐसी परिवीक्षा निर्धारित न हो, वहां नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया गया हो।

किन्तु उपर्युक्त अधिकार/हक इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि किसी समय इस प्रकार हकदार व्यक्तियों की संख्या ग्रेड में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक हो जाती है तो ग्रेड में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्न ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो स्थायी है अथवा उच्च पद में जिसकी परिवीक्षा, पूरी हो गई घोषित कर दी गई है अथवा कोई व्यक्ति जो उच्च पद पर कार्य कर रहा है जिसके लिए नियमित आधार पर कोई परिवीक्षा नहीं है प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्य सेवा स वापिस आता है तथा यदि उसको समायोजित करने के लिए ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है तो कनिष्ठतम व्यक्ति को पदावनत कर दिया जाएगा किन्तु यदि यह अधिकारी स्वयं ही कनिष्ठतम है तो उसे अगले निम्न ग्रेड पर जिसके वह पहले पदोन्नत हुआ था पदावनत कर दिया जाएगा।

(5.4) **पेंशन**

चूंकि सभी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली नियुक्ति में परिवीक्षा अवधि पूरी करली है स्थायी घोषित कर दिए जाएंगे अतः पेंशन तथा अन्य पेंशन सम्बन्धि प्रसुविधाओं की मंजूरी के लिए स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों के बीच इस समय किए जाने वाला भेद-भाव समाप्त कर दिया जाएगा।

(5.5) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण** केवल प्रविष्टि स्तर पर स्थायीकरण को लागू कर दिए जाने तथा स्थायी पदों की उपलब्धता से स्थायीकरण को अलग कर दिए जाने के परिणामस्वरूप विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों तथा सेवाओं में स्थायीकरण के समय आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि स्थायीकरण के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा।

(5.6) **वरिष्ठता**

इस विभाग के दिनांक 3-7-86 के का० ज्ञा० सं० 22011/7/86-स्था०(घ) के अधीन जारी किए गए वरिष्ठता संबंधी आदेशों के पैरा 2.3 के अनुसार जहां व्यक्तियों की उनकी भर्ती अथवा पदोन्नति के समय निर्दिष्ट उनके योग्यताक्रम से अलग क्रम से स्थायी किया जाता है, वहां वरिष्ठता मूल योग्यताक्रम के अनुसार नहीं बल्कि स्थायीकरण के क्रम में होगी चूंकि अब स्थायीकरण प्रविष्टि ग्रेड में होगा इसलिए उस ग्रेड में स्थायीकरण के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना जारी रखा जाएगा।

6. उपर्युक्त पहलुओं के बारे में विद्यमान अनुदेश/नियम पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट की गई सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। जहां तक पेंशन, अस्थायी सेवा, धारणाधिकार आदि का संबंध है उपयुक्त संशोधन अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

7.1. स्थायीकरण के संबंध में ऊपर दी गई संशोधित प्रक्रिया तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी, अर्थात, इन अनुदेशों के क्षेत्राधिकार में केवल नियमित आधार पर की गई नियुक्तियां ही आएंगी।

7.2 कभी-कभी किसी संस्थापना का सृजन सीमित अवधि के लिए विशिष्ट उद्देश्य के प्रयोजन से जैसा कि समितियां अथवा आयोगों के मामले में विशिष्ट समस्या के अध्ययन अथवा जांच के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे संस्थापनों में पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के आधार पर भरा जाता है जिसके परिणामस्वरूप नियमित पदधारी की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि कुछ मामलों में, जहां नियमित नियुक्तियों भर्ती नियम

तैयार करके की जाती है तथा नियुक्तियाँ उन नियमों के अनुसार की जाती है, वहां स्थायीकरण के बारे में ये अनुदेश लागू नहीं होंगे । दूसरे शब्दों में सर्वथा अस्थायी संगठनों के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई संशोधित प्रक्रिया में नहीं जाते है ।

8. ये अनुदेश पहली अप्रैल, 1988 से लागू होंगे ।

9. जब इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई विस्तृत प्रक्रिया लागू होगी तो प्रत्येक वर्ष सरकार के सभी कार्यालयों में अधिकारियों के स्थायीकरण के संबंध में किया जाने वाला प्रशासनिक कार्य समाप्त हो जाएगा । इससे विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कार्यभार कम हो जाएगा । सभी मन्त्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि वे स्थिति की पुनरीक्षा करें तथा युक्तिकरण के परिणामस्वरूप, स्टाफ की कटौती के बारे में ब्यौरे भेज दें ताकि मंत्रिमण्डल को स्थिति से अवगत कराया जा सके ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 28-3-1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/1/86–स्थापना (घ)] ।

मूल नियम 13 :—जो सरकारी सेवक किसी स्थायी पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करता है, उसका उस पद पर धारणाधिकार, जब तक कि उसका धारणाधिकार नियम 14 के अधीन निलंबित या नियम 14 ख के अधीन स्थानान्तरित न कर दिया गया हो निम्नलिखित दशा में बना रहेगा, अर्थात् :—

(क) उस पद के कर्तव्यों के पालन के दौरान,

(ख) अन्यत्र सेवा में या कोई स्थायी पद धारण करने या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के दौरान,

(ग) किसी अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण अवधि के दौरान, सिवाय उस दशा के जब उसका स्थानान्तरण, निम्नतर वेतन वाले पद पर अधिष्ठायी रूप से हुआ हो, जिस दशा में उसका धारणाधिकार उस तारीख से उस नये पद पर स्थानान्तरित हो जाता है जिसको वह पूर्व पद के अपने कर्तव्यों से मुक्त हो,

(घ) नियम 97 के उपनियम (2) के अपवाद के अधीन रहते हुए छुट्टी के दौरान, जो नियम 86 के अधीन तत्समान अन्य नियमों के अधीन अनिवार्य निवृत्ति की तारीख के पश्चात दी गई अस्वीकृत छुट्टी (रिफ्यूज्ड लीव) नहीं है ।

(ङ) निलम्बन के दौरान ।

भारत सरकार के आदेश

1. सैनिक सेवा में बुलाये जाने पर सिविल पद में धारणाधिकार को बनाए रखना :—भारतीय रिजर्व अधिकारियों की सेना के वे सभी अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्त है, सैन्य सेवा में बुलाये जाने पर उतनी अवधि के लिए अपने सिविल पदों पर धारणाधिकार बनाए रख सकेंगे, जितनी अवधि के लिए उन्हें सैनिक सेवा में बुलाया जाए ।

[भारत सरकार, वित्त प्रभाग का ता० 19 मार्च, 1929 का पृष्ठांकन संख्या फा० 31/आर० 1/29] ।

2. जिन सरकारी कर्मचारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया जाता है उन के मामले में मूल विभाग में धारणाधिकार रखा जाना :—(1) किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में कार्यरत उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों/कार्यालयों में पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने से संबंधित विज्ञापनों अथवा परिपत्रों के उत्तर में आवेदन पत्र भेजते हैं, पद्धति अपनायी जाए, इस प्रश्न पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित पद्धति अपनायी जानी चाहिए :—

(1) आवेदन पत्र इस कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों (मुद्रित नहीं) के अनुसार अग्रेषित कर दिए जाएं भले ही अन्य विभाग/कार्यालय में आवेदित पद स्थायी हो या अस्थायी हो ।

(2) स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनका धारणाधिकार मूल विभाग/कार्यालय में दो वर्ष की अवधि के लिए रखा जाए । वे या तो उस अवधि के भीतर मूल विभाग/कार्यालय में प्रत्यावर्तित हो जाएं या उस अवधि के समाप्त होने पर मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र दे दें । अन्य विभागों/कार्यालयों में आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय उनसे इन शर्तों का पालन करने के लिए बचन ले लिया जाए ।

(3) स्थायीवत् सरकारी सेवकों के मामले में जो दो वर्षों की अवधि के भीतर मूल विभाग/कार्यालय में प्रत्यावर्तित होने के इच्छुक हों, उन्हें मूल विभाग/कार्यालय में वापिस ले लिया जाए बशर्ते कि नए विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व जो पद उन्होंने धारित किए हुए थे, वे बने रहे हों । किसी भी स्थिति में मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त होने की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने पर उन्हें, यदि उनका प्रत्यवर्तन नहीं होता है, तो मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र देना होगा । आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय उनसे इन शर्तों का पालन करने के लिए वचन ले लिया जाए ।

(4) जहां तक अस्थायी कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें नियम के तौर पर मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त करते समय मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाए। आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय उनसे इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वे आवेदित पद पर चयन अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र दे देंगे।

(5) ऐसे अपवादिक मामलों में जहां अन्य विभाग/कार्यालय की अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने में या कुछ अन्य प्रशासनिक कारणों से ऐसे सरकारी सेवकों को स्थायी करने में कुछ समय लग सकता है तो ऐसे स्थायी सरकारी सेवकों को मूल विभाग/कार्यालय में एक वर्ष और अपना धारणाधिकार रखने की अनुमति दी जाए। ऐसी अनुमति प्रदान करते समय मूल विभाग/कार्यालय द्वारा स्थायी सरकारी सेवकों से ऊपर के उप-पैरा (2) में उल्लिखित वचनपत्र की ही तरह एक नया वचनपत्र ले लिया जाए। स्थायीवत् कर्मचारियों के साथ उनके द्वारा ऊपर उप-पैरा (3) में उल्लिखित वचनपत्र की तरह एक वचनपत्र दिए जाने पर इसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

(6) ऊपर खण्ड (2) और (3) में उल्लिखित दो वर्षों की अवधि के दौरान संवर्ग-बाह्य पद में अधिकारी का वेतन जिन मामलों में नए पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल विभाग में उसके ग्रेड वेतन से काफी अधिक बैठता हो, उनमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1964 के कार्यालय ज्ञापन फा० 10 (24)-ई-III/60 में निर्धारित सीमाएं लागू होंगी तथा ऐसे मामलों में समय-समय पर जारी किए जाने वाले अन्य आदेश भी लागू होंगे। किसी भी स्थिति में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

2. ये अनुदेश भारत सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों पर (रेल मंत्रालय को तथा रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को छोड़कर) लागू होते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदस्य भी, उनके संबंध में अब तक अपनाई जा रही पद्धति का अधिक्रमण करते हुए, इन आदेशों से शासित होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 14 जुलाई, 1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 60/37/63-स्थापना (क)]।

स्पष्टीकरण :—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो उसी विभाग/कार्यालय में खाली होने वाले ऐसे पद के लिए आवेदन करता है जिसे सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाना है, इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए या नहीं कि वह पद पर अपना चयन हो जाने पर अपने द्वारा धारित पद से त्यागपत्र दे देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अनुदेश सभी मामलों में लागू होते हैं अर्थात् स्थायिवत् सरकारी कर्मचारी अन्य विभाग या उसी विभाग में उत्पन्न होने वाले ऐसे पद पर आवेदन करता हैं जिस पर भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जाती हो तो उसे दो वर्ष के भीतर अपने द्वारा धारित पद पर वापिस आने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पद विद्यमान हो। अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में आवेदित पद पर उसका चयन और नियुक्ति हो जाने पर अपने द्वारा धारित पद से कार्यमुक्त होते समय उसे उक्त पद से त्यागपत्र देने को अनिवार्य रूप से कहा जाएगा। उसका आवेदन पत्र भेजते समय उससे इस आशय का प्रमाणपत्र ले लिया जाए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 22 जुलाई, 1980 का का०ज्ञा०सं० 28015/2/80-स्था०(ग)]।

ऊपर पैरा 1(6) में यह व्यवस्था है कि मूल विभाग में दो या तीन वर्षों के लिए धारणाधिकार रखने की अवधि के दौरान संवर्ग बाह्य पद में अधिकारी का वेतन उस पद के वेतनमान में नियत किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में, जहां नए पद का न्यूनतम वेतनमान मूल विभाग में संबंधित व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे ग्रेड/वेतन से काफी अधिक है वित्त मंत्रालय के तारीख 9 मार्च, 1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-10 (24)-ई-III-60 में निर्धारित सीमाएं लागू होंगी। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का परिणाम यह है कि अधिकांश मामलों में नए पद पर अधिकारी का वेतन ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गई सीमाओं के लागू होने के कारण, मूल नियम 35 के अधीन, नए पद के वेतनमान के न्यूनतम से भी नीचे नियत किया जाएगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उन मामलों में भी जहां किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को खुली प्रतियोगिता में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उसके चयन के आधार पर संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है, वेतन के संबंध में पैरा 1 (6) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लागू होंगे।

(3) मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी व्यक्ति की तुलना में, जिसे पद के वेतनमान में वेतन लेने की अनुमति दी जाती है, सरकारी कर्मचारी के वेतन पर प्रतिबंध लगाए जाने से, इन अर्थों में एक विसंगति

उत्पन्न हो जाती है कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में भिन्न मापदण्ड अपनाए जाते हैं। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक अपने आवेदन पत्र के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा में संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, उन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1964 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रतिबंधों को लागू किए बिना पद के वेतनमान में वेतन लेने की अनुमति दी जाएगी।

[भारत सरकार के०से० (कार्मिक विभाग) का ता० 8 नवम्बर, 1972 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/10/72-स्था० (ग)]

3. **विकासशील देशों में सरकारी आधार पर प्रतिनियुक्ति पर धारणाधिकार रखना** :—(1) ऊपर आदेश संख्या (2) में किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में कार्यरत ऐसे स्थायी तथा स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों का धारणाधिकार (लियन) रखने की शर्तें निर्धारित की गई हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों/कार्यालयों में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों अथवा परिपत्रों के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं। यह प्रश्न कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में क्या क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए जो विदेश में नियुक्ति के प्रयोजन से पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं तथा एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में नियुक्ति के लिए चुने जाते हैं, सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय किया गया है कि :—

(i) इस विभाग के विदेश नियुक्ति प्रभाग के माध्यम से सरकार से सरकार के आधार पर एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में की गई प्रतिनियुक्ति को लोक हित में समझा जाए,

(ii) उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट देशों में से किसी एक देश में प्रतिनियुक्ति सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों का धारणाधिकार, जैसा कि मूल नियमों में निर्धारित है, प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए रखा जाए जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उक्त सरकारी कर्मचारी इस विभाग के विदेश नियुक्ति प्रभाग तथा/अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा इस मामले में जारी किए गए /जारी किए जाने वाले अनुदेशों के अध्यधीन या तो भारत सरकार के अधीन अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होगा अथवा भारत में अपने पद से त्याग पत्र देगा,

(iii) जहां तक इन आदेशों के अधीन विदेश में प्रतिनियुक्त किए गए स्थायिवत् तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, वे स्थायीकरण/स्थायिवती आदि के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र बने रहेंगे तथा कुल लगातार सेवा के निर्धारण के लिए विकासशील देशों में उनके द्वारा की गई सेवा की अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि को गिना जाएगा,

(iv) जो सरकारी कर्मचारी खुले विज्ञापनों/स्वयं अपने स्रोतों के माध्यम से विदेशों में रोजगार तलाश करते हैं/प्राप्त करते हैं उनके मामले में विद्यमान अनुदेश उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार देश के भीतर गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू है।

(2) ये अनुदेश "विशेषज्ञ से नीचे" वर्ग (गैर स्नातक आदि) के कार्मिकों पर लागू नहीं होते हैं।

(3) ये अनुदेश भारत सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों (रेल मंत्रालय तथा रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों, केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा आदि के सदस्यों सहित) के कर्मचारियों पर लागू हैं।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 1 अप्रैल, 1981 का का०ज्ञा०सं० 28017/1/81-स्था० (ग)]

4. **राज्य सरकारों के अधीन रोजगार प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में मूल विभाग में धारणाधिकार को बनाए रखना** (1) :—यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में क्या क्रियाविधि अपनाई जाए जो राज्य लोक सेवा आदेश के परिपत्रों सहित विज्ञापनों या परिपत्र के उत्तर में अपनी निजी इच्छा से राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाए :

(1) आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन तथा बाहरी पदों के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए निर्धारित सीमा के भीतर भेजे जाएं।

(2) अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त होते समय नियमतः के तौर पर त्यागपत्र देने के लिए कहना चाहिए। उनके आवेदन पत्र भेजते समय उनसे इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए कि वे आवेदित पद पर अपना चयन हो जाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे।

(3) स्थायी/और स्थायिवत् कर्मचारियों के मामले में, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी जिन शर्तों पर राज्य सरकार के अधीन पद पर आता है वे शर्तें केन्द्रीय

सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाए। स्थायी सरकारी कर्मचारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के पत्र सं० फा० 1 (56)-ख/68 में दिए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

स्थायी/स्थायिवत् सरकारी कर्मचारी या तो वर्षों की अवधि के भीतर मूल विभाग/कार्यालय में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे या उक्त अवधि के समाप्त होने पर मूल विभाग/कार्यालय से त्यागपत्र दे देंगे। स्थायिवत् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन मूल विभागों में उनके द्वारा धारित पदों पर दो वर्ष के भीतर या दो वर्षों की समाप्ति पर प्रत्यावर्तित होने की अनुमति दी जाएगी जबकि उनके द्वारा धारित पद उनके प्रत्यावर्तित होने की तारीख तक लगातार बना रहा हो और यदि वे मूल विभाग/कार्यालय में अन्ततः स्थायी हो जाते हैं तो राज्य सरकार में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदानों का दायित्व यदि नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के रूप में समझी जाती है, तो उक्त (राज्य) सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या स्वयं स्थायिवत् सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। स्थायी/स्थायिवत् सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजते समय उनसे इन शर्तों का पालन करने सम्बन्धी वचन-पत्र ले लिया जाए।

(4) ऐसे अपवादात्मक मामलों में, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करने में राज्य सरकार को प्रशासनिक कारणों से कुछ समय लगे उनमें स्थायी/स्थायिवत सरकारी कर्मचारियों को और एक वर्ष के लिए अपना धारणाधिकार/स्थायिवत् हैसियत बनाए रखने की अनुमति दी जाए। ऐसी अनुमति देते समय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से उपर्युक्त उप पैरा (3) में दिए अनुसार एक और वचन पत्र पुनः ले लिया जाए।

(5) ऊपर उल्लिखित दो या तीन वर्ष की अवधि के दौरान संवर्ग बाह्य पद में सरकारी कर्मचारी का वेतन उक्त पद के वेतनमान में नियत किया जाएगा और वह, जिन मामलों में नए पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल विभाग/कार्यालय में उसके ग्रेड के वेतन से बहुत काफी अधिक हो उनमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1964 के का० ज्ञा० सं० एफ० 10(24)-ई III/60 में निर्धारित सीमाओं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए/किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगा। ये आदेश केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्यों के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन भी होंगे। फिर भी, जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगिता में अपने आवेदन पत्र के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए चुने जाते हैं उनमें उन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1964 के का० ज्ञा० सं० में निर्धारित प्रतिबन्धों को लागू किए बिना पद के वेतनमान में वेतन लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(6) इन आदेशों के अधीन राज्य सरकारों में जाने वाले अस्थायी/स्थायिवत् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए छुट्टी अग्रेनीत करने या किन्हीं सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाओं को देने का दायित्व इस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वीकार नहीं करेगी।

(2) ये आदेश रेलवे मंत्रालय और रक्षा सेवाओं के सिविलियनों को छोड़कर भारत सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदस्य भी अपने सम्बन्ध में अब तक अपनाई गई पद्धति के अधिक्रमण में इन अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

(3) सम्बन्धित राज्य सरकार को आवेदन पत्र भेजते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उन्हें राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति इस निर्णय में दी गई शर्तों पर दी जाएगी।

[भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का दिनांक 6 मार्च, 1974 का का०ज्ञा०सं० 8/4/70-स्था० (ग)]।

मूल नियम 14 (क) यदि कोई सरकारी सेवक,

(1) सावधिक पद पर, अथवा

[1](2) विलोपित

(3) अनन्तिम रूप से, ऐसे पद पर जिस पर, यदि उसका धारणाधिकार इस नियम के अधीन निलम्बित न किया गया होता तो, कोई अन्य सरकारी सेवक धारणाधिकार रखता, अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस स्थायी पद पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार, जिसे वह अधिष्ठायी रूप से धारण करता है, निलम्बित करेंगे।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 12 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ 2(2)-ई० iv(क)/65 द्वारा विलोपित किया गया। यह 22 अप्रैल, 1967 से प्रभावी हुई है।

(ख) राष्ट्रपति अपने विकल्प पर, उस स्थायी पद पर सरकारी सेवक के धारणाधिकार को, जिसको वह अधिष्ठायी रूप से धारण करता है, उस दशा में निलम्बित कर सकेंगे जब कि वह भारत से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, या अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है, या उन परिस्थितियों में जो इस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आती हैं, [1](स्थानापन्न हैसियत में किसी अन्य काडर के किसी पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है), और यदि इन दशाओं में से किसी में यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस पद पर उसका धारणाधिकार है उससे वह तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुपस्थित रहेगा।

(ग) इस नियम के खण्ड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, सावधिक पद पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार किन्हीं भी परिस्थितियों में निलम्बित नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त हो जाता है तो सावधिक पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त कर देना होगा।

(घ) यदि किसी पद पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार इस नियम के खण्ड (क) या (ख) के अधीन निलम्बित कर दिया जाए तो वह पद अधिष्ठायी रूप से भरा जा सकेगा और वह सरकारी सेवक जो उसे अधिष्ठायी रूप से धारण करने के लिए नियुक्त किया जाए, उस पर धारणाधिकार अर्जित करेगा, परन्तु निलम्बित धारणाधिकार के पुनर्जीवित होते ही यह व्यवस्था उलट दी जाएगी।

टिप्पण—1 यह खण्ड काडर के प्रवर ग्रेड के पद पर भी लागू होगा।

टिप्पण—2 जब कोई पद इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप से भरा जाए तो वह नियुक्ति अनंतिम प्रकृति की कहलाएगी। नियुक्त किया गया सरकारी सेवक उस पद पर अनंतिम धारणाधिकार रखेगा और धारणाधिकार इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन नहीं बल्कि खण्ड (क) के अधीन होगा।

(ङ) सरकारी सेवक का वह धारणाधिकार, जो इस नियम के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया गया है, उसका उस खण्ड के उपखण्ड [1] (1) या (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार के पद पर धारणाधिकार रखना समाप्त होते ही, पुनर्जीवित हो जाएगा।

(च) सरकारी सेवक का वह धारणाधिकार जो इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन निलम्बित किया गया है, उसका भारत से बाहर प्रतिनियोजित रहना या अन्यत्र सेवा पर रहना, या किसी अन्य काडर में पद का धारण करना समाप्त होते ही पुनर्जीवित हो जाएगा। परन्तु निलम्बित धारणाधिकार सरकारी सेवक के छुट्टी लेने के कारण उस दशा में पुनर्जीवित न होगा जब कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि छुट्टी से लौटने पर वह भारत के बाहर प्रतिनियोजन पर रहेगा या अन्यत्र सेवा पर रहेगा, या किसी अन्य काडर में पद धारण करेगा और कर्तव्य पर से अनुपस्थिति की कुल कालावधि तीन वर्ष से कम ही न होगी और/या कि वह खण्ड (क) के उपखण्ड [2] (1) या (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का कोई पद अधिष्ठायी रूप से धारण करेगा।

भारत सरकार के आदेश

1. **तीन वर्षों के भीतर अधिवर्षिता के मामले में धारणाधिकार के निलम्बन का सहारा न लिया जाना** :—जब यह ज्ञात हो कि सरकारी कर्मचारी अपने संवर्ग के बाहर के पद पर अपने स्थानान्तरण के तीन वर्षों के भीतर अधिवार्षिकी पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाला है तो स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार निलम्बित नहीं हो सकता।

[बम्बई सरकार को भारत सरकार, वित्त विभाग का ता० 29 जुलाई, 1938 का पत्र संख्या फा० 12(16)-आर. 1/38]

2. **"एकल पद" पर केवल एक अनंतिम अधिष्ठायी नियुक्ति** :—मूल नियम 14 के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह संभव है कि एकल पद के लिए अनंतिम रूप से अधिष्ठायी हैसियत में एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं क्योंकि अपने अनंतिम अधिष्ठायी पद पर सरकारी सेवक के पद को, अन्य पद पर उसकी नियुक्ति होने की स्थिति में उसके वेतन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए "अधिष्ठायी वेतन" माना जा रहा है इसलिए मौजूदा नियम इस प्रकार नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को अनाभिप्रेत लाभ प्रदान करता है। अतः यह निश्चय किया गया है कि मूल नियम 14 के प्रवर्तन को तत्काल इस प्रकार प्रतिबन्धित कर दिया जाए जिससे कि एक पद के लिए केवल एक अन्तिम अधिष्ठायी नियुक्ति की अनुमति हो। तदनुसार, सरकारी

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 12 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ़० 2(2)-ई०IV (क)/65 द्वारा यथासंशोधित। यह 22 अप्रैल, 1967 से प्रभावी हुई है।

[2] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 3 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)-ई-IV/(क)/65 द्वारा यथासंशोधित।

कर्मचारी द्वारा मूल नियम 14 के खण्ड (घ) के अधीन, अन्तिम अधिष्ठायी हैसियत में उसकी नियुक्ति पर प्राप्त किया धारणाधिकार भविष्य में उसके शासन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने या उक्त नियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी पद पर उसे स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति में निलम्बित न किया जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 15 मार्च, 1955 का०ज्ञा०सं० 11(2)-स्थापना-IV/54]

लेखा परीक्षा अनुदेश

सरकारी कर्मचारी के जिस धारणाधिकार को मूल नियम 14 (ख) के अधीन निलम्बित कर दिया जाता है, जब वह सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला जाता है तो उसे मूल नियम 14 (च) के अधीन पुनर्जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान वह ऐसी अन्तिम अधिष्ठायी नियुक्तियां करे जैसी कि वह उचित समझे।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुन: मुद्रित) में शुद्धि संख्या 37]

मूल नियम 14-क :—(क) इस नियम के खण्ड (ग) तथा (घ) से तथा नियम 97 में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी पद पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार, किन्हीं भी परिस्थितियों में, उसकी सहमति से समाप्त नहीं किया जा सकेगा, यदि उसका परिणाम यह होता हो कि उसे किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार या निलम्बित धारणाधिकार के बिना रहना पड़ेगा।

[1](ख) विलोपित

(ग) नियम 14 (क) के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी स्थायी पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले सरकारी सेवक का धारणाधिकार नियम 86 या तत्समान अन्य नियमों के अधीन अनिवार्य निवृत्ति की तारीख के पश्चात् दी गई अस्वीकृत छुट्टी पर चले जाने पर, नियम 97 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट पदों में से किसी पर या लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त होने पर [2][या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति होने पर समाप्त कर दिया जाएगा]।

[3](घ) किसी पद पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार उस काडर से, जिस पर वह है, बाहर के स्थायी पद पर (चाहे केन्द्रीय सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन) पर धारणाधिकार अर्जित करने पर समाप्त हो जाएगा।

भारत सरकार के आदेश

बाह्य सेवा के नियोजक द्वारा स्थायी रूप से आमेलित कर लिए जाने की हालत में बाह्य सेवा पर गये स्थायी सरकारी कर्मचारी के धारणाधिकार का समाप्त होना :—मूल नियमावली के नियम 14 क(क) में यह व्यवस्था है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार किसी भी पद पर किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता है चाहे इसके लिए उसने अपनी सहमति ही क्यों न दी हो, यदि उसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी का किसी भी स्थायी पद पर धारणाधिकार न रहता हो अथवा निलम्बित हो जाता हो।

यह प्रश्न उठाया गया है कि जो स्थायी सरकारी कर्मचारी बाह्य सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है और बाद में बाह्य सेवा के नियोजक द्वारा अपनी सेवा में आमेलित कर लिया जाता है उसके मामले में उसके धारणाधिकार को समाप्त करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनायी जाए।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 14क तब तक लागू होता है जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में बना रहता है। जिस सरकारी कर्मचारी को सरकार के ही किसी अन्य पद पर स्थायी घोषित किया जाता हो, उसके मामले में धारणाधिकार (लियन) को समाप्त करने के लिए उससे सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में नहीं रहता है तो उस हालत में ऐसी सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। जिस सरकारी कर्मचारी को लोकहित में गैर सरकारी सेवा में आमेलित कर लेने का प्रस्ताव हो, उस मामले में उचित तरीका यह होगा कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को उस तारीख से सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने को कहा जाए जिस तारीख से वह गैर-सरकारी सेवा में स्थायी रूप से आमेलित कर लिया जाता है और इस प्रकार सरकारी सेवा से अलग हो जाने से उसका धारणाधिकार स्वत: ही समाप्त हो जाएगा।

सरकारी सेवा से इस प्रकार के त्याग पत्र से, सेवा-निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी की हकदारी

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 12 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)/ई-IV(क)/65 द्वारा विलोपित किया गया। यह 22 अप्रैल, 1967 से प्रभावी है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 24 मार्च, 1966 की अधिसूचना सं० एफ० 2(क)/ई-IV(क)/65 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 12 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना सं० एफ० 2(2)ई-IV(क)/65 द्वारा संशोधित। यह 22 अप्रैल से प्रभावी है।

पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी निगमों में यह स्थानान्तरण लोक हित में किया गया हो ।

फिर भी, यदि किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37 के कारण सेवानिवृत्त हुआ माना जाता है तो औपचारिक त्यागपत्र मांगना आवश्यक नहीं होगा ।

ऐसे सभी मामलों में, जिनमें बाह्य नियोजक अपने संगठन में किसी सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से खपाना चाहते हों बाह्य नियोजक के लिए यह आवश्यक होगा कि सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा में स्थायी रूप से खपाये जाने के आदेश जारी करने से पूर्व, उसके मूल नियोजक से परामर्श करे । सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही तथा इसके अस्वीकार होने की तारीख से ही स्थायी रूप से खपाए जाने के आदेश जारी किए जाने चाहिए ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का ता० 1 अक्तूबर, 1963 का का०ज्ञा०सं० एफ० 4(3)-ई०IV(क)/73 तथा 22 अप्रैल, 1974 का 2(1)-ई० IV(क)/73]

मूल नियम 14—ख :—नियम 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति ऐसे सरकारी सेवक के धारणाधिकार को, जो कि उस पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे कि वह धारणाधिकार सम्बन्धित है उसी काडर के दूसरे पद को स्थानान्तरित कर सकता है, भले ही वह धारणाधिकार निलम्बित ही क्यों न हो ।

मूल नियम 15 :—(क) राष्ट्रपति सरकारी सेवक को एक पद से किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर सकता है :

परन्तु सरकारी सेवक को—

(1) अदक्षता या कदाचार के कारण, या

(2) उसके लिखित प्रार्थना पत्र,

(क) सिवाए किसी पद पर, जिसका वेतन उस स्थायी पद के वेतन से कम हो, जिस पर उसका धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार नियम 14 के अधीन निलम्बित न कर दिया गया होता, अधिष्ठायी रूप से अस्थानान्तरित या सिवाए उस मामले के जो नियम 49 के अन्तर्गत आता है, उसे स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(ख) इस नियम के खण्ड (क) या नियम 9 के खण्ड (13) की कोई बात इस प्रकार प्रवर्तित न होगी कि वह सरकारी सेवक का उस पद पर पुनः स्थानान्तरण निवारित करे, जिस पर उसका धारणाधिकार होता, यदि यह नियम 14 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित न हुआ होता ।

भारत सरकार के आदेश

1. स्थानान्तरण/पदावनति होने की स्थिति में नए पद में धारणाधिकार प्रदान करने के लिए अधिसंख्यक पद का सृजन करना :—मूल नियम 15(क) में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, सरकारी सेवक को किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर सकता है परन्तु ऐसे सरकारी सेवक को अदक्षता या कदाचार के कारण के सिवाए, किसी ऐसे पद पर, जिसका वेतन उस स्थायी पद के वेतन से कम हो जिसका उस पर धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार नियम 14 के अधीन निलम्बित न कर दिया गया होता, अधिष्ठायी रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद, अथवा निम्न समय वेतनमान में पदावनति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली में निर्धारित शास्तियों में से एक है जिसे सुदृढ़ पर्याप्त कारणों के रहते हुए इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकती है ।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या निम्न सेवा/ग्रेड/समय वेतनमान आदि में वह स्थायी पद जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को स्थानान्तरित/पदावनत किया जाता है उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को नए पद पर धारणाधिकार प्रदान करने के लिए उस सेवा/ग्रेड/समय वेतनमान में एक अधिसंख्यक पद सृजित किया जा सकता है ।

यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित व्यक्ति को धारणाधिकार प्रदान करने के लिए उस सेवा/ग्रेड/समय वेतनमान इत्यादि में, ऐसा एक पद सृजित करना उपयुक्त होगा ।

इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब किसी सरकारी कर्मचारी से पदावनति से कोई स्थायी पद रिक्त हो जाता है तो इस पद को पदावनति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व अधिष्ठायी रूप से नहीं भरा जाना चाहिए ।

जब एक वर्ष की समाप्ति पर ऐसा पद अधिष्ठायी रूप से भरा जाता है तथा उसके बाद मूल पदधारक को बहाल कर दिया जाता है जो उसे उस ग्रेड में, जिससे कि उसका पूर्व अधिष्ठायी पद संबंधित था, अधिष्ठायी रूप से रिक्त होने वाले पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए । रिक्त पद के अभाव में, उसे एक ऐसे अधिसंख्यक पद पर नियुक्त किया जाए जो उचित मंजूरी सहित सृजित किया जाए तथा उस ग्रेड में किसी अधिष्ठायी पद के रिक्त होने की स्थिति में, समाप्त कर दिया जाए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 29 अगस्त, 1960 तथा 2 अगस्त, 1962 का का०ज्ञा०सं० फा० 9(3)-ई० IV(क)/60] ।

मूल नियम 16—सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह भविष्य निधि, कुटुंब पेंशन निधि या अन्य ऐसी ही निधि में, ऐसे नियमों के अनुसार अभिदाय करे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करें।

मूल नियम 17—(1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए किन्हीं अपवादों और उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिकारी किसी पद की अपनी अवधि के वेतन और भत्तों का लेना इस तारीख से प्रारंभ करेगा जिसको कि वह उस पद के कर्तव्य को सभां लेगा और उनको उस समय से बन्द कर देगा जब वह उन कर्तव्यों का निर्वहन बन्द कर दें :

*[1]परन्तु ऐसा अधिकारी, जो बिना किसी प्राधिकार के कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी वेतन या भत्ते का हकदार न होगा।

2. वह तारीख, जिससे कि विदेश में भर्ती किया गया व्यक्ति प्रथम नियुक्ति पर वेतन लेना प्रारम्भ करेगा, उस प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों से जिसके द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है, अवधारित की जाएगी।

लेखा परीक्षा अनुदेश

सरकारी सेवक किसी पद की अपनी सेवा अवधि से सम्बन्धित वेतन तथा भत्तों का लेना उस तारीख से प्रारम्भ करेगा जिस तारीख को वह उस पद के कर्तव्यों को सम्भालता है, बशर्ते कि कार्यभार उस तारीख को पूर्वाह्न में हस्तान्तरित किया जाए। यदि कार्यभार अपराह्न में हस्तान्तरित होता है, तो वह उन्हें अगले दिन से लेना प्रारम्भ करता है। किन्तु यह नियम उन मामलों में लागू नहीं होता जिनमें किसी सरकारी सेवक को दिन के केवल किसी भाग में किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उच्चतर दर पर भुगतान करने की मान्य प्रथा हो।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनः मुद्रित), खण्ड 1, अध्याय III—पैरा-1]

*2. **मूल नियम 17-क केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 27 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को निम्नलिखित स्थितियों में :—**

(i) **औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में, ऐसी हडताल के दौरान जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबन्धों अथवा ऐसे किसी अन्य कानून के अधीन जो उस समय लागू हो गैर कानूनी घोषित की गई हो ;**

(ii) **अन्य कर्मचारियों के मामले में, अन्य किसी प्राधिकार अथवा सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने वाले वैध कारणों के संयुक्त अथवा संगठित रूप से कार्य करने के परिणामस्वरुप, जैसी हडताल के दौरान ;**

(iii) **अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अथवा पद का परित्याग करने वाले विशेष कर्मचारी के मामले में :**

छुट्टी यात्रा रियायत, स्थायिवता तथा विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता, जिसके लिए कि लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि अपेक्षित होती है, कर्मचारी को सेवा में विच्छेद अथवा व्यवधान माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्णय न किया जाए।

स्पष्टीकरण I—इस नियम के प्रयोजन के लिए, हडताल में सामान्य सांकेतिक सहानुभूति सूचक अथवा इसी तरह की कोई अन्य हडताल तथा बन्द अथवा इसी तरह के कियाकलापों में भाग लेना शामिल है।

*[3]**स्पष्टीकरण II—इस नियम में सक्षम प्राधिकारी का अभिप्राय नियुक्ति प्राधिकारी से है।**

भारत सरकार के आदेश

दण्डात्मक प्रावधानों का सहारा लेने से पहले समुचित अवसर दिया जाए—(1) मूल नियम 17-क में यह व्यवस्था विद्यमान है कि इस नियम में उल्लिखित श्रेणी के मामलों में किसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को कर्मचारी की सेवा में बाधा अथवा सेवा विच्छेद माना जाएगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछेक प्रयोजनों के लिए, अन्यथा कोई निर्णय न लिया गया हो। डाक और तार प्राधिकारियों द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों के मामले में मूल नियम 17-क का आश्रय लेते हुए पारित किए गए एक आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने अथवा यदि वह चाहे तो उसे रुबरु सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना ऐसा आदेश जारी करना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल होगा। मूल नियम 17-क केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 28 और अनुपूरक नियम 200 को संशोधित करने का प्रश्न, विधि मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

(2) उपर्युक्त स्थिति सभी मंत्रालय/विभागों के ध्यान में लाई जाती है ताकि मूल नियम 17-क इत्यादि का आश्रय लेने का मौका आने पर वे कार्यविधि संबंधी इस अपेक्षा को ध्यान में रखे कि मूल नियम 17-क

*1. भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तारीख 26 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या 1 (12)एफ-iii (क) 65 द्वारा अन्तर्विष्ट।

*2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की ता० 16 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना सं० 33011/3/75-स्था०(बी०) द्वारा अन्तर्विष्ट और यह 26 जुलाई, 1965 से लागू है।

*3. [(भारत सरकार, गृह मंत्रालय) (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 30 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 33011/20(5)/84 स्था०(ख) (खण्ड-ii) द्वारा अन्तर्विष्ट।]

इत्यादि के अन्तर्गत कोई आदेश पारित करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और यदि वह चाहे तो स्वतः सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।

2. [भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 2 मई, 1985 का का० ज्ञा० सं० 33011/2(फ०) 84-स्थापना (ख)]

महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश

1. पेंशन के प्रयोजन के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति को माफ करना।--समय समय पर इस आशय के आदेश जारी किए गए है कि सामूहिक रूप में कार्य करते हुए कर्मचारियों के समूह द्वारा सम्मिलित कार्रवाई के अनुसरण में अनधिकृत अनुपस्थिति को अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में ही माना जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान हो जाएगा। मूल नियम 17-क को लागू किया गया है जिसमें ऐसी अशक्तताओं का उल्लेख है जो कि सेवा में व्यवधान के कारण उत्पन्न होगी, प्रायोजन के लिए यह भी निर्धारित किया जाता है कि यद्यपि सेवा में व्यवधान को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 27 के अधीन पूर्ववर्ती सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए माफ किया जा सकता है फिर भी अन्य अशक्तताओं में छूट देने के प्रस्ताव सर्किलों/जिलों के प्रधान की सिफारिशों के साथ डाक व तार बोर्ड को उसके लिए विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। यह देखा गया है कि सम्मिलित कारवाई के परिणामस्वरूप अनधिकृत अनुपस्थिति के कुछ मामलों में कुछ नियुक्ति प्राधिकारियों ने पूर्ववर्ती सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान को पेंशन नियमावली के नियम 27 के अधीन माफ नहीं किया जिससे कि अधिकारियों की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। इस सम्बन्ध में इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पेंशन के प्रयोजन के लिए और मूल नियम 17-क में दी गई अन्य अशक्तताओं के प्रायोजन के लिए जिनके सम्बन्ध मे डाक व तार निदेशालय को भेजा जाना आवश्यक है व्यवधान को माफ करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले सिद्धान्त भिन्न भिन्न है। डाक व तार बोर्ड द्वारा सेवा में व्यवधान को छुट्टी यात्रा रियायत, स्थायिकता और विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के प्रयोजन के लिए माफ नही किया गया है। इस तथ्य से पेंशन के प्रयोजन के लिए अधिकारियों की पिछली सेवा की गणना करने के लिए व्यवधान को माफ करने के प्रश्न का निर्णय करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा और न पड़ना ही चाहिए सरकार की यह मंशा नही है कि सेवा में व्यवधान के सभी मामलों में कर्मचारी को पेंशन सम्बन्धी लाभों से वंचित रखा जाएं। यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा में व्यवधान को अपने विवेक पर पेंशन के सभी प्रयोजन के लिए केवल आपवादिक या गंभीर परिस्थितियों में ही माफ करेगा आमतौर पर नही। पेंशन नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान को माफ करने के प्रश्न पर प्रभावित अधिकारियों से अभ्यावेदन की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही विचार किया जा सकता है और आदेश जारी किए जा सकते है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। अनुरोध है कि ये अनुदेश सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उनकी सूचना और मार्गनिर्देशन के लिए लाए जाए।

[महा निदेशक, डाक व तार का दिनांक 23 सितम्बर, 1983 का पत्र संख्या 14/12/82-सतर्कता-III.]

2. अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :---व्यवधानों और सहवर्ती अशक्तताओं को माफ करने के अभ्यावेदनों पर अभी तक डाक तथा तार बोर्ड की ओर से सदस्य (प्रशासन) द्वारा विचार किया जाता था और निर्णय लिया जाता था। मामले की दोबारा जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि सेवा में ऐसे व्यवधान को माफ करने के अभ्यावेदनों पर परिमण्डलों के ऐसे अध्यक्षों द्वारा निर्णय किया जा सकता है जिन्हें अनु०नि० 2 (10) के अधीन विभाग अध्यक्षों की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। (नियुक्ति प्राधिकारी के और आगे, प्रत्यायोजन के लिए यथा संशोधित स्पष्टीकरण 2 देखें) ऐसे अभ्यावेदनों पर पक्ष में या विपक्ष में निर्णय करते समय निम्नलिखित मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखा जाए :---

(i) सेवा में व्यवधान के किसी भी मामले पर नर्मी ढंग से विचार नही करना चाहिए। सेवा में व्यवधान को उक्त अनुपस्थिति के बारे में सम्बन्धित कर्मचारी से औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए बिना माफ नही किया जाएगा।

(ii) अनुपस्थित व्यक्ति अपने अभ्यावेदन में इस आश्वासन के साथ अलिखित खेद व्यक्त करे कि वह भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करेगा।

(iii) ऐसी क्षमायाचना प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी माफी की प्रार्थना पर निर्णय करने से पहले कुछ समय के लिए यचिकादाता के कार्य और आचरण पर निगाह भी रख सकता है।

(iv) ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए किसी बाहरी तत्व से वास्तव में काफी उत्तेजना हुई थी।

(v) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टाफ के सदस्यों द्वारा ध्यान में लाई गयी किसी वास्तविक शिकायत के प्रति कतिपय रूखाई

या उदासीनता दिखायी थी जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी अप्राधिकृत छुट्टी हुई थी।

(संदेहास्पद मामलों में, परिमण्डल अध्यक्ष दूसरे परिमण्डल अध्यक्षों से गुप्त रूप में परामर्श कर सकते हैं। ताकि कुछ सीमा तक एकरूपता लाई जा सके।)

(vi) सेवा में व्यवधान माफ न करने से पेंशन नियमावली के नियम 27 के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान माफ न करने का मार्गदर्शी तथ्य नहीं मानना चाहिए।

पहले, यह उल्लेख किया गया था कि हड़ताल हड़ताल है चाहे वह पांच मिनट के लिए ही हो। अवधि असंगत है। यद्यपि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुछ मिनट की हड़ताल केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 7 के प्रयोजन के लिए हड़ताल है फिर भी यदि अनुपस्थिति की अवधि कम है तो उक्त शर्तों के अध्याधीन व्यवधान को माफ करने के लिए परिमण्डल अध्यक्षों को अपने निर्णय पर जमे रहना आवश्यक नहीं है।

उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रकृति मात्र निर्देशनात्मक है, और वे पूर्ण और विस्तृत नहीं है तथा उनके माध्यम से केवल व्यापक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिनके सहारे विभागाध्यक्ष ऐसे अभ्यावेदनों का निर्णय करने में समर्थ हो सकें। सभी लम्बित तथा भावी अभ्यावेदनों का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने निजी गुणावगुण आधार पर तथा ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाए।

(महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 23 अप्रैल, 1983 का पत्र सं० 14/12/82-सतर्कता-III)

मूल नियम 17—क के अधीन दक्षतारोध, पदोन्नति और विशेष वेतन भत्तों के सम्बन्ध में अयोग्यता का न होना—

(1) सेवा संघों ने सूचित किया है कि वे जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मूल नियम-17-क के अधीन आदेश जारी किये है उन्हें दक्षतारोध पार करने की अनुमति नहीं दी गयी है। इन संघों के अनुसार बहुत से परिमण्डलों में पदोन्नतियां अवरुद्ध हो गई हैं और विशेष वेतन और विशेष भत्ते भी वापस ले लिए गए हैं।

(2) इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि जहां तक दक्षतारोध पार करने का सम्बन्ध है मूल नियम 17-क के अधीन अयोग्यता कर्मचारी के रास्ते में न आए अगर अन्यथा वह दक्षतारोध पार करने के लिए उपयुक्त ठहराया जाता है। विशेष वेतन और विशेष भत्ते मात्र इस आधार पर वापस नहीं लिए जाने चाहिए कि मूल नियम 17 क का सहारा लिया गया है।

(3) मूल नियम 17-क के अधीन सेवा में व्यवधान या विच्छेद सम्बन्धी निम्न अयोग्यताएं है :—

छुट्टी यात्रा रियायत;

स्थायीवता; और

विभागीय परीक्षाओं में बैठने की पात्रता,

जिनके लिए लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि अपेक्षित है।

(4) कर्मचारियों की पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किए जाने और/या विभागीय परीक्षाएं पास करने पर हो सकती है। यदि, किसी कर्मचारी के मामले में पदोन्नति अर्हक परीक्षा पास करने पर निर्भर करती है जिसके लिए लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है और उसके मामले में मूल नियम 17-क का सहारा लिया गया है तो उसकी पदोन्नति पर परोक्ष प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि विभागिय पदोन्नति समिति और विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से हुई पदोन्नति में कुछ समरूपताएं हैं फिर भी, यह आशय नहीं है कि मूल नियम 17-क के अधीन सेवा में विच्छेद सामान्य विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से हुई पदोन्नति पर प्रभाव डाले।

(भारत सरकार, डाक तार विभाग का दिनांक 19 अगस्त, 1986 का पत्र सं० 137-17/85-एस०पी०बी-II)।

[1] मूल नियम 18—जब तक कि राष्ट्रपति मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी।

भारत सरकार के आदेश

1. **ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने की ऐसी अवधि को क्या माना जाए जो नियमित न की गई हो—** ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति, यद्यपि स्वीकृत छुट्टी के भीतर नहीं आती है परन्तु इस से धारणाधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। स्वीकृत छुट्टी के भीतर न आने वाली अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों अर्थात् वेतनवृद्धि, छुट्टी तथा पेंशन के लिए अकार्य दिवस के रूप में मानी जाएगी। बिना छुट्टी की ऐसी अनुपस्थिति को जब यह अकेली हो तथा अनुपस्थिति की किसी प्राधिकृत छुट्टी के साथ न हो, पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में व्यवधान माना जाएगा और जब तक पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी सिविल सेवा विनियम (अब केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का नियम (27) के अनुच्छेद 421 के अधीन ऐसी अवधि को बिना भत्तों के छुट्टी के रूप में माने जाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, सम्पूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी।

(भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की मिसिल संख्या 11(62)-ई V 58 में लिखित नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का तारीख 12-सितम्बर, 1958 का यू०ओ० सं०-1947-क438-58)।

---

[1]. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 31 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ-16(4)-ई०IV (क) 71—II द्वारा प्रतिस्थापित। यह 23 अक्तूबर, 1971 से प्रभावी है।

भाग—III

अध्याय 4

वेतन

[1]मूल नियम 19—नियम 9(23) (क) में परिभाषित परिस्थितियों में मंजूर किए गए वैयक्तिक वेतन की दशा में के सिवाय, किसी सरकारी सेवक का वेतन उस प्राधिकारी की मंजूरी के बिना जो उसी काडर में ऐसा पद सृजन करने के लिए सक्षम है जिसका वेतन उस उतना है जितना कि बढ़ाए जाने पर उक्त सेवक का हो जाएगा, इतना नहीं बढ़ाया जाएगा कि वह उस वेतन से अधिक हो जाए जो कि उसके पद के लिए मंजूर है।

लेखा परीक्षा अनुदेश

मूल नियम 19 का आशय यह नहीं है कि मूल नियम 22 तथा 23 के अधीन अनुज्ञेय वेतन से कम वेतन मंजूर करने की केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की जाए।

[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुनः मुद्रित) का पैरा 1 अध्याय IV खण्ड I]

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का निर्णय

इस नियम से केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती कि वह मूल नियमों में अन्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन से अधिक मंजूर कर दे। इस प्रकार यह नियम केन्द्रीय सरकार को उससे उच्चतर आरम्भिक वेतन मंजूर करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जो कि मूल नियम 22 के अधीन अनुज्ञेय है, किन्तु यदि मूल नियम 22 के अधीन प्रारंभिक वेतन एक बार नियत कर दिया जाता है तो मूल नियम 27 द्वारा उस प्राधिकारी को जिसका उल्लेख इसी नियम में किया गया है, तत्काल अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर करने का प्राधिकार मिल जाता है। अतः वास्तव में मूल नियम 22 तथा 27 दोनों एक साथ मिलकर मूल नियम 27 में निर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी को केवल मूल नियम 22 द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक आरम्भिक वेतन मंजूर करने का अधिकार प्रदान करती है।

(महालेखापरीक्षक का तारीख 20 नवम्बर, 1923 का आदेश संख्या 1164-ए-408-23)।

मूल नियम 20—नियम 9(6) (ख) के अधीन कर्त्तव्य के रूप में मानी गई किसी अवधि के बारे में सरकारी सेवक को ऐसा वेतन दिया जा सकेगा जैसा सरकार साम्यपूर्ण समझे किन्तु किसी भी दशा में वह उस वेतन से अधिक न होगा जो कि वह सरकारी सेवक नियम 9 (6) (ख) के अधीन कर्तव्य से भिन्न किसी कर्त्तव्य पर होने की दशा में लेता।

भारत सरकार के आदेश

उन सरकारी सेवकों के मामले में जो इण्डियन फ्लीट रिजर्व अथवा सेना /वायुसेना के रिजर्व सदस्य हैं :—

सिविल नौकरी में होने वाले भारतीय सेना के रिजर्व सैनिक को जब आवधिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो वह सैन्य वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा। वह अपने सैन्य वेतन से अधिक मिलने वाला सिविल वेतन, यदि कोई हो प्राप्त करेगा, बशर्ते कि यह रियायत विशेष रूप से भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, जिन में रिजर्व सैनिक नौकरी में अपनी सिविल हैसियत में कार्य कर रहा है, द्वारा मंजूर की गयी हो। उन मामलों को छोड़कर जिनमें रिजर्व सैनिक का सिविल वेतन रक्षा प्राक्कलनों से पूरा किया जाता है, किया गया अतिरिक्त व्यय रक्षा प्राक्कलनों से नहीं लिया जाएगा।

प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण स्थल पर आने-जाने में व्यतीत हुआ समय सिविल छुट्टी, तथा सिविल वेतन की वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा।

(भारत सरकार, वित्त विभाग का ता० 14 अप्रैल, 1932 की संख्या एफ 22-आर०आई०/32 तथा जी०आई०डब्ल्यू०डी०) नौसेना शाखा का तारीख 1 अक्तूबर, 1942 का पत्र संख्या पी०एस०/11110 नौसेना मुख्यालय, भारत सरकार, वित्त विभाग का तारीख 3 नवम्बर, 1942 का पृष्ठांकन संख्या डी-2504 आर० आई०/42 के अधीन प्राप्त हुई प्रति)।

सिविल सरकारी नौकरी में इण्डियन फ्लीट रिजर्व के रिजर्व सैनिक को जब आवधिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो वह नौसेना वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा। वह अपने नौसेना वेतन से अधिक मिलने वाला सिविल वेतन यदि कोई हो, प्राप्त करेगा बशर्ते कि यह रियायत भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों अथवा सम्बन्धित राज्य

[1]. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई-IV(क)/70 द्वारा प्रतिस्थापित। यह 6 फरवरी, 1971 से लागू है।

सरकार, जिनमें रिजर्व सैनिक अपनी सिविल हैसियत से कार्य कर रहा है, द्वारा विशेष रूप से मंजूर की गयी हो तथा यह भी कि (उन मामलों को छोड़कर जहां रिजर्व सैनिक का सिविल वेतन नौसेना प्राक्कलनों से पूरा किया जाता है) किया गया अतिरिक्त व्यय नौसेना प्राक्कलनों से नहीं लिया जाएगा ।

प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण स्थल पर आने जाने में व्यतीत हुआ समय सिविल छुट्टी तथा सिविल वेतन की वेतन-वृद्धि के प्रयोजन के लिए ड्यूटी माना जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग के तारीख 6 जून, 1940 की पृष्ठांकन संख्या 2330-व्यय 1/40 के साथ प्राप्त भारत सरकार, रक्षा विभाग (नौसेना शाखा) का ता० 15 मई, 1940 का पत्र संख्या 658-एन० तथा भारत सरकार वित्त विभाग तारीख 3 नवम्बर, 1942 की पृष्ठांकन संख्या डी-2504-आर०/आई०/42 के अधीन भारत सरकार डब्ल्यू०डी० नौसेना शाखा की पत्र संख्या पी०एस०/11110/नौसेना मुख्यालय की प्रति प्राप्त तथा वित्त मंत्रालय (व्यय) का तारीख 4 दिसम्बर, 1973 यू०ओ० संख्या 18(4)-ई-IV(क)/71।]

टिप्पणी:—यह निर्णय किया गया है कि सिविल विभाग में नियुक्त फ्लीट रिजर्व सैनिक को प्रशिक्षण पर बुलाए जाने के परिणामस्वरूप कोई घाटा नहीं होना चाहिए तथा यह कि नौसेना वेतन तथा भत्ते की तुलना में यदि उसे सिविल वेतन में अधिक वेतन मिलता हो तो उसे उक्त अधिक वेतन बढ़ोतरी दिया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का निर्णय नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के तारीख 2 जून, 1953 के यू० ओ० संख्या 773-प्रशासन-II/294-52 में सूचित किया गया।]

ऐसे सरकारी सेवक को, जो भारतीय नौ सेना स्वयं सेवक रिजर्व सैनिक अथवा भारतीय नौसेना रिजर्व सैनिक का सदस्य है, जब प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो, उसके सिविल वेतन का भार लेखा संहिता खण्ड (I) प्रथम संस्करण पांचवा पुनर्मुद्रण) के परिशिष्ट 3 के भाग ख (I) के नियम 6 के सादृश्य पर विनियमित किया जाए ।

[भारत सरकार, डी०एफ० (नौसेना शाखा) का पत्र संख्या 134-एन०, भारत सरकार, एफ० डी० का तारीख 4 फरवरी, 1941 का पृष्ठांकन संख्या डी०-729-डब्ल्यू, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की तारीख 13 फरवरी, 1941 की पृष्ठांकन संख्या 74-ए० सी/34-41 के अधीन प्राप्त प्रतियां तथा वित्त मंत्रालय व्यय का तारीख 4 दिसम्बर, 1973 का यू०ओ० संख्या 18(4)-ई IV (क)/71]

जो सरकारी सेवक इण्डियन फ्लीट रिजर्व सेना या वायु सेना के रिजर्व सदस्य है, उन (रिजर्व अधिकारियों को छोड़कर) के संबंध में, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वेतन तथा भत्ते आदि का जो सिविल प्राक्कलनों से अदा किए जाते है, संरक्षण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । उपर्युक्त आदेश सरकारी सेवक को सिविल हैसियत में लिये गए वेतन पर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रिजर्व सैनिक के रूप में लिए गए वेतन के बीच में केवल अन्तर यदि कोई हो, के संबंध में संरक्षण की अनुमति प्रदान करते हैं । इन सिविल पद अथवा पदों में लिए गए भत्तों के संबंध में भी संरक्षण प्रकल्पित नहीं है । इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि जो केन्द्रीय सरकारी सेवक विभिन्न थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना रिजर्व (रिजर्व अधिकारियों को छोड़कर) के सदस्य है यदि उन्हें आवधिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो ये अपनी सिविल नौकरी के संबंध में निम्नलिखित रियायतों के हकदार होंगे :—

1. सिविल पद में, प्रशिक्षण की पूरी अवधि को, जिसमें मार्गस्थ अवधि शामिल है, छुट्टी, वेतन-वृद्धि तथा पेंशन के प्रयोजनों के लिए भी ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा, यदि इसे थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना नियमों के अधीन सैन्य पेंशन के लिए नहीं गिना गया हो ।

2. मार्गस्थ की अवधि के दौरान, वे अपने सिविल दरों पर वेतन तथा भत्ते जिनकी पूर्ति उस बजट शीर्ष से की जाती है जिसमें ऐसे व्यय सामान्यतः नामें डाले जाते है, पाने के हकदार होंगे । तथापि उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि वे रेल वारन्ट पर यात्रा करेंगे तथा वे खाद्य सामग्री तथा खनिजयुक्त जल के बदले में धन राशि तथा ग्रीष्म कालीन महीनों के दौरान (बर्फीले इलाकों का) बर्फ भत्ता (आइस एलाउन्स) लेंगे ।

(3) प्रशिक्षण की अवधि (मार्गस्थ अवधि को छोड़कर) के लिए, यदि माल के रूप में रियायत (उदाहरणार्थ रिजर्व सैनिक के रूप में अनुज्ञेय मुफ्त खाद्य सामग्री इत्यादि) को छोड़कर वेतन तथा भत्ते सिविल पद पर अनुज्ञेय वेतन तथा भत्तों से कम हो, तो अन्तर का भुगतान किया जाएगा तथा उस बजट शीर्ष में नामे डाला जाएगा जिसमें व्यक्तिविशेष का सिविल वेतन साधारणतः नामे डाला जाता है ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 27 जुलाई, 1957 का का०ज्ञा०सं० 47/3/57-स्था० (क) तथा तारीख 20 जून, 1963 का शुद्धि पत्र संख्या 47/28/63-स्था० (क)।]

2. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किए गए अनुभाग अधिकारियों को अनुज्ञेय वेतन :—यह निर्णय किया गया है कि जो अनुभाग अधिकारी सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त किए जाते है उन्हें ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के लिए, यदि वे इस ग्रेड में स्थायी है तो, अनुभाग

अधिकारी के रूप में अपना ग्रेड वेतन लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जहां तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में अपना स्थानापन्न लेने की अनुमति दी जाए यदि यह प्रमाणित किया जा सके, कि संबंधित अधिकारी को पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए न भेजा गया होता तो वह स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा होता। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र न दिया जा सके, तो उन्हें सहायकों के रूप में अनुज्ञेय वेतन ही लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में अनुभाग अधिकारी के रूप में लगातार स्थानापन्नता के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा यदि अधिकारी अनुभाग अधिकारियों की आर०टी०ई० में शामिल है, दिया जा सकता है तथा सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग में रिक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है। अन्य मामलों में ऐसे प्रमाण-पत्र दिए जाने से पहले गृह मंत्रालय (स्थापना अधिकारियों का कार्यालय) से परामर्श लिया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय तारीख 16 जुलाई, 1961 का कार्यालय ज्ञापन एफ० 1/49/60-सी०एस० (क)]

3. **रक्षा प्रशिक्षण तथा सक्रिय सेवा के दौरान सिविलियन वेतन का संरक्षण देना (क)**: जो सरकारी सेवक सेना अथवा वायु सेना रिजर्व सैनिक अधिकारी है अथवा भारतीय नौसेना तथा भारतीय नौसेना स्वयंसेवक रिजर्व/वायु रक्षा सेना के रिजर्व है; उन्हें अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान जब सक्रिय सेवा के लिए बुलाया जाता है तब उनके वेतन तथा भत्ते इत्यादि, जो सिविल प्राक्कलनों से अदा किया जाता है, को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। लिए गए निर्णयों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

I. प्रशिक्षण के दौरान :

(i) यदि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनकी सिविल नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिकारी देय छुट्टी नहीं लेते है तो उन्हें सिविल अथवा सेवा वेतन तथा भत्ते जो भी अधिक अनुकूल हो, मिलेगा। जहां सिविल वेतन तथा भत्ते उच्चतर हों, तो सिविल वेतन तथा भत्ते तथा सेवा वेतन तथा भत्ते के बीच का अन्तर सम्बन्धित सिविल विभाग/राज्य सरकार से लिया जाना चाहिए।

(ii) तथापि प्रशिक्षण पर जाने के लिए जहां कहीं अधिकारी उनके खाते में जमा छुट्टी चुनते है वहां उन्हें सेवा वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त सिविल छुट्टी वेतन तथा भत्ते दिए जाए।

II. सक्रिय सेवा पद :

सिविल अथवा सैन्य वेतन अथवा भत्ते जो भी अधिक अनुकूल हो तथा जहां सिविल वेतन तथा भत्ते उच्चतर है वहां बीच के अन्तर को सम्बन्धित सिविल विभाग।राज्य सरकार से लिया जाना चाहिए।

III वेतन तथा भत्ते :

(i) प्रशिक्षण की अवधि तथा सक्रिय सूची सेवा (मार्गस्त अवधि सहित) को सिविल पद में छुट्टी, वेतनवृद्धियां तथा पेंशन के प्रयोजन के लिए भी ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा यदि इसे सेना, नौसेना अथवा वायु सेना नियमों के अधीन सैन्य पेंशन के अधीन नही गिना गया हो। यदि सरकारी सेवक ने प्रशिक्षण/मार्गस्त अवधि के दौरान स्वयं छुट्टी ली हो तो प्रशिक्षण तथा मार्गस्थ अवधियों को ड्यूटी के रूप में नही माना जाएगा। ऐसे मामले में सरकारी सेवक को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सेवा वेतन के अतिरिक्त छुट्टी तनख्वाह तथा मार्गस्त अवधि के दौरान केवल सिविल छुट्टी तनख्वाह लेने की अनुमति होगी।

(ii) मार्गस्थ अवधि के दौरान यदि सरकारी सेवक छुट्टी लेता है तो वह जैसा कि ऊपर (i) में दिया गया है, सिविल दरों पर अपना वेतन तथा भत्ते जिनकी पूर्ति उस बजट के शीर्ष से की जानी है जिसमें ऐसे व्यय सामान्यतः नामे डाले जाते है, लेने का हकदार होगा।

(iii) सम्बन्धित केन्द्रीय सिविल विभाग/राज्य के बजट शीर्ष से किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। रक्षा सेवा प्राक्कलनों से निम्नानुसार यात्रा भत्ता देय होगा:—

(क) जब किसी अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो वह अस्थायी ड्यूटी वेतनमान में रेल, सड़क, नदी अथवा समुद्र द्वारा वही यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो विनियमों के अधीन ड्यूटी पर यात्रा करने वाले नियमित अधिकारियों को अनुज्ञेय होता है। ये भत्ते केवल, उस स्थान से जहां वह सिविल पद धारण किए हुए है भारत में उसके स्थायी निवास स्थान से प्रशिक्षण के स्थान तक तथा राज्य पर बिना किसी अतिरिक्त व्यय डाले किसी अन्य स्थान पर वापस लौटने के लिए की गई वास्तविक यात्राओं के लिए देय है। तथा अधिकतम सीमा तक अनुज्ञेय होंगे।

(ख) यदि किसी अधिकारी को सक्रिय सेवा के लिए तथा उसकी सेवा समाप्ति पर भी बुलाया जाता है तो वह ऊपर (क) में दिए अनुसार यात्रा भत्ते पाने का हकदार होगा।

(ग) सक्रिय सेवा के दौरान तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिकारी नियमित अधिकारियों को अनुज्ञेय सवारी भत्ता पाने का हकदार होगा :—

(1) जब वह नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण कमीशन से त्याग पत्र देने को बाध्य हो जाए ।

(2) पदच्युति अथवा सेवा से हटाए जाने पर अथवा पदच्युति से बचने के लिए कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति प्रदान किये जाने पर ।

2. सिविलियन सरकारी सेवकों की उपर्युक्त संगठनों में अपने कार्यग्रहण के सम्बन्ध में अपने साक्षात्कार/डाक्टरी जांच इत्यादि के कारण ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि यह रियायत केवल उन मामलों में अनुज्ञेय है जहां सम्बन्धित सरकारी सेवकों को साक्षात्कार/डाक्टरी जांच इत्यादि के पश्चात अपनी ड्यूटियों में उपस्थित होना संभव न हो यदि सरकारी सेवक साक्षात्कार अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो वह कोई आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार नहीं होगा ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय के ता० 19 मई, 1962 के इसी संख्या के शुद्धिपत्र संख्या फा० 47/7/61-स्था०-(क) के साथ पठित तारीख 31 अगस्त, 1961 का का०ज्ञा०सं० एफ०—47/7/61-स्था०(क) तथा 20 जून, 1963 का संख्या 47/28/63-स्था०(क)]।

(ख) भारतीय नौसेना सेवा, भारतीय नौसेना रिजर्व तथा भारतीय नौसेना स्वयंसेवक रिजर्व में कार्यग्रहण करने वाले सरकारी सेवकों के वेतन तथा भत्ते, छुट्टी की मंजूरी, वेतन वृद्धियां तथा पेंशन की अनुज्ञेयता के सम्बन्ध में भी यदि इसे थल सेना, नौसेना अथवा वायुसेना नियमों के अधीन नहीं गिना गया है, तो ऊपर (क) में निर्धारित उपबन्धों द्वारा शासित होगी ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 10 जुलाई, 1962 का०ज्ञा०सं० 47/4/72-स्था (क) तथा तारीख 20 जून, 1961 का शुद्धि पत्र संख्या 47/28/63-स्था (क)]

टिप्पणी .—इस निर्णय में प्रयुक्त किये गये "सिविल वेतन तथा भत्ते" "शब्दों में मकान किराया भत्ता तथा प्रतिपूरक नकद (भत्ता)" शामिल है जहां सिविल वेतन तथा भत्तों तथा सैन्य वेतन तथा भत्तों के बीच के अन्तर की संगणना के लिए ऐसा अनुज्ञेय है, तथापि यह मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता संबंधी आदेशों में अस्थायी स्थानान्तरण में निर्धारित की गई शर्तों के अध्याधीन है ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 22 अक्तूबर, 1962 का का०ज्ञा०सं० 47/13/62-स्था(क)]

(ग) रिजर्व सैनिकों (अधिकारियों) के वेतन तथा भत्तों को विनियमित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा ऊपर (क) में दिया गया है। ऐसे अधिकारियों के धारणाधिकार का संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें आसन्न निकट नियम की सुविधाएं भी प्रदान करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है तथा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किए गए है .—

1 **धारणाधिकार :**

अस्थायी सरकारी सेवकों तथा कार्यप्रभारित संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित सिविल पद पर तकनीकी दृष्टि से, कोई धारणाधिकार नहीं होता। तथापि, सैन्य ड्यूटी से मुक्त होने पर ऐसे सभी व्यक्तियों को उन पदों पर बिनौपित किया जाना चाहिए जिनमें वह बने रहते बशर्ते कि वे सैन्य ड्यूटी में शामिल न हुए होते किन्तु शर्त यह है कि ऐसे पद उपलब्ध हो। यदि उसके सक्रिय सेवा पर रहने के दौरान उनके द्वारा धारित पद समाप्त हो जाते है तो उनके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वे सिविल नौकरी में नहीं रहे है ।

(ii) **"आसन्न निकट नियम" के अधीन प्रसुविधाएं.**—रिजर्व सैनिक (अधिकारियों) द्वारा की गयी सेवा की अवधि, मूल नियम 30(1) के परन्तुक के प्रयोजन के लिए, सामान्य सेवा से बाहर की सेवा के रूप में मानी जाएगी तदनुसार वे आसन्न नियम के अधीन अपने मूल विभाग में प्रोफार्मा पदोन्नति पाने के हकदार होंगे। वे उच्चतर पद में उसी वरिष्ठता को पाने के हकदार भी होंगे जोकि उन्हें यदि वे सक्रिया सेवा पर न गए होते तो मिलती ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 5 मार्च, 1963 का, कार्यालय ज्ञापन सं० 47/19/62-स्था (क)] ।

4. **सरकारी सेवकों की प्रशिक्षण के दौरान उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति** :—मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार का आदेश (10) देखे :—

अनुदेश महानिदेशक, डाक व तार के

1. **अधिशेष पुर्ननियुक्त किए गए स्टाफ का नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण :—** गृहमंत्रालय के अधिशेष सेल के माध्यम से डाक व तार विभाग में उन नियुक्त किए गये अधिशेष कर्मचारियों व उनको प्रशिक्षण की अवधि के दौरान जहां ऐसा प्रशिक्षण नियुक्ति से पूर्व-अपेक्षित शर्त है, उसी प्रकार के वेतन तथा भत्ते तथा यात्रा भत्ता मंहगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो कि उसी प्रकार प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले विभागीय कर्मचारियों को अनुज्ञेय होते हैं ।

गृह मंत्रालय के अधिशेष सेल के माध्यम से अधिशेष कर्मचारियों का स्थानान्तरण लोक हित में होता है तथा इस प्रकार ये कर्मचारी एक सरकारी विभाग से

दूसरे विभाग में स्थानान्तरित सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय सभी प्रसुविधाएं पाने के हकदार होंगे, तथापि, उनकी वरिष्ठता उस विभाग में उनकी कार्य-ग्रहण करने की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

[डाक व तार वित्त के ता० 5 नवम्बर, 1971 के यू०ओ०सं० 3/70-एफ ए० iii के अधीन दी गई उसकी सहमति से जारी किया गया महानिदेशक, डाक व तार, नई दिल्ली का ता० 10 दिसम्बर, 1971 का पत्र संख्या 20/12/70-एस०पी०बी० I]

2. तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) को प्रशिक्षण :— विशेष वेतन वाले पद धारण करने वाले तार संकेतकों को, जब तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विशेष वेतन सहित वेतन तथा भत्तों की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सक्षम प्राधिकारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि यदि कर्मचारी को प्रशिक्षण पर न भेजा गया होता तो वह विशेष वेतन ले रहा होता।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व यदि कोई तार संकेतक स्थानापन्न हैसियत से तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) के रूप में कार्य कर रहा है तो वह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) का स्थानापन्न वेतन लेने का हकदार नहीं होगा बल्कि वह केवल तार संकेतक के पद का वेतन तथा भत्ते लेने का हकदार होगा। तथापि जो तार संकेतक स्थानापन्न तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) के रूप में अपनी पदोन्नति से पूर्व विशेष वेतन वाला कोई पद धारण किए हुआ था, जब उसे तार मास्टर (टेलीग्राफ मास्टर) के रूप में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो वह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वही वेतन तथा विशेष वेतन प्राप्त करेगा जो कि उसे उस स्थिति में मिल रहा होता जबकि स्थानापन्न तार मास्टर के रूप में उसकी पदोन्नति न हुई होती बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए।

[महानिदेशक, डाक व तार का ता० 17 फरवरी, 1971 का पत्र संख्या 10/13/70) पी०ए०टी I]

लेखा परीक्षा अनुदेश

किसी सरकारी सेवक को जिसे शिक्षण अनुदेश अथवा प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी पर माना गया हो तथा जिसे उस समय जब वह ऐसी ड्यूटी पर लगाया या स्थानापन्न नियुक्ति के आधार पर वेतन ले रहा था, ऐसा स्थानापन्न वेतन लेते रहने की अनुमति दी जाए जिसे वह समय-समय पर ले रहा होता यदि वह नियम 9(6) (ख) के अधीन ड्यूटी से इतर ड्यूटी पर रहता तथा यह आवश्यक नहीं है कि उसे प्रशिक्षण पर जाने से तत्काल पूर्व का वेतन दिया जाए। "ऐसा वेतन जिसे सरकारी सेवक प्राप्त कर रहा होता" में वह विशेष वेतन भी यदि कोई हो शामिल होगा जिसे वह प्रशिक्षण पर न जाने की स्थिति में समय-समय पर प्राप्त कर रहा होता।

[लिखा परीक्षा अनुदेशों संबंधी मैनुअल (पुनः मुद्रित) में शुद्धि पर्ची संख्या 51]।

[1]**मूल नियम 21 विलोपित।**

[2]मू० नि० 22.1. किसी ऐसे सरकारी सेवक का जो समय वेतनमान पर किसी पद पर नियुक्त किया गया है, प्रारंभिक वेतन निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाता है :—

(क) (1) जहां किसी अधिष्ठायी या अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में सार्वधिक पद से भिन्न कोई पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक, यथास्थिति, अधिष्ठायी, अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में, ऐसी पात्रता शर्तें पूरा करने के अधीन रहते हुए जो सुसंगत मूल नियमों में विहित की जाए, किसी ऐसे अन्य पद पर प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद से संबद्ध कर्तव्यों और दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण है वहां उच्चतर पद के समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस सैद्धांतिक वेतन से ठीक ऊपर के प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो ऐसे प्रक्रम पर जिस पर ऐसा वेतन प्रोद्भूत हुआ है, वेतनवृद्धि द्वारा नियमित रूप से उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसके वेतन में वृद्धि करके या केवल 25 रुपए द्वारा इन दोनों में से जो भी अधिक हो, आता है।

काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों के सिवाय सरकारी सेवक को यह विकल्प प्राप्त होगा जिसका वह, यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग कर सकेगा कि वह इस नियम के अधीन वेतन की ऐसे प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से नियत कराए या वेतन को उस निम्नतर श्रेणी में या पद के जिससे वह नियमित आधार पर प्रोन्नत किया गया है, वेतन से उपर नए पद के समय वेतनमान के प्रक्रम पर प्रारंभिक रूप से नियत कराए, जो निम्नतर श्रेणी या पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के प्रोद्भूत होने की तारीख को इस नियम के अनुसार पुनः नियत किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में जहां तदर्थ प्रोन्नति के बाद बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति कर ली जाती है वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति/प्रोन्नति की तारीख से ग्राह्य होगा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा :

परन्तु जहां कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद पर नियमित आधार पर अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के ठीक

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं० 18 (13)ई-iv क 70 द्वारा विलोपित।

[2]कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 30-8-89 की अधिसूचना सं० 1/10/89 स्था० (वेतन I) द्वारा संशोधित।

पूर्व निम्नतर पद के समय वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहा है वहां उच्चतर पद के समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन, उस वेतन से ठीक ऊपर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो निम्नतर पद के समय वेतनमान में अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर रकम के द्वारा नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसके वेतन की वृद्धि के द्वारा सैद्धांतिक रूप से निकाला गया है या 25 रुपए, इन दोनों में से जो भी अधिक हो ;

(2) जब नए पद पर नियुक्ति के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ऐसा ग्रहण किया जाना अंतर्वलित न हो वहां वह प्रारंभिक वेतन के रूप में वेतनमान के उस प्रक्रम पर का वेतन लेगा जो कि नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पुराने पद की बाबत उसके वेतन के बराबर है या यदि ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है तो वह नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पुराने पद की बाबत अपने वेतन से ठीक ऊपर के प्रक्रम का वेतन लेगा :

परन्तु जहां नए पद के समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पद की बाबत उसके वेतन से अधिक है वहां वह प्रारंभिक वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन लेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी मामले में जहां वेतन एक ही प्रक्रम पर नियत किया गया है तो वह ऐसा वेतन उस समय तक लेता रहेगा जब तक पुराने पद के समय वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करता, ऐसे मामलों में जहां वेतन उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया गया है वहां वह अपनी अगली वेतनवृद्धी उस अवधि के पूरा होने पर प्राप्त करेगा जब वेतनवृद्धि नए पद के समय वेतनमान में अर्जित की जाती है ।

प्रतिनियुक्ति पर काडर वाहय पद पर नियुक्ति से भिन्न किसी ऐसे नए पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति पर सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा, जिसका वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग करेगा कि व० नए पद पर नियुक्ति की तारीख से या पुराने पद में वेतनवृद्धि की तारीख से नए पद में अपना वेतन नियत कराए ।

(3) जब नए पद पर नियुक्ति उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (क) के अधीन उसके अपने अनुरोध पर की जाती है, और उस पद के समय वेतनमान में अधिकतम वतन नियमित आधार पर धारित पुराने पद की बाबत उसके वेतन से कम है तो वह उसके प्रारंभिक वेतन के रूप में उस वेतनमान का अधिकतम लेगा ।

(ख) यदि खंण्ड (क) में विहित शर्तें पूरी न हों तो वह प्रारंभिक वेतन के रूप में समय वेतनमान का निम्नतम लेगा :

परन्तु खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में और लोक सेवा के पदत्याग या हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के पश्चात् पुन: नियोजन के मामलों से भिन्न मामलों में जो खण्ड (ख) के अंतर्गत आते हैं, दोनों में यदि :

(1) उसने नियमित आधार पर पहले भी—

(i) वही पद, या

(ii) उसी समय वेतनमान पर कोई स्थायी या अस्थायी पद, या

(iii) समान वेतनमान पर कोई स्थायी या अस्थायी पद (जिसके अंतर्गत किसी ऐसे निकाय में का, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, पद भी है, जो पूर्णत: या सारत: सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है); धारण किया है, अथवा

(2) ऐसी पात्रता शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए जिसे सुसंगत भर्ती नियमों में विहित किया जाए, किसी समय वेतनमान पर किसी सावधिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसका वेतनमान किसी ऐसे अन्य सावधिक पद के वेतनमान के समान है जिसे वह नियमित आधार पर पहले धारण कर चुका है; तो उसका प्रारंभिक वेतन, परन्तुक (1) (iii) द्वारा शासित मूल काडर में प्रतिवर्तन के मामलों के सिवाय, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या राष्ट्रपति द्वारा नियम 9(21(क) (iii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत उपलब्धियों से भिन्न उस वेतन से कम नहीं होगा जो उसने अंतिम अवसर पर लिया था, और वह अवधि जिसके दौरान उसने वह वेतन अंतिम अवसर पर और किन्हीं पूर्ववर्ती अवसरों पर लिया था, वेतनमान के उस वेतन के समतुल्य प्रक्रम में वेतन वृद्धि के लिए गणना में ली जाएगी । तथापि यदि, अस्थायी पद में सरकारी सेवक द्वारा अंतिम बार लिया गया वेतन, समय से पहले की गई वेतन वृद्धियों के कारण बढ़ गया हो, तो जब तक कि नए पद को सृष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो, वह वेतन जो कि वह ऐसी वेतन वृद्धियां न किए जाने की दशा में लेता, इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए, वह वेतन माना जाएगा जो कि उसने अस्थायी पद पर अंतिम बार लिया। परन्तुक (1) (iii) में निर्दिष्ट पद में की गई सेवा मूल काडर में प्रतिवर्तित होने पर, नीचे दर्शित सीमा तक और शर्तों के अधीन, वेतन के प्रारंभिक नियतन के लिए गणना में ली जाएगी :—

(क) सरकारी सेवक, उस विशिष्ट श्रेणी या पद में, जिसमें पूर्ववर्ती सेवा की गणना की जानी है, नियुक्ति के लिए अनुमोदित होना चाहिए ;

(ख) उसके सभी ज्येष्ठ, सिवाय उनके जिन्हें ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझा गया हो, चाहे तो उसी विभाग में ही या अन्यत्र ऐसे वेतनमान वाले पदों में, जिनमें फायदा अनुज्ञात किया जाना है, या उच्चतर पदों में सेवा कर रहे थे, और

कम से कम एक कनिष्ठ भी उस विभाग में, उस वेतनमान वाला पद, जिसमें कि फायदा अनुज्ञात किया जाना है, धारण किए हुए था; और

(ग) सेवा उस तारीख से गणना में ली जाएगी जिसकी कि उसका कनिष्ठ प्रोन्नत किया गया हो और फायदा केवल उसी अवधि के लिए दिया जाएगा जिस अवधि में कि वह सरकारी सेवक काडर बाह्य पद पर नियुक्त न होने की दशा में, उस पद को अपने मूल काडर में धारण करता।

(II) राष्ट्रपति, किसी सेवा के सामान्य क्रम से बाहर के ऐसे पद विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके धारकों को इस नियम के उपबंधों के होते हुए भी, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें राष्ट्रपति विहित करे, सेवा के कैडर में किसी ऐसी कोई स्थानापन्न प्रोन्नति दी जा सकेगी जो प्रोन्नति का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे और उनको तदुपरि वही, वेतन चाहे ऐसे पदों के लिए किसी विशेष वेतन सहित या रहित दिया जा सकेगा, जो वे सामान्य क्रम में ही होने की दशा में प्राप्त करते।

(III) यदि नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है जिसका वेतनमान वही है जो कि सावधिक पद से भिन्न उस पद का है जिसको सरकारी सेवक अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के समय नियमित आधार पर या उसके समान वेतनमान पर धारण करता है, तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसी नियुक्ति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ग्रहण सम्मिलित है।

(IV) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कैडर बाह्य पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक अपने काडर में किसी पद पर नियमित रूप से प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है तो काडर पद में उसका वेतन केवल उस काडर पद में उसके काल्पित वेतन के प्रतिनिर्देश से नियत किया जा सकेगा जिसे सेवा के सामान्य क्रम के बाहर काडर बाह्य पद धारण करने के कारण वह धारण नहीं कर सकेगा जिसके आधार पर वह ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति के लिए पात्र बनता है।

3. उक्त नियम के नियम 22ग, 30 और 31 का लोप किया जाएगा।

[1]**टिप्पणी.**—मूल संवर्ग के समय वेतनमान के रूप में संवर्ग बाह्य पद के समतुल्य समय वेतनमान में कार्य कर रहे सरकारी सेवक के संबंध में 29 नवम्बर, 1965 तक संवर्ग बाह्य पद में की गई सेवा आदि से उसे अधिक फायदा होता है, परन्तुक 1 (iii) के अधीन उस सीमा तक वेतन के नियतन तथा वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी जैसा कि यह 30 नवम्बर, 1965 से तत्काल पहले विद्यमान थी।

भारत सरकार के आदेश

1. सावधिक पद से प्रत्यावर्तन.—उस संवर्ग में शामिल किसी सावधिक पद से अथवा किसी ऐसे, सावधिक या विशेष पद से जो कि उस संवर्ग में सम्मिलित न हो, सेवा के सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का अर्थ मूल नियम 22 के प्रयोजन के लिए किसी पद पर मूल नियुक्ति से नहीं होता।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का तारीख 22 जनवरी, 1927 का संख्या फा० 15-सी०एस०आर०/27]।

2. जिम्मेदारी की सापेक्ष मात्रा की घोषणा.—मूल नियम 22 तथा 30 के प्रयोजन के लिए दो पदों की जिम्मेदारी की सापेक्ष मात्रा के सम्बन्ध में विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष से अथवा भारत सरकार से यह मानते हुए घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए कि क्या पद उसी विभाग अथवा अलग-अलग विभागों के हैं।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का तारीख 19 अगस्त, 1930 का संख्या फा०/113-आर०आई०/30]।

3. समतुल्य वेतनमान :—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उन पदों से सम्बद्ध वेतनमान जिनका वेतन सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित होता है तथा दूसरा वेतनमान जो मूल नियमों में निर्धारित शर्तों द्वारा शासित होता है इन समतुल्य वेतनमानों को मूल नियमों में वेतन संबंधी अध्याय के प्रयोजन के समतुल्य समझा जा सकता है। महालेखापरीक्षक की सहमति से यह निश्चय किया गया है कि जब दो पद समतुल्य वेतनमानों के हों, तो ऐसा मानना उचित ही होगा कि ऐसे पदों के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों की प्रकृति में बहुत भिन्नता नहीं है। और ऐसा करते समय इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि पद का वेतन सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित होता है अथवा मूल नियमों द्वारा तथा इसलिए उनमें से एक पद पर की गई ड्यूटी दूसरे पद में वेतनवृद्धि के लिए गिने जाने की अनुमति दी जाए।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का 15 मई, 1931 का पत्र सं० 14(12) आर०आई०/31]।

टिप्पणी :—यह निर्णय सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित सभी पदों पर जिनमें ऐसे पद भी शामिल हैं जिनका भुगतान रक्षा प्राक्कलनों से किया जाता है लागू होता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 23 अप्रैल, 1959 का का०ज्ञा० सं० फा० 2 (14)-स्था० III/59]।

4. सावधिक पदों में अस्थायी सेवा की गणना.—ऐसे अस्थायी पदों पर की गई सेवा, जो सावधिक पदों

1. भा० स० वि० मं० की दिनांक 27 मई, 1970 की अधि० सं० एफ० 1 (25) ई० III (क)/64 द्वारा प्रतिस्थापित। यह 12 सितम्बर, 1970 से लागू है।

के अथवा उसके समतुल्य समय वेतनमान के पद हैं, को समतुल्य समय वेतनमानों के पदों से वेतन के प्रारम्भिक नियतन के लिए तब तक नहीं गिना जाना चाहिए जब तक कि वे पद भी उसी तरह के समय वेतन-मान में है जैसे की गैर सावधिक स्थायी पद है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 30 मई, 1959 का पत्र सं० एफ०2 (18)-स्था० 11/59]।

5. **स्थायिवत् वेतन का संरक्षण** :—यह निर्णय किया गया है कि उन मामलों में जहां अधिकारी स्थायि-वत् वेतन के संरक्षण के लिए उसका आरम्भिक वेतन मूल नियम 27 के अधीन नियत किया गया हो, वहां ऐसा वेतन मूल नियम 22 के परन्तुक के प्रयोजन के लिए बढ़ोतरी के रूप में समझे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्थायीवत वेतन मूल वेतन के बराबर माना जाता है और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए मूल नियम 27 का सहारा लेने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का ता० 6 अक्तूबर, 1961 का यू०ओ०सं० 6798 स्था० III (ख)/61]।

6. **वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए त्याग पत्र को माफ करना** :—किसी सरकारी सेवक को जो कि उसी अथवा अन्य विभाग में नए पद पर नियुक्ति लेने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा का लाभ दिया जा सकता है या नहीं यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। साधारण-तया पिछली सेवा का लाभ केवल उन मामलों में दिया जाता है, जहां एसी सेवा त्यागपत्र/पद से हटाए जाने/पदच्युति द्वारा समाप्त न की गयी हो। फिर भी, राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि उन मामलों में जहां सरकारी सेवक उसी अथवा अन्य विभागों में उचित माध्यम द्वारा पदों के लिए आवेदन करते हैं तथा चयन आयोग पर, उनसे प्रशासनिक कारणों से पिछले पदों से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, तो पिछली सेवा का लाभ, यदि नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो, त्यागपत्र को "तकनीकी औपचारिकता" मानते हुए नए पद में वेतन के नियतन के उद्देश्य के लिए, दिया जा सकता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 17 जून, 1965 का का० ज्ञा० सं० 3379-ई-III (ख)/65]।

7. **मूल संवर्ग से उच्चतर वेतनमान में अथवा समतुल्य वेतनमान में सेवा गणना**:— सन्देह व्यक्त किए जाने पर कि क्या वेतन के संरक्षण तथा वेतनवृद्धि की अवधि के सम्बन्ध में मूल नियम 22 के परन्तुक (1)(iii) का लाभ सरकारी कर्मचारी को सीधी नियुक्ति अथवा उक्त परन्तुक में निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना समतुल्य वेतनमान वाले पद से स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय होगा, यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे मामलों में उन शर्तों को पूरा किए बिना नीचे पैराग्राफ 2 के अध्यधीन उपर्युक्त लाभ अनुज्ञेय होगा, नीचे पैराग्राफ 2 के अध्यधीन उन शर्तों को पूरा किए बिना उपर्युक्त लाभ देय होगा।

(2) यह लाभ उस व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा जो ऐसे नियमित अथवा अनियमित निकाय में जिस पर सरकार का पूर्णतः अथवा मूलतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो, पद से पहली बार सरकारी सेवा में आता है।

(3) संवर्ग बाह्य पद से संवर्ग पद में समतुल्य समय वेतनमान में प्रत्यावर्तन के मामलों में मूल नियम 22 के परन्तुक (1)(iii) का लाभ उक्त परन्तुक के अधीन निर्दिष्ट की गई सभी शर्तों को पूरा करने पर अनुज्ञेय होगा।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का 23 जुलाई, 1968 का ज्ञा०सं० 1(25) ई III (क)/64]।

8. (क) **एक समूह "क" पद से दूसरे समूह "क" पद में पदोन्नति जो 31-12-85 तक प्रभावी होगी** :—(क) **वेतन के निर्धारण की रीति** :—यह निर्णय किया गया है कि एक समूह "क" पद से दूसरे समूह "क" के उच्चतर कर्तव्यों तथा दायित्वों वाले पद पर सभी पदोन्नतियों/नियुक्तियों के सम्बन्ध में 1 नवम्बर, 1973 से कर्म-चारियों के वेतन का नियतन निचले पद के वेतनमान में लिए गए वेतन से ऊपर अगले स्तर पर इस बात का ध्यान रखे बिना निर्धारित किया जाएगा कि निचला पद अधि-ष्ठायी या स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत से धारित किया हुआ था।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 21 जून, 1974 का ज्ञा० सं० एफ० 1(10)-ई-III(क)/74]।

अधिकारियों के वेतन के विनियमन की पद्धति के सम्बन्ध "क" पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ऐसे मामलों में जिनमें निरन्तर पदों को स्थाना-पन्न रूप में धारण किया जाता है और उसके बाद उनकी पदोन्नति पर उनके निरन्तर पद पर वेतन वृद्धि के परिणाम-स्वरूप अथवा अन्यथा उनका वेतन निम्नतर पद पर उच्चतर पद के स्थानापन्न वेतन के बराबर अथवा अधिक हो जाता है तो क्या ऐसे मामलों में मूल नियम 31(2) के उपबन्ध लागू होते हैं।

मामलों की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक निम्नतर पदों को मूल हैसियत में धारण नहीं किया जाता, मूल नियम 31(2) के उपबन्धों को लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी, ऐसे मामलों में यदि कोई कठिनाई आयी हो तो उसे कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है यदि किसी भी समय निम्नतर पद में स्थानापन्न वेतन उच्चतर पद के स्थानापन्न वेतन से बढ़ जाता है तो निम्नतर स्थानापन्न पद पर स्वीकार्य वेतन और उच्चतर स्थानापन्न पद पर स्वीकार्य वेतन के बीच अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में दे दिया जाए जिसे भविष्य में वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा बशर्ते कि यह प्रमाणित किया जाए कि यदि सम्बन्धित अधिकारी ने उच्चतर

स्थानापन्न पद धारण न किया होता तो वह निम्नतर स्थानापन्न पद धारण किए रहता। संरक्षण केवल तब तक ही स्वीकार्य होगा कि जब तक यह प्रमाणित किया जाता रहे कि यदि वह उच्चतर पद पर स्थानापन्न तौर पर कार्य न करता तो वह निम्नतर पद धारण किए रहता।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 17 जून, 1978 का का०ज्ञा०सं० 1(14) ई०-III(क)/78]।

(ख) असंगति को दूर करने के लिए वेतन बढ़ाना :— (1) ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें वरिष्ठ समूह "क" सरकारी सेवक उच्चतर समूह "क" में पहली नवम्बर, 1973 से पूर्व पदोन्नति होने पर वह अपने कनिष्ठ से, जिसे निर्णायक तारीख को अथवा से पदोन्नत किया गया है, कम वेतन ले रहा है।

(2) उपर्युक्त मामला इस मंत्रालय में काफी समय से विचाराधीन रहा है। यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में असंगति को दूर करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ा कर 1 नवम्बर, 1973 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नत किए गए कनिष्ठ अधिकारी के सम्बन्ध में नियत किए गए वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति की तारीख से तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए :—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ, दोनों अधिकारी एक ही संवर्ग के होने चाहिए तथा जिन पदों पर उन्हें पदोन्नत किया गया है वे समतुल्य तथा एक संवर्ग में होने चाहिए ;

(ख) निम्नतर पदों, जिनमें उन्होंने वेतन लिया है तथा उच्चतर पदों, जिनमें वे वेतन लेने के पात्र हैं, के वेतनमान समतुल्य होने चाहिए ; और

(ग) विसंगति प्रत्यक्षत: ऊपर दिए गये आदेशों के लागू होने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

(3) इन उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को पुन: नियत करने के आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि वेतन के पुन: नियतन की तारीख से आवश्यक अर्हक सेवा की समाप्ति पर आहरित की जाएगी।

(4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी हैं। 1 नवम्बर, 1973 को अथवा उसके बाद होने वाली पदोन्नतियों के सम्बन्ध में कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन ले रहे वरिष्ठ अधिकारियों के मामले भी इन आदेशों के अधीन विनियमित होंगे लेकिन वास्तविक लाभ इन आदेशों के जारी होने की तारीख से उपलब्ध होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 21 मार्च, 1977 का का०ज्ञा०सं० 1(40) ई-III(क)/76]।

9. ग्रेड "ख" आशुलिपिक की अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने पर उसका केवल ग्रेड "ग" के वेतन के संदर्भ में वेतन का निर्धारण :— (1) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियमावली, 1964 के विनियम 4 के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिक, जिन्होंने निर्णायक तारीख को स्थिति अनुसार अपने अपने ग्रेड में, अथवा दोनों में, कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर ली हो, अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। ग्रेड "ख" के ऐसे आशुलिपिक भी, जिन्हें ग्रेड "ख" में मूल रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, ग्रेड "ग" में अपने ग्रहणाधिकारी (लियन) के आधार पर, अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति है। कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां किसी ग्रेड "ग" आशुलिपिक को, अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा देने के बाद, ग्रेड "ख" में नियुक्ति की गई हो और वह, उपरोक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति होने तक, पिछले ग्रेड में कार्य करता रहा हो। अत: ऐसे ग्रेड "ख" आशुलिपिकों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति होने पर उनके वेतन को किस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए, यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है।

(2) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है जब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के किसी ग्रेड "ख" आशुलिपिक की, अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभाग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती है तब उसके वेतन को, सामान्य नियमों/आदेशों के अधीन उसके ग्रेड "ग" आशुलिपिक के पद में परिकल्पित वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए न की ग्रेड "ख" के पद में उसके वेतन के संदर्भ में, क्योंकि विनियमों के अधीन केवल ग्रेड "ग" के आशुलिपिक भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र है।

(3) ये आदेश जिस महीने में जारी किए जाएंगे उसकी पहली तारीख से लागू होंगे। उससे भिन्न पद्धति से निपटाए गए पिछले मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का ता० 29 नवम्बर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13/15/83-स्था० (वेतन-1)]।

(4) कार्यालय ज्ञापन में दिए हुए आदेशों को उन आशुलिपिकों के मामले में भी लागू किया जाए जिन्हें इन आदेशों के जारी होने के बाद अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(5) जहां तक 1984 की परीक्षा के आधार पर की गई नियुक्तियों का सम्बन्ध है, यदि कोई आशुलिपिक अनुभाग

अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को ग्रेड "ख" आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहा था तो उसका वेतन, उसके उस वेतन के अनुसार जो वह ग्रेड "ख" आशुलिपिक के रूप में प्राप्त कर रहा था, सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही निर्धारित किया जा सकता है। जहां तक उन आशुलिपिकों का सम्बन्ध है जो किसी तदर्थ अथवा दीर्घावधि कार्यकाल के आधार पर ग्रेड "ख" आशुलिपिकों के पदों पर कार्य कर रहे थे, उनकी अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने पर, उनका वेतन इस विभाग के दिनांक 29-11-85 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाए अनुसार निर्धारित किया जाए।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 मई, 1986 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13/15/83-स्था० (वे० 1)]।

10. **पुनर्नियोजन पर वेतन निर्धारण :—(क) (1)** इस विषय से संबधित सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण करते हुए भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों तथा असैनिक पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन पर उनके वेतन तथा अन्य प्रसुविधाओं का निर्धारण, अनुबन्ध में यथा-निर्दिष्ट केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के अनुसार किया जाएगा। 1 जुलाई, 1986 को अथवा उसके बाद की गई सभी नियुक्तियों के संबंध में पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन संलग्न आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाए।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31-7-1986 का का०ज्ञा०सं० 3/1/85-स्था० (वेतन-II) और दिनांक 3-7-1987 का का०ज्ञा०सं० 3/4/87-स्था० (वेतन-II)]।

(ख) 1. राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय किया है कि पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के समय उपदान के समतुल्य पेंशन को इस प्रकार निर्धारित वेतन में से न हटाया जाए।

2. ये आदेश 1 जून, 1988 से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 3-6-1988 के का०ज्ञा०सं० 3/3/87-स्था० (वेतन-II)]।

(10) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) उन आदेशों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 है।

(2) ये आदेश 1-7-1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रवर्तन

(1) जब तक कि इन आदेशों में अन्यथा व्यवस्था न हो, ये आदेश ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जिन्हें संघ सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सिविल सेवाओं में और पदों में निम्नलिखित सेवाओं में से पेंशन, उपदान और— अथवा अंशदायी भविष्य निधि सुविधाओं पर सेवा निवृत्ति होने के उपरान्त पुनर्नियुक्त किया जाता है—

(क) रेलवे, रक्षा डाक व तार सहित संघ सरकार ;

(ख) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालयों जैसे स्वायत्त निकाय अथवा पोर्ट ट्रस्टों जैसे अर्ध सरकारी संगठन।

(2) ये आदेश नियमित कार्य प्रभारित हैसियत में पुनर्नियोजित व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

(3) जब तक की अन्यथा व्यवस्था न हो, ये आदेश अनुबन्ध के आधार पर पुनर्नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

(4) तथापि, ये आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

(क) सेवा से त्याग पत्र देने, हटाए जाने अथवा बर्खास्त किए जाने के पश्चात पुनर्नियुक्त व्यक्तियों पर बशर्ते कि उन्होंने पिछली सेवा के लिए किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति सेवान्त प्रसुविधाएं न प्राप्त की हों।

(ख) ऐसे पदों पर पुनर्नियुक्त व्यक्तियों पर, जिनका खर्च संघ सरकार के सिविल प्राक्कलनों के नाम में नहीं डाला जा सकता।

(ग) ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें आकस्मिक व्यय में से भुगतान किया जाता है।

(घ) सामायिक अथवा दिहाड़ी पर अथवा अंशकालिक रोजगार पर व्यक्ति।

(ङ) समेकित शुल्क के भुगतान पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(च) आयोगों/समितियों में नियुक्त उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, जो कि इस विषय पर समय-समय पर जारी होने वाले पृथक आदेशों द्वारा शासित होते हैं।

3. परिभाषाएं

इन आदेशों में बशर्ते कि अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) पेंशन से तात्पर्य केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 अथवा सरकार या उस निकाय के संगत नियमों के अधीन जिसमें पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्य कर रहा था, भुगतान योग्य सकल मासिक पेंशन और/अथवा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन और/अथवा उपदान के समतुल्य पेंशन अथवा अंशदायी भविष्यनिधि में सरकार का अंशदान और/अथवा अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, यदि कोई हों, से है। जहां पेंशन आंशिक अथवा पूर्णरूप से सराशीकृत की गई है वहां पेंशन का तात्पर्य ऐसे संराशीकरण से पूर्व भुगतान योग्य सकल पेंशन से है।

(2) **सेवा निवृत्ति पूर्व वेतन** का तात्पर्य सेवा निवृत्ति से पूर्व लिए गए अन्तिम मूल वेतन से है। तथापि,

(i) स्थानापन्न नियुक्ति में लिए गए वेतन को हिसाब में लिया जा सकता है यदि अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को ऐसी नियुक्ति पर कम से कम 10 महीने तक लगातार स्थानापन्न रूप में कार्य कर लिया हो अथवा उसे निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्त कर लिया गया हो।

(ii) सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन को निर्धारित करने के प्रयोजन से मूल नियम 9(25) की शर्तों के अधीन मंजूर किए गए विशेष वेतन को भी हिसाब में लिया जाएगा। तथापि, स्थानापन्न वेतन की भांति ही ऐसे विशेष वेतन को सेवानिवृत्ति वेतन के लिए केवल तभी हिसाब में लिया जाएगा जबकि ऐसा विशेष वेतन सेवानिवृत्ति से पहले 10 महीने तक लिया गया हो। सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक पदों का कार्य देखने के लिए मूल नियम 49 के अधीन लिए गए वेतन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(iii) प्रतिनियुक्ति भत्ते के ऐसे किसी हिस्से को यदि कोई हो, जिसे पेंशन के प्रयोजन से हिसाब में लिया गया हो और जो सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 10 महीनों तक लिया गया हो, सेवा-निवृत्ति पूर्व लिए गए अन्तिम वेतन को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(iv) किसी सावधिक पद पर लिए गए वेतन को भी सेवानिवृत्ति पूर्व लिया गया वेतन माना जाए बशर्ते की ऐसा वेतन सेवानिवृत्ति से तत्काल पहले 10 महीनों तक लगातार लिया गया हो।

(v) मूल वेतन की कमी को पूरा करने के लिए अथवा छोटे परिवार के आदर्श को बढावा देने के लिए विशेष वेतनवृद्धि के रूप में मंजूर किए गए वैयक्तिक वेतन को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इसे 10 महीने तक प्राप्त किया गया है या अथवा नहीं सेवानिवृत्ति पूर्व के वेतन को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा क्योंकि यह मूल वेतन के समान ही है। तथापि, अन्य प्रकार के वैयक्तिक वेतन को उसी प्रकार माना जाएगा जैसा कि स्थानापन्न वेतन को माना जाता है तथा उसे केवल तभी हिसाब में लिया जाएगा जबकि उसका भुगतान 10 अथवा 10 से अधिक महीनों की अवधि के लिए प्राप्त किया गया हो।

(vi) सेवानिवृत्ति से पहले की 10 महीने की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति पूरी करली गई छुट्टी की अवधि तथा बाह्य सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन के सरांशीकरण के प्रयोजन से 10 महीने की अवधि में शामिल किया जाए परन्तु शर्त यह होगी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि यदि अधिकारी सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर अथवा बाह्य सेवा पर न गया होता तो वह उस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता होता।

(vii) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में ली गई 120 दिन की अर्जित छुट्टी के दौरान अथवा औसत वेतन पर ली गई छुट्टी के प्रारम्भिक चार महीने की अवधि के दौरान मूल नियुक्ति में प्राप्त होने वाली वेतनवृद्धि को, सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति के समय किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था तो उस पद के बारे में उसकी वेतनवृद्धि को केवल तभी हिसाब में लिया जाए जबकि सक्षम प्राधि-कारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि यदि अधिकारी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर न गया होता तो वह, स्थानापन्न नियुक्ति पर कार्य करता होता। किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति जो कि अधिकारी को छुट्टी पर जाने की स्थिति में मिलती, को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(viii) किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जो बाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त होता है तो उसके उस वेतन को जोकि वह बाह्य सेवा में न जाने की दशा में अपने मूल संवर्ग में प्राप्त करता, सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन के रूप में गिना जाएगा। उन पदोन्नतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो कि अधिकारी अपनी मूल सेवा अथवा संवर्ग में, जैसा कि मूल नियम 113 में व्यवस्था है, प्राप्त करता बशर्ते कि उसने 10 महीने अथवा इससे अधिक समय तक स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो।

(ix) सेना में जे० सी० ओ०, एन०सी०ओ० अथवा ओ०आर० रैंक के तथा नौसेना अथवा वायु-सेना में तदनुरूपी रैंक के रक्षा सेवाओं के सेवा-निवृत्त कार्मिकों के मामले में परिलब्धियों को निम्नलिखित मदों से सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन निर्धारित होगा।

सेना (जे०सी०ओ०, एन०सी०ओ० अथवा ओ०आर०)

पुराना वेतन कोड	नया वेतन कोड
मूल वेतन/ग्रेड/ट्रेड/तकनीकी/ और रैंक कोर्स वेतन।	वेतन (अस्थगित वेतन सहित और रैंक वेतन।

उत्तम सेवा/उत्तम आचरण वेतन ।	सेवा अवधि के लिए वेतन वृद्धियां ।
दक्षता वेतन/विशेष दक्षता वेतन ।	उत्तम सेवा के लिए वेतन ।
युद्ध सेवा वेतनवृद्धियां आस्थगित वेतन ।	वर्गीकरण वेतन
वैयक्तिक भत्ता । (रिस/सब मैजर)	
अतिरिक्त ड्यूटी वेतन ।	

नौसेना

मूल वेतन	वेतन (आस्थगित वेतन सहित)
गैर-मूल वेतन	उत्तम आचरण वेतन ।
युद्ध सेवा वेतनवृद्धियां उत्तम/आचरण वेतन आस्थगित वेतन ।	उच्चतर भाग 11-अर्हता वेतन । वर्गीकरण वेतन ।

वायु सेना

मूल वेतन	वेतन (आस्थगित वेतन सहित)
उत्तम सेवा/उत्तम आचरण वेतन ।	
एयर प्रोफिशेंसी वेतन	
बैंज वेतन ।	
युद्ध सेवा वेतनवृद्धियां आस्थगित वेतन ।	वर्गीकरण वेतन ।

(x) (क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो 1-1-73 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे तथा जिन्हें 1-1-73 के बाद नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन को सेवानिवृत्ति के समय लिए गए मूल वेतन जमा महंगाई वेतन जमा महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत की राशि के बराबर माना जाएगा ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो 1-1-1973 के बाद पूर्व-संशोधित वेतनमान में सेवानिवृत्त हुए थे सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन को मूल वेतन जमा 31-12-1972 को लागू दरों पर लिए गए महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत की राशि के बराबर माना जाएगा ।

(xi) **चिकित्सा अधिकारी**

उन चिकित्सा अधिकारियों के मामले में जिन्हें अपनी पिछली नियुक्ति में प्रेक्टिसबंदी भत्ता मिल रहा था उनके द्वारा लिए गए इस भत्ते को यदि ऐसा भत्ता पुनर्नियोजित पद में भी अनुज्ञेय है तो, पुनर्नियोजित पद में वेतन को निर्धारित करने के प्रयोजन से, लिए गए अंतिम वेतन को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा । ऐसे प्रयोजनों के लिए, जहां पुनर्नियोजित पद में ऐसा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है, इस भत्ते को हिसाब में नहीं लिया जाएगा । तथापि, ऐसे मामलों में जहां पिछली नियुक्ति में कोई भी प्रेक्टिसबंदी भत्ता अनुज्ञेय नहीं था परन्तु उस सिविल पद के साथ यह संबद्ध है जिस पर कि पेंशनभोगी को पुनर्नियुक्त किया गया है तो ऐसे भत्ते का आहरण, पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण के पश्चात् अलग से किया जाएगा ।

4. पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण :

(क) पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को केवल उन पदों के लिए विहित वेतनमानों में वेतन लेने की अनुमति होगी जिन पर उन्हें पुनर्नियोजित किया जाता है । उनके द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पदों के वेतनमानों का उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा ।

(ख) (i) ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई हैं, वहां पुनर्नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा ।

(ii) ऐसे मामलों में जहां वेतन निर्धारण के लिए सम्पूर्ण पेंशन तथा पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं की उपेक्षा नहीं की जाती है, वहां पुनर्नियुक्ति पर, प्रारम्भिक वेतन उसी स्तर पर निर्धारित किया जाएगा, जिस स्तर पर सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम वेतन प्राप्त किया गया था । यदि पुनर्नियुक्ति वाले पद में ऐसा कोई स्तर न हो, तो वेतन का निर्धारण उस वेतन से निचले स्तर पर किया जाएगा । यदि उस पद के वेतनमान का अधिकतम जिसमें कि कोई पेंशनभोगी पुनर्नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा, सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त किए जाने वाले अंतिम वेतन से कम है, तो उसका प्रारम्भिक वेतन पुनर्नियुक्ति वाले पद के वेतनमान से अधिकतम पर निर्धारित किया जाएगा । इसी तरह यदि उस पद के वेतनमान का न्यूनतम जिसमें कि पेंशनभोगी को पुनर्नियुक्त किया गया है उसके द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक हो, तो उसका प्रारम्भिक वेतन, पुनर्नियुक्ति वाले पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा । तथापि, इन सभी मामलों में, पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समान पेंशन के गैर-उपेक्षणीय भाग को, इस तरह निर्धारित वेतन में से कम कर दिया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी को, उसे मंजूर की गई किसी पेंशन को अलग से प्राप्त करने तथा किसी अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं बनाए रखने की अनुमति होगी ।

(घ) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा-निवृत्त होने वाले और जिन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, उन व्यक्तियों के मामले में, पेंशन उपदान के बराबर पेंशन और अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं सहित को, वेतन के प्रारम्भिक निर्धारण के लिए निम्नलिखित सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा :—

(i) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय रक्षा बलों में कमीशन अधिकारी के स्तर (रैंक) के निचले स्तर के पदों पर कार्य किया था और उन गैर-सैनिक कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने समूह "क" के पदों के नीचे के पदों पर कार्य किया था, उनकी सम्पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(ii) रक्षा बलों से सम्बन्धित ऐसे सैनिक अधिकारियों और ऐसे गैर-सैनिक पेंशनभोगियों के मामले में जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय समूह "क" पदों पर कार्य किया था, पेंशन के पहले 500 रु० और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. वेतनवृद्धियां प्राप्त करना :

किसी पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी का जब एक बार उपर्युक्त दर्शाए गए तरीके से प्रारम्भिक वेतन निर्धारित कर दिया गया हो, तो उसे, उस पद के समय वेतनमान में, जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है, यह मानते हुए कि उसका वेतन न्यूनतम अथवा उच्चतर स्तर पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित कर दिया गया था (अर्थात् पेंशन और अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समकक्ष पेंशन के किसी समायोजन किए जाने से पहले), साधारण वेतनवृद्धियां प्राप्त करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि उसका वेतन और कुछ पेंशन/अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समकक्ष पेंशन, इन सभी को मिलाकर कुल राशि, किसी भी समय, 8,000 रुपये प्रति मास से अधिक न हो।

6. अशक्तता अथवा प्रतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक :

ऐसे व्यक्ति भी जिन्हें प्रतिपूर्ति अथवा अशक्तता के पेंशन प्राप्त करने के बाद पुनर्नियुक्त किया जाता है इन आदेशों के द्वारा शासित होंगे परन्तु शर्त यह होगी कि यदि पुनर्नियुक्ति अर्हक सेवा में होती है, तो वे या तो अपनी पेंशन बनाए रख सकते है, जिसमें कि भावी पेंशन के लिए उनकी पूर्ववर्ती सेवा नहीं गिनी जाएगी, अथवा अपनी पेंशन का कोई भाग प्राप्त करना बंद करके अपनी पिछली सेवा को गिनवा सकते हैं। अन्तवर्ती अवधि के दौरान प्राप्त की गई पेंशन को लौटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पेंशन भोगी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान सहित अपनी सम्पूर्ण पेंशन को छोड़कर, पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा गिनवाना चाहते है, तो उनका वेतन, यह मानते हुए निर्धारित किया जाएगा कि वे पेंशन प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं। इस आदेश में निहित पुनर्नियुक्ति की अवधि के दौरान अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाएं मंजूर किए जाने और पुनर्नियुक्ति की अवधि के समाप्त होने पर पिछली सेवा की अस्वीकृत छुट्टी के शेष अंश की मंजूरी से संबंधित विशेष व्यवस्था उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

7. सेना के रिजर्व सैनिक :

सेना के ऐसे रिजर्व सैनिक जो उसी सिविल पद में कार्य करते आ रहे हैं जिसमें कि उन्हें रिजर्व अवधि के दौरान नियुक्त किया गया था, वे पेंशन के अतिरिक्त, बशर्ते कि यह पेंशन 50 रुपये प्रति मास से अधिक न हो, उसी दर पर अपना वेतन प्राप्त करते रहेंगे, जो वेतन वे, सैनिक पेंशनीय संस्थापन को अपने स्थानान्तरण होने की तारीख को प्राप्त कर रहे थे।

8. आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प-कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी :

ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प-कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी जो 10-1-1968 के बाद कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुए थे अथवा जिन्होंने 10-1-1968 के बाद कमीशन प्राप्त किया था, सरकारी सेवक की अनारक्षित रिक्तियों में उनकी नियुक्ति होने पर, जिस सिविल पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, उस पद से सम्बद्ध वेतनमान के न्यूनतम के बराबर तथा उससे अधिक मूल वेतन पर (जिसमें आस्थगित वेतन शामिल है परन्तु अन्य परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं) उनके द्वारा सशस्त्र सेना में की गई सेवा में पूरे किए गए वर्षों की संख्या के बराबर अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएं। फिर भी इस तरह निर्धारित किया गया वेतन, सशस्त्र सेना में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अन्तिम मूल वेतन (जिसमें आस्थगित वेतन शामिल हैं और अन्य परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं) से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. पदोन्नति/स्थानान्तरण

किसी अन्य पद पर नियमित पदोन्नति/स्थानान्तरण होने पर पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी का वेतन पिछली पुनर्नियुक्ति के पद के वेतन (समायोजन से पहले) के अनुसार मूल नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएगा। इस तरह निर्धारित वेतन में से पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन से संबंधित समायोजन उसी सीमा तक किया जाता रहेगा जिस तक कि यह पहले किया जाता रहा था। फिर भी ऐसा इस शर्त पर ही किया जाएगा कि वेतन तथा पेंशन और उपदान/अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन इनकी कुल राशि किसी भी समय 8,000 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।

10. अनन्तिम वेतन :

(i) जहां पेंशन तथा पेंशन संबंधी अन्य प्रसुविधाओं को निर्धारित करने में विलम्ब होने की सम्भावना हो तो ऐसी स्थिति में पुनर्नियुक्त अधिकारियों को वेतन का अंतिम निर्धारण होने तक उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर तथा उन्हें अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन और उपदान को हिसाब में लेने के बाद, अधिक से अधिक छह महीने की अवधि के लिए अनन्तिम आधार पर वेतन दे दिया जाए। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी यह बात सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि प्राधिकृत किया गया अनन्तिम वेतन उस वास्तविक वेतन से जो अनुज्ञेय हो जाता है अधिक नहीं होगा। उपदान के बराबर पेंशन की गणना करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में समय समय पर यथा-निर्धारित सारणी का अनुपालन किया जाएगा। पुनर्नियुक्त व्यक्तियों से यह वचन लिया जाएगा कि वे वेतन के अनन्तिम निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्हें किए गए अधिक भुगतान की राशि को वापिस कर देंगे।

(ii) (क) पुनर्नियुक्त व्यक्ति को, उन मामलों में जहां उचित समझा जाए अन्तिम आधार पर पद का पूरा वेतन दे दिया जाए जिसमें उसकी पेंशन तो शामिल होगी परन्तु उसमें स्थिति अनुसार उपदान के बराबर की अनुमानित पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा दिये गये अंश के बराबर की पेंशन शामिल नहीं होगी परन्तु शर्त यह है कि वह व्यक्ति (अनुबन्ध-I) के उपर्युक्त फार्म एक अनुबन्ध निष्पादित करें। उससे यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह (अनुबन्ध-II) के निर्धारित फार्म में एक वेतन पूंजी प्रस्तुत करें जिसमें उनके द्वारा प्राप्त पेंशन सहित वेतन की प्रगति दर्शायी गयी हो। सम्बन्धित पुनर्नियुक्त व्यक्ति से उस वेतन बिल सहित जिससे प्रत्येक माह उसे अन्तिम रूप में भुगतान किया जाता है, वेतन पूंजी प्राप्त की जाएगी।

(ख) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्नियुक्त व्यक्ति को अन्ततः पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर कर दी जाती है तो इन आदेशों में निहित उपबन्धों के अनुसार पेंशन और अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन को हिसाब में लेने के बाद उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा और इसके बाद वह व्यक्ति सेवा की पिछली अवधियों के लिए जिनके दौरान उसने अनन्तिम वेतन के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं प्राप्त की थी, फिर से पेंशन प्रसुविधाओं के लिए दावा नहीं कर सकेगा। उपदान/अशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के अंश के बराबर की वास्तविक राशि का उपदान/अंशदायी भविष्य निधि में उसी सीमा तक समायोजन किया जाएगा जिस सीमा तक यह पद के वेतन का अनन्तिम रूप से किए गए भुगतान में से काटी गयी अनुमानित राशि से भिन्न है।

(iii) उपर्युक्त (ii) में निहित आदेश उन सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सिविल कर्मचारियों के मामलों में लागू होंगे जिन्हें केन्द्रीय सिविल विभाग में पुनर्नियुक्त किया गया है और ये आदेश केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति होने पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों के किसी अन्य वर्गों के मामलों में (जैसे कि रक्षा विभाग, रेल विभाग तथा राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त व्यक्ति) लागू नहीं होंगे।

11. भत्ते :

वेतन पर आधारित विभिन्न भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का आहरण ऐसे वेतन, को ध्यान में रख कर विनियमित किया जाएगा, जो पुनर्नियुक्ति पर नियत किया जाता है इन भत्तों और प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए वही वेतन ध्यान में रखा जाएगा जो पेंशन के विचारणीय अंश और पेंशन के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की कटौती करने से पहले नियत किया जाता है।

12. अंशदायी भविष्य निधि :

पुनर्नियुक्त अधिकारियों को अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि पुनर्नियुक्ति की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष या इससे कम हो किन्तु बाद में बढ़ा कर एक वर्ष से अधिक कर दी गयी हो। पुनर्नियोजित किए गए पद पर एक वर्ष की सेवा कर लेने के बाद ही सरकार का अंशदान तथा ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज सहित सरकार का ऐसा अंशदान जिस सम्पूर्ण अवधि के लिए पुनर्नियुक्त अधिकारी को अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति दी गई है, देय होगा जबकि ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक हो।

13. छुट्टी तथा छुट्टी वेतन :

सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में केन्द्रीय सिविल छुट्टी नियमावली, 1972 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे।

14. उपदान/मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान :

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 18 और 19 तथा रक्षा सेवा विनियमावली के तत्समानी नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर पुनर्नियुक्त अधिकारी अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि के लिए किसी उपदान/मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के पात्र नहीं होंगे।

15. छटनी किए गये कर्मचारी :

जिन भूतपूर्व सैनिकों तथा सिविलियनों की सेवा से छटनी कर दी गयी है और पेंशन और/या सेवा उपदान मंजूर नहीं किया गया है, सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति हो जाने पर उन्हें जिस सिविल पद पर नियुक्त किया जाता है उस सिविल पद के न्यूनतम के बराबर अथवा न्यूनतम वेतनमान से अधिक मूल वेतन के आधार पर की गई सेवा के पूरे वर्षों को ध्यान में रख कर अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर की जा

सकती है किन्तु इस प्रकार निकाला गया वेतन सशस्त्र सेवा में उनके द्वारा लिए गए मूल वेतन से अधिक नहीं होगा ।

16. भूतपूर्व योद्धा लिपिकों/ स्टोर मैनों का वेतन नियत करना :

(i) उपर्युक्त आदेश चार और पांच में दिये गये उपबन्धों में आंशिक संशोधन करते हुए, अवर श्रेणी लिपिकों या कनिष्ठ लिपिकों के रूप में सिविल पदों पर पुनर्नियुक्ति हो जाने पर भूतपूर्व योद्धा लिपिक तथा सशस्त्र सेना के भूतपूर्व स्टोरमैन सिविल पदों पर स्टोरमैनों के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति होने पर नीचे के उप पैरा (2) में निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार उपर्युक्त आदेश 4 और 5 के अधीन अपना वेतन नियत करने का विकल्प दे सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :

(i) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । पुनर्नियुक्त पेंशन भोगी को कहा जाए कि वह अपनी पुनर्नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विकल्प दें ।

(ii) इस आदेश में उल्लिखित भूतपूर्व योद्धा लिपिकों तथा स्टोरमैनों में वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें अपने निजी अनुरोध पर या करुणामूलक या चिकित्सा के आधार पर निर्मुक्त करके आरक्षितों में रखा गया है ।

(2) सशस्त्र सेना में योद्धा लिपिकों तथा स्टोरमैनों के रूप में की गयी सेवा सशस्त्र सेनाओं में उन पदों पर लिए गये वेतन को ध्यान में रखे बिना सिविल पदों में क्रमशः अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों और स्टोरमैनों के रूप में की गई सेवा के समकक्ष समझी जाएगी । ऐसे मामलों में प्रारम्भिक वेतन नियत करने के लिए पुनर्नियोजित पदों के समय वेतनमान में उस स्तर के समकक्ष स्तर को ध्यान में रखा जाएगा जिस पर सिविल पदों में उतने ही वर्षों की सेवा पूरी करने पर पहुंचा जा सकता है जितने वर्षों की सेवा सशस्त्र सेनाओं के पदों पर की गयी थी । इस प्रकार नियत किया गया वेतन "सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन" तक सीमित नहीं रखा जाएगा । ऐसे मामलों में वेतन का नियतन मूल नियम 27 के उपबन्धों को लागू करके किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

(i) सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा के पूरे वर्षों की गणना करने के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं की अनर्हक सेवा को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ii) ऊपर आदेश 3(I) में यथापरिभाषित पेंशन में से 15 रु० छोड़ देने के पश्चात् शेष पेंशन इस नियम के अधीन नियत किए गए वेतन में से कम कर दी जाएगी और बाकी बचा वेतन ही देय है ।

(iii) यदि इस प्रकार निकाली गई राशि पुनर्नियोजित पद के वेतनमान में किसी स्तर के बराबर नहीं होती है तो अगले निम्नस्तर पर नियत किया जा सकता है और अन्तर की राशि भावी वेतनवृद्धियों में समायोजन की शर्त के साथ वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जा सकती है ।

(iv) यदि ऐसे मामलों में वेतन सेना से 15 रु० प्रति माह से अधिक ली गई पेंशन की राशि से समायोजन के परिणामस्वरूप पुनर्नियुक्त पद के न्यूनतम वेतनमान से नीचे नियत किया जाता है तो वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर पहुचने तक सेवा के प्रत्येक वर्ष के पश्चात् अनुज्ञेय वेतनवृद्धि की दर से वेतन में वृद्धि इस प्रकार करने की अनुमति दी जाए मानों कि वेतन न्यूनतम पर नियत किया गया है । इसके पश्चात् अनुवर्ती वेतन-वृद्धियां पुनर्नियुक्त पद के वेतनमान में सामान्य तरीके से मंजूर की जाए ।

(3) "कार्यालय छुट्टी/सेवान्त छुट्टी" के दौरान नियुक्त व्यक्तियों के मामले में उनका वेतन अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ लिपिक/स्टोरमैन सिविल पद के न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया जाए तथा वे मिलिटरी प्राधिकारियों के छुट्टी वेतन अलग से लेंगे । उनका वेतन ऊपर (2) में उल्लिखित फार्मूला के अनुसार उनकी अन्तिम बर्खास्तगी की तारीख से नियत किया जाएगा ।

(4) इस नियम के अधीन वेतन नियत करने की शक्ति भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों को प्रत्या-योजित की गयी है । इस प्रयोजन के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को वही शक्तियां दी जाएंगी जो भारत सरकार के मंत्रालयों को दी गयी है । ऐसे मामलों में वेतन नियत करने के लिए आदेश मूल नियम 27 के उपबन्धों को लागू करके जारी करने चाहिए ।

17. लेखा परीक्षा अधिकारियों से मंगाए जाने वाले ब्योरे :

वेतन के सही निर्धारण के लिए, सक्षम प्राधिकारी सभी अधिकारियों अर्थात् राजपत्रित, अराजपत्रित समूह "घ" के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा/वेतन तथा लेखा अधिकारियों से जिन्होंने पेंशन की हकदारी की सूचना दी थी, निम्नलिखित सूचना प्राप्त करेंगे :—

(i) सेवानिवृत्ति की तारीख को मूल हैसियत से धारित पद तथा वेतनमान सहित उक्त पद में मूल वेतन ।

(ii) सेवानिवृत्ति की तारीख को स्थानापन्न हैसियत धारित अन्य पद, यदि कोई है और उस पद के वेतनमान सहित लिया गया स्थानापन्न वेतन ।

(iii) उपर्युक्त (ii) की स्थिति में, वास्तविक स्थानापन्नता की तारीखें ।

(iv) (क) सेवानिवृत्ति की तारीख को लिया गया विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन तथा प्रतिनियुक्ति

भत्ता यदि कोई है और वह अवधि जिसमें यह लगातार लिया गया था ।

(ख) विशेष वेतन आदि का वह अंश निर्दिष्ट करना चाहिए जिसे पेंशन के लिए परिलब्धियों के रूप में गिना गया था ।

(ग) मूल पद पर लिए गए विशेष वेतन के मामले में क्या यह पद के निर्धारित वेतनमान का अंश है और संगत वेतन अनुसूची शामिल है ।

(v) परिणित राशि सहित कुल पेंशन, पेंशन भुगतान आदेश विवरण उद्धृत करें ।

(vi) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति अथवा अन्य उपदान को उसके समतुल्य पेंशन ।

(vii) अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान तथा ब्याज और उसके समतुल्य पेंशन पहले आवंटित किए गए अंशदायी भविष्य निधि खाते का नम्बर तथा पूर्व लेखा परीक्षा वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार के विवरण/उपर्युक्त सूचना प्राप्त करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी पुनर्नियुक्त अधिकारी का वेतन इन आदेशों के उपबन्धों के अधीन नियत करेगा और स्वीकृति पत्र में लेखा परीक्षक/वेतन तथा लेखा अधिकारियों को इसकी सूचना भेजेगा ।

जिन मंत्रालय/विभागों में एकीकृत लेखा प्रणाली चालू कर दी गयी है । उनके मामले में उक्त सूचना सम्बन्धित लेखा अधिकारी को भेज दी जाएगी । उपर्युक्त के अलावा, सक्षम प्राधिकारी पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा धारित समतुल्य/उच्चतर पदों के विवरणों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक/वेतन तथा लेखा अधिकारी को ऐसी सूचना दे सकता है जो आदेशों के पैरा 4(ख) (i) के अन्तर्गत उच्च प्रारम्भिक वेतन देने के लिए ध्यान में रखी गई थी ।

18. **शक्तियों का प्रत्यायोजन :**

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने अधीन पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी का वेतन ऊपर आदेश 4 में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार नियत करने के लिए सक्षम होंगे बशर्ते कि जिस पद पर अधिकारी पुनर्नियुक्त किया जाता है, वह पहले से ही स्वीकृत वेतनमान का पद हो । जिन मामलों में पद का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है, उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाएगा ।

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो ऐसे निम्न प्राधिकारियों की शक्तियों के भीतर आती है, अपने विवेक पर निम्न प्राधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते है ।

अनुबन्ध–I

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी (सिविल) की पुनर्नियुक्ति पर उसके निर्धारित किये जाने वाले अनुबन्ध पत्र का फार्म

एक पक्ष—————————(इसके बाद सेवानिवृत्ति
(यहां पक्ष का नाम दें)
सरकारी कर्मचारी कहा गया है और इसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक कानूनी प्रतिनिधि शामिल है (तथा) दूसरा पक्ष (भारत के राष्ट्रपति) इसके बाद सरकार कहा गया है (के बीच————सन
(तारीख, नाम)
उन्नीस सौ——————————को किया गया अनुबन्ध ।
जबकि सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी—————————
(कर्मचारी का नाम
————को रुपये——————के वेतनमान में————
नाम दें)
के पद पर नियुक्त किया गया था ।

जबकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 25 नवम्बर, 1958 के यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० 8(34) स्था० iii/57 में दिए गए आदेशों के अनुसरण में, पुनर्नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन में पेंशन की कुल राशि और/या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन मिला कर (i) उसकी सेवानिवृत्ति से पहले लिए गए वेतन से या (ii) 8000/-रु० से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ।

जबकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की पहली सेवा के सम्बन्ध में पेंशन और/या पेंशन के समकक्ष सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पुनर्नियोजन से पहले अन्तिम रूप से निर्धारित और स्वीकृत नहीं की गयी है ।

जबकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय उपदान के समकक्ष पेंशन अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य पेंशन रुपये——————प्रति मास निर्धारित की गयी है ।

जबकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी संगत अवधि में प्रति एक मास उस देय पेंशन की राशि को शामिल करके पुनर्नियोजित पद का वेतन प्राप्त करने तथा अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य पेंशन की अनुमानित राशि रुपये———— को छोड़ देने का इच्छुक है ।

इसलिए अब सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि उसका वेतन——————रु० प्रति मास अनन्तिम रूप से नियत किया जाए, जिसमें संगत अवधि के लिए उसे देय पेंशन की राशि भी शामिल होगी परन्तु उसमें से अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य अनुमानित पेंशन की राशि निकाल ली जाएगी, यह इस शर्त पर होगा कि—

जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की पिछली सेवा के सम्बन्ध में पेंशन के समतुल्य अन्य प्रकार की सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर की जाती है तो उसका अनन्तिम वेतन ऊपर उल्लिखित आदेशों के अनुसार नियत अन्तिम वेतन के अधीन समायोजित किया जाएगा ।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उस अवधि के लिए पेंशन के दावे और नहीं कर सकता जिस अवधि के लिए उसने अनन्तिम वेतन में शामिल राशि आहरित कर ली है ।

और आगे यह कि उपदान के समतुल्य वास्तविक पेंशन (अंशदायी) भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य मंजूर पेंशन उपदान / अंशदायी भविष्य निधि के अध्याधीन समायोजित की

जाएगी । यह अनंतिम वेतन की प्राप्ति के लिए पुनर्नियोजित पद के वेतन से निकाली गयी अनुमानित राशि से भिन्न होने की सीमा तक समायोजित की जाएगी ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा आज दिनांक तथा——-वर्ष को लिखा गया ।
———उक्त द्वारा———की उपस्थिति में हस्ताक्षरित ।

हस्ताक्षर

अनुबन्ध—II

पुनर्नियोजित पेंशनभोगी द्वारा प्रत्येक मास वेतन बिल के साथ दी जाने वाली रसीद ।

————————(धारित पद और कार्यालय का नाम) से————मास के लिए————रु० की राशि अनंतिम वेतन के रूप में प्राप्त हुई । मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी पेंशन सम्बन्धि प्रसुविधाओं की मंजूरी होने पर उक्त अदायगी में से————माह की मेरी पेंशन समायोजित समझी जाए और मैं उक्त अवधि की किसी और अदायगी का हकदार नहीं हूंगा ।

19. पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण :

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31-7-1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/86-स्था० (वेतन—II) के अधीन जारी किए गए केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 का हवाला दिया जाता है । उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4(ख)(ii) में यह व्यवस्था है कि उन मामलों में जहां वेतन के निर्धारण के लिए समग्र पेंशन तथा पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं उपेक्षित न की गई हों, वहां आदेशों के अनुसार, निर्धारित किए गए वेतन में से पेंशन तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन का अनुपेक्षणीय अंश घटा दिया जाएगा ।

2. इस प्रश्न पर कि क्या पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण के समय उपदान के समतुल्य पेंशन को उपेक्षित किया जा सकता है, विचार कर लिया गया है । राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय किया है कि पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के समय उपदान के समतुल्य पेंशन को इस प्रकार निर्धारित वेतन में से न घटाया जाए ।

कार्मिक और प्रशि० विभाग का दिनांक 3-6-88 का का०ज्ञा० सं० 3-3-87—स्था० (वेतन— II) ।

20. पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन का निर्धारण :

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3 जून 1988 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इस विभाग में यह जानने के लिए कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि क्या उपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 के उपबन्ध अर्थात् पुनर्नियुक्ति पर प्रारंभिक वेतन को निर्धारित करते समय, 1-6-88 से उपदान के समतुल्य पेंशन की गैर-कटौती ऐसे पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों पर भी लागू होंगे, जो कि 1-6-88 की स्थिति के अनुसार पहले से पुनर्नियुक्ति में हैं और जिनके मामले में उपदान के समतुल्य पेंशन को, उनका वेतन नियत करते समय हिसाब में लिया गया था ।

2. इस मामले में सावधानीपूर्वक विचार कर लिया गया है और अब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि इस विभाग के दिनांक 3-6-88 के इसी संख्या के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 के उपबन्ध 1-6-88 से पूर्व पुनर्नियुक्त हो चुके ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जिनके मामले में प्रारंभिक वेतन के निर्धारण के लिए उपदान के समतुल्य पेंशन को हिसाब में लिया गया था । अतः उनके वेतन को, उपदान के समतुल्य पेंशन के तत्व की उपेक्षा करते हुए, 1-6-88 से पुनर्निर्धारित करना आवश्यक होगा ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 12-10-88 का का० ज्ञा० सं० 3-3-87-स्था० (वेतन II) ।

II (क) सरकार के अधीन संवर्ग बाह्य पदों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण—प्रतिनियुक्ति ड्यूटी, भत्ता और अन्य शर्तों के संबंध में ।

2. लागूकरण :

2.1 ये आदेश उन सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्हें संगत भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार में पदों को धारित करने के लिए नियमित रूप से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, किन्तु इसमें निम्नलिखित मामले शामिल नहीं है, अर्थात्:—

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य तथा वे जिन्हें ऐसे पदों पर तैनात किया गया है, जिनकी शर्तें विशिष्ट सांविधिक नियमों अथवा आदेशों के अधीन विनियमित की जाती है,

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव आदि जैसे पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी जिनके लिए अलग से समय-समय पर जारी किए गए ऐसे ही आदेश लागू रहेंगे ।

(ग) भारत से बाहर के पदों पर प्रतिनियुक्ति, तथा

(घ) विशेष रूप से उल्लिखित पदों पर कर्मचारियों के विशिष्ट वर्ग की नियुक्तियां, जैसे कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ आदि में की गई नियुक्तियां, जहां इस सीमा तक विशेष आदेश पहले से विद्यमान हैं कि उसमें उल्लिखित उपबन्ध इन आदेशों के उपबधों से भिन्न हैं ।

3. ग्राह्यता का क्षेत्र :

3.1 "प्रतिनियुक्ति" शब्द में केवल केन्द्रीय सरकार के, उसी अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों में अन्य पदों पर

अस्थायी आधार पर स्थानान्तरण द्वारा की गई नियुक्तियां शामिल होंगी, बशर्ते कि स्थानान्तरण नियुक्ति के सामान्य क्षेत्र से बाहर हो तथा लोक हित में हो।

3.2 इस प्रश्न का कि क्या स्थानान्तरण नियुक्ति के सामान्य क्षेत्र से बाहर है अथवा नहीं, निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उस सेवा अथवा पद को, जिससे कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है, नियंत्रित करता है।

3.3 सेवारत सरकारी कर्मचारियों की, पदोन्नति द्वारा अथवा ओपन मार्किट के उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियां भले ही वे स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर की गई हों "प्रतिनियुक्ति" के रूप में नहीं मानी जाएंगी।

3.4 स्थानान्तरण द्वारा की गई स्थायी नियुक्तियों को भी "प्रतिनियुक्ति" के रूप में नहीं माना जाएगा।

3.5 लोक हित से अन्यथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोधों के आधार पर किए गए अस्थायी स्थानान्तरणों को भी "प्रतिनियुक्ति" के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. विकल्प का प्रयोग:

4.1 प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन अथवा मूल संवर्ग में अपने वेतन जमा वैयक्तिक वेतन यदि कोई हो, जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, लेने का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन किसी भी दशा में संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं होगा।

4.2 बारोइंग प्राधिकारी को चाहिए कि कर्मचारी से संवर्ग बाह्य पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर विकल्प प्राप्त कर ले।

4.3 एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। तथापि, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विकल्प में संशोधन कर सकता है :—

(क) जब वह अपने मूल संवर्ग में ठीक नीचे के नियम (एन० बी० आर०) के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करे;

(ख) जब उसे, उसके मूल संवर्ग में निचले ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया जाता है;

(ग) जब उसे बारोइंग संगठन में किसी अन्य ग्रेड में नियुक्त किया जाता है; और

(घ) जब संवर्ग पद का वह वेतनमान जिसके आधार पर कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के दौरान परिलब्धियां विनियमित की जाती हैं अथवा कर्मचारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर धारित संवर्ग बाह्य पद का वेतनमान, चाहे भूतलक्षी प्रभाव से हो, अथवा किसी भावी तारीख से, संशोधित हो जाता है।

5. वेतन निर्धारण :

5.1 जब कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर संवर्ग बाह्य पद से संबद्ध वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प देता है तथा उसके वेतन को उसके संवर्ग पद, जिसमें कि उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, के संदर्भ में सामान्य नियमों के अधीन निर्धारित किया जाए।

5.2 एक संवर्ग बाह्य पद से अन्य किसी संवर्ग बाह्य पद में नियुक्तियों / पदोन्नति के मामलों में, जहां कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प देता है तब दूसरे अथवा बाद के संवर्ग बाह्य पदों के वेतनमान में उसके वेतन को केवल संवर्ग पद के वेतन के संदर्भ में सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जाएगा। संवर्ग बाह्य पद (पदों) के समय वेतनमान के समरूप समय वेतनमान पर पहले किसी मौके (मौकों) पर धारित संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्तियों के संबंध में मूल नियम 22 के परन्तुक 1 (iii) का लाभ तथापि, अनुज्ञेय होगा।

5.3 पिछले संवर्ग बाह्य पद की तुलना में किसी उच्चतर वेतनमान में दूसरे अथवा उसके बाद के संवर्ग बाह्य पर (पदों) पर नियुक्तियों के मामले में वेतन को संवर्ग पद में लिए गए वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाए और यदि इस प्रकार से नियत किया गया वेतन पिछले संवर्ग बाह्य पद में लिए गए वेतन से कम बैठता है तो अन्तर की राशि को वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमत किया जाए जो कि वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में समाहित कर ली जाएगी। किन्तु यह, इस शर्तों के अध्यधीन है कि कर्मचारी के दोनों ही मौकों पर संवर्ग बाह्य पदों से संबद्ध वेतनमानों में वेतन लेने का विकल्प दिया हो।

5.4 यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का, ठीक नीचे के नियम अथवा अन्य किसी नियम के अधीन उसकी संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति होने के कारण, मूल वेतन पद के वेतनमान के अधिकतम अथवा पद के नियत वेतन से अधिक हो जाता है तो कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को उस तारीख से, जिसको कि उसका वेतन ऐसे अधिकतम से अधिक हो जाता है, अधिक से अधिक छह मास की अवधि तक के लिए सीमित कर दिया जाना चाहिए और उसे उक्त अवधि के भीतर उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए।

5.5 ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसका मूल वेतन उसकी प्रस्तावित प्रतिनियुक्ति के समय, संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान के अधिकतम अथवा संवर्ग बाह्य पद के निर्धारित वेतन से, जैसा भी मामला हो, अधिक बैठता है, उसे ऐसे किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता :

6.1 अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता निम्नलिखित पदों पर देय होगा :—

(क) जब स्थानान्तरण उसी स्टेशन पर किया जाता है तो कर्मचारी के मूल वेतन का 5% जो अधिकतम रु० 250/– प्रतिमाह होगा।

(ख) अन्य सभी मामलों में कर्मचारी के मूल वेतन का 10% जो अधिकतम रु० 500/– प्रतिमास होगा :

किन्तु शर्त यह है कि मूल वेतन तथा प्रति नियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता किसी भी समय रु० 7,300/–प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी 1:—इस प्रयोजन से "उसी स्टेशन" शब्दावली का निर्धारण उस स्टेशन के संदर्भ में दिया जाएगा जहां वह व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले ड्यूटी पर था।

टिप्पणी 2:— जब पहले धारित पद के संदर्भ में मुख्यालय में कोई परिवर्तन नहीं है तो स्थानान्तरण को उसी स्टेशन के भीतर माना जाना चाहिए तथा यदि मुख्यालय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उस स्टेशन के रूप में नहीं माना जाएगा। जहां तक पुराने मुख्यालय के उसी शहरी समूह में आने वाले स्थानों का संबंध है, उन्हें उसी स्टेशन के भीतर स्थानान्तरण के रूप में माना जाएगा।

6.2 किसी स्थान विशेष में, विशेष रूप से रहने की परिस्थिति में कठिन अथवा आकर्षक न होने के कारण, अलग आदेशों के अधीन प्रतिनियुक्त (ड्यूटी) भत्ते की विशेष दरें अनुज्ञेय की जाएं। जहां विशेष दरें, ऊपर 6.1 के अधीन दी गई दरों से अधिक लाभप्रद हैं वहां ऐसे क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को विशेष दरों का लाभ दिया जाएगा।

6.3 उपर्युक्त 6.1 के अनुसार यथा अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को आगे इस प्रकार सीमित किया जाए कि कर्मचारी के मूल संवर्ग में समय समय पर उसका मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के वेतनमान के अधिकतम से आगे न बढ़े।

6.4 प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के विनियमन के बारे में, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को उपयुक्त 6.3 के उपबन्धों के लागूकरण के अध्यधीन आसन्न कनिष्ठ नियम (नेक्स्ट बिलो रुल) का लाभ दिया जाए।

6.5 जब कभी, पांचवे वर्ष अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए दूसरे वर्ष के लिए भी प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि प्रदान की जाती है तो, यह इस विशिष्ट शर्तों पर दी जाएगी कि अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने की हकदारी नहीं होगी।

6.6 यदि कोई कर्मचारी (सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से) अपने मूल संवर्ग में वापिस हुए बिना ही किसी एक मंत्रालय/विभाग/संगठन में किसी एक पद से उसी अथवा अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन में दूसरे पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो, तथा यदि दूसरा संवर्ग बाह्य पद उसी स्टेशन पर जिस पर कि पहला संवर्ग बाह्य पद है, तो प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6.7 उन मामलों में जहां, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति का स्थानान्तरण उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा, उसके द्वारा धारित पद में कोई परिवर्तन किये बिना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कर दिया जाता है तो प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की दर वही रहेगी जैसा कि प्रारम्भिक तैनाती के समय निर्धारित की गई थी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

7. प्रतिनियुक्त के समय अन्य किसी वेतन तथा भत्तों की अनुज्ञेयता :

7.1 परियोजना क्षेत्र में अनुज्ञेय कोई परियोजना भत्ता प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के अलावा लिया जाए।

7.2 मूल विभाग में किसी कर्मचारी द्वारा लिया गया कोई अन्य विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति (वेतन) भत्ते के अतिरिक्त, लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु फिर भी, सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को उन मामलों में उपयुक्त रूप से सीमित कर सकती है, जहां, विशेष परिस्थितियों के अधीन, किसी अधिकारी द्वारा उसके मूल संवर्ग में गैर-आवधिक पद पर उसके प्रतिनियुक्ति वाले पद में उसके मूल वेतन के अतिरिक्त लिए गए विशेष वेतन को लिए जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की विशिष्ट रूप से पूर्व सहमति प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।

7.3 कर्मचारी द्वारा अपने मूल विभाग में लिया गया वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, लिया जाना उस समय तक जारी रहेगा, जब तक कि यह वेतन की अन्य वेतनवृद्धि में समाहित नहीं कर लिया जाता अर्थात पदोन्नति द्वारा वेतन में वृद्धियां अथवा वृद्धि अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जब तक यह गैर समाहित स्वरूप का वैयक्तिक वेतन (अथवा वैयक्तिक वेतन के रूप में विशाष वेतन, जैसे कि अर्हता वेतन आदि) नहीं है।

7.4 यदि संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान के साथ, विशेष वेतन जुड़ा हुआ होता है तथा कर्मचारी ने उक्त वेतनमान में अपने वेतन के अतिरिक्त, उक्त वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प दिया है तो वह इस प्रकार के विशेष वेतन को लेने का पात्र होगा।

8. प्रतिनियुक्ति की कार्यावधि

8.1 प्रतिनियुक्ति की अवधि सभी मामलों में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी सिवाय उन पदों के मामलों का जहां भर्ती नियमों में कार्यावधि लम्बे समय के लिए निर्धारित की गई है ।

8.2 प्रशासनिक मंत्रालय इस सीमा के बाद एक वर्ष तक, उन मामलों जहां ऐसी वृद्धि लोक हित में दी जानी आवश्यक समझी जाती है, अपने सचिव का आदेश प्राप्त करने के बाद, समय वृद्धि मंजूर कर सकते हैं ।

8.3 उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग, पांचवे वर्ष के लिए अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक की दूसरे वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि, जहां पूर्णतः आवश्यक होती है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर कर सकते हैं :—

(i) 5वें वर्ष के लिए अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक, दूसरे वर्ष के लिए, कार्यावधि नियमों के कड़ाई से लागूकरण के लिए जारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा केवल इक्का-दुक्का तथा आपवादिक परिस्थितियों में ऐसी समयवृद्धि मंजूर की जानी चाहिए ।

(ii) यह समय वृद्धि पूर्णतः लोकहित में तथा उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग के संबंधित मंत्री के पूर्व/अनुमोदन से दी जानी चाहिए ।

(iii) जहां ऐसी समय वृद्धि मंजूर की जाती है, वहां यह इस विशिष्ट शर्त पर होगी कि अधिकारी प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा ।

(iv) समय वृद्धि उधार देने वाले संगठन, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी तथा जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगी ।

8.4 उन मामलों में, जहां समय में वृद्धि 5वें वर्ष अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से अधिक दूसरे वर्ष के बाद दी जाती है, वहां इस वृद्धि को केवल कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा । इस संबंध में प्रस्ताव, समय वृद्धि के समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व इस विभाग में पहुंच जाना चाहिए ।

8.5 जब प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि मंजूर करने पर विचार किया जाता है तो इस वृद्धि को उन मामलों में, जहां अधिकारी के बच्चे स्कूल/कालेज में जाते है वहां इस प्रकार वृद्धि की जाए कि संबंधित अधिकारी शैक्षिक वर्ष के पूरे होने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बना रहे ।

8.6 प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि की गणना के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी गणना में लिया जाएगा ।

8.7 यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, कर्मचारी का मूल वेतन पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो जाता है अथवा आसन्न कनिष्ठ नियम (नेक्स्ट बिलो रूल) के अधीन अथवा अन्यथा उसके संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति के कारण उक्त पद का वेतनमान मूल वेतन के अधिकतम से अधिक निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति को उस तारीख से जिसको कि उसका वेतन ऐसे अधिकतम से अधिक हो जाता है, अधिक से अधिक छह मास के लिए सीमित कर दिया जाना चाहिए तथा उक्त अवधि के भीतर उसे उसके मूल विभाग में वापिस भेज दिया जाना चाहिए ।

8.8 यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, आसन्न कनिष्ठ नियम के अधीन मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति के कारण कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के साथ सम्बद्ध वेतनमान से अधिक उच्चतर वेतनमान के लिए हकदार हो जाता है तो, उसे उपयुक्त 8.7 के अध्यधीन सामान्य प्रतिनियुक्ति को पूरा करने की अनुमति दी जाए, किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

9. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान पदोन्नतियां

9.1 यदि किसी कर्मचारी को जो कि पहले ही प्रतिनियुक्ति पर है, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य पद पर पदोन्नत/नियुक्त किया जाना है तो ऐसी स्थिति में उधार लेने वाले प्राधिकारी को उसकी पदोन्नति/नियुक्ति करने से पूर्व, उधारदाता प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करनी चाहिए ।

9.2 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी को इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अन्य उपबन्धों के लागू किए जाने के अध्यधीन आसन्न कनिष्ठ नियम का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए ।

10. प्रतिनियुक्ति को सेवावधि की समाप्ति पर छुट्टी की स्वीकृति

प्रतिनियुक्ति पद से मूल संवर्ग में परावर्तन होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को, उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा दो माह से अधिक की छुट्टी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । संबंधित कर्मचारी को आगे की छुट्टी के लिए अपने संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

11. प्रतिनियुक्त कर्मचारी का मूल संवर्ग में समयपूर्व परावर्तन

सामान्यतः जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवावधि समाप्त होने पर उसकी सेवाएं मूल मंत्रालय/विभाग को सौंप दी जाती हैं। तथापि, जब कभी, प्रतिनियुक्त कर्मचारी को मूल संवर्ग में समयपूर्व परावर्तन करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवाएं, उधार-दाता प्राधिकारी तथा कर्मचारी को इसकी समुचित सूचना देने के बाद ही लौटायी जा सकेंगी।

12. प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की मंजूरी

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, इन शर्तों के अनुसार ही अपने कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को जो कि उनके अधीन कार्यालयों में कार्यरत हैं, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे। इस प्रकार की मंजूरियां या तो उस मंत्रालय/विभाग द्वारा कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके अथवा मंत्रालय/विभाग द्वारा कर्मचारियों की सेवाएं उधार लेकर, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो भी युक्तिसंगत हो, दी जाएं।

13. शर्तों में छूट

इन शर्तों में किसी प्रकार की छूट के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होगा।

14. ये आदेश पहली अप्रैल, 1988 से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार, प्रशासनिक और कार्मिक विभाग का दिनांक 29-4-88 का का०ज्ञा०सं० 2/12/87 स्था० (वेतन II)।]

11 (क) सरकार के अधिन संवर्ग-बाह्य पदों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्थानांतरण के आधार पर प्रतिनियुक्ति—

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/12/87-स्था० (वेतन-II) का हवाला दिया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 4.1 और 5.1 में निम्नलिखित व्यवस्था है:—

पैरा 4.1 "प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी या तो प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन चुन सकता है अथवा मूल संवर्ग में अथवा मूल वेतन, जमा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, जमा प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस तरह से निर्धारित वेतन किसी भी स्थिति में संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान की न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए"।

पैरा 5.1 "जब प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान में वेतन चुनता है, तो उसका वेतन संवर्ग पद के उसके वेतन के संदर्भ में जिस पद पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, सामान्य नियमों के अधीन निर्धारित किया जाए"।

2. इन प्रावधानों की अन्तर्निहित भावना/आशय यह है कि 1-4-1988 से अर्थात् जब केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को संगत् भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य पद पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है और वह इस विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 1988 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों द्वारा शासित होता है तो इस स्थिति में उसे यह विकल्प उपलब्ध होता है कि वह या तो प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन ले सकता है अथवा वह उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ते तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, सहित मूल संवर्ग का अपना मूल वेतन प्राप्त कर सकता है। परन्तु यदि वह कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प देता है तो उसका वेतन संवर्ग पद के वेतन के अनुसार, सामान्य नियमों के अधीन निर्धारित किया जाना होगा। परन्तु सामान्य नियमों के अधीन संवर्ग-बाह्य पद में उसका वेतन निर्धारित करते समय एफ०आर० 35 के अन्तर्गत अथवा उक्त मूल नियम के आदेशों के अन्तर्गत विद्यमान प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी स्थिति में कर्मचारी का वेतन संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान की न्यूनतम राशि से कम स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाएगा।

3. फिर भी, यदि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ते सहित मूल संवर्ग का अपना ग्रेड वेतन प्राप्त करने का विकल्प देता है तो यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि मूल संवर्ग में उसका मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता किसी भी समय रु० 7,300 प्रतिमाह से अधिक न हो पाए। ऐसे मामलों में मूल संवर्ग के वेतन तथा संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान के न्यूनतम के बीच कोई संबंध नहीं होगा।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 11-9-89 का का० ज्ञा० सं० 2/12/87-स्था० (वेतन II)।]

11 (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बाह्य सेवा के आधार पर प्रतिनियुक्ति होने पर उनके वेतन का नियतन।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बाह्य सेवा के आधार पर प्रतिनियुक्ति

होने पर उनका वेतन निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :—

वेतन :—जब किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जहां औद्योगिक दरों पर महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता है, किसी पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है तो (i) उसे यह विकल्प देना होगा कि या तो वह ग्रेड वेतन तथा अपने ग्रेड वेतन के 10% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता लेगा जिसकी अधिकतम सीमा 500 रुपये प्रतिमास होगी, अथवा (ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के पद से जुड़े वेतनमान में वेतन लेगा।

जब कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के पद के समय वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प देता है, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में उसका वेतन, सरकार के संवर्ग पद के वेतनमान में उसके ग्रेड वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़ देने के पश्चात् प्राप्त राशि के अगले स्तर पर नियत किया जाएगा (और यदि वह वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो तो सबसे बाद की वेतनवृद्धि जोड़ी जाएगी) तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में उसकी प्रतिनियुक्ति की तारीख को सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय दर से ऐसे वेतन पर महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता तथा अंतरिम राहत प्राप्त करेगा तथा उस राशि में से उपक्रमों में पदों पर लागू औद्योगिक दर पर महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम राहत यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। फिर भी, जिस पद पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है, उस पद के वेतनमान में उसका इस प्रकार नियत किया गया वेतन पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए और ना ही अधिकतम से अधिक होना चाहिए। एक बार दिया गया विकल्प निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ कर अन्तिम होगा :—

(i) जबकि ऐसे कर्मचारी की आसन्न निकट नियम (एन० बी० आर०) के अधीन उसके मूल विभाग में प्रोफोर्मा पदोन्नति हो जाती है, अथवा उसे मूल विभाग में निम्न ग्रेड प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, अथवा उसे उक्त उपक्रम में किसी अन्य ग्रेड में नियुक्त कर दिया जाता है; या

(ii) जब प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान अथवा मूलसंवर्ग में प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा धारित पद का वेतनमान संशोधित कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी को नया विकल्प देने की अनुमति होगी।

वेतन वृद्धियां :—सरकारी कर्मचारी स्थिति के अनुसार अपने मूल ग्रेड में वेतन प्राप्त करेगा अथवा प्रतिनियुक्ति पद के साथ जुड़े ग्रेड में वेतन प्राप्त करेगा जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसने अपने ग्रेड में वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का विकल्प दिया है/अथवा प्रतिनियुक्ति पद का समय-वेतन मान लेने का विकल्प दिया है।

महंगाई भत्ता :—यदि कर्मचारी उक्त पद के समय-वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प देता है तो वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियमों के अधीन महंगाई भत्ते का हकदार होगा। अन्य मामलों में, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते का हकदार होगा।

अन्य भत्ते :—जहां तक अन्य भत्तों और रियायतों का सम्बन्ध है, वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तदनुरूपी कर्मचारियों को अनुज्ञेय भत्तों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

ये आदेश कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के अनुसार लागू संशोधित वेतनमान में वेतन लेने की तारीख से लागू होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 9-12-86 का का०ज्ञा०सं० 6/30/86 स्था० (वेतन II)।]

11(घ) भारत सरकार बाह्य सेवा पर प्रतिवर्तित किए जाने पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी जो औद्योगिक दरों पर महंगाई भत्ता ले रहे हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपने वेतन तथा भत्ते आदि के बारे में निम्नलिखित शर्तों का प्रस्ताव किया जा सकता है :

(i) **वेतन** :—कर्मचारी को यह विकल्प होगा कि (क) वह या तो केन्द्रीय सरकार के अधीन बाह्य सेवा पर प्रतिवर्तित होने पर अपने द्वारा धारित पद के वेतनमान में वेतन लेना, अथवा (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अपना ग्रेड वेतन और ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेगा और इस भत्ते की अधिकतम सीमा 250 रु० प्रतिमास होगी और पद के वेतनमान के अधिकतम का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। जब कर्मचारी उपर्युक्त (क) के लिए विकल्प देता है तो उसका प्रारम्भिक वेतन नियत करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में उसके द्वारा लिए जा रहे वेतनमान के ग्रेड वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़ी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाए गए वेतन में उपयुक्त महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत, यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अनुज्ञेय है, जोड़ देने के बाद जो वेतन बनता है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार के अधीन उसका वेतन तथा सरकार में अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई

भत्ता, तदर्थ मंहगाई भत्ता और अन्तरिम राहत शामिल करके सरकारी पद के वेतनमान में आयुक्त स्तर पर नियत किया जाएगा। यदि सरकारी पद के वेतनमान में ऐसे वेतन के समतुल्य कोई स्टेज नहीं है तो उसका वेतन वेतनमान के अगले स्टेज पर नियत किया जाएगा। किन्तु इस प्रकार से नियत किया गया वेतन सरकार के अधीन वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं होगा। इस कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत वेतन नियतन के उदाहरणों के कुछ मामले संलग्न अनुबन्ध में दिए गए है।

(ii) **भत्ते :**— जब उपर्युक्त (क) के लिए विकल्प दिया जाता है तो भत्ते तथा परिलब्धियां केन्द्रीय सरकार के अधीन पद के लिए लागू भत्तों आदि के अनुसार नियमित की जाएगी। जो व्यक्ति उपर्युक्त (ख) के लिए विकल्प देते हैं, उन्हें उनके मूल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अनुज्ञेय दरों पर भत्ते तथा परिलब्धियां लेने की अनुमति दी जा सकती हैं बशर्ते कि इसी स्वरुप के भत्ते तथा परिलब्धियां सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध हों और ऐसे भत्ते आदि लेने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित शर्तें, यदि कोई हैं, पूरी होती हों। ऐसी परिलब्धियों तथा भत्तों के बारे में जो सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं है, शर्तों पर निर्णय करने से पूर्व कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी। किन्तु प्रतिवर्तित बाह्य सेवा की अवधि के दौरान, सामान्य प्रभारों का भुगतान करके निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहन के सीमित उपयोग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी चाहे इसी प्रकार की सुविधा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को उपलब्ध है।

(iii) **छुट्टी का नकदीकरण :**—प्रतिवर्तित बाह्य सेवा की अवधि के दौरान, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, कर्मचारी सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के छुट्टी नियमों द्वारा शासित होगा क्योंकि छुट्टी वेतन अंशदान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को देय होता है। अतः छुट्टी का नकदीकरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार विनियमित होगा और इस सम्बन्ध में दायित्व उधार देने वाले संगठन का होगा।

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के ऐसे कर्मचारी जिन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता मिलता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता ले रहे हैं और जो केंद्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाते है, उनकी शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले उनके मामलों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जा सकता है।

3. राज्य सरकार के कर्मचारी जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 7-11-75 के उपर्युक्त का० ज्ञा० के पैरा 4.3 के अनुसार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-9-81 के का० ज्ञा० सं० 2 (23) स्था (वेतन-II)/81 द्वारा यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के उक्त का० ज्ञा० में निर्धारित शर्तें फिलहाल राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू हैं जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है चूंकि बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान 6-1-1973 के बाद संशोधित कर दिए हैं अतः यह निर्णय किया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 में दी गयी वेतन तथा भत्तों से सम्बन्धित शर्तें जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रतिवर्तित बाह्य सेवा पर अनुज्ञेय हैं, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान भी लागू कर दिया जाय।

4. लागू होने की तारीख और विकल्प।

ये आदेश पहली दिसम्बर से लागू होंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे कर्मचारी जो पहले ही बाह्य सेवा से प्रतिवर्तित है और राज्य सरकारों के कर्मचारी जो पहले ही भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें यह विकल्प रहेगा कि अपनी मौजूदा प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान या तो वे वर्तमान सेवा शर्तों द्वारा शासित होते रहेंगे या इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों के अधीन आ जाए। आगे की बढ़ाई गयी सेवा अवधि के दौरान वे केवल इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबन्धों से ही शासित होंगे। अन्य कर्मचारियों के मामले में वेतन के नियतन के लिए उक्त पैरा 1 (1) के अधीन दिए जाने वाला विकल्प प्रतिनियुक्ति पर आने के एक महीने के भीतर देना आवश्यक होगा और वह विकल्प प्रतिनियुक्ति पर आने की तारीख से प्रभावी होगा। एक बार दिया गया विकल्प निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ कर अन्तिम होगा; जबकि—

(क) ऐसे किसी अधिकारी की आसन्न वरिष्ठ नियम के अन्तर्गत उसके मूल कार्यालय में प्रोफार्मा पदोन्नति हो जाती है अथवा उसे मूल कार्यालय में निम्न ग्रेड में पदावनत कर दिया जाता है, अथवा उसे सरकार में अन्य ग्रेड में नियुक्त कर दिया जाता है, और

(ख) जब उनके मूल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पद अथवा प्रतिनियुक्ति कर्मचारी द्वारा धारित पद का किसी पिछली अथवा आगे की तारीख से वेतनमान संशोधित कर दिया जाता है।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 26-12-1984 का का०ज्ञा०सं० 1/4/84-स्था० (वेतन II)।]

12. आयोग द्वारा चयन से भर्ती के तरीके द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त—

उपर्युक्त विषय के संबंध में मौजूदा नियमों/आदेशों के अनुसार वेतन का संरक्षण उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जिन्हें यदि ऐसे उम्मीदवार सरकारी सेवा में हों, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती की विधि से नियुक्त किया जाता है। वेतन का ऐसा संरक्षण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को जब वे सरकारी सेवा में इस प्रकार नियुक्त होते हैं, नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप, सरकार के लिए गैर-सरकारी संगठनों में उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ले पाना संभव नहीं हो पाया है।

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के मामले में वेतन का संरक्षण कैसे दिया जाए इससे संबंधित प्रश्न कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों के संबंध में जिन्हें, एक उपयुक्त रूप से गठित अभिकरण, जिसमें सीधी भर्ती करने वाले विभागीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं, के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती वालों के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनके प्रारंभिक वेतन का निर्धारण पद से संबद्ध वेतनमान के उस स्तर में किया जाए जिससे कि सरकारी कार्यालय में स्वीकार्य वेतन तथा महंगाई भत्ता उनके मूल संगठनों में उनके द्वारा पहले से ही लिए जा रहे वेतन तथा महंगाई भत्ते का संरक्षण कर सकें। उस पद पर ऐसा स्तर जिस पर उनको भर्ती की गई है उपलब्ध न होने की स्थिति में उनका वेतन उस पद के वेतनमान में जिस पर उनकी भर्ती की गई है, के ठीक निचले स्तर पर निर्धारित किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को होने वाली न्यूनतम हानि सुनिश्चित की जा सके। इस नियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन उस पद के जिस पर उनकी भर्ती की गई है वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा। वेतन का निर्धारण नियोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे संगठनों में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी न्यायसंगत दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् किया जाएगा।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

4. ये आदेश उस महीने की पहली तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसमें यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाएगा।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 7-8-89 का का० ज्ञा० सं० 12/8/88 वेतन (I)]

अनुबंध

दृष्टान्त-I

सरकारी सेवा में रु० 3,000–100–3,500–125–4,500 के वेतनमान में नियुक्त किए जाने वाला रु० 2,550/- मूल वेतन तथा रु० 1,016.55 महंगाई भत्ते सहित रु० 2,450–100–2,750 के वेतनमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में

	रु०
मूल वेतन	2,550.00
महंगाई भत्ता	1,016.55
तदर्थ राहत	840.00
कुल	4,406.55

सरकारी कार्यालय में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

	I	II	III
	रु०	रु०	रु०
मूल वेतन	3,000.00	3,500.00	3,625.00
महंगाई भत्ता 23%	690.00	805.00	805.00
कुल	3,690.00	4,305.00	4,430.00

अत: वेतन केन्द्रीय सरकार में उनकी नियुक्ति पर रु० 3500 निर्धारित किया जाएगा।

दृष्टान्त-II

केन्द्रीय सरकार में रु० 4,100–125–4,850–150–5300 के वेतनमान में नियुक्त किया जाने वाला रु० 3,100 के मूल वेतन तथा रु० 1,016.55 महंगाई भत्ते सहित रु० 3,000-100-3700 के वेतनमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का अन्य अधिकारी :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में

	रु०
मूल वेतन	3,100.00
महंगाई भत्ता	1,016.55
तदर्थ राहत	1,080.00
कुल	5,196.55

21—311 D.P. & T/ND/88

केन्द्रीय सरकार में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाऐगा :

	I	II	III
	रु०	रु०	रु०
मूल वेतन	4,100.00	4,350.00	4,475.00
महंगाई भत्ता 17%	697.00	739.50	760.75
	4,797.00	5,089.50	5,235.75

अत: केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति पर वेतन रु० 4350/- निर्धारित किया जाएगा ।

महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1949 के नियम 5 के अधीन सेवा से कार्य मुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन को, उनकी पुनर्नियुक्ति पर, कैसे भी नियमित किया जाना चाहिए; यह प्रश्न पिछले कुछ समय से विचाराधीन था । यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 5 के अधीन किसी कर्मचारी की कार्य मुक्ति सेवा से हटाने अथवा पदच्युति करने के बराबर नहीं है तथा पुनर्नियुक्ति पर मूल नियम 22 में परन्तुक के उपबन्धों को लागू करने में, बशर्ते की वे अन्यथा लागू न होते हों, कोई आपत्ति नहीं होगी ।

[महानिदेशक, डाक व तार का तारीख 28 नवम्बर, 1962 का पत्र संख्या 30/14/एस०पी०बी०/पी०ए०पी ।]

कार्मिक विभाग था वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने से जांच करने के पश्चात् यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अधीन सेवाएं समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के मामलों में उपर्युक्त निर्णय समान रूप से लागू होता है ।

[महानिदेशक, डाक व तार का तारीख 11 मई, 1971 का पत्र सं० 2-79/70-पी०ए०पी० ।]

लेखापरीक्षक अनुदेश

(1) समय वेतनमान हाल में लागू किया हो सकता है जब कि संवर्ग अथवा श्रेणी जिससे यह संबद्ध है, समय वेतनमान लागू होने से पूर्व ग्रेडिड वेतनमान विद्यमान रहा हो अथवा यह भी हो सकता है कि एक समय वेतनमान ने दूसरे की जगह ले ली हो ।

यदि सरकारी सेवक ने नए समय वेतनमान के लागू होने से पूर्व संवर्ग अथवा श्रेणी में पद को अधिष्ठायी रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से धारित कर रखा है तथा उस अवधि के दौरान नए वेतनमान में, किसी अवस्था अथवा दो अवस्थाओं के बीच की तन्खाह अथवा वेतन आहरित किया है, तो नए वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन आहरित तन्खाह अथवा वेतन पर किया जाए तथा अवधि जिसके दौरान वेतन आहरित किया था अथवा तन्खाह या वेतन दो अवस्थाओं के बीच का था तो उसकी गणना उसी अवस्था पर वेतनवृद्धि के लिए अथवा उक्त समय वेतनमान के निम्नतर अवस्था में की जाए ।

उपर्युक्त उपबन्ध उन पदों पर लागू नहीं होंगे जिनका वेतन घटा दिया गया है ।

[लिखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुन: मुद्रित) की धारा 1 अध्याय IV, पैरा 3 (i) ।]

(2) **मूल नियम 22 (क) (ii) के अधीन वैयक्तिक वेतन की प्राप्ति पर वेतन का निर्धारण जब वह अगली वेतनवृद्धि अर्जित कर लेता है :**—जब नए अथवा पुराने दोनों में से किसी एक पद के समय वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि देय हो जाती है तो सरकारी सेवक को नए पद के समय वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि लेनी चाहिए तथा पुराने पद से समय वेतनमान में वैयक्तिक वेतन तथा सभी सुविधाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी । सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन केवल प्रारम्भिक वेतन के उद्देश्य के लिए दिया जाता है न कि नए समय वेतनमान में किसी बाद के अवस्था पर जिसमें सरकारी सेवक ने सम्भवत: उस वेतन से कम वेतन ले सकेगा जो उसने पुराने वेतनमान में रह कर लिया होता ।

[लिखा परीक्षा अनुदेशों सम्बन्धी मैनुअल (पुन: मुद्रित) की धारा 1, अध्याय, IV के पैरा 3 (ii) ।]

(3) **मुद्रित नहीं है ।**

(4) मूल नियम 22 तथा 23 के उद्देश्यों के लिए वेतन की कतिपय (दर नियत अथवा समय वेतनमान) में अस्थायी पद जो वेतन की विभिन्न दर में स्थायी पद में परिवर्तित हो गए हैं, "वही पद" नहीं है जैसा कि स्थायी पद भले ही कर्त्तव्य वहीं बने रहें/दूसरे शब्दों में, मूल नियम 9 (30) को ध्यान में रखते हुए अस्थायी पद को समाप्त हुआ मान लिया जाए अथवा उसकी जगह स्थायी पद हुआ माना जाए, द्वारा बदल दिया गया है । अस्थायी पद का पदधारी इस प्रकार केवल (स्थायी पद के वेतन का हकदार है, यदि यह वेतन की निर्धारित दर में ही अथवा) स्थायी पद के समय वेतनमान के न्यूनतम वेतन का, हकदार है यदि यह समय वेतनमान में है, जब तक कि उसका मामला मूल नियम 22 के परन्तुक (1) (ii) तथा 1 (iii) में अनुज्ञेय रियायत के अन्तर्गत न आता हो ।

टिप्पण :— इस निर्णय द्वारा केन्द्रीय सिविल विनियमावली, अनुच्छेद 370 के उपबन्ध प्रभावित नहीं होते हैं ।

[लिखा परीक्षा के अनुदेश संबंधी मैनुअल (पुन: मुद्रित) की धारा 1, अध्याय IV, का पैरा 3 (iv) ।]

(5) मूल नियम 22 के खण्ड (क) में आने वाली "यदि किसी स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार है" अभिव्यक्ति में ऐसे स्थायी पद पर धारणाधिकार भी शामिल

समझा जाए जिसमें सरकारी सेवक मूल नियम 14 (घ) के अधीन अन्तिम अधिष्ठायी हैसियत से नियुक्त किया गया है, तथा नियम में आने वाली "पुराने पद के सम्बन्ध में अधिष्ठायी वेतन" अभिव्यक्ति में उस अन्तिम अधिष्ठायी नियुक्त के सम्बन्ध में उसका अधिष्ठायी वेतन भी शामिल समझा जाए। अतएव मूल नियम 22 (क) में, अन्तिम अधिष्ठायी नियुक्ति के सम्बन्ध में, जिस दूसरे पद पर उसे नियुक्त किया गया है, उसके प्रारम्भिक वेतन को निर्धारित करने में अधिष्ठायी वेतन को ध्यान में रखा जाएगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी पद पर प्रारम्भिक वेतन इस प्रकार नियत किया जाए तो उस पद पर अपनी नियुक्ति की कालावधि के दौरान अपनी अनंतिम नियुक्ति से प्रत्यावर्तित हो जाने पर भी उसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनः मुद्रित) का खण्ड I अध्याय IV पैरा 3 (iv)]।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक को समय वेतनमान के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन उसका वेतन मूल नियम 35 के अधीन समय वेतनमान के न्यूनतम से नीचे नियत किया गया है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने मूल नियम 22 के अर्थों में उस पद पर प्रभावकारी रीति से स्थानापन्न रूप से कार्य किया है अथवा मूल नियम 26 के अर्थों में उसने पद पर ड्यूटी दी है। ऐसे अधिकारी को, स्थायी क्रम पर, मूल नियम 22 (ख) के अधीन आरम्भिक वेतन नियमित करा लेना चाहिए तथा अपने स्थायीकरण की तारीख से हिसाब लगा कर अपेक्षित सामान्य अवधि की ड्यूटी के कर लेने बाद अगली वेतन-वृद्धि लेनी चाहिए।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनः मुद्रित) खण्ड I, अध्याय IV का पैरा 12 (II)]।

(7) उस मामले में जहां समय वेतनमान में विराम उदाहरणार्थ रु० 375-50-525-525-50-625-625-50-975 के वेतनमान में 525 रु० तथा 625 रु० की अवस्था पर विराम है। वहां वास्तव में वेतन की उसी दर पर दो अवस्थाएं है तथा पदधारी अपने सेवा के पहले वर्ष के दौरान उस दर पर पहली अवस्था पर होता है तथा पहले वर्ष की समाप्ति पर ही दूसरी अवस्था प्राप्त करता है तथापि जहाँ वेतनमान 375-50-525-50/2-575-50-625-50/2-675-25-975 रुपये के रूप में है तो रुपये 525 तथा रुपये 625 के स्तर द्विवार्षिक वेतन-वृध्दियां पूरे दो वर्षों की वेतनवृद्धि अवधि के पश्चात ही प्राप्त करेगा तथा यह नहीं कहा जा सकता कि क्रमशः पहले तथा दूसरे वर्ष के दौरान लिए जाने वाले वेतन की समान दर पर दो अवस्थाएं है।

2. ऊपर निर्दिष्ट किए गए दो प्रकार के वेतनमानों के बीच का अन्तर केवल मूल नियम 22 (क) (11) के अधीन वेतन नियम वाले मामलों के सम्बन्ध में ही सारवान होगा जहां तक मूल नियम 22 (क) (1) के अधीन वेतन नियतन संबंधी मामलों का संबंध है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि समय वेतनमान का स्वरुप क्या है, वही कार्रवाई की जाएगी। क्रमशः मूल नियम 22 (क) (1) तथा 22 (क) (ii) के अधीन ऐसे मामलों में वेतन का नियतन किस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए नीचे निर्दिष्ट किया गया है :—

3. मूल नियम 22 (क) (i) के अधीन वेतन का नियतन :—

मूल नियम 22 (क) (i) में उल्लिखित "पुराने पद के सम्बन्ध में उसके अधिष्ठायी वेतन से ठीक ऊपर समय वेतनमान की अवस्था" शब्दों का अर्थ समय वेतनमान की अवस्था से है। जो कि उसके अधिष्ठायी वेतन से ठीक ऊपर रकम है भले ही, नए पद के समय वेतनमान में केवल द्विवार्षिक वेतनवृद्धियां हो अथवा इस वेतनमान में उसके अधिष्ठायी वेतन के बराबर अवस्था में विराम पड़ता हो। उदाहरण के लिए, यदि 275-25-500-द०रो०-30-650-30-द०रो०-800 रुपये के वेतनमान में, स्थायी पद में 350 रु० प्रतिमाह अधिष्ठायी वेतन प्राप्त करने वाले किसी अधिकारी को 350-350-380-380-30-590-द०रो०-30-770-40-850 रु० के वेतनमान में उत्तरदायित्वों वाले पद में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है तो बाद के वेतनमान में उसका स्थानापन्न वेतन को 350 रुपये प्रतिमाह ही दूसरी अवस्था की बजाए रुपये 380 पर नियत किए जाए।

4. मूल नियम 22 (क) (ii) के अधीन वेतन का नियतन :—

I. वे मामले जिसके समय वेतनमान में विराम है :—

(i) जब पुराने पद में अधिष्ठायी वेतन पद के समय वेतनमान में किसी अवस्था के बराबर नहीं है, तो पदधारी अपना वेतन अपने अधिष्ठायी वेतन के ठीक नीचे की अवस्था पर प्राप्त करेगा तथा अन्तर की राशि को वैयक्तिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा। यदि उस अवस्था में कोई विराम है तो वेतन दूसरी अवस्था में नियत किया जाएगा। इस नियतन के प्रयोजन के लिए यह नगण्य है कि जिस अवस्था में पुराने पद में वेतन लिया गया था उसमें कोई विराम है या नहीं? तथा उसने वह वेतन पहली अवस्था में लिया गया है या दूसरी में।

(ii) यदि पुराने पद में लिया गया वेतन नए पद के समय वेतनमान में किसी अवस्था के अनुरुप हो तो नए पद में वेतन उस अवस्था में नियत किया जाएगा। यदि वहां नए पद के वेतनमान में उस अवस्था में कोई विराम है, तो वेतन का नियतन पहली अवस्था में किया जाएगा। तथापि यदि पुराने पद से संबद्ध वेतनमान में उस अवस्था में कोई विराम है तो नए पद में वेतन, पहली या दूसरे अवस्था में इस तरह

से जैसे कि पुराने वेतन में पहली या दूसरी अवस्था में लिया गया था, नियत किया जाएगा ।

(iii) उपर्युक्त (i) तथा (ii) दोनों में आने वाले मामलों में अधिकारी ऊपर उल्लिखित वेतन उस समय तक लेता रहेगा जब तक कि वह पुराने पद के समय वेतनमान में वेतनवृद्धि (अर्थात्, वेतन में वास्तविक वृद्धि में वेतन की समान दर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से अन्तर पड़ा है (अथवा उस अवधि के लिए जिसके पश्चात् नए पद के समय वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्थात वास्तविक वृद्धि) अर्जित की गई है, इसमें जो भी कम हो, अर्जित करता। उस अवधि के पश्चात् वह नए पद के समय वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि (अर्थात वास्तविक वृद्धि) लेगा तथा इसके साथ ही पुराने पद के समय वेतनमान में वैयक्तिक वेतन तथा उससे सम्बन्धित सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएगी ।

II. ऐसे मामले जहां वेतनवृद्धि द्विवार्षिक है :—

यहां सरकारी सेवक द्वारा पहली अथवा दूसरी अवस्था में समान दर पर वेतन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तथा नए वेतनमान के द्विवार्षिक प्रक्रम में वेतनवृद्धि सरकारी सेवक द्वारा उस अवस्था में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने के बाद ही प्राप्त की जा सकती जब किसी सरकारी सेवक का वेतन मूल नियम 22(क) (ii) के अधीन नए पद में ऐसी किसी अवस्था में वैयक्तिक वेतन के साथ अथवा उसके बिना, नियत कर दिया जाता है तो, उसका वेतन बढ़ाने के लिए वेतनवृद्धि द्विवार्षिक अवस्था से ठीक ऊपर की अवस्था में उस तारीख से देय होगी जिस तारीख को वह पुराने पद के समय वेतनमान में वेतनवृद्धि (वास्तविक वृद्धि) प्राप्त करता अथवा नए पद में दो वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात इनमें से जो भी पहले हो, तथा उस तारीख से उसका वैयक्तिक वेतन, यदि कोई होगा, खत्म हो जाएगा ।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनःमुद्रित) खण्ड I, अध्याय IV पैरा 3 (IV)] ।

(8) लेखा परीक्षा अनुदेश (7) के खण्ड (3) में अर्न्तनिहित अनुदेश, उन मामलों में जहां वेतन मूल नियम 22 ग के अधीन विनियमित किया जाना है यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होते हैं सिवाय इसके जैसा कि मूल नियम 22(क) (i) के मामले में होता है, पुराने पद में अधिष्ठायी वेतन के स्थान पर, वह वेतन जिसके संदर्भ में उच्चतर पद की अगली अवस्था को निर्धारित किया जाना है, ऐसा वेतन होगा जो कि सरकारी कर्मचारी के निम्न पद के वेतन के संदर्भ में उस स्तर पर जिस पर कि वह वेतन ले रहा था एक वेतनवृद्धि देकर जो भी प्रकल्पित वेतन बनेगा ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश का मैनुअल (पुनःमुद्रित) खण्ड I, अध्याय IV, पैरा 3 (VII) में सी० एस० 61 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया] ।

(9) लेखा परीक्षा अनुदेश (7) के खण्ड 3 में अर्न्तनिहित अनुदेश उन मामलों में यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होते हैं जहां वेतन वित्त मंत्रालय के दिनांक 21 जून, 1974 के का० ज्ञा० सं० एफ 1(10)-ई III (क)-74 के अधीन विनियमित किया जाना है, [भारत सरकार का आदेश संख्या (9)] सिवाय मूल नियम 22 (क) (i) के मामले में, वह वेतन जिसके संदर्भ में उच्चतर पद में अगली अवस्था का हिसाब लगाया जाना है वह वेतन होगा जो कि निचले पद के वेतनमान में लिया गया वेतन होगा और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि निचले पद की नियुक्ति मौलिक, स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में थी । अतः ऐसा कोई अधिकारी जो 2,000-125/2-2,250 रुपये के उच्चतर पद में स्थानापन्न हैसियत में अपनी नियुक्ति होने से पूर्व समूह "क" पद पर 1800-100-2,000 रुपये के वेतनमान में रु० 2,000 रुपये का वेतन ले रहा था उसे उच्चतर पद पर आरम्भिक वेतन दिनांक 21 जून, 1974 के का० ज्ञा० की शर्तों के अनुसार रुपये 2,125 मिलेगा ।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुनःमुद्रित) (खण्ड I, अध्याय IV, पैरा 3 (VIII) प्राधिकारी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की फाइल सं० 81 आडिट/81, में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 3 सितम्बर, 1981 का यू०ओ०सं० 1 (21) स्था० (वेतन I)] ।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्णय

1. लेखा कार्यालय के लिए मंजूर किए गए सामान्य समय वेतनमान के वेतन की दरों पर अस्थायी पद उक्त कार्यालय के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि मानी जाती है। भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (1) के अधीन संवर्ग से बाहर के पद से सेवा के सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन, को मूल नियम 22 के प्रयोजन से पद में अधिष्ठायी नियुक्ति नहीं माना जा सकता इसलिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी अस्थायी पद, जिसे वह अधिष्ठायी रूप से धारित किए हुए था, से अपने पहले स्थायी अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तित होता है तो उस मामले में मूल नियम 22 लागू नहीं होता ।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का तारीख 23 मई, 1929 का पत्र संख्या टी 375-एन०जी०टी०/109-29] ।

2. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के ध्यान में यह बात आई है कि कभी कभी ऐसे मामलों में भी जहां निसंदेह नए पद के कार्य पुराने पदों के कार्यों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी वाले होते हैं, लेखा परीक्षा अधिकारी

द्वारा जिम्मेदारी के सापेक्ष स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। महालेखा परीक्षक ने यह निर्णय लिया है कि लेखा परीक्षा के लिए प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण मांगना नितान्त आवश्यक है ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (2) के अधीन विशिष्ट स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए केवल उन्हीं मामलों में जोर दिया जाना चाहिए जहां दो पदों से सम्बन्धित जिम्मेदारियों में किसी तुलनात्मक भिन्नता की कोई शंका हो।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का ता० 21 जून, 1935 का पत्र सं०-512-एन०जी०ई०/261-35]।

3. किसी सरकारी कर्मचारी को, उस पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता है अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए जाने पर उसे संशोधित मूल नियम 22 के अधीन, अपने उस समय के पुराने स्थायी पद के 'अधिष्ठायी वेतन के' संदर्भ में नए सिरे से रखना वेतन निर्धारित करने का हक है।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का ता० 11 सितम्बर, 1933 का पत्र सं० ई-1176-ए०/170-34]

4. उपर्युक्त लेखा परीक्षा अनुदेश (4) में सम्मिलित भारत सरकार के आदेश को लागू करने के सम्बद्ध में एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या मूल नियम 22 के अधीन जारी किए गए विद्यमान लेखा अनुदेश पर इस निर्णय का कोई प्रभाव पड़ेगा।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने यह निर्णय लिया है कि इस निर्णय से उपर्युक्त किसी भी लेखा परीक्षा अनुदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस निर्णय में किसी अस्थायी पद से दूसरे ऐसे किसी पद पर अथवा किसी अस्थायी पद से किसी स्थायी पद का स्थानान्तरण के मामलों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल वेतन की विभिन्न दर पर अस्थायी पद को स्थायी पद में परिवर्तित करने के सम्बन्धित मामलों का उल्लेख है। भारत सरकार के निर्णय में ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे किसी संवर्ग में वृद्धि के रूप में सृजित अस्थायी पदों तथा उसी संवर्ग में उसी समय वेतनमान में स्थायी पद में वेतनवृद्धियों के लिए गिने जाने के मामले में, भले ही ऐसा अस्थायी पद समाप्त हो गया हो सेवाधारित किया जा सकता है भारत सरकार के आदेश जारी होने से पहले प्राप्त यह स्थिति इस आदेश के जारी होने के बावजूद भी अप्रभावित रहेगी।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, पृष्ठांकन सं० 209-क/2-36, तारीख 24 जून, 1937 तथा यू०ओ०सं० 478-क/192-46, ता० 28 दिसम्बर, 1946]

भारत सरकार के आदेश

1. संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति :—यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में अन्तर्निहित उपबन्ध संवर्ग बाह्य पदों में पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगे बशर्ते कि सरकारी सेवक उसको मंजूर की गयी प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की शर्तों के अनुसार उच्चतर संवर्ग बाह्य पद से संबद्ध वेतनमान में वेतन आहरित करने का हकदार हो। फिर भी जहां सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा अपने संवर्ग में धारित पद का ग्रेड, वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा किसी नियत दर पर अथवा ऐसे ग्रेड वेतन से जुड़ा कोई विशेष वेतन दिया जाता है, तो मूल नियम 22-ग के उपबन्धों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 15 मई, 1961 का का०ज्ञा०सं० एफ-2(9)-स्थापना/III/61]

2. एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति/पदोन्नति :— (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश सरकारी सेवक के उसके मूल विभाग से संवर्ग बाह्य पद में नियुक्ति के मामले में ही लागू होते हैं। एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के मामलों में, जहां कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद में वेतन आहरित करने का विकल्प देता है वहां दूसरे अथवा बाद के संवर्ग बाह्य पदों में उसका वेतन सामान्य नियमों के अधीन केवल संवर्ग पद में उसके वेतन के संदर्भ में ही नियत किया जाना चाहिए। किन्तु पहले अवसर/अवसरों में धारित संवर्ग बाह्य पदों के समय वेतनमान के समतुल्य समय वेतनमान में संवर्ग बाह्य पदों में नियुक्ति के संबन्ध में मूल नियम 22 के परन्तुक 1 (iii) का लाभ स्वीकार्य होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख पहली जून, 1970 का कार्यालय ज्ञा०सं०एफ-2(9)-ई-III/61]

स्पष्टीकरण :—यह देखा गया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पूर्ववर्ती संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान से अधिक वेतनमान दूसरे या उसके भी बाद संवर्ग बाह्य पद पर की जाती है और वेतन संवर्ग पद के वेतन को ध्यान में रख कर नियत किया जाता है तो इस प्रकार नियत किया गया वेतन निम्न वेतनमान में पूर्ववर्ती संवर्ग बाह्य पद पर कार्य करते समय उसके द्वारा लिए गए वेतन से कम हो जाता है। इससे विसंगति उत्पन्न हो जाती है।

(2) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि पूर्ववर्ती संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान से अधिक वेतनमान में दूसरे या और उससे भी बाद के संवर्ग बाह्य पद में नियुक्ति होने पर वेतन संवर्ग बाह्य पद में लिए गए वेतन को ध्यान में रख कर नियत किया जाए और यदि इस प्रकार नियत किया गया वेतन पूर्ववर्ती संवर्ग बाह्य पद में लिए गए वेतन से कम बैठता है तो अन्तर की रकम से वैयक्तिक वेतन के रूप में मंजूर कर दिया जाए जिसे भावी वेतनवृद्धि में समाहित कर दिया जाए। यह उस शर्त के अध्यधीन है कि दोनों अवसरों पर कर्मचारी को

संवर्ग-बाह्य पद से सम्बद्ध वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प दिया होगा ।

(3.) ये आदेश जिस महीने में यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है उस महीने की पहली तारीख से प्रभावी होते हैं । दूसरे शब्दों में, उच्चतर वेतनमान में दूसरे या बाद के संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति उस महीने की पहली तारीख को या उसके बाद प्रभावी होगी जिस महीने कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है । पुराने मामलों पर, जिनका निपटान इन आदेशों के जारी होने से पहले किया गया है, दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय का दिनांक 18 नवम्बर, 1985 का का०ज्ञा०सं० 2(17)-स्था०वेतन-II] ।

4. पदोन्नत पद में वेतन नियत करते समय दक्षता रोध पार करने हेतु कोई आदेश आवश्यक नहीं :— एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या निम्नतर वेतनमान में उच्चतर पद में वेतन नियत करते समय जैसा की मूल नियम 22-ग में अपेक्षित है, वास्तव में एक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए अथवा उच्चतर पद में वेतन को निर्धारित करने से पूर्व निम्नतर वेतनमान में अधिकारी को दक्षता रोध, यदि कोई हो पार करने की अनुमति देने वाले, सक्षम प्राधिकारी के आदेश आवश्यक समझे जाने चाहिए । यह निर्णय लिया गया है कि उच्चतर पद में वेतन नियत करने के प्रयोजन से निम्नतर वेतनमान में दक्षता रोध पार करने के किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का तारीख 30 नवम्बर, 1961 का का० ज्ञा० सं० 2(24)-ई III/61]

5. संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों में लागू न होना :— (1) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्चतर पदों में नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के मामलों में तथा जिन मामलों में वेतन दिए जाने के बारे में आयोग ने विशिष्ठ सिफारिशें की हैं मूल नियम 22-ग लागू नहीं होगा ।

(2) उपर्युक्त उपबन्धों के पीछे मशा यह है कि उन मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग सरकारी सेवक को विशिष्ट दर पर वेतन दिये जाने की सिफारिश करता है, वहां संबन्धित व्यक्ति को उस दर पर वेतन लेने का पात्र होना चाहिए । इसके विपरीत यदि आयोग यह सिफारिश करता है कि वेतन "सामान्य नियमों के अधीन" नियत किया जाना चाहिए तो वेतन मूल नियम 22-ग के अधीन इस शर्त पर नियत किया जाए कि उक्त पद सरकारी सेवक द्वारा धारित पहले पद से उच्चतर हैं ।

(3) लेखा/लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को यह देखने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए कि वेतन उपर्युक्तानुसार नियत किया गया है, यह निर्णय किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अन्य पदों पर सरकारी सेवकों के नियुक्ति के सभी मामलों में वेतन संबंधी आयोग की सिफारिशें अर्थात् क्या यह विशिष्ट दर पर वेतन है अथवा "सामान्य नियमों" के अधीन वेतन नियत किया जाना है, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित सरकारी सेवक को पद पर नियुक्त करने वाले आदेश अथवा अधिसूचना में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 20 मार्च, 1961 का का०ज्ञा०सं० एफ 2(9)-III/61 तथा 6 दिसम्बर, 1962 का का०ज्ञा०सं० एफ 2 (72)-ई III 62]

6. राज्य सरकार के सेवकों पर लागू होना :—यह निर्णय किया गया है कि :—

(i) जब राज्य सरकार के किसी सेवक को केन्द्र सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाता है और उस पद से सम्बद्ध कर्तव्य तथा दायित्व उसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन धारित पद से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो उस कर्मचारी का उक्त पद में प्रारम्भिक वेतन मूल नियम 22-ग के अधीन नियत किया जाए ।

(ii) राज्य सरकार के अधीन स्वीकार्य महंगाई भत्ते को यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों पर भारत सरकार के अधीन पद में वेतन के नियतन के प्रयोजन से मूल वेतन के रूप में समझा जाए :—

(क) महंगाई भत्ते की हिसाब में ली जाने वाली अधिकतम राशि रुपये 100 होगी अथवा महंगाई भत्ते की वह वास्तविक राशि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उनके संशोधित वेतनमानों में वेतन के नियतन के लिए, यदि संशोधन हो गया है, इनमें से जो भी कम हो, हिसाब में ली जाएगी ।

(ख) इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन पर केन्द्र सरकार वेतन संबंधी नियमों के अनुसार संशोधित दरों पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते में से जो राज्य में देय हो घटा दिया जाना चाहिए ।

टिप्पणी 1 :—राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों की जिम्मेवारी की तुलनात्मक मात्राओं का मूल्यांकन करने के लिए पदों से संबद्ध वेतनमानों के अलावा, सभी संगत कारणों, जिनमें पदों से संबद्ध कर्तव्य आदि भी शामिल है, पर विचार किया जाएगा । अधिकांश मामलों में ऐसा मूल्यांकन करना आसान होता है, संदिग्ध मामलों को वित्त मंत्रालयों के पास भेजा जा सकता है । जैसा कि भारत सरकार के आदेश संख्या 2 तथा मूल नियम 22 के नीचे दिए गये महा लेखा परीक्षक के निर्णय संख्या 2 के अधीन इससे पूर्व भेजा जाता रहा है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 4 फरवरी, 1964 का का०ज्ञा०सं० 2(55) ई-III/63] ।

टिप्पणी 2:—जब राज्य सरकार के किसी ऐसे सेवक को राज्य सरकार के अधीन संशोधित वेतनमान में (महंगाई भत्ते को विलयन के पश्चात्) वेतन ले रहा हो केन्द्र सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तथा राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा धारित पद से सम्बद्ध तथा कर्त्तव्य तथा दायित्वों से उस पद के कर्त्तव्य तथा दायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तब केन्द्र सरकार के अधीन पद में कर्मचारी का वेतन केवल उसके मूल वेतन को ध्यान में रख कर मूल नियम 22—— के अधीन नियत किया जाना चाहिए तथा उपर्युक्त निर्णय के पैरा (ii) (क) और (ख) में निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि "केवल मूल वेतन" से तात्पर्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की पद्धति पर पहले संशोधन के पश्चात् राज्य के वेतनमानों में केवल मूल वेतन से होगा और सरे तथा उससे बाद के राज्य के संशोधित वेतनमानों, दि कोई हों, के पश्चात् मूल वेतन से।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 30 जुलाई, 1966 का का०ज्ञा०सं० एफ० 2(55)-ई III (क)/63, तथा तारीख 17 नवम्बर, 1975 का का०ज्ञा०सं० एफ 1(62) ई III (क)/75]

7. स्थानापन्न पद से पदोन्नत किसी स्थायी सरकारी सेवक पर इसका लागू किया जाना:— (1) कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे कर्मचारी का जो पद "क" में स्थायी है किन्तु पद "ख" में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है तथा बाद में पद "ग" में स्थानान्तरित/पदोन्नत हो जाता है पद "ख" में स्थानापन्न वेतन को ध्यान में रख कर उसका नियत किया गया वेतन पद "क" के मूल वेतन के संदर्भ में नियत किए गए वेतन से कम बैठता हो। इस असंगति को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वेतन मूल नियम 22-ग के अधीन, मूल वेतन अथवा स्थानापन्न वेतन जो भी सरकारी सेवक के लिए लाभप्रद हो के संदर्भ में नियत किया जाना चाहिए।

(2) ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे तथा पिछले जिन मामलों पर निर्णय हो चुका हो उन पर फिर से कार्यवाई नहीं की जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 5 फरवरी, 1972 का का० ज्ञा० सं० एफ० 3 (4)-ई-III (ख)/71]

8. पदोन्नति पर ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को जो कि अपने कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन आहरित कर रहा हो बढ़ा कर, असंगति को दूर किया जाना:— (क) मूल नियम 22 (ग) को लागू करने के परिणाम स्वरूप 1-4-1961 को अथवा इसके बाद किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किए गए किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के वेतन की असंगति को दूर करने के लिए जो उस पद में ऐसे किसी अन्य सरकारी सेवक से निम्नतर दर पर वेतन ले रहा हो जो कि निम्नतर ग्रेड में उससे कनिष्ठ हो तथा जिसे बाद में दूसरे किसी ऐसे समतुल्य पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किया गया हो, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को उसके उच्चतर पद में उस राशि के बराबर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए जिस पर कि उससे कनिष्ठ अधिकारी का उच्चतर पद में वेतन नियत किया गया हो, वेतन में ऐसी बढ़ोतरी कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नति अथवा नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए, अर्थात्:—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों अधिकारियों को एक ही संवर्ग का होना चाहिए तथा वे पद जिनमें वे पदोन्नत अथवा नियुक्त हुए है एक रूप तथा एक ही संवर्ग के होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वेतनमान जिनमें वे वेतन लेने के हकदार हैं। एकरूप होने चाहिए।

(ग) यह असंगति मूल नियम 22-ग को लागू करने के परिणामस्वरूप ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई कनिष्ठ अधिकारी निम्नतर पद में अग्रीम वेतन वृद्धियों के कारण वरिष्ठ अधिकारी से समय-समय पर उच्चतर दर पर वेतन लेता है तो भी उपर्युक्त उपबन्ध वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाए जाने के लिए लागू नहीं होंगे।

उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी की अगली वेतन वृद्धि, वेतन के पुनः नियतन की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी होने पर आहरित की जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 4 जनवरी, 1966 का का०ज्ञा०सं० एफ 2 (78)।ई III (क)/66]।

(ख) संशोधित वेतनमान में मूल नियम 22-ग को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप:—( ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973: असंगति को दूर करने के लिए जिसमें यदि कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो उच्चतर पद में 1-1-1973 से पहले पदोन्नत हुआ हो तथा वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों में, निर्णायक तारीख के बाद उच्चतर पद में पदोन्नत हुए अपने से कनिष्ठ अधिकारी से कम वेत न हैं, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन में उच्चतर पद के संशोधित वेतनमान में इस कदर बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए जिससे कि उसका वेतन 1-1-1973 को अथवा इसके बाद उस उच्चतर पद में पदोन्नत हुए उससे कनिष्ठ अधिकारी के लिए नियत किए गए वेतन के बराबर हो जाए ऐसी बढ़ोतरी कनिष्ठ

अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए :—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों अधिकारी एक ही संवर्ग से संबद्ध होने चाहिए तथा जिन पदों पर उन्हें पदोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग में एकरूप होने चाहिए ।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के असंशोधित तथा संशोधित वेतनमान जिनमें वेतन लेने के हकदार है, एक रूप होने चाहिए; और

(ग) संशोधित वेतनमान में यह असंगति प्रत्यक्षता मूल नियम 22-ग के उपबन्धों को लागू करने के परिणामस्वरूप ही होनी चाहिए । उदाहरणार्थ निम्नतर पद में यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी असंशोधित वेतनमान में साधारण नियमों के अधीन अपने वेतन के नियतन के कारण अथवा मंजूर की गई किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण अपने से वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा है तो भी इस निर्णय में निहित उपबन्धों को वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने के लिए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(2) इस निर्णय के उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को पुनः नियत करने वाले आदेश मूल नियम 27 के जारी किए जाने चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी अगली वेतनवृद्धि वेतन के पुनः नियत किए जाने की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर ही आहरित की जाएगी ।

(3) यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी है । ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों को भी जो संशोधित वेतनमान में एक जनवरी, 1973 अथवा इसके बाद होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन आहरित कर रहे हैं इन आदेशों के अधीन विनियमित किया जाए लेकिन वास्तविक लाभ इन आदेशों के जारी होने की तारीख से उपलब्ध होगा ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का तारीख 18 जुलाई, 1974 का का० ज्ञा० सं० एफ० 1-(35)ई-III (क)/74]

(ii) **केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 :**—(1) ऐसे मामलों में, एक जनवरी, 1986 के पहले किसी उच्चतर पद पर कोई सरकारी सेवक पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है जिसे 1 जनवरी, 1986 को उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, ज्येष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उस वेतन के बराबर रकम तक बढ़ाया जाना चाहिए जो उसके कनिष्ठ के लिए उस उच्चतर पद पर नियत किया गया है । यह रकम कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए बढ़ायी जानी चाहिए, अर्थात् :—

(क) कनिष्ठ और ज्येष्ठ सरकारी सेवक दोनों उसी काडर के होने चाहिए, और वे पद जिन पर वे प्रोन्नत किए गए हैं उसी वेतनमान में समान होने चाहिए ।

(ख) ऐसे निम्नतर और उच्चतर पदों के जिन पर वे वेतन प्राप्त करने के हकदार है, पूर्व पुनरीक्षित और पुनरीक्षित वेतनमान समान होने चाहिए ।

(ग) विषमता सीधे मूल नियम 22-ग या पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन नियतन को विनियमित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबन्धों को लागू करने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए । यदि निम्नतर पद पर भी कनिष्ठ अधिकारी उसे मंजूर की गयी किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के फलस्वरूप पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में ज्येष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था इस टिप्पण के उपबन्धों को ज्येष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठ अधिकारी का वेतन पुनः नियत करने से सम्बन्धित मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाने चाहिए और ज्येष्ठ अधिकारी वेतन के पुनः नियत किए जाने की तारीख से अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा के पूरा करने पर अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

[केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम, 1986 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 7]

(ग) अधिकतम वेतन पर प्रगति रोध से प्रभावित अधिकारियों के मामले में प्रकल्पित वेतनवृद्धि मंजूर किए जाने के परिणामस्वरूप :—] (1) यह बात ध्यान में लाई गयी है कि इन आदेशों जिनमें ऐसे कर्मचारियों को उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर जो निम्नतर पद के वेतनमान की अधिकतम सीमा पर वेतन ले रहे हैं वेतन को निम्नतर वेतनमान के अधिकतम पर एक वेतनवृद्धि को जोड़ कर (उस वेतनमान में अन्तिम वेतन वृद्धि की राशि के बराबर) बने प्रकल्पित वेतन के संदर्भ में, 1-11-1973 से मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत नियत करने की अनुमति दी गयी है के जारी होने से इस आशय की एक असंगति पैदा हो गई है कि 1 नवम्बर, 1973 से पहले पदोन्नत हुए वरिष्ठ अधिकारी 1 नवम्बर, 1973 को अथवा उसके बाद उसी पद पर पदोन्नत हुए अपने कनिष्ठ अधिकारियों के मुकाबले कम वेतन ले रहे हैं ।

(2) उपर्युक्त असंगति को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी

के वेतन को 1-11-1973 को अथवा इसके बाद पदोन्नत हुए उससे कनिष्ठ अधिकारी के लिए निर्धारित किए गए वेतन के बराबर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। वेतन में ऐसी वृद्धि कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए :—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों अधिकारी एक ही संवर्ग से सम्बद्ध होने चाहिए तथा जिन पदों पर उन्हें पदोन्नत किया गया है, वे उसी संवर्ग में तथा एकरूप होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों का वेतनमान जिस में वे वेतन आहरित करने के हकदार हैं एकरूप होने चाहिए।

(ग) असंगति प्रत्यक्षतः ऊपर उल्लिखित पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट आदेशों के लागू करने के परिणामस्वरूप ही होनी चाहिए।

(3) उपर्युक्त निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को पुनः नियतन करने वाले आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाने चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि, वेतन के पुनः नियतन की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा पूर्ण करने पर आहरित होगी। वेतन के पुनः नियतन के परिणामस्वरूप निकली वेतन की बकाया राशि वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाए जाने की तारीख से अनुज्ञेय होगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 6 जनवरी, 1975 का का०ज्ञा०सं० 7(47)-ई-III(क)/74]

(घ) जिन समूह "क" पदों का प्रारम्भिक वेतन रु० 1500* है उन पदों पर पदोन्नतियों/नियुक्तियों के मामले में :— (1) इस नियम के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश (14) के संदर्भ में ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें दिनांक 5-10-1981 से पहले उक्त पद पर पदोन्नत किए गए समूह "क" के वरिष्ठ अधिकारी उक्त निर्णायक तारीख के बाद ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत अपने वरिष्ठ अधिकारी से कम वेतन लेते हैं।

(2) इस संबंध में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त विसंगति को दूर करने के लिए उच्चतर पद पर वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन इस प्रकार बढ़ा दिया जाना चाहिए कि वह उक्त उच्चतर पद पर 5-10-1981 को या इसके बाद पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति के लिए यथा निर्धारित वेतन के बराबर हो जाए। वेतन में बढ़ोतरी कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से की जाए और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(क) वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ही कर्मचारी एक ही संवर्ग के होने चाहिए और जिन पदों पर उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है वे पद एक ही संवर्ग के तदनुरूपी पद होने चाहिए;

(ख) निम्न और उच्चतर पदों के जिनके वेतनमानों में वे वेतन लेने के हकदार हैं। वे वेतनमान भी तदनुरूपी होने चाहिए;

(ग) यह विसंगति प्रत्यक्षतः भारत सरकार के आदेश (14) में दिए गए आदेशों को लागू करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई होनी चाहिए उदाहरणार्थ, या निम्न पद पर भी कनिष्ठ अधिकारी सामान्य नियमों के अधीन वेतन नियत करने के कारण या उसे मंजूर की गई किसी उसकी वेतनवृद्धि के कारण वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन ले रहा है या पदोन्नति होने पर कनिष्ठ अधिकारी का वेतन दिनांक 5-10-1981 के का०ज्ञा०सं० में दिए गए उपबन्धों से इतर उपबन्धों के अधीन विनियमित किया गया है तो इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबन्ध वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाए जाने पर लागू नहीं होंगे।

(3) इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी हो जाने चाहिए और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि वेतन के पुनः नियतन की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा के पूरा होने पर ही दी जानी चाहिए।

(4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 5-10-1981 को या उसके पश्चात किन्तु इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले की पदोन्नतियों के संबंध में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन लेने वाले वरिष्ठ अधिकारी के मामले भी इन आदेशों के अधीन विनियमित किए जाएं किन्तु वास्तविक लाभ केवल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ही प्राप्त होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 25 सितम्बर, 1982 का का०ज्ञा०सं० एफ० 11/3/82-स्थापना पी 1]।

(ङ) बाद में पदोन्नत तथा आदेश (15) के पैरा 2 (ख) का विकल्प देने वाले अपने कनिष्ठ की तुलना में 1-5-1981 से पहले पदोन्नत वरिष्ठ अधिकारी के मामले में :—(1) कुछ ऐसे मामले जानकारी में लाए गए हैं, जहां 1-5-1981 से पूर्व पदोन्नत कोई वरिष्ठ कर्मचारी, जिसके मामले में वेतन को सीधे ही मूल नियम 22-ग के अधीन निर्धारित किया जाना था, निर्णायक तारीख को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नत अपने से कनिष्ठ ऐसे कर्मचारी से

*संशोधन पूर्व वेतन

कम वेतन लेता रहेगा, जिसके मामले में वेतन नीचे आदेश (15) के पैरा 2 (ख) की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया था (अर्थात्) प्रारम्भ में वेतन का नियतन मूल नियम 22 (क) (1) के अधीन निर्धारित पद्धति से किया गया था और बाद में उसे वेतन के ऐसे पुनः निर्धारण की तारीख से निकले पद में अगली वेतनवृद्धि देय होने की तारीख को मूल नियम 22-ग के अधीन पुनः निर्धारित किया गया था।

(2) इस संबंध में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त विसंगति को दूर करने के लिए उच्चतर पद पर वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन, विसंगति उत्पन्न होने की तारीख से (अर्थात्) आदेश (15) के पैरा 2(ख) की शर्तों के अनुसार उच्चतर पद पर कनिष्ठ व्यक्ति के वेतन के पुनः निर्धारित किए जाने की तारीख से, इस प्रकार बढ़ा दिया जाना चाहिए कि वह उक्त उच्चतर पद पर कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में यथा निर्धारित वेतन के बराबर हो जाए। वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन में उक्त बढ़ोतरी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

(क) वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ही कर्मचारी एक ही संवर्ग के होने चाहिए और जिन पदों पर उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है वे पद भी एक ही संवर्ग के तद्नुरूपी होने चाहिए;

(ख) निम्न और उच्चतर पदों के जिन वेतनमानों में वे वेतन लेने के हकदार है, वे वेतनमान भी तदनुरूपी होने चाहिए, और;

(ग) यह विसंगति प्रत्यक्षतः इस कारण उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि उच्चतर पद पर (1-5-1981 को या इसके बाद पदोन्नत) कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन आदेश (15) के पैरा 2 (ख) के अनुसार निम्नतर पद पर उसकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख को पुनः निर्धारित किया गया होगा। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि पदोन्नति के कारण कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन सामान्य नियमों के अधीन (अर्थात्) मूल नियम 22-ग के अधीन सीधे ही निर्धारित किया जाता, तो यह विसंगति उत्पन्न नहीं हो सकती थी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निम्न पद पर भी वरिष्ठ व्यक्ति समय-समय पर कनिष्ठ व्यक्ति की तुलना में कम वेतन न लेता रहा हो।

(3) इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाने चाहिए। और ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति की अगली वेतनवृद्धि मूल नियम 26 के अधीन वेतन के पुनः नियतन की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा के पूरा होने पर ही दी जानी चाहिए।

(4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पिछले मामले भी इन आदेशों में दिए गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए विनियमित किए जाएं। बकाया राशि विसंगति की तारीख अथवा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से देय होगी।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 25 मई, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 4/4/82-स्थापना (वेतन-1)]

9. **उसी पद में उसके प्रत्यावर्तन तथा पुनः पदोन्नति पर वास्तव में न लिए गए वेतन का संरक्षण :**—(1) एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई सरकारी सेवक उस पद पर, जिस पर उसकी पिछली सेवा की गणना की जानी है उसके प्रत्यावर्तन तथा बाद में पुनः पदोन्नति होने पर अपने उस अन्तिम वेतन का जो वास्तव में (छुट्टी पर होने के कारण) उसने न लिया हो, का संरक्षण प्राप्त कर सकता है यह ठोस मामला, जिसके कारण उपर्युक्त प्रश्न उठा है नीचे दिया गया है :—

"कोई सरकारी कर्मचारी स्थानापन्न रूप में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य कर रहा था। उसने 1-1-74 से 19-11-74 तक की अवधि के दौरान रु० 404 की अवस्था पर अपना वेतन आहरित किया। उसके पश्चात् वह 31-12-76 तक छुट्टी पर चला गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि वह 3-9-75 तक उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता रहता। ऐसी सभी अवधियों को छोड़कर जो उच्च श्रेणी लिपिक के समय वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी गई हिसाब लगाकर अगली वेतनवृद्धि की तारीख 13-6-75 निकाली गई थी और चूंकि वह उस तारीख को छुट्टी पर था तथा छुट्टी पर निरंतर बना रहा इसलिए उच्च श्रेणी लिपिक के स्थानापन्न पद में उसका वेतन वेतनवृद्धि देने के कारण 416 रुपये की अवस्था पर हो गया जिसे वास्तव में उसने आहरित नहीं किया था। 1-4-75 से उसका अपने अवर श्रेणी लिपिक के अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तन हो गया। 3-1-77 से उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी पुनः पदोन्नति होने पर उसका वेतन, उस तारीख को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 390 रुपये के उसके मूल वेतन को ध्यान में रखकर 404 रुपये की अवस्था में नियत कर दिया गया था। विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या 3-1-77 से उसकी पुनःपदोन्नति होने पर उसके वेतन को 416 रुपये की अवस्था पर नियत किया

जा सकता है तथा साथ ही क्या उसे उस वेतन के समकक्ष समय वेतनमान की अवस्था में वेतनवृद्धि के लिए उस अवधि की गणना के लिए अनुमति दी जा सकती है जिसके दौरान उसने वह वेतन आहरित किया होता ।"

(2) इस की ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है । मूल नियम 22-ग का चौथा परन्तुक जो व्यवस्था इस समय है, इस प्रकार की छूट दिए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करता । मूल नियम 31(2) के अधीन कुछ इसी प्रकार की स्थिति होने पर इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि छुट्टी पर जाने वाले किसी व्यक्ति के मामले में यदि मूल नियम 26(ख) (ii) के अधीन स्थानापन्न वेतन में वेतन वृद्धि के लिए छुट्टी की अवधि गिनी जाती है तथा साथ ही वह अन्य शर्तें पूरी करता है तथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसका स्थानापन्न वेतन, मूल नियम 31 (2) के अधीन वेतन-वृद्धि की अथवा मूल वेतन में वृद्धि की तारीख से उसी प्रकार से पुनः नियत किया जाए मानों कि उसे उस तारीख को उस पद में स्थानापन्न वेतन में वृद्धि का लाभ केवल कार्य ग्रहण करने की तारीख से ही दिया जा सकता है लेकिन स्थानापन्न पद में उसे अगली वेतन वृद्धि अगले वर्ष में पहले की तारीख से प्राप्त होगी जो कि उसके वेतन के पुनः नियतन की तारीख को ध्यान में रख कर नियत की जाएगी ।

(3) तद्नुसार यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर के पैराग्राफ-1 में वर्णित किस्म के मामलों में वेतन, उसी अवस्था में (चाहे न ली गई हो) नियत किया जाए तथा ऐसी अवधि, जिसके अधीन यह आहरित किया गया होता, को भी उस वेतन के समकक्ष समय वेतनमान की अवस्था में वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए गिना जाए ।

(4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे, परन्तु विचाराधीन मामले यदि कोई हों, इन आदेशों के अनुसार निर्णित किए जाए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 5 नवम्बर, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1 (18)-ई III (क)/77] ।

10. स्थानापन्न पद में असाधारण छुट्टी की अल्प अवधियों के मामले में किसी प्रकार का कोई पुनः नियतन नहीं :—मूल नियम 22-ग के लागू हो जाने के बाद, जिसमें मूल नियम 31 (2) के उपबंधों के अधीन परिकल्पित स्थानापन्न वेतन के बार-बार नियत किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की गई है, निम्नतर संवर्ग के पद पर परिकल्पित प्रत्यावर्तन सहित स्थानापन्न नियुक्ति में असाधारण छुट्टी की अल्प अवधियों को प्रभावी व्यवधान के रूप में मानते हुए उसी स्थानापन्न पद में मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन को नियत करने की अनुमति प्रदान करना इन नियमों की भावना के विरूद्ध होगा । तद्नुसार यह निर्णय किया गया है कि जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि यदि संबंधित व्यक्ति असाधारण छुट्टी की अवधि पर न गया हो तो वह उस पद पर स्थानापन्न रूप में अनवरत बना रहता, तब तक उस पद में निम्नतर पद में वार्षिक वेतन वृद्धि आदि द्वारा होने वाले वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि के संदर्भ में वेतन को पुनः नियत करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।

मूल नियम 31(2) के उपबंधों के अधीन स्थानापन्न वेतन के पुनः नियत किए जाने के लिए मूल नियम 31 के नीचे भारत सरकार का आदेश 4 देखें ।

उपर्युक्त आदेश 6 अगस्त, 1973 से प्रभावी होंगे तथा इससे पहले के मामले संगत तारीख को जो प्रभावी नियम थे, उनके अनुसार निपटाये जाएं ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 6 अगस्त, 1973 का का० ज्ञा० संख्या 1 (8)-ई III (क)/73] ।

11. पदोन्नति पर वेतन के नियतन के प्रयोजन से विशेष वेतन को क्या समझा जाए :—(क) जब विशेष वेतन पृथक उच्चतर वेतमान के बदले में हो :—उन मामलों में जिनमें सरकारी सेवक किसी पद में विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो, उसकी उच्चतर पद में पदोन्नति होने पर उसका वेतन निम्नतर पद में आहरित किए गए विशेष वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियत किया जाए :—

(i) निचले पद में विशेष वेतन किसी अलग उच्च वेतनमान के बदले में ही मंजूर किया जाना चाहिए (अर्थात् आशुटंकक, प्रभारी लिपिक आदि को स्वीकृत विशेष वेतन)

(ii) यदि निचले पद में विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख को कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक लगातार लिया गया है तो उच्चतर पद पर वेतन सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जाएगा और विशेष वेतन को मूल वेतन का भाग माना जाएगा । अन्य मामलों में, उच्च पद के समय वेतनमान में वेतन निचले पद पर लिए गए मूल वेतन (विशेष वेतन को छोड़कर) को ध्यान में रखकर सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जाएगा और यदि इस प्रकार परिलब्धियां कम हो जाती हैं तो इस प्रकार नियत किए गए वेतन तथा निचले पद में लिए गए वेतन और विशेष वेतन का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में लेने की अनुमति होगी और इसे भविष्य की वेतन वृद्धि में खपा लिया जाएगा ।

(iii) ऊपर खण्ड (ii) में उल्लिखित दोनों प्रकार के मामलों में, यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि यदि सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होती तो वह निचले पद में विशेष वेतन लेता रहता ।

(ख) जब विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान के बदले में नहीं हो :—जिन मामलों में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा निचले पद में लिया गया विशेष वेतन किसी अलग उच्चतर वेतनमान के बदले में नहीं हों तो मूल नियम 9(23) के नीचे आदेश संख्या 2 के उपबन्ध लागू रहेंगे । उच्च पद में वेतन नियतन के लिए निम्नलिखित स्वरूप के विशेष वेतन की गणना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा :—

(i) आवधिक पद पर लिया गया विशेष वेतन;

(ii) दूरवर्ती, अस्वास्थ्यकर, जलवायु की कठोरता आदि के कारण विशिष्ट स्थानों पर सेवा के लिए स्वीकृत विशेष वेतन जैसे कि अंडमान विशेष वेतन, सीमावर्ती (इनर लाइन) विशेष वेतन ।

(iii) प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता अथवा इसके बदले में लिया गया विशेष वेतन ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का का० ज्ञा० सं० 6(1)-ई० III(बी)/65 दिनांक 25-2-1965] ।

टिप्पणी 1.—केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1960 की अनुसूची में दिखाया गया विशेष वेतन उच्चतर वेतनमान के बदले में होगा ।

किन्तु कैशियरों, कम्पटिस्टों तथा मशीन आपरेटरों का विशेष वेतन उच्चतर वेतनमान के बदले में नहीं माना जायेगा ऐसे विशेष वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1960 की अनुसूची में भी क्यों न शामिल हों ।

2. उपर्युक्त क (ii) के अनुसार, उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख को कम से कम तीन वर्ष तक लगातार लिया जाना चाहिए तभी इसे मूल वेतन का भाग माना जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब ऐसा विशेष वेतन उसी संवर्ग अथवा विभाग में एक ही पद पर बिना किसी व्यवधान के तीन वर्ष से अधिक अवधि तक लिया गया है तो सम्पूर्ण अवधि की गणना की जाएगी । जिन मामलों में विभिन्न पदों मे विशेष वेतन अलग अलग है तो उच्चतर पद पर वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए विभिन्न पदों में लिए गए सब से कम विशेष वेतन की ही गणना की जाएगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का का० ज्ञा० संख्या 6(1) ई-II (बी)/68 दि० 8-1-1968]

यह निर्णय किया गया है कि कार्यालय में अन्य निम्न चयन ग्रेड कर्मचारियों का पर्यवेक्षण कर रहे निम्न चयन ग्रेड उप पोस्ट मास्टरों को तथा निम्न चयन ग्रेड हैड सोरटरों/रिकार्ड लिपिकों, जो अनुभाग अथवा कार्यालय में अन्य निम्न चयन कर्मचारियों का सीधे ही पर्यवेक्षण करते हैं, मंजूर किया गया विशेष वेतन, अलग उच्चतर वेतन के बदले में है ।

समय वेतनमान उप-पोस्टमास्टरों तथा समय वेतनमान हैड सोरटरों/रिकार्ड लिपिकों/उप-रिकार्ड लिपिकों को दिया गया विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान के बदले में नहीं है तथा पदोन्नति पर उच्चतर पद में वेतन का निर्धारण विशेष वेतन पर ध्यान दिए बिना सामान्य नियमों के अधीन किया जाना है परन्तु परिलब्धियों में कोई कमी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी, अर्थात् भावी वेतन वृद्धियों में शामिल किया जाने वाला विशेष वेतन मंजूर करके संरक्षित किया जाना है ।

[महानिदेशक डाक व तार का दिनांक 21 मार्च, 1979 का पत्र संख्या 8/63/77-पी०ए०पी०] ।

टिप्पणी 2.—(क) कम से कम तीन वर्ष तक लगातार लिए गए विशेष वेतन की शर्त तथा पदोन्नति न होने की स्थिति में विशेष वेतन लेते रहने के प्रमाणपत्र के लिए उस व्यक्ति के मामले में जोर न दिया जाए जो अलग उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन वाले निचले पद पर स्थायी हैसियत से नियुक्त था । यह छूट उन अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी जो किसी संवर्ग में स्थायी पद के धारक हैं और संवर्ग में अलग उच्च वेतनमान के बदले में विशेष वेतनवाले पद पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि संवर्ग में अधिकारियों का स्थायीकरण अलग-अलग व्यक्तिगत पदों पर नहीं किया जाता है । उन मामलों में ऐसे पदों पर कम से कम तीन वर्ष तक लगातार विशेष वेतन लेते रहने की शर्त लागू रहेगी ।

(ख) जिन मामलों में विशेष वेतन उच्चतर वेतनमान के बदले में हो और लगातार तीन वर्ष तक लिया गया हो उनमें पदोन्नति न होने के कारण लगातार लिए गए विशेष वेतन के प्रमाणपत्र की मांग नहीं की जानी चाहिए । अन्य मामलों में ऐसे प्रमाण पत्र के लिए जोर दिया जाएगा ।

(ग) ऐसा भी हो सकता है कि विशेष वेतन के पद पर तीन वर्ष पूरे करने से पहले उच्च पद पर पदोन्नति कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने से कनिष्ठ ऐसे व्यक्ति से कम वेतन ले रहा हो जिसकी पदोन्नति विशेष वेतन वाले पद पर तीन वर्ष पूरे करने के बाद हुई हो । जब ऐसे मामले घटित होते हैं तो वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन बढ़ाकर कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से कनिष्ठ व्यक्ति के वेतन के बराबर कर दिया जाए बशर्ते कि कनिष्ठ व्यक्ति निचले पद पर समय समय पर वरिष्ठ व्यक्ति से अधिक वेतन नहीं ले रहा था और कनिष्ठ

तथा वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा धारित निचले तथा उच्चतर पद एक ही संवर्ग से संबंधित हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6 (1)-ई०III बी/68 दिनांक 8-1-1968]।

टिप्पणी 3.—ऊपर के पैरा (क) (ii) के उपबन्धों का आंशिक आशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन उसी पद पर अन्तरालों में लिया गया है तो उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर विशेष वेतन को मूल वेतन का भाग मानकर स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते कि अन्तरालों पर लिए गए विशेष वेतन की कुल अवधि तीन वर्ष से कम न हो।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का का० ज्ञा० संख्या 6(1)-ई० III(बी)/68 दिनांक 27-2-1971]।

टिप्पणी 4.—जिन मामलों में विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख से पहले के तीन वर्षों के दौरान उसी पद के संबंध में बढ़ाया गया हो तो उच्चतर पद में वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए उसी विशेष वेतन की गणना की जानी चाहिए जो पदोन्नति की तारीख से तत्काल पहले लिया गया हो बशर्ते कि समय समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों में निर्धारित की गई उच्चतर पद में वेतन के नियतन को शासित करने वाली अन्य शर्तें पूरी होती हों।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का का० ज्ञा० संख्या एफ 6 (1)-ई.III(बी)/68 दि० 12-12-1974]।

(ग) वेतन नियतन के लिए सक्षम प्राधिकारी :—(1) इन आदेशों के अधीन पदोन्नति पर वेतन नियतन के संबंध में, निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :—

(i) निचले पद में विशेष वेतन को मूल वेतन के भाग के रूप में मानकर उच्चतर पद में पदोन्नति पर वेतन नियत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।

(ii) क्या मूल नियम 9(23) (ख) के अधीन वैयक्तिक वेतन की मंजूरी के लिए प्रशासी मंत्रालय की स्वीकृति जारी करना अभी भी आवश्यक है।

(2) उपर्युक्त मुद्दों की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशों के अधीन किसी अधिकारी की पदोन्नति पर वेतन नियत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वेतन नियत करने तथा वैयक्तिक वेतन मंजूर करने के लिए भी सक्षम होगा। ऐसे मामलों में वैयक्तिक वेतन मंजूर करने के लिए प्रशासी मंत्रालय की मंजूरी तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए प्रशासी मंत्रालय ही सक्षम प्राधिकारी हो।

[डाक तार महा निदेशालय का दिनांक 6 अप्रैल 1967 का पत्र संख्या—2/1/67-पी० ए० बी०]।

13. पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन नियतन के लिए तारीख चुनने का विकल्प—(क) (1) किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को अगले उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन नियतन के तरीके के संबंध में विद्यमान उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी०एम०) की 25वीं साधारण बैठक में कर्मचारी पक्ष ने यह प्रश्न उठाया था कि उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा निचले पद में वेतन वृद्धि लेने के बाद उच्च पद पर उसकी पदोन्नति से उससे वरिष्ठ ऐसे व्यक्ति के वेतन में असंगति हो जाती है जो पहले पदोन्नत हुआ था और जिसने निचले पद पर अपने से कनिष्ठ व्यक्ति से किसी भी समय कम वेतन नहीं लिया था।

(2) इस विभाग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से कर्मचारी पक्ष की मांग पर विचार किया है और राष्ट्रीय परिषद में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त असंगति को दूर करने के उद्देश्य से, कर्मचारी की पदोन्नति पर उसे अपना वेतन निम्न प्रकार से नियत कराने के विकल्प की अनुमति दी जाए :

(क) उसका प्रारंभिक वेतन या तो मूल नियम 22-ग के आधार पर उच्च पद में सीधे ही नियत कर दिया जाए और निचले पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि देय होने पर आगे पुनरीक्षा न की जाए, अथवा

(ख) पदोन्नति होने पर प्रारंभ में उसका वेतन मूल नियम 22-(क) (1) के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार नियत किया जाए और बाद में निचले पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि देय होने की तारीख को मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के आधार पर पुनः नियत किया जाए।

यदि वेतन उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत नियत किया जाता है तो वेतनवृद्धि की अगली तारीख दूसरे अवसर पर वेतन पुनः नियत किए जाने की तारीख से 12 मास की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर देय होगी।

विकल्प पदोन्नति की तारीख के एक मास के भीतर दिया जा सकता है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो दिनांक 1-5-1981 से 25-9-1981 की अवधि के दौरान पदोन्नत हुए थे, संबंधीत कर्मचारी दिनांक 31-3-1982 को या उससे पूर्व विकल्प दें।

(3) यदि कोई अधिकारी उपर्युक्त रियायत उपलब्ध होने के बाद भी पदोन्नति से इन्कार कर देता है तो उसे एक वर्ष की अवधि तक, न कि विद्यमान प्रथा के अनुसार 6 मास तक, पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा।

(4) ये आदेश 1 मई, 1981 से लागू होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का का०ज्ञा०सं० 7/1/80-स्था० (वे. I) दि० 26-9-81 और 24-12-81]

स्पष्टीकरण :—(1) सरकारी कर्मचारी को पदोन्नत करने वाले आदेश में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसे

एक मास के भीतर विकल्प देता है। उसकी पदोन्नति पर वेतन मूल नियम 22-सी के अधीन नियत किया जाना चाहिए और यदि वह 26-9-81 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(बी) के अनुसार अपना विकल्प एक मास की निर्धारित अवधि में दे देता है तो उसका वेतन उसकी पदोन्नति की तारीख से मूल नियम 22(ए) (i) के अधीन दोबारा नियत किया जाना चाहिए और तब मूल नियम 22-सी के अधीन उसी तारीख से जब पोषक पद में उसकी अगली वेतन वृद्धि उपचित हो।

(2) विकल्प की अनुमति ऐसे उच्चतर पदों में पदोन्नति के मामलों में दी जाएगी जो संवर्ग विभाग में सामान्य क्रम (नार्मल लाइन) में हों। यह कार्यालय ज्ञापन प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति और इसी प्रकार के अन्य मामलों में लागू नहीं होगा।

(3) विकल्प की अनुमति 1 मई, 1981 को या इसके बाद की गई सभी पदोन्नतियों के संबंध में समान रूप से दी जाएगी जिनमें वेतन मूल नियम 22-सी के अधीन नियत किया जाना हो चाहे उसमें कोई संभावित असंगति हो या नहीं।

(4) तदर्थ पदोन्नतियों के संबंध में विकल्प की अनुमति नहीं है। परन्तु यदि ऐसी पदोन्नति के बाद बिना किसी सेवा भंग के उच्चतर पद पर नियमित नियुक्ति हो जाए तो विकल्प की अनुमति उच्चतर पद पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दी जा सकती है जो ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्राप्त किया जाएगा।

(5) विकल्प की अनुमति ऐसे मामलों में भी दी जा सकती है जिनमें मूल नियम 22(ए)(i) के अधीन दिए गए और मूल नियम 22-सी के अधीन दिए गए तरीके से उच्चतर पद के वेतनमान में नियत किया गया वेतन एक ही बनता हो।

*मौजूदा स्पष्टीकरण के आधार पर निर्विवत पिछले मामलों को पुनः खोला जाए और इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख (अर्थात् 28-1-1985) से तीन मास के भीतर संबंधित कर्मचारियों से वेतन नियतन के लिए विकल्प प्राप्त किया जाए और जहां कहीं आवश्यक हो उनका वेतन पुनः नियत किया जाए और ऐसे मामलों में वेतन के ऐसे पुनर्नियतन के कारण वेतन की बकाया राशि प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाए।

(*पहले विकल्प की अनुमति नहीं थी)

(6) मूल नियम 22-सी के चौथे परन्तुक के अधीन उपलब्ध पिछले अवसर के दौरान प्राप्त किए गए स्थानापन्न वेतन की सुरक्षा तारीख 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(बी) के अनुसार विनियमित किए गए भाग में लागू नहीं होगी।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का 8-2-1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ/13/26/82-इस्टे० (पी० I) और तारीख 28-1-1985 का का० ज्ञा० संख्या 13/21/82-इस्टे० पी० I]।

ऊपर भारत सरकार के आदेश (13) के अधीन दूसरी बार विकल्प देना :—देखिए मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार के आदेश (7) की मद (सी)।

(ख) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1/80-स्थापना (वेतन-I) में यह व्यवस्था है कि जब किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की अगले उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नति की जाती है, तो उसका वेतन मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के अधीन निर्धारित किया जाना होता है, ऐसी स्थिति में उस पदोन्नति पर अपना वेतन निर्धारित करने के लिए निम्न प्रकार का विकल्प दिया जाए :

(क) या तो उसका प्रारंभिक वेतन, सीधे हीं, मूल नियम 22-ग के आधार पर और निम्नतर पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि के देय होने के संबंध में आगे कोई पुनरीक्षा किए बिना, उच्चतर पद पर निर्धारित किया जाए; अथवा

(ख) पदोन्नति पर, प्रारम्भ में उसका वेतन मूल नियम 22(क)(i) के अन्तर्गत यथा-निर्दिष्ट विधि से निर्धारित किया जाए और इस वेतन को निम्नतर पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि देय होने पर, मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के आधार पर, पुनः निर्धारित किया जाए।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दिनांक 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों को ऐसे कर्मचारियों के मामलों में लागू किए जाने के बारे में पत्रादि प्राप्त होते रहे हैं जिन्हें 1-1-1986 से पहले पदोन्नत किया गया था, और जिन्होंने पदोन्नति पर अपना वेतन निर्धारित करने के प्रयोजन से उपर्युक्त (ख) में यथा-निर्दिष्ट विकल्प दिया था, और जिनके मामले में निम्नतर वेतनमानों (संशोधन-पूर्व तथा संशोधित दोनों में ही) में अगली वेतन वृद्धि की तारीखें 1-1-1986 के बाद पड़ती थी। इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और इस संबध में राष्ट्रपति निम्न प्रकार निर्णय करते हैं :—

(i) पदोन्नत पदों पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन 1-1-1986 को उस वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाए, जो मूल नियम 22(क)-(i) के अनुसार उनकी पदोन्नति के समय निर्धारित किया गया था। उन्हें 1-1-1986 से संशोधित वेतनमान में उपर्युक्त वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) निम्नतर पदों में संशोधित वेतनमानों में उनका काल्पनिक वेतन भी 1-1-1986 से निर्धारित किया जाए। निम्नतर पदों पर संशोधित वेतन-मानों में उनकी अगली वेतनवृद्धियां देय हो जाने की तारीखों से ही पदोन्नत पदों में उनका वेतन

मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के आधार पर पुर्ननिर्धारित किया जाए ।

(iii) पदोन्नत पदों में वे अपनी वेतन वृद्धियां उन तारीखों से एक वर्ष पूरा होने के बाद प्राप्त करेंगे जिन तारीखों से उपर्युक्त (ii) के अन्तर्गत उनका वेतन पुर्ननिर्धारित किया गया था बशर्ते कि वे अन्य शर्तें भी पूरी करते हों ।

3. जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित ही है कि इस विभाग के दिनांक 10-4-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/86-स्था० (वेतन-I) में यह निर्णय किया गया है कि 1-1-1986 से जहां किसी सरकारी कर्मचारी को किसी दूसरे ऐसे पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किया जाता है जिसके कामकाज तथा जिम्मेदारियां उसके द्वारा धारित पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों, तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन निर्धारण के लिए मूल नियम 22-ग में दिए गए उपबन्ध वेतन की किसी सीमा के बिना ही लागू किए जाएंगे। यह प्रश्न कि क्या इस विभाग के दिनांक 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया विकल्प 1-1-1986 से तथा उसके बाद हुई पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगे, की भी जांच की गई है। इस संबंध में राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि अगले उच्चतर ग्रेडों अथवा पदों पर 1-1-1986 को अथवा उसके बाद हुई पदोन्नतियों के ऐसे सभी मामलों में जहां मूल नियम 22-ग के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को ऐसी पदोन्नतियां होने पर अपने वेतन के निर्धारण के लिए निम्न प्रकार का विकल्प दिया जाए :—

(क) या तो उनका प्रारंभिक वेतन सीधे ही मूल नियम 22-ग के आधार पर और निम्न ग्रेडों अथवा पदों के वेतनमानों में वेतनवृद्धि के देय होने के संबंध में आगे कोई पुनरीक्षा किए बिना ही उच्चतर ग्रेडों अथवा पदों में निर्धारित कर दिया जाए : अथवा

(ख) पदोन्नति होने पर प्रारम्भ में उनका वेतन उनके निम्नतर ग्रेडों अथवा पदों के वेतन से ऊपर पदोन्नत ग्रेडों अथवा पदों के समय वेतनमान के स्तर पर निर्धारित किया जाए, जिसे बाद में निम्न ग्रेडों अथवा पदों के वेतनमानों में अगली वेतन वृद्धि के देय हो जाने की तारीखों को मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के आधार पर पुन: निर्धारित किया जाए ।

तथापि ऐसे वेतन निर्धारण के संबंध में अन्य सभी मौजूदा शर्तें लागू होती रहेंगी ।

4. ऐसे अधिकारियों के मामले में जो 1-1-1986 को अथवा उसके बाद तथा इन आदेशों के जारी होने की तारीख तक पदोन्नत हुए थे, पैरा 3 का विकल्प तीन महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा । इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद हुई पदोन्नतियों के मामले में पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर विकल्प दिया जाएगा, एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 9-11-87 का का०ज्ञा०सं० 1/2/87- स्था० (वेतन-I)] ।

14. कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में विसंगति दूर करने के लिए वरिष्ठ कर्मचारी का दूसरी बार वेतन बढ़ाना अनुज्ञेय है :—

(1) वित्त मंत्रालय के 10-7-1979 के कार्यालय ज्ञापन सं०ए-1(35)-ई. III (ए)/74 [ऊपर भारत सरकार के आदेश (10) की मद 2] और उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से यह आशंका व्यक्त की है कि क्या किसी वरिष्ठ कर्मचारी का दूसरी बार वेतन बढ़ाने के लिए ऐसी स्थिति में भी उप-रोक्त उपबंध लागू किया जाए जब वह उपरोक्त उपबंध लागू करने से उस कनिष्ठ कर्मचारी से भी कनिष्ठ व्यक्तियों के वेतन के संदर्भ में वेतन बढ़ाए जाने के कारण अपने से कनिष्ठ कर्मचारी से फिर कम वेतन प्राप्त करे ।

(2) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 11 सितम्बर 1968 के पत्र संख्या 2117-एन०जी० आई०-1/3/68-I में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त सामान्य अनुदेशों के अनुसार वेतन बढ़ाते समय यह लाभ पहले कनिष्ठ व्यक्ति (जरुरी नहीं कि वह उसे तुरन्त निचला कनिष्ठ व्यक्ति हो) के वेतन के संदर्भ में केवल एक बार दिया जाना चाहिए। जिसकी पदोन्नति होने पर वरिष्ठ पदधारी के वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई हो । जिस प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति को बराबर वरिष्ठ कर्मचारी का प्रारम्भ में वेतन बढ़ाया गया हो यदि उसका वेतन उससे कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नतियां होने पर उत्पन्न विसंगति के कारण बढ़ जाता है और जिससे फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उक्त वरिष्ठ कर्मचारी प्रथम अपने कनिष्ठ व्यक्ति से कम वेतन प्राप्त करने लगता है तो 11 सितम्बर, 1968 के पूर्वोक्त पत्र के अनुसार लाभ स्वीकार्य नहीं होगा । स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि प्रथम वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन उससे कनिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में बढ़ जाने पर ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन प्रथम बार कनिष्ठ व्यक्ति के बराबर दूसरी बार बढ़ाया जाए बशर्ते कि 18 जुलाई, 1974 के सामान्य आदेशों में निर्धारित सभी शर्तें उस बराबर के कनिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में पूरी होती हों जिसके साथ पूर्वोक्त प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन बढ़ाया गया था । ऐसे मामलों में जो सिद्धांत अपनाए जाएंगे वे उपर्युक्त उदाहरणों के रूप में नीचे स्पष्ट किए गए हैं:—

स्थिति यह है कि वरिष्ठ "क" का वेतन पहले उसके (प्रथम कनिष्ठ) के वेतन के संदर्भ में बढ़ाया जाता है और बाद में किसी तारीख से "ख" का वेतन किसी अन्य वरिष्ठ "ग" के संदर्भ में बढ़ाया जाता है। तब "क" का वेतन "ख" के बराबर दूसरी बार बढ़ाया जाए बशर्ते कि "ग" की तुलना में "क" का वेतन बढ़ाने के लिए सामान्य आदेशों में दी गई सभी शर्तें पूर्णतया पूरी होती हों।

(3) इन आदेशों में दूसरी बार वेतन बढ़ाने के लिए दिए उपबंध यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होंगे। पिछले मामलों पर इन अनुदेशों के अनुसार पुन: विचार किया जाए परन्तु मूल नियम 27 और समय-समय पर सामान्य नियमों के अधीन कर्मचारियों के वेतन की पुन-र्नियतन का प्रभाव इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले की अवधियों के लिए काल्पनिक होगा।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 31 मार्च, 1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/7/84-इस्टे, (पी० I)]।

स्पष्टीकरण :—यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को दूसरी बार बढ़ाने का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते कि यह विसंगति उसी कनिष्ठ व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई हो जिसके वेतन के संदर्भ में वरिष्ठ का वेतन पहली बार बढ़ाया गया था। नीचे उद्धृत किस्म के मामले जब कभी उत्पन्न हों उनका फैसला उनके गुणावगुण के आधार पर जांच करके इस विभाग के परामर्श से किया जाए।

उद्धृत मामलों के स्वरूप :—"क" का वेतन प्रथम बार बढ़ाने के बाद यदि यह पता चलता है कि वरिष्ठ "क" और दूसरे कनिष्ठ "ग" के बीच विसंगति है और पहला कनिष्ठ "ख" जो अब (त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के कारण) उस समय सेवा में नहीं है और जिसके फलस्वरूप उसके वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तो यह स्पष्ट किया जाए कि क्या वरिष्ठ व्यक्ति "क" के मामले में विसंगति उससे कनिष्ठ व्यक्ति को ध्यान में रखकर सीधे ही दूर की जा सकती है।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का यू०ओ० सं० 1427/85-स्था० (वेतन-I) दिनांक 22 जुलाई, 1985 तथा नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक का यू०ओ० संख्या 521-लेखा परीक्षा-I/120-82, दिनांक 10 जुलाई, 1985]।

15. दिनांक 1-1-1986 से पदोन्नतियों के मामलों में मूल नियम 22-ग का लागूकरण: — (1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की किसी एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति/नियुक्ति होने पर उनके वेतन के निर्धारण के संबंध में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 23.15 और पैरा 9.25 में दी गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने पैरा 23.15 में दी गई सिफारिशों को इस संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया है कि कोई न्यूनतम लाभ नहीं होगा। सरकार ने पैरा 9.25 में दी गई सिफारिश स्वीकार नहीं की है और यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव के स्तर से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नति के मामले में भी उनका वेतन अन्य सभी पदोन्नतियों की भांति मूल नियम 22-ग के अधीन निर्धारित किया जाना चाहिए।

(2) सभी मौजूदा आदेशों का अतिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्त किया जाता है जिसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी उसके पद से जुड़ी हुई ड्यूटी और जिम्मेदारियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है तो ऐसी स्थिति में मूल नियम 22-ग में दिए गए आवधान वेतन संबंधी सीमाओं के बिना लागू होंगे।

(3) नियमों को संशोधित करने के लिए अलग से कारवाई की जा रही है।

(4) ये आदेश 1-1-1986 से प्रभावी होंगे।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 1987 का० का० ज्ञा० सं० 1/2/86-स्थापन. (वेतन-I)]।

16. सरकार ने संयुक्त परामर्श तंत्र (जे०सी०एम०) (राष्ट्रीय परिषद) के कर्मचारी पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 23.15 में दी गई सिफारिशों की आगे जांच की है तथा इन सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है। तदनुसार, इस विषय पर विद्यमान विभिन्न आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति यह निर्णय करते है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा पहले धारित पद से सम्बद्ध ड्यूटियों तथा जिम्मेवारियों से अधिक महत्वपूर्ण ड्यूटियों तथा जिम्मेदारियों वाले अन्य किसी पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त होता है तो उसके वेतन के निर्धारण के लिए मूल नियम 22—ग में दिए गए उपबंधों को इस शर्त के अध्यधीन लागू किया जाना चाहिए कि उच्चतर पद में वेतन निर्धारण करने से पहले निचले पद के वेतन में जोड़ी जाने वाली राशि 25 रुपये (केवल पच्चीस रुपये) से कम नहीं होनी चाहिए।

2. ये आदेश पहली जनवरी, 1986 से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार का० तथा प्रशि० विभाग का दिनांक 17-5-86 का का० ज्ञा० संख्या 1/2/86-स्था० (वेतन-I)]।

17. दफ्तरी की गेस्टेटनर आपरेटर के रूप में नियुक्ति :—दफ्तरियों की कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर के पद पर नियुक्ति होने पर उनके वेतन के निर्धारण के प्रश्न पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से पुन: जांच की गई है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में, मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (1) के उपबंध के स्थान पर मूल नियम 22-ग के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाए। तथापि, यदि इन

आदेशों के अधीन कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन अपने वरिष्ठ व्यक्ति से अधिक उच्चतर अवस्था पर नियत किया जाता है तो वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन को बढ़ाकर उस अवस्था तक नियत कर दिया जाएगा जिस पर कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन नियत किया गया है।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और पिछले मामलों पर पुनः विचार किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15 मई, 1974 का का० ज्ञा० संख्या 1 (20)-ई० III(क)/74)।]

डाक व तार महानिदेशालय के अनुदेश

1. केवल निचले संवर्ग की भर्ती यूनिटों की वरिष्ठता सूची के संदर्भ में वेतन बढ़ाना:—वित्त मंत्रालय के दिनांक 20-7-1965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(10)-ई. III (क)/62 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में निचले संवर्ग के लिए वरिष्ठता सूची स्थानीय आधार पर रखी जाती है और उच्च पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर रखी जाती है उनमें वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन, जबकि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हों, वरिष्ठ व्यक्ति के सर्किल से संबंध रखने वाले कनिष्ठ व्यक्ति के वेतन को ध्यान में रखकर ही बढ़ाया जा सकता है। टी ई एस समूह ख के अधिकारियों के मामले में, वरिष्ठता सूची अखिल भारतीय आधार पर रखी जाती है जबकि निचले पदों अर्थात् कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए यह सर्किल स्तर पर रखी जाती है। इस प्रकार उनके मामलों पर केवल उसी सर्किल के कनिष्ठ व्यक्तियों के संदर्भ विचार किया जा सकता है।

[डाक व तार महानिदेशालय पत्र सं० 4/57/67-डाकातार दिनांक 16-1-1968।]

2. मूल नियम 22-ग के अधीन जमादारों के वेतन का निर्धारण:—विभागीय बोर्ड (जे० सी०एम०) ने दिनांक 31-12-1981 को निम्नलिखित निर्णय दिया:—

"मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ ऐसे जमादारों को दिया जाएगा जो जून, 1984 से पूर्व ऐसे पदों पर श्रेणी-IV/पदों से पदोन्नत हुए थे, जैसा कि दावा किया गया है।"

(1) तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 23-6-1978 के पत्र संख्या 31-34/74-पी० ई० आई०/पी० ए०पी० के अनुसरण में डाक व तार बोर्ड 1-6-1974 से पहले जमादारों के रूप में पदोन्नत समूह "घ" कर्मचारियों को मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन के निर्धारण का लाभ लागू करता है। इस प्रकार, रु० 196-232 के वेतनमान में श्रेणी IV/(समूह "घ") कर्मचारियों की जमादार के पद पर पदोन्नति को जो 1-6-1974 से पहले हुई है, उच्चतर जिम्मेदारी वाला पद माना जाएगा तथा तदनुसार उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(2) यह आदेश डाक व तार वित्त के दिनांक 12-2-1982 आई० डी० संख्या 771-एफ०ए० 1/82 द्वारा दी गई उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 19 फरवरी, 198 का पत्र संख्या 41-4/82-पी०ई०आई०।]

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निर्णय

1. ऊपर के आदेश 10(ख) के अनुसार वरिष्ठ व्यक्तियों का वेतन बढ़ाये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं:—

(i) कनिष्ठ व्यक्ति ने वरिष्ठ व्यक्ति से असंशोधित तथा संशोधित वेतनमान में समय समय पर उससे अधिक वेतन न लिया हो। केवल वरिष्ठ तथा कनिष्ठ के वेतन की तुलना निर्णय तारीख अर्थात् 1-1-1973 तक ही करना उचित नहीं होगा।

(ii) जिस प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति के वेतन के संदर्भ में असंगति हुई है, उसे ध्यान में रखकर वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है।*

(iii) प्रत्येक संवर्ग में प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति को ध्यान में रखकर विभिन्न संवर्गों में वेतन बढ़ाने की अनुमति केवल एक बार ही होगी।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा पत्र संख्या 1944-एन० जी० ई० 1/22/75-IV दिनांक 3-7-75 तथा संख्या 3086-एन० जी० ई०-1/22/75-IV दिनांक 11-9-1975।]

यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में कोई वरिष्ठ व्यक्ति बाद में पदोन्नत किए गए कनिष्ठ व्यक्तियों के वेतन को ध्यान में रखकर दो बार वेतन बढ़ाये जाने की प्रसुविधा का हकदार हो जाता है उनमें उपर्युक्त आदेशों के अनुसार वेतन बढ़ाये जाने की प्रसुविधा की केवल एक बार ही अनुमति दी जानी चाहिए जो "प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति" न कि "प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति" से बाद में पदोन्नत किए गए "द्वितीय कनिष्ठ व्यक्ति" के वेतन को ध्यान में रखकर दी जाएगी।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक पत्र संख्या 2117-एन० जी० ई०-1/3/68-I दिनांक 11-9-1968।]

***वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन में बढ़ोतरी अब दूसरी बार भी अनुज्ञेय है। भारत सरकार का उपर्युक्त आदेश संख्या देखें। (14)**

भारत सरकार के आदेश

1. जिन नियुक्तियों पर अधिक जिम्मेदारी नहीं है उन पर स्थानापन्न वेतन को सीमित करना.—मूल नियम 30 और 31 के अधीन स्वीकार्य स्थानापन्न वेतन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता ऐसे मामलों में उत्पन्न हुई है जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की किसी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति हुई है और स्थानापन्न नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने पर ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों का

*संशोधन पूर्व वेतन।

महत्व उस पद से अधिक नहीं है जिस पद पर उसका धारणाधिकार है या उसका धारणाधिकार निलम्बित न किए जाने पर धारणाधिकार रहता। यह देखने में आया है कि इस मामले में कुछ बाहरी कार्यालयों में अपनाई गई पद्धति यह है कि मूल नियम 22(क) (II) द्वारा यथानिर्धारित पद के प्रकल्पित वेतन की अनुमति मूल नियम 31 के अधीन सामान्य रूप में दे दी गई है। किन्तु मूल नियम 31 के पीछे यह अभिप्राय नहीं है जिसके अधीन प्रकल्पित वेतन का हक सर्वथा मूल नियम 30 के उपबन्धों के अध्यधीन है। मूल नियम 30 के अनुसार, यदि स्थानापन्न नियुक्ति में ड्यूटी और जिम्मेदारियों का अधिक महत्व शामिल नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी स्थायी पद के अपने अधिष्ठायी वेतन (यदि कोई हो) से अधिक वेतन लेना अनुज्ञेय नहीं है। दूसरे शब्दों में, मूल नियमों में ऐसी परिस्थितियों में स्थानापन्न पदोन्नतियों के सम्बन्ध में कोई मनाही नहीं है तो भी वे निःसन्देह सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के स्थानापन्न वेतन को समय-समय पर अधिष्ठायी वेतन तक सीमित करते हैं।

परन्तु सरकारी कर्मचारी का कोई स्थायी पद नहीं है इसलिए ऐसे पद के सम्बन्ध में उसका कोई अधिष्ठायी वेतन नहीं है उसका मामला भिन्न है। ऐसे मामलों में मूल नियम 30 लागू न होने के कारण वह मूल नियम 22 (ख) के साथ पठित मूल नियम 31 के अधीन अपना वेतन नियमित करवाने का पूर्णतः हकदार है, किन्तु ऐसे मामलों में स्थानापन्न पद में किसी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी को हमेशा यह छूट है कि वह मूल नियम 35 के उपबन्धों का सहारा ले।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 4 अक्तूबर, 1938 का०ज्ञा० सं० डी/4109/व्यय-1/38।]

[नियमित संवर्ग पदोन्नतियों के सम्बन्ध में मूल नियम 35 के अधीन स्थानापन्न वेतन को सीमित करने का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए।]

2. **ठीक नीचे का नियम और इसकी परिधि.**—(1) ठीक नीचे का नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में जारी किए गये विभिन्न निर्णयों को सही क्षेत्र के बारे में प्रायः सन्देह व्यक्त किए गये हैं। सन्देह दूर करने के लिए इस विषय पर विद्यमान निर्णय संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं :—

(2) इस पैरा के बाद में जोड़ा गया कार्यपालक नियम से वह परिपाटी व्यक्त करने के लिए समझा जाए जो प्रारम्भ में ठीक नीचे के नियम के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें परन्तुक तथा आशोधन समय-समय पर किए गये थे। "नियम" निर्धारित करने का अभिप्राय यह है कि अपनी नियमित लाइन से बाहर का कोई अधिकारी ऐसी स्थानापन्न पदोन्नति से वंचित न रहे जो उसे अपनी मूल लाइन में रहते हुए अन्यथा प्राप्त होती।

तथाकथित "नियम" कोई निष्पक्ष रूप से लागू किए जाने वाला नियम नहीं है। इसमें किसी ऐसे मामले में लागू किए जाने वाले केवल मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित हैं जिसमें मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विशेष आदेशों द्वारा स्थानापन्न वेतन विनियमित करने का प्रस्ताव हो। अतः इस नियम के अधीन कार्रवाई करने से पहले प्रत्येक मामले में ठीक नीचे का नियम के लागू करने की शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिये। इसका परिणाम यह भी होता है कि स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ केवल उसी अवधि के लिए दिया जाना होता है जिसके दौरान ठीक नीचे के नियम की शर्तें पूरी होती हैं।

"**नियम.**—जब किसी अधिकारी को किसी पद पर (चाहे वह उसकी सेवा के संवर्ग के भीतर हो अथवा नहीं) किसी कारण से सेवा के संवर्ग में उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड के पद पर उसको जारी पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने से रोक दिया जाता है तो उपर्युक्त प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा वेतनमान अथवा ग्रेड में प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है और यदि उसे अधिक लाभप्रद हो तो उसे उक्त वेतनमान अथवा ग्रेड का वेतन ऐसे प्रत्येक अवसर पर मंजूर किया जा सकता है जो सेवा के संवर्ग में उससे ठीक नीचे का अधिकारी (और यदि उस अधिकारी की अकुशलता, अनुपयुक्तता अथवा छुट्टी के कारण अथवा साधारण लाइन से बाहर सेवा में होने के कारण उस वेतनमान अथवा ग्रेड की स्थानापन्न पदोन्नति अपनी इच्छा से छोड़ने के कारण उपेक्षा कर दी गई है तो उससे अगला कनिष्ठ अधिकारी जिसकी उपेक्षा नहीं की गई हो) को जो स्थानापन्न वेतन उस वेतनमान अथवा ग्रेड में मिलता है :

परन्तु शर्त यह है कि जिस अधिकारी को इस नियम के मौलिक अंश के अधीन लाभ दिया जाता है, उससे वरिष्ठ सभी अधिकारी (उन्हें उपर्युक्त किसी भी कारण से उपेक्षित नहीं किया गया होगा)। संवर्ग के भीतर उक्त वेतनमान अथवा किसी उच्च ग्रेड में स्थानापन्न वेतन ले रहे हों :

और यह कि विशेष आदेशों के अन्तर्गत आने वाले मामले को छोड़कर, अधिक से अधिक एक अधिकारी (या तो सामान्य लाइन के बाहर अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी या तो अपनी इच्छा से ऐसा लाभ छोड़ देता है अथवा साधारण लाइन से बाहर करके पद पर वेतन तथा पेंशन के सम्बन्ध में कम से कम समतुल्य लाभ मिल जाने के कारण उसे अपने पद के लाभों की आवश्यकता नहीं है तो लाइन का निचला व्यक्ति) को यह प्राधिकार होगा कि इस नियम के अधीन उससे कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा संवर्ग के भीतर भरी गई केवल एक स्थानापन्न रिक्ति के सम्बन्ध में उच्चतर वेतनमान अथवा ग्रेड का वेतन ले सकेगा।"

(3) पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट ठीक नीचे का नियम नीचे उल्लिखित निर्णयों के सम्बन्ध में लागू किया जाना चाहिए :—

(i) नियमित लाइन से बाहर के अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को दी गई आकस्मिक स्थानापन्न

पदोन्नति से ठीक नीचे का नियम के अधीन स्वतः ही दावा करने का हक नहीं मिल सकेगा।

मूल नियम 30(1) में पड़ने वाले "सामान्य लाइन से बाहर" शब्द का अभिप्राय कठोर व्याख्या से नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा पद शामिल है जो या तो "सेवा के संवर्ग से बाहर" अथवा सामान्य वेतनमान से बाहर है।

(iii) यदि सरकार ने किसी विभाग में प्रशासनिक रैंक चयन ग्रेड की पदोन्नति के लिए योग्यता क्रम के अनुसार अधिकारियों की कोई सूची अनुमोदित की है तो उनके संवर्ग में साधारण पदक्रम सूची में अधिकारियों की वरिष्ठता का क्रम उक्त योग्यता क्रम के अनुसार होगा।

(4) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विशेष पद (अर्थात् आवधिक) जैसे कि राज्यपाल अथवा राज्य सरकार का सचिव अपनी पदधारिता के फलस्वरूप सामान्य लाइन में उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड में अल्पावधियों के पदों पर स्थानापन्नतः से होने वाली हानि को स्वीकार करेंगे और जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनके बने रहने के अधिष्ठायी अथवा लम्बी अवधि की स्थानापन्न पदोन्नति पर प्रभाव पड़ता हो तो उन्हें ठीक नीचे का नियम के अन्तर्गत स्थानापन्न पदोन्नति से होने वाली हानि को पूरा करने की बजाए विशेष पदों से उन्हें कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करना ही सही कदम होगा। "अल्पावधि" की व्याख्या ऐसी अवधि है जो तीन मास से अधिक न हो।

यदि ऐसे किसी मामले में ठीक नीचे के नियम की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और किसी अधिकारी को विशेष पद से फिलहाल कार्यमुक्त करने की अव्यावहारिकता के कारण उसे स्थानापन्न पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है तो उसे स्थानापन्न पदोन्नति की हानि के लिए उसी दर पर प्रतिपूर्ति स्वीकार की जाए जो उसे प्रथम तीन मास से अधिक अवधि तक उक्त पद पर लोक हित में बनाए रखने के लिए "आसन्न निकट नियम" के अन्तर्गत स्थानापन्न पदोन्नति होने पर अनुज्ञेय होती। इन मामलों में मूल नियम 30(i) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कोई विशेष विवरण अथवा घोषणा आवश्यक नहीं होगी और केवल यह पर्याप्त होगा कि वे प्राधिकारी संबंधित अधिकारियों को उस आधार पर प्रतिपूर्ति मंजूर करने के अपेक्षित आदेश जारी कर दें। ठीक नीचे का निकट नियम के मामले की तरह, जिस अवधि के लिए ठीक नीचे का नियम के समतुल्य मुआवजा दिया गया है वह अवधि अधिकारी द्वारा लोकहित में विशेष पद पर न रहने की स्थिति में स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने वाले उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड में वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी।

फिर भी, यदि ऐसे किसी मामले में ठीक नीचे का नियम की शर्तें पूरी होती हैं तो संबंधित अधिकारी को "ठीक नीचे का निकट नियम" के अधीन अनुज्ञेय रियायत मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक का सहारा लेकर मंजूर की जा सकती है किन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय ऐसे किसी अधिकारी को विशेष पद पर, जबकि उस पद का वेतन उस वेतन से कम हो जो उसे "ठीक नीचे का नियम" अन्तर्गत अनुज्ञेय होता, "ठीक नीचे का नियम" लागू होने की तारीख से 6 मास से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त विभाग संख्या एफ-2(25)--स्था०III/46, दिनांक 2-4-1947 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय-(सी० डीएन०) यू०ओ० संख्या 5635-पी०टी०-1/622, दिनांक 3-10-62।]

टिप्पणी.—भारत सरकार कुछ समय से इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि जो सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में भर्ती हो जाते हैं और वार्षिक प्रशिक्षण अथवा अनुदेश कोर्स अथवा आपातस्थिति आदि के कारण वहां प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, ठीक नीचे का नियम के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता तथा पदोन्नति के अवसर को किस प्रकार संरक्षण दिया जाए। यह निर्णय किया गया है कि प्रादेशिक सेना में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन के लिए साधारण लाइन से बाहर की सेवा मानी जाए, तदनुसार वे "ठीक नीचे का नियम" के अधीन अपने मूल विभागों में प्रोफार्मा पदोन्नति के हकदार होंगे। उन्हें ऐसे उच्चतर पद में वरिष्ठता भी मिलेगी जिसके हकदार वे उस स्थिति में होते जबकि वे प्रशिक्षण आदि के कारण प्रादेशिक सेना में न गए होते।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 47/2/56 स्था० (क), दिनांक 20-1-58।]

3. "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत एक सिद्धान्त के लिए एक नियम.—यह देखा गया है कि कई मामलों में एकल स्थानापन्न नियुक्ति के संबंध में एक से अधिक अधिकारियों के दावों का समर्थन किया गया है जब कि एक ही संवर्ग के दो अथवा अधिक अधिकारी नियमित लाइन से बाहर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों और उनसे निचले अधिकारी को संवर्ग में उच्च पद स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया हो। इस मामले में किसी भी सन्देह को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि केवल एक ही अधिकारी जो वरिष्ठतम योग्य हो और नियम लागू करने के लिए निर्धारित शर्तों द्वारा वंचित न होता हो, केवल उसे ही "ठीक नीचे का नियम" का लाभ मिलेगा।

यह हो सकता है कि नियमित लाइन से बाहर सेवा कर रहा वरिष्ठतम अधिकारी निम्नलिखित किसी कारण से "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत संरक्षण की मांग न करें।

(i) साधारण लाइन से बाहर सेवा कर रहा अधिकारी साधारण लाइन में प्रशासनिक पद के समतुल्य वेतनमान के पद का धारक हो और मूल नियम 22 के नीचे अपवाद की शर्तों में घोषणा के कारण साधारण लाइन में उच्चतर पद के वेतन तथा वेतन वृद्धि के लाभ का पात्र हो और सिविल

सेवा विनियमावली के अनुच्छेद 475-क के नीचे घोषणा के कारण अतिरिक्त पेंशन की प्रसुविधा का भी पात्र हो ।

(ii) अधिकारी नियमित लाईन से बाहर ऐसे पद (सामान्यतः अस्थायी) का धारक है जिसका वेतन "समतुल्य वेतनमान" से अधिक है और साधारण लाइन में उच्च पद के मुकाबले स्वभावतः अथवा विशेष घोषणा द्वारा विशेष अतिरिक्त पेंशन के लिए अर्हक है ।

ऐसे मामलों में, यह निर्णय किया गया है कि नियमित लाइन में पड़ने वाली एक रिक्ति के सम्बन्ध में "ठीक नीचे का नियम" के अधीन संरक्षण संवर्ग से बाहर सेवा कर रहे उस अगले वरिष्ठता अधिकारी को मिलेगा जिसका उपर्युक्त किसी भी बात से संबंधित होने के कारण वेतनवृद्धि अथवा पेंशन में स्वतन्त्र रूप से संरक्षण नहीं होता ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय संख्या एफ-2(2)-स्था०-III/46, दिनांक 9-5-49।]

4. जब कोई पात्र कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो तो स्पष्ट नियमित रिक्ति के विरुद्ध प्रोफार्मा पदोन्नति अनुज्ञेय है।—(1) मूल नियम 30(1) द्वितीय परन्तुक में दिए गए तन्निम्न सम्बन्ध नियम (एन० बी०आर०) से संबंधित अनुदेशों के अनुसार यह सुविधा कुछ शर्तों के पूरा होने पर ऐसे अधिकारी को प्रदान की जा सकती है जो अपने नियमित कार्य-क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है । इस सम्बन्ध में जिन मूल सिद्धान्तों पर जोर दिया गया है उनमें से एक सिद्धान्त यह है कि "एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति" की शर्त को पूरा करने के अतिरिक्त, सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा कम से कम एक कनिष्ठ अधिकारी, संवर्ग में नियमित आधार पर पदोन्नत हो गया हो । अब हमारे ध्यान में यह बात आई है कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां कार्यक्षेत्र से बाहर सभी वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नत हो गए हैं तथा पदोन्नति करने के लिए सुस्पष्ट नियमित रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद भी संवर्ग में पदोन्नति के लिए कोई भी कनिष्ठ अधिकारी पात्र नहीं रहता है । ऐसे मामलों में, संगत नियमों के अनुसार तन्निम्न संबंधी नियम का लाभ अनुज्ञेय नहीं है तथा इससे संबंधित सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती है ।

(2) उक्त मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, तन्निम्न सबंधी नियम (एन०बी०आर०) के अधीन परिकल्पित लाभ "एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति" तथा कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए अब उन अधिकारियों को भी दे दिया जाए जो अपने नियमित कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे हैं, किन्तु शर्त यह है कि वे आगे निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा करते हों :—

(क) कि संवर्ग के भीतर कोई पद, अधिकारी से कनिष्ठ अनुमोदित अधिकारी के अभाव में खाली रहता है ; तथा

(ख) संवर्ग में होने वाली रिक्ति को, अगले पैनल के जारी होने तक जबकि कुछ कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं तदर्थ आधार पर पदोन्नत करके नहीं भरा जाता है ।

[भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय का दिनांक 15 जुलाई, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/4/84-स्था० (वेतन-I) ।]

5. विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों पर "ठीक नीचे का नियम" लागू करने के मामले में रोक.—(1) मूल नियम 51-क के उपबन्धों के अनुसार, उचित मंजूरी लेकर जिस सरकारी कर्मचारी को नियमित रूप से बनाए गए किसी स्थायी अथवा स्थायीवत् पद पर, उसकी अपनी सेवा के संवर्ग के पद के अतिरिक्त भारत से बाहर ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होगा ।

(2) यह प्रश्न विचाराधीन है कि विदेश में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक (अर्थात् ठीक नीचे का नियम) जैसा कि ऊपर आदेश (4) में स्पष्ट किया गया है, के अधीन किस सीमा तक लाभ दिया जा सकता है ।

यह निर्णय किया गया है कि "ठीक नीचे का नियम" के अधीन लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जिन्हें नियमित रूप से बनाए गए संवर्ग बाह्य पदों पर विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया है । फिर भी, ऐसे मामलों में जब सरकारी कर्मचारी भारत में अथवा भारत के बाहर अपने मूल संवर्ग के ऐसे पद पर लौटता है जिस पर वह उस समय कार्य करता होता यदि वह विदेश में संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता तो प्रतिनियुक्ति की अवधि का यह अंश जिसके दौरान "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति की शर्तें पूरी हो जाती हैं, सरकारी कर्मचारी का वेतन नियत करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, पद पर पदोन्नति की मान्य तारीख जो प्रतिनियुक्ति काल में पड़ेगी, उसकी गणना करने के लिए "ठीक नीचे का नियम" की सभी शर्तें लागू करके की जाएगी और उस पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख को वेतन देय में संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने पर मूल नियम-27 के अन्तर्गत यह मानकर नियत किया जाएगा कि अधिकारी को पदोन्नति की मान्य तारीख से पदोन्नत किया गया था ।

(3) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति करने के मामले में अनुचित इंकार न किया जाए यह निर्णय किया गया है कि

प्रशासी मंत्रालय/विभाग उन अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करें जिन्हें विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना हो ताकि विदेश में केवल उन्हीं अधिकारियों को भेजा जा सके जिन्हें प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके मूल विभाग में किसी उच्च ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नत किए जाने की संभावना नहीं हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(10)ई-III/60, दिनांक 17-10-60]

6. **"ठीक नीचे का नियम" के अधीन लाभ मंजूर करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—मूल नियम 30 (1) (ठीक नीचे का नियम) के द्वितीय परन्तुक के अधीन घोषणा जारी करने के लिए और जब कोई अधिकारी अपनी सेवा सामान्य क्रम से बाहर किसी पद पर कार्य कर रहा हो तो स्थानापन्न वेतन का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को नीचे दी गई शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय किया गया है :—

(i) "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत लाभ विदेश में नियमित रूप से बनाए हुए संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे मामले उपर्युक्त आदेश संख्या (5) के अधीन विनियमित किए जाएंगे।

(ii) "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत लाभ की मंजूरी उपर्युक्त आदेश संख्या (4) में दी गई शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हैं।

(iii) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति से सम्बन्धित अधिसूचना गृह मंत्रालय के दिनांक 24 अक्तूबर, 1957 के का०ज्ञा० संख्या 13/2/57-स्था० (क) में दी गई शर्तों के अनुसार जारी की जानी है।

(iv) मंत्रालय "ठीक नीचे का नियम" के अधीन उच्च वेतन का लाभ किसी भी अवधि के लिए तब तक दे सकते हैं जब तक कि उसके अधीन अनुज्ञेय वेतन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तव में धारित मूल पद के अधिकतम समय वेतनमान से अधिक न हो। जब वेतन वेतनमान के अधिकतम वेतन से अधिक हो जाता है तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को "ठीक नीचे का नियम" के अधीन अनुज्ञेय वेतन जिस तारीख से अधिकतम से आगे बढ़ता हो उस तारीख से छः महीने के भीतर उसे उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के दिनांक 4 मई, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-10(24)-ई-III/60 के पैरा 1(IV) और (VII) में दिए गए उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। (देखें इस संकलन का परिशिष्ट)।

टिप्पणी :—भारत सरकार में अवर सचिवों और उप-सचिवों के रूप में नियुक्त केन्द्रीय और राज्य सेवाओं के अधिकारियों के मामले में "ठीक नीचे का नियम" के अधीन लाभ की मंजूरी वित्त मंत्रालय के दिनांक 4 सितम्बर, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 3(26)-स्था० III-57, समय-समय पर यथा संशोधित, में दिए गए आदेशों द्वारा शासित होती है।

(V) "ठीक नीचे का नियम" के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ इसके अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर संवर्ग में कम से कम 90 दिन की रिक्ति में केवल पदोन्नति के लिए दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रारम्भिक रिक्ति तथा इसके बाद की रिक्तियां जिनके आधार पर लाभ दिये जाते हैं, दोनों की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। ऐसी रिक्तियों पर पदोन्नतियों के संबंध में लाभ देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें एक के बाद दूसरी को मिलाकर कुल अवधि 90 दिन से अधिक बैठती हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 22 जून, 1962 और 29 जनवरी, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(23)-ई-III/62, दिनांक 25 मार्च, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1(2) ई-III(क)/67, और दिनांक 16 अगस्त, 1973 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ- 1 (6)-ई-III (क)/71]

7. **दिनांक 1 अगस्त, 1976 से समूह "ग" और "घ" संवर्ग में चयन ग्रेड पदों की जिन नियुक्तियों पर अधिक जिम्मेदारी नहीं है, उन नियुक्तियों का वेतन नियत करना.—(क) निर्धारण की पद्धति.**—चयन ग्रेड पर नियुक्ति हो जाने पर वेतन यदि चयन ग्रेड के वेतनमान में ऐसा ग्रेड हो तो उसी स्तर पर नियत किया जाएगा जिस स्तर पर सामान्य ग्रेड में वेतन लिया गया है, या यदि ऐसा स्तर न हो तो अगले उच्च स्तर पर नियत किया जाएगा। यदि चयन ग्रेड में वेतन उसी स्तर पर नियत किया जाता है तो अगली वेतन वृद्धि उसी तारीख से दी जाएगी जिस तारीख को वह सामान्य ग्रेड में प्राप्त होती। किन्तु, यदि वेतन अगले उच्च स्तर पर नियत किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि की मंजूरी चयन ग्रेड में बारह महीने की सामान्य वेतनवृद्धि की अवधि समाप्त होने के बाद दी जाएगी।

ये आदेश उन मामलों में लागू नहीं होते (क) जिनमें चयन ग्रेड यहां बताई गई शर्तों से अधिक उदार शर्तों पर पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं और (ख) जिनमें चयन ग्रेड न रखने का निर्णय पहले ही कर लिया गया है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 10 जनवरी, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ०-7(21)-ई-III(क)/74), (पैरा 1) (VII) तथा 4]

नीचे आदेश संख्या (8) के पैराग्राफ 1(4) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जिन मामलों में चयन ग्रेड पर नियुक्ति होने पर वेतन मूल नियम 22(क)(II) के अधीन नियत किया जाता है उनमें मूल नियम 22 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (1) के उपबन्ध भी लागू होंगे। उक्त स्पष्टीकरण ऐसे मामलों में भी समान रूप से लागू होगा जिनमें चयन ग्रेड पर नियुक्ति होने पर वेतन उपर्युक्त आदेशों के अनुसार नियत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि चयन ग्रेड में सामान्य ग्रेड के अधिकतम का तत्समानी कोई स्तर है तो जिस अधिकारी द्वारा एक वर्ष या अधिक समय तक सामान्य ग्रेड के अधिकतम पर सेवा धारण के पश्चात उसकी पदोन्नति चयन ग्रेड में की गई है, वह चयन ग्रेड में अपना वेतन अगले उच्च स्तर पर नियत कराने का हकदार होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(9)-ई-III(क)/77]

(ख) विसंगति को दूर करने के लिए वेतन का बढ़ाया जाना.—इन आदेशों के परिणामस्वरूप ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें चयन ग्रेड में पहले से नियुक्त कोई कर्मचारी अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त करता है जिसकी सामान्य ग्रेड में एक और वेतनवृद्धि लेने के पश्चात् चयन ग्रेड में बाद में नियुक्ति की गई है। ऐसी असंगति में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ा कर कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाए :—

(i) वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों कर्मचारी एक संवर्ग से सम्बन्धित हों और जिस चयन ग्रेड में उन्हें नियुक्त किया गया है वह ग्रेड एक ही संवर्ग में तथा समतुल्य होना चाहिए।

(ii) चयन ग्रेड में नियुक्ति से पहले वरिष्ठ कर्मचारी सामान्य ग्रेड में समय-समय पर अपने कनिष्ठ कर्मचारी से अधिक या उसके बराबर वेतन लेता रहा हो।

(iii) यह असंगति प्रत्यक्षतः ऊपर निर्धारित वेतन नियतन का फार्मूला लागू करने के परिणामस्वरूप हुई हो।

इस निर्णय के उपबन्धों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी का वेतन नियत करने वाले आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएं और वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि, वेतन नियतन की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर दी जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 8 अगस्त, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7(21)-ई-III(क)/74-पी०टी०-II]

समूह "ग" और "घ" के संवर्गों में चयन ग्रेड लागू करने के परिणामस्वरूप वेतन बढ़ाने के लिए मूल नियम-22ग के नीचे भारत सरकार के आदेश (10) का पैरा (च) देखें।

(ग) सामान्य ग्रेड में अगली वेतनवृद्धि की तारीख से चयन ग्रेड में आने के लिए विकल्प.—यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त आदेशों और समय-समय पर संशोधित या ढील दिए गए आदेशों के अनुसार लागू चयन ग्रेड पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त समझे गए कर्मचारियों को सामान्य ग्रेड में उनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से चयन ग्रेड में वेतन लेने का विकल्प देने की अनुमति दी जाए। ये आदेश 1 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

सम्बन्धित कर्मचारी चयन ग्रेड में अपनी नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर ही विकल्प का प्रयोग करेंगे। जो कर्मचारी इन आदेशों के जारी होने की तारीख को चयन ग्रेड में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, उन्हें 30 अगस्त, 1983 से पहले विकल्प देना आवश्यक होगा। उनके विकल्प के आधार पर वेतन का पुनः नियतन केवल काल्पनिक आधार पर किया जाएगा और वे इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लाभ लेंगे।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 28 जुलाई, 1983 का का० ज्ञा० संख्या एफ-7(10)-ई-III/83)

28 जुलाई, 1983 को चयन ग्रेड के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा 30 अगस्त, 1983 तक विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक था किन्तु इस अवधि की अपर्याप्तता के बारे में विभिन्न स्त्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनका मुख्य कारण यह था कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन देर से प्राप्त हुआ था और इसलिए सारे देश में फैले और विदेश में भारतीय मिशनों के क्षेत्रीय अधिकारियों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था कि वे निर्धारित अवधि में अपना विकल्प दे सकें। इस मामले की मंत्रालय में सावधानीपूर्वक जाँच की गई है और उक्त तारीख को आगे बढ़ाने तक निश्चय किया गया है जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग 30 नवम्बर, 1983 तक किया जा सके।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या उन कर्मचारियों को विकल्प का लाभ दिया जाएगा जो 1 अगस्त, 1976 और 27 जुलाई, 1983 के बीच चयन ग्रेड पद पर कार्य कर रहे थे और पदोन्नति आदि के कारण 28 जुलाई, 1983 को ऐसे पद पर कार्यरत नहीं थे। इस प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को भी विकल्प का लाभ दिया जाए। जिस पद पर उनकी पदोन्नति की गई हो उस पद पर उनका वेतन चयन ग्रेड पद में उनके काल्पनिक वेतन के संदर्भ में पुनः नियत किया जाय। यह पुनः नियतन भी काल्पनकि आधार पर होगा और उन्हें वास्तविक लाभ केवल 28 जुलाई, 1983 से ही प्राप्त होंगे।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि ये आदेश उनसे सम्बद्ध, अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों आदि को शीघ्र भेज दिए जाए

ताकि उनमें कार्यरत कर्मचारी अपने विकल्प का प्रयोग उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि में कर सकें ।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अक्तूबर, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(10/ई-III/83)

ये आदेश 1-8-1976 से सांकेतिक आधार पर लागू किए गए थे तथा वास्तविक लाभ उक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख अर्थात् 28-7-83 से देने की बात स्वीकार की गई थी । दिनांक 26-9-81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7/1/80-स्थापना (वेतन-I) के द्वारा पदोन्नति पर निम्न वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख से मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प देने के प्रयोजन से पहले अनुदेश जारी किए गए थे तथा उक्त कार्यालय ज्ञापन के अधीन जारी किए गए आदेश 1-5-1981 से लागू किए गए थे ।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि कोई कर्मचारी जो 1-5-1981 के पश्चात उच्च पद पर पदोन्नत हो गया तथा जिसने एक बार दिनांक 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन वेतन निर्धारण के लिए विकल्प दे दिया था, यदि चयन ग्रेड पद में विकल्प के लिए वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-7-1983 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उसका वेतन निम्न पद पर पुनःनिर्धारित किया जाना हो तो क्या उसे उक्त कार्यालय ज्ञापन के अधीन अन्य विकल्प देने की अनुमति दी जाए ।

3. मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि इस विभाग के दिनांक 26-9-1981 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन दिए गए विकल्प तथा वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-7-1983 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए विकल्प के मामले में भी ऐसे मामलों में विकल्प देने का एक और अवसर प्रदान किया जाए जिनमें संबंधित कर्मचारी का वेतन वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-7-83 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए निम्नतर गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में पिछली अवधियों के लिए पुनः निर्धारित किया जाना हो जबकि इस प्रकार का निर्धारण संबंधित कर्मचारी को अधिक लाभप्रद होता हो ।

4. ये आदेश इनके जारी होने कि तारीख से प्रभावी होंगे पिछले मामले इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए विनियमित किए जाए, परन्तु वास्तविक लाभ केवल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ही दिया जाए । संशोधित विकल्प इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर दिया जाए तथा एक बार दिया गया इस प्रकार का विकल्प अन्तिम होगा ।

5. सरकार ने विशेष मामला मानकर दिनांक 17-7-84 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार विकल्प देने की समय सीमा दो महीने और बढ़ा दी है और अब विकल्प तारीख 17-12-1984 तक दिया जा सकेगा ।

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का दिनांक 17 जुलाई, 1984 का का० ज्ञा० सं० 13-9-84 स्था० पी० आई०, दिनांक 14 नवम्बर, 1984 यू०ओ० संख्या 2405/84/पी०यू०आई० तथा दिनांक 17 नवम्बर 1984 का सी० एण्ड ए०जी० का पत्र संख्या 897-लेखा/114-80-II)

स्पष्टीकरण.—1. उन मामलों में, जहां प्रवर ग्रेड में नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या नि० 7(10)ई०III/83 दिनांक 28-7-1983 के अनुसार वेतन नियत करने का विकल्प है और सामान्य ग्रेड में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से पहले अगर उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत हो जाता है, वेतन नियतन के तरीके के बारे में विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाते रहे हैं । अब तक के निर्णय के अनुसार इस प्रकार के मामलों का वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-7-83 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी को विकल्प का प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि प्रवर ग्रेड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की तारीख के बाद की तारीख का है जहां तक कि विशेष समय पर विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में विकल्पों का आवश्यक रूप से प्रयोग करने का प्रश्न है, ऐसा दृष्टिकोण अतर्क संगत प्रतीत होगा, और ऐसी किन्हीं शर्तों को औपचारिक रूप से लागू करने वाले नियम या आदेश नहीं हैं जिनके अन्तर्गत पहले का विकल्प व्यपगत हो जाएगा (उदाहरण के लिए निचले पद के साधारण ग्रेड में अगली वेतनवृद्धि के उपचित होने की तारीख के पहले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति) ।

2. अतः इस मामले पर सावधानी से विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों में वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-7-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के अनुसार काल्पनिक वेतन जिसे कर्मचारी उस ग्रेड में वेतन नियतन के लिए अपने विकल्प देने की तारीख को प्रवर ग्रेड में प्राप्त करता होता (भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7/1/80-स्था० पी०आई०, दिनांक 26-9-1981 के पैरा 2 के उपबंधों की परिधि के भीतर उच्चतर पद पर वेतन नियतन के लिए आवश्यक रूप से लेखे में लिया जाएगा ।)

3. क्षेत्र (फिल्ड) कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी पिछले मामलों की समीक्षा करें तथा ऊपर बताई गई रीति से सही वेतन नियमन को सुनिश्चित करें ।

(भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली का पत्र संख्या 964-1/43-84-1 परिपत्र संख्या एम०जी०ई०/37/85), दिनांक 27 मई, 1985)

8. चयन ग्रेड पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियों के मामले में छूट.—सामान्यतः किसी चयन ग्रेड पद पर स्थानापन्न

नियुक्ति होने के बाद अधिष्ठायी वेतन से अधिक वेतन स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि कार्यभार ग्रहण करने पर उत्तरदायित्व अधिक नहीं होता बशर्ते कि यह पद मूल नियम 30 की अनुसूची में शामिल हो। मूल नियम 30 के उपबन्धों में छूट देकर निम्नलिखित निर्णय किया गया है :—

(1) ऐसे मामलों में चयन ग्रेड पद पर स्थानापन्न नियुक्ति की अनुमति दी जाए ;

(2) ऐसे मामलों में वेतन मूल नियम 22(क)(ii) के उपबन्धों के अधीन चयन ग्रेड में नियत किया जाए ; और

(3) "ठीक नीचे का नियम" का लाभ ऐसे मामलों में भी दिया जाए बशर्ते कि उक्त नियम की सभी शर्तें पूरी होती हों।

(4) मूल नियम 22 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (1) के उपबन्ध ऐसे मामलों में भी लागू होंगे।

चूंकि चयन ग्रेड सामान्यतः ऐसे संवर्गों में ही लागू किए गए हैं जिनमें उच्च पद पर पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं या नहीं हैं इसलिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी उपयुक्त न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित करेंगे जो सरकारी कर्मचारी को चयन ग्रेड पर नियुक्ति के लिए योग्य समझे जाने से पहले पूरी की जानी आवश्यक हो।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 3 अक्तूबर, 1968 का का०ज्ञा० संख्या एफ 2(33)-स्था-III/63 और दिनांक 22 अगस्त, 1967 का का० ज्ञा० संख्या ए-2(33)-ई-III (क)/63)

9. आपात कमीशन से सिविल नियोजन पर वापिस आने पर सेवा की गणना—"ठीक नीचे का नियम" को लागू करना.—(1) भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार करती रही है कि जो सरकारी कर्मचारी सिविल नियोजन में स्थायी पद पर मौलिक रूप से कार्य करता है और जिसे आपात कमीशन मंजूर किया गया है, उसे सैनिक सेवा से लौटने पर और ऐसे उच्च पद पर नियुक्त किए जाने पर जो वह ऐसी ड्यूटी से अनुपस्थित न होने पर स्थानापन्न रूप से धारण करता, यह अनुमति दी जाये कि उसके द्वारा रक्षा सेवाओं में व्यतीत की गई अवधि की गणना उच्च सिविल पद के समय वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए कर सके। यह निर्णय किया गया है कि जिन स्थायी सिविल अधिकारियों को आपात कमीशन मंजूर किया गया है उनके द्वारा धारित रक्षा सेवाओं के पदों को मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन के लिए "सेवा के सामान्य क्रम से बाहर" के पदों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं में ऐसे अधिकारी द्वारा की गई सेवा की गणना वेतनवृद्धि के लिए उच्च वेतनमान वाले पद में की जाएगी जबकि रक्षा सेवाओं में उसकी नियुक्ति न हुई होती तो वह सिविल नियोजन में उच्च वेतनमान वाले पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करता और यह भी शर्त होगी कि उपर्युक्त आदेश (2) में यथा निर्धारित "ठीक नीचे का नियम" को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें पूरी होती हों।

(भारत सरकार वित्त विभाग का दिनांक 7 नवम्बर, 1942 का पृष्ठांकन संख्या एफ-15(18)-व्यय 1/42)

(2) यह निर्णय किया गया है कि जिन स्थायी सिविल अधिकारियों को भारतीय अधिकारियों की रिजर्व सेवा के अधिकारी होने के नाते सैनिक सेवा में बुला लिया गया है उनके द्वारा धारित रक्षा सेवाओं के पदों को भी मूल नियम 30(1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन के लिए "सेवा के सामान्य क्रम से बाहर" के पद के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त विभाग पृष्ठांकन संख्या एफ 15(18) EX.1/42, दिनांक 28 जुलाई, 1943]

(3) भारत सरकार ने उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई रियायत सिविल पायनियर कोर्स के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दे दी है।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 16 नवम्बर, 1943 का पृष्ठांकन संख्या 9890-डब्ल्यू०आई०/43]

10. भारत/विदेश में प्रशिक्षण/अनुदेश पर रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति.—(1) मूल नियम 20 में यह व्यवस्था है कि मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन कर्तव्य के रूप में मानी गई किसी अवधि के सम्बन्ध में किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसा वेतन मंजूर किया जा सकता है जो सरकार उचित समझे किन्तु किसी भी मामले में ऐसा वेतन सरकारी कर्मचारी के मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन ड्यूटी से भिन्न ड्यूटी पर मिलने वाले वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या जिस सरकारी कर्मचारी को जो भारत में प्रशिक्षण या अनुदेश पर है और जिस मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन कर्तव्य पर माना गया है, उसे ऐसे प्रशिक्षण या अनुदेश के दौरान अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है जबकि वह ऐसी पदोन्नति का अन्यथा हकदार हो और यदि पदोन्नत किया जा सकता हो तो ऐसी पदोन्नति होने पर उसका वेतन किस प्रकार विनियमित किया जाएगा। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि कर्मचारी प्रशिक्षण पर न गया होता और जिस तारीख को उसकी पदोन्नति होती उस तारीख से उसे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने मेंकोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी होती हो।

(क) उसका अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुमोदन किया गया हो, और

(ख) विशेष उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अयोग्य समझे गए वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों की उक्त ग्रेड में पदोन्नति हो गई हो।

उसे अगले उच्च ग्रेड में ऐसा स्थानापन्न वेतन लेने की अनुमति भी दी जाए जो उसने मूल नियम 9(6)(ख)के

अधीन ड्यूटी से भिन्न ड्यूटी पर होने पर समय-समय पर लिया होता ।

(3) उपर्युक्त उपबन्ध मूल नियम 51 के अधीन प्रशिक्षण के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मामले में भी यथोचित परिवर्तन करके लागू होंगे ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 14 मार्च, 1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1(7)-ई-iii(क)/78]

महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश

1. चयन ग्रेड में नियुक्ति होने पर वेतन का नियतन.—(1) यह देखने में आया है कि कुछ मामलों में जब कर्मचारी सामान्य ग्रेड में अधिकतम वेतनमान पर रुके हुए हैं, मूल नियम 22(क) (ii) के उपबन्धों और मूल नियम 22 के नीचे दिया गया लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (1) चयन ग्रेड में उनका वेतन नियत करते समय ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है जैसा कि मूल नियम 30 के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश (7) में व्यवस्था है ।

(2) सभी सम्बन्धितों के मार्गदर्शन के लिए यह बात दोहरायी जाती है कि यदि कर्मचारी ने चयन ग्रेड में अपनी स्थानापन्न नियुक्ति की तारीख पर सामान्य ग्रेड में एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय के लिए अधिकतम वेतनमान में वेतन लिया है और यदि सामान्य ग्रेड में जिस स्तर पर वेतन लिया गया है उस अधिकतम स्तर के समकक्ष चयन ग्रेड में कोई स्तर नहीं है तो चयन ग्रेड में स्थानापन्न वेतन का नियतन मूल नियम 22(क) (ii) और मूल नियम 22 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश 1 के उपबन्धों के अनुसार अगले उच्च स्तर पर (न कि निचले स्तर पर) किया जाएगा । एक उदाहरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

अनुलग्नक

आशुलिपिक "क" (रु० 130–5–160–8–200–द०रो०–8–250–द०रो०–8–280–10–300) रुपये की चयन ग्रेड (रु० 210–10–290–15–380–द० रो०–15–425) में नियुक्ति होने पर वेतन का नियतन ।

(i) चयन ग्रेड (210–425) में नियुक्ति की तारीख	16-9-87
(ii) आशुलिपिक के सामान्य ग्रेड (130–300) में 16-9-67 को वेतन .	रु० 300
(iii) किस तारीख से ली जा रही है	15-7-66
(iv) वह स्तर जिस पर वेतन प्रथमतः मूल नियम 22(क) (ii) के अधीन रु० 210-425 के वेतनमान में नियत करना चाहिए ।	कोई समकक्ष स्तर न होने के कारण वेतन रु०290पर नियत किया जाएगा और 10 रु० वैयक्तिक वेतन होगा ।
(V) 15-7-66 से 15-9-67 तक की अवधि जिसके दौरान सामान्य ग्रेड में वेतन रु० 300 पर लिया गया था, जिसकी गणना मूल नियम 22 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (i) के अधीन वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी ।	अतः वेतनवृद्धि नियुक्ति की प्रथम तारीख अर्थात् 16-9-67 को तत्काल देय होगी । अन्तिम नियतन रु० 305 के स्तर पर किया जाएगा (रु० 29 0में 10 रुपये जोड़कर) ।
(vi) अगली वेतन वृद्धि की तारीख	16-9-1968

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 8 सितम्बर, 1972 का पत्र संख्या 2–10/71-पी०ए०पी०]

2. सामान्य ग्रेड में अनुज्ञेय होने वाले उच्च वेतन का संरक्षण.— (1) जिस चयन ग्रेड के पद के कर्तव्य उच्च उत्तरदायित्व के नहीं हैं उस पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन का नियतन मूल नियम 22 के अधीन लेखा परीक्षा अनुदेश (1) के साथ पठित मूल नियम 22(क) (ii) की सहायता सादृश्यता पर विनियमित किया जाता है । हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि 1-1-73 को या इसके बाद संशोधित वेतनमान में चयन ग्रेड में नियुक्ति होने के बाद, सामान्य ग्रेड में एक वेतनवृद्धि अर्जित करने पर किसी अधिकारी का सामान्य ग्रेड में वेतन, उसे चयन ग्रेड में नियुक्ति होने पर अनुज्ञेय वास्तव में मिलने वाले वेतन से अधिक हो जाता है । ऐसे मामलों में आवश्यक संरक्षण देने का प्रश्न पिछले कुछ समय से वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है ।

(2) उपर्युक्त प्रकार के मामले में कर्मचारी को होने वाली कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि 1-1-73 को या उसके बाद संशोधित वेतनमान में चयन ग्रेड पदों पर मौलिक या स्थानापन्न नियुक्ति होने पर वेतन-नियतन उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए तरीके से विनियमित किया जाता है, और कर्मचारी की चयन ग्रेड में नियुक्ति न हुई होती तो उसे सामान्य ग्रेड में किसी भी समय अनुज्ञेय वेतन चयन ग्रेड में अनुज्ञेय/मिलने वाले वेतन से अधिक हो जाता है तो ऐसे अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है जो भविष्य की वेतनवृद्धियों में मिला दिया जाएगा ।

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 26 अक्तूबर, 1977 का पत्र संख्या 3-49/77-पी०ए०टी०]

3. कनिष्ठ इंजीनियरों, टी०टी० एस० समूह "ग" आदि की चयन ग्रेड में नियुक्ति होने पर वेतन नियत करना.— (1) दूरसंचार संबंधी चयन ग्रेडों अर्थात संचार सहायकों/फोन निरीक्षकों/बेतार आपरेटरों/आटो एक्सचेंज सहायकों/कनिष्ठ इंजीनियरों और टेलीग्राफ ट्रेफिक सर्विस समूह "ग"

आदि के संवर्गों में चयन ग्रेड पदों पर नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (7) के उपबंधों के अनुसार वेतन नियतन का लाभ लागू करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। संघों ने भी दूरसंचार साइड के चयनग्रेडों के मामले में उक्त आदेशों के उपबन्धों को लागू करने के लिए समय-समय पर इस निदेशालय से सिफारिश की है। इस मांग को माना नहीं गया है।

2. * * *

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित डाक व तार संवर्गों में चयन ग्रेडों का गठन वित्त मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों से अधिक उदार नियमों और शर्तों पर किया गया है। भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (3) में बहुत स्पष्ट किया गया है कि उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें चयन ग्रेडों का गठन पहले से ही अधिक उदार शर्तों पर किया गया है। अतः उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संवर्गों में चयन ग्रेडों पर नियुक्त व्यक्ति भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (7) के उपबन्धों के लाभ के हकदार नहीं हैं। चयन ग्रेडों में नियुक्ति होने पर उनका वेतन मूल नियम 22 (क) (ii) के उपबंधों की समानता के अनुरूप नियत किया जाता रहेगा।

4. अनुरोध है कि जिन मामलों में चयन ग्रेड पर नियुक्ति होने पर वेतन उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करके नियत किया गया है, उन मामलों की पुनरीक्षा की जाए और वेतन मूल नियम 22(क) (ii) के अधीन नियत किया जाए। गलत वेतन-निर्धारण के कारण अधिकारियों को दिए गए अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित क्रिया-विधि का अनुपालन करने अर्थात कारण बताओ नोटिस आदि जारी करने के बाद की जाए।

[महानिदेशक, डाक व तार, नई दिल्ली का 11 नवम्बर, 1980 का पत्र संख्या 3-78/80-पी०ए०टी०]

लेखा परीक्षा अनुदेश

(i) यह अभिप्राय नहीं है कि मूल नियम 30 के खण्ड (1) के द्वितीय परन्तुक में "सेवा के सामान्य क्रम से बाहर" शब्द की "सेवा के संवर्ग से बाहर" या "सामान्य समयवेतन-मान से बाहर" के रूप में कठोरता से विवेचन किया जाए। अपनाए गए शब्दों का उद्देश्य भारत सरकार को अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति देना या जहां ऐसी आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाये जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और नियमों में व्यवस्था नहीं की जा सकती।

(ii) इस परन्तुक के अधीन किसी पद के विनिर्देशन से सरकारी कर्मचारी उक्त पद में सेवा की गणना वेतनवृद्धि के लिए उस ग्रेड में करवाने का पात्र होगा जिस ग्रेड में वह विनिर्दिष्ट पद पर कार्य न करने पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनः मुद्रित) का भाग 1, अध्याय iv पैरा 9]

लेखा परीक्षा के निर्णय

(1) यद्यपि कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो भी भारत में स्थानापन्न पदोन्नति के कारण इंग्लैण्ड में, प्रतिनियुक्ति वेतन बढ़ाया जा सकता है।

[लेखा परीक्षा निर्णयों के संकलन का भाग-IV, निर्णय (13)]

(2) केन्द्रीय सरकार की यह घोषणा कि किसी विशेष पद में अधिक महत्व के कर्तव्य या विभिन्न प्रकार के कर्तव्य शामिल हैं, उसी संवर्ग में एक पद से दूसरे पद पर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को स्थानापन्न वेतन की मंजूरी का समर्थन करती है।

[लेखा परीक्षा निर्णयों के संकलन का अध्याय IV, निर्णय (14)]

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्णय

(1) मूल नियम 30 में "कर्तव्य" और "उत्तरदायित्व" शब्द की व्याख्या विस्तृत अर्थ में की जाए क्योंकि इसमें किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त किसी विशेष सेवा के सदस्य के प्रासंगिक सामान्य जिम्मेदारियां तथा दायित्व भी शामिल हैं।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 13 सितम्बर, 1923 की संख्या 3971-ई/676-23]

(2) एक सन्देह यह उठाया गया था कि क्या मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक में यथा अपेक्षित सेवा के सामान्य क्रम से बाहर रखे जाने वाले किसी पद की घोषणा पदोन्नति का आदेश देने के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उधार लेने वाले विभाग के प्राधिकारी द्वारा जारी करनी चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा कर रहा हो।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने निर्णय किया है कि चूंकि मूल नियम 30 में सेवा के सामान्य क्रम से बाहर के किसी व्यक्ति के पदोन्नति के अधिकार का स्पष्ट संरक्षण करने के लिए है इसलिए घोषणा अधिकारी के मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जानी है न कि उधार लेने वाले विभाग द्वारा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक की शर्तों के अनुसार सेवा के सामान्य क्रम से बाहर होने वाले किसी पद की घोषणा करना ठीक नीचे का नियम के अधीन पदोन्नति की मंजूरी देने से पूर्व की शर्तों में से है और इसे प्रोफार्मा पदोन्नति के आदेशों के साथ-साथ जारी करना चाहिए।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व का दिनांक 8 अक्तूबर, 1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या जी० एम०/4-3/68-69/528]

2. स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह "क" के अधिकारियों पर लागू होना.—स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह "क"

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 30-8-89 की अधिसूचना संख्या 1/10/89-स्था० (वेतन-I) द्वारा विलोपित।

के अधिकारियों पर संशोधित मूल नियम 31 के लागू किए जाने के बारे में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए :—

(क) क्या संशोधित मूल नियम 31 के उपबंध ऐसे अधिकारियों पर लागू होंगे जो नीचे के मूल पदों से स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह "क" के कनिष्ठ वेतनमान में शामिल पदों पर स्थानापन्न रूप में, पदोन्नत हुए हों; और

(ख) किसी अधिकारी की जब कभी उस सेवा के नीचे वाले पद में उसके मूल वेतन में बढ़ोत्तरी के फलस्वरुप उसकी कनिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न वेतन में कोई परिवर्तन आता है तो क्या उस अधिकारी के स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान में उसके स्थानापन्न वेतन में संशोधन किया जाएगा ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर "हां" है । इस संबंध में और आगे स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न वेतन के नियत किए जाने का उपरोक्त नियम ऐसे मामलों में भी लागू होगा जहां कहीं अधिकारी समूह "ख" से स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान में सीधा पदोन्नत हुआ हो और जहां उसका वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान में उस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में प्रकल्पित वेतन के आधार पर निर्धारित किया गया हो ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 2(16)-स्था०-III/59, दिनांक 2 मई, 1959 ।]

4. जब मूल पद पर वेतनवृद्धि अवकाश की अवधि में आये—एक प्रश्न उठाया गया कि ऐसी स्थिति में जहां किसी अधिकारी की मूल पद पर वेतन वृद्धि अवकाश की अवधि के दौरान पड़ती हो और स्थानापन्न वेतन का पुनः निर्धारण सरकारी कर्मचारी के हित में होता हो वहां स्थानापन्न वेतन को किस प्रकार विनियमित किया जाएगा ।

ऐसे अधिकारी के मामले में जो छुट्टी पर जा रहा हो यह निर्णय किया गया है कि यदि स्थानापन्न पद में वेतनवृद्धि के लिए छुट्टी की अवधि की गणना मूल नियम 26(ख) (ii) के अधीन आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत किए जाने की शर्त के साथ की जाती है तो मूल नियम 31 (2) के अधीन उसके स्थानापन्न वेतन का पुनःनिर्धारण वेतन वृद्धि की तारीख से ही अथवा उसके मूल वेतन में इतनी वृद्धि कर दी जाएगी मानो कि वह उसी तारीख से स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया गया था । स्थानापन्न वेतन में वृद्धि का लाभ अधिकारी को उसके छुट्टी से वापस आने पर उसके द्वारा कार्यग्रहण की तारीख से ही मिलेगा परन्तु अगले वर्ष स्थानापन्न पद पर वेतन वृद्धि की गणना वेतन पुनः निर्धारण की तारीख से ही की जाएगी ।

फिर भी यदि, अवकाश की गणना वेतनवृद्धि के लिए स्थानापन्न पद पर नहीं होनी है तो सरकारी कर्मचारी को यदि ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान उसके मूल वेतन में कोई वृद्धि होती है तो, अपने स्थानापन्न वेतन का पुनःनिर्धारण कराने का अधिकारी होगा । परन्तु ऐसा उसके छुट्टी से वापस आने की तारीख से ही होगा । और उस स्थिति में अगली वेतन वृद्धि, उसके द्वारा ड्यूटी की निर्धारित अवधि जो कि उसके कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी के पूरा होने पर ही देय होगी बशर्ते कि उसे दुबारा से मूल नियम 31 (2) के अधीन पिछली तारीख से वेतन के पुनःनिर्धारण का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता ।

मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के अधीन स्थानापन्न वेतन के पुनःनिर्धारण के लिए उस नियम के नीचे भारत सरकार का आदेश (12) देखें ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-2 (9)-स्था० III/60 दिनांक 28 अप्रैल, 1960 और 8 नवम्बर 1960 और 6-8-73 के पैरा 3 को संशोधित करने वाला संख्या 1(8)-ई० III (ए)/73, दिनांक 6 अगस्त, 1973 ।]

5. "ठीक नीचे का नियम" के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामले में वेतन का पुनःनिर्धारण :—एक प्रश्न उठाया गया कि क्या मूल नियम 31(2) के अधीन वेतन का पुनःनिर्धारण उस पद के बारे में भी किया जा सकता है जिस पर सरकारी कर्मचारी मूल वेतन में वृद्धि के समय वास्तव में स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा था किन्तु यदि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता तो "ठीक नीचे का नियम" के अन्तर्गत किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 31 के उप-नियम (2) के उपबन्ध इन मामलों में भी लागू होंगे ।

संबंधित सरकारी कर्मचारी का वेतन मूल नियम 31(2) के अंतर्गत कल्पित रूप से उस पद पर पुनः निर्धारित किया जाएगा जिस पर वह उस स्थिति में बना रहता जबकि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता अथवा अभी भी किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से वह नियुक्त रहता । जब कभी भी सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/उच्च पद से प्रत्यावर्तित होता है, तो प्रत्यावर्तन की तारीख को उसको दिए जाने वाले वास्तविक वेतन का हिसाब ऐसे प्रकल्पित वेतन को ध्यान में रख कर लगाया जाएगा ।

[भा० स०, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(31)-ई० म०III/61, दिनांक 12 जुलाई, 1961 ।]

6. दक्षतारोध के स्वतः पार किए जाने से इंकार करने के लिए मूल नियम 35 का लागू किया जाना :—(1) निम्नलिखित प्रकार के मामलों में मूल नियम 31 के अधीन वेतन के निर्धारण किए जाने के संबंध में संदेह उठाए गए हैं, अर्थात् :—

(क) क्या मूल नियम 31(2) के अधीन स्थानापन्न वेतन का पुनःनिर्धारण ऐसे मामले में भी अनुज्ञेय

होगा जहां सरकारी कर्मचारी की किसी चरण विशेष पर वेतनवृद्धि अथवा किसी विभागीय परीक्षा के न पास करने के कारण स्थानापन्न पद में दक्षतारोध के चरण पर रोक लगा दी गई हो।

(ख) ऐसे मामले में जहां मूल नियम 31(2) के अधीन वेतन के पुनःनिर्धारण के फलस्वरूप किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन दक्षतारोध के चरण को पार कर जाता हो, क्या ऐसा पुनःनिर्धारण उस स्थिति में स्वतः ही अनुमत हो सकता है जबकि किसी विभागीय परीक्षा के न पास करने के कारण के अलावा किसी अन्य कारण से सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को दक्षतारोध पार करने के लिए अनुपयुक्त पाए।

(2) उपरोक्त पैरा 1(क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में तो मूल नियम 31 के विद्यमान उपबन्धों में ही यह व्यवस्था है कि मूल नियम 35 के उपबन्धों को लागू करके वेतन के पुनःनिर्धारण को, मना किया जा सकता है। ऐसा इस लिए होता है, चूंकि मूल नियम 31(2) के अधीन वेतन का पुनःनिर्धारण मूल नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार ही किया जाता है। फिर भी इस संबंध में मूल नियम 31 को संशोधित कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त पैरा 1(ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में उपर्युक्त आदेश (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि दक्षतारोध के चरण के बाद वेतन का पुनःनिर्धारण स्वतः ही होगा। फिर भी, उन मामलों में, जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में संबंधित सरकारी कर्मचारी वास्तव में दक्षतारोध को पार करने के लिए उपयुक्त न हो और इस कारण से ऐसा पुनःनिर्धारण नहीं किया जाना चाहिए तो वह मूल नियम 35 के उपबंधों को लागू करते हुए, ऐसे प्रत्येक मामले में विशेष आदेश जारी करके वेतन के पुनः-निर्धारण को मना कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहां कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, वहां स्थिति उपरोक्त आदेश (3) में यथाउल्लिखित होगी।

[भा० सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(49) ई०III/61, दिनांक 13 सितम्बर, 1961।]

7. संवर्ग पदोन्नति के मामलों में मूल नियम 35 के उपबन्ध लागू करना :—मूल नियम 35 के नीचे भारत सरकार का आदेश (3) और (4) देखें।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) जो सरकारी कर्मचारी ऐसे किसी पद पर स्थाना-पन्न रूप से कार्य कर रहा हो जिसका वेतन किसी परीक्षा के उत्तीर्ण करने पर अथवा सेवा की कुछ निश्चित अवधि पूरी कर लेने पर बढ़ जाता है, उसका वेतन वही होगा जो उसे स्थायी रूप से पद के धारण करने पर, समय-समय पर, प्राप्त होता।

[लिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनः मुद्रित) का खण्ड I, अध्याय IV, पैरा 10(i)।]

(2) जो सरकारी कर्मचारी ऐसे स्थानापन्न पद पर कार्य कर रहा है जिसका वेतन अगले अनुक्रम में कम कर दिया गया है, उसका वेतन घटाए गए वेतन के बराबर होगा।

[लिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनःमुद्रित) का खण्ड I, अध्याय-IV पैरा 10(ii)।]

मूल नियम 22-क:—**उस सरकारी सेवक का प्रारम्भिक अधिष्ठायी वेतन जो किसी पद पर वेतनमान पर, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया है किन्तु जिसका वेतन उस पद के कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों में कमी से भिन्न कारणों से घटा दिया गया है और जो उस वेतनमान पर, जैसा कि वह घटाए जाने के पूर्व था, वेतन लेने का हकदार नहीं है, नियम 22 द्वारा भी नियमित होता है, परन्तु उस खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में और लोक सेवा से पद त्याग या हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के पश्चात् पुनर्नियोजन मामलों से भिन्न ऐसे उन मामलों में जो खण्ड (ख) के अन्तर्गत आते हैं, दोनों मामलों में यदि —**

(i) उसने अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न की हैसियत से पहले भी वही पद, उसका वेतनमान घटाया जाने के पूर्व, या

(ii) उसी वेतनमान पर, जो कि उस पद का बिना घटाया हुआ वेतनमान था कोई स्थायी या अस्थायी पद, या

(iii) उस पद के बिना घटाए गये वेतनमान के समान वेतनमान पर ( )[1] कोई स्थायी पद या अस्थायी पद, जब कि ऐसा अस्थायी पद उसी वेतनमान पर हो जिस पर कि सावधिक पद से भिन्न स्थायी पद धारण किया है, या

(2) यदि उसे किसी ऐसे सावधिक पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है जिसका वेतनमान उसके कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों में कमी हुए बिना घटा दिया गया है और वह पहले ही किसी अन्य सावधिक पद को जिसका वेतनमान सावधिक पद के बिना घटाए हुए वेतनमान के समान था, अधिष्ठायी रूप से धारण कर चुका है या उस पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर चुका है,

तो प्रारम्भिक वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या राष्ट्रपति द्वारा नियम 9(21)(क)(iii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत परिलब्धियों से विभिन्न, उस वेतन से कम न होगा जो कि वह, वेतन का घटाया हुआ-वेतनमान आरम्भ से ही प्रवृत होने की दशा में, नियम 22 के अधीन ऐसे अन्तिम अवसर पर लेता और वह अवधि, जिसके दौरान उसने वह

वेतन उस अन्तिम अवसर पर और पूर्वतन अवसरों पर लिया होता, वेतन-वृद्धियों के लिए गणना मे ली जाएगी ।

मूल नियम 22 (ख)-(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, उस सरकारी सेवक का वेतन जो अन्य सेवा या काडर में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया है और तत्पश्चात उसी सेवा या काडर में पुष्ट हो जाता है, निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा शासित होगा :—

(क) परिवीक्षा की अवधि के दौरान वह यथा स्थित, सेवा या पद के वेतनमान का न्यूनतम या वेतनमान के परिवीक्षा का प्रक्रमों पर, वेतन लेगा ।

परन्तु यदि [1](1) उस स्थायी पद का, जिस पर उसका धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता उपधारणात्मक वेतन, इस खण्ड के अधीन नियत किए गए वेतन से किसी समय अधिक हो, तो वह स्थायी पद का उपधारणात्मक वेतन लेगा ।

(ख) परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात सेवा या पद में पुष्टि होने पर सरकारी सेवक का वेतन सेवा या पद के वेतनमान में, यथास्थिति नियम 22 या नियम ग के उपबन्धों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

[1]. परन्तु सरकारी सेवक का वेतन नियम 22 तथा 22 ग के अधीन उस वेतन के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जाएगा जो कि वह ऐसे पूर्वपद ले रहा होता जिसे वह अस्थायी हैसियत से धारित किए हुए था, लेकिन वह समय वेतनमान की सेवा अथवा पद में वेतन की सेवा अथवा पद में वेतन आहरित करता रहेगा ।

2. उपनियम (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उन सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जो किसी अन्य सेवा या काडर में, जहां कि ऐसी सेवा या काडर के स्थायी पदों के लिए भर्ती परिवीक्षार्थियों के रूप में की जाती है, अस्थायी पदों पर निश्चित शर्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाते है, सिवाए इसके कि ऐसे मामलों में उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उपदर्शित रीति से वेतन का नियतन इन नियमों के नियम 31 के अधीन परिवीक्षा की अवधि के अवसान के ठीक पश्चात और उस सेवा के काडर के या तो स्थायी या अस्थायी पद पर नियमित स्थानापन्न नियुक्ति होने पर किया जाएगा ।

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी अन्य सेवा या काडर में शिक्षु के रूप में नियुक्त सरकारी सेवा :—

(क) शिक्षुता की अवधि के दौरान, वह वृत्तिका या वेतन लेगा जो एसी अवधि के लिए विहित है, परन्तु यदि, सावधिक पद से भिन्न उस स्थायी पद का जिस पर की उसका धारणाधिकार या होता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर धारणाधिकार दिया गया होता, उपधारणात्मक वेतन, किसी भी समय, इस खण्ड के अधीन नियत की गई वृतिका या वेतन से अधिक हो तो वह स्थायी पद का अधारणात्मक वेतन लेगा ।

(ख) शिक्षुता की संतोषप्रद समाप्ति पर और सेवा या काडर के पद पर नियमित नियुक्ति होने पर, उस सेवा या पद से वेतनमान, यथास्थिति, इन नियमों के नियम 22 या 22 ग 31 के अधीन, नियत किया गया वेतन होगा ।

[2]परन्तु सरकारी सेवक का वेतन नियम 22 अथवा नियम 22 ग के अधीन वेतन के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जाएगा जो कि वह ऐसे पूर्व पद में ले रहा होता, जिसे वह अस्थायी हैसियत से धारित किए हुए था, लेकिन वह सेवा अथवा पद के समय वेतनमान में वेतन आहरित करता रहेगा।

भारत सरकार के आदेश

1. स्थानापन्न वेतन को संरक्षण नहीं :— चूंकि अस्थायी सेवक की परिवीक्षा पूरी होने के समय किसी पद पर धारणाधिकार नहीं होता है इसलिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवीक्षा पूरी होने पर जब ऐसे किसी सरकारी सेवक की सेवा अथवा पद में पुष्टि हो जाती है तो उसका वेतन मूल नियम 22 अथवा मूल नियम 22 ग के अधीन के संदर्भ में पुनः नियत नहीं किया जाएगा जो कि वह पिछले पद में जिसे वह अस्थायी हैसियत से धारित किए हुए था, ले रहा होता लेकिन वह सेवा अथवा पद के वेतनमान में वेतन आहरित करता रहेगा । इसी प्रकार परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति के समय उच्चतर स्थानापन्न पद में धारित किए हुए स्थायी सेवक के मामलें में वेतन उस वेतन के संदर्भ में पुनः नियत किया जाएगा जोकि वह उच्चतर स्थानापन्न पद पर आहरित करता ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 6 नवम्बर, 1965 का का०ज्ञा०सं० एफ 1 (37)-ई० III (क)/64] ।

लेखा परीक्षा अनुदेश

लेखा परीक्षा अनुदेश मूल नियम (6) 9 (6) के नीचे देखें ।

---

[1] "सांविधिक पद से भिन्न" इन शब्दों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 24 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं० 13/5/84-स्थापना (वेतन)-I द्वारा विलोपित किया गया यह दिनांक 12 अक्तूबर, 1985 से राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू हैं ।

[2] भारत सरकार गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 23 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या एफ 1 (6)-वेतन एकक-1/79 द्वारा जोड़ा गया । यह 8 दिसम्बर, 1979 से लागू है ।

23मूल नियम—उस पद के, जिसका वेतन बदल दिया गया है, धारक के बारे में, यह माना जाएगा कि वह नए पद पर नए वेतमान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, परन्तु वह अपने विकल्प पर अपना पुराना वेतन लेना उस तारीख तक जारी रख सकेगा जब तक कि वह अपने पुराने वेतनमान में अपनी ठीक अगली या पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि उपार्जित न कर ले, या तब तक जब तक कि वह अपना पद रिक्त न कर दे या उस वेतनमान में (वेतन लेना खत्म न कर दे) एकबार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

भारत सरकार के आदेश

1. **''पुराने वेतन'' अभिव्यक्ति का अर्थ**:—मूल नियम 23 और इसके नीचे लेखा परीक्षा अनुदेश (2) के लागू करने के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कोई अधिकारी पुराने उच्च वेतनमान में अपना स्थानापन्न वेतन रखने के लिए मूल नियम 23 के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकता है जबकि वह उच्च वेतनमान में उस तारीख से स्थानापन्न है जिससे एक ही संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों के भिन्न भिन्न पदों को एक सामान्य वेतनमान में मिलाया गया था जबकि भिन्न भिन्न वर्गों के सभी पद उस तारीख से उसी नए वेतनमान में थे और कोई उच्चतर जिम्मेदारी नहीं उठानी थी।

महालेखा परीक्षक की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि नियम के परन्तुक में केवल वही दर ही शामिल नहीं होगी जिस पर संबंधित कर्मचारी निर्णायक तारीख को अपना स्थानापन्न वेतन ले रहा था बल्कि वह समय वेतन-मान भी शामिल होगा जिसमें वह अपना वेतन ले रहा था। इस प्रकार विकल्प की अवधि के लिए पुराना वेतनमान जिसमें वह स्थानापन्न वेतन ले रहा था, संबंधित व्यक्ति के लिए निरंतर अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। और चूंकि वह उस अवधि के दौरान अपना पुराना वेतन लेने का हकदार है इसलिए विकल्प के अन्तर्गत उसके द्वारा वह वेतन लिया जाना इस बात पर आधारित नहीं होगा कि क्या निर्णायक तारीख के बाद स्थानापन्न नियुक्ति पर बने रहने से पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दायित्व तथा जिम्मेदारियां ग्रहण करनी पडती हैं अथवा नहीं। किन्तु ऐसा विकल्प उस स्थिति में लागू नहीं होगा—जबकि संबंधित व्यक्ति द्वारा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करना बंद कर दिया जाता है अथवा वह उस विशिष्ट वेतनमान में वेतन लेना बंद कर देता है जिसमें वह स्थानापन्न वेतन ले रहा था।

मूल नियम 23 का वास्तविक अंश तथा इसके उपबंध दोनों एक साथ तथा एक ही समय लागू नहीं रह सकते। जिस अवधि में परन्तुक के अधीन दिया गया विकल्प लागू रहता है उसमें नियम का वास्तविक अंश लागू नहीं होता। किसी भी कारण से विकल्प देने में असफल रहने पर नियम की प्रसुविधा से वंचित होना पडता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का पत्र सं० सी० 246/प्रशा०/टी/142 दिनांक 30-9-1942।]

2. **अगली वेतनवृद्धि की तारीख संशोधित किए जाने पर नया विकल्प आवश्यक नहीं**:—यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा मूल नियम 23 के अधीन दिया गया विकल्प उस स्थिति में भी लागू रहेगा जबकि उसकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद में जारी किए गए आदेशों के अधीन उसका वेतन पुनः नियत करने के कारण बदल जाती है। यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई स्थायी अथवा अस्थायी व्यक्ति उस मूल तारीख से पहले अथवा बाद में वेतनवृद्धि लेता है जिस तारीख को मूल नियम 23 के अधीन विकल्प देते समय उसे वेतन-वृद्धि प्राप्त होनी थी, तो वेतनवृद्धि की तारीख संशोधित हो जाने के कारण उसका वेतन मूल नियम 23 के अधीन उसके द्वारा दिए गए मूल विकल्प को ध्यान में रखकर वेतन-वृद्धि की संशोधित तारीख से स्वतः ही पुनर्नियत कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए नए सिरे से विकल्प देने तथा विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सी) पृष्ठांकन जो डाक व तार महानिदेशालय के पत्र सं० 7–40/57-पी० एण्ड ए० दिनांक 5-1-1959 पर रिकार्ड किया गया था]।

3. **स्तर बदल जाने पर भी लागू रहना**:—यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या मूल नियम 23 उस मामले में भी लागू रहेगा जिसमें किसी पद का वेतनमान संशोधित कर दिया जाता है और ऐसे संशोधन के साथ-साथ उस पद का स्तर भी बदल जाता है। यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 23 उन मामलों में बराबर लागू रहेगा जिनमें वेतन में संशोधन के साथ-साथ पद के स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे मामलों में, पद वास्तव में पहले की तरह ही बना रहता है। किन्तु जहां वेतन संशोधन से पद के कार्यों तथा जिम्मेदारियों में विशिष्ट परिवर्तन होता है वहीं पुराने पद को अलग पद द्वारा प्रतिस्थापित हुआ मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में, संबंधित व्यक्ति को यथास्थिति उच्चतर अथवा निचले पद पर, नियुक्त किया गया समझा जाएगा, और उसका वेतन मूल नियम 23 के अन्तर्गत नियत न करके संगत नियमों के अधीन नियत किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (40)-ई० III (क)/65 दिनांक 6-11-1965]।

4. **संशोधन करके बढाये जाने/बराबर रखने/घटाये जाने के लिए उपलब्ध विकल्प**:—यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या मूल नियम 23 के अधीन विकल्प ऐसे पद के धारक को उपलब्ध होगा जिसका वेतनमान घटा दिया गया है अथवा क्या ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को अनिवार्यतः घटाये गए वेतनमान में लाया जाना चाहिए और उसमें उसका वेतन मूल नियम 22-क के अनुसार नियत किया जाना चाहिए। इस मामले पर गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से

सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :—

(1) मूल नियम 23 के अधीन, ऐसे पद का पदधारक जिसका वेतन बदल दिया गया है अपने विकल्प पर अपना पुराना वेतन लेना तब तक जारी रख सकेगा जब तक कि वह अपने पुराने वेतनमान में अपनी ठीक अगली या अनुवर्ती वेतनवृद्धि उपार्जित न कर ले या तब तक जब तक कि वह अपना पद रिक्त न कर दे या उस वेतनमान पर वेतन लेना समाप्त न कर दे ।

(2) इन उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो संबंधित पद के वेतनमान में संशोधन के समय उस पद का धारक है, मूल नियम 23 के अधीन उपर्युक्त विकल्प उसे उपलब्ध होगा भले ही वेतनमान का संशोधन करने पर उसे बढ़ाया गया है अथवा समतुल्य रखा गया है या घटाया गया है ।

(3) किसी पद का वेतनमान घटाये जाने के मामलों में मूल नियम 22-क के अधीन संशोधन वेतनमान में वेतन नियत करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जबकि सरकारी कर्मचारी मूल नियम 23 के अधीन पुराना वेतनमान रखने के लिए विकल्प नहीं देता है ।

(4) जिन मामलों में कोई सरकारी कर्मचारी पद का वेतनमान घटाये जाने के समय उस पद का धारक नहीं है किन्तु वह वेतनमान घटाये जाने से पूर्व उसी पद का धारक रहा है तो वेतनमान घटाये जाने के बाद उस पद पर पुनर्नियुक्त किए जाने की स्थिति में पुराना वेतनमान रखने के लिए मूल नियम 23 के अधीन विकल्प देने का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसे मामलों में, वेतनमान घटाये जाने की तारीख के बाद पुनर्नियुक्ति होने पर वेतन का नियतन मूल नियम 22-क के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं० 2(62)-स्था० III 60 दिनांक 29-8-1960] ।

5. न्यूनतम पर वेतन निर्धारण के मामले में अगली वेतन वृद्धि की तारीख :— (1) अधिक महत्व के कर्तव्य और उत्तरदायित्व कार्यभार ग्रहण करने की आवश्यक बनाए बिना जब किसी पद के वेतनमान में संशोधन करके उसमें वृद्धि की जाती है तो पदधारी के वेतन-नियतन का विनियमित मूल नियम 22 के नीचे उल्लिखित संपरीक्षा अनुदेश (1) के साथ पठित मूल नियम 23 तथा 22(ए) (II) के अधीन किया जाता है । दूसरे शब्दों में, पदधारी का वेतन नए वेतनमान में भी उसी स्टेज पर नियत किया जाता है बशर्ते कि नए वेतनमान में ऐसा कोई स्टेज हो और यदि वैसा स्टेज न हो तो नए वेतनमान के अगले निम्न स्टेज पर नियत किया जाता है और शेष राशि को वैयक्तिक वेतन के रूप में लेने की अनुमति दी जाती है, जिसे वेतन में की जाने वाली भावी वृद्धियों में संविलयित कर लिया जाएगा । दोनों ही मामलों में, अगली वेतनवृद्धि पुराने वेतनमान में वेतनवृद्धि की तारीख को या नए वेतनमान में वेतनवृद्धि की तारीख को, इनमें जो भी पहले पड़ती हो, ली जाएगी ।

(2) जिन मामलों में संशोधित वेतनमान का न्यूनतम वेतन सरकारी सेवक द्वारा पुराने वेतनमान में न्यूनतम स्टेज पर नियत किया जाए । यह प्रश्न उठाया गया है कि किसी सरकारी सेवक को, वेतनमान के न्यूनतम स्टेज पर ऐसे आरंभिक वेतन नियतन के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि कब से लेने की हकदारी होगी ।

(3) इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित स्वरुप के मामलों में अगली वेतन वृद्धि संशोधित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन नियतन की तारीख से, स्थिति के अनुसार 12 महीने/24 महीने की वेतनवृद्धि की पूरी अवधि के पूरा होने के पश्चात् ही संशोधित वेतनमान में उस स्टेज पर मूल नियम 26 के उपबन्धों की शर्त पर मंजूर की जानी चाहिए ।

(4) वित्त मंत्रालय आदि कृपया इसे ध्यान में रखें और आवश्यक मार्गनिर्देशन के लिए उपर्युक्त स्पष्टीकरण को अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 9 जनवरी, 1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 13/14/83-स्थापना वेतन०I] ।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) मूलनियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की मद संख्या (4) देखें ।

(2) यह नियम किसी पद पर स्थानापन्न रूप से अथवा स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति पर लागू होता है ।

इस नियम में पड़ने वाला शब्द "किसी पद का धारक" ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होता है जो वास्तव में ऐसे पद का धारक नहीं है जिसका वेतन बदल दिया गया है । बशर्ते कि उसका उस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार (लीयन) अथवा निलंबित पुनर्ग्रहणाधिकार (लीयन) हो ।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों की नियम पुस्तक (पुनर्मुद्रित) के अध्याय IV, खण्ड 1 का पैरा 4 (iii)] ।

(3) मूल नियम 23 के परन्तुक में "पुराने वेतनमान में अनुवर्ती वेतनवृद्धि" शब्द में ग्रेड पदोन्नति भी ऐसे मामलों में शामिल होगी, जिनमें ग्रेड वेतनमान के लिए समय वेतनमान प्रतिस्थापित किया गया हो ।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों की नियम पुस्तक (पुनः मुद्रित) के खण्ड 1 अध्याय IV का पैरा 4(iii)]

(4) इस नियम में आने वाले "पद" शब्द में "अस्थायी पद भी शामिल हैं ।

(लेखा परीक्षा अनुदेशों की नियम पुस्तिका। पुनः मुद्रित खण्ड 1, अध्याय IV पैरा(iv)]।

मूल नियम 24. वेतनवृद्धि मामूली तौर से सामान्य अनुक्रम में ली जाएगी सिवाय तब के जबकि वह रोक ली गई हो । यदि सरकारी सेवक का आचरण अच्छा न रहा हो या उसका कार्य संतोषजनक न रहा हो तो केन्द्रीय सरकार या ऐसा प्राधिकारी जिसे कि केन्द्रीय सरकार यह शक्ति नियम 6 के अधीन प्रत्यायोजित करे, वेतनवृद्धि रोक सकेगा । वेतनवृद्धि रोकने का आदेश देने में रोकने वाला प्राधिकारी यह अधिकथित करेगा कि वेतनवृद्धि कितनी अवधि के लिए रोकी गई है और क्या इसके मुल्तवी करने के कारण भावी वेतनवृद्धियां भी मुल्तवी होंगी अथवा नहीं ।

भारत सरकार के आदेश

1. "अगली वेतनवृद्धि" तथा "एक वेतनवृद्धि" रोकने के बीच अन्तर.—यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी दण्ड के आदेश का अभिप्राय निर्दिष्ट अवधि तक "अगली वेतनवृद्धि" रोकने से हो तो इसका अर्थ यह होगा कि उस अवधि के दौरान देय होने वाली सभी वेतनवृद्धियां रोक दी जाएगी क्योंकि अगली वेतनवृद्धि प्राप्त किए बिना कोई अधिकारी ये वेतनवृद्धियां नहीं ले सकता जो "अगली वेतनवृद्धि" के बाद पड़ती है । इस तरह यदि यह अभिप्राय हो कि निर्दिष्ट अवधि तक केवल एक वेतनवृद्धि रोकी जानी चाहिए तो आदेश में यह उल्लेख न किया जाए कि "अगली वेतनवृद्धि" निर्दिष्ट अवधि तक रोकी जाए । उचित प्रक्रिया यह है कि ऐसे मामले में आदेश में यह विशेष उल्लेख किया जाए कि निर्दिष्ट अवधि तक "एक वेतनवृद्धि" रोकी जानी चाहिए और आदेश में यह उल्लेख न किया जाए कि निर्दिष्ट अवधि तक "अगली वेतनवृद्धि" रोकी जाए । ऐसे आदेश के प्रभाव से केवल एक वेतनवृद्धि निर्दिष्ट अवधि तक रोकी जाएगी और संबंधित अधिकारी ऐसी अवधि में पड़ने वाली अनुवर्ती वेतनवृद्धियां ले सकेगा और निस्संदेह ही उनमें से रोकी गई "एक वेतनवृद्धि" कम हो जाएगी ।

[महा निदेशालय डाक व तार पत्र संख्या 20/41/66 डिस्क दि० 14-4-1967] ।

2. जब वेतन वृद्धि रोकने की कई सजाएं लगाई जाएं.—जिन मामलों में वेतनवृद्धि रोकने की कई सजाएं सरकारी कर्मचारी पर लगाई जाती हैं तो उनके स्पष्टीकरण के लिए समय-समय पर यह पूछा जाता रहा है कि इन आदेशों को व्यावहारिक रूप में किस प्रकार लागू किया जाए । ऐसे मामलों पर कुछ समय से विचार किया जा रहा था और यह निर्णय किया गया है कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी पर अलग अलग मामलों में एक के बाद दूसरी वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड लगाता है तो वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड प्रथम आदेश दण्ड आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक जारी रहेगा । इसके बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में वह वेतनवृद्धि जोड दी जाएगी जो उसे दण्ड न लगाये जाने की स्थिति में मिली होती और इसके बाद ही वेतनवृद्धि रोकने का दूसरा आदेश लागू होगा जो वेतनवृद्धि रोकने के लिए द्वितीय दण्ड के आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक और आगे के आदेश भी इसी प्रकार जारी रहेंगे ।

[डाक तार महानिदेशालय पत्र सं० 230/308/75 डिस्क II, दिनांक 3 मई, 1976] ।

3. जब वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड चालू हो तो अग्रिम वेतनवृद्धियां किस प्रकार विनियमित की जाएं :—(1) यह प्रश्न उठाया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा विभागीय अथवा अन्य तकनीकी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर उसे मंजूर की जाने वाली वेतनवृद्धि (वृद्धियां) जो अनुशासनिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप वेतनवृद्धि (वृद्धियां) रोकने का दण्ड लगाये जाने के बाद देय होती हैं, क्या वे दण्ड की अवधि के दौरान दी जा सकती हैं और ऐसे मामलों में वेतन किस प्रकार विनियमित किया जाए :—

(2) ऐसे मामलों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :—

(क) जिन मामलों में संबंधित व्यक्ति पर वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड लगाने के आदेश की तारीख से पहले अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होने का तथ्य दण्ड का आदेश जारी किए जाने के बाद पता लगता है (अर्थात् अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए रोकने का आदेश 1-3-1971 को जारी किया जाता है । अगली वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख 1-7-1971 है। 1-4-1971 को घोषित परिणामों के आधार पर संबंधित व्यक्ति को 28-12-1970 को हुई विभागीय परीक्षा में अर्हक घोषित कर दिया जाता है और वह 28-12-1970 से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां का हकदार हो जाता है) ।

(ख) जिन मामलों में अग्रिम वेतनवृद्धियां दण्ड का आदेश जारी किए जाने के बाद किन्तु उक्त आदेश लागू होने से पहले देय होती है (अर्थात् दण्ड के आदेश की तारीख 1-3-1971, अगली वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख 1-7-1971 और संबंधित व्यक्ति विभागीय परीक्षा पास करने पर 1-6-1971 से दो अग्रिम वेतनवृद्धियों का हकदार हो जाता है) ।

(ग) जिन मामलों में अग्रिम वेतनवृद्धि दण्ड की अवधि चालू रहने के दौरान देय होती है (अर्थात् दण्ड के आदेश की तारीख 1-3-1971, अगली वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख 1-7-71 और संबंधित व्यक्ति दो अग्रिम वेतनवृद्धियों का हकदार 1-9-1971 से होता है) ।

(3) यह निर्णय किया गया है कि समय वेतनमान में सामान्य प्रक्रिया में देय होने वाली वेतनवृद्धि (वृद्धियां) ही दण्ड के फलस्वरूप रोकी जा सकती हैं और ऐसे किसी आदेश से विभागीय परीक्षाएं आदि पास करने पर प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धियां देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तदनुसार, उपर्युक्त तीनों प्रकार के मामलों में अग्रिम वेतनवृद्धियां निम्न प्रकार से विनियमित की जानी चाहिये :—

(क) चूंकि अग्रिम वेतनवृद्धियां दण्ड के आदेश की तारीख से पहले की तारीख को देय होती हैं इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी। अग्रिम वेतनवृद्धियां 28-12-70 से दी जा सकती हैं और सामान्य वेतनवृद्धि जो 1-3-71 को अथवा बाद में (अर्थात् 1-7-71 को) देय होती है, रोक ली जानी चाहिए।

(ख) अग्रिम वेतनवृद्धियां दी जा सकती हैं किन्तु उसके बाद देय होने वाली सामान्य वेतनवृद्धि रोक ली जाए जैसाकि नीचे उदाहरण में दिखाया गया है। (वेतनमान रु० 160—8—200 मानकर)—

	वेतन	
1-3-71	160	बिना संचयी प्रभाव के एक वर्ष के लिए अगली वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड लगाये जाने वाले आदेश की तारीख।
1-6-71	176	दो अग्रिम वेतनवृद्धियां (वेतनवृद्धि) की सामान्य तारीख पर प्रभाव नहीं पड़ता।
1-7-71	176	सामान्य वेतनवृद्धि रोक दी गई क्योंकि सजा आरंभ हो जाती है।
1-7-72	192	सजा की अवधि समाप्त हो जाती है इसलिए सामान्य वेतनवृद्धि इस तारीख को देय होती है और पहले रोकी गई वेतनवृद्धियां देने की अनुमति दे दी जाती है।

यदि वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाती है तो अधिकारी को 1-7-72 को 184 रुपए मिलेंगे।

टिप्पणी :—यदि उपर्युक्त उदाहरण में, अगली वेतनवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर किये जाने की तारीख से एक वर्ष पूरा करने के बाद ही (अर्थात् 1-6-1972 को ही) देय होती है तो 1-6-1972 से देय होने वाली सामान्य वेतनवृद्धि एक वर्ष तक रोक ली जानी चाहिए।

(ग)

1-3-71	160	दण्ड के आदेश की तारीख
1-7-71	160	वेतनवृद्धि रोकी गई।
1-9-71	176	विभागीय परीक्षा पास करने के कारण दो अग्रिम वेतनवृद्धियां।
1-7-72	192	(अथवा 184 जबकि वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई थी।)

टिप्पणी :—यदि उपर्युक्त उदाहरण में अगली वेतनवृद्धि अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर किए जाने की तारीख से एक वर्ष पूरा करने के बाद ही (अर्थात् 1-9-72 को ही) देय होती है तो वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किया जाएगा :—

1-3-71	160	
1-3-71	160	दण्ड चालू होता है।
1-9-71	176	दो अग्रिम वेतनवृद्धियां।
1-7-72	184	दण्ड की अवधि समाप्त हो जाती है (अथवा 176/—रुपए जबकि वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई हो)।
1-9-72	192	(अथवा 184/—रुपए जबकि वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई हो)।

(4) इसी प्रकार, जिन मामलों में निर्दिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान में नीचे के स्तर पर घटाये जाने का दण्ड लगाया जाता है तो दण्ड के आदेश से विभागीय परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धियों के दिए जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का का० ज्ञा० संख्या 1(23), ई० III(क)/75 दि० 18-6-1975]।

मूल नियम 25. जहां किसी वेतनमान में कोई दक्षता रोध विहित हो वहां रोध से ठीक ऊपर की वेतनवृद्धि, सरकारी सेवक को उस प्राधिकारी की जो नियम 24 के अधीन या उस सरकारी सेवक को लागू होने वाले सुसंगत अनुशासनिक नियमों के अधीन वेतनवृद्धियां रोकने के लिए सक्षम है, या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी की, जिसे राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, विनिर्दिष्ट मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी।

आदेश/अनुदेश

1. प्रभावी लागूकरण.—उपर्युक्त सिफारिश को प्रभावी ढंग से लागूकरण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट (भाग II) के अध्याय 8 के पैरा 17 में कतिपय अन्य उपाय निर्दिष्ट किए हैं। इन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) समय वेतनमान में दक्षतारोध पार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर उसी समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो संबंधित सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से विभागीय पदोन्नति समिति के रूप में गठित की गई हो। किन्तु, जहां स्थायीकरण के मामले पर विचार करने के लिए गठित

विभागीय पदोन्नति समिति में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को सम्बद्ध किया जाता है, वहां दक्षतारोध पार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने वाली समिति में आयोग के सदस्य को सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं होगा । यह भी आवश्यक नहीं होगा कि दक्षतारोध पार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक बुलायी जाए बल्कि कागजात परिचालित करके ही समिति ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है । समिति अपनी सिफारिशें उस प्राधिकारी को देगी जो मूल नियम 25 के अधीन आदेश पास करने के लिए सक्षम है और वह सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा ।

(2) * * * * * * *

(3) जब किसी सरकारी कर्मचारी को दक्षतारोध पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण उसकी दक्षतारोध देय तारीख को रोक लिया जाता है और ऊपर के पैरा 2 में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार बाद में किए गए पुनरीक्षण के फलस्वरूप उसे रोध पार करने की अनुमति दे दी जाती है तो दक्षतारोध के ऊपर की वेतनवृद्धि ऐसी दक्षतारोध पार करने के आदेश की तारीख से ही दी जाएगी । जहां सेवा अवधि को ध्यान में रखकर उसका वेतन दक्षतारोध पार करने के लिए निर्धारित तारीख से उच्चतर स्तर पर नियत करने का प्रस्ताव हो तो मामला निर्णय करने के लिए अगले उच्च प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए ।

(4) संबंधित प्रशासी मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित नियमित अन्तरालों पर प्रत्येक प्रशासी मंत्रालय/विभाग में दक्षता रोध के स्तर से ऊपर वेतनवृद्धियों की स्वीकृति के संबंध में व्याप्त स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या दक्षतारोध लागू करने में संबंधित प्राधिकारी अधिक उदार अथवा कठोर न होकर वस्तुनिष्ठ रहते हैं ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्र० सु० विभाग का का० ज्ञा० संख्या 29014/2/75 स्था०(क) दिनांक 15-11-1975]

1-क. दिनांक 15-11-1975 (पैरा 2) के उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जिस तारीख का सरकारी कर्मचारी दक्षतारोध को पार करने का हकदार हो जाता है, उस तारीख के पश्चात् बुलाई जा रही है तो समिति को केवल उन्हीं गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करना चाहिए जिन रिपोर्टों पर यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय के अनुसार होती, तो विचार किया जाता । उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो देय तारीख से दक्षता-रोध पार करने के लिए अयोग्य पाया जाता है तो वही विभागीय पदोन्नति समिति बाद के वर्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सक्षम होगी, बशर्ते कि वह रिपोर्ट उपलब्ध हो । इस प्रकार, वह विभागीय पदोन्नति समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या सरकारी कर्मचारी आगामी वर्षों से भी दक्षता रोध पार करने के लिए योग्य है या नहीं ।

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 4-9-84 का का०ज्ञा० सं० 29014/3/84-स्थापना(क)]

2. समय सारणी.—(1) सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि दक्षतारोध के मामले पारित करने में कई बार प्रशासनिक दृष्टि से विलम्ब हुए हैं । यद्यपि इन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को अदक्षता को विलम्ब होने का कारण नहीं कहा जा सकता संबंधित सरकारी कर्मचारी को भूतलक्षी प्रभाव से उच्चतर वेतन का लाभ दिया जा सकता है, फिर भी इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया जा सकता है । पद्धति संबंधी विलम्बों को दूर करने की दृष्टि से और उन अवसरों को कम करने की दृष्टि से भी, जिनमें फाइलें विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों में परिचालित की जाती हैं, यह निर्णय किया गया है कि दक्षता रोध के मामलों की जांच के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची अपनाई जाए :—

वह महीने जिनमें वि०प०स० द्वारा द०रो० के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए	वह महीने जिनमें द०रो० पार करने की तारीख पड़ती हो
जनवरी	जनवरी से मार्च तक
अप्रैल	अप्रैल से जुलाई तक
जुलाई	अगस्त से अक्तूबर तक
अक्तूबर	नवम्बर से दिसम्बर तक

(2) विद्यमान पद्धति के अनुसार सचिवालय में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पचांग (कैलेण्डर) वर्ष के अनुसार लिखी जाती है और अन्य कार्यालयों में वित्तीय वर्ष के अनुसार । ऊपर निर्धारित की गई समय अनुसूची से यह ज्ञात होगा कि जनवरी से मार्च के महीनों में पड़ने वाले दक्षता रोध के मामले जनवरी में पारित किए जाते हैं और अप्रैल से जुलाई के महीनों में पड़ने वाले मामले अप्रैल के महीने में पारित किए जाते हैं । इन व्यक्तियों की अग्रता के आधार पर लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट जनवरी/अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही प्राप्त करनी आवश्यक होंगी ताकि इन मामलों पर विचार करने में जनवरी और अप्रैल के महीने से आगे विलम्ब न हो सके । अगस्त से दिसम्बर के महीने में आने वाले दक्षता रोध के मामलों के संबंध में वस्तुतः वर्ष की शेष अवधि जिसके लिए नियमित गोपनीय रिपोर्ट लेने का अभी समय नहीं हुआ है, विशेष रिपोर्ट लेना आवश्यक नहीं होगा ।

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 18-10-1976 का का० ज्ञा० सं० 290/4/1/76-स्था० (क)]

3. **स्पष्टीकरण :**—सरकारी कर्मचारियों के दक्षतारोध पार करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अक्सर उठाए गए कुछ पाइंटों पर स्पष्टीकरण नीचे दिए जाते हैं :—

क्र सं०	उठाया गया पाइंट	स्पष्टीकरण
1	2	3
1.	किसी व्यक्ति को दक्षतारोध (ई० बी०) के स्तर पर रोकने के लिए कोई निर्णय लिए जाने के बाद दक्षतारोध पार किए जाने के संबंध में अगली पुनरीक्षा का कार्य कब आरम्भ किया जाए ।	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 29014/1/76 स्थापना (क) में निर्धारित समय सारणी के अनुसार, पुनरीक्षा का कार्य प्रति वर्ष किया जाना चाहिए ।
2.	** **	** **
3.	** **	** **
4.	जहां समय वेतनमान में दक्षतारोध के बावजूद भी, दक्षतारोध के स्तर से ऊपर वेतनवृद्धि की अनुमति स्वाभाविक रूप में दे दी जाती है और बाद में गलती का पता चल जाता है तो ऐसे मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ।	दक्षतारोध से ऊपर गलती से स्वीकृत की गई वेतन वृद्धियों को शीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिए । इसके साथ साथ, निश्चित (ड्यू) तारीख से दक्षतारोध पार करने के उसके मामले पर उपयुक्त समिति द्वारा अद्यतन कार्य निष्पादन रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाना चाहिए । यदि यह निश्चित तारीख से दक्षतारोध पार करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो बन्द की गई वेतन वृद्धियां बकाया राशि सहित, यदि कोई हों, उन वेतन वृद्धि (वृद्धियों) के बन्द किए जाने की तारीख से खोले जाने की तारीख की अवधि तक दे दी जानी चाहिए । किन्तु, यदि, यह निश्चित तारीख से दक्षतारोध पार करने के लिए उपयुक्त न पाया जाए तो उसे न दी जाने वाली वेतनवृद्धि (वृद्धियों) के रूप में भुगतान की गई राशि को आसान किश्तों में वसूल कर लिया जाना चाहिए ।
5.	किसी निर्धारित परीक्षा के पास कर लेने पर अथवा किसी निर्धारित विषय में निश्चित प्रवीणता प्राप्त कर लेने पर अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियां) (जो भविष्य की वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर दी जाएगी) की स्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियां) सरकारी कर्मचारी को दक्षतारोध के स्तर से ऊपर के स्तर तक पहुंचा देती है ।	जबकि ऐसी किसी परिस्थितियों में अग्रिम वेतन वृद्धि (वृद्धियां) स्वीकृत की जानी चाहिए, उसे अगली वेतनवृद्धि तभी दी जानी चाहिए जबकि उसके मामले पर विचार किए जाने के बाद, जब कभी वह दक्षतारोध पार करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है ।
6.	यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो और उच्चतर पद पर, उसके कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई भी रिपोर्ट लिखी जाने के पूर्व उच्चतर पद से सम्बद्ध वेतनमान में दक्षतारोध पार करने के लिए ड्यू हो जाता है तो उसके दक्षतारोध पार करने के मामले को किस प्रकार विनियमित किया जाएगा ।	जिस उच्चतर पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उससे सम्बद्ध वेतनमान में, दक्षतारोध पार करने के मामले पर विचार तब तक आस्थगित रखा जाना चाहिए, जब तक कि उस पद पर उसके कार्य-निष्पादन के बारे में कम से कम एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती और इसके बाद उसके मामले पर विचार किया जाना चाहिए जो उसकी सेवा के सम्पूर्ण रिकार्ड के आधार पर होना चाहिए । यदि ऐसे विचार के परिणामस्वरूप वह उपयुक्त पाया जाता है तो उसे दक्षतारोध पार करने की अनुमति पूर्व व्यापी नियत तारीख से दी जानी चाहिए ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 6 अप्रैल, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 29014/2/75 स्थापना (क) ।]

4. **सीलबन्द लिफाफे की क्रियाविधि का लागूकरण :**— इस समय ऐसे मामलों में जहाँ विभागीय कार्यवाहियां आदि चल रही हों वहां संबंधित कर्मचारी की दक्षता अवरोध संबंधी मामले को तब तक नहीं निपटाया जाता जब तक कि कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती हैं । यह निर्णय किया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति की वास्तविक तारीख को संबंधित सरकारी कर्मचारी विलंबनाधीन है अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक/आपराधिक न्यायालय में कार्यवाहियां अपेक्षित अथवा लम्बित हैं तो, दक्षतारोधी की स्टेज पार करने के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्षों को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए । सीलबन्द लिफाफे को कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद खोला जाना चाहिए । यदि उसे पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो सीलबन्द लिफाफे में बन्द सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाए जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से दक्षतारोध लागू कर सकता है । उस मामले में, सरकारी

कर्मचारी वेतनवृद्धि (वृद्धियों) के बकायों का हकदार होगा। किन्तु यदि कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी की पूर्णतः दोषमुक्ति नहीं होती है तो उसे (सरकारी कर्मचारी को) भूतलक्षी प्रभाव से दक्षतारोध पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसके मामले पर आगामी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी बैठक कार्यवाहियों के आधार पर अन्तिम आदेश पारित करने के बाद होती है तथा इसके बाद समिति भावी तारीख से दक्षतारोध पार करने के लिए उसके मामले पर विचार करेगी। ऐसा करते समय, समिति अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर पारित आदेश को भी ध्यान में रखेगी।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालयके दिनांक 4 सितम्बर, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29014/3/84-स्थापना(क) का पैरा 3 तथा 4]।

5 **हाल ही में लगाई शास्ति का प्रभाव :**—यह तथ्य कि हाल ही में सरकारी कर्मचारी पर लगाया दण्ड कर्मचारी की दक्षता अवरोध पार करने की उपयुक्तता निश्चित करने का अपने आप में आधार नहीं होना चाहिए। ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले पर विचार उसके पूरे रिकार्ड को ध्यान में रखकर गुण-अवगुण के आधार पर किया जाएगा।

5.क. उन कर्मचारियों के मामले में जो दक्षतारोध पार करने के मामले पर विचार करते समय केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली में उल्लिखित किसी भी प्रकार का दण्ड निन्दा को छोडकर दण्ड भुगत रहे हैं; जबकि उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अन्यथा उपयुक्त समझे जाने पर दक्षता रोध पार करने के योग्य माना जा सकता है, तो भी दक्षता रोध पार करने की अनुमति केवल दंड की अवधि पूरी होने के पश्चात् ही लागू की जानी चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 4 सितंबर 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29014/3/84 स्थापना (क)]।

6. **आदेशों का सम्प्रेषण :**—समय वेतनमान में दक्षता रोध को लांघने से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर उपयुक्त समय पर विचार कर लिया जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध रोध लगाये जाने के संबंध में निर्णय होने पर उसे इस निर्णय की सूचना दी जानी चाहिए।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 31-12-73 का का० ज्ञा० सं० 40/1/73-स्थापना(क)]।

मूल नियम 26. किसी वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए सेवा की गणना निम्नलिखित उपबंधों में विहित दशाओं में की जाएगी :—

[1](क) वेतनमान वाले पद में कर्तव्य की सम्पूर्ण अवधि उस वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए गणना में ली जाती है;

परन्तु उस वेतनमान में ठीक अगली वेतनवृद्धि की तारीख सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सब अवधियों का योग, जिनकी गणना उस वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाती, वेतनवृद्धि की प्रसामान्य तारीख में जोड़ा जाएगा ;

(ख) (*i*) नियम 15 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कम वेतन वाले पद से भिन्न अन्य पद में सेवा, चाहे वह अधिष्ठायी हैसियत में हो या स्थानापन्न हैसियत में भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर सेवा और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी के सिवाय छुट्टी की गणना, उस वेतनमान में जो कि उस पद को लागू हो जिस पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार है और उस वेतनमान में भी जो उस पद या पदों को, यदि कोई हों, लागू हो जिन पर कि उसका धारणाधिकार होता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न किया गया होता, वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी।

(*ii*) चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से भिन्न, असाधारण छुट्टी के सिवाय, सब छुट्टी और भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना उस पद को लागू वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी जिसमें कि सरकारी सेवक छुट्टी पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अग्रसर होने के समय स्थानापन्न था और यदि वह छुट्टी पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर न गया होता तो स्थानापन्न बना रहता:

*परन्तु राष्ट्रपति, किसी मामले में जिसमें यह सुनिश्चित हो जाए कि असाधारण छुट्टी किसी ऐसे कारण से जो सरकारी सेवक के वश के बाहर थी, या उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों को परा करने के लिए, ली गई थी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी असाधारण छुट्टी की गणना खण्ड (I) या (II) के अधीन वेतनवृद्धियों के लिए की जाएगी;

(ग) (*i*) यदि कोई सरकारी सेवक, तब जबकि वह वेतनमान वाले किसी पद में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है या अस्थायी पद धारण कर रहा है, किसी उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए या उच्चतर अस्थायी पद को धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उच्चतर पद में उसकी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा, यदि वह उस निम्नतर पद पर पुनर्नियुक्त कर दिया

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ 1(1)ई० III (क)/67 द्वारा यथाप्रति- स्थापित किया गया।

*भारत सरकार का आदेश 3 नीचे देखिए।

जाता है, या उसी वतनमान के किसी पद पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसे निम्नतर पद को लागू वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गणना में ली जाएगी। तथापि, उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की वह अवधि जो कि निम्नतर पद में वेतनवृद्धि के लिए गणना में ली जाती है उस अवधि तक सीमित है जिसके दौरान सरकारी सेवक उच्चतर पद पर नियुक्त न होने की दशा में, निम्नतर पद में स्थानापन्न रूप में, कार्य किया होता। यह खण्ड उस सरकारी सेवक को भी लागू होता है जो उच्चतर पद पर अपनी नियुक्ति के समय निम्नतर पद में वास्तव में स्थानापन्न रूप में कार्य नहीं कर रहा है किन्तु जो, यदि उसकी नियुक्ति उच्चतर पद पर न होती तो, ऐसे निम्नतर पद पर या उसी वेतनमान के पद पर, इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करता,

[1](ii) यदि कोई सरकारी सेवक काडर बाह्य किसी पद से मूल काडर में प्रत्यावर्तित होने पर किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जो काडर बाह्य पद के वेतनमान से निम्नतर वेतनमान का है किन्तु उसी वेतनमान का नहीं है जिसका वह पद था जिसे काडर बाह्य पद पर स्थानान्तरित होते समय धारण किए हुए था, तो काडर बाह्य पद में उच्चतर वेतनमान पर की हुई सेवा, काडर को लागू वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए उन्हीं शर्तों पर गणना में ली जाएगी जो नियम 22 के परन्तुक (1) (iii) के अधीन आने वाले मामलों के लिए अधिकथित हैं;

(घ) अन्यत्र सेवा की गणना निम्नलिखित को लागू होने वाले समय में वेतनवृद्धियों के लिए की जाती है—

(i) सरकारी सेवा में वह पद जिस पर संबद्ध सरकारी सेवक का धारणाधिकार है और वह पद या वे पद भी, यदि कोई हों, जिस पर या जिन पर उसका धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया हो,

(ii) सरकारी सेवा का वह पद जिस पर सरकारी सेवक अन्यत्र सेवा में अपने स्थानान्तरण के ठीक पूर्व स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, उसने उस समय तक जितने समय तक वह उस पद पर, या उसी वेतनमान के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता यदि वह अन्यत्र सेवा पर न गया होता, और

[1](iii) नियम 22 के परन्तुक 1 में वर्णित शर्तों के पूरा होने पर, मूल काडर में निम्नतर वतनमान का कोई पद जिस पर सरकारी सेवक काडर बाह्य पद से प्रतिवर्तित होने पर नियुक्त किया गया है;

(ङ) कार्यग्रहण अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए निम्नलिखित दशाओं में की जाती है :—

(i) यदि वह अवधि नियम 105 के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन है तो उस पद को लागू होने वाले वेतनमान में जिस पर सरकारी सेवक धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित न कर दिया गया होता, और उस वेतनमान में भी जो उस पद को लागू होता जिसका वेतन उस अवधि के दौरान सरकारी सेवक ने प्राप्त किया है, तथा

(ii) यदि वह नियम 105 के खण्ड (ख) के अधीन है, तो उस वतनमान में जो उस पद या उन पदों को लागू होता जिस पर या जिन पर कार्य ग्रहण अवधि के प्रारम्भ होने के पूर्व की छुट्टी का अन्तिम दिन वेतनवृद्धियों के लिए गिना जाता है।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 9 खण्ड 6 के उपखण्ड (ख) के अधीन कर्तव्य के रूप में मानी गई अवधि, पद में उस दशा में कर्तव्य समझी जाएगी जब वह सरकारी सेवक ऐसी अवधि के दौरान उस पद का वेतन लेता है।

भारत सरकार के आदेश

1. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:— मूल नियम 26(ख)(ii) के अधीन अस्थायी/स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में चिकित्सीय, प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी को छोड़कर, सभी प्रकार की छुट्टी की गणना उस पद में वेतनवृद्धियों के लिए की जाएगी जिस पर सरकारी सेवक छुट्टी पर जाने के समय स्थानापन्न रूप में से कार्य कर रहा था और यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता। इस प्रयोजन के लिए इस आशय का प्रमाणपत्र कि यदी संबंधित सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर न गया होता तो स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता, आवश्यक है।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या इस नियम में यथा अपेक्षित प्रमाणपत्र एक ही पद के संबंध में और छुट्टी की उसी अवधि के लिए एक से अधिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है जबकि नियम में निर्धारित शर्त, अर्थात् प्रश्नगत पद पर अन्यथा उनका बना रहना, प्रत्येक मामले

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या एफ 1(25) ई० III (क)/64 द्वारा यथा संशोधित किया गया।

में पूरी हो जाती है। यह निर्णय किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो परिकल्पित प्रमाणपत्र, अन्य शर्तों के अध्यधीन, अर्थात् प्रश्नगत पदपर उनके अन्यथा बने रहने की शर्त के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है।

वेतन वृद्धियों के लिए छुट्टी की गणना करने के प्रयोजन से स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों को उन विशिष्ट पदों के संबंध में स्थायी सरकारी कर्मचारियों के समान समझा जाता है जिन पदों पर उन्हें स्थायीवत् घोषित किया गया है किन्तु अन्य पदों के संबंध में जिन पर वे स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं, मूल नियम 26 के खण्ड (ख) (ii) में यथा-परिकल्पित स्थानापन्न बने रहने का प्रमाणपत्र उसी प्रकार आवश्यक होगा जैसा कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में आवश्यक होता है। स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसे निम्न पदों में वेतन वृद्धियों के लिए जिनमें उन्हें स्थायीवत् घोषित किया गया है, उच्चतर पदों की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है तथा ऐसे निम्न पदों में उक्त वेतन वृद्धियों की अनुमति स्वतः ही दे दी जाए।

छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी के ऐसे मामले में जिसमें छुट्टी रिक्ति में कोई स्थानापन्न प्रबन्ध नहीं किया गया है और संबंधित सरकारी कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् उसी पद पर वापिस आ जाता है। ऊपर उल्लिखित प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए। अन्य सभी मामलों में प्रमाणपत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए।

यह निर्णय किया गया है कि संशोधित मूल नियम 26(ख) के परन्तुक के अधीन वेतनवृद्धियों के लिए असाधारण छुट्टी की गणना करने के संबंध में, इस संकलन के परिशिष्ट की मद 8-क के अधीन प्रत्यायोजित की गई शक्तियां पहले की भांति लागू रहेंगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 जून, 1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या डी 3199 ई०III, क/57, 19 मई, 1960 का का०ज्ञा०सं० 2(10) ई०II/59, 26 दिसम्बर, 1961 का का०ज्ञा०सं० एफ 2(27) स्था० III/61, 22 अक्तूबर, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 2(37) ई०III/63 और 3 जुलाई, 1965 का का०ज्ञापन संख्या एफ 1(5) ई०III(क)/65]।

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवा-पुस्तिका में छुट्टी से संबंधित प्रविष्टि करने के बाद जहां आवश्यक हो वहां "—————से—————तक की अवधि के लिए मूल नियम 26(ख) (ii) के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया" जैसी संक्षिप्त प्रविष्टि रिकार्ड की जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 27 अगस्त, 1958 का ०ज्ञा० सं० एफ 2(35) स्था० III/53 और 12 अप्रैल, 1962 का का०ज्ञा०संख्या 2(14) ई०III/62]।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या मूल नियम 26 (ख) (ii) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र अनुबंधित आधार पर काम में लगे हुए ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में आवश्यक होगा जिन पर विशेष छुट्टी की शर्तें लागू होती हैं। यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रमाणपत्र की अपेक्षा ऐसे मामलों में समाप्त कर दी जाए जिनमें अधिकारियों को विशेष पदों पर अनुबंधित आधार पर नियुक्त किया जाता है और वे उन पदों पर से छुट्टी पर चले जाते हैं।

ऐसे अधिकारियों के मामले में जिन्हें किसी विशेष पद का उल्लेख किए बिना अनिश्चित काल के लिए अनुबंधित आधार पर रखा जाता है और अन्य अनुबंधित अधिकारी जिनकी नियुक्ति यद्यपि प्रारम्भ में विशेष पद पर की गई है किन्तु जिन्हें अन्य पदों पर स्थानापन्न हैसियत से स्थानांतरित कर दिया जाता है और जो इसके बाद छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनके मामले में ऐसे पदों में वेतनवृद्धियों के लिए ऐसी छुट्टी की अवधि की गणना के उद्देश्य से प्रमाणपत्र आवश्यक होगा जिन पदों पर वे छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे थे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 23 सितंबर, 1958 का का०ज्ञा०सं० एफ 2(43) ई०III/53]

2. राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी कर्मचारियों पर लागू मूल नियम 26 (ग) :— यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 26(ग) के फायदे राज्य सरकार के अधीन उच्च पद में स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाले या उच्च अस्थायी पदों को धारित करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी दिए जाएं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 17 सितम्बर, 1958 का का०ज्ञा०सं० एफ 2(39) स्था० iii/58]।

3. मूल नियम 26 (ख) के अधीन आने वाले मामलों में स्वतः गणना :— केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 21 तथा मूल नियम 26(ख) में यह व्यवस्था है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को नागरिक झगड़े अथवा उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययनों के कारण उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा पुनः कार्यभार ग्रहण करने में समर्थ न होने के कारण असाधारण छुट्टी मंजूर की जाती है तो, ऐसी छुट्टी की अवधि को पेंशन तथा वेतन वृद्धियों के प्रयोजन से अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकता है। किन्तु, ऐसे मामलों में आवश्यक आदेश छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी के अलावा किसी और प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने होते हैं।

2. इस संबंध में प्रक्रिया के सरलीकरण के प्रश्न की जांच की गई है तथा राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मंजूर की गई असाधारण छुट्टी स्वतः ही पुनः मंजूर किए बिना पेंशन तथा वेतनवृद्धियों के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी :—

(*i*) नागरिक झगड़ों के कारण कार्यभार ग्रहण करने अथवा पुन: कार्यभार ग्रहण करने में सरकारी कर्मचारी के असमर्थ होने के कारण मंजूर असाधारण छुट्टी ।

(*ii*) उच्चतर तकनीकी तथा वैज्ञानिक अध्ययनों पर जाने के लिए सरकारी कर्मचारी को मंजूर की गई असाधारण छुट्टी ।

[भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का दिनांक 18-2-1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/20/85 स्था० (छु०)] ।

4. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को वेतनवृद्धियों का विनियमन (क) साधारण :—इस संबंध में संदेह व्यक्त किए गए हैं कि क्या इस नियम के नीचे लेखा-परीक्षा अनुदेश (4) के उपबंध ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जिनमें परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सामान्य परिवीक्षा अवधि उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर परीक्षा पास न करने के कारण बढ़ा दी जाती है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त लेखा-परीक्षा अनुदेश में दिए गए उपबन्ध केवल ऐसे मामलों में लागू होते हैं जिनमें सामान्य परिवीक्षा की अवधि बारह महीने से अधिक हो और न कि अन्य मामलों में जिनमें परिवीक्षा की अवधि विभागीय परीक्षा पास न करने पर बढ़ा दी जाए। दूसरे शब्दों में, जिन मामलों में परिवीक्षा की सामान्य अवधि ही बारह महीने से अधिक हो उनमें अधिकारी का स्थायीकरण हो जाने पर वेतनवृद्धियां दी जा सकती हैं जिन्हें वह उस समय लेता यदि वह परिवीक्षा पर न गया होता और इस संबंध में अधिकारी को वेतनवृद्धि की बकाया राशि देने की भी अनुमति दी जा सकती है। दूसरी ओर यदि किसी मामले में जिनमें परिवीक्षा की अवधि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न करने के कारण बढ़ा दी जाए तो परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त हो जाने के बाद स्थायीकरण हो जाने पर वेतन और वेतनवृद्धियों को उस सीमा तक विनियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है जिस सीमा तक अधिकारी ने उस स्थिति में वह वेतन लिया होता यदि वह परिवीक्षा पर न जाता। स्थायीकरण की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए इस कारण से उसे कोई बकाया राशि लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि अधिकारी की वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास न करने पर बिना संचयी प्रभाव के रोक ली गई है और इसे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम II (उक्त नियम के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण द्वारा) के अर्थ में शास्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 17 अगस्त, 1960 का का०ज्ञा० संख्या एफ 2(47) स्था०III 60)]

(ख) डाक व तार विभाग के समूह "क" परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के बारे में—(1) जब वेतन न्यूनतम नियत किया जाता है:—रु० 700–40–900–द०रो०–40–1,100–50–1300 के संशोधित कनिष्ठ समूह "क" वेतनमान में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा समूह "क", भारतीय डाक सेवा समूह 'क", डाक व तार लेखा और वित्त सेवा समूह "क" और डाक व तार सिविल इंजीनियरिंग सेवा, समूह "क" के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। अग्रिम वेतनवृद्धियों की मंजूरी के संबंध में लागू होने वाले सभी पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त सेवा, समूह "क" (कनिष्ठ) में सीधे भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अग्रिम वेतनवृद्धियों की मंजूरी निम्नलिखित प्रकार से विनियमित की जाएगी :—

(*i*) पहली वेतनवृद्धि, जिसके मंजूर करने पर वेतन बढ़कर 740/- रु० हो जाएगा, की अनुमति प्रथम विभागीय परीक्षा जिसमें परिवीक्षाधीन व्यक्ति पास होता है, की अन्तिम तारीख से दी जाएगी यदि कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति के मामले जिसने परिवीक्षा के प्रथम वर्ष में ही पहले प्रयत्न में विभागीय परीक्षा पास कर ले तो, उसे दूसरी वेतनवृद्धि जिस के मिलने पर उसका वेतन 780/- रुपए हो जाता है, सेवा में उसके कार्यभार ग्रहण करने की पहली वार्षिक तारीख पर लेने की अनुमति दी जाए ।

(*ii*) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति पहले वर्ष में परीक्षा पास नहीं करता तो वह प्रथम वेतनवृद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन 740/- रु० हो जाता है। एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्राप्त करेगा। यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति विभागीय परीक्षा परिवीक्षा के दूसरे वर्ष के दौरान पास करता है तो अगली वेतनवृद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन 780/- रु० हो जाता है, ऐसी परिवीक्षा, पास करने पर अन्तिम तारीख से लेगा यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा के दो वर्ष के भीतर परीक्षा पास नहीं कर पाता तो वह दूसरी वेतनवृद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन 780/- रु० हो जाता है, सेवा के दो वर्ष पूरे करने पर लेगा ।

(*iii*) वह वेतनवृद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन रु० 820 हो जाएगा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता और सभी विभागीय परीक्षाएं और हिन्दी परीक्षा पास नहीं कर लेता और लाल बहादुर

शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आधारित पाठ्क्रम का प्रशिक्षण नहीं ले लेता तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं कर लेता।

(2) ये आदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन का संशोधन) नियमावली, 1973 के अधीन संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख अर्थात 1-1-973 से लागू होंगे।

[महानिदेशक, डाकतार विभाग का दिनांक 1 जुलाई, 1978 का पत्र संख्या 2/57/78 पी०ए०पी०]

स्पष्टीकरण :—यह स्पष्ट किया जाता है कि डाक व तार लेखा और वित्त सेवा, समूह "क" के परिवीक्षाधीनों जिनके मामले में विभागीय परीक्षा दो भागों में होती है विभागीय परीक्षा का एक भाग पास करना ही अग्रिम वेतन-वृद्धि मंजूर करने के प्रयोजन के लिए मानदण्ड होगा और अन्य शर्तें वही रहेंगी।

2. ये डाक तथा तार वित्त की दिनांक 26 अगस्त 1978 की डा० संख्या 5522 एफ ए/1/78 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जाते हैं।

[डाकतार महानिदेशालय का तारीख 21 अक्तूबर, 1978 का पत्र संख्या 2-74/78 पी०ए०पी०]

(*ii*) **जब वेतन न्यूनतम से अधिक नियत किया जाता है** :—(1) जिन विभागों में समूह "क" के कनिष्ठ वेतन-मान में नियुक्ति होने पर वेतन पूर्ववर्ती नौकरी में परि-वीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे वेतन को ध्यान में रखने के पश्चात् वेतनमान के न्यूनतम से ऊपर की अवस्था पर नियत किया जाता है, उनमें समूह "क" सेवाओं में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वेतनवृद्धियों को विनियमित करने का प्रश्न कुछ समय पहले से विचाराधीन रहा है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का प्रारंभिक वेतन नियत करने के पश्चात् बाद की वेतनवृद्धियों पर मूल नियम 26 के उपबन्धों के अधीन सामान्य रीति से विनियमित की जाए दूसरे शब्दों में, वे उपर्युक्त (1) में यथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा पास करने पर अग्रिम वेतनवृद्धियां लेने के हकदार नहीं होंगे।

(2) रु० 700-1300 के समय वेतनमान में पिछली सेवा के लाभ देने के पश्चात् नियत किए गए प्रारंभिक वेतन से चतुर्थ अवस्था की वेतनवृद्धि की अनुमति तब तक न दी जाए जब तक कि अधिकारी ने सभी विभागीय परीक्षाएं और हिन्दी परीक्षा पास न कर ली हो तथा परिवीक्षा संतोष-जनक ढंग से पूर्ण न कर ली हो।

[डाकतार वित्त, दिनांक 16 फरवरी, 1979 के अशासकीय सं० 900/एफ०ए०1/79 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया गया महानिदेशक डाक व तार का दिनांक 2 मार्च, 1979 का पत्र संख्या 4-3/75 पी० एण्ड टी०/पी०ए०पी०]

(ग) **समूह (क) के अन्य परिवीक्षाधीनों के मामले में**—यह गृह मंत्रालय की जानकारी में लाया गया है कि कुछ विभागों जैसे कि आई०ए० तथा ए०डी० में जहां पहली तथा दूसरी वेतनवृद्धियों का आहरण प्रथम तथा द्वितीय विभागीय परीक्षाओं के पास करने पर किया जाता है, जोकि प्रत्येक 6 महीने में आयोजित की जाती, हैं, उपर्युक्त (क) आदेश का उन परिवीक्षाधीनों पर सख्त प्रभाव पड़ेगा, जो पहली तथा दूसरी विभागीय परीक्षाएं क्रमानुसार अर्थात् 6 माह के अन्तराल के बाद पास करते हैं। ऐसे मामलों में वेतनवृद्धि की तारीख से एक वर्ष के लिए पहली वेतनवृद्धि के स्थगन के कारण दूसरी वेतनवृद्धि भी आहरित नहीं की जाएगी। ऐसी कठिनाइयों के निवारण के लिए यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-I के परि-वीक्षाधीनों के मामले में जिन्होंने राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से "पाठ्क्रम की अन्तिम परीक्षा" पास नहीं की है, की वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए उस तारीख से स्थगित कर दी जाएगी, जिस तारीख से उन्होंने इसे आहरित किया होता अथवा उनके विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वेतन-वृद्धि की तारीख तक इसमें से जो भी पहले हो।

ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे तथा पिछले निर्णीत मामलों को अन्यथा पुनः चलाने की आवश्यकता नहीं है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 17 नवम्बर, 1964 का०ज्ञा० संख्या एफ० 44/9/62 स्था० (क)]

5. **संवर्ग बाह्य प्रभार सेवा के मामलों में सक्षम अधिकारी** :—मूल नियम 26 के खण्ड (ग) (*ii*) और (*iii*) के अनुसार सवर्ग बाह्य पद में की गई सेवा की गणना मूल संवर्ग में वेतनवृद्धियों के लिए संवर्ग पद के वेतन-मान से निम्नतर वेतनमान वाले उस पद में की जाती है जिस पर सरकारी कर्मचारी को संवर्ग बाह्य पद से प्रत्या-वर्तित होने पर नियुक्त किया जाता है बशर्ते कि मूल नियम 22 के संशोधित परन्तु 1(*iii*) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। तथापि चूंकि उक्त शर्तें "ठीक नीचे के नियम" के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं इसलिए लोगों ने ये शंकाएं व्यक्त की हैं कि क्या मूल नियम 26 के संशोधित खण्ड (ग) (*ii*) और (घ) (*iii*) के अधीन स्वीकृति जिसमें मूल नियम 22 के परन्तुक 1(*iii*) में वर्णित शर्तों का पूरा होना प्रमाणित किया जाता है, मूल नियम 30(*i*) के द्वितीय परन्तुक के अधीन घोषणा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों अर्थात् भारत सरकार के मंत्रालय और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा न कि सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी करनी होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि वही नियोक्ता प्राधिकारी, मूल नियम 26 के संशोधित खण्ड (ग) (*ii*) और (घ) (*iii*) की शर्तों के अनुसार आवश्यक स्वीकृति जारी करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रहेंगे जिन्हें उच्च पद में की गई स्थानापन्न सेवा को निम्न पद में वेतनवृद्धियों के प्रयोजन से गणना करने

के लिए स्वीकृतियां जारी करने की शक्ति दिनांक 30 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या एफ/(25)-ई० iii(क)/64 द्वारा मूल नियम 26(ग) में संशोधन करने से पूर्व प्राप्त थी ।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के दिनांक 8 नवम्बर, 1966 के गैरशासकीय संख्या 1421 लेखा परीक्षा/180-63 और दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 का०ज्ञा० संख्या 1603/लेखा परीक्षा/100-63 के उत्तर में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1966 का गैर शासकीय संख्या 7971 स्था० III (क)/66]

6. सहायकों के अपवर्जित पदों पर कार्य कर रहे अधीनस्थ लेखा सेवा (एस०ए०एस०) लेखाकार.—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या सहायकों के अपवर्जित पदों पर कार्य कर रहे एस०ए०एस० लेखाकारों को, उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर उक्त सेवा की गणना एस०ए०एस० लेखाकार के वेतनमान में वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए करने की अनुमति दी जाएगी ।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि चूंकि एस०ए०एस० लेखाकार बाहर रखे गए (अपवर्जित) सहायकों के पदों पर कार्य करते समय वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 अगस्त, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(8)-ई० III(ख)/68 के अनुसार एस०ए०एस० वेतनमान में वेतन लेंगे इसलिए उस पर की गई सेवा की अवधि की गणना एस०ए०एस० लेखाकार के वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15 जून, 1968 का का०ज्ञा० संख्या 2(12) ई०III(ख)/68] ।

7. वेतनवृद्धियों के लिए छुट्टी की अवधि की गणना : निर्णायक तारीखें.—यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 26(ग) के प्रयोजन के लिए, उच्च पद पर स्थानापन्न और अस्थायी सेवा में नीचे दी गई सीमा तक छुट्टी की अवधियां भी शामिल होंगी बशर्ते कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी उच्च पद से छुट्टी पर न जाता तो वह निम्न पद में वास्तव में स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता :—

(1) 19 अप्रैल, 1952 से-एक ही समय में ली गई 4 महीने के लिए औसत वेतन पर छुट्टी या या अधिकतम 120 दिन की अर्जित छुट्टी;

(2) 26 दिसम्बर, 1961 से—असाधारण छुट्टी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की छुट्टीयां;

(3) 22 अक्तूबर 1963 से — चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ली गई छुट्टी से भिन्न अन्यथा ली गई असाधारण छुट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियां ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 23 दिसम्बर, 1963 का अशासकीय पत्र सं० 8276 ई०III(क)/63] ।

8. वेतनवृद्धियों के लिए अवधियों की गणना करने का तरीका :—दिनांक 29-11-67 की अधिसूचना सं० के अनुसार मूल नियम 26(क) में संशोधन करने से पूर्व जब वेतनवृद्धि के लिए अनर्हक अवधियां बीच में पड़ती हैं तो अगली वेतनवृद्धि की तारीख का निर्णय कुल बारह महीनों तक महीनों और दिनों के संदर्भ में निश्चित अर्हक सेवा की प्रत्येक अवधि को एक साथ जोड़कर किया जाता है। संशोधित नियम के अधीन, किसी समय वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख निकालने के लिए, सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख में वे सब अवधियां जोड़ दी जाएंगी जो उस समय वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती । संशोधित नियम के अधीन वेतनवृद्धि की तारीख की गणना करने के तरीके को स्पष्ट करने वाला उदाहरण नीचे दिया गया है :—

(क) पिछली वेतनवृद्धि की तारीख . . 23-4-64

(ख) ली गई असाधारण छुट्टी जो वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती

दिन	से	तक
3	29-5-64	31-5-64
6	15-7-64	20-7-64
9	7-10-64	15-10-64
4	18-12-64	21-12-64
3	26-1-65	28-1-65
4	16-3-65	19-3-65
29		

(ग) **वेतनवृद्धि की वास्तविक तारीख का निर्धारण:**—

पिछली वेतनवृद्धि की तारीख	23-4-64
अगली वेतनवृद्धि की तारीख (यदि असाधारण छुट्टी न ली होती)	23-4-65
कुल असाधारण छुट्टी	29
अगली वेतनवृद्धि की तारीख	23-4-65+ 29 दिन अर्थात् 22-5-65

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 27 जनवरी, 1968 का कार्यालय ज्ञा० संख्या एफ 1 (1) स्था०III(क)/67] ।

2. यदि वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली विभिन्न अवधियां और/या कुल अवधियां 29 दिन से अधिक हैं तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधियां तथा वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवधियां मूल नियम 9(18) के नीचे दिए गए लेखा-परीक्षा अनुदेश के उपबंधों के अनुसार महीनों व दिनों में परिवर्तित कर लेनी चाहिए । मूल

नियम 26(क) के परन्तुक के उपबंध के अनुसार वेतनवृद्धि की वास्तविक तारीख निकालने के लिए इस प्रकार महीनों व दिनों में परिवर्तित की गई कुल अवधि सामान्य वेतन-वृद्धि की तारीख में जोड दी जाएगी।

वेतन वृद्धि की तारीख की गणना करने का तरीका स्पष्ट करने वाला उदाहरण नीचे दिया जाता है :—

I. (क) पिछली वेतनवृद्धि की तारीख . . 25-6-69

(ख) असाधारण छुट्टी, निलम्बन की अवधियां तथा अन्य अवधियां जो वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएंगी :—

से	तक	ब्यौरे	अवधि		
			वर्ष	महीने	दिन
29-7-69	31-7-69	न गिनी जाने वाली असाधारण छुट्टी	—	—	3
7-10-69	2-1-70	न गिनी जाने वाली निलम्बन की अवधि	—	2	27
15-3-70	5-4-70	न गिनी जाने वाली असाधारण छुट्टी	—	—	22
		वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवधि	—	3	22

(ग) वेतनवृद्धि की वास्तविक तारीख का निर्धारण :

वेतनवृद्धि की तारीख	25-6-69
सामान्य क्रम में अगली वेतनवृद्धि की तारीख	25-6-70
ऊपर (ख) में दर्शाए अनुसार वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवधि	3 महीने 22 दिन
मूल नियम 26(क) के परन्तुक के अनुसार वेतन वृद्धि की तारीख	17-10-70

II. (क) पिछली वेतनवृद्धि की तारीख . . 25-6-1969

(ख) असाधारण छुट्टी, निलम्बन आदि की वे अवधियां जो वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती :

से	तक	ब्यौरे	अवधि		
			वर्ष	महीने	दिन
7-8-69	10-8-69	न गिनी जाने वाली असाधारण छुट्टी	—	—	4
19-10-69	5-11-69	न गिनी जाने वाली निलम्बन की अवधि	—	—	18
20-2-70	11-3-70	न गिनी जाने वाली असाधारण छुट्टी	—	—	20
		वेतन वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवधि	—	1	12

(ग) वेतन वृद्धि की वास्तविक तारीख का निर्धारण :

पिछली वेतनवृद्धि की तारीख	25-6-1969
सामान्य क्रम में वेतनवृद्धि की तारीख	25-6-1970
ऊपर (ख) में दर्शाए अनुसार वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवधियां	1 महीना 12 दिन
मूल नियम 26(क) के परन्तुक के अनुसार वेतनवृद्धि की तारीख	7-8-1970

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 11 दिसम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० ई० 1 (1) ई० III(क)/67 और दिनांक 20 अक्तूबर, 1971 का कार्यालय ज्ञापन]।

(3) मूल नियम 26(क) के परन्तुक में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं है कि उन सभी अवधियों को जिनकी गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाती और जो वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख तथा उक्त परन्तुक के अधीन निकाली गई तारीख के बीच पड़ती है किस प्रकार नियमित किया जाए। उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट मामले में एक अधिकारी को पिछली वेतनवृद्धि 16-3-1970 से दी गई थी। उसकी सामान्य वेतनवृद्धि की तारीख 16 मार्च होने के कारण वह अगली वेतनवृद्धि 16-3-1971 से प्राप्त करने का हकदार था। अधिकारी 16-3-1970 से 15-3-1971 यानी एक वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल 59 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा और उक्त अवधि वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख अर्थात् 16-3-71 में जोड़ी जानी है। नियम के शाब्दिक व्याख्या के अनुसार, अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि की तारीख 14-5-1971 नियत की जानी चाहिए। किन्तु दिनांक 16-3-1971 और 14-5-1971 के बीच की अवधियों में अधिकारी और आगे अनुपस्थित रहा था और इस अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की गई।

भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श से इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि अगली वेतनवृद्धि की सही तारीख निकालने

के लिए वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली 16-3-1971 और 14-5-1971 के बीच की सम्पूर्ण अवधि सामान्यतः बढ़ाई गई अगली वेतनवृद्धि की तारीख 14-5-1971 में जोड़ देनी चाहिए ।

[महानिदेशक, डाक व तार को संबोधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 4 नवम्बर, 1972 का अशासकीय संख्या 7743 ई०III(क)/72] ।

9. अगली वेतनवृद्धि की तारीख पहले निर्धारित करके उच्च पद में पिछली स्थानापन्न अवधियों की गणना करना .—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में अगली वेतनवृद्धि की तारीख कैसे निर्धारित की जाएगी जिसकी उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने से पहले उसने किसी उच्च पद पर अल्पावधि में विभिन्न अवसरों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया है अर्थात् क्या अगली वेतनवृद्धि की तारीख मूल नियम 26(क) के परन्तुक में निर्धारित तरीके से निकालनी चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए उसी या समान समय वेतनमान में की गई पिछली सेवा का लाभ मूल नियम 22 के परन्तुक के अधीन दिया जाता है जो मूल नियम 26(क) के परन्तुक से भिन्न है और मूल नियम 26(क) के लागू होने से पहले लागू होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, मूल नियम 22 के परन्तुक के अधीन पिछली सेवा के लाभ देकर वेतनवृद्धि की तारीख तथा वेतन पहले निर्धारित करने चाहिए और इस स्तर पर मूल नियम 26(क) का परन्तुक लागू नहीं होता । मूल नियम 22 के परन्तुक के अनुसार वेतन तथा वेतनवृद्धि एक बार निर्धारित करने के बाद मूल नियम 26(क) का परन्तुक उसके बाद पड़ने वाली अर्थात् उस पद में नियमित नियुक्ति करने के पश्चात् पड़ने वाली अनर्हक अवधियों द्वारा, यदि कोई हों, वेतनवृद्धि की तारीख को आस्थगित करने के लिए लागू किया जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 30 अगस्त, 1972 का का०ज्ञा० सं० 1 (1) ई०III(क)/67] ।

10. महीने की पहली तारीख को वेतनवृद्धियों का विनियमन .—राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कर्मचारियों की वेतनवृद्धि उस महीने की पहली तारीख से मिलेगी जिस महीने वेतनवृद्धियों को विनियमित करने वाले सामान्य नियमों और आदेशों के लागू करने के अधीन यह देय होती हो ।

ये आदेश 1 नवम्बर, 1973 से लागू होगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का 7 जनवरी, 1974 का का० ज्ञा० संख्या एफ 1 (22) ई० III(क)/73 और इसी संख्या का दिनांक 27-5-74 का कार्यालय ज्ञापन] ।

यह आदेश ऐसे कार्यप्रभारित और औद्योगिक कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नैमित्तिक आधार पर नहीं लगे हुए हैं ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अप्रैल, 1974 का का०ज्ञा० संख्या 1 (22) ई०III(क)/73] ।

स्पष्टीकरण:— निम्नलिखित विवरण में उपर्युक्त आदेशों को लागू करने के बारे में सन्देह के मुद्दे और उनका स्पष्टीकरण दिया गया है ।

सं०	संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	यदि कर्मचारी महीने की पहली तारीख को छुट्टी पर हो तो वेतन वृद्धि कैसे विनियमित की जाएगी ।	प्रत्येक कर्मचारी छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन लेता है न कि ड्यूटी वेतन । अतः छुट्टी के दौरान प्रादुर्भूत होने वाली वेतनवृद्धि छुट्टी के दौरान प्राप्त नहीं की जा सकती । ऐसे मामलों में वेतनवृद्धि छुट्टी से वापिस आने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दी जाएगी ।
2.	ऐसे मामलों में वेतनवृद्धि किस प्रकार विनियमित की जाएगी जिनमें कर्मचारी के वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली बिना वेतन की छुट्टी पर जाने के कारण वेतन वृद्धि का स्थगन हुआ है ।	सामान्य वेतनवृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसार किया जाएगा । यदि स्थगित की गई वेतनवृद्धि महीने की किसी भी तारीख को पड़ती है तो वेतनवृद्धि उस महीने की पहली तारीख से दी जाएगी ।
3.	जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख 19-12-1972 है तो क्या उसे 12 महीने की सेवा पूरी करने से पहले 1-12-1973 को वेतनवृद्धि दी जा सकती है ? इसी प्रकार, जब वह उच्च ग्रेड में 19-12-1972 को पदोन्नत हो गया हो तो क्या उसे स्थानापन्न ग्रेड में 12 महीने की सेवा पूरी करने से पहले 1-12-1973 को वेतन वृद्धि दी जा सकती है ?	प्रारंभिक नियुक्ति में 1-11-1973 के बाद होने वाली पदोन्नतियों के मामले में आदेशों में यह निहित है कि सामान्य वेतनवृद्धि की 12 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही प्रथम वेतनवृद्धि प्राप्त हो जाएगी ।
4.	एक ही स्तर पर की गई सेवा की अवधि वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाती है । यदि व्यवधान की अवधियों को मिलाकर अगली वेतनवृद्धि की तारीख महीने की पहली तारीख के बाद आती है तो क्या वेतन वृद्धि किसी ऐसी विशेष तारीख से देने की अनुमति दी जाएगी जिस को कर्मचारी समान स्तर पर एक वर्ष की सेवा पूरी करता है या मास की पहली तारीख को जबकि व्यवधान अवधियां मिलाकर एक वर्ष से कम हों ।	वेतनवृद्धि उस महीने की पहली तारीख से देय होगी जिसमें एक वर्ष के बराबर व्यवधान की अवधियों की गणना करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि देय हो बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी उस तारीख महीने की पहली तारीख से वेतनवृद्धि देय हो की तारीख तक पद को धारण किए रहा हो । यदि कर्मचारी महीने की पहली तारीख को पद धारण नहीं कर रहा था तो वेतनवृद्धि उस तारीख से मिलेगी जिस तारीख को वह देय होगी ।

सं०	संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण
5.	जब सामान्य, वेतनवृद्धि निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक ली जाए और ऐसी शास्ति की अवधि महीने की पहली तारीख के बाद समाप्त हो जाती है तो वेतनवृद्धि की मंजूरी कैसे विनियमित की जाए।	ये आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें वेतनवृद्धि शास्ति के कारण रोकी जाती है। ऐसे मामलों में वेतनवृद्धियां शास्ति के समाप्त होने की तारीख से बहाल की जाएगी।
6.	अग्रिम/बढ़ी हुई वेतनवृद्धियों की अनुमति विशिष्ट परीक्षा पास करने की तारीख से दी जाती है। क्या इन वेतनवृद्धियों की अनुमति उस मास की पहली तारीख से दी जाएगी जिस में ये देय हों।	ये आदेश केवल निर्धारित वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धियां लेने से संबंधित हैं और विशिष्ट परीक्षा पास करने पर देय अग्रिम/बढ़ी हुई वेतनवृद्धियों के संबंध में लागू नहीं होते हैं। ये वेतनवृद्धियां यदि अनुज्ञेय हों तो संगत नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 24 अगस्त, 1974 का का० ज्ञा० संख्या एफ 1(22)-ई० III(क)/73 और दिनांक 15 नवम्बर, 1974 का संख्या 1(22)-ई० III(क)/74)।

सं०	संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण
7.	क्या ये उपबन्ध ऐसे मामलों में भी लागू हो सकते हैं जिनमें वेतनवृद्धि की तारीख सेवा की कुछ अवधि को "अकार्य दिवस" माने जाने के कारण स्थगित हुई है।	"अकार्य दिवस" का प्रभाव बिना वेतन के असाधारण अवकाश की तरह ही होता है और वेतनवृद्धि तदनुसार नियमित की जाएगी।
8.	ऐसे मामलों में वेतनवृद्धि कैसे विनियमित की जाए जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी को दक्षतारोध पार करने की अनुमति सामान्य तारीख से नहीं दी जाती किन्तु बाद में दक्षता पार करने की अनुमति महीने की पहली तारीख से भिन्न तारीख से दी जाती है।	दक्षतारोध पार करने की अनुमति मिलने के कारण बढ़ा हुआ वेतन सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की तारीख से दिया जा सकता है, किन्तु, यदि दक्षतारोध पार करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दी जाती है तो वेतनवृद्धि की अनुमति महीने की पहली तारीख से दी जा सकती है।
9.	क्या इन आदेशों के अनुसार अगली वेतनवृद्धि का लाभ उस स्थिति में दिया जा सकता है जबकि उच्च पद पर पदोन्नति किसी महीने की पहली तारीख के बाद किन्तु निचले पद में दक्षतारोध के ऊपर वेतनवृद्धि की वास्तविक तारीख से पहले देय होती है।	इन आदेशों के अन्तर्गत, दक्षतारोध के बाद वेतनवृद्धि महीने की पहली तारीख को दी जाएगी बशर्ते कि दक्षतारोध हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंशा उसके विरुद्ध दक्षतारोध के लागू करने की न हो। ऐसी किसी मंशा के न होने पर अधिकारी की उक्त मास की पहली तारीख से वेतनवृद्धि दी जाएगी और बढ़ी हुई दर को उच्च पद पर वेतन नियतन के लिए गिना जाएगा।
10.	क्या वेतनवृद्धि की देय तारीख उस महीने की पहली तारीख को नियत की जा सकती है जिसमें वह देय हो।	जी हां। दिनांक 1 नवम्बर, 1973 को या इसके पश्चात् पड़ने वाली अगली वेतन वृद्धि की तारीख "यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो" शर्त के साथ महीने की पहली तारीख को नियत की जा सकती है।

[डाक व तार, वित्त की सहमति से जारी किया गया महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 और 25 नवम्बर, 1975 का पत्र संख्या 3-1/75 पी०ए०टी०]।

11. वित्त मंत्रालय ने अब यह स्पष्ट किया है कि 1 नवम्बर, 1973 के बाद पड़ने वाली सभी वेतनवृद्धियां महीने की पहली तारीख से समयपूर्व मिलेंगी और इसे सभी प्रयोजनों के लिए वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख के रूप में माना जाएगा। यदि महीने की पहली तारीख को पदोन्नति हो जाती है तो उक्त तारीख को सामान्य वेतन-वृद्धि जोड़ने के बाद वेतन सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जा सकता है। जबकि यह महीने की पहली तारीख से वेतनवृद्धि को विनियमत करने से संबंधित आदेशों और उसके बाद इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण के अधीन अनुज्ञेय हो।

[महालेखा परीक्षक, डाक व तार का दिनांक 19 अप्रैल, 1975 का पत्र संख्या लेखा परीक्षा III-110/25 (एन०सी०पी०) 73-VII]

11. सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के उन अवर श्रेणी लिपिकों को वेतनवृद्धि मंजूर करना जिन्होंने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की।—केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा में हिस्सेदार न होने वाले सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के उन अवर श्रेणी लिपिकों को वेतनवृद्धि देने, अर्द्धस्थायी और स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर कार्मिक विभाग ने विचार किया है जिन्होंने टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की तथा यह निर्णय लिया है कि :—

(क) केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा में हिस्सा न लेने वाले सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे सभी अवर श्रेणी लिपिकों को, जिन्होंने 22 अक्तूबर, 1971 को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है लेकिन टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वेतनवृद्धि देने तथा अवर श्रेणी लिपिक वर्ग में अर्द्ध स्थायी और स्थायी करने के उद्देश्य के लिए उसी तारीख से टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाये।

(ख) ऊपर उल्लिखित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अवर श्रेणी लिपिकों के बारे में जिन्होंने 22 अक्तूबर, 1971 को 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की, अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे वस्तुतः दो बार परीक्षा में बैठे हों, जिसमें इससे पूर्व परीक्षा में बैठने का प्रयत्न भी शामिल है।

(ग) इस प्रकार छूट देने के बाद छूट देने से पहले की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का बकाया दिये बिना उन प्रभावित व्यक्तियों को उस तारीख से वेतन-वृद्धि दी जाएगी जिस तारीख को उन्हें वह छूट दी गई हो, लेकिन उनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि की तारीख पहले वाली ही रहेगी। वे छूट दिए जाने की तारीख से ही अवर श्रेणी लिपिक वर्ग में अर्द्ध-स्थायी/स्थायी होने के भी हकदार होंगे।

टिप्पणी.—जैसा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के तारीख 10 जनवरी, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/1/68-स्था०(घ) के पैराग्राफ 2 में बताया गया है विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसके विवेकानुसार से इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि उन्होंने वास्तव में प्रयत्न किया था।

[भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 7 अक्तूबर, 1972 का का० ज्ञा० संख्या 15/2/72-स्थापना (घ)]

12. **अधीनस्थ कार्यालयों में समूह "घ" वर्ग से पदोन्नत अवर श्रेणी लिपिकों को टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देना.**—केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा योजना में हिस्सा न लेने वाले सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में श्रेणी IV (समूह "घ") के कर्मचारियों को, उनके लिए आरक्षित किए गए 10% रिक्त पदों पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने के प्रश्न पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि :—

(i) श्रेणी IV (समूह घ) के ऐसे कर्मचारियों को छूट न दी जाये जो उस परीक्षा में बैठने के लिए जिसके लिए वे अर्हक हो, आयु-सीमा की गणना करने वाले परीक्षा-नियमों में निर्धारित की गई नियमित तारीख पर 35 वर्ष से कम आयु के थे। वे वर्तमान नियमों द्वारा शासित होंगे, जिसके अनुसार अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें परीक्षा से छूट दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण करने का वास्तव में दो बार प्रयत्न किया हो।

(ii) जिन्होंने ऊपर (I) पर उल्लिखित निर्णायक तारीख पर 35 और 40 वर्ष की आयु के बीच श्रेणी IV (समूह घ) स्टाफ के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो उन्हें 45 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद छूट दी जा सकती है बशर्ते कि उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण करने का वास्तव में एक प्रयत्न किया हो।

(iii) जो कर्मचारी निर्णायक तारीख पर 40 वर्ष से अधिक आयु के थे उन्हें 45 वर्ष की आयु होने पर अथवा इन आदेशों के जारी होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, छूट दी जाएगी, चाहे उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयत्न किया हो या नहीं; और

(iv) जो व्यक्ति 45 वर्ष की आयु के हो गये हों उन्हें इन आदेशों के जारी होने की तारीख से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जा सकती है।

[भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) का तारीख 23 मई, 1975 का का० ज्ञा० संख्या 14020/1/75-स्था०(घ)]

13. **सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने को और अधिक उदार बनाना.**—(1) सचिवालय से इतर के कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिकों की वेतन वृद्धि आहरित करने/अर्द्ध स्थायी, स्थायी करने के उद्देश्यों के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने की मंजूरी देने के संबंध में उपर्युक्त आदेश (11) और (12) तथा तारीख 23-11-1978 के का०ज्ञा० संख्या 14020/1/70-स्था०(घ) (अमुद्रित) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की विभागीय परिषद् द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, देखें तारीख 31 अक्तूबर, 1980 का का० ज्ञा० संख्या 14/11/78-सी०एस० II सचिवालय कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को और अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को, जो नियुक्त किए जाने की तारीख को 35 वर्ष से कम की आयु के थे, 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी बशर्ते कि उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का दो बार प्रयत्न किया हो।

(ख) समूह "घ" के जिन कर्मचारियों को जिस परीक्षा के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत किया गया था यदि वे उसकी निर्णायक तारीख को 35 वर्ष से कम आयु के थे तो उन्हें भी 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर टंकण-परीक्षा को उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी बशर्ते कि उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का दो बार प्रयत्न किया हो।

(ग) समूह "घ" के जो कर्मचारी ऊपर उल्लिखित निर्णायक तारीख को 35 और 40 वर्ष के बीच की आयु के थे और जिन कर्मचारियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था और

जो नियुक्ति के समय 35 और 40 वर्ष की आयु के बीच थे उन्हें 45 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर अथवा 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर, इनमें जो भी पहले हो, छूट दी जा सकेगी बशर्ते कि उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का एक बार प्रयत्न किया हो।

ये आदेश 31 अक्तूबर, 1980 को लागू होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 15 जनवरी 1981 का का०ज्ञा० संख्या 14020/2/80) स्थापना (घ)]।

14. समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों को उनके वेतनमानों के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद गत्यावरोध वेतनवृद्धि की मंजूरी।—(1) राष्ट्रीय परिषद् में स्टाफ पक्ष (संयुक्त परामर्शी तंत्र) ने राष्ट्रीय परिषद की 18 वीं साधारण बैठक में गत्यावरोध वेतनवृद्धि की मंजूरी के संबंध में एक मांग की थी। इस विषय पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि समूह "ख" समूह "ग" और समूह "घ" की सेवाओं/पदों पर कार्यरत सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (गैर औद्योगिक और औद्योगिक दोनों) (चाहे वे सचिवालय में अथवा अन्य कार्यालयों में कार्य कर रहे हों) जो ऐसे वेतनमान में कार्य कर रहे हों जिसका अधिकतम 1200/- रु० प्रतिमाह से अधिक न हो, और जो अपने वेतनमान के अन्तिम चरण पर हों अथवा इसके पश्चात् दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए अपने अधिकतम वेतनमान पर गतिरूद्ध हो, उदाहरण के लिए जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों तक अपने वेतनमान के अधिकतम चरण पर रहे हों/रहेंगे, उन्हें उनके वेतनमान से उनके द्वारा आहरित की गई अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर "निजी वेतन" मंजूर किया जायेगा। लेकिन जिन कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक मामले लम्बित हों उन्हें इस लाभ को प्राप्त करने से पहले लम्बित अनुशासनिक कार्य के कार्यवाही के परिणाम की प्रतिक्षा करनी होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित "निजी वेतन" को उन सभी उद्देश्य के लिए हिसाब में लिया जाएगा जो सामान्य नियमों में स्वीकार्य होगा जिसमें इस बात का निर्धारण करना भी शामिल होगा कि रेल यात्रा किस श्रेणी से की जाए, चाहे वह यात्रा ड्यूटी/स्थानांतरण पर की जानी हो अथवा छुट्टी यात्रा रियायत लेने पर।

(3) ये आदेश 1 जुलाई, 1983 से लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 27 जुलाई, 1983 और 2 सितम्बर, 1983 का कार्यालय ज्ञापन सं० 7(22)/ई०III/76]।

स्पष्टीकरण।—(क) कुछ मंत्रालय/विभागों ने इस संबंध में अथवा कुछ परिस्थितियों में गत्यावरोध वेतनवृद्धि का लाभ मंजूर करने के संबंध में कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं, इस विषय पर विचार किया गया और इस स्थिति को नीचे लिखे अनुसार स्पष्ट किया गया :—

क्र० सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
1.	क्या उच्च पद पर पदोन्नत होने की स्थिति में वेतन नियत करने के उद्देश्य के लिए गत्यावरोध वेतनवृद्धि को हिसाब में लिया जाएगा।	नहीं। लेकिन यदि सामान्य नियमों के अन्तर्गत उच्च पद पर नियत किया गया वेतन निम्न पद पर लिए जाने वाले वेतन तथा गत्यावरोध वेतनवृद्धि से कम होगा तो अन्तर की राशि को निजी वेतन मानकर भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि में मिलाने की अनुमति दी जाएगी।
2.	क्या उच्च पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि को निम्न पद के वेतन के अधिकतम चरण पर पहुंचने के बाद दो वर्ष की गत्यावरोध अवधि में गिना जाएगा और यदि यह अवधि दो या दो से अधिक वर्षों की होती है तो क्या कर्मचारी को पदावनत होने पर गत्यावरोध वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।	हां। लेकिन ऐसा उस स्थिति में होगा जब प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आदि एक प्रमाणपत्र जारी करके कि यदि वह कर्मचारी निम्न पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है और उसकी उक्त पद पर पदोन्नति होती है तो वह निम्न पद पर ही कार्य करता रहेगा। यह प्रमाणपत्र उन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं होगा यदि वह व्यक्ति निम्न पद पर मूल रूप से कार्य कर रहा हो।
3.	क्या वह दो वर्ष की अवधि कर्मचारी को अंतिम वेतनवृद्धि मंजूर किए जाने के बाद वेतनमान के अधिकतम चरण पर पहुंचने की तारीख से अथवा उससे एक वर्ष बाद से गिनी जाएगी।	दो वर्ष की अवधि कर्मचारियों की अन्तिम वेतनवृद्धि दिये जाने के बाद वेतनमान के अधिकतम चरण पर पहुंचने की तारीख से गिनी जाएगी।
4.	क्या गत्यावरोध वेतनवृद्धि का लाभ चयन वर्ग (अप्रकार्य) में भी दिया जाएगा।	हां।

गृह मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त आदेश के अनुसार गत्यावरोध वेतनवृद्धि के मामले के संबंध में कार्रवाई करते समय इन निर्देशों का पालन करें।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का 22 अक्तूबर, 1983 का का० ज्ञा० संख्या 7(22)-ई०III/76]।

5.	क्या उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध पुर्ननियुक्त पेंशनभोगियों के मामले में भी लागू होंगे।	यह निर्णय किया गया है कि ये आदेश पुनः नियुक्त किए गए उन पेंशनभोगियों पर भी लागू किए जाये जिनका वेतन इस मंत्रालय

के 25 नवम्बर, 1958 के का० ज्ञा० के अनुसार विनियमित होता है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 27 मार्च, 1984 का का० ज्ञा० संख्या 7(22)-ई०III/76]

निम्नलिखित बातें स्पष्ट की गई है :—

क्र० सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
1.	जिस तारीख से दो वर्ष की अवधि का परिकलन किया जाएगा ।	दो वर्ष की अवधि का परिकलन वेतनमान के अधिकतम चरण पर पहुंचने की तारीख से किया जायेगा, उदाहरण के लिए, यदि "क" 1-5-68 को अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचता है तो वह 1-5-1970 से निजी वेतन का हकदार होगा ।
2.	जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी निजी वेतन का हकदार होता है यदि वह उस तारीख को छुट्टी पर हो तो निजी वेतन किस प्रकार विनियमित होगा ।	जैसा कि वेतनवृद्धि के मामले में होता है कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने की तारीख को ही निजी वेतन प्रभावी होगा ।
3.	क्या छुट्टी की अवधि स्वीकृत छुट्टी से अधिक छुट्टी/कार्यग्रहण अवधि आदि को, जिसे वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिना जाता तथा निलम्बन की अवधि जिसे वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता, दो वर्ष की अवधि के परिकलन के लिए गिना जायेगा अथवा छोड़ दिया जाएगा ।	चूंकि यह निजी वेतन एक प्रकार का तदर्थ लाभ होता है और परिकलन को सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार की छुट्टी की सारी अवधि को, जिसमें असाधारण छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि और निलम्बन की अवधि भी शामिल है, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से दो वर्ष की अवधि का परिकलन करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए ।
4.	क्या उपयुक्त निजी वेतन के अतिरिक्त हिंदी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए निजी वेतन स्वीकार्य होगा ।	चूंकि विभिन्न विषयों के लिए दो निजी वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुमति है इसलिए एक ही साथ दोनों स्वीकृति दी जा सकती हैं ।
5.	प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे उस सरकारी कर्मचारी के मामले में दो वर्ष की अवधि को किस प्रकार विनियमित किया जायेगा जो अपने मूल वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच चुका है लेकिन जो प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा है ।	मूल वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की गणना की जाएगी लेकिन निजी वेतन केवल उसी तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान से वेतन आहरित करना बंद कर देगा । ऊपर बताये गए अनुसार दो वर्ष की अवधि का परिकलन करने के उद्देश्य के लिए उक्त पद पर स्थानापन्नता की अवधि (चाहे वह उसी संवर्ग की हो अथवा संवर्ग बाह्य) को गिना जाएगा बशर्ते कि वह कर्मचारी या तो निम्न पद पर मूल रूप से कार्य कर रहा हो अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल नियम 26(ग) (I) के अन्तर्गत निम्न पद पर निरन्तर स्थानापन्न रूप से कार्य करने का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, इनमें जैसा भी मामला हो ।
6.	प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया सरकारी कर्मचारी जब अपने मूल वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच जाता है (अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करते समय अधिकतम पर पहुंच जाता है) और जिसने वर्ग वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करने का विकल्प दिया है तो उनका निजी वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि कैसे विनियमित किया जाता है ।	प्रतिनियुक्ति के दौरान वह निम्नलिखित का हकदार होगा :— (i) वर्ग वेतन (ii) निजी वेतन, यदि उपर्युक्त आदेशों के अनुसार हकदार है । (iii) प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) भत्ते को शामिल करने वाले अन्य सामान्य प्रतिबन्धों के अधीन केवल मूल वर्ग वेतन पर स्वीकार्य 20% प्रतिनियुक्ति भत्ता (इसमें निजी वेतन शामिल नहीं है ।)
7.	क्या उच्च वर्ग में वेतन नियत करने के उद्देश्य के लिए निजी वेतन को मूल वेतन के हिस्से के रूप में गिना जाएगा अथवा उच्च वर्ग में पदोन्नति होने पर निम्न वर्ग में आहरित किए जाने वाले वेतन तथा निजी वेतन को ही संरक्षित किया जाएगा ।	नियमों के अधीन वेतन नियत करने के लिए स्वीकार्य नियत वेतन को नहीं गिना जाना चाहिए लेकिन उच्च वर्ग में वेतन नियत करते समय निम्न वर्ग में आहरित किये जाने वाले वेतन तथा निजी वेतन को संरक्षित किया जा सकता है और फिर भी उसमें कोई अन्तर हो तो उसे इस प्रकार का निजी वेतन भी दिया जा सकता है जिसे भविष्य में उच्च पद के वेतनमान में दी जाने वाली वेतन-

क्र०सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
		वृद्धियों में संरक्षित किया जाएगा । उदाहरण के लिए अवर श्रेणी लिपिक के मामले में, जो अधिकतम 180/-रु० तथा उपर्युक्त निजी वेतन के रुप में 5/-रु० आहरित कर रहा हो, अपर श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत होने पर अपना वेतन तथा निजी वेतन प्राप्त करे और इस प्रकार वह अपर श्रेणी लिपिक के वेतनमान में 184/-रु० प्रतिमाह तथा निजी वेतन के रूप में 1/-रुपया प्राप्त करेगा जिसे बाद की वेतनवृद्धियों में समाविष्ट कर दिया जाएगा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो गत्यावरोध पर पहुंच जाते हैं । जो सरकारी कर्मचारी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए निम्न पद पर गत्यावरोध निजी वेतन के लिए हकदार हो जाता है उन्हें ऊपर बताए गए तरीके से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा यदि उच्च पद पर उनका स्थानापन्न वेतन निम्न पद पर लिये जाने वाले वेतन में गत्यावरोध निजी वेतन जोड़कर भी कम होता है ।
8.	क्या ऐसे कर्मचारियों के मामले भी उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत आते हैं जो वेतनमान के अधिकतम पर सामान्य प्रक्रिया से नहीं अपितु अग्रिम वेतनवृद्धियां अथवा समय-पूर्व वेतनवृद्धियां देने से पहुंचे हैं । यदि वे निजी वेतन का लाभ पाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करते हैं तो किसी भी कारण से प्रोत्साहन देना भी उपर्युक्त आदेशों के क्षेत्र-विस्तार में आता है ।	हां
9.	क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा निजी वेतन के लाभ की अस्वीकार किया जा सकता है जो उस लाभ के योग्य हैं लेकिन जिन्हें निजी वेतन दिए जाने के कारण उनकी कुल परिलब्धियां कम हो जाएगी ।	जब कोई कर्मचारी इस निजी वेतन के लाभ के योग्य हो जाता है तो वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता । जो कठिनाई बताई गई है वह वार्षिक वेतनवृद्धियां प्राप्त होने के कारण वेतन बढने के बाद सामान्य मामलों में भी हो सकती है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 15-2-1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-7(43)-III(क)/70]

क्र०सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
10.	क्या वह अधिकारी जो दो अथवा दो से अधिक वर्षों के लिए अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुका हुआ है और जो विशेष वेतन भी प्राप्त कर रहा है, तदर्थ वृद्धि पाने के योग्य है ।	यदि विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान के बदले में नहीं अपितु मूल नियम 9(25) के अन्तर्गत मंजूर किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी को निजी वेतन देने के बदले उसका वेतन और नहीं बढ़ाया जाये । यदि उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन मंजूर किया जाता है तो तदर्थ वृद्धि का लाभ, विशेष वेतन सहित, वेतनमान के अधिकतम पद दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक रुके रहने के बाद ही स्वीकार किया जायेगा । यदि सरकारी कर्मचारी पहले से ही "गत्यावरोध निजी वेतन" आहरित कर रहा है तो बाद में उस पद के लिए दिए गए अलग उच्च वेतनमान के बदले में विशेष वेतन दिए जाने की तारीख से निजी वेतन देना बंद कर दिया जाएगा तथा विशेष वेतन सहित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद फिर से निजी वेतन दिया जायेगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 4 दिसम्बर, 1971 का का० ज्ञा० संख्या-7(43)-III(क)/71]

क्र०सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
11.	क्या गत्यावरोध के लिए तदर्थ वेतनवृद्धि का लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जायेगा जो अल्पावधि के लिए पदोन्नत पदों पर स्थानापन्न रुप से कार्य करते रहे हों और बाद में उन्हें उनके उन मूल पदों पर पदावनत कर दिया गया हो जिन पर वे कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए रुके पड़े हों ।	हां, यदि इस बात का सुनिश्चय कर दिया जाता है कि सम्बद्ध अधिकारी निम्न पद पर स्थायी रूप से कार्य कर रहा है और अथवा यदि उच्च पद पर उसकी पदोन्नति नहीं हुई है तो वह निम्न पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 1 मार्च, 1972 का का० ज्ञा० संख्या-7(8)-ई०III(क)/70]

क्र०सं०	शंकायें	स्पष्टीकरण
1.	जिस कर्मचारी ने हमेशा के लिए पदोन्नति प्राप्त करने के लिए इन्कार कर दिया हो और	वह कर्मचारी इस बात के बावजूद, कि उसने अस्थायी अथवा स्थायी रुप में अगले

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
	फलस्वरूप 110–240 रु० के वेतनमान में दो से अधिक वर्षों तक अधिकतम 240/- रु० ही प्राप्त करता रहा हो ।	उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने से इंकार कर दिया है, उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तदर्थ वेतनवृद्धि का हकदार होगा ।
2.	जिन कर्मचारी ने एल०एस०जी० पद पर पदोन्नति प्राप्त करने से इंकार कर दिया हो और ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर विशेष वेतन मिलता हो ।	यदि कर्मचारी ने अवर श्रेणी लिपिक (प्रवर वर्ग में पदोन्नति प्राप्त करने से इंकार कर दिया हो तो ऊपर (1) में दी गई अभ्युक्तियों के अनुसार/लेकिन यदि वह उस पद पर कार्य रहा हो जिस पर विशेष वेतन भी मिलता और यदि वह विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान के बदले उस पद के साथ मिलता हो तो वह तदर्थ वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।
3.	किसी कर्मचारी को 110-240/- रु० के वेतनमान में 13-1-68 को 233/-रु० पर वेतनवृद्धि प्राप्त हुई । हिन्दी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उसे उसी तारीख से अर्थात् 13-1-68 से 7/-रु० का विशेष वेतन दिया गया जिसे भविष्य में मिलने-वाली वेतनवृद्धि में मिला लिया जायेगा और इस प्रकार वह 13-1-68 को वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया । चूंकि ये आदेश 1-3-70 से प्रभावी हो गये थे अतः क्या वह 1-3-70 से तदर्थ वेतनवृद्धि के लाभ का हकदार हो जाएगा ।	कर्मचारी सामान्य रूप से जिस तारीख को अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचेगा उसी तारीख से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुका हुआ माना जाएगा न कि हिन्दी परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली अग्रिम वेतन-वृद्धि लेकर जिसे कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियों में मिला लिया जाता है ।

[डाक एवं तार, महानिदेशक, का तारीख 24 मई, 1971 का पत्र संख्या–2-89/76-पी०ए०पी०] ।

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
4.	भारत सरकार के रिकार्ड आपूर्ति कर्ताओं की जिनका वेतनमान 40/60 रु० था, 1962 में डाक स्टाफ डिपो, कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था और 40/60 रु० के वेतनमान में शामिल कर लिया गया था । 40/60 रु० के वेतनमान को 80-1-85-2-95-द०रो०-3-110 में संशोधित कर दिया गया था और इन कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतनमान में नियत कर दिया गया था । रिकार्ड आपूर्ति-कर्ताओं के पदों को जुलाई, 1963 में पदावनत करके 75/95 रु० के वेतनमान में दफ्तरी के पदों में मिला लिया गया था और 30-7-63 से उन कर्मचारियों का वेतन 95/- रु० पर नियत करके साथ में 12 रु० अथवा 9/- रु० निजी वेतन के रूप में दिया गया था । वे कर्मचारी क्योंकि दो अथवा दो से अधिक वर्षों तक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके रहे हैं अतः क्या ये गत्यावरोध वेतनवृद्धि के हकदार हैं ।	गत्यावरोध निजी वेतन उस निजी वेतन में, यदि कोई हो तो, शामिल कर लिया जाएगा जो कर्मचारी उस पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक प्राप्त कर रहा होगा जिस पद पर उसे स्थायी रूप से ले लिया गया था । लेकिन यदि वेतनमान से अधिक निजी वेतन उस गत्यावरोध निजी वेतन से कम हो जिसका वह भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (1) का हकदार है तो गत्यावरोध निजी वेतन के रूप में अन्तर की राशि को प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी ।
5.	क्या उस व्यक्ति को तदर्थ वेतन-वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है जो उच्च पद से पदावनत होता है जिस पर वह मूल रूप से कार्य कर रहा हो । (10-7-1952 को स्थायी किया गया लाईनमैन 4-6-58 को उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और 1-3-70 से इस पद पर स्थायी कर दिया गया । उसे अनुरोध करने पर 24-4-64 से लाईनमैन के पद पर पदावनत होने की अनुमति दे दी गई) ।	हां । भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (1) के अनुसार तदर्थ वेतवृद्धि दी जा सकती है बशर्तें कि उसकी निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए ।
6.	क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी को तदर्थ वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा सकता है जिसे खराब सेवा रिकार्ड के कारण आगे की पदोन्नति के लिए विवर्जित कर दिया गया हो ।	ऐसे मामलों में भी उन मामलों के अनुरूप तदर्थ वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा सकता है जहां कर्मचारी को उस समय भी तदर्थ वेतनवृद्धि दी गई हो जब उसने उच्च पद पर पदोन्नति पाने से इन्कार कर दिया हो ।
7.	क्या कुल परिलब्धियों, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति, उपदान और परिवार पेंशन का परिकलन करने के लिए तदर्थ वेतनवृद्धि के कारण मिलने वाले निजी वेतन को भी मूल वेतन का हिस्सा माना जाएगा ।	7 और 8 यह निजी वेतन मूल नियम 9(21) के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा के अन्तर्गत आता है । इसलिए इसे पेंशन/मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान/परिवार पेंशन के लिए हिसाब में लिया जायेगा ।
8.	क्या सिविल सेवा नियमावली के अनुच्छेद 486-ग के अन्तर्गत कुल परिलब्धियों का परिकलन करने के लिए निजी वेतन को भी उसमें शामिल किया जाएगा और क्या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति	

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
	उपदान का परिकलन करने के लिए निजी वेतन को उसमें शामिल किया जायेगा अथवा नहीं ।	
9.	क्या भूतपूर्व सी०टी०टी० स्टाफ को शामिल किए जाने के बाद, जो कि लाईनमैन के रूप में 95/-रु० वेतन तथा 165 रु० निजी वेतन के रूप में आहरित कर रहा था, उनको 97/-रु० तथा निजी वेतन 163/-रु० पर नियत किया जा सकता है ।	यदि दूसरे पद में शामिल किए गए कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला निजी वेतन भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (1) के अन्तर्गत स्वीकार्य एवं तदर्थ वेतनवृद्धि से कम हो तो उसको अन्तर की राशि की अदायगी भी करनी चाहिए ताकि केन्द्रीय वेतनमान के अधिकतम से अधिक लिया जाने वाला निजी वेतन उस कर्मचारी द्वारा एक तदर्थ वेतनवृद्धि के बराबर हो जाये, लेकिन ऐसा करने के लिए तदर्थ वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूरी होनी चाहिए ।

[डाक एवं तार महानिदेशालय का 1 नवम्बर, 1972 का पत्र संख्या-2/2/71-पी०ए०पी०] ।

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
10	(i) क्या किसी ऐसे कर्मचारी को उच्च पद से पदावनत होने पर तदर्थ वेतनवृद्धि दी जाएगी जो इसका हकदार होता लेकिन अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हुआ ।	यदि कर्मचारी को ऐसे पद पर पदावनत किया गया है जिस पर वह मूल रूप से कार्य कर रहा था और उस पद पर ऊपर वेतनमान के अधिकतम पर दो अथवा दो से अधिक वर्षों तक रुका रहा था तो उच्च स्थानापन्न पद से पदावनत होने पर भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के (1) अन्तर्गत एक तदर्थ वेतनवृद्धि पाने का हकदार है । गत्यावरोध की दो वर्ष की अवधि का परिकलन करने के लिए उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि को भी हिसाब में लिया जाएगा ।
	(ii) क्या ऐसे मामलों में भी तदर्थ वेतनवृद्धि दी जाएगी जहां कर्मचारी दो से अधिक वर्षों तक अपने वेतनमानों का अधिकतम आहरित करते रहे हों और बाद में संचयी प्रभाव डाले बिना दंड के रूप में कुछ समय के लिए उसे एक चरण तक कम कर दिया गया हो और अब वे अपने वेतनमान का अधिकतम आहरित कर रहे हों लेकिन दंड की अवधि पूरी करने के बाद अधिकतम वेतनमान आहरित करते हुए दो वर्ष पूरे न हुए हों ।	दो वर्ष की अवधि का परिकलन करने के लिए दंड की अवधि को हिसाब में नहीं लिया जायेगा । यदि कर्मचारी के वेतनमान में एक चरण तक की कटौती करने से पूर्व वह दो से अधिक वर्षों तक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुका पड़ा था और दंड की अवधि 1-3-70 को भी लागू है तो दंड की अवधि पूरी करने के बाद उसे यह लाभ मिलेगा ।

[डाक एवं तार महानिदेशालय का तारीख 13 जनवरी, 1971 का पत्र संख्या-702-85-/पी०ए०पी०] ।

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
	(iii) क्या दो वर्ष की अवधि की गणना करने के लिए विशेष वेतन सहित केवल निरन्तर सेवा को ही हिसाब में लिया जायेगा अथवा दो वर्ष का परिकलन करने के लिए विशेष वेतन सहित टूटी अवधि को हिसाब में लिया जायेगा ।	दो वर्ष का परिकलन करने के लिए विशेष वेतन सहित सेवा की टूटी अवधि को भी हिसाब में लिया जायेगा बशर्ते कि विशेष वेतन उन्हीं अवधियों के लिए आहरित किया गया हो और यह भी कि उस सारी अलग-अलग अवधि को मिलाकर दो वर्ष पूरे होते हों ।

[डाक एवं तार महानिदेशालय का 30 मई, 1973 का पत्र संख्या-2-3/पी०ए०पी०]

क्र०सं०	शंकाएं	स्पष्टीकरण
11.	जब संचयी प्रभाव के बिना वेतन-वृद्धि आस्थगित कर दी जाए तो वेतनमान के अधिकतम पर रुके रहने के उद्देश्य के लिए दो वर्ष की अवधि का परिकलन कैसे किया जाये ।	वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह तय किया है कि जब संचयी प्रभाव के बिना किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि आस्थगित कर दी जाती है तो दंड की अवधि पूरी होने पर के बाद उसका वेतन वही कर दिया जाता है जो वेतन वह उस समय ले रहा होता यदि उसे दंड न दिया जाता और वेतन वृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इसलिए कर्मचारी को उसी तारीख पर गत्याव-रोध वेतनवृद्धि (निजी वेतन के रूप में) मिलेगी जो इसे प्राप्त करने की सामान्य तारीख होगी ।

[डाक विभाग का तारीख 2[illegible] मई, 1985 का पत्र संख्या 1/16/78 पी०ए०पी० (खंड II) भाग] ।

अपने वेतनमान के अधिकतम पर स्थिर समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों को तदर्थ वेतन-वृद्धि की मंजूरी:—

(1) उक्त विषय पर पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के लिए विकल्प दिया है और जिनके वेतनमान की अधिकतम राशि 6700/-

रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होती और जो अपने संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाते हैं, उन्हें संबंधित वेतनमान के अधिकतम पर प्रत्येक दो वर्ष पूरे होने पर एक स्थिरता वेतन वृद्धि दी जाएगी । स्थिरता वेतन वृद्धि उनके द्वारा वेतनमान में ली गई अंतिम वेतनवृद्धि की दर के बराबर होगी और उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाएगा । ऐसी अधिकतम तीन वेतन वृद्धियों की अनुमति दी जाएगी । स्थिरता वेतनवृद्धि को मिलाकर वेतन किसी भी मामले में 7300 रु० से अधिक नहीं होगा ।

(2) लेकिन ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामले अनिर्णित पड़े हों इस लाभ की मंजूरी के लिए विचार किए जाने से पूर्व अनिर्णित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(3) ये आदेश 1-1-1986 से प्रभावी होंगे ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 3 जुलाई, 1987 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(20)-संस्था०/III 87 ।]

15. **मूल नियम 26 (ख) के अन्तर्गत विशेष शक्ति.**— मूल नियम 26 (क) के अनुसार बीमारी के कारण ली गई छुट्टी को जिसके साथ पहले से ही चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न होगा, वेतनवृद्धि के लिए गिना जाएगा । किसी भी पद पर मूल रूप से नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को यह शक्तियां भी दी गई हैं कि वे अपने विवेकाधिकार से ऐसे मामलों में असाधारण छुट्टी को गिनने की अनुमति दें जहां सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से असाधारण छुट्टी ली गई हो ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1972 के का०ज्ञा० संख्या 7(2)-एस० III(क)/72 से सारांश ।]

डाक एवं तार महानिदेशक के निर्देश

1. **स्थानीय स्थानापन्न व्यवस्थाओं के लिए आदेश देने वाले प्राधिकारी मूल नियम 26 (ख) (ii) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे.**— डाक एवं तार विभाग में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारियों के अधीनस्थ प्राधिकारियों को चार महीने तक की छुट्टी मंजूर करने और उसके परिणामस्वरुप उन रिक्त स्थानों पर स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्तियां दी गई हैं । वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह निर्णय किया गया है कि छुट्टी रिक्तियों पर स्थानीय रूप से स्थानापन्न पदोन्नतियां करने की शक्ति जिन प्राधिकारियों को दी गई हैं वे अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी सक्षम होंगे बशर्ते कि छुट्टी की पूरी अवधि उस अवधि से अधिक न हो, जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है और उस पद के पदधारी को, जिसे छुट्टी मंजूर की गई है, नियमित आधार पर नियुक्त कर लिया गया हो । चार महीने से अधिक की अवधि के संबंध में अथवा उन मामलों में जो उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत नहीं आते यह प्रमाण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।

[डाक एवं तार महानिदेशक का 27 मई, 1970 का पत्र संख्या 33/3/69 एस० पी० बी० II जिसे 11 मई, 1971 के समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए ।]

2. **निम्न वर्गों से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को 5 वर्ष की सेवा के बाद टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाए.**—(1) वर्तमान निर्देशों के अन्तर्गत अवर श्रेणी लिपिकों को, चाहे वे सीधी भर्ती से आए हों अथवा विभागीय पदोन्नति परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किए गए हों, अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और ऐसा न करने पर उनकी वेतनवृद्धि रोक दी जाती है और उन्हें अर्द्ध स्थायी अथवा स्थायी नहीं किया जाता । लेकिन उपर्युक्त कर्मचारियों को संवर्ग में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है । डाक एवं तार विभागीय परिषद् के स्टाफ पक्ष (जे० सी० एम०) ने इस प्रश्न को उठाया था और उनके साथ विचार-विमर्श करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि केवल विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों के मामले में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने के लिए अपेक्षित 10 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाए । इस संबंध में आगे कार्रवाई तदनुसार की जाए ।

(2) ये आदेश इसके जारी किए जाने की तारीख से ही लागू होंगे ।

[डाक एवं तार महानिदेशक का 27 जुलाई, 1978 का ज्ञापन सं० 56/2/73-एस०पी०बी०-I ।]

3. **विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, वस्तुतः दो बार प्रयत्न करने पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट.**— ऊपर दिए गए निर्देशों (2) के अनुसार विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी । महा-पोस्टमास्टर लखनऊ ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों को अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले वस्तुतः दो बार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयत्न करना होगा, जैसा कि इस कार्यालय के तारीख 6 जनवरी, 1969 के पत्र संख्या 57-10/66-एस० पी० बी०-1 (अमुद्रित) में बताया गया है । इस विषय की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिक को तभी

टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी यदि उन्होंने 5 वर्ष के दौरान परीक्षा पास करने का वस्तुतः दो बार प्रयत्न किया हो यह भी कि उन्हें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने से पहले स्थायी करने के लिए उपयुक्त पाया जाए। नियुक्ति प्राधिकारी इस बात का निर्णय करेगा कि उन्होंने वास्तव में प्रयत्न किए हैं।

[डाक एवं तार महानिदेशालय, नई दिल्ली का तारीख 15 जनवरी 1979 का ज्ञापन संख्या-56-9/78-एस०पी०बी०-I]।

4. **विधवाओं को अनुकम्पा के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देना.**—(1) अवर श्रेणी लिपिकों चाहे वह सीधी भर्ती किए गए हों अथवा विभागीय पदोन्नति परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किए गए हों, अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में नियुक्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर निर्धारित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न करने पर उनकी वेतनवृद्धि रोक दी जाती है तथा उन्हें अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी घोषित नहीं किया जाता। लेकिन अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद और विभागीय रूप से पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद छूट दी जाती है बशर्ते कि उन्होंने वस्तुतः दो बार प्रयत्न किया हो।

(2) विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में नियुक्त किए जाने पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट देने के प्रश्न पर सामान्य भर्ती नियमों के संदर्भ में, पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा था। अब यह निर्णय किया गया है कि अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में सामान्य भर्ती नियमों में छूट देते हुए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त की गई विधवाओं को 35 वर्ष की आयु होने पर अथवा 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का वस्तुतः दो बार प्रयत्न किया हो।

(3) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

[डाक एवं तार महानिदेशक, नई दिल्ली का तारीख 10 जून, 1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-56-2/ 80 एस०पी०बी-1]।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) देखें मूल नियम 9(6) के नीचे दिए गए लेखा-परीक्षा अनुदेश की मद (3)।

(2) स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि की गणना समय-वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए, तब तक नहीं की जाती जब तक कि मूल नियम 85 (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली का नियम 25) के अधीन इसे असाधारण छुट्टी में परिवर्तित न कर दिया गया हो और मूल नियम 26(ख) के परन्तुक के अधीन असाधारण छुट्टी की गणना विशेष रूप से वेतन-वृद्धि के लिए करने की अनुमति नहीं दी गई हो।

[भारतीय लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) का खण्ड-I, अध्याय IV, पैरा 6 (IV)]।

(3) (i) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे एक पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते समय एक अन्य पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने में व्यतीत की गई अवधि उस पद पर ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी जिसका वेतन सरकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान लेता है और उक्त अवधि की गणना मूल नियम 26(क) के अधीन उसी पद में वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी। किन्तु यदि दोनों पदों पर स्वीकार्य वेतन की दरें समान हैं तो एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने में व्यतीत की गई अवधि दोनों पदों में से निम्न वाले पद पर ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी और मूल नियम 26(ग) के अधीन उक्त अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए निम्न पद में की जाएगी।

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते समय प्रशिक्षण पर चला जाता है या शिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेता है और जिसे प्रशिक्षणाधीन रहते हुए ड्यूटी पर माना जाता है तो उस मामले में ऐसी ड्यूटी की अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए उस पद में की जाएगी जिसमें वह प्रशिक्षण या शिक्षण पाठ्यक्रम पर भेजे जाने से पहले स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था और जबकि उसे ऐसी अवधि के दौरान स्थानापन्न पद का वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल का खण्ड I, अध्याय IV, पैरा 6(IV)]।

(4) उन मामलों को छोड़कर जहां परिवीक्षा की शर्तों में या सेवा के किसी वर्ग से संबंधित सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशों में अन्यथा उपबन्ध हो यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का स्थायीकरण 12 महीने से अधिक परिवीक्षा की अवधि के बाद किया जाता है तो वह भूतलक्षी प्रभाव से उन वेतनवृद्धियों का दावा करने का हकदार है जिन्हें सामान्यतः उस स्थिति में प्राप्त करता यदि वह परिवीक्षा पर न गया होता।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल का खण्ड I, अध्याय IV (पैरा 7)]।

(5) (i) मूल नियम 26(ग) का अभिप्राय इस बात पर ध्यान दिए बिना रियायत की मंजूरी देना है कि उच्च पद उस विभाग में है या विभाग से बाहर है जिससे सरकारी कर्मचारी संबंधित है।

(ii) इस नियम के अधीन ऐसे मामले में भी रियायत स्वीकार्य है जिसमें संबंधित सरकारी कर्मचारी उच्च पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करते समय केवल पेपर पदोन्नति

(मौलिक या अनन्तिम रूप से मौलिक) प्राप्त करता है किन्तु निम्न पद पर वास्तविक रूप में पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल खण्ड-I, अध्याय iv, पैरा 8] ।

(6) देखें मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेश की मद संख्या (5) ।

(7) मूल नियम 107 के परन्तुक (1) के अधीन कार्यभार ग्रहण अवधि, जिसके दौरान स्थानान्तरण पर गए किसी सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जाता है, छुट्टी वेतनवृद्धि या पेंशन के प्रयोजन के लिए "अकार्य दिवस" के रूप में मानी जाएगी ।

[लेखा-परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल का खण्ड 1, अध्याय iv, पैरा 6 (vi)] ।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा यह निर्णय किया गया है कि राज्य के छुट्टी नियमों द्वारा शासित राज्य सरकार के उस कर्मचारी की वेतनवृद्धि जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा कर रहा है और केन्द्रीय सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन ले रहा है, मूल नियमों के अधीन विनियमित की जाती है बशर्ते कि स्थानान्तरण के आदेश में इसके प्रतिकूल कोई उपबन्ध न हो ।

[महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 2 नवम्बर, 1955 का पत्र संख्या 1541-ए/425-55]

मूल नियम 27.—उन साधारण[1] या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं वह प्राधिकारी जिसे उसी संवर्ग में उसी वेतनमान का पद सृष्ट करने की शक्ति है, वेतनमान पर नियुक्त सरकारी सेवक को समय से पहले दी जाने वाली वेतनवृद्धि मंजूर कर सकेगा ।

भारत सरकार के आदेश

1. समय से पहले वेतनवृद्धि देने के पश्चात् भावी वेतनवृद्धियां सामान्य रीति में विनियमित की जाएं.—अग्रिम मंजूर की गई वेतनवृद्धियों के मामले में, साधारणतः अभिप्राय यह होता है कि अधिकारी उसी प्रकार वेतन-वृद्धियां पाने का हकदार होगा मानो वह वेतनमान में अपनी स्थिति पर सामान्य रीति से पहुंच गया हो और इसके विपरित विशेष आदेशों के न होने पर जहां तक भावी वेतनवृद्धियों का संबंध है, उसे ठीक उस अधिकारी के समान माना जाएगा, जिसे ऐसी वेतनवृद्धियां मिली हैं ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 6 जुलाई, 1919 का पत्र संख्या 752, सी०एस०आर०]

2. समय से पहले वेतनवृद्धियां मंजूर करने के कारण निर्दिष्ट न किए जाएं.—यह निर्णय किया गया है कि जब मूल नियमों में ऐसी कोई शर्त या अनुबन्ध नहीं है तो सरकार उक्त किसी भी नियम के अधीन अपनी कार्रवाई के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 22 मई, 1928 का पत्र संख्या एफ० 69, आर० आई० 1/28] ।

3. उच्च प्रारंभिक वेतन की मंजूरी के लिए शर्तें और शक्तियों का प्रत्यायोजन.—विद्यमान नियमों और आदेशों के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे पदों, अस्थायी या स्थायी, जिनका सृजन करने की उन्हें शक्ति प्राप्त है, पर नियुक्तियां करने के संबंध में मूल नियम 27 के उपबन्धों के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने का पूरा अधिकार है । लेकिन ऐसे पदों के संबंध में जिनका सृजन वित्त मंत्रालय की सहमति से किया जाता है, पदधारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि देने की अनुमति केवल वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है ।

भारत सरकार के मंत्रालयों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की समीक्षा करने की दृष्टि से और कार्य का शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इन आदेशों के जारी करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय की सहमति से सृजित किसी पद पर सरकारी सेवा में की गई प्रारंभिक नियुक्तियों के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय पद के लिए लागू वेतनमान में पांच अवस्थाओं/वेतनवृद्धियों से अधिक उच्च प्रारंभिक वेतन की मंजूरी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने विवेक पर दे सकते हैं :—

(क) उच्च प्रारम्भिक वेतन की व्यवस्था जहां औचित्य-पूर्ण समझा गया हो, उम्मीदवार की आयु, पूर्ववर्ती अनुभव, अर्हताओं और पिछली परि-लब्धियों आदि को ध्यान में रखकर की जाए,

(ख) उच्च प्रारम्भिक वेतन की मंजूरी देते समय इसके कारण, फाईल में पूरी तरह रिकार्ड किए जाएं,

(ग) जहां प्रारम्भिक नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जानी हो वहां उच्च प्रारम्भिक वेतन की मंजूरी उनकी सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए ।

(घ) संबंधित मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेंगे कि अब दी गई शक्ति का प्रयोग उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 2(46)-एफ० III(क)/60, भाग II द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

ये आदेश सरकारी कर्मचारियों के एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण या पदोन्नतियों या पुनर्नियुक्त पेंसनभोगियो के मामलों में लागू नहीं होते जिन्हें पहले की तरह विनियमित किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15 फरवरी, 1955 का का०ज्ञा० संख्या एफ 10(2)-स्था० III/55]।

4. अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.—इस नियम के अधीन स्थायी या अस्थायी पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के संबंध में स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट की गई है :—

(i) प्राधिकारी किसी पद (स्थायी या/अस्थायी) का सृजन करने के लिए सक्षम है वे न केवल अपनी निजी शक्तियों के अधीन सृजित पद के पदधारियों को समय से पहले वेतनवृद्धि मंजूर कर सकते हैं बल्कि उसी संवर्ग में समान वेतनमान में उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी या वित्त मंत्रालय की सहमति से सृजित अन्य पद पर नियुक्त किए गए पदधारियों को भी समय से पहले वेतनवृद्धि की मंजूरी दे सकते हैं।

(ii) एक पद से दूसरे पद में पदोन्नत अथवा किसी पद पर प्रारम्भिक रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन मूल नियम 22 और 31 के उपबन्धों के अधीन नियत किया जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से ऐसा किया जाता है फिर भी इन मामलों में मंत्रालयों या अन्य सक्षम प्राधिकारियों को यह छूट है कि वे सरकारी कर्मचारी का वेतन मूल नियम 27 के उपबन्धों के अधीन उच्च पद के समय-वेतनमान की किसी भी अवस्था पर इस शर्त के अधीन नियत कर सकता है कि मंत्रालय और संबंधित प्राधिकरण उसी संवर्ग में समान वेतनमान में पद का सृजन करने के लिए सक्षम हैं। ऐसे मामलों में मूल नियम 22 के उपबन्धों की अवहेलना करने की शक्ति का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए और मूल नियम 27 के उपबन्धों को मूल नियम 22 को निष्प्रभावी बनाने के लिए बराबर लागू नहीं करना चाहिए

(iii) खुली भर्ती में बाह्य उम्मीदवारों के मामले में वेतन का नियतन वेतन नियम करने से संबंधित संगत नियमों के अधीन करना चाहिए।

(iv) यह परिपाटी निर्धारित की गई है कि पद के न्यूनतम वेतन से अधिक प्रारम्भिक वेतन पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें, जिनमें आयोग को भेजे गए मांग पत्र में ऐसे उच्च प्रारंभिक वेतन की मंजूरी दी जाती है, सामान्यतः नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस परिपाटी को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन से अधिक प्रारम्भिक वेतन मूल नियम 27 के अधीन किसी भी मामले में मंजूर किया जाए। यदि यह महसूस किया जाए कि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन से अधिक प्रारम्भिक वेतन किसी मामले में दिया जाना चाहिए तो ऐसे उच्च प्रारम्भिक वेतन को देने का प्रश्न आयोग को फिर से भेजा जाना चाहिए और उसकी अन्तिम सलाह स्वीकार करनी चाहिए।

(v) ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनमें मंत्रालयों को नियम 27 के अधीन अन्तिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, उनमें उपर्युक्त आदेश (3) के अधीन मंत्रालयों को पहले से ही प्रत्यायोजित शक्तियां प्रवृत्त रहेंगी किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं होंगे जिनमें भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई है और जिन मामलों में पांच अग्रिम वेतनवृद्धियों से अधिक प्रारम्भिक वेतन की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। सरकारी सेवा में पहले से ही कार्य न कर रहे व्यक्तियों के संबंध में मंत्रालय ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी वित्त मंत्रालय को लिखे बिना दे सकते हैं।

(vi) उपर्युक्त उपबन्ध पुनर्नियुक्ति पेंशनभोगियों, युद्ध सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों आदि के वेतन के नियतन के मामलों पर लागू नहीं होते। इनके संबंध मे अलग आदेश लागू होते हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अगस्त, 1960 का का० ज्ञा० संख्या एफ 2(46)-ई०III/60]।

5. अतिरिक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन.—भारत सरकार के मंत्रालयों और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो निम्नलिखित प्रकार के मामले के संबंध में नीचे दिए गए अनुलग्नक में की गई है :—

(1) एक स्थानापन्न पद से दूसरे पद पर पदोन्नत/स्थानान्तरित या छटनी के बाद पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन तथा एक उच्च पद से निम्न पद में या निम्न पद से उच्च पद में या एक पद से दूसरे समकक्ष पद पर स्थानान्तरण हो जाने पर अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन।

(2) अन्य पदों पर स्थानान्तरण रूप से नियुक्त स्थायिवत् सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन और ऐसे नियतन के फलस्वरूप बकाया राशि की मंजूरी।

अनुलग्नक की मद 2 (ख) के अनुसार अन्य पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों के वेतन को नियत करने के परिणामस्वरूप बकाया वेतन राशि मंजूर करने के मामले में पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, वेतन नियत करने के कारण देय बकाया राशि की अनुमति ऐसे मामलों में दी जा सकती है जो वेतन पुनः नियत करने के आदेश जारी करने की तारीख को तीन वर्ष से अधिक समय से पुराने न हों किन्तु जिन मामलों में विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना जरूरी हो उनमें मंत्रालयों को सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 42 में यथा-उपलब्ध पूर्ण बकाया राशि की अनुमति देने का अधिकार होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 22 जून, 1962 का का० ज्ञा० संख्या 6(23)-ई० III/62]।

6. **ऐसे मामले जिनमें मूल नियम 27 के अधीन शक्तियों का अवलम्ब नहीं लिया जाना है।**—मूल नियम 27 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के मामले की और आगे समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि समय से पहले वेतन वृद्धियां देने के मामले में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रालयों या अन्य समक्ष प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा :—

(i) सराहनीय कार्य के लिए पारितोषिक के रूप में,

(ii) वेतन निर्धारण के किसी एक मामले में वित्त मंत्रालय के परामर्श की अवहेलना करते हुए,

(iii) कठिनाई अथवा असामान्य परिस्थितियों के सिवाय अन्य मामलों में वेतन निर्धारण के सामान्य नियमों की उपेक्षा करते हुए; या

(iv) पूर्व पद में अनुज्ञेय कुछ परिलब्धियों के बराबर आर्थिक लाभों, दिए गए विशेष वेतन या प्रतिनियुक्ति भत्ता के बराबर राशि को जिन अन्य पदों में यह अनुज्ञेय नहीं हैं उन पर नियुक्ति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिए ध्यान में रखना।

अनुबंध

(भारत सरकार का आदेश मूल नियम 27 के नीचे देखें)

संख्या	प्रत्यायोजित शक्तियां	शक्तियों का प्रयोग करते समय किन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एक स्थानापन्न पद से दूसरे पद पर पदोन्नत/स्थानांतरित या छटनी के बाद पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन तथा एक उच्च पद से निम्न पद में तथा निम्न पद से उच्च पद आदि (एक पद से दूसरे पद में स्थानांतरण सहित) में स्थानांतरण होने पर अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन।	(क) **उच्च पद से निम्न पद पर स्थानांतरित अस्थायी सरकारी कर्मचारी :—** उच्च पद में सेवा के पूरे वर्षों की गणना अग्रिम वेतन वृद्धियों के प्रयोजन के लिए उस निम्न पद में की जाएगी जिसमें उसे नियुक्त या प्रत्यावर्तित किया गया है। किन्तु प्रारंभिक वेतन उच्च पद में लिए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा। (ख) **एक पद से दूसरे समकक्ष पद पर स्थानांतरित अस्थायी सरकारी कर्मचारी :—** सेवा के पूर्व वर्षों के लिए उपर्युक्त (क) के समान फायदे दिए जाएं। (ग) **समान वेतनमान वाले एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित अस्थायी सरकारी कर्मचारी :—** मूल नियम 22 के परन्तुक 1 (iii) के अधीन यथा अनुज्ञेय फायदे दिए जाएं। (घ) एक स्थानापन्न पद से दूसरे में पदोन्नति/स्थानान्तरण :— एक स्थानापन्न पद से दूसरे किन्तु उच्च स्थानापन्न पद में पदोन्नतियों/स्थानांतरण के मामले में, उच्च पद का वेतन मूल नियम 22(क) (i) के अनुरूप निम्न पद के वेतन से अगली उच्च अवस्था पर नियत किया जाए जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हों :— (i) पदोन्नति नियुक्ति के सीधे अनुक्रम में हो;	वेतन मूल नियम 27 के अधीन नियत किया जाएगा और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो की अनुमति मूल नियम 9(23) (ख) के अधीन दी जाएगी।

संख्या	प्रत्यायोजित शक्तियां	शक्तियों का प्रयोग करते समय किन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) सरकारी कर्मचारी ने निम्न पद पर तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया हो (इसमें छुट्टी, प्रतिनियुक्ति या बाह्य विभाग सेवा के कारण व्यवधान की अवधि या उच्च या समकक्ष पद पर नियुक्ति की अवधि भी शामिल है जिसके दौरान वह उक्त पद पर बना रहता)। (iii) निम्न पद या संवर्ग लम्बी अवधि के आधार पर बना रहता है; और (iv) सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति यदि उच्च पद पर न हुई होती तो वह निम्न पद या संवर्ग पर कार्य करता रहता । यदि सरकारी कर्मचारी ने निम्न पद पर तीन वर्ष से कम समय तक कार्य किया है किन्तु अन्य शर्तें पूरी होती हैं या पदोन्नति सीधे क्रम में नहीं हुई है किन्तु अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो उसका वेतन मूल नियम 22(क) (ii) के अनुसार नियत किया जाए। दिनांक 1-4-1961 को या उसके बाद श्रेणी-I स्तर तक की गई पदोन्नतियों के मामले में, वेतन मूल नियम 22-ग के अधीन नियत किया जाएगा ।	
2.	(क) अन्य पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए स्थायिवत् सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन ।	स्थायीवत् पद में लिए गए वेतन को मूल वेतन मान कर वेतन मूल नियम 22, मूल नियम 22-ए और मूल नियम 31 के अधीन विनियमित किया जाए । दिनांक 1-4-1961 को या उसके बाद श्रेणी-I स्तर तक की गई पदोन्नतियों के मामले में, वेतन मूल नियम 22-ग के अधीन नियत किया जाए ।	वेतन नियत करने की स्वीकृति मूल नियम 27 के अधीन जारी की जाए और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, की अनुमति मूल नियम 9(23) (ख) के अधीन दी जाए ।
	(ख) उपर्युक्त (क) के परिणामस्वरूप वेतन की बकाया राशि मंजूर करना ।	पूरी शक्तियां ।	

इन आदेशों के कारण मूल नियम 27 के लागूकरण पर वहां कोई प्रभाव नहीं होगा जहां पर पहले से ही विद्यमान सरकार के विशेष आदेशों के अधीन विशिष्ट अनुमति दी गई है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 फरवरी, 1968 का का०ज्ञा० संख्या एफ० 2(46)-ईIII(क)/60-1966 का भाग II] ।

7. वरिष्ठता संशोधन के मामले में वेतन के काल्पनिक नियतन का लाभ :—(1) यह निर्णय किया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 4 जनवरी, 1972 के बाद इस विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/72–स्था०(घ) में दिए गए अनुदेशों (22-12-1959 से पहले नियुक्त किए गए व्यक्तियों के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण स्थायीकरण की तारीख के स्थान पर सेवा अवधि के आधार पर किया गया था) के अनुसार की गई है, उनका वेतन 4 जनवरी, 1972 से काल्पनिक रूप से नियत किया जाए और तदनुसार वास्तविक पदोन्नति की तारीख को उनका वेतन मूल नियम 27 के अधीन नियत किया जाए, बशर्ते कि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों का यह समाधान हो जाए कि उक्त सरकारी कर्मचारी के मामले पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त समय पर विचार किया जाता जबकि उन्हें सही वरिष्ठता प्रारम्भ से ही दे दी जाती । किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी, 4 जनवरी, 1972 के बाद पहली बार पदोन्नति के लिए विचार करने के समय उपयुक्त नहीं पाया गया था और दूसरे अवसर पर या बाद में उसके मामले पर विचार करने पर पदोन्नत किया गया था तो यह फायदा स्वीकार्य नहीं होगा । किन्तु दिनांक 4 जनवरी, 1972 से वेतन के ऐसे काल्पनिक नियतन के कारण बकाया राशि केवल पदोन्नति की वास्तविक तारीख से स्वीकार्य होगी । इस वेतन नियतन के फायदे से कर्मचारी, जिस ग्रेड में उसे पदोन्नत किया जाता है उस ग्रेड में वरिष्ठता आदि जैसे किसी अन्य फायदे का हकदार नहीं होगा ।

(2) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कर्मचारी उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में 1 जनवरी, 1973 के बाद पदोन्नत किए गए थे, पदोन्नति की वास्तविक तारीख पर उनका वेतन इस प्रकार नियत किया जाएगा मानो कि उनकी पदोन्नति 4 जनवरी, 1972 से हो गई थी और उनके मामले में 1 जनवरी, 1973 से केन्द्रीय सिविल सेवा (आर०पी०) नियमावली 1973 लागू होगी।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 19 अप्रैल, 1978 का का० ज्ञा० संख्या 20011/1/77-स्था० (घ)।]

8. अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में उच्च गति प्राप्त करने पर अग्रिम वेतनवृद्धियां :—(1) तृतीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 के पैरा 50 में यह सिफारिश की है कि रु० 330—560 के वेतनमान में अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों (सामान्य ग्रेड) को भर्ती के समय और सेवा के दौरान आशुलिपि में 100 या 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अर्हता प्राप्त करने पर क्रमशः एक या दो अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर की जा सकती हैं। वेतन आयोग की यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(2) यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय विभाग आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धि निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दे सकते हैं :—

(i) वेतन आयोग की सिफारिश अधीनस्थ कार्यालयों के रु० 330—560 के संशोधित वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) पर लागू होगी। भले ही न्यूनतम भर्ती गति 80 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट हो। जिन कार्यालयों में न्यूनतम भर्ती गति 100 शब्द प्रति मिनट है उनमें एक अग्रिम वेतनवृद्धि भर्ती के समय परीक्षा पास करने पर स्वीकार्य होगी।

(ii) अग्रिम वेतनवृद्धियों का फायदा रु० 330—560 के वेतनमान में मौजूदा आशुलिपिकों (सामान्य ग्रेड) तथा ग्रेड में भविष्य में भर्ती होने वाले आशुलिपिकों को अनुज्ञेय होगा।

(iii) विद्यमान आशुलिपिकों के संबंध में, प्रशासनिक विभाग विशेष परीक्षाएं लेंगे और उन्हें 100/120 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा पास करने के अनुसार एक या दो अग्रिम वेतनवृद्धियां देंगे। उन्हें उच्च गति की परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। जिन आशुलिपिकों की भर्ती 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के आधार पर की गई थी, उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धियों का फायदा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए इस गति की परीक्षा दुबारा पास करनी होगी। किन्तु उन्हें इस गति की परीक्षा पास करने के लिए केवल एक अवसर दिया जाएगा।

(iv) भविष्य में भर्ती होने वाले आशुलिपिकों के संबंध में, भर्ती के समय 80/100/120 शब्द प्रति मिनट की गति पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिस गति पर वे परीक्षा पास करते हैं उसके अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) भर्ती के समय मंजूर की जाएंगी। उनके सेवा में प्रवेश करने के पश्चात्, अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उन्हें यथास्थिति 100 या 120 शब्द प्रति मिनट की उच्च गति पर परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर होंगे।

(v) अग्रिम वेतनवृद्धियां भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित नहीं की जाएंगी।

(vi) अग्रिम वेतनवृद्धियां मंजूर करने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि की तारीख वही रहेगी।

(3) ये आदेश दिनांक 1-1-1973 से लागू होंगे किन्तु जिन मामलों पर अन्यथा निर्णय पहले ही कर लिया गया है, उन पर दुबारा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) ये आदेश भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के आशुलिपिकों पर भी लागू होंगे। जहां तक उनका संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 का का० ज्ञा० संख्या 7(31)-ई० III(क)/75।]

स्पष्टीकरण:—1. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश अधीनस्थ कार्यालयों के रु० 330—560 के वेतनमान में हिन्दी आशुलिपिकों (सामान्य ग्रेड) पर भी उनके द्वारा हिन्दी आशुलिपि में क्रमशः 100/120 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा पास कर लेने पर लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 का का० ज्ञा० सं० 7(31)-ई०III(क)/74-वाल्यूम II।]

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल मिलाकर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां अनुज्ञेय हैं अर्थात् एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा पास करने के पश्चात और दूसरी 120 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा पास करने के पश्चात् अनुज्ञेय है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों से स्पष्ट है।

[तमिलनाडु सर्किल के दूर संचार महाप्रबन्धक को संबोधित महानिदेशक, डाक व तार, नई दिल्ली का दिनांक 22 मार्च, 1980 का पत्र सं० 13-2/80-पी०ए०पी०।]

9. आदेश (8) के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धि आशुलिपिक (चयन ग्रेड) को लागू की जाएं :—यह देखा गया है कि

अधिनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक (साधारण ग्रेड) के संवर्ग में प्रचलित रुपए 425—640 के वेतनमान में आशुलिपिक का (चयन ग्रेड) पद केवल गैर-कार्यकारी है और संबंधित आशुलिपिक (साधारण ग्रेड) द्वारा धारित पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्ति सम्बद्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय किया गया है कि उन आशुलिपिकों को जिन्होंने 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा पास कर ली हो उन्हें 1 अथवा 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर करने के लिए ऊपर भारत सरकार के आदेश (9) में दिए गए उपबन्ध, एक विशेष मामले के रूप में, अधीनस्थ कार्यालयों में रु० 425—640 के वेतनमान में कार्य कर रहे आशुलिपिकों (चयन ग्रेड) के मामले में भी लागू किए जाएं।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 4 फरवरी 1983 का का० ज्ञापन संख्या 13/29/82-स्था० (पी०1)।]

10. नसबंदी आपरेशन करवाने के लिए विशेष वेतन-वृद्धि :—(क) 16-12-85 तक प्रभावी : दो/तीन जीवित बच्चों के बाद.—केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में छोटा परिवार सिद्धांत को प्रोत्साहन देने का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी दो या तीन जीवित बच्चे होने पर नसबन्दी करवाते हैं उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतनवृद्धि मंजूर की जाए और इसे उसी पद की या उच्च पदों पर पदोन्नति होने पर मिलनेवाली भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित न किया जाए। वैयक्तिक वेतन की दर रियायत मंजूरी के समय देय अगली वेतन वृद्धि की राशि के बराबर होगी और पूरी सेवा के दौरान नियत रहेगी। वेतनमान के अधिकतम पर वेतन ले रहे व्यक्तियों के मामले में, वैयक्तिक वेतन की दर ली गई अन्तिम वेतनवृद्धि की राशि के बराबर होगी। इस रियायत की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :—

(i) कर्मचारी प्रजनन आयु वर्ग में होना चाहिए। पुरुष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के मामले में इसका अर्थ यह होगा कि वह 50 वर्ष से अधिक आयु का न हो और उसकी पत्नी की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच हो। महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो और उसके पति की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

(ii) कर्मचारी के दो या तीन जीवित बच्चे हों।

(iii) बन्ध्यीकरण आपरेशन केन्द्रीय सरकार के अस्पताल/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/राज्य सरकार के अस्पताल/क्लिनीक में किया जाए और बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र भी वहीं से जारी किया जाए। जहां पर ऐसा होना संभव न हो, वहां पर, ऐसा प्रमाण पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार से बन्ध्यीकरण आपरेशन आयोजित करने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संस्थानों अथवा इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्थानों से भी स्वीकार्य होगा। भारत सरकार/राज्य सरकार से बन्ध्यीकरण आपरेशन आयोजित करने के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे, ऐसे स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों की एक सूची स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय (यो० एस० प्रभाग) द्वारा संकलित की जा रही है और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में परिचालित कर दी जाएगी। सूची के परिचालित होने तक संबंधित प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों के सिविल सर्जन अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे। (सूची अब प्रचालित कर दी गई है—छपी नहीं है—दिनांक 16-12-1985 का कार्यालय ज्ञापन नीचे देखें।)

टिप्पणी :—जहां तक रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान किए जाने वाले सिविल कर्मचारियों का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित धारा (iii) में आए शब्द "केन्द्रीय सरकार के अस्पताल" में रक्षा सेवाओं के अस्पताल भी शामिल होंगे।

चूंकि कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि क्या किसी प्राइवेट डाक्टर/क्लिनिक द्वारा जारी किया गया और किसी सरकारी डाक्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बन्ध्यीकरण प्रमाण पत्र उन आदेशों के अन्तर्गत स्वीकार्य होगा तो इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि किसी प्राइवेट अस्पताल में किया गया बन्ध्यीकरण आपरेशन, चाहे बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक अथवा सरकारी डाक्टर द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित हो, पर प्रोत्साहन भत्ता मंजूरी के लिए इन आदेशों के अन्तर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 18 जनवरी, 1988 का का०ज्ञा० संख्या वी-11011/1/81-यू०एस०(पी०)।]

(iv) बन्ध्यीकरण आपरेशन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी पत्नी/उसके पति द्वारा करवाया जा सकता है बशर्ते कि उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (iii) तक की शर्तें पूरी होती हों।

(v) यह लाभ केवल ऐसे कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जो वन्ध्यीकरण आपरेशन इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या उसके बाद करवाते हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 और 30 सितम्बर, 1980 का का० ज्ञा० संख्या 7(39)-ई०III/79 और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 20 अप्रैल 1982 का पत्र संख्या 1222-एन० जी०ई०-1/25 80]।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि परिवार कल्याण कार्यालय के समग्र हित में, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों को भी जिन्होंने स्वयं या उनकी पत्नी/उनके पति दो या तीन जीवित बच्चों के बाद किसी प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पताल में नसबन्दी कराई है, छोटे परिवार के मानदण्डों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन भत्ता स्वीकार किया जाए, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी प्राइवेट अस्पताल से ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, जो कि सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (चिकित्सा परिचारक नियमावली के अन्तर्गत) के०स०स्वा० सेवा/केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रति-हस्ताक्षरित हो, जो प्रमाणपत्र पर प्रति-हस्ताक्षर करने से पूर्व इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि संबंधित सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति ने प्रमाणपत्र में दी गई तारीख को वास्तव में ही नसबन्दी करा ली है। उपर्युक्त प्रोत्साहन भत्ते की मंजूरी की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

ये अनुदेश इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। दूसरे शब्दों में कर्मचारी उपर्युक्त निर्णय के आधार पर विशेष वेतनवृद्धि इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद के महीने की पहली तारीख से आहरण करने के पात्र होंगे। इन आदेशों के लाभों को ऐसे पुराने मामलों में भी लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ नसबन्दी आपरेशन इस मंत्रालय के 4 दिसम्बर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख के बाद किए गए हैं और इस शर्त के अधीन होगा कि कर्मचारी अन्यथा उक्त लाभ के पात्र हों। ऐसे मामलों में भी, कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन वेतन-वृद्धि इन आदेशों के जारी होने की तारीख के बाद के महीने की पहली तारीख से नसबन्दी आपरेशन की तारीख को कर्मचारी को स्वीकार्य दर पर देय होगी। ऐसे मामलों में कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 16-12-85 का कार्यालय ज्ञापन सं० 7(51)-ई०III/85]।

(ख) 17-12-1985 से प्रभावी : एक बच्चे के बाद भी :—ऐसे कर्मचारियों को जो स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी एक बच्चे के बाद नसबन्दी आपरेशन करवा लेते हैं विशेष वेतनवृद्धि दिए जाने के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जो एक जीवित बच्चे के बाद नसबन्दी आपरेशन करवा लेते हैं को भी विशेष प्रोत्साहन वेतनवृद्धि मंजूर की जाए। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह रियायत केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है जो स्वयं अथवा जिसे पति/पत्नी इस आदेशों के जारी होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात् नसबन्दी आपरेशन करवाते हैं।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एन-23011/9/85-पीएलवाई]।]

(ग) पिछले मामलों के संबंध में के० सि० सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986 के अधीन वैयक्तिक वेतन की दर :—
(1) केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी नसबन्दी करा लेते हैं उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतनवृद्धि दी जाती है जिसे भविष्य में दी जाने वाली वेतनवृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। वैयक्तिक वेतन-वृद्धि की दर रियायत दिए जाने के समय देय अगली वेतन वृद्धि की राशि के बराबर होती है और सम्पूर्ण सेवा के दौरान बनी रहती है।

(2) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1986 से वेतनमानों में संशोधन किए जाने के परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों ने पहले ही नसबन्दी करा ली थी और जो 1-1-1986 से पहले वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे थे उनके बारे में वेतन की दर में संशोधन किए जाने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के मामले में, जो 1-1-1986 से पहले उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वैयक्तिक वेतन पहले से ही प्राप्त कर रहे थे, वैयक्तिक वेतन की दर उस पद के वेतनमान की तुलना में तदनुरूप संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि की निम्नतम दर के बराबर की राशि होगी, जिस पद पर उस व्यक्ति ने संशोधन पूर्व के वेतनमान में वैयक्तिक वेतन प्राप्त किया था।

(3) ये आदेश उस तारीख से लागू होंगे जिससे कोई कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के अनुसार लागू संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 9 फरवरी, 1987 का का० ज्ञा० संख्या 7(60)-ई०III/86]।

विभिन्न परिस्थितियों में परिवार नियोजन वैयक्तिक वेतन का विनयमन

उपर्युक्त आदेशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है :—

(क) **प्रतिनियुक्ति/बाह्य विभाग सेवा पर संवर्ग से बाहर सेवा करने पर :—**जब कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति/बाह्य विभाग सेवा या स्थानान्तरण पर संवर्ग से बाहर सेवा करने की अवधि में विशेष वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए अर्हक हो जाता है तो वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जाने वाली विशेष वेतनवृद्धि की दर कर्मचारी के मूल ग्रेड को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी चाहे वह अपने ग्रेड का वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता लेता है या प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन लेता है। वैयक्तिक वेतन पर कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। विशेष वेतनवृद्धि "ठीक नीचे के नियम" के फायदे के अतिरिक्त स्वीकार्य होगी।

(ख) **प्रतिनियुक्ति पद/उच्च पद से प्रत्यावर्तन होने पर :—**कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पद से प्रत्यावर्तन होने पर या किसी उच्च पद की नियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने पर उसी दर से विशेष वेतनवृद्धि लेता रहेगा।

(ग) **"भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित न की जाए" शब्द का महत्व :—**वैयक्तिक वेतन के रूप में मंजूर की जाने वाली विशेष वेतनवृद्धि पदोन्नति होने पर वेतन नियत करने के लिए ध्यान में नहीं रखी जाएगी। भाव यह है कि वैयक्तिक वेतन का लाभ पदोन्नति के बाद भी उसी दर पर उपलब्ध होता रहे।

(घ) **जब दक्षतारोध रोक दिया जाए/वेतन घटा दिया जाए :—**यदि कर्मचारी का वेतन समय-वेतनमान के दक्षतारोध स्तर पर रोक लिया जाता है तो भी उसे विशेष वेतनवृद्धि का फायदा लेने की अनुमति दी जाएगी। चूंकि यह फायदा वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाना है इसलिए वैयक्तिक वेतन की मंजूरी का अर्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा दक्षतारोध पार करना नहीं माना जाएगा।

कर्मचारी जब एक बार विशेष दर पर विशेष वेतनवृद्धि का फायदा प्राप्त कर लेता है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के अधीन शास्ति लगाकर उसका वेतन समय-वेतनमान में नीचे की अवस्था पर कर देने या नीचे की सेवा, ग्रेड या पद में पदावनत करने पर भी वह उसे प्राप्त करता रहेगा।

(ङ) **निलम्बन के दौरान :—**निलम्बन के दौरान सरकारी कर्मचारी केवल निर्वाह भत्ता लेता है। इसलिए उसे विशेष वेतनवृद्धि के लाभ देने का प्रश्न नहीं होगा जबकि वह निलम्बनाधीन होते हुए उसका हकदार हो जाता है। फिर भी, यदि वह निलम्बनाधीन रखे जाने से पहले फायदे के लिए अर्हक हो जाता है तो निर्वाह भत्ते की गणना करते समय वैयक्तिक वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।

(च) **छुट्टी के दौरान :—** नियमित छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी छुट्टी वेतन लेता है। इसलिए उसे छुट्टी की अवधि के दौरान विशेष वेतनवृद्धि का फायदा नहीं दिया जाएगा। फिर भी, यदि वह छुट्टी पर जाने से पहले फायदे के लिए अर्हक हो जाता है तो छुट्टी वेतन की गणना करते समय विशेष वेतनवृद्धि को ध्यान में रखा जाएगा।

(छ) **प्रशिक्षण के दौरान :—**यदि प्रशिक्षण जिसके लिए सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, लोक हित में है और वह उस पद का वेतन और भत्ते लेता है जिस पद से उसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे वैयक्तिक वेतन के लाभ स्वीकार्य होंगे।

(ज) **नकद प्रोत्साहनों पर प्रभाव :—**वैयक्तिक वेतन अन्य नकद प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकार्य होगा।

(झ) **विशेष वेतनवृद्धि प्रभावी होने की तारीख :—** प्रशासनिक सुधार के लिए फायदा बन्ध्यीकरण की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से दिया जाए।

(ञ) **जब पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हों :—** वैयक्तिक वेतन या तो पति या पत्नी द्वारा लिया जा सकता है और उनके द्वारा इस विकल्प दिए जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है कि जिसको अपेक्षाकृत अधिक वेतनवृद्धि मिलती है वह वैयक्तिक वेतन लेने का विकल्प दे सकता है।

(ट) **मंजूरी प्राधिकारी :—**वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह संतुष्टि करने के पश्चात् कि निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं, एक उपयुक्त कार्यालय आदेश जारी करके दी जा सकती है।

(ठ) **ऐसे परिवार के मामले में जिसमें केवल एक या तीन से अधिक बच्चे हों :—**दो या तीन बच्चों का परिवार आदर्श परिवार माना गया है और इसलिए बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाने के लिए विशेष वेतनवृद्धि का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जिनके केवल एक या तीन से अधिक बच्चे हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वे प्रजनन आयु वर्ग में आते हैं या नहीं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 19 जुलाई, 1980 का का० ज्ञा० संख्या 7(39)-ई०III/79।]

(ड) **हिस्टेरिक्टोमी :—**चूंकि हिस्टेरिक्टोमी पूर्णतः स्वास्थ्य संबंधी रोग है इसलिए इसे इन आदेशों के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता।

(ढ) **जुड़वां बच्चों का जन्म :—**बन्ध्यीकरण के ऐसे सभी मामलों में विशेष वेतनवृद्धि की अनुमति दी जाएगी जिनमें दो बच्चे होते हुए भी जुड़वां बच्चों का जन्म हो जाए, यद्यपि बच्चों की संख्या चार हो जाती है।

(ण) **प्रभावी तारीख के पश्चात दूसरा बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाना :—**जिन व्यक्तियों ने इस आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले बन्ध्यीकरण करवाया था और पहला आपरेशन फेल हो जाने के कारण आदेशों के जारी होने के पश्चात् दुबारा बन्ध्यीकरण करवाया हो,

उन्हें प्रोत्साहन राशि के लिए अर्हक नहीं माना जाएगा क्योंकि बन्ध्यीकरण के लिए कार्रवाई आदेशों के जारी होने से पहले ही प्रारम्भ की गई थी।

(त) **कर्मचारियों से वचनबंध** :—वचनबंध/प्रमाणपत्र का मानक फार्म निर्धारित करना आवश्यक है जिसे प्रोत्साहन की मांग करने वाला व्यक्ति भरेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों का मामला अलग किया जा सके जिसमें कर्मचारी के तीन बच्चे हैं किन्तु उसकी पत्नी वैसक्टोमी आपरेशन के समय गर्भवती है।

(थ) **चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र** :—बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह प्रमाणपत्र जारी करने से पहले इस बात की तसल्ली करें कि शुक्राणु पूर्णतः समाप्त हो गए हैं।

(द) **रिकेनलाइजेशन के मामले में** :—रिकेनलाइजेशन के मामले में रिकेनलाइजेशन की तारीख से विशेष वेतनवृद्धि का अनुमोदन वापिस किया जा सकता है।

ऊपर लिए गए निर्णय को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा प्रोत्साहन की मांग करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वचनपत्र प्राप्त करने के लिए मानक प्रारूप (नीचे छापा गया) निर्धारित किया गया है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 अप्रैल, 1981 का का०ज्ञा० संख्या 7(39)-ई० III/79]।

बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र

मैं, डॉ० .... एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने .... में .... के पद पर नियुक्त श्री/श्रीमती .... के पति/पत्नी श्री/श्रीमती .... का दिनांक .... को .... में *वैसक्टोमी/ट्यूबैक्टोमी आपरेशन किया है।

2. तारीख .... को शुक्राणु रोका गया था .... और उसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि वैसक्टोमी आपरेशन पूर्णतः सफल रहा है।

(पैरा 2 केवल वैसक्टोमी आपरेशन के मामले में)

हस्ताक्षर

....

सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध

मैंने/मेरे पति/पत्नी ने दिनांक .... को .... में वैसक्टोमी/ट्यूबेक्टोमी आपरेशन करवाया है। .... द्वारा बन्ध्यीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है। यदि मैंने/मेरे पति/पत्नी ने किसी भी कारण से रिकेनलाइजेशन करवाया तो मैं इस तथ्य की रिपोर्ट सरकार को तत्काल देने का वचन देता हूं।

2. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरी पत्नी/श्रीमति .... इस तारीख को गर्भवती नहीं है।

(पैरा 2 केवल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए)

हस्ताक्षर

....

(ध) **मिनिलैप आपरेशन** :—एक शंका यह उठाई गई है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी पत्नी मिनिलैप आपरेशन करवाती है, विशेष वेतनवृद्धि मंजूर की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 18-1-1984 के यू० ओ० संख्या 8735/स्था०/83 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि मिनिलैप आपरेशन महिला नसबन्दी (ट्यूबेक्टोमी) का एक स्वरूप है, इसलिए पदधारी नियमों के अनुरूप वेतनवृद्धि की मंजूरी के लिए पात्र है।

[नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का दिनांक 15 फरवरी, 1984 का परिपत्र संख्या 126-आडिट/119-81]।

11. **जब वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति लागू होती है तो अग्रिम वेतनवृद्धियां कैसे विनियमित की जाएंगी** :—देखें मूल नियम 24 के नीचे भारत सरकार का आदेश (3)।

12. **मूल नियम 27 के अधीन वेतन का गलत निर्धारण निर्धारित किए गए वेतन को कम न किया जाए** :—जब मूल नियम 27 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को विहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा एक बार वेतन का निर्धारण कर दिया जाता है तो वह प्राधिकारी कानून के अधीन मूलतः निर्धारित किए गए प्रारम्भिक वेतन को कम करने के लिए सक्षम नहीं है चाहे ऐसा वेतन कुछ ऐसे आंकड़ों पर आधारित था जो बाद में गलत हो जाते हैं।

[भारत सरकार, विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग का दिनांक 8 अगस्त, 1962 का यू०ओ० संख्या 22057/-सलाह- (पी)]।

13 **राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च कोटि का खेल निष्पादन करने वाले पुरुष/महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन वेतनवृद्धि** :—भारत सरकार पुरुष खिलाड़ियों तथा महिला खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन/सुविधाएं स्वीकृत किए जाने के प्रश्न पर पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(क) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्चकोटि के खेलों के निष्पादन के लिए दी जाने वाली वेतनवृद्धियों की संख्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

कोटि का खेल निष्पादन करने वालों की तुलना में कम निर्धारित की जानी चाहिए, अर्थात् राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक वेतनवृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दो वेतनवृद्धियां दी जानी चाहिए।

(ख) किसी कर्मचारी को दी जाने वाली कुल वेतन-वृद्धियों की संख्या उसकी पूर्ण सेवावधि में 5 वेतनवृद्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) इस तरह दी गई वेतनवृद्धियों को संबंधित कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक उसी दर से लेना जारी रखेगा और ये वेतनवृद्धियां उसकी सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए भी गिनी जाएंगी, परन्तु, ये वेतनवृद्धियां ऐसे कर्मचारी की प्रोन्नति होने पर छोटा परिवार रखने के लिए दी गई प्रोत्साहन वेतनवृद्धियों के सादृश्य पर उसके वेतन निर्धारण के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

उपर्युक्त उपबन्धों को मैनेजरों, कोचों, लीडरों, रैफरियों आदि के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है तथा वे विद्यमान आदेशों द्वारा शासित होते रहेंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/85-स्था०(वेतन-1) का पैरा 3 (iv) तथा दिनांक 29 नवम्बर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/85 स्थापना (वेतन-1)]।

14. डाक और तार विभाग के समूह "क" की सेवाओं के परिवीक्षाधीनों को अग्रिम वेतनवृद्धि :—भारत सरकार का आदेश (4) मूल नियम 26 के नीचे देखें।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

इस नियम में "पद" शब्द में "अस्थायी" पद शामिल है।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 18 अक्तूबर, 1955 का पृष्ठांकन संख्या 1495-ए/336-54]।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय

(1) मूल नियमों का मसौदा तैयार करते समय इस बात को स्पष्टतः मान लिया गया था कि मूल नियम 27 में मूल नियम 22 में दिए गए तरीके से भिन्न तरीके से वेतन की प्रारम्भिक दरें नियत करने का प्रावधान होगा।

(महालेखा परीक्षक, डाक व तार को भेजा गया महालेखा परीक्षक का दिनांक 3 जनवरी, 1924 का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2-ए/408-23)।

(2) "वेतनमान" शब्द उस वेतनमान के अधिकतम को निरूपित करता है जिसे वेतनवृद्धि मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी वेतनवृद्धि निर्धारित करने के लिए स्तर की बजाए इसे ध्यान में रखता है।

[भारत सरकार की स्वीकृति के संबंध में लेखा परीक्षा का पत्र संख्या 145-ए/3-23]।

(3) जब महालेखा परीक्षक भविष्य में अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर करेगा तो वह निश्चित रूप से यह उल्लेख करेगा कि क्या उसका अभिप्राय पूरे वर्ष लाभ दिया जाए या नहीं। जब भी आदेश में इसका उल्लेख न किया गया हो तो लाभ प्राप्त करने वाला दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त करने से पहले नई दर पर पूरे वर्ष तक सेवा करेगा।

[महालेखा परीक्षक का दिनांक 4 अप्रैल, 1930 की पत्र संख्या 730-एन०जी०ई/721-29]।

(4) भारत सरकार से परामर्श करने के पश्चात् महालेखा परीक्षक ने यह अभिनिर्धारित किया कि महालेखा परीक्षक का उपर्युक्त निर्णय (3) उसकी अपनी स्वीकृतियों के बारे में एक प्रशासनिक अनुदेश था और यह भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (1) के अनुसार था और उसके अभिप्राय को व्यक्त करता है।

[महालेखा परीक्षक, मद्रास को भेजा गया नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 22 दिसम्बर, 1952 का पत्र संख्या 1206-ए/373/52]।

(5) उपर्युक्त आदेश सं० (4) के खण्ड (iii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अधिकारियों को समय से पूर्व वेतनवृद्धियां मंजूर करने की छूट नहीं है भले ही वे ऐसा करने के लिए अन्यथा सक्षम हों। किन्तु भारत सरकार के आदेश (5) के शामिल किए जाने से उपर्युक्त स्थिति में इस सीमा तक परिवर्तन आ गया है कि उपर्युक्त खण्ड के भीतर आने वाले मामलों से यदि भारत सरकार के आदेश सं० (5) में दी गई शर्तें पूरी हो जाती हैं तो मूल नियम 27 के अधीन सरकारी कर्मचारी का वेतन नियत करना अनुज्ञेय है। अन्य शब्दों में, ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भारत सरकार के आदेश सं० (5) में दी गई शर्तें पूरी करते हैं उसके उपबन्ध स्वतः ही नियमों के सामान्य वेतन नियतन के रूप में माने जाएंगे।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 20 जनवरी, 1965 का पत्र सं० 51 लेखा परीक्षा 16-65]।

मूल नियम-28. वह प्राधिकारी जो किसी सरकारी सेवक का उच्चतर से निम्नतर श्रेणी या पद पर स्थानान्तरण शास्ति के रूप में किए जाने का आदेश देता है उतना वेतन लेने की अनुज्ञा दे सकेगा जितना वह प्राधिकारी उचित समझे किन्तु जो उस निम्नतर श्रेणी या पद के अधिकतम से अधिक न हो।

परन्तु वह वेतन जिसे लेने के लिए सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन अनुज्ञात किया जाए उस वेतन से अधिक न होगा जिसे वह नियम 26 के, यथास्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के साथ पठित नियम 22 के प्रवर्तन की दशा में लेता।

भारत सरकार के आदेश

ग्रेड या पद अवनति के पश्चात वेतनवृद्धियों का विनियमन:—जब एक बार वेतन मूल नियम 28 में निर्दिष्ट तरीके से निम्न पद पर नियत कर दिया जाता है तो निम्न पद पर

वेतनवृद्धियों का विनियमन सामान्य नियमों के अधीन किया जाएगा जब तक की निम्न पद पर वेतनवृद्धियां रोक न ली गई हों ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 16 अगस्त, 1960 का का०ज्ञा० सं० एफ-2(47)-ई-III/60।]

मूल नियम 29(1) यदि किसी सरकारी सेवक को शास्ति के रूप में उसके वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत कर दिया जाए तो ऐसी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी वह अवधि कथित करेगा जिसके लिए वह प्रभावी रहेगा और प्रत्यावर्तन होने पर अवनति की अवधि भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी या नहीं और यदि ऐसा हो, तो किस स्तर तक ।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को शास्ति के रूप में निम्न सेवा, ग्रेड या पद निम्न वेतनमान पर अवनत कर दिया जाए तो अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी वह अवधि विनिर्दिष्ट करे या नहीं करे जिसके लिए अवनति प्रभावी रहेगी, किन्तु जहां अवधि विनिर्दिष्ट की जाए वहां उक्त प्राधिकारी यह भी कथित करेगा कि प्रत्यावर्तन होने पर अवनति की अवधि भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी या नहीं और यदि हां, किस विस्तार तक ।

भारत सरकार के आदेश

1. **नियम का क्षेत्र** :— इस नियम के उप-नियम (1) में समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति की अवधि के बाद बहाली के मामले आते हैं और उप-नियम (2) निम्न ग्रेड या पद पर अवनति की विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् बहाली के मामलों से सम्बन्धित है । इस नियम के अधीन समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति केवल विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है । अतः ऐसी अवनति का आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अवनति के आदेश में अवधि विनिर्दिष्ट करे । किसी निम्न पद या ग्रेड में अवनति या तो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है जिसे अवनति के आदेश में दर्शाया जाएगा और या फिर किसी अनिर्दिष्ट या अनियमित अवधि के लिए बाद के मामले में, उच्च पद या ग्रेड में पुनर्नियुक्ति हो जाने पर सरकारी कर्मचारी का वेतन सामान्य नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा न कि मूल नियम 29 के अधीन ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 21 फेब्रुअरी, 1957 का का० ज्ञा० सं० एफ 2 (1)-ई. III/57।]

2. **समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति.**— मूल नियम 29 के उप-नियम (1) की ठीक व्याख्या के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किए गए हैं । उन्हें नीचे स्पष्ट किया जाता है :—

(क) किसी सरकारी कर्मचारी की समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित तथ्य दिए जाएंगे :—

(i) तारीख जिससे शास्ति लागू होगी और अवधि (वर्षों और महीनों में) जिसमें शास्ति लागू की जाएगी;

(ii) समय वेतनमान में स्तर (रुपयों में) जिस पर सरकारी कर्मचारी को अवनत किया जाए ; और

(iii) अवधि (वर्षों और महीनों में) यदि कोई हो, जिसमें ऊपर (i) में उल्लिखित अवधि तक भावी वेतनवृद्धि मुल्तवी रहेंगी ।

यह ध्यान में रखा जाए कि किसी समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अनिर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से अवनति अनुज्ञेय नहीं हैं । जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष अवस्था में अवनत कर दिया जाता है तो उसका वेतन अवनति की पूर्व अवधि के लिए उक्त अवस्था में स्थिर रहेगा । (iii) के अधीन निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि किसी भी मामले में (i) के अधीन निर्दिष्ट की गई अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(ख) अवनति की अवधि समाप्त होने पर किसी सरकारी कर्मचारी का कितना वेतन होना चाहिए इसका निर्णय निम्न प्रकार किया जाए :—

(i) यदि अवनति के मूल आदेश में यह निर्धारित है कि अवनति की अवधि भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी नहीं करेगी या इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है तो सरकारी कर्मचारी को वह वेतन लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वह सामान्य क्रम में उस समय ले रहा होता जब उसकी अवनति न हुई होती किंतु यदि अवनति से ठीक पहले उसके द्वारा लिया गया वेतन दक्षता रोध से नीचे था तो उसे मूल नियम 25 के उपबन्धों के सिवाय अन्य स्थिति में दक्षता रोध पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ii) यदि मूल आदेश में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि अवनति की अवधि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी तो सरकारी कर्मचारी का वेतन उपर्युक्त (i) के अनुसार नियत किया जाएगा किन्तु जिस अवधि के लिए वेतनवृद्धियां आस्थगित की गई थी उसकी गणना वेतनवृद्धियों के लिए जारी की जाएगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 17 अगस्त, 1959 और 9 जून, 1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-2(34)-ई-III/59] ।

टिप्पणी :—यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति की शास्ति

अधिरोपित करते समय, दण्ड आदेश का प्रवर्तनशील भाग नीचे दिए गए फार्म में तैयार किया जाए :—

"अतः यह आदेश दिया जाता है कि श्री.......... ....का वेतन दिनांक .... से .... वर्ष/महीने की अवधि के लिए समय वेतनमान में .... अवस्थाओं तक घटाकर .... रु० के स्थान पर .... रु० कर दिया जाए। यह भी निदेश दिया जाता है कि श्री...... ....अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेंगे/नहीं करेंगे और इस अवधि की समाप्ति पर अवनति का उसकी भावी वेतनवृद्धियों के आस्थगन पर प्रभाव पड़ेगा/नहीं पड़ेगा।"

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 का पत्र संख्या 6/8/70 डिस्क I।]

3. **निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान पर अवनति :**—(1) किसी सरकारी कर्मचारी पर निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान में अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए मूल नियम 29 के उप नियम (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित तथ्य दिए जाएं :—

(i) तारीख जिससे शास्ति लागू होगी और जिन मामलों में अवनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तावित है उनमें शास्ति लागू करने की अवधि (वर्षों और महीनों) में यह नोट कर लिया जाए कि अवनति अविनिर्दिष्ट या अनिश्चित अवधि के लिए हो सकती है और जिन मामलों में शास्ति आदेश में कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उसका अर्थ है कि शास्ति अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए है।

(ii) वह अवधि (वर्षों और महीनों में) यदि कोई हो, जिस तक ऊपर (i) में उल्लिखित अवधि विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बहाल होने पर भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी। इस उप धारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि किसी भी मामले में उपर्युक्त उप धारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी।

(2) जब किसी सरकारी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान में अवनत किया जाता है तो निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान में वेतन मूल नियम 28 के अनुसार विनियमित किया जाए।

(3) जहां अवनति की अवधि शास्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती है वहां सम्बन्धित सरकारी सेवक विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वतः ही अपने पुराने पद पर बहाल हो जाएगी।

(4) जिन मामलों में अवनति की अवधि निर्दिष्ट की गई है उनमें उच्च पद/ग्रेड में बहाल होने पर सरकारी कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाना चाहिए इस प्रश्न का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा।:—

(i) यदि अवनति के आदेश में यह निर्धारित है कि अवनति अवधि भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी नहीं करेगी तो सरकारी कर्मचारी को वह वेतन लेने की अनुमति दी जाएगी जो वह सामान्य क्रम में उस समय लेता जब उसकी निम्न पद पर अवनति न हुई होती यदि अवनति से ठीक पूर्व उसके द्वारा लिया गया वेतन दक्षता रोध से नीचे था तो उसे मूल नियम 25 के उपबन्धों के अनुसार होने को छोड़कर अन्य स्थिति में दक्षतारोध पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) यदि आदेश में यह निर्धारित है कि अवनति की अवधि किसी विनिर्दिष्ट अवधि जो निम्न पद/ग्रेड पर अवनति की अवधि से अधिक नहीं होगी के लिए उसकी भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी तो बहाल होने पर सरकारी सेवक का वेतन उपर्युक्त (i) के अनुसार नियत किया जाएगा किन्तु जिस अवधि के लिए वेतनवृद्धियां आस्थगित की जानी है उसकी गणना वेतनवृद्धियों के लिए नहीं की जाएगी।

(5) जिन मामलों में निम्न पद/ग्रेड पर अवनति अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है यदि और जब सरकारी कर्मचारी को सामान्य क्रम में उच्च पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उच्च पद पर उसका वेतन नियतन वेतन सम्बन्धी सामान्य नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 16 अगस्त 1960 का का०ज्ञा० संख्या एफ-2(47)-ई० III/60 और दिनांक 17 मई, 1961 का का०ज्ञा०सं० एफ-2 (18)-ई० III/61]।

महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश

(1) **बीच में पड़ने वाली वेतनवृद्धियां लेना :**—मूल नियम 29(1) की सामान्य धारणा निसन्देह यह है कि अवनति की अवधि के दौरान कोई भी वेतनवृद्धि लेने की अनुमति नहीं दी जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अवनति आदेश का एक विशेष फार्म निर्धारित किया गया है। [देखें भारत सरकार के आदेश (2) के नीचे की टिप्पणी] किन्तु जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने विशेष रूप से यह आदेश दिया हो कि अधिकारी का वेतन इतने वर्षों के लिए इतनी अवस्थाओं तक घटाया जाए और इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया कि अधिकारी का वेतन किस विशेष स्तर तक घटाया जाए, उन मामलों में यह निर्णय किया गया है कि अधिकारी को अवनति की अवधि के दौरान देय तारीख पर वेतनवृद्धियां लेने की अनुमति दी

जानी चाहिए बशर्ते कि समय समय पर घटाया गया वेतन दण्ड के आदेश में निर्धारित अवस्थाओं की संख्या से उतनी ही कम होगी जितनी उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब ऐसी कटौती का दण्ड संचयी प्रदाय से न लगाया जाता। अतः वेतनवृद्धियां ली जाए या न ली जाए, यह आदेश में प्रयुक्त भाषा पर निर्भर करता है।

उदाहरण:—यदि रु० 110–4–150–5–175–द० रो०–7–240 के वेतनमान में 150 रु० वेतन लेने वाले डाक-घर के क्लर्क की 1-6-64 को दो वर्ष के लिए दो अवस्थाओं तक अवनति कर दी जाती है तो वह 1-1-65 को 146 रु० और 1-1-66 को 150 रु० लेने का हकदार होगा। दूसरी ओर, यदि उसकी अवनति दो वर्ष के लिए 142 रु० के स्तर पर कर दी जाती है तो उसे 1-1-1965 को 146 रु० देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 15 जून, 1964 का पत्र संख्या 6-69-61-डिस्क]

(2) **प्रथम शास्ति के सक्रिय रहने के दौरान लगाई गई दूसरी शास्ति का कार्यान्वयन:**—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि सरकारी कर्मचारी पर लगाई गई शास्तियां उस समय कैसे कार्यान्वित की जाए जब पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के प्रति उसे दिया गया दण्ड पहले से ही सक्रिय हो। दूसरे शब्दों में जब सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाई गई पहली शास्ति छोटी है और पहली शास्ति के सक्रिय रहने की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध दूसरी बड़ी शास्ति लगाई जाती है तो सामान्य क्रिया विधि यह होनी चाहिए कि जब पूर्ववर्ती शास्ति के सक्रिय रहने के दौरान कोई अनुशासनिक मामला प्रकट होता है तो अनुशासनिक अधिकारी दण्ड आदेश में स्पष्टतः यह निर्दिष्ट करेगा कि क्या दोनों शास्तियां साथ-साथ चलेंगी या बाद की शास्ति पहली शास्ति की समाप्ति के बाद ही कार्यान्वित करनी चाहिए। यह निर्णय किया गया है कि परन्तु, जहां कहीं ऐसा विशेष उल्लेख नहीं किया गया है वहीं दोनों दण्ड साथ-साथ चलेंगे और बड़ी शास्ति आदेश चाहे बाद में हुए हों, तब भी वह तत्काल कार्यान्वित की जाएगी और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद यदि पूर्ववर्ती दण्ड अर्थात् छोटे दण्ड की अवधि की सक्रियता अब भी चालू रहती है तो यह शेष अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस विषय में एक उदाहरण से मामला स्पष्ट हो जाएगा।

मान लीजिए किसी अधिकारी को दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के आदेश द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1978 से चार वर्ष की अवधि के लिए 425-640 रु० के वेतनमान में 425 रु० की न्यूनतम अवस्था पर पदावनत करने का दण्ड दिया गया था। उसके विरुद्ध दूसरा दण्ड आदेश 28 जून, 1978 को जारी किया गया था जिसमें 1 जुलाई, 1978 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एल०एस० जी वेतनमान (425-640 रु०) से समय वेतनमान (260-480) रु० में 376 रु० की अवस्था में पदावनति की शास्ति दी गई थी इस मामले में, यह देखा जाएगा कि पहली शास्ति 1-1-78 से 31-12-1981 तक लागू है और दूसरी शास्ति (दोनों में से बड़ी) 1-7-1978 से 30-6-1981 तक लागू है। पहले दण्ड के लागू रहने की अवधि के दौरान बड़ी शास्ति के लगाए जाने से दूसरा दण्ड अर्थात् दोनों में से बड़ी शास्ति 1-7-1978 से प्रभावी हो जाएगी और 30-6-1981 को समाप्त होगी। शेष अवधि अर्थात् 1-7-1981 से 31-12-1981 तक के लिए पहली शास्ति, जो साथ-साथ चलती हुई मानी गई है—लागू की जाएगी।

[महानिदेशक, डाक व तार का दिनांक 30 जुलाई, 1981 का पत्र सं० 154/5/78-डिस्क-11]

प्रशासनिक अनुदेश

किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद या किसी निम्न समय वेतनमान में अवनति के आदेश के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ सन्देह उठाए गए हैं और यह भी पता चला है कि ऐसी अवनति का परिणाम निर्धारित करने में कोई एकरुपता नहीं बरती गई है। जब ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तब प्रायः विचार करने के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं अर्थात्—

(i) इस प्रकार दण्डित किए गए सरकारी कर्मचारी को पुनः पदोन्नति के लिए पात्र कब समझा जाए।

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति होने पर उसकी वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की जाए।

2. किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद या किसी निम्न समय वेतनमान में अवनति की शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश में अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। जब आदेश में अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है और इसके साथ ऐसा आदेश जुड़ा हुआ हो जिसमें सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो तो पुनः पदोन्नति का प्रश्न स्पष्टतः नहीं उठेगा। अन्य मामलों में जहां अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई वहां सरकारी कर्मचारी को अनिश्चित अवधि तक पदावनत माना जाना चाहिए अर्थात् उस तारीख तक जब तक पदावनति के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारी अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर पदोन्नति के योग्य नहीं समझा जाता। पुनः पदोन्नति होने पर ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता पुनः पदोन्नति की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, सम्बन्धित व्यक्ति उच्च सेवा, ग्रेड या पद में अपनी मूल वरिष्ठता पूर्वतः खो देता है। पुनः पदोन्नति होने पर, ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता उसकी पुनः पदोन्नति की तारीख से निर्धारित की जाएगी और उसकी पदावनति से पहले ऐसी सेवा, ग्रेड या पद में उसके द्वारा की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

3. पदावनति की अवधि निर्दिष्ट करने का तरीका अधिक सामान्य तरीका है और उन मामलों को छोड़कर

जिनमें सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति से स्थायी रूप में वंचित करने का इरादा हो, यह तरीका बेहतर है।

तदनुसार विधि और वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में, किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान में अवनति की शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश में निम्नलिखित तथ्य निश्चित रूप से निर्दिष्ट किए जाएं :--

(i) पदावनति की अवधि, यदि स्पष्टत: यह अभिप्राय हो कि पदावनति स्थायी या अनिश्चित कालीन अवधि के लिए की जाए तो, अवनति की अवधि ;

(ii) क्या ऐसी पुन: पदोन्नति होने पर सरकारी कर्मचारी उच्च सेवा, ग्रेड या पद या उच्च समय वेतनमान में अपनी उस मूल वरिष्ठता को पुन: प्राप्त कर लेगा जो शास्ति अधिरोपित करने से पहले उसके मामले में निर्धारित की गई हो।

जिन मामलों में अवनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की गई है और वह भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी नहीं करती हो तो सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि दण्डात्मक आदेश में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उच्च सेवा ग्रेड या पद या उच्च समय वेतनमान में उसी प्रकार नियत की जाएगी जिस प्रकार पदावनति न होने पर नियत होती।

जब पदावनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की गई है और भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करती है तो पुन: पदोन्नति होने पर सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि दण्डात्मक आदेश में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उसके द्वारा उच्च सेवा, ग्रेड या पद या उच्च समय वेतनमान में की गई सेवा की अवधि का श्रेय देकर नियत की जाए :

4. यदि अवनति का आदेश अनिश्चित अवधि के लिए है तो आदेश निम्नानुसार तैयार किया जाए।

"ए को एक्स के निम्न पद/ग्रेड/सेवा में तब तक अवनत किया जाता है जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे वाई के उच्च पद/ग्रेड/सेवा में बहाल करने के लिए उपयुक्तनहीं पाया जाता।"

जिन मामलों में यह अभिप्राय हो कि पुन: पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता और उसकी मूल हैसियत में बहाली पर केवल विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ही विचार किया जाएगा तो आदेश निम्नलिखित रूप में तैयार किया जाए :--

"ए को एक्स के निम्न पद/ग्रेड/सेवा में तब तक अवनत किया जाता है जब तक वह अपने आदेश की तारीख से--
-------------वर्ष की अवधि के बाद वाई की उच्च सेवा में बहाल किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्तूबर, 1962 का का०ज्ञा० संख्या 9/13/62-स्था० (घ) और दिनांक 7 फरवरी 1964 का का० ज्ञा० संख्या 9/30/63-स्था० (घ)]

मूल नियम-29क :--जहां सरकारी सेवक की वेतन-वृद्धि रोकने की या निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद या निम्नतर वेतनमान, या वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर उसकी अवनितिकी शास्ति का आदेश, अपील या पुर्नविलोकन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाए वहां सरकारी सेवक का वेतन, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा :--

(क) यदि उक्त आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो उस अवधि के लिए जिसमें कि ऐसा आदेश प्रकृत रहा है उसे उस वेतन के, जिसे वह लेने का हकदार होता यदि यह आदेश न किया गया होता, और उस वेतन के, जो कि, उसने वस्तुत: लिया था बीच के अन्तर के बराबर राशि दी जाएगी,

(ख) यदि उक्त आदेश उपान्तरित कर दिया जाता है तो वेतन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा मानों यथा उपान्तरित आदेश पहले ही किया गया था।

स्पष्टीकरण :--यदि सक्षम प्राधिकारी के इस नियम के अधीन आदेश जारी होने के पूर्व की किसी अवधि के बारे में सरकारी सेवक द्वारा लिया गया वेतन पुनरीक्षित किया जाए तो छुट्टी वेतन तथा भत्ते (यात्रा भत्ते से भिन्न) यदि कोई हो जो उसे उस अवधि के दौरान अनुज्ञेय हों, पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित किए जाएंगे।

भारत सरकार के आदेश

1. **वेतनवृद्धियों के लिए सेवा की गणना :**--यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के उप नियम (क) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, सरकारी कर्मचारी द्वारा निम्न सेवा, ग्रेड के या निम्न समय वेतनमान में या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समय वेतनमान की निम्नतर अवस्था पर या वेतनवृद्धि रोक दिए जाने की अवस्था पर ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने की तारीख से सक्षम अपील प्राधिकारी या पुर्नविलोकन प्राधिकारी द्वारा शास्ति का आदेश अपास्त किए जाने की तारीख तक की गई सेवा की गणना उस पद की वेतनवृद्धि के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए की जाएगी जिस पर वह शास्ति अधिरोपित किए जाने से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था बशर्ते कि यदि दण्ड का आदेश न दिया जाता तो वह उक्त पद पर कार्य करता रहता है।

इस नियम के उप-नियम (ख) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित किए जाने की तारीख से अपील या पुर्नविलोकन द्वारा आदेश संशोधित किए जाने की तारीख तक ऐसी सेवा की गणना उस पद की वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए की जाएगी जिस पर वह शास्ति अधिरोपित किए जाने से ठीक पूर्व कार्य कर रहा था या अन्य किसी ऐसे पद में की जाएगी जिस पर यदि वह दण्ड का

आदेश न दिया जाता तो वह कार्य करता रहता और ऐसी गणना उसी सीमा तक की जाएगी जिस सीमा तक संशोधित आदेश में ऐसी गणना करने की अनुमति दी गई है।

उदाहरण के लिए, यदि वरिष्ठ वेतनमान (700-1250 रु०) के समूह 'क' सेवा का कोई प्राधिकारी समूह 'ख' सेवा (350-900 रु०) में दो वर्ष की अवधि के लिए पदावनत किया जाता है और यदि छः महीने के पश्चात अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश को संशोधित करके समूह 'क' वेतनमान के कनिष्ठ वेतनमान (400-950रु०) में पदावनति कर दी जाती है तो छः महीने की अवधि की गणना कनिष्ठ वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी।

इसके विपरित यदि शास्ति का आदेश संशोधित करके समय वेतनमान (700-1250रु०) में किसी नीचे स्तर पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति की जाती है या उक्त वेतनमान में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी जाती है तो जो अवधि मूल शास्ति अधिरोपित करने की तारीख के बाद गुजर चुकी है उसको संशोधित आदेश के अधीन शास्ति की विनिर्दिष्ट अवधि को गणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 9 मार्च, 1962 का का०ज्ञा० सं० एफ-2(1) स्था०-III 60)

प्रशासनिक अनुदेश

किसी सरकारी कर्मचारी की निम्न सेवा, ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनमान में अवनति के कारण रिक्त हुआ स्थायी पद अवनति की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने तक अधिष्ठायी रूप से नहीं भरा जाए।

यदि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्थायी पद पर भर दिया गया हो और उस पद का मूल पदधारी उसके बाद बहाल किया जाता है तो उसे उस ग्रेड के किसी रिक्त स्थायी पद पर रखा जाएगा जिस ग्रेड का उसका पूर्व स्थायी पद था।

यदि ऐसा कोई पद खाली नहीं है तो उसे ऐसे अधिसंख्य पद पर रखा जाएगा जिसका सृजन इस ग्रेड में उचित स्वीकृति लेकर और इस अनुबन्ध पर किया जाएगा कि उक्त ग्रेड में प्रथम स्थायी पद रिक्त होते ही वह पद समाप्त कर दिया जाएगा।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 9 मार्च, 1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-2(1)-स्था०III/60)

अनुसूची

(1) जिला तथा सेशन न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी
(2) महालेखाकार श्रेणी-I
(3) 3,000 रु० के वेतन वाले सीमा शुल्क समाहर्ता के चयन पद
(4) तार विभाग में निम्नलिखित ग्रेड—
  (क) उप-सहायक इंजिनियर, ग्रेड-क
  (ख) उप-सहायक विद्युततंत्री (इलैक्ट्रिशियन), ग्रेड-क
(5) भारत सरकार के सचिवालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर्ग ख के पद, जब वे उस सेवा के श्रेणी-2 के अधिकारियों द्वारा धारित हों।
[1](6) केन्द्रीय सूचना सेवा में :—
(क) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 की अनुसूची- V में उल्लिखित प्रवर्ग के पद जब वे उस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनमान) के अधिकारियों द्वारा धारित हों;
(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 की अनुसूची II और III में उल्लिखित प्रवर्ग के पद जब वे उस सेवा के ग्रेड-II के अधिकारियों द्वारा धारित हों।
[2](7) श्रम प्राधिकारियों की चयन ग्रेड
[3](8) डाक व तार विभाग में एच० एस० जी० । पोस्ट मास्टर के पद जब वे डाक घरों के सहायक अधीक्षक द्वारा धारित हों।

मूल नियम 31-क—इन नियमों के उपबन्धों के होते हुए भी, उस सरकारी सेवक के वेतन का विनियमन, जिसकी किसी पद पर प्रोन्नति या, नियुक्ति के संबंध में यह पाया जाए कि वह गलत है या गलत हुई है, राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भारत सरकार के आदेश

1. स्थायीकरण के रद्द किए जाने पर वेतन का पुनः-निर्धारण :—(1) यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक का वेतन तथा वेतनवृद्धियां, जिसकी किसी पद पर स्थायी रूप में अथवा स्थानापन्न रूप में की गई पदोन्नति अथवा नियुक्ति बाद में तथ्यों के आधार पर गलत पाई जाती है, निम्नलिखित उपबंधों द्वारा शासित होंगी।

(2) जैसे ही नियुक्ति प्राधिकारी को यह पता चले कि ऐसी पदोन्नति या नियुक्ति किसी वास्तविक गलती के फलस्वरूप हुई है, उसी समय सरकारी सेवक की पदोन्नति अथवा नियुक्ति के आदेश या अधिसूचना को रद्द कर दिया जाना चाहिए और संबंधित सरकारी सेवक को ऐसे रद्द-करण के तत्काल बाद ही उस स्थिति में ला दिया जाएगा जिस पर कि वह ऐसे पदोन्नति या नियुक्ति के गलत आदेश न निकलने पर बना रहता।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 1/10/89—वेतन I दिनांक दिनांक 30/8/89 द्वारा विलोपित।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 20 फरवरी, 1965 की अधि० सं० 1 (1)-ई० III (क) /65 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 26 अप्रैल, 1968 की अधि० सं० 1(6)-ई० III (क)/68 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 5 अप्रैल, 1976 की अधि० सं० एफ-19 (16)-ई० III (क)/75 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया

फिर भी ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसे गलती से किसी पद पर स्थायी रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया हो, उसके उस पद पर स्थायीकरण को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32/5/54-स्था० (क), दिनांक 24 नवम्बर, 1954 (मुद्रित नहीं) का स्थान लेने वाले दिनांक 21 मार्च, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/2/67-स्था० (घ) (नीचे उद्धृत) में निर्धारित पद्धति अपनायी जानी चाहिए और केवल उसके बाद ही संबंधित सरकारी सेवक को नीचे के उस पद पर जिस पर की वह गलत पदोन्नति/नियुक्ति के आदेश जारी न होने पर बना रहता लाया जाना चाहिए। संबंधित सरकारी कर्मचारी की उस पद पर की गई सेवा को जिस पर की उसे गलती के कारण गलत पदोन्नत/नियुक्त किया गया था, उस ग्रेड/पद में जिस पर की उसकी गलत पदोन्नति/नियुक्ति हुई थी, में वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसका की वह सामान्यतः हकदार नहीं होता, नहीं गिनी जानी चाहिए।

(3) किसी सरकारी सेवक विशेष की गलत पदोन्नति अथवा नियुक्ति के आधार पर की गई किन्हीं अन्य सरकारी सेवकों की अनुवर्ती पदोन्नति अथवा नियुक्ति को भी गलत माना जाएगा और वे मामले भी पिछले पैराग्राफ में दिए अनुसार, विनियमित होंगे।

(4) ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें कि नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हों, बाकी सभी मामलों में इस बात का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के प्राधिकारी द्वारा पदोन्नतियों/नियुक्तियों को शासित करने वाले स्थापित नियमों के अनुसार, किया जाना चाहिए कि किसी पद विशेष पर सरकारी सेवक की पदोन्नति/नियुक्ति गलत हुई थी अथवा नहीं। जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हों वहां इसका निर्णय उन पर छोड़ा जाएगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा। गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित सेवा में की गई पदोन्नतियों/नियुक्तियों के बारे में, गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में भी, जहां की संदेह हो, गृह मंत्रालय से परामर्श लिया जा सकता है।

(5) स्थायी/स्थानापन्न रूप में गलत पदोन्नति/नियुक्ति के मामलों को सख्ती से लिया जाना चाहिए और ऐसी गलत पदोन्नति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। वेतन पुनःनिर्धारण के आदेश स्पष्ट रूप से मूल नियम 31-क के अधीन जारी किए जाने चाहिए तथा उसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1 (2) स्था० III/59, दिनांक 14 मार्च, 1963।]

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/2/67 स्था० (घ), दिनांक 21 मार्च 1968 के उद्धरण।

विषय :—सरकारी सेवकों के गलत स्थायीकरण को रद्द करने की पद्धति।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 24 नवम्बर, 1954 के कार्यालय ज्ञापन सं० 32/5/54-स्था० (क) में उल्लिखित अनुदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि सरकारी सेवकों के स्थायीकरण के आदेशों को जो कि बाद में गलत पाए जाते हैं, रद्द करते समय निम्नलिखित पद्धति अपनायी जानी चाहिए :—

(1) यदि कोई स्थायीकरण का आदेश स्पष्ट रूप से सांविधिक नियमों के विरुद्ध था और इन नियमों के शिथिल करने के लिए किसी शक्ति अथवा विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो ऐसे स्थायीकरण को रद्द किया जा सकता है।

(2) यदि स्थायीकरण का आदेश उस समय किया गया हो जब कोई स्थायी रिक्ति न हो और स्थायी करने वाले प्राधिकारी को स्थायी किया गया था सृजित करने की शक्ति न हो।

(3) यदि स्थायीकरण का आदेश ऐसी गलती से, जैसे कि पहचान में गलती के कारण गलत व्यक्ति के नाम, किया गया था।

ऊपर उल्लिखित मामलों में स्थायीकरण के आदेश आदित अमान्य हैं और अधिकारी को ऐसे पद में, जिसमें कि उसे स्थायी करने के आशय के आदेश किए गए थे, बने रहने का कोई अधिकारी नहीं है। अतः स्थायीकरण के ऐसे आदेश के रद्द किए जाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 311(2) के उपबंधों को लागू नहीं किया जाएगा और कारण बताओ नोटिस की पद्धति का अपनाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) यदि स्थायीकरण का आदेश कार्यकारी अथवा प्रशासनिक अनुदेशों के विरुद्ध किया गया था तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता ऐसे मामले में स्थायीकरण के रद्द किए जाने का अर्थ संबंधित अधिकारी का बिना किसी कसूर के उसके रैंक में कमी करना होगा।

2. वरिष्ठ अधिकारियों को समायोजित करने के लिए स्थायी पद का, भूतलक्षी प्रभाव से, सृजन किया जाना :— (1) एक प्रश्न उठाया गया कि ऐसे अधिकारी के मामले को किस प्रकार निपटाया जाना चाहिए जहां उससे कनिष्ठ अधिकारी के बारे में कार्यकारी अथवा प्रशासनिक अनुदेशों के उल्लंघन में गलती से निकाले गए स्थायीकरण के आदेश के फलस्वरूप उसे न्याय संगत स्थायीकरण से वंचित रखा गया हो। इस मामले में वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय से परामर्श कर लिया गया है और यह निर्णय किया गया

है कि ऐसे मामलों में अर्थात् उन मामलों में जहां किन्हीं कनिष्ठ व्यक्तियों को कार्यकारी अथवा प्रशासनिक अनुदेशों के विरुद्ध गलती से स्थायी कर दिया गया हो और जिनके स्थायीकरण को निरस्त न किया जा सकता हो (उपर्युक्त आदेश के नीचे दिए गए पत्र के उद्धरण के पैरा 2 के द्वारा) वहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् जिस तारीख से कनिष्ठ को गलती से स्थायी किया गया था अपने संबद्ध वित्त के परामर्श से वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 11 के नीचे भारत सरकार के निर्णय संख्या (5) में उल्लिखित आदेशों के अनुसार स्थायी पद का सृजन कर सकता है। ऐसे स्थायी पद के सृजित किए जाने के बाद, ऊपर उल्लिखित वरिष्ठ अधिकारी को, यदि वह अन्यथा स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे सृजित पद के विरुद्ध इसके सृजन की तारीख से, स्थायी किया जा सकता है।

(2) यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी को उससे वरिष्ठ अधिकारी की स्थायीकरण की तारीख से पहले की तारीख से गलती से स्थायी कर दिया गया हो तो वरिष्ठ अधिकारी के स्थायीकरण को पूर्वदिनांकित करने के प्रयोजन से पिछले पैराग्राफ में दी गई पद्धति के अनुसार एक स्थायी पद का सृजन किया जा सकता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/3/69-स्था०(घ) दिनांक 18 जुलाई, 1970।]

मूल नियम 32—विलोपित।

मूल नियम 33—जब सरकारी सेवक किसी ऐसे पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करे जिसका वेतन किसी अन्य सरकारी सेवक के लिए वैयक्तिक दर पर नियत किया गया है, तो केन्द्रीय सरकार उसे ऐसे नियत की गई दर से अनाधिक किसी भी दर से वेतन लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी या, यदि इस प्रकार नियत की गई दर कोई वेतनमान हो तो उसे उतना प्रारंभिक वेतन, जो स्वीकृत वेतनमान से अधिक न हो, दे सकेगी।

मूल नियम 34—विलोपित।

मूल नियम 35—**केन्द्रीय सरकार स्थानापन्न सरकारी सेवक के वेतन को इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से कम रकम पर नियत कर सकेगी।**

भारत सरकार के आदेश

1. **मूल नियम 35 की परिधि :**—ऐसे मामले में जहां मूल नियम 35 के अन्तर्गत सरकारी सेवकों के स्थानापन्न वेतन की वृद्धि को उच्चतर पद के न्यूनतम वेतन की कतिपय प्रतिशतता तक के बराबर प्रतिबंधित करने के बारे में सामान्य प्रकृति के आदेश जारी करने का प्रस्ताव था, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानापन्न वेतन की दर को मूल रूप से विनियमित करने वाले नियम विशेषकर मूल नियम 31 के साथ पठित इस नियम में स्पष्ट है कि मूल नियम 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सिवाय इसके कि जहां किसी वैयक्तिक मामलों में उस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद विशेष आदेश पारित किए गए हों, नहीं किया जा सकता। मूल नियम 31 के सर्वत्र लागूकरण को अलग रखने वाले सामान्य आदेश का अथ मूल नियम 35 का अधिकारातीत होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यद्यपि प्रत्येक वैयक्तिक मामले में प्रकट रूप से विशेष आदेश जारी करने की प्रथा मूल नियम 35 के अधिकारातीत ही नहीं होगी, बल्कि यह कुल मिलाकर उसकी धोखाधड़ी मानी जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या एफ० 9(5)-आर 1/33, दिनांक 28 मार्च, 1933।]

2. **प्रतिनियुक्ति पर आरंभिक वेतन नियतन पर रोक हटा दी गई:**—प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन अथवा मूल संवर्ग में अपने वेतन जमा वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, लेने का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन किसी भी दशा में संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं होगा। (मूल नियम 22-ग के नीचे आदेश संख्या 11(क) देखें।)

[भारत सरकार, का०तथा प्रशि० विभाग का दिनांक 29-4-88 का का० ज्ञा० संख्या 2/12/87 स्था० (वेतन II) द्वारा प्रतिस्थापित।]

3. **नियमित संवर्ग पदोन्नति के मामलों में स्थानापन्न वेतन पर कोई प्रतिबंध नहीं:**—विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत मूल नियम 35 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्तियों के संबंध में ही लागू होते हैं। हाल ही में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या मूल नियम 35 के उक्त उपबंध संवर्ग के भीतर पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगे।

इस मामले पर विचार कर लिया गया है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसी नियमित संवर्ग पदोन्नति के बारे में मूल नियम 35 के अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन का प्रतिबंध लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां कर्मचारी विचारण के क्षेत्र में पड़ने वाली पदोन्नतियों के लिए पात्र हो जाता है और पदोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करता है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 5 अगस्त, 1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1/23/80-स्था० (वेतन-1) ।]

4. **संवर्ग पदोन्नति नियमित आधार पर न होने वाले मामलों में मूल नियम 35 के अधीन स्थानापन्न वेतन के प्रतिबंध :**—(1) उपर्युक्त आदेश (3) में यह निर्णय किया गया था कि नियमित संवर्ग पदोन्नति के बारे में मूल नियम 35 के अधीन स्थानापन्न वेतन के प्रतिबंध लागू नहीं किए जाने चाहिए जहां कर्मचारी विचारण के क्षेत्र में पड़ने वाली पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है और पदोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करता है।

(2) यह निर्णय किया गया है कि संवर्ग के भीतर सामान्य श्रेणी में पदोन्नति पर जो नियुक्ति नियमित आधार पर नहीं की जाती ऐसे मामलों में वेतन मूल नियम 35 के अधीन प्रतिबंधित किया जाए ताकि वह मूल वेतन से नीचे दर्शायी गई रकम से अधिक न हो :—

पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में आहरित वेतन तक लागू दरें

(क) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका मूल वेतन 750 रुपये से अधिक है ।	मूल वेतन का 25% अथवा 225 रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो ।
(ख) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका मूल वेतन 300 रुपए से ऊपर 750 रुपए तक हो ।	मूल वेतन का 30% अथवा 100 रुपये इनमें से जो अधिक हो ।
(ग) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका मूल वेतन 300 रुपये और इससे कम हो ।	मूल वेतन का 33⅓%

*पुनरीक्षित वेतनमान में आहरित वेतन की तारीख से लागू दरें

(क) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका वेतन 2,200 रुपए से अधिक हों ।	मूल वेतन का 12½% या 330 रुपए जो भी अधिक हों ।
(ख) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका मूल वेतन 1,000 रु० से और और 2,200 रु० तक हो ।	मूल वेतन का 15% या 200 रुपए, जो भी अधिक हो ।
(ग) ऐसे कर्मचारियों के बारे में जिनका मूल वेतन 1,000 रुपए और इससे कम हो ।	मूल वेतन का 20%

(3) यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां उपर्युक्त रीति से वेतन न्यूनतम से अधिक या पदोन्नति विषयक पदों के न्यूनतम पर बैठता है, संबंधित कर्मचारी को वेतनमान का निम्नतम वेतन दिया जाएगा ।

*[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 18 जुलाई, 1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/12/85-स्था० (वेतन-1)———कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/26/86-स्था० (वेतन-1), दिनांक 29-7-87 द्वारा संशोधित दरें] ।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) इस नियम के अन्तर्गत आने वाली एक श्रेणी ऐसी भी है जिनमें सरकारी कर्मचारी मात्र वर्तमान कार्य ही करता है और वह संबंधित पद का पूरा कार्य नहीं करता ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (नियम पुस्तक) (पुनःमुद्रित) का खण्ड 1 अध्याय-iv पैरा 12 (i)]

(2) मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की मद संख्या (6) देखें ।

मूल नियम 36 :—केन्द्रीय सरकार उन सरकारी सेवकों के स्थान में, जिन्हें नियम 9(6) (ख) के अधीन कर्तव्य पर माना जाए, स्थानापन्न प्रोन्नतियां अनुज्ञात करने वाले साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी ।

भारत सरकार के आदेश

1. भारत सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, उसके कार्यालय अथवा उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अराजपत्रित सरकारी सेवकों को, किसी कार्यालय में चाहे वे लेखा परीक्षा विभाग के भीतर आता हो या उसके बाहर में प्रशिक्षण अथवा शिक्षण के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर रखी हैं । ऐसे सरकारी सेवकों के स्थान पर जिन्हें इन आदेशों के अधीन किसी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, स्थानापन्न रूप से व्यवस्था करने की मंजूरी देने का अधिकार भी उन्हें मूल नियम 36 के अन्तर्गत प्राप्त है ।

[भारत सरकार वि०वि० संख्या 3379-एफ०ई० दिनांक 29 नवम्बर, 1924)]।

2. परिमंडल अध्यक्ष और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें अनु० वि० 2(10) के अधीन विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हो वे मूल नियम 36 के अन्तर्गत उनके द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारियों के स्थान पर, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया हो और मूल नियम 9(6) (ख) (i) के अधीन ड्यूटी पर माना गया हो, कार्यकारी पदोन्नतियों की मंजूरी देने के लिए प्राधिकृत है ।

[महा निदेशक-डाक-तार, का पत्र संख्या 99/5/59-एस०पी०बी० दिनांक 30 मार्च, 1959 और पत्र संख्या 99/1/60-एस०पी०बी०, दिनांक 12 अप्रैल, 1960] ।

टिप्पणी :—यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में "कार्यकारी प्रोन्नतियों" की अभिव्यक्ति ऐसी "कार्यकारी व्यवस्थाओं" जिनमें कि मूल नियम 9(6) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी माने जाने वाले अधिकारियों के स्थान पर बाहरी व्यक्तियों में से एवजी की नियुक्ति करना भी शामिल है, को भी व्यक्त करती है ।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय पृष्ठांकन संख्या एस०टी०बी० 345-41/52/टी०ई०—महानिदेशक, डाक व तार के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 28 जुलाई, 1953 पर ।]

3. सेना में भारतीय आरक्षित अधिकारियों तथा भारतीय प्रादेशिक बल में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले ऐसे अधिकारियों के स्थान पर जिन्हें सिविल छुट्टी के लिए और सिविल वेतन में वेतनवृद्धियों के लिए, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाए, कार्यकारी पदोन्नतियां की जा सकती हैं ।

[भारत सरकार वि० वि० ज्ञापन संख्या एफ० 60-आर० I/28, दिनांक 30 अप्रैल, 1928 और भारत सरकार वि०वि० संख्या एफ-III आर० 1/30, दिनांक 16 अगस्त, 1930 ।]

4. एक संदेह उठा है कि क्या ऐसे मामलों में जहां ऐसी कार्यकारी पदोन्नतियां की जाती हैं, किसी ऐसे सरकारी

कर्मचारी को, जिसे भारत में उस शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भेजा गया है जिसे मूल नियम 9(6)(ख)(i) के अधीन ड्यूटी पर माना जाता है, को वेतन मंजूर करने के लिए किसी पद का विधिवत सृजन किया जाना आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि भारत में प्रशिक्षण अथवा किसी शिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजे गए किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में उसे ऐसे प्रशिक्षण अथवा शिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान समायोजित करने के उद्देश्य से एक नए पद के सृजन किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे प्रशिक्षण आदि के लिए तैनात करने वाले आदेश को ही इस संबंध में मंजूरी मान लिया जाएगा।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (22) ई० III (ए)/64, दिनांक 17 जून, 1964।]

मूल नियम 37. वैयक्तिक वेतन:—सिवाय तब के जब कि वैयक्तिक वेतन मंजूर करने वाले प्राधिकारी अन्यथा आदेश दे, वैयक्तिक वेतन में से उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी कि प्राप्तकर्ता के वेतन में बढ़ाई गई हो और जैसे ही उसके वेतन में उसके वैयक्तिक वेतन के बराबर रकम बढ़ जाए, वैयक्तिक वेतन बन्द हो जाएगा।

[भारत सरकार के आदेश मूल नियम 9 (23) के नीचे देखें]

[1]**मूल नियम 38 :—विलोपित।**

मूल नियम 39 : अस्थायी पदों का वेतन :—जब कोई ऐसा अस्थायी पद सृजित पद किया जाए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना है।

जो पहले से सरकारी सेवा में न हो तो उस पद का वेतन उस न्यूनतम के प्रति निर्देश से नियत किया जाएगा जो उस पद के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के समर्थ व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

मूल नियम 40. जब कोई ऐसा अस्थायी पद सृष्ट किया जाए जो अधिसंभाव्यता ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जो पहले ही सरकारी सेवक है, तो उसका वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित बातों का सम्यक ध्यान रखते हुये निर्णय, लिया जाना चाहिए :—

(क) किए जाने वाले कामों का स्वरुप और उत्तरदायित्व तथा

(ख) उस प्रास्थिती के सरकारी सेवकों का वर्तमान वेतन जो उस पद के लिए उनके चयन के लिए समुचित आधार होने के लिए पर्याप्त हो।

भारत सरकार के आदेश

1. पालन किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त:—(1) मूल नियम 40 के उपबन्धों पर पूरा ध्यान दिए बिना, सामान्य लाइन से बाहर सृजित किए गए सभी अस्थायी पदों के लिए बढ़े हुए वेतन की मंजूरी देने की प्रवृत्ति में क्रमशः वृद्धि हुई है। तदनुसार यह आदेश दिए गए हैं कि ऐसे पदों के वेतन को निर्धारित करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए :—

(i) "विशेष ड्यूटी" या "प्रतिनियुक्ति पर" किसी सरकारी कर्मचारी के अस्थायी पद का वेतन उसके उस वेतन पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो कि उसे वर्तमान स्थिति पर न होने की हालत में अपनी नियमित लाइन में समय-समय पर मिलता।

टिप्पणी :—यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी अपनी "विशेष ड्यूटी" या "प्रतिनियुक्ति" के आरम्भ होने के समय पर जो वेतन ले रहा था उससे उच्च वेतन वाले पद पर अन्यथा रूप से बहुत ही जल्दी पहुंच गया होता और वह अपने अस्थायी पद के चालू रहने तक की अवधि के लिए उस पद पर बना रहता, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी अवधि के लिए उसका एक समान वेतन निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) ऐसे मामलों में बढ़े हुए वेतन को मंजूर करने की एकमात्र कसौटी सरकारी कर्मचारी द्वारा नियमित लाइन के पद की ड्यूटी के मुकाबले में निर्धारित बढ़ी हुई जिम्मेदारी और कार्य का प्रमाण ही है। जहां जिम्मेदारियों की तुलनात्मक जांच व्यवहारिक न हो वहां मूल नियम 40 का पालन किया जाए।

(iii) ऐसे बढ़े हुए कार्य और जिम्मेदारियों के कारण मंजूर की जाने वाली किसी पारिश्रमिक की राशि, वित्त विभाग की विशेष मंजूरी के बिना, मूल वेतन के पांचवें हिस्से से अथवा एक दिन के 10 रु० से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्त किए जाने वाले सरकारी सेवकों को वेतन में कोई वृद्धि नहीं दी जानी चाहिए जिनके कार्य और जिम्मेदारियां बहुत हद तक उस पद के समान हों, जिन पर कि वे अन्यथा कार्य करते रहते, चाहे ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां जिनमें उन्हें कार्य-निष्पादन करना न्यायसंगत है। प्रतिपूरक भत्ते के लिए उचित ही क्यों न ठहराती हों इस तरह का बढ़िया उदाहरण समितियों तथा आयोगों में नियुक्ति कार्मिकों में मिल जाएगा। समितियों और आयोगों में, सदस्य के रूप में नियुक्ति किए गए सरकारी सेवक अपनी सेवा की सामान्य लाइन में रहते हुए जिन जिम्मे-

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी 1971 की अधिसूचना संख्या 18 (13)-ई IV ए० 70 द्वारा विलोपित।

दारियों को वे निभाते उनसे अतिरिक्त कोई जिम्मेवारी सामान्यतः नहीं निभानी पड़ती तथा ऐसा केवल आपवादिक मामलों में ही होता है कि किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक को उचित ठहराया जा सके। फिर भी ऐसे अल्पवादिक मामलों में जहां कार्य के महत्व को देखते हुए, विशेष अर्हताएं रखने वाले अधिकारियों को विशेष शर्तों पर रखा जाना हो, वहां पूर्वोलिखित सिद्धान्तों में शिथिलता लाई जाएगी।

[भारत सरकार, वि० वि० ज्ञापन संख्या एफ० 13-XIX-ई०एक्स० 1/31, दिनांक 7 जनवरी, 1932 ।]

(3) जैसा कि कई अवसरों पर पाया गया है कि अस्थायी पदों के वेतन की समेकित दरों को निर्धारित करने से बचत की बजाय अपव्यय हुआ है, उपरोक्त आदेशों को विस्तारपूर्वक और निम्नलिखित अनुसार दोहराया जाता है :—

अस्थायी पदों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली वह, जहां सामान्य कार्य के निष्पादन के लिए पहले से किसी संवर्ग में स्थायी पदों के विद्यमान रहते हुए सृजित किए गए पद और दूसरी वह जहां सामान्य कार्य करने वाले श्रेणी से भिन्न, विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए सृजित किए गए इक्के-दुक्के पद। अन्तर केवल इतना है कि नए पद अस्थायी है, न कि स्थायी। दूसरी श्रेणी के पद का उदाहरण यह है कि वे किसी जांच आयोग के पद जैसे होंगे। शाब्दिक परिभाषा में इसे सुस्पष्ट कर पाना कठिन है, लेकिन व्यवहार में अलग-अलग मामलों में इस अन्तर के लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहली श्रेणी के पद की सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माना जाएगा चाहे उसे पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अतः ऐसे किसी पद के सृजन करने को प्राधिकारियों की शक्ति, वित्तीय शक्तियों की पुस्तक में दिए गए उपबन्धों के साथ पठित सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के उपबन्धों पर निर्भर करेगी। बाद की श्रेणी वाले पदों को अवर्गीकृत तथा इक्के-दुक्के संवर्ग बाह्य पदों के रूप में माना जाएगा तथा इनके सृजन की शक्ति वित्तीय शक्तियों की पुस्तक में दिए गए उपबंधों पर आधारित होगी।

(4) इस मानदण्ड द्वारा अस्थायी पदों को सेवा के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माना जाना चाहिए तथा इनका सृजन सेवा के समयमान में सामान्यतः बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के किया जाना चाहिए। अतः इन पदों के पदधारियों को उनका सामान्य समयमान वेतन मिलेगा। यदि ऐसे पदों में, मूल संवर्ग के सामान्य कार्यों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक कार्य तथा जिम्मेदारियां शामिल हों, तो उस मामले में इसके अतिरिक्त विशेष वेतन की मंजूरी दी जानी आवश्यक होगी।

(5) इक्के-दुक्के संवर्ग-बाह्य पदों के लिए यदाकदा वेतन की समेकित दरों का निर्धारण करना वांछनीय हो सकता है। फिर भी, जहां सेवा के किसी सदस्य द्वारा वह पद धारित किया जाना हो, वहां सामान्यतः धारक की सेवा के समयमान में पद का सृजित किया जाना ही बेहतर होगा।

[भारत सरकार वि०वि०, कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 27 (34)-ई०एक्स०1/36 दिनांक 5 दिसम्बर, 1936 ।]

लेखा परीक्षा अनुदेश

मूल नियमों के अधीन, भारत में विशेष ड्यूटी या प्रतिनियुक्ति, मान्य नहीं होगी। उस कार्य के निष्पादन के लिए एक अस्थायी पद सृजित किया जाएगा। यदि विशेष ड्यूटी, सरकारी सेवक को सामान्य कार्यों के अतिरिक्त करनी हो तो वहां मूल नियम 40 और 49 लागू होंगे।

[लेखा परीक्षक अनुदेश नियम पुस्तक का भाग 1, अध्याय-IV, पैरा 14 (पुनःमुद्रित) ।]

मूल नियम 41—निरस्त।

मूल नियम 42—निरस्त।

मूल नियम 43—निरस्त।

अध्याय V

वेतन में परिवर्तन

[1]**मूल नियम 44 :—प्रतिकारात्मक भत्ते :—इस साधारण नियम के अधीन रहते हुए कि प्रतिकारात्मक भत्ते की रकम इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए कि भत्ता सब मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत न बन जाए, केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रण के अधीन किसी भी सरकारी सेवक को ऐसे भत्ते दे सकेगी और उनकी रकमों को, और उन शर्तों को जिनके अधीन वे लिए जा सकेंगे, विहित करने वाले नियम बना सकेगी ।**

(मूल नियम 44 के अधीन बनाए गए नियमों के लिए देखें अनुपूरक नियम 5-8 तथा 17-195)

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक का निर्णय

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने यह निर्णय किया है कि मूल नियम 44 के अनुसार भारत सरकार (केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के मामलों में) पहले दरों तथा शर्तों को निर्धारित करेगी और उसके बाद अधीनस्थ प्राधिकारियों को अधिकतम दरों तथा उन शर्तों के साथ प्रतिकारात्मक भत्ते मंजूर करेगी ।

[ए० जी०, पी० एंड टी० पत्र सं० मिस० 358/एच-33 (ए), दिनांक 16-5-1927] ।

मूल नियम 45 :—केन्द्रीय सरकार, अपने स्वामित्वाधीन या पट्टे पर लिए हुए ऐसे भवनों के या उनके ऐसे भागों के जो कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों द्वारा निवास स्थान के तौर पर उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध करे, उनके आबंटन को शासित करने वाले सिद्धांत अधिकथित करते हुए नियम बना सकेगी या आदेश कर सकेगी । ऐसे नियम या आदेश विभिन्न परिक्षेत्रों में पालन के लिए या निवास स्थानों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न सिद्धांत अधिकथित कर सकेंगे और वे परिस्थितियां विहित कर सकेंगे जिनमें ऐसा अधिकारी निवास स्थान का अधिभोगी समझा जाएगा ।

[इस नियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के लिए, देखें अनुपूरक नियम 311 से 317] ।

भारत सरकार के आदेश

1. राज्य सरकारों के साथ व्यवस्था:—(1)[6]भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सरकारें, आपस में इस बात पर सहमत हो गई हैं कि जब कभी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कोई सरकारी आवास उस सरकार द्वारा, सरकारी व्यवस्था के रूप में, ऊपर उल्लिखित राज्य सरकारों के किसी अधिकारी को अथवा इसके विपर्ययेन, दिया जाता है तो ऐसे आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उनकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत की दर से अथवा दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिग्रहण किए गए भवन की मानक अनुज्ञप्ति फीस जो भी कम हो ली जाएगी । लेकिन उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा लिए गए आवास के संबंध में, अनुज्ञप्ति फीस, उनकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत के हिसाब से अथवा उस आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम वेतन सीमा का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, ली जाएगी ।

(2) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, का० ज्ञा० संख्या 8(6)/60-संपदा, दिनांक 21 फरवरी, 1966, तथा दिनांक 15 जून, 1966 और 20 जून, 1967 का इसी संख्या का उनका यू० ओ० एवं दिनांक 19 मार्च 1969 का समसंख्यक का० ज्ञा० और का० ज्ञा० संख्या 11 (23)/74-डब्ल्यू एण्ड ई०, दिनांक 18 मार्च, 1975] ।

टिप्पणी :—यह व्यवस्था पंजाब और हरियाणा सरकार के चण्डीगढ़ में कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी आवास के आबंटन पर लागू नहीं होती है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, का० ज्ञा० संख्या 8(6)/60-संपदा, दिनांक 19 मार्च, 1969 का पैरा 2] ।

2. पश्चिम बंगाल के साथ व्यवस्था :—(1) भारत सरकार ने (भारत सरकार के उपरोक्त आदेश (1) के द्वारा) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, नागालैण्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके फलस्वरूप जब कभी भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाला सरकारी आवास, उस सरकार द्वारा, सरकारी व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार के किसी अधिकारी को दिया जाएगा तो उस आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अधिकारी की परिलब्धियों के 10 प्रतिशत के हिसाब से अथवा उस राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस, इनमें से जो भी कम हो, ली जाएगी ।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18 (13)-ई-IV (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 1971 द्वारा प्रति-स्थापित तथा दिनांक 6 फरवरी, 1971 से लागू ।

39—311 DP&T/ND/88

(2) पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अतः भारत सरकार का कोई अधिकारी जब सरकारी व्यवस्था के द्वारा, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा दिए गए आवास में रहता है तो उक्त राज्य सरकार, भारत सरकार से, अपनी सरकार के नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस का दावा करेगी और भारत सरकार अपने अधिकारी से (अपने नियमों के अनुसार) उसकी कुल परिलब्धियों का 10 प्रतिशत अथवा मूल नियम 45-क III (क) (1) के अधीन उस आवास के लिए तय की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस, इनमें से जो भी कम होगी, वसूल करेगी।

(3) ऐसे मामलों में जहां भारत सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा ऐसा आवास प्रदान किया गया हो, जो कि पट्टे पर हो या तलब किया गया हो अथवा जिसे अधिकारी द्वारा अपनी मांग पर लिया गया हो और न कि इस व्यवस्था के द्वारा, वहां राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस की सारी राशि का भुगतान उस अधिकारी को करना होगा। ऐसे आवास को राज्य सरकार द्वारा पारस्परिक ठहराव के अन्तर्गत प्रदान किया गया माना जाएगा, चूंकि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, उनकी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में हैसियत को देखते हुए ही, ऊपर उल्लिखित अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर, अपना आवास प्रदान करेंगी। ऐसे सभी मामलों में, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ऐसे आवास के लिए किसी प्रकार के भी मकान किराया भत्ते के दावे के हकदार नहीं होंगे।

(4) रिहायशी आवास को सरकारी व्यवस्था के द्वारा प्राप्त किया गया केवल तभी माना जाएगा जबकि ऐसा उस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से किया गया हो जिसे सरकार की ओर से रिहाइशी आवास प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हो। इस संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा और जहां तक भारतीय लेखा और लेखा विभाग के कार्मिकों का संबंध है, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी व्यवस्था से सरकार पर किसी खर्च का कोई अतिरिक्त भार न पड़ता हो। अतिरिक्त लागत की गणना करते समय, अधिकारी से वसूल किए जाने वाले किराए को सरकार द्वारा बचाये गए मकान किराये भत्ते, यदि कोई हो, में शामिल करके जो योग आएगा उसे सामान्य व्यय माना जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के यू०ओ० संख्या 8/6/60-संपदा, दिनांक 20 अगस्त, 1966 तथा 20 जून, 1967 के साथ पठित भा० सरकार वि० मं० का कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(27)/62-संपदा, दिनांक 11 मार्च, 1966, का का० ज्ञा० सं० एफ 11 (30)/67-डब्ल्यू एण्ड ई० दिनांक 5 अक्तूबर, 1968 तथा का० ज्ञा० संख्या 11(23)/74 डब्ल्यू० एण्ड ई०, दिनांक 18 मार्च, 1975]।

3. हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के साथ व्यवस्था.—हिमाचल प्रदेश और मेघालय की सरकारें भी केन्द्रीय सरकार के साथ, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को रिहाइशी आवास के आबंटित किए जाने के संबंध में, पारस्पारिक ठहराव में शामिल होने के लिए सहमत हो गई हैं। यह व्यवस्था 21-1-71 से पहले, जब हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, शिमला में बड़ी संख्या में आबंटित केन्द्रीय सरकारी आवास पर लागू नहीं होगी।

त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, का० ज्ञा० संख्या 8(6)/60-संपदा, दिनांक 28 अगस्त, 1973]।

4. अतिथि-गृहों में ठहरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों साथ पारस्परिक ठहराव.—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों से, आपसी आधार पर, सरकारी अतिथि-गृहों में उनके ठहरने की अवधि के लिए उनसे रियायती अनुज्ञप्ति फीस लिए जाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले में निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के साथ, जिनके अपने अतिथि-गृह हैं, अन्य राज्य सरकारों की भांति, इस प्रकार के पारस्पारिक ठहराव किए जाने का निर्णय लिया है। जहां इस प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है वहां केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसने भी दूसरे के अधिकारी को अपना अतिथि-गृह इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, उस अधिकारी से केवल उतनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल करेगा जितनी कि वह अधिकारी यदि उनके अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा होता तो उससे वसूल की जाती।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, का०ज्ञा० संख्या एफ 1 (8)-पी० सी०/65, दिनांक 2 नवम्बर, 1965]।

5. अनुज्ञप्ति फीस की प्राप्ति और भुगतान के लिए लेखाकरण पद्धति.—सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस के लिए तथा आवास प्रदान करने वाली राज्य सरकारों को अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के लिए, लेखाकरण पद्धति निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि उन सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त वसूली को जो ऐसी राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आवासों में रह रहे हों, जो कि पारस्पारिक ठहराव में शामिल न हों, सम्बंधित विभाग की राजस्व प्राप्ति माना जाए जबकि ऐसी राज्य सरकारों को अनुज्ञप्ति फीस के रुप में भुगतान की गई राशि को, इसके लिए उपयुक्त बजट प्रावधान करने के बाद, उस विभाग के आकस्मिक खर्च के नामे डाली जाए। जहां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, सरकारी व्यवस्था के अधीन उन राज्य सरकारों द्वारा जिन्होंने इस संदर्भ में

भारत सरकार के साथ पारस्परिक ठहराव कर रखा हो, आवास प्रदान किया हो वहां अनुज्ञप्ति फीस उन सरकारों द्वारा आबंटित अधिकारियों से सीधे प्राप्त की जाएगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, का० ज्ञा० संख्या 5(27) 62-संपदा, दिनांक 16 अगस्त, 1966]।

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) 1. पहली अप्रैल, 1932 से ऐसे गैर-सैनिक सरकारी कर्मचारियों से जिन्हें केन्द्रीय (सिविल) राजस्वों से भुगतान किया जाता हो जब कभी रक्षा विभाग की सम्पत्ति अर्थात् सैन्य भवनों में रहेंगे उन्हे सेना इंजीनियर सेवा (1929 संस्करण) के विनियमों के पैरा 48(त) के अधीन मूल्यांकित अनुज्ञप्ति फीस देनी होगी, जोकि मूल नियम 45-ग में यथा परिभाषित उनकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

2. सेना इंजीनियर सेवा, भवन के लिए मूल्यांकित की गई वास्तविक अनुज्ञप्ति फीस और उस भवन में रहने वाले से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस, के अन्तर को, यदि कोई हो तो, छोड़ देगी ।

3. लेकिन रक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीय (सिविल) राजस्व से ऐसे किसी मामले में, जहां किसी व्यक्ति को सरकारी व्यवस्था के अधीन आवास प्रदान किया गया हो और वह व्यक्ति सिविल नियमों के अधीन निःशुल्क क्वार्टर पाने का हकदार हो, कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक भाग-1, अध्याय V, पैरा 2(1) (पुनःमुद्रित)] ।

(2) रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों से जो केन्द्रीय (सिविल) से सरकार की सम्पत्ति अर्थात उनके भवनों में रह रहे हों, अनुज्ञप्ति फीस का वसूल किया जाना.—

1. सिविल और सेना सरकारी कर्मचारियों को जो अपना वेतन रक्षा सेवा प्राक्कलनों से प्राप्त करते हैं (इनमें शिमला और दिल्ली स्थित सेना और वायुसेना मुख्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, जिनकी परिलब्धियों में आवास भत्ता एक अलग मद के रूप में शामिल होता है) मानक अनुज्ञप्ति फीस, जोकि उनके वेतन का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत होगी, उन्हीं शर्तों पर देनी होगी जो केन्द्रीय (सिविल) प्राक्कलनों से वेतन लेने वाले किसी सरकारी कर्मचारी पर मूल नियम 45-क के अधीन लागू होती हैं ।

2. अविवाहित सेना अधिकारियों के मामले में जिन्हें सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सिविल भवन में आवास आबंटित किया गया हो और जिन्हें सेना इंजीनियर सेवा के लिए, विनियमों के अन्तर्गत एकल आवास में रहते हुए, अपने वेतन का पांच प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के रूप में देना होता है, सिविल प्राधिकारियों को अनुज्ञप्ति फीस के रूप में भुगतान की गई राशि और वेतन के पांच प्रतिशत के बीच के अन्तर की राशि का दावा संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसका भुगतान उस अधिकारी के लिए आवास जुटाने के लिए उत्तरदायी अभिकरण द्वारा किया जाएगा, ऐसे दावे के साथ, अधिकारी द्वारा दिए गए इस आशय का प्रमाणपत्र भी लगाना होगा कि वह केवल एकल आवास में रह रहा है ।

3. पिछले पैराग्राफों में उल्लिखित "वेतन" शब्द का अर्थ निम्नलिखित होगा —

(क) सेना अधिकारियों के मामले में, सेना इंजीनियर सेवा विनियमावली के पैरा 49 की टिप्पणी में यथा परिभाषित "वेतन"

(ख) सेना अधीनस्थों आदि के मामले में सेना इंजीनियर सेवा विनियमावली के पैरा 52(क) में यथा परिभाषित वेतन;

(ग) सेना सेवा में, सभी सिविल कर्मचारियों के मामले में मूल नियम 45-ग में यथा परिभाषित परिलब्धियां ।

4. सिविल प्राक्कलनों, भवन की वास्तविक मानक अनुज्ञप्ति फीस की राशि और आबंटित अधिकारी से वसूल की गई राशि के अन्तर को, छोड़ देंगे ।

5. तथापि लोक निर्माण विभाग द्वारा सेना प्राक्कलनों से, सरकारी व्यवस्था के अधीन ऐसे अधिकारियों को जो सेना नियमों के अधीन निःशुल्क आवास प्राप्त करने के हकदार हों, प्रदान किए गए आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस की बाबत कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक भाग-1, अध्याय V, पैरा 2 (II) (पुनःमुद्रित)] ।

(3) केन्द्रीय सरकारी विभागों और प्रांतीय सरकारों के अधिकारियों को रेलवे प्रशासनों द्वारा प्रदान किए गए रिहाइशी आवास के लिए उनसे रिहाइशी आवास की बाबत वसूल की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस के संबंध में और केन्द्रीय सरकारी विभागों और प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रदान किए गए रिहाइशी आवास में रहने वाले रेलवे अधिकारियों से अनुज्ञप्ति फीस के वसूल किए जाने के संबंध में भी, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए :—

(क) **रक्षा, पुलिस, और डाक व तार विभागों के लिए विशेष रूप से बनाए गए रेलवे क्वार्टर :** इन मामलों में रेलवे विभाग (रेलवे बोर्ड) के परिपत्र पत्र संख्या 932-डब्ल्यू, दिनांक 10 अक्तूबर, 1936 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ख) **पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत रेलवे क्वार्टर में रह रहे रक्षा, डाक व तार तथा अन्य केन्द्रीय विभागों के अधिकारी :**

ये सिविल नियमों अर्थात् मूल नियम 45-क द्वारा शासित होंगे परन्तु शर्त यह होगी कि क्वार्टर में रहने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान से छूट होगी यदि वह अपने विभाग के नियमों के अधीन ऐसी छूट के लिए हकदार हो ।

(ग) **पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत रेलवे क्वार्टरों में रह रहे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और असम के सिविल अधिकारी :**

अनुज्ञप्ति फीस, पूंजीगत लागत जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं की जाएगी, के 6 प्रतिशत तक सीमित और वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(घ) **रेलवे क्वार्टरों में रह रहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा सरकारों के सिविल कर्मचारी :**

इन मामलों में रेलवे विभाग (रेलवे बोर्ड) के परिपत्र पत्र संख्या 932-डब्ल्यू, दिनांक 10 अक्तूबर, 1936 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ङ) **रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए रक्षा और डाक-व-तार विभाग के क्वार्टर :**

ऐसे मामलों में मानक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान उन विभागों के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(च) **पारस्परिक व्यवस्था द्वारा रक्षा, डाक-व-तार तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी क्वार्टर में रह रहे रेलवे कर्मचारी :**

इन मामलों में, सिविल नियम अर्थात् मूल नियम 45-क लागू होगा, और रेलवे कर्मचारी को अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने से छूट रहेगी यदि वह रेलवे नियमों के अनुसार ऐसी छूट के लिए हकदार होगा ।

(छ) **पारस्परिक व्यवस्था द्वारा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और असम सरकारों के क्वार्टरों में रह रहे रेलवे कर्मचारी :**

इन मामलों में, सिविल नियम लागू होंगे अर्थात् पूंजीगत लागत जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं होगी, का 6 प्रतिशत जो कि वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ज) **महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सरकारों के क्वार्टरों में रह रहे रेलवे कर्मचारी :**

इन मामलों में, पूर्ण मूल्यांकित अनुज्ञप्ति फीस, का भुगतान करना होगा ।

[लिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक भाग-1, अध्याय V पैरा 2 (III) (पुनः मुद्रित)] ।

मूल नियम 45-क[1] : विलोपित ।

II. अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, सरकार के स्वामित्वाधीन निवास स्थानों की पूंजी लागत के अन्तर्गत, स्वच्छता, जलप्रदाय और विद्युत प्रतिष्ठापनों तथा फिटिंग[2] ( ) का खर्च या मूल्य आता है तथा इनमें से कोई एक होगी.—

(क) **निवास स्थान के अर्जन या सन्निर्माण का खर्च [स्थल (साइट) के खर्च या मूल्य और उसकी[3] तैयारी पर किए गए व्यय सहित] और अर्जन या सन्निर्माण पश्चात् उपगत कोई भी पूंजी व्यय होगी, या जब वह ज्ञात न हो तो,**

(ख) **निवास स्थान का वर्तमान मूल्य होगी[3] (उस स्थल की कीमत सहित)**

टिप्पण.—प्रत्यावर्तन या विशेष मरम्मत का खर्च पूंजी लागत या वर्तमान मूल्य में तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन या ऐसी मरम्मत आवास सुविधा में कोई वृद्धि न करते हों या उसमें वर्तमान प्रकार के निर्माण के स्थान पर अधिक व्यवसाध्य सन्निर्माण न किया जाए ।

परन्तु :

(i) **केन्द्रीय सरकार उस रीति को उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी जिसमें निवास स्थानों का वर्तमान मूल्य अवधारित किया जाएगा;**

(ii) **केन्द्रीय सरकारी यह अवधारित करने वाले नियम बना सकेगी कि कौनसा व्यय ऊपर के उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए स्थल (साइट) की तैयारी पर व्यय के रूप में समझा जाएगा;**

(iii) **केन्द्रीय सरकार, उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जाना चाहिए, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर के विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के समस्त निवास स्थानों का पुनर्मूल्यांकन ऊपर के परन्तुक (I) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के**

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या 18 (13) ई० V(ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 1971 के द्वारा विलोपित ।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18011/1/78-ई०4(ए) दिनांक 28 मार्च, 1978 के द्वारा विलोपित । यह 1 अप्रैल, 1978 से लागू होगा ।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18011/1/78-ई० IV(ए), दिनांक 28 मार्च, 1978 द्वारा समाविष्ट । यह 1 अप्रैल, 1978 से लागू होगा ।

आधार पर किसी या समस्त ऐसे निवास स्थानों की पूंजी लागत को पुनरीक्षित कर सकेगी;

(iv) पूंजी लागत में, चाहे वह कैसे भी संगणित की जाए:—(1) उन मामलों में जिनमें निवास स्थान सरकार द्वारा सन्निर्मित हो, स्थापन तथा औजारों और संयंत्र मद्धे कोई भी प्रभार, उन प्रभारों से भिन्न जो सन्निर्माण पर सीधे ही वस्तुतः प्रभारित किए गए हों, या (2) अन्य मामलों में, ऐसे प्रभारों की प्राक्कलित रकम, संगणना में नहीं ली जाएगी;

(v) केन्द्रीय सरकार, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाने चाहिएं, निवास स्थान की पूंजी लागत के किसी विनिर्दिष्ट अंश को निम्नलिखित दशाओं में बट्टे खाते डाल सकेगी, अर्थात् :—

(1) जब निवास स्थान का कोई भाग अनिवार्यतः उस अधिकारी द्वारा जिसको कि निवास स्थान आबंटित किया जाए, उन सरकारी या गैर-सरकारी आगन्तुकों के स्वागत के लिए, जो कारबार के निमित्त उससे मिलने आएं, अलग रखना पड़े, या

(2) जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऊपर के नियमों के अधीन यथा अवधारित पूंजी लागत दी गई आवास सुविधा के उचित मूल्य से बहुत अधिक होगी;

(vi) स्वच्छता, जल प्रदाय और विद्युत प्रतिष्ठापनों और फिटिंगों की लागत या मूल्य का निर्धारण करने में केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि इस प्रयोजन के लिए यथा-यथा फिटिंग के रूप में समझा जाएगा ।

III. निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :—

[1](क)(i) पट्टा धृत निवास स्थान की दशा में, मानक अनुज्ञप्ति फीस वह रकम होगी जो पट्टाकर्ता को दी जाए;

(ii) अधिगृहीत निवास स्थान की दशा में, मानक अनुज्ञप्ति फीस वह प्रतिकर होगा जो भवन के स्वामी को संदेय हो;

दोनों ही दशाओं में, यथास्थिति, पट्टे की या अधिग्रहण की अवधि के दौरान, मामूली और विशेष अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा परिवर्धनों या परिवर्तनों पर किए गए पूंजी व्यय के लिए ऐसी राशियों की, जो सरकार पर प्रभार हों, पूर्ति के लिए, और ऐसे पूंजी व्यय पर ब्याज के लिए और साथ ही ऐसे निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदाय गृह कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के नगरपालिका तथा अन्य करों के वहन के लिए, उन नियमों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, अवधारित राशि और जोड़ दी जाएगी ।

(ख) सरकार के स्वामित्व के अधीन निवास स्थानों की दशा में मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना, निवास स्थान की पूंजी लागत पर की जाएगी और वह या तो—

(i) ऐसी पूंजी लागत का वह प्रतिशत जो ब्याज की उस दर के बराबर हो जो राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत की जाए और उसमें निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय गृह कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के नगरपालिका तथा अन्य करों के लिए तथा मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राशि जोड़ी जाएगी तथा ऐसी राशि उन नियमों के अधीन अवधारित होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाए, या

(ii) ऐसी पूंजी लागत का 6 प्रतिशत प्रति वर्ष इनमें से जो भी कम हो, होगी ।

[2][(खख) ऐसे निवास स्थान की दशा में जो सरकार को दान में दिया गया है या मामूली अनुज्ञप्ति फीस पर पट्टे पर दिया गया है, या निःशुल्क अनुज्ञप्ति के आधार पर सरकार को दिया गया है मानक अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो सरकार के स्वामित्वाधीन निवास स्थानों के लिए है]

(ग) [3][सभी दशाओं में] मानक अनुज्ञप्ति फीस एक कलेंडर मास के लिए मानक के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी और ऊपर संगणित वार्षिक अनुज्ञप्ति के फीस के बारहवें भाग के बराबर होगी किन्तु यह इस परन्तुक के अधीन होगा कि विशेष परिक्षेत्रों में या निवास स्थानों के विशेष वर्गों के बारे में, केन्द्रीय सरकार, एक मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए मानक अनुज्ञप्ति फीस नियत कर सकेगी । जहां केन्द्रीय सरकार इस परन्तुक के अधीन कार्रवाई करे, वहां इस प्रकार नियत की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का ऐसा अनुपात न होगी, जो उस

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(10)/68-संपदा, दिनांक 12 जुलाई, 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 20(21)/66, डब्ल्यू एण्ड ई०, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधि० संख्या 20(21)/66 डब्ल्यू एण्ड ई०, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

40--311 DP&T/ND/88

अनुपात से अधिक हो जो ऊपर के नियम 45 के अधीन यथाविहित अधिभोग की कालावधि और एक वर्ष में है ।

टिप्पण 1:—ऊपर के उपखण्ड[1] (1क), (ख) तथा (खख)] के प्रयोजनों के लिए मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए परिवर्धनों के अन्तर्गत स्थापन और औजारों तथा संयंत्र प्रभारों के लिए कुछ भी, सिवाय उसके जो कि खण्ड-II के परन्तुक (iv) के अधीन अनुज्ञात है, सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण 2:—केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा उन छोटे परिवर्धनों और परिवर्तनों का खर्च, जो निवास स्थान की पूंजी लागत के एक विहित प्रतिशत से अधिक न हों, ऐसी अवधि के दौरान जो नियम द्वारा अवधारित की जाए, निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि किए बिना ही अनुज्ञात कर सकेगी ।

IV. जब सरकार किसी अधिकारी को अपने द्वारा पट्टाकृत या अधिगृहीत या अपने स्वामित्वाधीन कोई निवास स्थान दे तब निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा :—

(क) दी गई वास सुविधा, अधिकारी की अपनी प्रार्थना पर के सिवाय ऐसी वास सुविधा से अधिक न होगी जो कि अधिभोगी की प्रास्थिति की दृष्टि से समुचित हो ।

(ख) जब तक कि किसी मामले में इन नियमों में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित न हो, वह —

(i) निवास स्थान के लिए वह अनुज्ञप्ति फीस देगा जो ऊपर के खण्ड III में यथा परिभाषित मानक अनुज्ञप्ति फीस, या उसकी मासिक उपलब्धियों का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो,

[2]परन्तु उन अधिकारियों के बारे में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1960 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लेते हैं और जिनकी उपलब्धियां (महंगाई वेतन सहित) 220 रू० प्रतिमास से कम है, अनुज्ञप्ति फीस, मानक अनुज्ञप्ति फीस या उपलब्धियों का साढे सात प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर वसूल की जाएगी परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां रू० 220 (महंगाई वेतन सहित) और अधिक हैं, अनुज्ञप्ति फीस काटने के पश्चात् शुद्ध उपलब्धियां 202 रू० 55 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी ।

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों के बारे में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लेते हैं और जिनकी उपलब्धियां 300 रू० प्रतिमास से कम है, अनुज्ञप्ति फीस, मानक अनुज्ञप्ति फीस या उपलब्धियों का साढे सात प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर वसूल की जाएगी परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां रू० 300 और अधिक हैं, अनुज्ञप्ति फीस काटने के पश्चात्, शुद्ध उपलब्धियां 276 रुपए 60 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी ।

परन्तु यह भी कि उन अधिकारियों के बारे में जिनकी परिलब्धियां, वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० संख्या 13016/2/81-ई०II (ख) दिनांक 25 मार्च, 1982 के अनुसार औसत सूचांक 1 क के 320 पाइंट तक महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के फलस्वरूप, रुपए 470 प्रतिमास से कम हो, अनुज्ञप्ति फीस, मानक अनुज्ञप्ति फीस या उपलब्धियों के साढे सात प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर वसूल की जाएगी परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां रू० 470 प्रतिमास और अधिक हैं, अनुज्ञप्ति फीस काटने के बाद शुद्ध उपलब्धियां 433 रू० 80 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी ।

(ii) निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय नगरपालिका और अन्य कर, जो गृह कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के न हों, देगा, और

(iii) निवास स्थान के लिए प्रदान की गई सेवाओं के बारे में सरकार द्वारा संदेय प्रभारों के लिए प्रतिकर देगा ।

(ग) उपरोक्त उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार —

(i) उपरोक्त खण्ड III के उपबंधों के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के संगणित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय चाहे किसी विशिष्ट क्षेत्र में के या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के निवास स्थानों को, अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने पर, वर्गीकृत कर सकेगी ।

(1) यह कि निर्धारण का आधार एक समान हो; तथा

(2) यह कि किसी भी अधिकारी से ली गई रकम उसकी मासिक उपलब्धियों के दस प्रतिशत से अधिक न हो;

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20(21)/66, डब्ल्यू० एण्ड ई० दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ-II (5) डब्ल्यू एण्ड ई/82, दिनांक 24 मई, 1983 के द्वारा प्रतिस्थापित । यह पहली मार्च से लागू होता है ।

[1](ii) कर्मचारी को आबंटित वास सुविधा की टाइप के संनिर्माण की लागत और कुरसी के क्षेत्र/वासीय क्षेत्र पर आधारित पूरे देश में लागू मासिक अनुज्ञप्ति फीस की स्पाट दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए विहित की जाती है कि किसी अधिकारी से ली गई रकम उनकी मासिक उपलब्धियों के 10% से अधिक नहीं होगी ।

(iii) साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपरोक्त [2][(उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) (1)] में विहित अनुज्ञप्ति फीस से अधिक अनुज्ञप्ति फीस उस अधिकारी से लेने के लिए उपलब्ध कर सकेगी —

(1) जो उस स्थान पर जहां कि उसे निवास स्थान दिया गया है, कर्तव्यारूढ दशा में निवास करने के लिए अपेक्षित नहीं है या अनुज्ञात नहीं है, या

(2) जिसे ऐसी वास सुविधा, जो उसके द्वारा धारित पद की प्रास्थिति की दृष्टि से समुचित वास सुविधा से अधिक है, स्वयं उसकी प्रार्थना पर दी गई है, या

(3) जिसे निर्वाह साधन में महंगाई के कारण प्रतिकारात्मक भत्ता मिलता है, या

(4) जिसे अपने को दिए गए निवास स्थान को किराए पर देने की अनुज्ञा दी गई है, या

(5) जो अपने को दिए गए निवास स्थान को अनुज्ञा के बिना किराए पर उठा देता है, या

(6) जो आबंटन के रद्द कर दिए जाने के पश्चात् निवास स्थान खाली नहीं करता, या

[3](7) जिसकी प्रार्थना पर उसे दिए गए निवास स्थान में परिवर्तन या परिवर्तन किए गए हैं ।

[4](8) जिसका अपना अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का मकान हो अथवा जिस परिवार का वह सदस्य है उस हिन्दू अविभाजित परिवार से संबंधित किसी मकान में उसका हित हो,

स्पष्टीकरण : मद (8) के प्रयोजनार्थ.—

(क) किसी अधिकारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के संबंध में "मकान" शब्द से तात्पर्य ऐसे किसी भवन अथवा उसके हिस्से से है जो निवास के प्रयोजन से इस्तेमाल किया जा रहा हो और जो स्थानीय नगरपालिका अथवा उस किसी नगरपालिका जो कि स्थानीय नगरपालिका के समीपस्थ, के अधिकार क्षेत्र में आता हो,

टिप्पण : ऐसे किसी भवन को जिसका कोई हिस्सा निवास के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो को "मकान" माना जाएगा चाहे इसका कोई हिस्सा गैर-आवासीय प्रयोजनों के लिए ही क्यों न इस्तेमाल होता हो ।

(ख) किसी अधिकारी के संबंध में "स्थानीय नगरपालिका" का अर्थ उस नगरपालिका से है जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका कार्यालय स्थित है;

(ग) किसी अधिकारी के संबंध में "उसके परिवार के सदस्य" से तात्पर्य पत्नी अथवा पति से, जैसा भी मामला हो, अथवा अधिकारी के आश्रित बच्चे से है;

"नगरपालिका" में नगर निगम, नगर समिति अथवा बोर्ड, कस्बा एरिया समिति, अधिसूचित एरिया समिति और छावनी बोर्ड शामिल हैं।

(घ) जहां अनुज्ञप्ति फीस मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना में गलती से या भूल से या अनवधानता से कम वसूल की गई है, वहां सरकारी सेवक कमी का संदाय, उस तारीख से जिसको कि कम वसूली की गई थी बारह मास के भीतर की गई मांग पर, इतनी किश्तों में करेगा जितनी सरकार निर्दिष्ट करें;

[5](ङ) (1) जहां निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस उसके आबंटन के समय, उन कारणों से जो कि अभिलिखित किए जाएंगे, अवधारित नहीं की जा सकती वहां सरकारी सेवक ऐसी अनुज्ञप्ति फीस संदत्त करेगा जो भवन के संनिर्माण पर वास्तव में किए गए व्यय, या उसके अधिग्रहण हुए वास्तविक खर्च, उसमें की गई फिटिंगों के खर्च और उससे संबंधित ज्ञात और प्रत्याशित दायित्वों को जोड़कर

---

1. भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय वित्त प्रभाग की दिनांक 31-6-87 की अधि० सू० 11 (7) डब्ल्यू एण्ड ई 86/द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20 (21)/66, डब्ल्यू० एण्ड ई०, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20 (21)/66-डब्ल्यू एण्ड ई०, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

4. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या पी० 18011/2/79-एल०यू०, दिनांक 8 नवम्बर, 1979 के द्वारा अन्तःस्थापित किया गया। यह 1 जून, 1977 से लागू होता है ।

5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(9)/63-संपदा, दिनांक 18 जून, 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

जो रकम आए वह तथा उसमें उसका दस प्रतिशत या उसकी मासिक उपलब्धियों का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, और जोड़कर जो रकम आए उसके आधार पर, सरकार द्वारा नियत की जाए।

[1]परन्तु उन अधिकारियों के बारे में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1960 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लेते हैं और जिनकी उपलब्धियां (महंगाई वेतन सहित) 220 रु० प्रतिमास से कम हैं, ऐसी उपलब्धियों पर ऊपर उल्लिखित दस प्रतिशत के बदले साढे सात प्रतिशत लागू होगा परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां 220 रु० (महंगाई वेतन सहित) और अधिक हैं अनुज्ञप्ति फीस काटने के पश्चात्, शुद्ध उपलब्धियां 202 रु० 55 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी।

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों के बारे में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लेते हैं और जिनकी उपलब्धियां 300 रु० प्रतिमास से कम हैं, ऐसी उपलब्धियों का ऊपर उल्लिखित दस प्रतिशत के बदले साढे सात प्रतिशत लागू होगा परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां 300 रु० और अधिक हैं, अनुज्ञप्ति फीस काटने के पश्चात् शुद्ध उपलब्धियां 276 रु० 60 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी।

परन्तु यह भी कि उन अधिकारियों के बारे में जिनकी उपलब्धियां औसत सूचांक के 320 पाइंट तक महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के फलस्वरूप 470 रु० प्रतिमास से कम हो, ऊपर उल्लिखित दस प्रतिशत के बदले साढे सात प्रतिशत लागू होगा परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां 470 रुपए प्रतिमास और अधिक हैं, अनुज्ञप्ति फीस काटने के पश्चात्, शुद्ध उपलब्धियां 433 रुपए 80 पैसे प्रतिमास से कम न होंगी।

(ii) इस प्रकार नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस उस कलेण्डर मास की अन्तिम तारीख तक प्रभावी रहेगी जिस मास में उस निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस अवधारित की जाए।

(iii) उपखण्ड (ङ) (1) में विदिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त सरकारी सेवक निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय, नगरपालिका तथा अन्य कर जो गृह कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के न हों, तथा निवास स्थान के लिए उपबंधित सेवाओं के बारे में सरकार द्वारा संदेय प्रभारों के लिए प्रतिकर भी, देगा।

[2](च) उपखण्ड (ङ) (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकारी सेवक से, उसको आबंटित निवास स्थान के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की वसूली उस उपखण्ड के अनुसरण में या किसी अन्य आधार पर, जिसे 4 जून, 1963 से पूर्व उस निवास के बारे में अपनाया गया हो, की जाए, और उस निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस अवधारित न हो चुकी हो, तो इस प्रकार वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस ही नियमों के अधीन वसूलीय उस निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस समझी जाएगी।

V. विशेष परिस्थितियों में, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाने चाहिएं, केन्द्रीय सरकार—

(क) साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी अधिकारी को या अधिकारियों के वर्ग को अनुज्ञप्ति फीस मुक्त वास सुविधा प्रदान कर सकेगी, या

(ख) विशेष आदेश द्वारा, किसी अधिकारी से वसूल की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस की रकम अधित्यक्त या कम कर सकेगी, या

(ग) साधारण या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका या अन्य करों की, जो गृह-कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के न हों, रकम को जो किसी अधिकारी से या अधिकारियों के वर्ग से वसूल की जानी हो, अधित्यक्त या कम कर सकेगी।

VI. यदि निवास स्थान में, जल-प्रदाय, स्वच्छता तथा विद्युत प्रतिष्ठापनों एवं फिटिंगों से भिन्न सेवाएं, जैसे फर्नीचर, टेनिस कोर्ट, या सरकारी खर्चे पर अनुरक्षित उद्यान, प्रदान की जाती है तो इनके लिए अनुज्ञप्ति फीस उस अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त प्रभारित की जाएगी जो खण्ड 4 के अधीन संदेय है। किराएदार से भी यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उपभुक्त जल, विद्युत-ऊर्जा आदि का खर्चा भी संदत्त करे। केन्द्रीय सरकार यह विहित करने वाले नियम बना सकेगी कि वे अतिरिक्त फीस तथा प्रभार कैसे अवधारित किए जाएंगे और वे नियम विशेष

---

1. भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 11(5) डब्ल्यू० एण्ड ई०/82 दिनांक 24 मई, 1983 के द्वारा प्रतिस्थापित।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(9)/63-संपदा, दिनांक 18 जून, 1963 के द्वारा अन्तःस्थापित।

परिस्थितियों में, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या प्रभार का परिहार या कम किया जाना भी, उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाने चाहिए, प्राधिकृत कर सकेंगे ।

[1]VII. विलोपित ।

[1]VIII. विलोपित ।

[1]अनुसूची : विलोपित ।

[इस नियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के लिए देखें, अनुपूरक नियम 318-326.]

भारत सरकार के आदेश

1. डाक व तार अधिकारियों से वसूली-योग्य कर.—(1) डाक व तार विभाग के ऐसे अधिकारियों से, जिनका वेतन नीचे निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो, जब कभी उन्हें भारतीय डाक और तार विभाग द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टाधृत वाला निवास प्रदान किया जाता है तो उनसे केवल निम्नलिखित प्रकार के कर वसूल किए जाने चाहिए —

		वेतन की अधिकतम सीमा
		रु० प्रतिमास
1-4-1945 से 30-6-1959	.	170
1-7-1959 से 31-1-1969	.	240
1-2-1969 से 31-12-1972	.	350
1-1-1973 से आगे	.	440

करों की मदें :

(i) विद्युत प्रभार —

आयतन मूल्यांकन अथवा निर्धारण करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखे बिना ।

(ii) जल प्रभार —

(क) जब केवल किराएदार के अनन्य प्रयोग के लिए निवास स्थान के भीतर अलग टोंटी प्रदान की गई हो, मूल्यांकन अथवा निर्धारण की प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना ।

(ख) जब केवल उनके अनन्य प्रयोग के लिए ही सामूहिक पानी के नल प्रदान किए गए हो, ऐसे सरकारी कर्मचारियों से जिनमें श्रेणी iv के कर्मचारी शामिल हैं, वसूली की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऐसी टोंटियों का प्रयोग कार्यालय के प्रयोजनार्थ भी होता है वहां भवनों के प्रभावी अधिकारियों द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली प्रभार की राशि में उपयुक्त छूट दी जानी चाहिए ।

(2) ऐसे मामलों में जहां अधिकारी को, उसके पद के लिए आबन्टित किए गए मकान में, सेवा के हितों को ध्यान में रखते हुए, रहना आवश्यक हो और ऐसे कर उस निवास के किराया मूल्य पर आधारित हों, वहां मण्डलों के अध्यक्षों द्वारा विद्युत और जल प्रभारों के बारे में देय राशि में अधिकारी की मासिक उपलब्धियों के 10 प्रतिशत के बराबर भुगतान योग्य किराए की राशि तक, और आगे छूट दी जाएगी ।

[एफ०ए०सी० की पृष्ठांकन सं० एन० 520/40, दिनांक 15 जून, 1945, एम०एफ० (सी० की) पृष्ठांकन संख्या एन०बी० 42-20/50, दिनांक 15 जून, 1951, संख्या एन०बी० 27-4/51, दिनांक 11 फरवरी, 1952, डी०जी० पी० एण्ड टी० के पत्र संख्या 27-35/60-एन०एम०, दिनांक 17 मई, 1963, संख्या 27-6/70-एन०बी० दिनांक 27 अप्रैल, 1971 और संख्या 27-2/75-एन०बी०, दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 ।]

2. विद्युत चालित लिफ्टों में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा की वसूली.—यह निर्णय किया गया है कि विद्युत चालित लिफ्टों में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा की लागत ऐसे व्यावसायिक विभागों से, तल क्षेत्र के आधार पर, वसूल की जानी चाहिए जिनका उन भवनों में कब्जा हो । आवासीय फ्लैटों के किराएदारों से लिफ्टों में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा के बारे में किसी भी प्रकार के प्रभार की वसूली नहीं की जाएगी ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, पृष्ठांकन संख्या एफ 2(8)-ई, एक्स 1/40, दिनांक 31 जनवरी, 1940]

3. "निर्माण के समय" शब्द से तात्पर्य.—अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारित करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने निर्णय किया है कि उस तारीख को, निर्माण का समय माना जाना चाहिए, जिस तारीख को आवास के निर्माण के लिए आकलन खातों को बन्द किया जाता है ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, संख्या 1061-ई० बी०, दिनांक 4 सितम्बर, 1922]

4. एक ग्रुप में से किसी मकान विशेष के गैर-अपवर्जन का कारण.—मूल नियम 45 (ग) (1) (नए मूल नियम 45-क और 45-ख के खण्ड IV (ग) (1) के समरूप) किसी चुने हुए क्षेत्र विशेष में किसी मकान के गणना किए जाने से अपवर्जन के लिए व्यवस्था नहीं करता है । इस पैराग्राफ का उद्देश्य यह था कि निम्न वेतन वाले अधिकारियों के आवासों की अनुज्ञप्ति फीस के संबंध में सरकार द्वारा जो हानि उठाई जा रही थी, उसे उच्चतर वेतन प्राप्त अधिकारी पूरा कर सकेंगे ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, सं० एफ 2-सी०एस०आर०/25, दिनांक 7 जनवरी, 1925]

5. गैरज के लिए अनुज्ञप्ति फीस.—जहां किसी निवास विशेष के लिए गैरज [चाहे उस अहाते अथवा (गृह) परिसर के भीतर हो या बाहर] प्रदान किया गया है, वहां मानक अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उस आवास

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13) ई० iv (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 1971 के द्वारा विलोपित ।

की मूल लागत में गैरज की मूल लागत भी शामिल करनी चाहिए। जहां गैरज किसी निवास विशेष के साथ संलग्न न हो वहां गैरज के लिए अनुज्ञप्ति फीस, मू० नि० 45-क III (ख) अथवा मू० नि० 45-क III (क) के अधीन, भारत सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टाधृत (अथवा अधिगृहीत) वाला, जैसा भी गैरज हो, के अनुसार अलग से ली जानी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या एफ० 11(48)-ई०एक्स० I/39, दिनांक 25 सितम्बर, 1939 तथा वि०वि० मंत्रालय (सी) पृष्ठांकन 49-1/45, दिनांक 27 सितम्बर, 1947]

6. **"अनुज्ञप्ति फीस-मुक्त क्वार्टर" शब्द का विस्तार.**—यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अनुज्ञप्ति फीस-मुक्त क्वार्टर की सुविधा पूर्ण रूप में होगी अर्थात् स्वच्छता, जल प्रदाय तथा विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में सामान्यतः कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देना होगा।

[भारत सरकार, वि०वि० पत्र संख्या एफ०3-VII-आर-I/28, दिनांक 7 जून, 1928]

7. **किसी अन्य विभाग द्वारा कब्जे में लिए गए भवन के संबंध में नगरपालिका करों के भुगतान तथा वसूली की पद्धति.**—भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि यदि रेलवे, रक्षा, डाक व तार अथवा अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों से संबंधित क्वार्टरों में यदि ऐसे किसी विभाग के कर्मचारी जिसका अपना भवन न हो पारस्परिक व्यवस्था के अधीन रह रहे हों तो उस भवन के किराए में, नगरपालिका करों (अर्थात् ऐसे कर गृह से संबंधित हों अथवा सम्पत्ति कर) जो हिस्सा मालिक का बनता हो, उसे शामिल किया जाना चाहिए। जहां उसे भवन में रहने वालों के नगरपालिका करों के हिस्से का और बिजली, पानी आदि की खपत के प्रभार का भुगतान, नगरपालिका को विभाग (भवन के स्वामी) द्वारा किया जाता हो वहां उस विभाग द्वारा (जिस भवन पर स्वामित्व है) उस विभाग से जिसके कर्मचारी इसमें रह रहे हों, ऐसी राशि वसूल की जाएगी। जहां इन प्रभारों की वसूली नगरपालिका द्वारा किराएदार से अथवा उस विभाग से जिसमें वह कार्यरत है, सीधे की जाती है वहां इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस भवन का स्वामित्व रखने वाले विभाग द्वारा ऐसे खर्च की वसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। और आगे यह कि यदि उस विभाग द्वारा जिसके कर्मचारी भवन में रह रहे हैं, ऐसे खर्च का भुगतान नगरपालिका को अथवा उस भवन के स्वामित्व रखने वाले विभाग को किया जाता है तो पहले वाला विभाग इन खर्चों का स्वयं वहन करेगा या उन्हें अपने कर्मचारी से अपने विभाग के नियमों के अधीन यह देखते हुए कि उसे ऐसे खर्च के भुगतान की छूट है अथवा नहीं, के अनुसार, वसूल करेगा।

[भारत सरकार, वि०वि०, पृष्ठांकन संख्या एफ० 11(28) ई० एक्स I/41, दिनांक 23 सितम्बर, 1941 तथा संख्या एफ० 25 (11)-ई० एक्स० II/43, दिनांक 2 अप्रैल, 1943]

8. **इस्तीफा, स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति आदि के बाद डाक व तार विभाग के क्वार्टरों के प्रतिधारण के लिए नियम.**—उपर्युक्त विषय पर सभी पिछले अनुदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि डाक व तार विभाग के स्वामित्व या पट्टाधृत वाले निवास स्थानों के बारे में निम्नलिखित नियम लागू होंगे :—

I. आबंटन प्रभावी बने रहने की अवधि और तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि.—(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि —

(क) अधिकारी के दिल्ली शहर में, किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्यासन न रह जाने के पश्चात्, वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखण्ड (2) के अधीन अनुज्ञेय है।

(ख) इस आबंटन को आबंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता;

(ग) अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता;

(घ) अधिकारी निवास स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता।

(2) अधिकारी उसे आबन्टित निवास-स्थान को उपनियम (3) के अधीन रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त, अपने पास रख सकता है जो उस सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है : परन्तु यह जब तक कि वह निवास स्थान उस अधिकारी या उस कुटुम्ब के सदस्य के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो।

सारणी

घटनाएं	निवास स्थान अपने पास रखने की अनुज्ञेय अवधि
(i) पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना या सेवा का पर्यवसान	एक मास
(ii) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	दो मास
(iii) आबंटिती की मृत्यु	चार मास
(iv) शहर में किसी अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण	दो मास

घटनाएं	निवास स्थान अपने पास रखने की अनुज्ञेय अवधि
(v) शहर से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण	दो मास
(vi) भारत में (बाह्य विभाग) सेवा पर जाना	दो मास
(vii) भारत में अस्थायी स्थानांतरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण ।	चार मास
(viii) छुट्टी (जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, *अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की अवधिपर्यंत, किन्तु चार मास से अधिक नहीं ।
(ix) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी या मूल नियम 86 के अधीन दी गई *अस्वीकृत छुट्टी	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यंत जो अधिकतम चार मास की अवधि के लिए होगी जिसमें सेवानिवृत्ति की स्थिति में अनुज्ञेय अवधि भी शामिल है ।
(x) अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा प्रतिनियुक्ति	छुट्टी अथवा प्रतिनियुक्ति की अवधि तक परन्तु छह मास से अधिक नहीं ।
(xi) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की अवधि तक परन्तु छह मास से अधिक नहीं ।
(xii) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि-पर्यन्त ।
(xiii) प्रशिक्षणार्थ जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यंत ।

स्पष्टीकरण—मद संख्या (iv) से (vii) तक के सामने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना, अधिकारी द्वारा अपनी तैनाती के नए कार्यालय में कार्यभार संभालने से पूर्व उसे मंजूर की गई तथा उसके द्वारा ली गई छुट्टी अवधि, यदि कोई हो, को मिलाकर कार्यभार छोड़ने की तारीख से की जाएगी । अस्थायी स्थानान्तरण से तात्पर्य ऐसे स्थानान्तरण से है जिसमें चार मास के अधिक की अनुपस्थिति अवधि न हो ।

(3) जब कोई निवासस्थान उपनियम (2) के अधीन रखा जाए तो अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आबन्टन, सिवाय उस स्थिति जब उन अवधियों की समाप्ति के पश्चात् वह अधिकारी उसी स्टेशन पर किसी पात्र कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया समझा जाएगा ।

(4) जिस अधिकारी ने उप नियम (2) के नीचे दी सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास स्थान अपने पास रखा है, वह किसी पात्र कार्यालय में उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, पुनर्नियोजित होने पर इस बात का हकदार होगा कि उस निवास स्थान को अपने पास रखे रहे और वह और आगे भी निवासस्थान के आबन्टन का भी पात्र होगा । परन्तु यदि पुनर्नियोजन होने पर, अधिकारी की परिलब्धियां इतनी हों, जिनके आधार पर वह उस टाइप के निवास स्थान का हकदार न हो जो उसके अधिभोग में है, तो उसे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आवन्टित किया जाएगा और उसे तब तक की अवधि के लिए उस निवास स्थान के लिए मूल नियम 45 क के अधीन पूरी मानक लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी ।

II. आबंटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बने रहना.—जहां कोई आबन्टन किसी उपबंध के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात वह निवास-स्थान उस अधिकारी के जिसे वह आबन्टित किया गया हो या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा हो वहां ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान के उपयोग या अधिभोग के लिए नुकसानी सेवा, फर्नीचर, और बाग प्रभार आदि का देनदार होगा । वह नुकसानी मूल नियम 45 ख के अधीन मानक लाइसेंस फीस की दुगनी राशि के बराबर (अथवा जहां मूल अनुज्ञप्ति फीस पूलित की गई हो वहां मूल नियम 45-ख के पूलित मानक लाइसेंस फीस की दुगनी राशि, इनमें से जो भी उच्चतर हो) तथा मूल नियम 45-ख के अधीन विभागीय प्रभारों सहित अन्य एकल प्रभारों (अर्थात् सेवा प्रभार, बाग प्रभार, स्केल फर्नीचर तथा अतिरिक्त फर्नीचर और बिजली उपकरणों के लिए प्रभार आदि) की राशि को जोड़कर होगी । परिवर्धन तथा परिवर्तन के लिए अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस को भी उसी ढंग से दुगना किया जाएगा जिस ढंग से भवन के मामले में किया जाता है ।

*केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39 के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति अथवा सेवा छोड़ने की तारीख के बाद, मंजूर की गई छुट्टी ।

परन्तु किसी अधिकारी को, विशेष मामले में, मूल नियम 45-क के अधीन मानक लाइसेंस फीस से दोगुना या मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक लाइसेंस फीस से दो गुना, यदि लाइसेंस फीस पूलित की गई हो, इनमें से जो भी राशि अधिक हो के भुगतान किए जाने पर उन नियम (2) के नीचे सारणी में उल्लिखित अनुज्ञेय अवधि से अधिकतम छह मास से की अवधि के लिए निवास रखने के लिए आबन्टन प्राधिकारी द्वारा अनुमत किया जा सकेगा ।

III. ये नियम सामान्य सेवा के ऐसे अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो सेवा की एक शर्त के रूप में अनुज्ञप्ति फीस मुक्त निवास स्थान या उसके बदले में मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं और न ही ये नियम उन अधिकारियों पर लागू होंगे जिन्हें सेवा के हित को ध्यान में रखते हुए उनके पदों से सम्बद्ध निवास स्थान आबन्टित किए गए हैं तथा जिसके लिए उक्त विषय पर विशेष पृथक नियम जारी किए गए हों।

[महा निदेशक डाक तार का कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/48/64-एन०बी०, दिनांक 6 अगस्त, 1965]

9. सेवानिवृत्ति/सेवान्त छुट्टी/मृत्यु होने पर साधारण पूल आवास को रखे रहने की बढाई गई अवधि.—(1) अनुपूरक नियम 317-ख-11(2) के प्रावधान के अनुसार किसी अधिकारी को आबन्टित किया गया आवास उसकी सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी पर 2 महीने की अवधि के लिए और आबन्टिती के निधन पर 4 महीने की अवधि के लिए उस अधिकारी के द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सद्भावपूर्वक उपयोग के लिए रखा जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुझाव दिया है कि सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रति सद्भाव रखते हुए सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क की अदायगी पर आवास को रखे रहने की अनुज्ञेय अवधि 2 महीने से अधिक बढ़ाई जाए। इस मामले पर विचार किया गया है और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुपूरक नियम 317-ख-II (2) के अनुसार आवास को रखे रहने की अनुज्ञेय अवधि को सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी के मामले में 2 महीने से 4 महीने तक और आबंटिती के निधन के मामले में 4 महीने से 6 महीने तक बढ़ा दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति तथा सेवान्त छुट्टी के अनुपूरक नियम 317-ख-22 के प्रावधान के अनुसार आवास को इससे आगे रखे रहने की अवधि की अनुमति जो बढे हुए अनुज्ञप्ति शुल्क की अदायगी के आधार पर विशेष मामलों में "6 महीनों से अधिक नहीं" है को घटाकर "4 महीनों से अधिक नहीं" तक कर दी जाए। 22 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना का०आ० संख्या 666 की एक प्रतिलिपि इस ज्ञापन के साथ भेजी जाती है (अमुद्रित)।

(2) चूंकि उक्त अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होती हैं, अतः जैसा कि ऊपर कहा गया है आवास को रखे रहने की अनुज्ञेय अवधि आदि उपर्युक्त घटनाओं के संबंध में 22 फरवरी 1986 से या इसके बाद से ही लागू की जाए और 21 फरवरी 1986 को या इससे पहले के सेवानिवृत्त/निधन सम्बन्धि मामले नियमों के पूर्ववत प्रावधानों से ही शासित होंगे ।

[भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का तारीख 21-4-1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12035(22)/83-नीति-2 (खण्ड-3)]

10. मानक लाइसेंस फीस का पूर्णांकन किया जाना.—यह निर्णय किया गया है कि निवास-स्थान, फर्नीचर, संस्थापनों तथा अन्य सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से परिकल्पित मासिक मानक लाइसेंस फीस की राशि (जब मूल नियम 45-ख के अधीन दिए अनुसार अलग मद के रूप में, परिकल्पित की गई हो) जब रु० 5 से अधिक और रु० 10 से कम हो और पूर्ण रुपयों में न हो, तो उसे निकटतम आधे रुपए में मान लिया जाए अर्थात् रुपए के किसी पहले एक चौथाई से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा तथा रुपए के किसी पहले चौथाई तथा उससे ऊपर के भाग को जो रुपए के तीन चौथाई भाग से कम हो, आधा रुपया मान लिया जाएगा और रुपए का जो तीन चौथाई अथवा उससे ऊपर का भाग होगा, को पूरा रुपया मान लिया जाएगा। रु० 10 से अधिक की मासिक मानक लाइसेंस फीस को जो पूर्ण रुपयों में न हो निकटतम रुपए में मान लिया जाए। अर्थात् आधे रुपए से कम के किसी भाग को छोड़ दिया जाएगा और आधे रुपए तथा उससे ऊपर के किसी भाग को पूरा रुपया मान लिया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 5 (23)/63-संपदा, दिनांक 1-8-1964]

11. निवास-स्थान पर सरकारी काम-काज के लिए लाइसेंस फीस में कोई छूट नहीं.—यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है कि क्या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जो सरकारी रियायशी आवास में रह रहा हो, यदि वह उक्त आवास के किसी हिस्से का प्रयोग कार्यालय के कार्य के लिए करता है हो तो उसे उस हिस्से के लिए अनुज्ञप्ति फीस में छूट दी जानी चाहिए। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में मूल नियमों के अधीन निवास-स्थान के लिए अधिकारी द्वारा भूगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

[भारत सरकार, निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय, निर्माण तथा आवास विभाग, पत्र संख्या 12/50-63-ए सी सी-I, दिनांक 21 जनवरी, 1964]

12. कुल मासिक परिलब्धियों पर लाइसेंस फीस का परिकलित किया जाना.—ऐसे किसी अधिकारी के मामले में जिनकी परिलब्धियों की दर में उस माह के

बीच में जिस माह के लिए लाइसेंस फीस वसूल की जानी है यदि किन्हीं कारणों से कोई परिवर्तन किया गया था, एक प्रश्न उठाया गया कि क्या मूल नियम 45-कIV (ख) (1) के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा मूल नियम 45-ग में यथा-परिभाषित ली गई कुल मासिक परिलब्धियों को मानक लाइसेंस फीस के साथ उसकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत की तुलना करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए अथवा मानक अनुज्ञप्ति फीस और प्रत्येक चरण पर परिलब्धियों की दर के 10% के बीच तुलना की जानी चाहिए। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि नियमों में मासिक परिलब्धियों का उल्लेख है न कि परिलब्धियों की दर का अतः यदि उस मास के दौरान उसमें कोई परिवर्तन होता है सरकारी कर्मचारी की उपलब्धियों के 10 प्रतिशत की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस मास की कुल परिलब्धियों पर ध्यान दिया जाएगा न कि समय समय पर निकाली गई विभिन्न दरों पर।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की यू०ओ० संख्या 5313/पी० एण्ड टी० 1/63, दिनांक 18 अक्तूबर, 1963।]

13. अपनी तैनाती के स्टेशन पर उसके निकट जिन अधिकारियों के अपने मकान हों उनसे वसूली योग्य अनुज्ञप्ति फीस.—(क) ऐसे अधिकारी जो किराया-मुक्त आवास के हकदार नहीं हैं.—(1) सरकार ने यह निर्णय किया है कि अपना मकान रखने वाले अधिकारियों को आवास आबण्टित करने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध पर में दिनांक 1 जून 1987 से आशोधन किया जाना चाहिए। उन्हें सरकारी आवास के लिए पात्र समझा जाना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया है कि अपने मकान रखने वाले अधिकारियों को यदि अधिकारी को अपने मकान से रु० 1,000 प्रतिमाह से अधिक की आय न हो तो सामान्य लाइसेंस फीस पर अथवा यदि आय रु० 1,000 प्रतिमास से अधिक हो परन्तु रु० 2,000 प्रतिमास से कम हो तो आधी बाजार दर पर लाइसेंस फीस की राशि पर और यदि आय रु० 2,000 प्रति मास से अधिक हो तो पूर्ण बाजार दर पर लाइसेंस फीस के भुगतान किए जाने के आधार पर ऐसे आवास का आबन्टन किया जाएगा। उन अधिकारियों से भी जिनके मकान अपने हों और वे बाजार दर पर लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरकारी आवास रखे हुए हों पहली जून, 1977 से इसी आधार पर लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी। मकान चाहे अधिकारी का हो अथवा उसकी पत्नी/उसका पति का अथवा उसके आश्रित बच्चों का, के नियम समान रुप से लागू होंगे।

(2) जहां मकान पट्टे पर दिया गया हो वहां मकान से आय का अर्थ मालिक द्वारा प्राप्त किए गए किराए से होगा। फिर भी, जहां मकान पट्टे पर न दिया गया हो वहां आय से अर्थ उस किराए से लिया जाएगा जिसके आधार पर नगर निकाय द्वारा गृह कर निर्धारित किया जाता हो। हालांकि, अधिकारी को उसके मकान से होने वाली आय के सही होने के बारे में अपनी संतुष्टि करने का कार्य सरकारी रिहायशी आवास के नियंत्रक प्राधिकारी का है फिर भी इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए :—

(i) जहां मकान पट्टे पर दिया गया हो, पट्टे का दस्तावेज।

(ii) गृह-कर की मूल रसीद।

संबंधित अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र का लिया जाना वांछनीय होगा कि उसके द्वारा इस विषय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज उन सभी मकानों से संबंधित हैं जिनका वह अपनी तैनाती के स्थान पर स्वयं अथवा उसकी पत्नी/उसका पति या उसके आश्रित बच्चे मालिक हैं। इस आशय का भी एक वचन-पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए कि जब कभी भी अधिकारी की उसके निजी मकान (मकानों) से मिलने वाले किराए में कोई वृद्धि होती है तो वह संबंध में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा ऐसे मामले में जहां अधिकारी का हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी मकान अथवा संयुक्त संपत्ति में मात्र एक हिस्सा हो और अधिकारी का हिस्सा एक अलग इकाई के रूप में न हो वहां इस आदेश के प्रयोजन से आय को वहां उस समस्त सम्पत्ति से होने वाली कुल आय में अधिकारी, उसकी पत्नी/उसका पति तथा आश्रित बच्चों के अनुपातिक हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) के का०ज्ञा० संख्या 12031(18)/77-नीति-II, दिनांक 14 जुलाई, 1977 का पैरा 1 और 2 तथा 30 अगस्त, 1980 का का०ज्ञा० संख्या 12033(6)/75-पूल II(वाल्यूम II) का पैरा 3]

ऊपर दिए गए आदेशों पर पुनर्विचार किया गया है। अपनी तैनाती के स्टेशन पर या उसके समीप अपना मकान रखने वाले अधिकारियों के संबंध में किराए से प्राप्त होने वाली आय तथा किराए की देयताओं के स्लैब, दोनों में संशोधन करके विद्यमान अनुदेशों को उदार बनाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

निजी मकान से प्राप्त होने वाली किराये की स्लैब	वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस की दर
(i) यदि अपने मकान से प्राप्त आय प्रतिमाह 3,000 रु० से अधिक नहीं है।	अनु० नि० 45-क के अधीन मानक लाइसेंस पूल लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 10% इनमें से जो भी कम हो।
(ii) यदि अपने मकान से प्राप्त आय प्रतिमाह 3,000 रु० से अधीक है किन्तु 5,000	अनु० नि० 45-क के अधीन दुगुनी मानक लाइसेंस फीस/दुगुनी

से कम है।	पूल लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 20% इनमें से जो भी कम हो।
(iii) यदि आय प्रति माह 5,000 रु० से अधिक है।	अनु० नि० 45-क के अधीन तिगुनी मानक लाइसेंस फीस/तिगुनी पूल लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 30% इनमें से जो भी कम हो।

(3) अन्य सभी शर्तें और निर्बन्धन वही रहेंगे।

(4) ये आदेश 6 अप्रैल, 194 से लागू होंगे।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) का दिनांक 5 मई, 1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12031(2)/81-पूल 11।]

स्पष्टीकरण.—यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति से होने वाली अव्यस्क सहभागी और पति/पत्नी की आय, जैसा भी मामला हो, को उन सरकारी कर्मचारियों की आय के साथ जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं जिनको साधारण पूल आवास आबन्टित किए जा चुके हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी निवास-स्थान आबन्टन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 के मू० नि० 45-क 4(सी)(2)(8)(सी) और अनु० पू० नि०—317-ख-3, के अनुसार किसी अधिकारी के संबंध में "कुटुंब के सदस्य" में "यथास्थिति पति/पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान अभिप्रेत है"।

यदि संबंधित सहभागी हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति "वाले कुटुंब के सदस्यों" की परिभाषा में आता है, जैसा कि उक्त नियमों में बताया गया है, तो संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति के सभी ऐसे सहभागियों की समानुपातिक आय को संबंधित अधिकारी की आय में समाविष्ट किया जाएगा और उसके आधार पर उनको आबन्टित साधारण पूल आवास के किराया संबंधी देयता सुनिश्चित की जाएगी।

[भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का दिनांक 7-5-1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12031/(1)/74-नीति-2 (खण्ड-2।]

(ख) **किराए-मुक्त आवास के लिए हकदार अधिकारी.**—(1) यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे अधिकारियों को जिनका कि अपने तैनाती के स्थान पर या उसके निकट अपना मकान हो, उन्हें किराया मुक्त आधार पर प्रदान किए गए सरकारी आवास के बारे में किराया संबंधी देयता क्या होनी चाहिए। इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे अधिकारियों की किराया संबंधी देयता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी :—

(i) यदि उसकी अपने मकान से आय रु० 1,000 प्रतिमास से अधिक न हो।	शून्य
(ii) यदि आय रु० 1000 प्रतिमास से अधिक हो परन्तु रु० 2,000 प्रतिमास से कम हो।	बाजार दर पर किराए का आधा जिसमें आबन्टित की परिलब्धियों को 10 प्रतिशत घटाया जाएगा।
(iii) यदि आय रु० 2,000 प्रतिमास से अधिक हो।	बाजार दर पर पूरा किराया जिसमें आबंटिती की परिलब्धियों को 10 प्रतिशत घटाया जाएगा।

(2) मकान चाहे अधिकारी का हो अथवा उसकी पत्नी उसके पति का अथवा उसके आश्रित बच्चों का, यह निर्णय समान रूप से लागू होगा।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का का०ज्ञा० सं० 18015(8)/81-नीति-III दिनांक 3 फरवरी, 1982।]

अपना मकान रखने वाले अधिकारियों की किराए संबंधी देयताओं के बारे में संशोधित आदेशों-दिनांक 5-5-1984 के का० ज्ञापन संख्या 12031(2)/81—पूल II द्वारा जारी उपयुक्त मद (क) को ध्यान में रखकर ऊपर दिए गए आदेशों की पुनरीक्षा की गई है। यह निर्णय किया गया है कि निःशुल्क आवास के हकदार अपना मकान रखने वाले अधिकारियों की किराए संबंधी देयताएँ निम्नानुसार होंगी जो 6 अप्रैल, 1984 से लागू है :—

अपने मकान से प्राप्त किराए की स्लैब	**वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस की दर**
(i) यदि अपने मकान से प्राप्त आय प्रतिमाह 300 रु० से अधिक नहीं है।	शून्य
(ii) यदि अपने मकान से प्राप्त आय प्रतिमाह 3,000 रु० से अधिक है किन्तु प्रतिमाह 5000 रु० से अधिक नहीं है।	मूल नियम 45-क के अधीन दुगुनी मानक लाइसेंस फीस/दुगुनी पूल लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 20% इनमें से जो भी कम हो उसमें से परिलब्धियों का 10% घटाकर।

(iii) यदि आय प्रतिमाह 5000 रु० से अधिक है।	मूल नियम 45-क के अधीन मानक लाइसेंस फीस/तिगुनी पूल लाइसेंस फीस या परिलब्धियों का 30 प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो उसमें से परिलब्धियों का 10% घटाकर।

(2) यह निर्णय एक समान रूप से लागू होगा चाहे मकान अधिकारी का अपना हो या उसके पति/उसकी पत्नी या उसके आश्रित बच्चों का हो।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का दिनांक 2 जुलाई, 1984 का का०ज्ञा० संख्या 18015/(8)/81-पूल III]

14. **जब पुराने निवास-स्थानों के बारे में स्थान तैयार कराने की लागत उपलब्ध न हो।**—मूल नियम 45-क में संशोधन कर दिया गया है ताकि मानक लाइसेंस फीस की गणना के प्रयोजन के लिए निवासस्थान की लागत में भूमि की लागत तथा उसके तैयार किए जाने पर खर्च की गई राशि शामिल की जा सके। कुछ पुराने निवास स्थानों के मामले में स्थान के तैयार कराने पर खर्च की गई राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह निर्णय किया गया है कि जहां किसी निवास स्थान के स्थान को तैयार कराने की लागत मालूम न हो वहां निवास स्थानों के दो-मंजिले होने की स्थिति में संरचना की मूल लागत का 10 प्रतिशत और निवास स्थानों के एक-मंजिल होने की स्थिति में संरचना की मूल लागत का 10 प्रतिशत को, लागत मान लिया जाना चाहिए।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय-नीति एकक) का का०ज्ञा० संख्या 13012(7)/75-नीति-I, दिनांक 31 मई, 1979]

15. (क) **1-3-1983 से विलयनोपरान्त वेतन के आधार पर वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस।**—(1) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 45-ए IV/(ख)(1) के अधीन जिन अधिकारियों की महंगाई वेतन सहित, परिलब्धियां 300 रुपए प्रति माह से कम हैं वे मूल नियम 45-ए के अधीन साढ़े सात प्रतिशत की दर पर लाइसेंस फीस या मानक लाइसेंस फीस, इनमें जो भी कम हो, अदा करेंगे, बशर्ते कि 300 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक परिलब्धियां पाने वाले अधिकारियों की, लाइसेंस फीस की कटौती के बाद, निवल परिलब्धियां 276.60 रु० प्रतिमाह से कम न हों। पहली फरवरी 1982 से मकान किराया भत्ते, प्रतिकर भत्ते की अदायगी के लिए उनके वेतन में 320 पाइंट औसत सूचकांक तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ते के विलयन के लिए सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13016/2/81-ई०-II(बी) के अधीन लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर उल्लिखित 320 पाइंट औसत सूचकांक तक महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते के विलयन के परिणामस्वरूप साढ़े सात प्रतिशत दर पर लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की सीमा को 300 रु० प्रतिमाह परिलब्धियों से कम की सीमा को बढ़ाकर 470 रु० से कम कर दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि 470 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक परिलब्धियां आहरित करने वाले अधिकारियों के मामले में, लाइसेंस फीस की कटौती के बाद निवल राशि 433.80 रु० से कम न हो। ये निर्णय पहली मार्च, 1983 से लागू होंगे।

(2) 1-2-1982 से 28-2-1983 तक की अवधि के लिए विलयन से पूर्व वेतन के आधार पर सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फीस लेने का भी निर्णय लिया गया है। विलयनोपरान्त वेतन और भत्तों के आधार पर परिशोधित लाइसेंस फीस 1-3-1983 से ली जाएगी।

(3) ये निर्णय सरकारी रिहायशों के उन आबन्टितियों पर भी लागू होंगे जिनकी परिलब्धियां 470 रुपए प्रतिमाह और उससे अधिक हैं और जिन्हें मूल नियम 45-ए के अधीन अपनी परिलब्धियों की 10% पर लाइसेंस फीस या मानक लाइसेंस फीस, इनमें जो भी कम हो, अदा करनी पड़ती है।

(4) ये निर्णय वित्त मंत्रालय के तारीख 1-5-1974 के संकल्प संख्या एफ II (35)/74-आई० सी० की मद 30 पर दिए गए निर्णय के आधार पर श्रेणी–I पदधारक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(5) यदि कोई ऐसे मामले में जिनके सम्बन्ध में अन्यथा निर्णय लिया गया है वे इन आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

[भारत सरकार, निर्माण व आवास मंत्रालय का तारीख 24 मई, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11(5)-डब्ल्यू० एण्ड ई०]

(ख) **दिनांक 31-12-1985 से लाइसेंस शुल्क को वर्तमान दरों पर अगले आदेशों तक स्थिर रखना।**—सरकार द्वारा चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप संशोधित वेतमान वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) द्वारा अधिसूचित किए जा रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सरकारी कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क की एक-मुश्त दर के नियतन और वसूली से सम्बन्धित मामला अलग से सरकार के विचाराधीन है और निकट भविष्य में संशोधित आदेश जारी कर दिए जाने की संभावना है। ऐसे आदेश जारी किए जाने तक, यह निर्णय किया गया है कि सरकारी आवास के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली उसी दर पर की जाती रहेगी जिस पर लाइसेंस शुल्क आजकल वसूल किया

जा रहा है। दूसरे शब्दों में आगामी आदेश जारी होने तक वेतनमानों में किए गए परिवर्तन के आधार पर आबंटी के वेतन में परिवर्तन के फलस्वरुप सरकारी कर्मचारियों की लाइसेंस शुल्क की देनदारी में कोई परिवर्तन न किया जाए।

ये आदेश सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रित रिहायशी आवास पर लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 24 सितम्बर, 1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/6/86-ई० II (ख)]

16. **बूस्टर पम्पों को चलाने और उसके रखरखाव पर होने वाला खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाएं.—** यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या हौदियों से पानी के चढ़ाने के प्रभार तथा बिजली, पानी के पंपों के रखरखाव की लागत पी० एण्ड ०टी० क्वार्टरों, विशेष रूप से बहुमंजिल इमारतों या ऐसे स्थानों पर जहां नगरपालिका सप्लाई से उपयुक्त जल-दबाव के अभाव के कारण बूस्टर व्यवस्था करनी पड़ी हो, के आबन्टितियों से वसूल की जाए या नहीं।

ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बहुमंजिली पी० एण्ड टी० इमारतों में ऊपर की टंकियों में पंपों से पानी चढ़ाने के लिए नगर प्राधिकरणों द्वारा अधिष्ठापित बूस्टर पंप को चलाने और उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च विभाग द्वारा वहन किए जाए। ये आदेश जलापूर्ति की विभागीय व्यवस्था के मामले में लागू नहीं होंगे।

[महानिदेशक, डाक तार का तारीख 23 सितम्बर, 1975 का पत्र संख्या 26-80/71-एन०बी०]

17. **नई दिल्ली/दिल्ली में सामान्य पूल रिहायशी आवास के संबंध में बाजार लाइसेंस फीस एकत्र करना.—** (1) चूंकि विभिन्न कालोनियों में सामान्य पूल रिहायशी आवास के उसी टाइप में अधिकतम और न्यूनतम लाइसेंस फीस की दर में पर्याप्त अन्तर था। अतः समानता लाने की आशा से बाजार लाइसेंस फीस को एकत्र करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। अब यह निर्णय लिया गया है कि पहली अगस्त, 1976 से हर मास बाजार लाइसेंस फीस का परिकलन टाइप II से IV तक के आवास समूहों के लिए 4.63 रुपए प्रति वर्ग मीटर की एकत्रित यूनिट दर पर तथा टाइप V से VIII तक के आवास समूहों के लिए 5.11 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब में लगाया जाये अर्थात् एकत्रित बाजार दर टाइप II से IV के लिए एकत्रित मानक लाइसेंस फीस की 4.66 गुणा तथा V और उससे ऊपर के आवास के लिए 5 गुणा होगा जहां तक टाइप I का संबंध है मूल नियम 45-ए और बाजार लाइसेंस फीस दोनों के लिए लाइसेंस फीस का परिकलन मौजूदा पद्धति के अनुसार ही किया जाता रहेगा।

(2) यह भी निर्णय लिया गया है कि पहली अगस्त 1976 से, जिन अधिभोक्ताओं के आबन्टन रद्द कर दिए गए है और सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोक्ताओं का निष्कासन), अधिनियम 1971 के अधीन आवश्यक निष्कासन कार्यवाहियां अन्तिम रूप से निर्णीत हो गई हैं और परिसर खाली करने के लिए स्वीकृति तीस दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, उनमें ऊपर पैरा I के अधीन परिकलित किसी आवास विशेष की एकत्रित बाजार लाइसेंस फीस से तीन गुणा क्षतियां, खाली करने/व्यवहारिक निष्कासन की तारीख तक हर मास वसूल की जाएंगी। टाइप I क्वार्टरों के मामले में इन मकानों के लिए निर्धारित की गई मौजूदा बाजार लाइसेंस फीस से तीन गुणा होंगी।

[भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का तारीख 31 जुलाई, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011 (12)/73-पोल-I]

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में प्रभार्य लाइसेंस फीस की एकत्रित बाजार दर मूल नियम 45-बी के अधीन प्रभार्य लाइसेंस फीस तथा डी० सी० से कम है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां सामान्य पूल में आवास के लिए लाइसेंस फीस की एकत्रित बाजार दर ली जाती है, उनमें वास्तविक ली जाने वाली लाइसेंस फीस, मूल नियम 45-बी के अधीन लाइसेंस फीस या मानक लाइसेंस फीस तथा डी० सी० की एकत्रित बाजार दर पर इनमें जो भी अधिक हो, ली जायेगी।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का तारीख 29 मई, 1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16012/(4)/80-पॉल-III]

यह निर्णय लिया गया है कि तारीख 29 मई, 1981 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेश सामान्य पूल आवास के अधिभोक्ता मकान मालिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। उनके मामलों में उनसे ऊपर भारत सरकार आदेश (13) में दिए गए आदेशों के अनुसार लाइसेंस फीस ली जायेगी।

[भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) का तारीख 29 नवम्बर, 1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/(6)/82-पाल-III]

महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश

(1) मू० नि० 45-ख के अधीन, विभागीय क्वार्टरों में रहने वाले कुछ डाक व तार अधिकारियों से लाइसेंस फीस की वसूली प्राप्त करने के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। अतः महालेखाकार, डाक व तार तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित स्पष्टकारी अनुदेश जारी किए जाते हैं :—

(i) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिनके नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है वे मू० नि० 45-क के क्षेत्र में आते हैं न कि मू० नि० 45-ख के क्षेत्र में। तदनुसार, सरकारी निवास स्थानों में कर्मचारियों से मू० नि० 45-ख के अधीन लाइसेंस फीस का वसूल किया जाना सामान्यतः नियम के विरुद्ध होगा।

(ii) फिर भी, सरकार, मू० नि० 45-क [IV (ग) (ii)] के अधीन मद संख्या (1) से (6) तक में बताई गई परिस्थितियों में मू० नि० 45-क IV (ख) के अधीन निर्धारित लाइसेंस फीस से अधिक राशि वसूल कर सकती है।

आदेशित अधिक वसूली की राशि, सिवाय सामान्य परिस्थितियों के, मूल नियम 45-ख के अधीन वसूली योग्य लाइसेंस फीस की राशि से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक मामले में सामान्य रूप से अनिवार्यतः से अधिक नहीं होगी।

(iii) इससे पहले की मू० नि० 45-क IV (ग) (*ii*) (1) के अधीन बढ़ी हुई लाइसेंस फीस की वसूली के आदेश किए जाएं, आबन्टन को रद्द किया जाना आवश्यक होगा। आबन्टन के रद्द न किए जाने की स्थिति में उस क्वार्टर की प्रति-धारण की अनुमति दी गई मान ली जाएगी और बढ़ी हुई अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नियम के विरुद्ध होगी।

(महानिदेशक, डाक व तार का का०ज्ञा० संख्या एन०बी० 42/36/51, दिनांक 2 जुलाई, 1952)

(2) जहां तक मूल नियम 45-क-II तथा 45-ख-II के परन्तुक के खण्ड (IV) का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक लाइसेंस फीस की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी भवन की (संस्थापन सहित) पूंजीगत लागत उसके निर्माण कार्य की लागत (अर्थात् विभागीय प्रभारों को छोड़कर) जिसमें निर्माण कार्य पर हुए प्रत्यक्ष व्यय अर्थात् निर्माण कार्य प्रभारित स्थापना तथा निर्माण कार्य के लिए सीधे डेबीट किए गए औजारों तथा यंत्रों की खरीद पर और भाड़े पर तथा निर्माण कार्य में जारी किए गए अथवा प्रयोग में लाए गए भण्डारों के किराए पर, खर्च की गई राशि को शामिल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, डाक और तार विभाग की इंजीनियरी शाखा द्वारा किए गए विद्युत प्रतिष्ठापन कार्यों की कार्य लागत में राजस्व के नामे डाले जाने वाली राशि सहित ऐसे निर्माणकार्य में जारी अथवा प्रयोग में लाए गए भण्डारों के भाड़े तथा भण्डारण प्रभार की राशि के संबंध में किए गए समायोजनों को भी शामिल किया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सी) यू०ओ० संख्या 543-एफ० एस०II/57, वित्त दिनांक 19 मार्च, 1957, डी०जी० पी० एण्ड टी० यू०ओ० संख्या 26/30/57, दिनांक 23 जुलाई, 1959 और डी०जी० पी० एण्ड टी० के पत्र संख्या 26/50/57 एन०पी०, दिनांक 19 सितम्बर, 1959 पर वित्त मंत्रालय (सी०) का पृष्ठांकन]

लेखा-परीक्षा अनुदेश

(1) मूल नियम 45 के अधीन प्रविष्टियां देखें।

(2) अमुद्रित।

(3) अमुद्रित।

(4) मूल नियम 45-क और 45-ख के खण्ड III (ख) के अधीन निवास-स्थानों की मानक लाइसेंस फीस की गणना करते समय निम्नलिखित तालिका में दी गई ब्याज दरें लागू करनी चाहिए :—

निवास-स्थान के अधिग्रहण तथा निर्माण की तारीख	ब्याज की दर	
	उन भवनों के लिए जिनका कब्जा 19 जून, 1922 को अथवा उससे पहले गया हो।	उन भवनों के लिए जिनका कब्जा 19 जून, 1922 के बाद लिया गया हो।
1 अप्रैल, 1919 से पहले	$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	4 प्रतिशत
1 अप्रैल, 1919 से पहले 31 जुलाई, 1921 तक।	$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	5 प्रतिशत
1 अगस्त, 1921 से 31 दिसम्बर, 1921 तक।	$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	6 प्रतिशत
1 जनवरी, 1922 से अगले आदेश होने तक	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत

टिप्पणी.—इस सारणी के कालम (1) में उल्लिखित निर्माण की तारीख निवास-स्थान के निर्माण के लिए प्राक्कलन के खातों के बन्द किए जाने की तारीख समझी जानी चाहिए। निवास-स्थान के परिवर्धन और रद्दो-बदल पर खर्च हुई राशि के संबंध में ब्याज की गणना, ऐसे परिवर्धन अथवा रद्दो-बदल के प्राक्कलनों के खातों के बन्द किए जाने की तारीख को लागू की जानी चाहिए।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुनःमुद्रित) का भाग-I, अध्याय-V, पैरा 5(i)]

भारत सरकार का ऊपर निर्दिष्ट आदेश संख्या (5) भी देखें।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक को उसके अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टाधृत वाला कोई ऐसा निवास-स्थान दिया जाता है जो कि उसकी पात्रता से उच्चतर वर्ग का हो और जबकि उसके लिए उसके वर्ग का निवास-स्थान उपलब्ध हो वहां उस निवास-स्थान की निर्धारित मानक लाइसेंस फीस की पूरी राशि ली जानी चाहिए और मू०लि० 45-क तथा 45-ख के खण्ड IV (ख) के अधीन दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुनः मुद्रित) का भाग-I अध्याय V पैरा 5(ii)]

(6) मूल नियम 45-क अथवा मूल नियम 45-ख के खण्ड V (ख) के अधीन केवल किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही नहीं बल्कि सरकारी सेवकों के वर्गों के साथ भी ऐसी कार्रवाई का किया जाना अनुज्ञेय है।

[लेखा-परीक्षा अनुदेशों के मैनुअल (पुनः मुद्रित) का भाग-I, अध्याय-V, पैरा 5(iii)]

मूल नियम 45-ख.—I. यह नियम उन सरकारी सेवकों पर लागू होता है जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें मूल नियम 45-क लागू होता है। [1][**] या उनसे भिन्न हैं जो ऐसे निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जो भारतीय रेलवे के हैं, या रेल-राजस्व के खर्च पर किराए पर लिए गए हैं।

II. खण्ड-III के उपखण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए सरकार के स्वामित्वाधीन निवास स्थान की पूंजी लागत के अन्तर्गत ऐसी विशेष सेवाओं और प्रतिष्ठापनों (जिनमें फर्नीचर, टैनिस कोर्ट तथा स्वच्छता, जल-प्रदाय या विद्युत प्रतिष्ठापन तथा फिटिंग भी आते हैं) का जो उनमें हो, खर्च या मूल नहीं आएगा, और पूंजी लागत में या तो—

(क) निवास स्थान के अर्जन या सन्निर्माण का खर्च होगा, जिसमें स्थल का खर्च और उसकी तैयारी का खर्च और अर्जन या सन्निर्माण के पश्चात् उपगत कोई भी पूंजी व्यय भी है, या जब वह ज्ञात न हो तो,

(ख) निवास स्थान का वर्तमान मूल्य होगा जिसमें स्थल (साइट) का मूल्य भी है।

टिप्पणी.—प्रत्यावर्तन या विशेष मरम्मतों का खर्च, पूंजी लागत या वर्तमान मूल्य में तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन या मरम्मत वास सुविधा में कोई वृद्धि न करती हो या उसमें वर्तमान प्रकार के निर्माण के स्थान पर अधिक व्ययसाध्य सन्निर्माण न किया जाए :

परन्तु—

(i) केन्द्रीय सरकार उस रीति को उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी जिसमें निवास स्थानों का वर्तमान मूल्य अवधारित किया जाएगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करने वाले नियम बना सकेगी कि कौन सा ऊपर के उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए स्थल की तैयारी पर व्यय के रूप में समझा जाएगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जाना चाहिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर के विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के समस्त निवास स्थानों का पुनर्मूल्यांकन ऊपर के परन्तुक (i) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के आधार पर किसी या समस्त ऐसे निवास स्थानों की पूंजी लागत को पुनरीक्षित कर सकेगी;

(iv) पूंजी लागत में, चाहे वह कैसे भी संगणित की जाए,—(1) उन मामलों में जिनमें कि निवास स्थान का सरकार द्वारा सन्निर्माण किया गया हो, स्थापन तथा औजारों और संयंत्र मद्धे कोई भी प्रभार, उन प्रभारों से भिन्न जो सन्निर्माण पर सीधे ही वस्तुतः प्रभारित किए गए हों, या (2) अन्य मामलों में ऐसे प्रभारों की प्राक्कलित रकम संगणना में नहीं ली जाएगी;

(v) केन्द्रीय सरकार, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाने चाहिए, निवास स्थान की पूंजी लागत के किसी विनिर्दिष्ट अंश को निम्न-लिखित दशाओं में बट्टे खाते डाल सकेगी, अर्थात् :—

(1) जब निवास स्थान का कोई भाग अनिवार्यतः अधिकारी द्वारा जिसको कि निवास स्थान आबंटित किया जाए, उन सरकारी या गैर सरकारी आगन्तुकों के स्वागत के लिए जो कारबार के निमित्त उससे मिलने आए, अलग रखना पड़े, या

(2) जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऊपर निर्दिष्ट नियमों के अधीन यथा-अवधारित पूंजी लागत, दी गई वास सुविधा के उचित मूल्य से बहुत अधिक होगी ;

(vi) स्वच्छता, जलप्रदाय और विद्युत प्रतिष्ठापनों और फिटिंगों की लागत या मूल्य का निर्धारण करने में केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि इस प्रयोजन के लिए क्या क्या फिटिंग के रूप में समझा जाएगा।

III. निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी :—

[2](क)(i) पट्टाधृत निवास स्थान की दशा में, मानक अनुज्ञप्ति फीस वह रकम होगी जो पट्टाकर्ता को संदत्त की जाए;

(ii) अधिगृहीत निवास स्थान की दशा में, मानक अनुज्ञप्ति फीस वह प्रतिकर होगा जो भवन के स्वामी को संदेय हो;

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई-4(ए)/79, दिनांक 21 जनवरी, 1972 के द्वारा ये शब्द "या उस नियम के खण्ड VII के उपबंधों के अधीन लागू किया जाता है" निकाल दिए गए हैं।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(10)/63-संपदा, दिनांक 12 जुलाई, 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

दोनों ही दशाओं में यथास्थिति, पट्टे की या अधिग्रहण की कालावधि के दौरान, मामूली और विशेष अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा परिवर्धनों या परिवर्तनों पर किए गए पूंजी व्यय के लिए ऐसी राशियों की, जो सरकार पर प्रभार हों, पूर्ति के लिए और ऐसे पूंजी व्यय पर ब्याज के लिए और साथ ही ऐसे निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय गृह कर या सम्पत्ति के प्रकार के नगरपालिका तथा अन्य करों के वहन के लिए, उन नियमों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, अवधारित राशि और जोड़ दी जाएगी ।

(ख) सरकार के स्वामित्वाधीन निवास-स्थानों की दशा में मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना.—निवास स्थान की पूंजी लागत पर (परिवर्धन तथा परिवर्तन सहित) की जाएगी[1] और वह ऐसी पूंजी लागत का वह प्रतिशत होगी जो ब्याज की उस दर के बराबर हो जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियत की जाए और उसमें निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय गृह कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के नगरपालिका तथा अन्य करों के लिए तथा मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राशि जोड़ी जाएगी । ऐसी राशि उन नियमों के अधीन अवधारित होगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाए ।

[2][(खख) ऐसे निवास स्थान की दशा में जो सरकार को दान में दिया गया है या मामूली अनुज्ञप्ति फीस पर पट्टे पर दिया गया है या निःशुल्क अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर सरकार को दिया गया है, मानक अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो सरकार के स्वामित्वाधीन निवास स्थान के लिए है ;]

[1](ग) (सभी दशाओं में) मानक अनुज्ञप्ति फीस एक कैलेण्डर मास के लिए मानक के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी और ऊपर संगणित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बारहवें भाग के बराबर होगी किन्तु यह इस परन्तुक के अधीन होगा कि विशेष परिक्षेत्रों में या निवास स्थानों के विशेष वर्गों के बारे में, केन्द्रीय सरकार, एक मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम की कालावधि के लिए मानक अनुज्ञप्ति फीस नियत कर सकेगी । जहां केन्द्रीय सरकार इस परन्तुक के अधीन कार्रवाई करे वहां इस प्रकार नियत की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के अधिक न हो जो ऊपर के नियम 45 के अधीन यथा विहित अधिभोग की कालावधि और एक वर्ष में है ।

टिप्पणी 1 :—ऊपर के उपखण्ड [1][(क), (ख) तथा (ख ख)] के प्रयोजनों के लिए मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए परिवर्धनों के अन्तर्गत स्थापना और औजारों तथा संयंत्र प्रभारों के लिए कुछ भी, सिवाय उसके जो कि खण्ड II के परन्तुक (iv) के अधीन अनुज्ञात है, सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2 :—केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा उन छोटे परिवर्धनों और परिवर्तनों का खर्च जो निवास स्थान की पूंजी लागत के एक विहित प्रतिशत से अधिक न हो, ऐसी कालावधि के दौरान जो नियम द्वारा अवधारित की जाय, निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि किए बिना ही अनुज्ञात कर सकेगी ।

IV. जब सरकार सरकारी सेवक को अपने द्वारा पट्टाधृत [2](या अधिगृहीत) या अपने स्वामित्वाधीन कोई निवास स्थान दे तब निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा :—

(क) दी गई वास सुविधा, अधिकारी की अपनी प्रार्थना पर के सिवाय, ऐसी वास सुविधा से अधिक न होगा जो कि अधिभोगी की प्रास्थिति की दृष्टि से समुचित हो ।

(ख) जब तक कि किसी मामले में इन नियमों में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित न हो, वह —

(i) निवास स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस देगा, जो ऊपर के खण्ड III में यथा परिभाषित

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20(21)/36-डब्ल्यू एण्ड ई०, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(10)/63-संपदा, दिनांक 12 जुलाई, 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

मानक अनुज्ञप्ति फीस है, या उसकी मासिक उपलब्धियों का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो;

(ii) निवास स्थान के बारे में सरकार द्वारा संदेय नगरपालिका और अन्य कर जो गृह-कर या सम्पत्ति-कर के प्रकार के न हों, देगा; और

(iii) निवास स्थान के लिए प्रदान की गई सेवाओं के बारे में सरकार द्वारा संदेय प्रभारों के लिए प्रतिकर देगा ।

(ग) उपरोक्त उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार—

(i) उपरोक्त खण्ड III के उपबन्धों के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के संगणित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय चाहे किसी विशिष्ट क्षेत्र में के या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के निवास स्थानों को, अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने पर वर्गीकृत कर सकेगी—

(1) यह कि निर्धारण का आधार एक समान हो, और

(2) यह कि किसी भी सरकारी सेवक से ली गई रकम उसकी मासिक उपलब्धियों के दस प्रतिशत से अधिक न हो;

(ii) साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित सरकारी सेवकों से उनकी उपलब्धियों के दस प्रतिशत से अधिक अनुज्ञप्ति फीस लेने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात् :—

(1) जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन न हो,

(2) जो कर्तव्य पर उस स्थान पर जहां कि उसे निवास स्थान दिया गया है, निवास करने के लिए अपेक्षित नहीं है या अनुज्ञात नहीं है, या

(3) जिसे ऐसी वास सुविधा, जो उसके द्वारा धारित पद की प्रास्थिति की दृष्टि से समुचित वास सुविधा से अधिक है, स्वयं उसकी प्रार्थना पर दी गई है, या

(4) जिसे निर्वाह साधन में महंगाई के कारण, प्रतिकरात्मक भत्ता मिलता है;

(घ) जहां अनुज्ञप्ति फीस मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना में गलती से या भूल से या अनवधानता से कम वसूल की गई है वहां सरकारी सेवक कमी का संदाय, उस तारीख से जिसको कि कम वसूली की गई थी, बारह मास के भीतर की गई मांग पर इतनी किश्तों में करेगा जितनी कि सरकार निर्दिष्ट करे ;

[1](ङ) (i) जहां निवास-स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस उसके आबंटन के समय उन कारणों से जो कि अभिलिखित किए जाएंगे अवधारित नहीं की जा सकती वहां सरकारी सेवक ऐसी अनुज्ञप्ति फीस संदत्त करेगा जो भवन के सन्निर्माण पर वास्तव में किए गए व्यय या इसके अधिग्रहण में हुए वास्तविक खर्च, उसमें की गई फिटिंगों के खर्च और उससे संबंधित ज्ञात और प्रत्याशित दायित्व को जोड़कर जो रकम आए वह तथा उसमें उसका दस प्रतिशत या उसकी मासिक परिलब्धियों का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, और जोड़कर जो रकम आए उसके आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाए :

परन्तु उन अधिकारियों के बारे में जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1960 के अधीन पुनरीक्षित वेतन लेते हैं और जिनकी उपलब्धियां 150 रु० प्रतिमास से कम हैं, वहां ऊपर वर्णित "दस प्रतिशत" के स्थान पर "साढ़े सात प्रतिशत" लागू होगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1960 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में 150 रु० प्रतिमास और इससे ऊपर अधिक उपलब्धियां पाने वाले अधिकारियों के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की कटौती करने के पश्चात् शुद्ध उपलब्धियां 137 रु० 82 पैसे से कम नहीं होंगी;

(ii) इस प्रकार नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस उस कैलेण्डर मास की अन्तिम तारीख तक प्रभावी रहेगी जिस मास में उस निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस अवधारित की जाए;

(iii) उपखण्ड (ङ) (i) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, सरकारी सेवक निवास-स्थान के लिए सरकार द्वारा संदेय नगरपालिका तथा अन्य कर, जो गृह-कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के न हों, तथा निवास स्थान के लिए उपबंधित सेवाओं के बारे में सरकार द्वारा संदेय प्रभारों के लिए प्रतिकर भी देगा ।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(9)/ 63-संपदा, दिनांक 4 जून, 1963 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1](च) उपखण्ड (ङ) (i) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकारी सेवक से उसका आबंटित निवास स्थान के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की वसूली उस उपखण्ड के अनुसरण में या किसी अन्य आधार पर, जिसे 4 जून, 1963 से पूर्व उस निवास स्थान के बारे में अपनाया गया हो, की जाए और उस निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस अवधारित न हो चुकी हो, तो इस प्रकार वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस नियमों के अधीन वसूलीय उस निवास-स्थान की अनुज्ञप्ति फीस समझी जाए।

V. विशेष परिस्थितियों में, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाने चाहिए, केन्द्रीय सरकार----

(क) साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को अनुज्ञप्ति फीस मुक्त वास सुविधा प्रदान कर सकेगी, या

(ख) विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से वसूल की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस की रकम को अधित्यक्त या कम कर सकेगी, या

(ग) साधारण या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका या अन्य करों की, जो गृह-कर या सम्पत्ति कर के प्रकार के न हों, रकम को जो किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग से वसूल की जानी हो, अधित्यक्त या कर सकेगी।

VI. यदि निवास स्थान में निम्नलिखित या उसी प्रकार की एक या अधिक सेवाएं अर्थात्—फर्नीचर, जल या विद्युत प्रदाय अथवा स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापन (जिसके अन्तर्गत फिटिंग भी है), टेनिस कोर्ट, या सरकारी खर्चे पर अनुरक्षित उद्यान, प्रदान की जाती है तो इसके लिए अनुज्ञप्ति फीस उस अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त प्रभारित की जाएगी जो खण्ड IV के अधीन संदेय है। किराएदार से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह उपयुक्त जल, विद्युत ऊर्जा आदि का खर्चा भी संदत्त करे। केन्द्रीय सरकार यह विहित करने वाले नियम बना सकेगी कि यह अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस तथा प्रभार कैसे अवधारित किए जाएंगे और ये नियम विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या प्रभार का परिहार या कम किया जाना भी, उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाने चाहिए, प्राधिकृत कर सकेंगे।

[2]VII. विलोपित किया गया।

[इस नियम के अधीन बनाए गए नियमों के लिए देखें अनुपूरक नियम 327 से 335]

भारत सरकार के आदेश

1. मूल नियम 45-क के अधीन दी गई प्रविष्टियों को देखें।

2. **सरकारी भवन का प्राइवेट व्यक्ति को किराए पर दिया जाना.**---यह निर्णय किया गया है कि जब कभी भी कोई सरकारी भवन किसी प्राइवेट व्यक्ति को रिहायशी अथवा व्यापारिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया जाता है तो अनुज्ञप्ति फीस, उस इलाके विशेष में इन प्रयोजनों के लिए प्रचलित दरों पर हर महीने अग्रिम रूप में वसूल की जानी चाहिए। परन्तु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना ऐसी लाइसेंस फीस की रकम मूल नियम 45-ख के उपबन्धों के अनुसार संगणित लाइसेंस फीस की रकम से कम नहीं होगी। ऐसी संगणना करते समय उक्त नियम के खण्ड II के परन्तु (IV) तथा खण्ड III के अधीन टिप्पण 1 पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और स्थापन के लिए पूरे विभागीय प्रभारों पर (जिनमें पेंशन, औजारों तथा संयंत्रों और लेखा-परीक्षा तथा लेखा प्रभार शामिल हैं), सामान्य तथा विशेष अनुरक्षण तथा मरम्मत में शामिल किए जाने वाले, दोनों, पूंजी लागत तथा अतिरिक्त प्रभारों, की गणना करने के प्रयोजन से, हिसाब में लिए जायेंगे।

टिप्पणी.--पूंजीगत लागत, परिवर्धनों तथा परिवर्तनों और अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए विभागीय प्रभारों की दर वही होगी जो कि लाइसेंस फीस की संगणना के समय लागू होगी। ऐसे सभी मामलों में जहां सरकार द्वारा भवनों का अधिग्रहण केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शाखा के माध्यम से किया गया है उन मामलों में विभागीय प्रभारों की पूरी दर के बदले में पूंजीगत लागत पर केवल तीन प्रतिशत का प्रभार लिया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त विभाग के पृष्ठांकन सं० एफ 11(51)-ई० एक्स० 1/39, दिनांक 2 नवम्बर, 1939 के साथ प्राप्त भारत सरकार, श्रम विभाग का पत्र सं० बी० 9, दिनांक 13 सितम्बर, 1939]

3. **सम्पत्ति-कर शब्द का क्षेत्र.**---एक प्रश्न उठाया गया कि क्या मूल नियमों के प्रयोजनों के लिए सेवा के स्वरूप के कुछ उन करों को जो कि समेकित नियम कर, जिन्हें आम तौर पर "सम्पत्ति कर" के रूप में जाना जाता है, का एक हिस्सा होते हैं, मानक लाइसेंस फीस में शामिल किया जाना चाहिए। नियम बनाने वाले प्राधिकारी का यह मत था कि जिस प्रकार इस नियम में सम्पत्ति कर शब्द का प्रयोग

1. भा० स०, वि० मं० की अधि० सं० 5(9)/63-संपदा, दिनांक 4 जून, 1963 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई० 4 (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 1971 के द्वारा हटा दिया गया है और यह अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी, 1971 से प्रभावी है।

किया गया है उसका अर्थ सामान्य रूप में लिया जाना चाहिए न कि किसी अधिनियम अथवा संहिता विशेष में इसके लिए निर्दिष्ट तकनीकी अर्थ के रूप में, और यह कि अधिभोगी के लाभ के लिए दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले कर शामिल नहीं समझे जाने चाहिएं। सभी मामलों में, ऐसे करों को मानक लाइसेंस फीस से अलग रखा जाना चाहिए और किराएदार से वसूल किए जाने चाहिए चाहे ऐसे कर स्थानीय नियम अथवा प्रथा द्वारा प्रथमतः मकान मालिक अथवा अधिभोगी द्वारा संदेय हों।

तदनुसार, सेवा स्वरूप के सभी कर, जैसे कि जल कर, जल निकासी कर, प्रकाश व्यवस्था कर, भले ही ऐसे कर सम्पत्ति कर की समेकित मांग में शामिल हों, तत्काल यदि पहले से न किया गया हो, अधिभोगी से अलग-अलग वसूल किए जाने चाहिएं।

ये आदेश उन मामलों में भी लागू होते हैं जहां अधिकारियों को लाइसेंस फीस मुक्त सरकारी आवास प्रदान किए गए हों।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या एफ 8(5)-ई० एक्स० I/38, दिनांक 5 अप्रैल, 1968 और पृष्ठांकन संख्या एफ 25 (27)-ई० एक्स० II/42, दिनांक 26 जून, 1942।]

4. मूल नियम 45-ख के लागू होने की स्थिति में पूलित अनुज्ञप्ति फीस का वसूल किया जाना.—यह निर्णय किया गया है कि डाक-तार विभाग के क्वार्टरों के बारे में, जिनके लिए मूल नियम 45-क के अधीन पूलित मानक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है, उन मामलों में जिनमें कि सामान्यतः मूल नियम 45-ख के अधीन मानक लाइसेंस फीस वसूल योग्य है, पूलित मानक लाइसेंस फीस अथवा मू०नि० 45-ख के अधीन मानक लाइसेंस फीस इनमें से जो भी राशि अधिक हो, अधिभोगी से वसूल की जानी चाहिए।

[महानिदेशक, डाक-तार का पत्र संख्या 26/56/61-एम०ओ० दिनांक 12 अक्तूबर, 1961 प्रतिलिपि वित्त मंत्रालय (डी) के माध्यम से पृष्ठांकित।]

5. जिन गैर हकदार संगठनों/पार्टियों को विशेष मामले के रूप में सामान्य पूल से आवास आबंटित किया गया है उनसे वसूल की जाने वाली मार्किट लाइसेंस फीस की मात्रा.—इस निदेशालय के दिनांक 31 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन [अनु०नि० 45-क के नीचे भारत सरकार का आदेश (17) द्वारा] के जारी करने से पहले प्राइवेट पार्टियों अर्थात् गैर हकदार संगठनों से मार्किट दर पर लाइसेंस फीस वसूल की जाती थी। 1 अगस्त, 1976 से सामान्य पूल आवास की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में लाइसेंस फीस की मार्किट दर इस निदेशालय के दिनांक 31 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित की गई है। फिर भी, वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि जिन गैर हकदार संगठनों/पार्टियों को विशेष मामले के रूप में सामान्य पूल से आवास आबंटित किया गया है/किया जाता है उनके मामले में वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस, 1 अगस्त, 1976 से पहले लाइसेंस की मार्किट दर निकालने के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार होगी या उपरोक्त 31 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन यथा निर्धारित पूल मार्किट लाइसेंस फीस इनमें से जो भी अधिक होगी, उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार संशोधित लाइसेंस फीस 1 अगस्त, 1976 से प्रभावी होगी।

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) का दिनांक 28 मार्च, 1977 का का०ज्ञा० संख्या 18011/(12)/73-पूल-I।]

महानिदेशक, डाक-तार के अनुदेश

मूल नियम 45-क के नीचे, महानिदेशक डाक-तार के अनुदेश (2) को देखें।

लेखा परीक्षा अनुदेश

मू० नि० 45 तथा मू० नि० 45-क के अधीन दी गई प्रविष्टियों को देखें।

मू० नि० 45-ग.—मू० नि० 45-क और 45-ख के प्रयोजनों के लिए "उपलब्धियां" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(i) वेतन;

(ii) साधारण राजस्वों और फीसों से संदाय, और संदाय या फीसें पद के प्राधिकृत पारिश्रमिक के भाग स्वरूप मासिक वेतन और भत्ते में नियत परिवर्धन के रूप में प्राप्त होते हों,

(iii) यात्रा भत्ता[1] (बाल शिक्षा-भत्ता) वर्दी भत्ता, वस्त्र भत्ता, आउटफिट भत्ता, विशेष आउटफिट भत्ता, वर्दी अनुदान और घोड़ा और काठी के लिए अनुदान से भिन्न प्रतिकरात्मक भत्ते चाहे वे भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से लिए जाते हों अथवा किसी स्थानीय निधि में से;

(iv) विनिमय प्रतिकर भत्ता;

(v) सिविल सेवा विनियम के अध्याय 38 के उपबन्धों के अधीन ली गई पेंशन से भिन्न पेंशन, या तत्पश्चात् संशोधित रूप में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्राप्त प्रतिकर;

(vi) निलम्बनाधीन और निर्वाह अनुदान पाने वाले सरकारी सेवक की दशा में, निर्वाह अनुदान

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 8(4)-ई०II(ख)/165, दिनांक 1-4-1965 के द्वारा अन्तःस्थापित।

की रकम; परन्तु यदि ऐसे सरकारी सेवक के निलम्बन की अवधि का वेतन लेने के लिए तत्पश्चात् अनुज्ञात कर दिया जाए तो निर्वाह अनुदान के आधार पर वसूल की गई अनुज्ञप्ति लाइसेंस फीस और अन्ततोगत्वा ली गई उपलब्धियों के आधार पर शोध्य अनुज्ञप्ति फीस के बीच का अन्तर उससे वसूल किया जाएगा ।

[1]इसके अन्तर्गत इंडियन पुलिस मैडल से संलग्न भत्ते नहीं हैं ।

टिप्पण 1.—सरकारी सेवक की मात्रानुपाती काम की दरों पर संदत्त उपलब्धियां ऐसी रीति से अवधारित की जाएंगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

टिप्पण 2.—"छुट्टी पर गए अधिकारी की उपलब्धियों" से छुट्टी पर उसके प्रस्थान करने के पूर्व उसके द्वारा पिछले पूर्ण कैलेण्डर मास के कर्तव्य के लिए ली गई उपलब्धियां अभिप्रेत हैं ।

टिप्पण 3.—पेंशन की रकम जो गणना में ली जाएगी, वह रकम होगी जो मूलतः मंजूर की गई थी, अर्थात् संराशिकरण से, यदि हुआ हो, तो पूर्व की रकम और उसके अन्तर्गत मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान और अन्य प्रकार के निवृत्ति फायदों का, यदि कोई हों पेंशन समतुल्य आता है, उदाहरणार्थ, अभिदायी भविष्य निधि में सरकार का अभिदाय पेंशन का संराशिकृत मूल्य आदि ।

भारत सरकार के आदेश

1. निलम्बन को छुट्टी के रूप में माने जाने की स्थिति में वसूली.—लाईसेंस फीस की वसूली के प्रयोजनार्थ मूल नियम 45-ग के अधीन परिलब्धियों की संगणना के संबंध में एसे किसी निलम्बित सरकारी सेवक को, जिसे बाद में बहाल किया गया हो तथा जिसकी निलम्बन की अवधि को (औसत वेतन पर अथवा आधी औसत वेतन पर) छुट्टी के रूप में मान लिया गया हो, सामान्य रूप से छुट्टी पर जाने वाले सरकारी सेवक से भिन्न नहीं माना जाना चाहिए । ऐसे मामलों को मूल नियम 45-ग के नीचे दिए "टिप्पणी-2" के अनुसार न कि उस नियम के खण्ड (vi) के अनुसार, निपटाया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, संख्या डी-4120-जी० ई० आर०/57, दिनांक 6 नवम्बर, 1947 ।]

2. भूतपूर्व-बर्मा के पुर्नानियोजित पेंशन भोगियों के मामले में वसूली.—बर्मा सरकार के ऐसे पेंशनभोगियों, जिन्हें भारत सरकार के अधीन पुर्नानियोजित किया गया हो, से उन्हें आबंटित किए गए केन्द्रीय सरकारी निवास स्थान की लाइसेंस फीस की वसूली के प्रश्न की समीक्षा कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि :—

(क) बर्मा सरकार से प्राप्त की गई पेंशन की रकम को मूल नियम 45-ग के अधीन परिलब्धियों में शामिल नहीं किया जाएगा ; और

(ख) यह निर्धारित करने के लिए कि ये पेंशनभोगी आवास के किस टाइप के लिए हकदार होंगे बर्मा सरकार से प्राप्त पेंशन की रकम को, परिलब्धियों का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए ।

[भा० स०, वि० मं० (नि० प्र०) का० ज्ञा० सं० 8(15)-डब्ल्यू/54, दिनांक 22 नवम्बर ।]

3. नर्सिंग भत्ता.—नर्सिंग स्टाफ को मंजूर किए जाने वाले नर्सिंग भत्ते को प्रतिपूरक भत्ते के रूप में माना जाता है । मूल नियम 45-ग के अधीन, लाइसेंस फीस की वसूली से संबंधित मूल नियम 45-क और 45-ख के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में वेतन आदि के अलावा प्रतिपूरक भत्ते को भी शामिल किया जाता है । इस संबंध में केवल दो प्रकार के भत्तों (i) यात्रा भत्ता और (ii) अस्पतालों में नर्सों को दिए जाने वाला वर्दी भत्ता, चाहे इनका आहरण भारत की संचित निधि अथवा किसी स्थानीय निधि से किया जाता हो, को अलग रखा गया है । इसके अतिरिक्त, नर्सिंग स्टाफ को संदत्त नर्सिंग भत्ते में उनके नर्सिंग की लगभग पूरी लागत शामिल होती है न कि अस्पताल परिसरों में नर्सिंग पर हुई केवल अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा लिए गए नर्सिंग भत्ते को मूल नियमों 45-क और 45-ख के अधीन लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए मूल नियम 45-ग के अधीन परिलब्धियां माना जाए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6250-डब्ल्यू/56, दिनांक 22 सितम्बर, 1956 ।]

4. शीतकालीन भत्ता.—भारत में कुछ पहाड़ी स्थानों पर दिए गए शीतकालीन भत्ते को मूल नियम 45-ग के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों का एक हिस्सा नहीं माना जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(13)/60-संपदा, दिनांक 8 सितम्बर, 1960 ।]

5. शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति.—यह निर्णय किया गया है कि शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति को मूल नियम 45-ग के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 5(14)-संपदा/64, दिनांक 30 नवम्बर, 1964 ।]

6. परिवार पेंशन.—जैसा कि मूल नियम 45-ग में यथा परिभाषित किया गया है उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन मंजूर की गई परिवार पेंशन को "परिलब्धियों" में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(22)-संपदा/65, दिनांक 7 अगस्त, 1965 ।]

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18(13) ई० 4(क)/70 दिनांक 29 जनवरी, 1971 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. **पहाड़ भत्ता.**— शीतकालीन भत्ते को परिलब्धियों का एक हिस्सा नहीं माना जाता क्योंकि यह पूरे वर्ष के लिए नहीं दिया जाता । चूंकि पहाड़ भत्ता, पहाड़ी इलाके में निर्वाह की उच्चतर लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में मंजूर किया जाता है और यह नियमित रूप से पूरे वर्ष स्वीकार्य होता है इसलिए यह निर्णय किया गया है कि पहाड़ भत्ते को मूल नियम 45-क अथवा मूल नियम 45-ख के अधीन लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए मूल नियम 45-ग के अधीन परिलब्धियां माना जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 11(5)-डब्ल्यू एण्ड ई०/75, दिनांक 7 मई, 1975]

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) मूल नियम 45-ग(V) में उल्लिखित "पेंशन" शब्द से तात्पर्य, संराशीकरण से पूर्व मंजूर की गई पूरी पेंशन से है ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश के मैनुअल (पुनः मुद्रित) का खण्ड-I, अध्याय-V, पैरा 6(1)]

(2) मूल नियम 45-क और 45-ख के प्रयोजन के लिए मू०नि० 45-ग(ii) के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा पद के प्राधिकृत पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में मासिक वेतन तथा भत्ते में नियत परिवर्धन के रूप में प्राप्त की गई फीस की रकम को "परिलब्धियों" में गिना जाएगा । जैसा कि अनुपूरक नियम 12 के अधीन 400 रु० से अधिक की किसी फीस का एक-तिहाई भाग अथवा जब आवर्ती फीस 250 रु० प्रतिवर्ष हो तो, संबंधित सरकारी सेवक को वह राशि सामान्य राजस्व में सामान्यतः जमा करानी आवश्यक होती है और केवल ऐसी फीस का दो-तिहाई भाग उसके द्वारा रखा जाता है अतः यह प्रश्न उठाया गया कि क्या सरकारी सेवक द्वारा इस तरह प्राप्त फीस की पूरी रकम को अथवा एक-तिहाई भाग सरकार के पास जमा कराने के पश्चात् उसके द्वारा रखी गई वास्तविक रकम को, मकान की अनुज्ञप्ति फीस के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में गिना जाना चाहिए ।

चूंकि सरकारी सेवक द्वारा सामान्य राजस्व में जमा कराई गई फीस के अंश का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता इसलिए, भारत के महालेखा परीक्षक की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 45-ग(ii) के अधीन मूल नियम 46, 46-क और 47 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी को फीस के जिस अंश को रखने की अनुमति दी गई है । वह मूल नियम 45(क) तथा 45-ख के उद्देश्य के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में गिनी जाएगी ।

[लेखा परीक्षा अनुदेशों की नियम-पुस्तक (पुनःमुद्रित) का खण्ड-I, अध्याय-V, पैरा 6(ii)].

मूल नियम 46(क) फीस.— **नियम 46-क तथा नियम 7 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यह है कि सरकारी सेवक को किसी प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के लिए या किसी सार्वजनिक निकाय के लिए, जिसके अन्तर्गत स्थानीय निधि का प्रशासन रखने वाला निकाय भी आता है, विनिर्दिष्ट सेवा करने के लिए, यदि उसके शासकीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया जा सकता हो, और यदि सेवा महत्वपूर्ण हो तो, अनावर्ती या आवर्ती फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है ।**

टिप्पण.— यह खण्ड वृत्तिक परिचर्या के लिए सिविल नियोजन में चिकित्सक अधिकारियों द्वारा फीस के प्रतिग्रहण को जिसका विनियम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों से होता है, लागू नहीं है ।

(ख) मानदेय.— **केन्द्रीय सरकार, सरकारी सेवक को किए गए ऐसे काम के लिए जो कभी-कभी किया जाने वाला या आन्तरायिक प्रकार का हो और या तो उतना श्रम-साध्य हो या ऐसे विशेष गुण वाला हो कि उसमें विशेष इनाम न्यायोचित है । पारिश्रमिक के रूप में मानदेय, अनुदत्त कर सकेगी या प्राप्त करने के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगी । सिवाय उस दशा जिसमें इस उपबन्ध का अनुसरण न करने के लिए विशेष कारण जो लेखबद्ध किए जाने चाहिए विद्यमान हों, मानदेय के अनुदान के प्रतिग्रहण की मंजूरी तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उस काम का भार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति से अपने ऊपर न लिया गया हो और उसकी रकम पहले ही तय न हो चुकी हो ।**

(ग) फीस और मानदेय.— **फीस और मानदेय दोनों ही दशा में, मंजूर करने वाला प्राधिकारी यह लेखबद्ध करेगा कि मूल नियम 11 में निरूपित साधारण सिद्धांत का सम्यक् ध्यान रखा गया है और उन कारणों को भी अभिलिखित करेगा जो उसकी राय में उस अतिरिक्त पारिश्रमिक के अनुदान को न्यायोचित ठहराते हैं ।**

भारत सरकार के आदेश

1. **कार्य में अस्थायी वृद्धि के लिए कोई मानदेय नहीं.**— ऐसे कई दृष्टान्त नोटिस में आए हैं जिनमें कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारियों को, विभाग या अधीनस्थ प्राधिकारी या अन्तः विभागीय समितियों के तत्वधान में आयोजित विशेष सम्मेलनों के फलस्वरूप उनके कार्य में हुई वृद्धि के लिए, मानदेय स्वीकार करने के लिए सिफारिशें की गई हैं । कार्य में ऐसी अस्थायी वृद्धियां, सरकारी सेवा में एक साधारण बात है तथा ये मू० नि० 11 में निरूपित साधारण सिद्धांत के अनुसार सरकारी सेवकों के

उचित कर्तव्यों का एक अंग हैं। अत: ऐसे नियुक्त अधिकारी किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकते।

(भा०स०, वि० वि०, शा० सं० एफ-6-VII-आर० I/30, दिनांक 3 सितम्बर, 1930)

2. **संघ/राज्य लोक सेवा आयोग से मानदेय स्वीकार करने के लिए अलग से मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं।**—भारत सरकार के विभागों/उनके अधीनस्थ अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को इस आशय की सूचना दे दी गई मान ली जानी चाहिए कि अमुक सरकारी सेवकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के सम्बन्ध में मौखिक परीक्षा बोर्डों में नियुक्त किया गया है तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय तथा स्वीकार्य यात्रा भत्ते लेने की बाबत उक्त अधिकारियों को स्वत: ही भारत सरकार की मंजूरी दे दी गई है।

भारत सरकार अथवा उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षक अथवा संचालक के रूप में की गई नियुक्तियों के मामले में भी, उक्त अधिकारियों द्वारा कार्य करने तथा उसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित नियत दर पर मानदेय स्वीकार करने के बारे में, स्वत: ही भारत सरकार की मंजूरी प्रदान की गई मानी जाएगी।

पूर्ववर्ती उप पैरा में उल्लिखित व्यवस्था को उसी रूप में राज्य लोक सेवा आयोग पर भी लागू किया गया समझा जाएगा।

यह निर्णय किया गया है कि ऊपर उल्लिखित निर्णय ऐसे सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिन्हें सचिवालय प्रशिक्षण द्वारा पेपर-सेटर, संचालक अथवा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए।

(सं० लो० से० आ० के सचिव को भेजा गया भा० स०, वि० वि० का पत्र संख्या एफ-1-xi-ई० एक्स० II/35, दिनांक 16 जुलाई, 1935, भा० स० वि० वि०, पत्र संख्या डी०-6434-ई० एक्स० II/36, दिनांक 3 सितम्बर, 1936, भारत के महालेखा परीक्षक को सम्बोधित भा० स०, वि० वि० का पत्र सं० एफ-9(21)-ई० एक्स०-II, दिनांक पहली अप्रैल, 1942, भा० स०, वि० वि० का० ज्ञा० संख्या एफ० 8(17)-ई० II (बी)/70, दिनांक 25 सितम्बर, 1970)

3. **प्रसारण की अनुमति का अर्थ है मानदेय के लिए मंजूरी।**—केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के जारी होने के फलस्वरूप अब सरकारी कर्मचारियों को आकाशवाणी पर ऐसे प्रसारणों के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है जो विशुद्ध रूप से साहित्य, कलात्मक और वैज्ञानिक विषयों के बारे में हो। ऐसे मामलों में इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कर्मचारी की होगी कि प्रसारण ऊपर उल्लिखित प्रकार के हों। यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे मामलों में मूल नियम 46 (ख) के अधीन मानदेय स्वीकार करने के लिए अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में ऐसे प्रसारणों के लिए मंजूरी लेना आवश्यक न हो उसमें मानदेय लेने के संबंध में भी मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

जिन मामलों में प्रसारण करने के लिए मंजूरी लेना आवश्यक है और यदि मंजूरी दे दी गई हो तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी मंजूरी के साथ मानदेय लेने की मंजूरी भी मिल गई है।

(भा० स०, गृह मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/32/56-स्था० (क), दिनांक 15 जनवरी, 1957)

4. **निगमों के स्थापन के कार्य में लगाए गए राजपत्रित अधिकारियों को कोई मानदेय नहीं।**—यह प्रश्न उठाया गया कि क्या मूल नियम 46 (ख) के अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी को उसके द्वारा निगम/समिति के गठन के सम्बन्ध में किये गये अधिक कार्य के घंटों को ध्यान में रखते हुए मानदेय मंजूर किया जा सकता है, जबकि समान परिस्थितियों में अराजपत्रित अधिकारियों को मानदेय स्वीकार किया जाता है।

इस सम्बन्ध में ध्यान मूल नियम 9(9) की ओर दिलाया जाता है जिसके अनुसार मानदेय किसी सरकारी कर्मचारी को किसी अवसरिक अथवा आन्तरायिक स्वरुप के कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में, सरकार के राजस्वों, जिसके अधीन वह नियोजित है से मंजूर आवर्ती अथवा अनावर्ती भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सामान्य ड्यूटी करता है तो उसे किसी मानदेय की मंजूरी नहीं की जाती चाहे वह यह कार्य सामान्य कार्यालय समय के बाद भी करें। इसी प्रकार समान स्वरुप की अतिरिक्त ड्यूटी करने पर भी किसी अधिकारी को मानदेय नहीं दिया जाएगा (उदाहरण स्वरुप-सचिवालय का कोई अनुभाग अधिकारी अपनी ड्यूटी के अलावा दूसरे अनुभाग अधिकारी की ड्यूटी करें) फिर भी, किसी ऐसे मानदेय की मंजूरी पर विचार किया जाए, जब कोई अधिकारी अपनी सामान्य ड्यूटी से भिन्न किसी विशेष प्रकार की अतिरिक्त ड्यूटी इस बात का विचार किए बिना कि यह सामान्य कार्यालय समय में या उससे बाहर करता है।

फिर भी, सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में इस बात को स्वीकार किया गया है कि सरकारी कार्य के हित में किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे अगले कार्य दिवस तक स्थगित नहीं किया जा सकता, उन्हें देर तक बैठने के लिए विशेष रूप से कहा जाता है या इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए उन्हें कार्यालय रविवार और छुट्टियों में आने के लिए कहा जाता है तो उन्हें देर से बैठने का भत्ता दिया जाता है जिसे मानदेय का नाम दिया गया है। राजपत्रित अधिकारी इस भत्ते के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार बजट मानदेय रूपान्तरित मूल्य के रूप में देर से बैठने के भत्ते के बदले में दिया जाता है,

जो वित्त मंत्रालय के कुछ प्रभागों के केवल अराजपत्रित अधिकारियों को ही प्राप्त है पर इन प्रभागों के राजपत्रित अधिकारियों को नहीं ।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के अवलोकन में कम्पनियों, निगमों आदि के स्थापन कार्य के सम्बन्ध में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को मानदेय की मंजूरी न दी जाए चाहे वे कार्यालय के समय के बाद भी कार्य करते हों क्योंकि यह उनकी सामान्य ड्यूटी का ही एक हिस्सा है ।

(भा० स०, वि० मंत्रालय, का०ज्ञा० सं० एफ०-15(39)-ई० 11 (ख) 59, दिनांक 14 सितम्बर, 1959)

5. **मध्यस्थ के रूप में नियुक्त सरकारी सेवक को मानदेय.**—भारत सरकार और गैर सरकारी पक्षों के बीच अथवा दो गैर सरकारी पक्षों के बीच उत्पन्न किन्हीं विवादों में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किसी सरकारी सेवक को मानदेय/सम्बन्ध फीस मंजूर किए जाने के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किसी एक समान पद्धति का पालन नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में समानता लाने के उद्देश्य से, विधि मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित निर्णय किया गया है कि :-

(i) जब किसी सरकारी कर्मचारी को, भारत सरकार के उस मंत्रालय/विभाग जिसमें वह कार्यरत है और किसी गैर-सरकारी पक्ष के बीच विवाद के सम्बन्ध में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी प्रकार का मानदेय मंजूर नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) यदि, फिर भी, उसे किसी गैर सरकारी पक्ष और उस मंत्रालय/विभाग जिसमें वह कार्यरत न हो, के बीच विवाद के सम्बन्ध में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे कार्य को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है तथा उसके लिए मानदेय भी प्राप्त कर सकता है :-

(क) इस कार्य को स्वीकार करने से पूर्व, जैसा कि मूल नियम 46(ख) के अधीन अपेक्षित है, अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा जो यह निर्णय करेगा कि क्या उसे उसकी सरकारी ड्यूटी के अनुरुप इस कार्य को लेने तथा इसके लिए मानदेय प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) उसे प्रतिदिन 30/-रु० अथवा आधे दिन के लिए 15/-रु० की दर से मानदेय संदत्त किया जाए परन्तु प्रत्येक मामले में मानदेय की राशि 500/-रु० से अधिक नहीं होगी । इस प्रयोजन के लिए, एक दिन का अर्थ किसी दिन लगातार दो घंटे से अधिक कार्य तथा आधे दिन का अर्थ दो घंटे या उससे कम समय के कार्य से है । वह लिखित रूप में इस आशय का एक प्रमाणपत्र दर्ज करेगा कि किस दिन विशेष को उसने आधा दिन कार्य किया है या पूरा दिन ।

(iii) उपरोक्त दोनों में से किसी भी मामले में जब मध्यस्थता की कोई लागत गैर सरकारी पक्ष पर लगाई जाती है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वसूली किए जाने पर इसकी पूरी राशि सरकार के खाते में डाली जाएगी और मध्यस्थ को संदत्त नहीं की जाएगी ।

(iv) कोई भी सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से, जैसा कि मूल नियम 46 (क) के अधीन अपेक्षित है, गैर सरकारी पक्षों के बीच विवाद के सम्बन्ध में मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है । ऐसी अनुमति देते समय सक्षम प्राधिकारी इस बात का निर्णय करेगा कि क्या वह अपनी सरकारी ड्यूटी के अनुरुप मध्यस्थता का कार्य ले सकता है और इसके साथ ही यह कि क्या वह विवाद से संबंधित पक्षों से इसके लिए कोई फीस स्वीकार कर सकता है यह फीस अनु० नि० 12 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार होगी ।

(भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 15(11)-ई० II(ख)/60, दिनांक 2 जुलाई, 1960)

टिप्पणी 1.—गैर-सरकारी पक्षों और राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विवाद के संबंध में नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के मामले भी उपर्युक्त मद (ii) के द्वारा शासित होंगे ।

(भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 15(11)-ई० II(ख)/60, दिनांक 3 अप्रैल, 1962)

टिप्पणी 2.—उपर्युक्त मद (ii) के उप-खण्ड (ख) के दूसरे वाक्य में उल्लिखित "कार्य" शब्द का अर्थ, मामले की सुनवाई पर लगे समय से है न कि उस समय से, जो मामले के कागजातों को पढ़ने अथवा मामले के अध्ययन में लगा हो ।

(भा० स० वित्त मंत्रालय का० ज्ञा० संख्या 15 (II)-ई-II (ख) 60, दिनांक 13 अगस्त, 1963)

टिप्पणी 3.—यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी विशेष विभाग में कार्य कर रहा है और किसी गैर सरकारी पक्ष और उसके मंत्रालय के किसी दूसरे विभाग के बीच किसी विवाद में उसे मध्यस्थ नियुक्त कर दिया जाता है तो वह उपर्युक्त निर्धारित दरों पर और उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे मानदेय पाने का हकदार होगा ।

(भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 17012/1/ई०-II(ख)/76, दिनांक 25 मई, 1976)

6. **किसी स्वीकृत पद की अतिरिक्त ड्यूटी के लिए मानदेय स्वीकार्य नहीं.**—(1) यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या किसी सरकारी सेवक को अपने पद की सामान्य ड्यूटी करने के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत पद की ड्यूटी के निष्पादन के लिए मूल नियम 46 (ख) के अधीन मानदेय मंजूर किया जा सकता है ।

(2) मूल नियम 9(9) में मानदेय को किसी सरकारी सेवक को किसी अवसरिक अथवा आन्तरायिक प्रति के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में, भारत की संचित निधि

अथवा राज्य की संचित निधि से मंजूर किए गए, आवर्ती अथवा गैर-आवर्ती भुगतान के रूप में परिचालित किया गया है। जब कोई पद स्वीकृत होता है तो उसके साथ जुड़ी ड्यूटी को अवसरिक या आन्तरायिक प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। अतः जब किसी सरकारी सेवक द्वारा उसके अपने पद के कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत पद के कार्यों का भी निष्पादन करना अपेक्षित हो तो उसे उन अतिरिक्त कार्यों का जोकि अवसरिक अथवा आन्तरायिक प्रकृति के नहीं हैं चाहे उसे केवल अल्पावधि के लिए ऐसे अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के लिए ही क्यों न कहा गया हो, निष्पादक माना जाएगा। अतः ऐसे किसी सेवक सरकारी सेवक को, जिसके द्वारा किसी स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्य का निष्पादन किया जाना अपेक्षित हो, मूल नियम 46 (ख) मानदेय मंजूर नहीं किया जाएगा।

(भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० एफ-16(25)-ई०-II/(ख)/60, दिनांक 21 सितम्बर, 1960)

7. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्य विभाग के कार्य को करने की दशा में अपनायी जाने वाली क्रियाविधि.—(1) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को ऐसे कार्य को लेने तथा उसके लिए मानदेय दिए जाने अथवा स्वीकार करने की, मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिसके लिए मानदेय दिया जाता है। (इस संकलन के अन्त में प्रत्यायोजित परिशिष्ट देखें) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :—

(i) क्या उन मामलों में जहां कार्य लेने और मानदेय स्वीकार करने के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी मानदेय मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी से भिन्न है (उदाहरण के लिए ऐसे मामले वहां उठते हैं जहां किसी एक मंत्रालय में कार्यरत सरकारी सेवक किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का कार्य लेता तो वहां कार्य लेने और शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी परिशिष्ट में निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय स्वीकार करने के लिए भी, वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है;

और

(ii) क्या ऐसे मामलों में, दो मंजूरियां, एक ऋणद प्राधिकारी द्वारा कार्य लेने तथा मानदेय स्वीकार करने के सम्बन्ध में और दूसरी ऋणी प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट राशि को मानदेय में मंजूर करने के सम्बन्ध में आवश्यक है।

(2) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में ऋणद प्राधिकारी इस आशय का निर्णय लेने के बाद कि उसकी सामान्य सरकारी ड्यूटी और उत्तरदायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त तथा उसके लिए मानदेय स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जाए, ऋणी प्राधिकारी को, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य लेने तथा मानदेय स्वीकार करने के लिए दी गई अपनी मंजूरी के बारे में सूचित करेगा (मूल नियम 46(ग) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ) और उसके बाद ऋणी प्राधिकारी मानदेय की मंजूरी के लिए अपनी संस्वीकृति देगा जिसमें वह (i) मूल नियम 46 (ग) में निर्धारित प्रमाणपत्र तथा (ii) इस आशय का प्रमाणपत्र कि देगा मंजूरी ऋणद प्राधिकारी की सहमति से जारी की जाती है।

(3) जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने ही किसी अधिकारी को मानदेय मंजूर किया जाना हो वहां मानदेय दिए जाने की मंजूरी तथा उसमें लगे मूल नियम 46 (ग) का निर्धारित प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा जो कि अपने आप में कार्य लेने तथा मानदेय को स्वीकार करने के लिए मंजूरी होगी।

(4) उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में उल्लिखित, दोनों प्रकार के मामलों में, यदि मानदेय की मात्रा प्रत्यायोजन सम्बन्धी परिशिष्ट में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो तो ऋणी प्राधिकारी को केवल वित्त मंत्रालय की सहमति से ही मंजूरी देनी चाहिए।

(भा० स०, वि० मं०, सं० एफ 16(26)-ई-II (ख)/60, दिनांक 22 सितम्बर, 1960)

8. लेखों/प्रसारणों के लिए मानदेय की दरें.—प्राक्कलन समिति ने, अपनी 66 वीं रिपोर्ट में, निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"सरकारी कर्मचारियों को, प्रकाशन प्रभागों द्वारा प्रकाशित जर्नलों में दिए गए उनके सहयोग के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने विभाग से संबंधित मामलों पर लेखों आदि के दिए जाने को सरकारी सेवक की सामान्य ड्यूटी का एक हिस्सा माना जाना चाहिए।"

प्राक्कलन समिति की उक्त सिफारिश पर सावधानी पूर्वक विचार कर लेने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सरकारी सेवकों को, सरकारी प्रकाशनों में लेख अथवा आकाशवाणी पर वार्ता के प्रसारण के लिए दिए गए सहयोग के लिए, अनुबन्ध में निर्दिष्ट दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाए।

(भा० स०, वि० मंत्रालय, का० ज्ञा० सं० 15(32)-ई० II(ख)/59, दिनांक 6 अगस्त, 1960, का० ज्ञा० सं० ई० 15(32)-ई० II (ख)/62, दिनांक 1 दिसम्बर, 1962 और का० ज्ञा० सं० एफ-15 (32) ई० II(ख)/59-III, दिनांक 16 जून, 1966)

अनुबन्ध

सरकारी सेवकों द्वारा सरकारी प्रकाशनों में दिए गए लेखों आदि के लिए, आकाशवाणी पर वार्ता आदि के प्रसारण में दिए गए योगदान के लिए अथवा किसी सरकारी अभिकरण को दिए गए साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकार के अन्य सहयोगों के लिए, उन्हें संदेय मानदेय की दरें।

1. सरकारी कर्मचारी के पद से जुड़े सामान्य कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में दिए गए लेखों, वार्ता के प्रसारण आदि में सहयोग के लिए।	कोई मानदेय नहीं।
2. ऐसे विषयों पर लेखों अथवा वार्ता के प्रसारण आदि के लिए दिए गए योगदान के लिए जिनसे सरकारी कर्मचारी का सरकारी हैसियत से संबंध हो, परन्तु नीचे की मद 3(ii) के क्षेत्र में न आते हों, बशर्ते कि यह उसके पद से जुड़े कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का अंश भी न हों।	(*i*) (क) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई लेख, उसके मंत्रालय अथवा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन के लिए दिया जाता है तो कोई मानदेय नहीं।
	(ख) यदि किसी वार्ता आदि का प्रसारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में कार्य कर रहे किसी सरकारी सेवक द्वारा किया जाता है तो कोई मानदेय नहीं।
	(*ii*) (क) ऐसे मंत्रालय अथवा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर जिसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत हो, किसी अन्य मंत्रालय अथवा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन के लिए दिए गए प्रतिलेख के लिए 10 रु० और किन्हीं अपवादिक मामलों में 25 रु० तक की दर से मानदेय।
	(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रसारित किए गए प्रत्येक प्रसारण के लिए 10 रु० और किन्हीं अपवादिक मामलों में 25 रु० तक की दर से मानदेय।
3.(i) ऐसे विषयों पर दिए गए लेख अथवा वार्ता के प्रसारण आदि के लिए, जिनसे सरकारी कर्मचारी का सरकारी रूप से सम्बन्ध न हो।	(i) और (ii) उन्हीं समान दरों पर मानदेय, जिन दरों पर गैर सरकारी अंशदाताओं को मानदेय दिया जाता है, सिवाय आकाशवाणी के कर्मचारियों को जो, प्रसारण अथवा कार्यक्रमों में सहयोग देने अथवा भाग लेने अर्थात आलेख लिखने अथवा वार्ताओं, नाटकों, रूप रेखाओं के तैयार करने और संगीत, ड्रामा, टी०वी० कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए, किसी भी प्रकार के मानदेय के लिए हकदार नहीं होंगे।
(ii) किसी सरकारी अभिकरण को दिए गए साहित्यिक कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकार के सहयोग के लिए बशर्ते कि यह उसके पद से जुड़े सामान्य कार्यों और उत्तरदायित्वों का अंश न हो।	

9. ड्राइवर के कार्यों के निष्पादन के लिए देय मानदेय.—(1) नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों/डिस्पैच राइडरों/स्कूटर ड्राइवरों की गैर-हाजिरी की अल्पावधि के लिए नियुक्त समूह "घ" के कर्मचारियों तथा डिस्पैच राइडरों को मानदेय की मंजूरी को शासित करने वाले विद्यमान आदेश इस विभाग के दिनांक 29-3-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17016/1/79-भत्ता में दिए गए हैं, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित कर्मचारियों को स्टाफ कार ड्राइवर तथा डिस्पैच राइडरों के पद पर किए गए कार्य के लिए क्रमशः रु० 2-/प्रति दिन तथा रु० 1/- प्रति दिन मानदेय का भुगतान किया जाए।

(2) इन दरों को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है तथा इस सम्बन्ध में पहले जारी किए गए सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, यह निर्णय किया गया है कि समूह "घ" कर्मचारियों को देय मानदेय की दरें निम्न प्रकार होंगी :—

	प्रति दिन
(i) समूह "घ" कर्मचारी अथवा डिस्पैच राइडर जिन्हें स्टाफ कार ड्राइवरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।	रु० 4/-
(ii) समूह "घ" कर्मचारी जिन्हें डिस्पैच राइडरों/स्कूटर ड्राइवरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।	रु० 2/-

(3) उपर्युक्त दरों पर, मानदेय की स्वीकार्यता उन मामलों में अनुज्ञेय है जहां नियमित स्थानापन्न व्यवस्था अनुज्ञेय नहीं है अथवा आवश्यक नहीं समझी गई है।

(4) ये आदेश दिनांक 25-2-88 से प्रभावी होंगे।

(भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 25-2-88 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17016/6/87-स्था० (भत्ते))

(ii) यह निर्णय किया गया है कि लाइनमेनों और वायरमेनों को भी मोटर और लारी चालक के रूप कार्य करने के लिए समान शर्तों पर मानदेय मंजूर किया जाएगा।

(डी०जी०, पी० एण्ड टी० का पत्र सं० 50026/65-एन०सी०जी०, दिनांक 22 अप्रैल, 1966)

10. रिपोर्टरों/आशुलिपिकों को मानदेय.—(1) पहले के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उन रिपोर्टरों/आशुलिपिकों को जो मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा आयोजित तदर्थ समितियों, सम्मेलनों आदि की

कार्यवाहियों की शब्दशः (वरबैटम) अंग्रेजी अथवा किसी भारतीय भाषा में तैयार करते हैं, उन्हें निम्नलिखित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए :—

(i) संसद के रिपोर्टर रु० 75/- प्रति दिन

टिप्पणी :—मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन रिपोर्टरों की सेवाएं केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ली जा सकती हैं।

(ii) टैरिफ आयोग अथवा राज्य विधान मण्डल जैसे भारत सरकार के कार्यालयों के रिपोर्टर— रु० 45/- प्रति दिन

(iii) सचिवालय, भारत सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों, राज्य सरकारों, निजी फर्मों/कार्यालयों के आशुलिपिक (ग्रेड "ग" तथा उनसे ऊपर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक सचिवालयों के रिपोर्टर तथा आशुलिपिक) रु० 24/- प्रति दिन

टिप्पणी :—ऐसे अपवादिक मामलों में, जब कोई आशुलिपिक (ग्रेड "ग" तथा उससे ऊपर (उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में सचिवालयों, भारत सरकार के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक सचिवालयों के आशुलिपिक (ग्रेड "घ") की सेवाएं रु० 12/- प्रतिदिन की दर से मानदेय पर ली जा सकती हैं।

(2) मंत्रालयों, सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई समितियों, सम्मेलनों आदि की "शब्दशः" रिपोर्ट को छोड़कर, किसी अन्य प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिपोर्टरों/आशुलिपिकों को किसी प्रकार के मानदेय के भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(3) ये आदेश 25-5-1988 से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 25 मई, 1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17016/8/87-स्था० (भत्ते)]

11. **गेस्टेटनर आपरेटरों के रूप में कार्य कर रहे समूह "घ" के कर्मचारियों के लिए मानदेय.**—यह निर्णय किया गया है कि नियमित गैस्टेटनर आपरेटर की आकस्मिक अथवा नियमित छुट्टी पर अल्पावधियों के लिए अनुपस्थिती के दौरान जब उसके स्थान पर नियमित स्थानापन्न प्रबन्ध करना अनुज्ञेय नहीं होता अथवा ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा जाता और उन दिनों के लिए जिनके दौरान समूह "घ" का कोई कर्मचारी वास्तव में गैस्टेटनर आपरेटर की ड्यूटी करता है तो उसे 0.40 पैसे प्रतिदिन के बजाय 0.65 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय स्वीकार किया जाए।

उन मामलों में भी उपर्युक्त दर पर मानदेय देय होगा जहां किसी कार्यालय में गेस्टेटनर आपरेटर का नियमित पद तो मंजूर नहीं किया गया है लेकिन समूह "घ" का कोई कर्मचारी उस कार्य को करता है। यदि संबंधित समूह "घ" का कर्मचारी अपने अन्य कार्य के साथ-साथ आधे दिन अथवा उससे अधिक समय के लिए गेस्टेटनर मशीन पर कार्य करता है तो उसे भी ऊपर बतायी गई 0.65 पैसे प्रतिदिन की दर से मानदेय अनुज्ञेय होगा।

[भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 12(3)-ई०-II (ख) दिनांक 26 मई, 1966 द्वारा यथासंशोधित दिनांक 16 दिसम्बर, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ०-12(9)-ई-II (ख)/63, कार्यालय ज्ञापन संख्या 17010/1/ई०-II/ख/75, दिनांक 23 मई, 1975 और गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का का० ज्ञापन सं० 17016/5/80-भत्ता, दिनांक 20 अप्रैल, 1981]

नियमित पद न होने पर गेस्टेटनर आपरेटर का कार्य करने के उद्देश्य से विशेष वेतन मंजूर करने के लिए देखें मूल नियम 9(25) के नीचे आदेश (13)।

12. **हिन्दी से और हिन्दी में अनुवाद के लिए मानदेय.**—1. (क) केन्द्रीय/राज्य सम्मेलनों की कार्यवाहियां— यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित केन्द्रीय/राज्य सम्मेलनों की कार्यवाहियों के एक साथ हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद के कार्य में लगाए गए हिन्दी सहायकों/अनुवादकों को किसी प्रकार का मानदेय दिया जाना चाहिए यदि हाँ, तो किस दर पर। इस मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि इस कार्य के लिए हिन्दी सहायकों/अनुवादकों को नीचे दी गई दरों पर मानदेय स्वीकार किया जाए :—

	प्रति दिन
(i) एक दिन में 3 घंटे से अधिक के कार्य के लिए।	10 रु०
(ii) एक घंटे से ऊपर लेकिन तीन घंटे तक के कार्य के लिए।	5 रु०
(iii) एक दिन में एक घंटे से कम समय के कार्य के लिए।	2.50 रु०

वे इसी कार्य के लिए, उपरोक्त दरों के अलावा, किसी भी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक जैसे कि समयोपरि भत्ता/मानदेय, के हकदार नहीं होंगे।

[भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 12(1)-ई-11(ख)/69, दिनांक 3 मार्च, 1969]

(ख)(i) मंत्रालयों/विभाग में कार्य.—(1) ऐसे कार्यालयों में जिनमें हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए, प्रति 1,000 शब्दों के लिए, मानदेय की दर 5/- रू० से बढ़ाकर 10/- रू० करने के राजभाषा विभाग के दिनांक 15 अक्तुबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/2/77-रा० भा०(ग) के जारी होने के

फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी/हिन्दी और अंग्रेजी/हिन्दी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए उसी प्रकार की वृद्धि किए जाने के लिए प्रति 1,000 शब्दों की विद्यमान दर 5 रु० से बढ़ाकर 10 रु० करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(2) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी/हिन्दी और अंग्रेजी/हिन्दी से क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तर जिस में भीअनुवाद किया जाता है, के लिए प्रति 1000 शब्दों के अनुवाद की दर को भी संशोधित करके 10 रु० कर दिया जाए। न्यूनतम पारिश्रमिक 2 रु० दिया जाएगा। अनुवाद के कार्य का नियतन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह सामान्य सरकारी कार्य को कारगर ढंग से करने और संबंधित व्यक्ति के दायित्वों को पूरा करने के लिए हानिकारक न हो।

(3) शिक्षा मंत्रालय की संशोधित दर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भाषा के अनुवादकों के विद्यमान पैनलों को पुनरीक्षित करना चाहिए और प्रत्येक भाषा के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों से इच्छुक व्यक्तियों के नाम मंगवाने चाहिए। भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं (उर्दू सहित) से अंग्रेजी/हिन्दी और अंग्रेजी/हिन्दी से भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद ऐसे मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानदेय की अदायगी पर करवाया जाना चाहिए जो भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हों और बशर्ते उनके सरकारी कार्यों में बाधा न पहुंचे और उक्त कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सके। यदि ऐसा करना संभव न हो तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पैनल में रखे गए इच्छुक कर्मचारियों की सेवाएं उपर्युक्त निर्धारित दरों पर मानदेय के भुगतान करने पर प्राप्त की जानी चाहिए।

[भा० स०, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-17011/1/80-भत्ता, दिनांक 20 मार्च, 1980]

(ii) प्रादेशिक भाषाओं से अंग्रेजी/हिन्दी में तथा अंग्रेजी/हिन्दी भाषा से प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिए उस भाषा में जिसमें अनुवाद किया जाता है, दरों में संशोधन करके प्रति एक हजार शब्दों के लिए 15 रुपए करने का निर्णय किया गया है। देय न्यूनतम पारिश्रमिक दर 2 रु० बनी रहेगी। दिनांक 20 मार्च, 1980 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

2. ये आदेश दिनांक 25-8-87 से लागू होंगे।

[भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 25-8-87 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17013/3/86/स्था (भत्ते)]।

13. **मानदेय मंजूरी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत.**—(1) मूल सिद्धान्त 9(9) के अधीन मानदेय को आवर्ती या अनावर्ती भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी सरकारी कर्मचारी को अवसरिक या आन्तरायिक स्वरूप के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जाता है। मूल नियम 46(ख) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को किए गए कार्य के लिए, पारिश्रमिक के रूप में मानदेय की अनुमति या अनुज्ञा दी जा सकती है, जो आवसरिक या आन्तरायिक स्वरूप का है और इतना श्रमसाध्य या ऐसी विशेष प्रकृति का है कि जिसके लिए किसी विशेष पारिश्रमिक का औचित्य होता हो। यह भी निर्धारित किया गया है कि विशेष कारणों को छोड़कर जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाए, मानदेय की मंजूरी तब तक न दी जाए जब तक कि कार्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से हाथ में लिया गया हो और इसकी रकम पहले से ही निश्चित न कर ली गई हो। मंजूरी प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लिखित रूप में यह रिकार्ड करें कि मानदेय की मंजूरी देते समय मूल नियम 11 में प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तों की ओर सम्यक ध्यान दिया गया है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान करने सम्बन्धी औचित्य के कारणों का भी उल्लेख करें।

(2) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की मंजूरी केवल असाधारण दशाओं में ऐसे कार्य के लिए दी जानी चाहिए जो विशिष्ट प्रकृति का है और सम्बन्धित कर्मचारी की सामान्य ड्यूटी की परिधि से बाहर हो। फिर भी, हाल में एक मामला ध्यान में आया है जिसमें कुछ स्टाफ को निम्न प्रकार के कार्य के लिए मानदेय की मंजूरी की गई थी :—

(i) अभिलेख कक्ष में पुरानी फाइलों की सूची तैयार करना।

(ii) रोकड़ अनुभाग में रोकड़ कार्य का अस्थायी रूप से बढ़ना और

(iii) अधिकारियों के कमरों में एयर कंडीशनरों में पानी डालना।

उपर्युक्त में से कोई भी मामला मानदेय के लिए उपयुक्त नहीं था। उक्त (i) और (ii) में उल्लेख किए गए कार्यों का स्वरूप सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादित सामान्य ड्यूटी की परिधि में आता है। उक्त (iii) में उल्लेख गर्मियों में, एयर कंडीशनरों में पानी डालना एक नियमित स्वरूप का कार्य है जिसे मौसमी स्टाफ द्वारा कराया जाना चाहिए जिसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया हो।

(3) जब कि ऐसे विशिष्ट मामलों, जिनमें कि मानदेय मंजूर नहीं किया जाना चाहिए का नाम लेकर बताना सम्भव नहीं है फिर भी, प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा प्रत्येक मामले में निर्णय लेते समय, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(i) कार्य में ऐसी अस्थायी वृद्धियों के लिए मानदेय अनुज्ञेय नहीं है जो सरकारी कार्य में सामान्य रूप से होती रहती है और मूल नियम-11 में निरूपित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार सरकारी सेवकों के विधिसम्मत कर्त्तव्यों का हिस्सा है।

(ii) कम्पनियों, निगमों आदि की स्थापना सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारियों को ऐसे कार्य के लिए मानदेय मंजूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनके सामान्य कर्त्तव्यों का अंश हो, चाहे वे इसके लिए कार्यालय समय के बाद भी कार्य क्यों न करें, उपर्युक्त आदेश (4) देखें।

(iii) जब किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके अपने पद से जुड़े कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत पद का कार्य भी किया जाता है तो उपर्युक्त आदेश (6) के द्वारा कोई मानदेय मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसे मामलों में जहां स्टाफ को किसी कार्य के लिए समयोपरि भत्ता दिया गया हो वहां उसी कार्य के लिए, कोई मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए।

[भा० स०, वि० मं०, का०का० ज्ञापन संख्या 12(9)-ई-11(ख)/69, दिनांक 2 दिसम्बर, 1969]

ऐसे दृष्टांत देखने में आए हैं जिनमें सरकार तथा डाकतार निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के मूल उपबन्धों को ध्यान में रखे बिना विभागीय प्राधिकारियों द्वारा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को मानदेय मंजूर किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को मानदेय मूल नियम 46(ख) और उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन स्वीकार्य होता है। मानदेय के सम्बन्ध में नियमों की स्थिति सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीचे स्पष्ट की गई है और सभी सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन मानदेय स्वीकृत करते समय इन्हें, ध्यान में रखें।

(1) मानदेय ऐसे कार्य के लिए अनुज्ञेय है जो अनियमित या यदाकादिक प्रकार के हों और इतने श्रमसाध्य हों या ऐसी विशेष योग्यता के हों जिनके लिए विशेष पारितोषिक देना न्यायसंगत है। परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन करना, बचत बैंक खातों के ब्याज की गणना करना, बैठकों आदि की कार्यवाहियों का शाब्दिक रिकार्ड करना आदि जैसे कुछ कार्यों के लिए, जिनमें नियमों के अधीन मानदेय की अनुमति दी जा सकती है, मानदेय की दरें डाक-तार निदेशालय द्वारा नियत की गई हैं। जिन कार्यों के लिए दरें नियत नहीं की गई हैं उनके लिए मानदेय का भुगतान करने के लिए निर्णय आन्तरिक वित्त सलाहकार के परामर्श से किया जाना चाहिए।

(2) कार्य में ऐसी अस्थायी वृद्धि के लिए कोई मानदेय अनुज्ञेय नहीं है जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के प्रसंग में है और मूल नियम 11 में निरूपित सामान्य नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के उचित कर्त्तव्यों का हिस्सा हैं।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद से जुड़े सामान्य कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत पद का कार्य भी करता है तो उसे कोई मानदेय मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

(4) ऐसे मामलों में जहां स्टाफ को किसी कार्य के लिए समयोपरि भत्ता दिया गया है, उसी कार्य के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेश/मार्गदर्शन न तो सर्व समावेशी है और न ही परिपूर्ण है इसलिए विनिर्दिष्ट रूप से किसी मामले में पहले ही जारी किए गए अनुदेशों अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को उनके द्वारा अधिक्रमित नहीं माना जाना चाहिए।

[महानिदेशक, डाक तार तारीख 6 अक्तूबर, 1980 का पत्र संख्या 4-4/80-वित्त समन्वय]

14. **केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा फीस का स्वीकार किया जाना।**—अनु०नि० 12 में उल्लिखित समेकित अनुदेश देखें।

15. **परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रेरित करने के लिए मानदेय स्वीकार करना।**—कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो छोटे परिवार के मानक को स्वीकार करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि लेने तथा स्वीकार करने की स्वीकृति दी है। परन्तु नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अब तक वंचित रखा गया है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रेरणा राशि के भुगतान के सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्ति की स्वीकृति दी जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि को "मानदेय" माना जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति मूल नियम 46(ख) के अधीन प्रदान की जा सकती है फिर भी प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रेरणा देने के कार्य के कारण सामान्य सरकारी कार्य में कोई बाधा न हो और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रेरणा देने का कार्य करने में

यथास्थिति इन्कार किया जा सकता है अथवा अनुमति वापस ली जा सकती है।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 11 जनवरी, 1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/7/79-पी०एल०वाई०]

16. **विवाचकों के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय।**—भारत सरकार तथा प्राइवेट पार्टियों के बीच अथवा प्राईवेट पार्टियों के बीच विवादों में विवाचकों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की मंजूरी से संबंधित मामले की और आगे जांच की गई है। चूंकि, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, 1960 में निर्धारित दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता न्यायोचित हो गई है, इसलिए दिनांक 2-7-60 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में आंशिक आशोधन करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि विवाद निपटाने के लिए किसी विवाचक को प्रति दिन 50/- रु० (पचास रुपये) की दर से मानदेय भुगतान किया जाए परन्तु शर्त यह है कि यह मानदेय एक मामले में 800 रु० (आठ सौ रुपये) से अधिक नहीं होगा। तदनुसार दिनांक 2-7-1960 के उपर्युक्त का ज्ञापन के पैरा 1 के खण्ड (ii) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"उसे प्रत्येक दिन के लिए 50/- रुपये अथवा प्रत्येक आधे दिन के लिए 25/- रुपये की दर से मानदेय भुगतान किया जाए परन्तु शर्त यह है कि यह मानदेय प्रति मामले में 800/- रुपये से अधिक न हो। इस प्रयोजन के लिए, एक दिन से तात्पर्य है किसी भी दिन दो घण्टे अथवा इससे कम कार्य। उसे लिखित रूप में यह निर्दिष्ट करते हुए प्रमाण पत्र रिकार्ड करना होगा कि उसने किसी विशिष्ट दिन में पूरे दिन का अथवा आधे दिन का कार्य किया है।"

[भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 29-9-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17011/21/79-स्था० (भत्ते)]

लेखा परीक्षा अनुदेश

इस नियम के अनुसार मंजूरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा मानदेय अथवा फीस की मंजूरी को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जा सके तथा लेखा परीक्षा द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके और यह कि यदि आवश्यक समझा जाए तो लेखा परीक्षा विभाग को टिप्पणी करने का एक वास्तविक अवसर दिया जा सके। अतः लेखा परीक्षा अधिकारी यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक मामले में मानदेय अथवा फीस की मंजूरी से सम्बन्धित कारणों की उन्हें सूचना दी जाए।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम-पुस्तक (पुनःमुद्रित) का खण्ड-1, अध्याय-V, पैरा 7]

लेखा परीक्षा विनिर्णय

किसी दिवंगत सरकारी सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके उत्तराधिकारियों को मानदेय मंजूर किया जाना, लेखा परीक्षा में स्वीकार्य है।

[लेखा परीक्षा विनिर्णय-संकलन का खण्ड-IV, निर्णय (22)]

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निर्णय

(1) मूल नियम 49 के नीचे दिया गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निर्णय देखें।

(2) **सरकार के लिए किए गए कार्यों अथवा की गई सेवाओं के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को भुगतान।**—नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ध्यान में यह लाया गया है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को, उनके द्वारा किए गए कार्य अथवा की गई सेवाओं के लिए, किए गए मानदेय के भुगतान पर लेखा परीक्षा द्वारा इस आधार पर आपत्ति की जा रही है कि ऐसे भुगतान आकस्मिक व्यय से फीस के रूप में प्रभार्य है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे भुगतान के लिए किसी उपयुक्त शब्दावली के ढूंढने के लिए बाल की खाल निकालने से कोई लाभ नहीं है। तदनुसार, यदि किसी विशेष मामले में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को उसके द्वारा भारत सरकार के लिए किए गए कार्यों अथवा की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया गया है तो इसे, "मानदेय" कहे जाने तथा "भत्ते और मानदेय" के अधीन वर्गीकृत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

[नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 13 मई, 1959 का पत्र संख्या 536-ए-11/50-59]

मूल नियम 46(क)—राष्ट्रपति उन शर्तों और परिसीमाओं को विहित करने वाले नियम बना सकेंगे जिनके अधीन वृत्तिक परिचर्या से भिन्न सेवाओं के लिए सिविल नियोजन में चिकित्सक अधिकारी द्वारा फीस प्राप्त की जा सकेगी।

मूल नियम 47.—राष्ट्रपति द्वारा नियम 46क के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार उन शर्तों और परिसीमाओं को विहित करने वाले नियम बना सकेगी जिनके अधीन उसके अधीनस्थ प्राधिकारी मानदेय के अनुदान या प्रतिग्रहण की और सिविल नियोजन में चिकित्सक अधिकारियों द्वारा वृत्तिक परिचर्यार्थ फीस के प्रतिग्रहण से भिन्न, फीस के प्रतिग्रहण की मंजूरी दे सकेंगे।

[इस नियम के अधीन बनाए गए नियमों के लिए अनुपूरक नियम 9-16 देखें]

लेखा परीक्षा विनिर्णय

कतिपय अधिनियमों के विशिष्ट उपबन्धों से, जिनमें सरकार में नियोजित व्यक्तियों को मानदेय देने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है, मूल नियम 47 रद्द हो जाता है।

[लेखा परीक्षा विनिर्णय—संकलन का अध्याय-IV विनिर्णय (26)]

मूल नियम-48.—कोई भी सरकारी सेवक निम्नलिखित को प्राप्त करने और, राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विशेष अनुज्ञा के बिना अपने पास रखने का पात्र है:—

(क) किसी निबन्ध या योजना के लिए सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में दिया गया पुरस्कार;

(ख) किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए या न्याय के प्रशासन के संसर्ग में सूचना या विशेष सेवा के लिए प्रस्थापित कोई इनाम;

(ग) किसी अधिनियम या बनाए गए विनियम या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कोई इनाम;

(घ) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क विधियों के प्रशासन के संसर्ग में सेवाओं के लिए मंजूर किया गया कोई इनाम; और

(ङ) कोई फीस जो सरकारी सेवक को उन कर्तव्यों के लिए संदेय है जिनका पालन करने की अपेक्षा उसकी पदीय हैसियत में उससे किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा की जाती है।

भारत सरकार के आदेश

1. **(ङ) खण्ड सम्बन्धी सामान्य अनुदेश.**— (1) मूल नियम 48(ङ) के अधीन किसी सरकारी सेवक को संदेय कोई फीस बिना किसी विशेष अनुमति के उसके द्वारा रखी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे पारिश्रमिक पर अनुपूरक नियम 12 लागू नहीं होता। फिर यह वांछनीय नहीं है कि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे, उसकी पदीय हैसियत से, किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी संस्थान के शासी निकाय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, संबंधित संस्थान की किसी बैठक में भाग लेने अथवा उसके किसी अन्य कार्य को करने के लिए उक्त निकायों से ऐसी कोई फीस अथवा अन्य प्रकार का कोई पारिश्रमिक प्राप्त करे जो कि गैरसरकारी सेवकों को अनुज्ञेय होता है। संबंधित संस्थानों द्वारा यदि कोई फीस संदेय हो तो वह वसूल की जाएगी और संबंधित मंत्रालय/विभाग के राजस्व में जमा करा दी जाएगी बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 46 तथा अनुपूरक नियम 11 और 12 के अधीन ऐसी फीस सीधे स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

(2) सांविधिक संगठनों, निगमित निकायों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (जो विभागीय रूप से नहीं चलाए जा रहे हैं) के कार्यों से संबद्ध बैठकों में भाग लेने या अन्य काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए फीस केवल उसी दशा में वसूल की जाएगी जब वे पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में न हों बल्कि उनमें केन्द्रीय सरकार की निधि लगी हुई हो या वे अंशतः ऐसी निधि से वित्तपोषित हों। इस प्रश्न पर कि क्या समान परिस्थितियों में अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों से, जिनको कि केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलते हैं, से फीस की वसूली की जाएगी अथवा नहीं, मामले के गुण-दोषों के आधार पर संबद्ध वित्त अनुभाग की सलाह से, विचार किया जाएगा।

(3) (i) उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित संगठनों, संस्थाओं आदि के कार्यों के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों का नियमन उन पर लागू सरकारी नियमों के अनुसार होगा और वे उसी स्रोत से प्राप्त होंगे जिससे उन्हें वेतन मिलता है। यात्रा या विराम संबंधी उनके खर्च का कोई भी अंश उन्हें सीधे उपक्रमों से नहीं लेना चाहिए।

(ii) यदि यात्रा पूर्णरूप से या मुख्यतः उपक्रमों आदि के कार्यों के सम्बन्ध में की गई है तो सरकारी कर्मचारी का यात्रा और दैनिक भत्ता सम्बन्धी सारा खर्च, जिसे शुरू में सरकार उठाती है, उपक्रमों आदि से वसूल किया जाएगा। लेकिन यदि यात्रा और विराम मुख्यतः सरकारी काम से और केवल अंशतः उपक्रमों आदि के काम से संबंधित है तो ऐसे खर्च का कोई भी अंश उपक्रमों आदि से वसूल नहीं किया जाएगा।

(iii) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के यात्रा और दैनिक भत्ते के लिए निधि के आबंटन का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी ही इस बात का एक मात्र निर्णायक होगा कि उपक्रमों आदि से कोई वसूली की जाए अथवा नहीं।

[भा० स०, वि० मं०, के का० ज्ञा० सं० 11(9)-ई-11(क)/65, दिनांक 15 फरवरी, 1966 के साथ पठित दिनांक 5 जुलाई, 1965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(47)-ई-IV (ख)/63]

2. **स्पष्टीकरण.**— यह प्रश्न उठाया गया कि क्या कोई ऐसा सरकारी सेवक जिसे किसी ऐसी प्राइवेट कम्पनी के कार्यों के सम्बन्ध में, उसकी पदीय हैसियत से, निदेशक आदि के रूप में नियुक्त किया गया हो, जो केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न ले रही हो अथवा जिसमें केन्द्रीय सरकार की निधि न लगी हो, उस कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठकों आदि में भाग लेने के लिए कोई फीस आदि प्राप्त कर सकता है और अपने पास रख सकता है। अब यह स्पष्ट किया गया है कि उसका आशय यह है कि ऐसा सरकारी सेवक अपने पर लागू होने वाले नियमों के अधीन केवल यात्रा भत्ता उसके स्रोत से प्राप्त करेगा जिससे कि वह अपना वेतन लेता है और ऐसे निकायों से उनके नियमों तथा विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई फीस,

यात्रा भत्ता अथवा अन्य किसी प्रकार के पारिश्रमिक की राशि को वह सरकार के पास जमा करेगा। ऐसी जमा राशि को संबंधित विभाग का राजस्व माना जाएगा।

ऐसे मामलों में जिनमें पहले से ही विदेश सेवा में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी हैसियत से तीसरी पार्टी के लिए कार्य किया जाना अपेक्षित होता है तथा वे उस पार्टी से फीस प्राप्त करते हैं, तो ऐसी फीस में से विदेशी नियोक्ता द्वारा उन पर यात्रा भत्ते के रूप में खर्च की गई राशि को कम करके (जिसकी प्रतिपूर्ति विदेशी नियोक्ता को की जानी चाहिए) सरकार के पास जमा कराई जानी चाहिए।

[भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० 7(I)-ई-II(ख)/71, दिनांक 16 अप्रैल, 1971]

उपर्युक्त उप-पैरा 1 के अन्तिम वाक्य में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि प्राइवेट कम्पनी से यात्रा भत्ते के रूप में, चाहे उसी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा बाद में, प्राप्त की गई राशि को अब लघु शीर्ष "घटाएं—अन्य सरकारों, विभागों आदि से वसूल की गई राशि" के अधीन की गई वसूली राशि के रूप में समायोजित किया जाएगा। ऐसा समायोजन उसी मुख्य शीर्ष के अधीन किया जाएगा जिसमें कि सरकार द्वारा, प्रारम्भ में, यात्रा भत्ते पर खर्च की गई राशि समायोजित की गई थी।

[भा० स०, वि० मं० का० ज्ञा० संख्या 7(I)-ई-II(ख)/71, दिनांक 17 अप्रैल, 1972]

मूल नियम 48-क.—वह सरकारी सेवक जिसके कर्त्तव्यों में वैज्ञानिक या तकनीकी गवेषणा करना सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना और ऐसी शर्तों के अनुसरण में सिवाय जैसी कि केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करें, ऐसे आविष्कार के लिए जो उस सरकारी सेवक द्वारा किया गया है, किसी पेटेन्ट के लिए न तो आवेदन करेगा और न उसे अभिप्राप्त करेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसके लिए आवेदन करने या उसे अभिप्राप्त करने देना या अनुज्ञात करेगा।

मूल नियम 48-ख.—यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई सरकारी सेवक ऐसा सरकारी सेवक है जिसे मूल नियम 48-क लागू होता है तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

6　　6

अध्याय VI

नियुक्तियों का संयोजन

[1]मूल नियम 49---केन्द्रीय सरकार सरकारी सेवक को, जो किसी पद को अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में पहले से ही धारण कर रहा हो, उसी सरकार के अधीन एक ही समय में एक या अधिक अन्य स्वतंत्र पदों पर अस्थायी व्यवस्था के तौर पर, स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकेगी । ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्नलिखित रूप से विनियमित होगा :---

(i) जहां सरकारी सेवक को उसी कार्यालय में, जिसमें कि वह है और उसी काडर में प्रोन्नति की पंक्ति में, उसके सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, किसी उच्चतर पद पर कर्तव्यों का पूर्ण प्रभार धारण करने के लिए औपचारिक तौर पर नियुक्त किया जाए वहां उसे सिवाय उस दशा के जहां उसका स्थानापन्न वेतन नियम 35 के अधीन सक्षम प्राधिकारी कम कर दे; वह वेतन लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो वह उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में लेता, किन्तु किसी निम्नतर पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई भी अतिरिक्त वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ii) जहां सरकारी कर्मचारी को कार्यालय के उसी काडर में दो ऐसे पदों का, जिनका वेतनमान समान हो, दोहरा प्रभार करने के लिए औपचारिक तौर पर नियुक्त किया जाता है तो दोहरे प्रभार की अवधि कितनी भी क्यों न हो, उसे कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञेय नहीं है :

परन्तु यदि सरकारी सेवक की नियुक्ति किसी ऐसे अतिरिक्त पद पर की जाती है जिसके लिए विशेष वेतन मिलता है तो उसे ऐसा विशेष वेतन लेने की अनुज्ञा दी जाएगी ;

(iii) जहां किसी सरकारी सेवक को किसी [2][अन्य पद] या ऐसे पदों का जो उसी कार्यालय में हों किन्तु उसी काडर/प्रोन्नति की पंक्ति का हो अथवा अन्यथा तो, प्रभार धारण करने के लिए औपचारिक तौर पर नियुक्त किया जाता है वहां उसे उच्चतर पद का [2][अथवा यदि वह दो से अधिक पदों का प्रभार धारण करें तो उच्चतम पद का] वेतन तथा अतिरिक्त पद या पदों के उपधारणात्मक वेतन की दस प्रतिशत अतिरिक्त राशि अनुज्ञात की जाएगी, यदि अतिरिक्त पदों के कार्यभार की अवधि 39 दिन से अधिक और तीन माह से कम हो :

परन्तु यदि किसी विशेष मामले में यह आवश्यक समझा जाए कि सरकारी सेवक [2][दूसरे पद] या पदों का प्रभार तीन मास से अधिक की अवधि के लिए धारण करें तीन मास की अवधि से परे अतिरिक्त वेतन के संदेय के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी ;

(iv) जहां कोई अधिकारी किसी अन्य पद के सम्पूर्ण अतिरिक्त प्रभार को धारण करने के लिए नियुक्त किया गया हो, तो उसका वेतन और अतिरिक्त वेतन किसी भी हालत में 8000/ से अधिक नहीं होगा ।

(v) उस सरकारी कर्मचारी को जिसे [2][अन्य पद] या पदों के कर्त्तव्यों का चालू प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसके अतिरिक्त प्रभार की अवधि कितनी भी क्यों न हो, कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(vi) यदि उन पदों में से एक अथवा अधिक के लिए कोई प्रतिकारात्मक या सम्पचुयरी भत्ते भी हैं तो सरकारी सेवक ऐसे प्रतिकारात्मक या सम्पचुयरी भत्ते लेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे : परन्तु ऐसे सभी पदों के लिए प्रतिकारात्मक या सम्पचुयरी पदों के कुल योग से अधिक नहीं होंगे ।

भारत सरकार के आदेश

1. संवर्ग बाह्य पदों के अतिरिक्त प्रभार को नियुक्तियों के संयोजन के रूप में माना जाना.---(1) हाल ही में लोक

---

[1]भा० स०, वि० मं० की अधिसूचना संख्या एफ-6(2)-ई-III(ख)/68 दिनांक 20 मार्च, 1971 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2]भा० स०, वि० मं० की अधिसूचना संख्या एफ 6(28)-ई०III (ख)/68, दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

लेखा समिति के ध्यान में एक ऐसा मामला आया है जिसमें किसी नियमित रूप गठित सेवा के अधिकारी ने दो वर्ष से अधिक की अवधि तक ऐसे दो पदों का प्रभार संभाले रखा जिनमें से एक संवर्ग-बाह्य पद था। एक चरण पर, उस अधिकारी ने नियमित पद का पूरा प्रभार तथा संवर्ग बाह्य पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला लेकिन बाद में यह व्यवस्था पलट दी गई और अधिकारी को संवर्ग-बाह्य पद का पूरा प्रभार तथा नियमित पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए दिखाया गया। उसे उसके ग्रेड के वेतन का बीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में लेने के लिए अनुमति दी गई।

(2) लोक लेखा समिति ने उपर्युक्त व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की तथा एक ही अधिकारी द्वारा दो पदों पर लम्बी अवधि तक बने रहने को अनुचित बताया। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि भावी मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए जाने चाहिए:—

(क) क्या प्रतिनियुक्ति भत्ते की मंजूरी दिया जाना न्यायसंगत था, जबकि अधिकारी द्वारा संवर्ग-बाह्य पद का केवल अतिरिक्त प्रभार संभाला गया;

(ख) क्या यह असामान्य बात नहीं थी कि किसी नियमित रूप में गठित सेवा का अधिकारी किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद का पूरा प्रभार संभाले और नियमित पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले।

(3) उपर्युक्त खण्ड (क) के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कभी किसी अधिकारी द्वारा संवर्ग-बाह्य पद का केवल अतिरिक्त प्रभार संभाला जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देना ठीक नहीं है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो तो, केवल तभी स्वीकार्य किया जा सकता है जब किसी अधिकारी की संवर्ग-बाह्य पद पर, पूर्णकालिक आधार पर, नियुक्ति की गई हो।

(4) उपर्युक्त पैरा 2(ख) के संदर्भ में किसी अधिकारी के लिए यह एक असामान्य व्यवस्था होगी कि उसे संवर्ग-बाह्य पद का पूर्ण प्रभार संभालने तथा अपने नियमित पद का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाए। ऐसे मामलों में सही व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अधिकारी अपने नियमित पद का पूरा प्रभार संभाले और संवर्ग-बाह्य पद का अतिरिक्त प्रभार। ऐसे मामलों को नियुक्तियों का संयोजन माना जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अतिरिक्त पारिश्रमिक के अनुदान को इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

(5) नियुक्तियों के संयोजन तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक की पात्रता के विषय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन जब कोई अधिकारी किसी स्वीकृत पद का अतिरिक्त प्रभार संभालता है तो प्रशासनिक मंत्रालय, यथा निर्धारित अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक मंजूर कर सकते हैं अन्यथा यह अनुमान लगाना उचित होगा कि ऐसा दूसरा पद, जिसके लिए अतिरिक्त वेतन लिया गया है, आवश्यक नहीं है। इन आदेशों में आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी विशेष मामले में अतिरिक्त वेतन का किसी लम्बी अवधि के लिए जारी रखा वांछित हो तो वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक अधिकारी को एक से अधिक पदों का कार्य-निष्पादन करने के लिए लम्बी अवधि तक लगाए जाने की पद्धति का सहारा नहीं लिया जाए क्योंकि यह कार्य कुशलता में सहायक नहीं है तथा ऐसे मामलों में अतिरिक्त पारिश्रमिक के अनुदान के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का सख्ती से पालन किया जाए।

[भा० स०, वि० मं०, का० ज्ञा० सं० एफ-6(5)-ई-III(ख)/65, दिनांक 12 सितम्बर, 1966]

2. तीन माह से अधिक अवधि के लिए नियुक्तियों के संयोजन की अनुमति देने के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।—(1) मूल नियम 49 के उपबन्धों तथा नियुक्तियों के संयोजन के मामले में अतिरिक्त आर्थिक लाभ की स्वीकार्यता से संबंधित उपर्युक्त आदेश में छूट दिए जाने की बाबत अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं। देखा गया है कि उक्त प्रस्ताव न केवल निर्धारित अवधि के बाद दोहरे कार्यभार की व्यवस्था को अतिरिक्त पारिश्रमिक के साथ जारी रखने हेतु समय सीमा में छूट दिए जाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मंजूर करने हेतु विलम्बित संदर्भों से सम्बन्धित है बल्कि उन मामलों में भी पारिश्रमिक के भुगतान से सम्बन्धित है, जिनमें अधिकारियों को अन्य पद के वर्तमान कार्य (ड्यूटी) करने अथवा उसी कार्यालय में उसी संवर्ग में समकक्ष वेतनमान वाले दो पदों का दोहरा कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है।

(2) जो प्रस्ताव मूल नियम 49 के उपबन्धों तथा उपर्युक्त आदेशों के अनुसार नहीं है वे स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में, सभी मंत्रालय/विभाग आदि संयोजित नियुक्तियों के मामलों में अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिए अपने एकीकृत वित्त विभाग के परामर्श से प्रस्तावों की कड़ाई से जांच करें कि क्या मूल नियम 49 के उपबन्धों तथा उपर्युक्त आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होता है। इस सम्बन्ध में, यह विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए कि यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि सरकारी कर्मचारी अन्य पद अथवा पदों का कार्यभार संभाले तथा उसे इनके लिए मूल नियम 49 के अधीन पारिश्रमिक दिया जाए तो यह आवश्यक है कि उसे उस पद अथवा उन पदों का कार्यभार संभालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि यह अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है तथा यह वांछित है कि अतिरिक्त वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के बाद भी किया जाए तो संबंधित मंत्रालय के

एकीकृत वित्त विभाग की विशिष्ट सिफारिशों सहित पूर्ण औचित्य देते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्ण सहमति निश्चित रूप से प्राप्त की जानी चाहिए।

(3) यह भी देखा गया है कि अनेक मामलों में संबंधित मंत्रालय के एकीकृत वित्त विभाग ने उक्त विषय पर नियमों/अनुदेशों के संदर्भ में प्रस्तावों की जाँच किए बिना ही प्रस्ताव विचार के लिए इस विभाग के पास भेज दिए हैं। एकीकृत वित्त, संगत नियमों/अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय व्यय वाले सभी प्रस्तावों की जाँच करें तथा ऐसे नियमों/अनुदेशों में छूट दिए जाने के लिए पूर्ण औचित्य देते हुए इस विभाग द्वारा विचार किए जाने के लिए विशिष्ट सिफारिश करें। एकीकृत वित्त द्वारा जो मामले उचित जाँच के बिना इस विभाग को भेजे जाते हैं उन्हें ऐसी जाँच तथा विशिष्ट सिफारिशों के लिए वापस करना होता है और परिणाम स्वरूप उनके अंतिम निपटान में अनावश्यक देरी हो जाती है।

[भा० स०, गृह मंत्रालय, का और प्रशा० सु० वि० का० ज्ञा० सं० 6(26)-स्था०-(वेतन-II)/81, दिनांक 30 दिसम्बर, 1981]

3. जब किसी अन्य पद के वर्तमान कार्यों के प्रभार को धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है।—(क) यह निर्णय किया गया है कि किसी अधिकारी द्वारा किसी पद के वर्तमान कार्यों के प्रभार धारित करने का नियुक्ति आदेश, इस के प्रतिकूल किसी विशिष्ट अनुदेश के अभाव में, उस अधिकारी को उस पद के पूर्ण पदधारी से निहित समस्त शक्तियां प्रदान करता है। फिर भी ऐसा कोई अधिकारी उस पद के नियमित पदधारी के आदेशों में संशोधन या उनके विरुद्ध निर्णय आपातिक स्थिति को छोड़कर अपने से अगले उच्च प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए बिना नहीं कर सकेगा।

जहां किसी पद के वर्तमान कार्यों को धारित करने की नियुक्ति में सांविधिक या ऐसी अन्य शक्तियों पद के पदधारी को प्रदत्त की गई हो, उस स्थिति में, नियुक्ति को राजपत्र में भी अधिसूचित किया जाएगा।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 15 अक्तूबर, 1960 का कार्यालय ज्ञापन सं० एफ-12(2)/ई-II(क)/60]

(ख) विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी नियुक्ति के वर्तमान कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया कोई अधिकारी उस पद के किसी पूर्ण पदधारी में निहित प्रशासनिक अथवा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है लेकिन वह सांविधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता चाहे ऐसी शक्तियां संसद के किसी अधिनियम जैसे आयकर अधिनियम या संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपनियमों उदाहरणार्थ मूल नियम, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली, सिविल सेवा विनियम, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली आदि, से सीधे व्युत्पन्न की गई हो।

[भा० स०, गृह मंत्रालय, का० ज्ञा० सं० 7/14-स्था०(क), दिनांक 24 जनवरी, 1963]

4. अन्य पद के मौजूदा कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना।—ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को एफ० आर० 49 (V) के अनुसार कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञेय नहीं है जिसको किसी अन्य पद के नमित्तिक कार्यों का मौजूदा कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त किया जाता है चाहे अतिरिक्त कार्यभार की अवधि कितनी ही क्यों न हो। वास्तव में यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में अधिकारियों को अन्य किसी पद के मौजूदा कार्यभार का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु सम्बन्धित आदेश में इन कार्यों की परिभाषा नहीं दी जाती है और इसलिए संबंधित अधिकारी दूसरे पद के सभी कार्यों और कुछेक सांविधिक कार्यों का भी निष्पादन करता है। किन्तु उसके नियुक्ति आदेश की विशिष्ट भाषा को देखते हुए उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। कुछेक अन्य मामलों में ऐसे अधिकारी को अन्य पद के अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए कहा जाता है (जिसका अर्थ अन्य पद का पूरा कार्यभार) परन्तु उसे औपचारिक रूप में उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है और इसलिए उसे एफ० आर० 49 के अन्तर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मुकदमे भी दायर किए गए हैं।

2. ऐसी किसी परिस्थिति के बार-बार पैदा होने से बचने के लिए किसी अधिकारी को अन्य किसी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए :—

(i) जब किसी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी दूसरे पद के सांविधिक कार्यों सहित सभी कार्यों का निष्पादन करें, अर्थात् वह उन शक्तियों का प्रयोग करें जो संसद के अधिनियमों अर्थात् आयकर अधिनियमों; नियमों, विनियमों, उपनियमों जिन्हें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि एफ०आर०सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियमों, सी० एस० आर०, डी० एफ० पी० आर० के अन्तर्गत बनाया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से मामले पर कार्रवाई करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही संबंधित अधिकारी को अतिरिक्त पद पर नियुक्त करने संबंधी औपचारिक आदेश जारी करने चाहिए। नियुक्ति हो जाने पर एफ० आर० 49 में दर्शाए अनुसार उस अधिकारी को अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

(ii) जहां किसी अधिकारी से सम्बन्धित पद से सम्बद्ध गैर-सांविधिक स्वरूप के नैमित्तिक सामान्य कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा कार्यालय आदेश जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि वह अधिकारी सांविधिक स्वरूप के दिन प्रति दिन के नमित्तिक कार्य ही सम्पादित करेगा और वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। सम्बन्धित कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वह अधिकारी कौन से कार्य करेगा अथवा कौन से कार्य नहीं करेगा।

[कार्मिक और प्रशि० विभाग का का० ज्ञा० सं० 4-2-89 स्था० (वेतन-II) दिनांक 11-8-89

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) मूल नियम 49 के प्रयोजनों के लिए प्रकल्पित वेतन मूल नियम 9(24) के अनुसार वह माना जाना चाहिए जो ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मूल नियम 22 के अधीन अतिरिक्त पद के समयमान में प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस समय में लेता यदि उसे औपचारिक रूप से उस पद पर अंतरित कर दिया जाता। फिर भी, ऐसे मामलों में जहां निम्न पदों का अधिकतम वेतन, सरकारी कर्मचारी के मूल पद में उसके वेतन से कम हो वहां मूल नियम 22 स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता और तदनुसार मूल नियम 8 के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे किसी मामले में मूल नियम 49 के प्रयोजनों के लिए निम्न पद के अधिकतम वेतन को प्रकल्पित वेतनमान लिया जाना चाहिए।

(लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनः मुद्रित) के भाग 1, अध्याय VI का पैरा I(II))

(2) मूल नियम 49 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेशों को देखिए।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निर्णय

(1) **उसी संवर्ग में किसी अन्य पद का कार्यभार संभालने के लिए कोई अतिरिक्त परिलब्धियां नहीं मिलेंगी।**—यह प्रश्न उठाया गया कि क्या किसी कनिष्ठ मंडल लेखापाल को, उसी कार्यालय में, अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य कनिष्ठ मंडल लेखापाल के पद को धारण करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकार्य है।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही यह निर्णय किया जा चुका है कि मूल नियम 49, उन दो पदों पर नियुक्ति के किसी भी ऐसे मामले पर लागू नहीं होता है जो एक ही कार्यालय अथवा स्थापना में हों तथा जो पदोन्नति के उसी क्रम में हो अथवा उसी संवर्ग में हों क्योंकि ऐसे पदों को उस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र रूप से धारण नहीं किया जा सकता। यह निर्णय अनुच्छेद 162-ए, सी०एस०आर० पर आधारित है जो कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 162 को लागू करना वर्जित करता है। अनुच्छेद 162-ए के अधीन, अधिकारी किसी एक पद के लिए उच्चतम वेतन प्राप्त करने का हकदार है और इसके अलावा कुछ नहीं। अतः ऐसे मामलों में विशेष वेतन प्रदान किया जाना भी अनुज्ञेय नहीं है।

इस मामले में, मूल नियम 9(9) में यथापरिभाषित मानदेय भी मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि किए गए अतिरिक्त कार्य को अनियमित अथवा यदाकदिक प्रकृति का विशेष कार्य नहीं माना जा सकता।

इन परिस्थितियों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा यह निर्णय किया गया है कि किसी भी कनिष्ठ मंडल लेखापाल को किसी एक पद के लिए जो वेतन तथा भत्ते स्वीकार्य हैं, उससे अधिक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

(नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अर्द्ध शासकीय टिप्पणी संख्या 831-एन०जी०ई०-I/1-56, दिनांक 15 मई, 1957, और अर्द्ध शासकी टिप्पणी संख्या 819-एन०जी०ई० I/1-56, दिनांक 15 मई, 1958 के द्वारा यथासंशोधित उनका पत्र संख्या 2703-एन०जी०ई०-I/232-53, दिनांक 12 अगस्त, 1953)

(2) **2250 रुपये तथा उससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन।**—2250 रुपये तथा इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मूल नियम 49 के अधीन अतिरिक्त वेतन का लाभ सीमित करने के प्रश्न की भारत सरकार द्वारा पुनः जाँच की गई है तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 13-11-1979 के यू०ओ० संख्या एफ 6(1) पी० यू० II/79-3972 पी० यू० II/79 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्तमंत्री के स्तर पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने पर अतिरिक्त परिलब्धियों के लाभ की अनुमति देने के लिए वेतन की सीमा हटाई जा सकती है और ऐसे मामलों पर इसके बाद मूल नियम 49 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 22-11-79 का पत्र संख्या 829-लेखा/69-79)

अध्याय VII

भारत से बाहर प्रतिनियोजन

मूल नियम 50.—सरकारी सेवक का भारत से बाहर कोई भी प्रतिनियोजन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा ।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

(1) मूल नियम 51 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की मद संख्या (1) और (3) को देखें ।

मूल नियम 51. (1)—जब सरकारी सेवक को या तो उस पद के संबंध में जो वह भारत में धारण किए हुए हो, या किसी विशेष कर्तव्य के संबंध में जिस पर वह अस्थायी रूप से तैनात किया जाए, भारत के बाहर कर्तव्य के लिए, समुचित मंजूरी से प्रतिनियोजन किया जाए, तब राष्ट्रपति उसे प्रतिनियोजन की कालावधि के दौरान वही वेतन लेने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा जो वह भारत में कर्तव्य पर रहने की दशा में लेता :

परन्तु राष्ट्रपति ऐसे सरकारी सेवक से, जो औसत वेतन पर पहले से ही भारत के बाहर छुट्टी पर होते हुए प्रतिनियोजन पर तैनात किया जाए यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह छुट्टी पर ही रहा आए और ऐसी दशा में उसे उस कालावधि के दौरान, उसके छुट्टी वेतन के अतिरिक्त, उस वेतन के छठवें भाग के बराबर जो कि वह भारत में कर्तव्य पर रहने की दशा में लेता, मानदेय दिया जाएगा, भारत से और भारत की यात्रा का खर्च सरकारी सेवक द्वारा वहन किया जाएगा ।

टिप्पण.—सरकारी सेवक को विदेश में प्रतिनियोजन पर रहने के दौरान जितना वेतन विदेशी करेंसी में लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी वह राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(2) प्रतिनियोजन पर तैनात सरकारी सेवक को विदेश में उतनी रकम का जितनी राष्ट्रपति ठीक समझे, प्रतिकारात्मक भत्ता भी दिया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय वेतन, मानदेय या प्रतिकारात्मक भत्ते का विदेशी मुद्रा समतुल्य ऐसी दर पर संगणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे ।

भारत सरकार के आदेश

1. **प्रतिनियुक्ति की शर्तों को लागू करने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धांत.**—कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं कि प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले अधिकारियों पर कब लागू की जाएं और कब नहीं । तदनुसार, मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं :—

(i) सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की उदारीकृत शर्तों को, केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार अपनी तरफ से प्रायोजित करे । सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने की शर्त दृढ़ता से लागू की जानी चाहिए और सामान्यतः केवल उन्हीं मामलों को सरकार द्वारा प्रायोजित माना जाना चाहिए जिनके बारे में पहल सरकार ने की हो न कि संबद्ध अधिकारी ने । दूसरे शब्दों में, यदि योजना की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करने का काम सरकार को करना होता है, तब यह मान लिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण के लिए चुना गया व्यक्ति सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है । दूसरी ओर यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं इस बारे में पहल करता है तो उसे सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं माना जाना चाहिए, भले ही चुने जाने के लिए उसका आवेदन पत्र सरकार द्वारा भेजा गया हो । ऐसे मामलों में अध्ययनार्थ छुट्टी नियमावली 1962 (केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 का अध्याय-VI) के उपबन्धों के अनुसार अध्ययनार्थ छुट्टी की शर्तें ही लागू होनी चाहिए ।

(ii) प्रतिनियुक्ति की शर्तें, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों तथा आर्थिक, विकास और लोक प्रशासन क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर समान रूप से लागू होती हैं । प्रशिक्षण विशेषित क्षेत्र के संबंध में होना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद चाहे कोई क्षैशिक डिग्री या डिप्लोमा मिलता हो अथवा नहीं । प्रशिक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे केवल उस व्यक्ति को ही लाभ न हो बल्कि नियुक्त करने वाले विभाग को भी लाभ हो और यह कि प्रतिनियुक्ति की अवधि की अधिकतम सीमा 18 महीने होनी चाहिए ।

(iii) शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलायी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुसार विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर सामान्यत: नीचे दिए आदेश संख्या (2) में सम्मिलित शर्तें ही लागू की जानी चाहिए। फिर भी अपवाद के रूप में कुछ ऐसे मामलों में, जिनमें उपर्युक्त उपपैरा (1) के अनुसार सरकारी किसी व्यक्ति को प्रायोजित करती है और जिनमें "स्थानीय व्यय" कहे जाने वाले व्यय के रूप में थोड़ी रकम को छोड़कर सरकार को यात्रा भाड़े के रूप में या अन्यथा कोई खर्च नहीं करना पड़ता, वित्त मंत्रालय की सलाह से प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू की जा सकती हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-12(17)-ई० 4(ख)/65, दिनांक 18 अक्तूबर, 1965।]

2. छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तें.—यह निर्णय किया गया है कि आशोधित विदेशी छात्रवृत्ति-योजना, विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना और भारतीय-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना के अधीन विदेश में उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए चुने गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे :—

(i) उपर्युक्त योजनाओं के अधीन गैर-सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय अनुरक्षण भरण-पोषण भत्ते, रेल तथा समुद्री यात्रा किराया, ट्यूशन और परीक्षा-शुल्क पुस्तकों की कीमत आदि ;

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अर्ध-औसत वेतन पर विशेष छुट्टी :—

(क) विशेष छुट्टी की अवधि पदोन्नति के लिए सेवा के रूप में गिनी जाएगी और यदि सरकारी कर्मचारी पेंशनी सेवा में हो तो विशेष छुट्टी की अवधि की गणना पेंशन के लिए भी की जाएगी।

(ख) विशेष छुट्टी, सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में डेबिट नहीं की जाएगी।

(ग) विशेष छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन अर्ध औसत वेतन के बराबर किन्तु कम से कम 500 रुपये होगा परन्तु यह राशि किसी भी हालत में "औसत वेतन" से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए जिस सरकारी कर्मचारी के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 लागू होती हो, उसके मामले में "औसत वेतन" से अभिप्राय नियम 40(1) के अधीन निर्धारित राशि और "अर्ध-औसत वेतन" से अभिप्राय उसी नियमावली के नियम 40(3) के अधीन निर्धारित राशि से होगा।

(घ) छुट्टी वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया जाएगा।

जबकि सरकारी कर्मचारी के छुट्टी वेतन और मंहगाई वेतन का व्यय विभाग अथवा संस्थान द्वारा अपने बजट से वहन किया जाएगा, उपर्युक्त योजनाओं के अधीन अनुज्ञेय भरण-पोषण भत्ते और अन्य रियायतों का व्यय इन योजना के लिए दी गई निधि में से शिक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

[भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय का तारीख 24 दिसम्बर, 1954 का ज्ञापन सं० एफ० 41-5/53-एस०आई०।]

3. सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति.—विद्यमान अनुदेशों के अधीन, सरकार के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों में सेवा कर रहे व्यक्तियों के प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव, प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजने वाले उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों के प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग की तदर्थ समिति को भेजे जाने होते हैं। स्वायत्त निकायों से संबंधित प्रतिनियुक्ति के उन मामलों की संवीक्षा तथा अनुमोदन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पुनरीक्षा की गई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों से भिन्न होते हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि स्वायत्त निकायों से संबंधित विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रत्यायोजन के प्रस्ताव सचिवों की जांच समिति द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं और इनके मामले में उसी प्रकार कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों के विदेश में प्रतिनियुक्ति के मामले में की जाती है। तदनुसार भविष्य में स्वायत्त निकायों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवश्यक संवीक्षा के लिए और सचिवों की जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपने सम्बद्ध वित्तीय सलाहकार (इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें विदेशी मुद्रा का कोई खर्च शामिल नहीं है) को भेजे जाने चाहिए :

किन्तु, सार्वजनिक उपक्रमों में सेवा कर र व्यक्तियों की प्रतिनियुक्तियों के संबंध में मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के तदर्थ समिति को सीधे ही मामला प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय की विद्यमान प्रक्रिया क्रियाविधि का पालन करते रहेंगे।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन विदेश में प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण योजनाओं के मामले में उक्त विभाग में तकनीकी सहायता चयन समिति के माध्यम से अथवा अन्य मामलों में सचिवीय जांच समिति के माध्यम से कार्रवाई अपरिवर्तित रहेगी। ऐसे मामलों में सम्बद्ध वित्त से पहले की तरफ परामर्श लिया जाता रहेगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 15-11-66 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(20)-ई०IV(बी)/68।]

4. विश्वविद्यालयों और माने गए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रक्रिया.—स्वायत्त निकायों के स्वरूप के होने

के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों से उपर्युक्त आदेश (3) के अनुसार यह अपेक्षित था कि वे अपने कर्मचारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करें। उपर्युक्त का आंशिक आशोधन निर्णय करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि आगे से अखिल भारतीय विश्व-विद्यालय अपने कर्मचारियों की विदेश प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए और यात्रा संबंधी अनुमति के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को सीधे ही आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदन पत्र रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की संबंधित शाखा द्वारा सीधे ही स्वीकार किए जाएंगे और ऐसे मामलों में समय-समय पर यथा लागू सामान्य नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में रिजर्व बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।

ऊपर निर्धारित प्रक्रिया "माने गए विश्वविद्यालयों" के रूप में घोषित संस्थाओं के कर्मचारियों की विदेश प्रति-नियुक्ति से संबंधित मामलों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगी। (नीचे दिया गया अनुबंध देखें)

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 नवम्बर, 1968 और 20 जनवरी, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 12(20)-ई०IV (ख)/68]

अनुबंध

"माने गए विश्वविद्यालयों" के रूप में घोषित संस्थाओं की सूची

1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर।
2. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद।
3. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, नई दिल्ली।
4. काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
6. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
8. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
9. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई।
10. बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि उस तिथि से प्रारम्भ होती है जिस तिथि को सरकारी कर्मचारी भारत में अपने पद का कार्यभार सौंप देता है तथा उस तिथि को समाप्त होती है जब वह उस कार्यभार को पुनः संभालता है। यदि सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के समय भारत से बाहर अवकाश पर है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि उसकी वास्त-विक कर्तव्य अवधि होगी।

[लेखा-परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनःमुद्रित) खण्ड-1, अध्याय VII का पैरा 2]

(2) मूल नियम 51(1) में अभिव्यक्त "वेतन जो वह भारत में ड्यूटी पर रहने पर लेता" और मूल नियम 9(2) के परन्तुक (क) के अन्तर्गत इसी प्रकार की अभि-व्यक्तियों की ये वेतन शब्द की व्याख्या मूल नियम 9(21) के संदर्भ में की जानी चाहिए और अधिकारी भारत में ड्यूटी पर रहने पर जो वेतन लेता, उसका निर्धारण इस प्रयोजन के लिए भारत में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्त नहीं किया गया हो बल्कि उसे ऐसे आयोगों और समितियों की सेवा में लगातार रखा गया हो जिन्हें भारत में और भारत के बाहर दोनों जगह, कार्य करना पड़ता है तो इस अभिव्यक्ति की व्याख्या उस वेतन को ध्यान में रखकर की जाए जो वह आयोग अथवा समिति की ड्यूटी पर बने रहने पर भारत में आहरित करता।

[लेखा-परीक्षा अनुदेश नियम-पुस्तक (पुनःमुद्रित) के खण्ड-1, अध्याय VII ए का पैरा (3)]

(3) विशेष मामलों पर विचार की शर्त के अधीन जब कोई सरकारी कर्मचारी यूरोप अथवा अमरीका में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो भारत से बाहर छुट्टी पर रहते हुए प्रतिनियुक्ति को पहले से मंजूर की गई छुट्टी के व्यवधान के रूप में समझा जाना चाहिए। सामान्य परि-स्थितियों में, ऐसे सरकारी कर्मचारी की छुट्टी प्रतिनियुक्ति की अवधि तक बढ़ा दी जाएगी किन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति से वह नए सिरे से छुट्टी लेने का हकदार नहीं होगा।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम-पुस्तक (पुनःमुद्रित) के खण्ड-1, अध्याय, VII का पैरा 4].

मूल नियम 51-क.—जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे नियमित रूप से गठित स्थायी या स्थायिवत् पद को, जो उस पद से भिन्न हो जो उस सेवा के काडर पर धारित हो जिसका कि वह है, धारण करने के लिए उचित मंजूरी की सार्थी भारत से बाहर कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए तो उसका वेतन केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होगा।

भारत सरकार का आदेश

मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार का आदेश (5) देखें।

अध्याय VIII

पदच्युत, हटाया जाना और निलम्बन

मूल नियम 52—उस सरकारी सेवक के वेतन और भत्ते जो सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है ऐसी पदच्युति की या हटाए जाने की तारीख से बन्द हो जाते हैं ।

मूल नियम 53 (1)—(नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के अधीन निलम्बित समझा गया) निलम्बित सरकारी सेवक निम्नलिखित संदायों का हकदार होगा, अर्थात् :—

(i) भारतीय चिकित्सा विभाग के आयुक्त अधिकारी की या सिविल नियोजन के वरिष्ठ आफिसर की दशा में जिसे सैनिक कर्त्तव्य पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है वे वेतन और भत्ते जिनका वह तब हकदार होता जब कि वह सैनिक नियोजन में होते हुए निलम्बित हो जाता;

(ii) किसी अन्य सरकारी सेवक की दशा में—

(क) उस छुट्टी वेतन के बराबर रकम का निर्वाह भत्ता, जो वह सरकारी सेवक तब लेता जब कि वह अर्द्ध औसत वेतन पर या अर्द्ध वेतन पर छुट्टी पर होता और उसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि वह अनुज्ञेय हो परन्तु जहां (निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो) वहां वह प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया था या जिसके बारे में यह समझा जाता हो कि उसने निलम्बन का आदेश दिया है, (प्रथम तीन मास) की अवधि के बाद की किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में परिवर्तन निम्नलिखित रूप से करने के लिए सक्षम होगा:—

(i) निर्वाह भत्ते की रकम में (प्रथम तीन मास की अवधि) के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनाधिक, यथोचित रकम बढ़ाई जा सकेगी यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए न माने जा सकते हों, ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएंगे;

(ii) निर्वाह भत्ते की रकम में से (प्रथम तीन मास की अवधि) के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनाधिक यथोचित रकम घटाई जा सकेगी, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में, निलम्बन की अवधि, में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए माने जा सकते हैं ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएंगे ;

(iii) मंहगाई भत्ते की दर, ऊपर के उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन अनुज्ञेय, यथास्थिति बढ़ाए गए या घटाए गए निर्वाह भत्ते पर आधारित होगी ।

(ख) निलम्बन की तारीख को उस सरकारी सेवक को मिलने वाले वेतन के आधार पर समय-समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकार भत्ते, बशर्ते ऐसे भत्तों को लेने के लिए निर्धारित अन्य शर्ते पूरी की गई हों ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सरकारी सेवक यह प्रमाण-पत्र न दे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है :

परन्तु पदच्युत किए गए, हटाए गए या सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में, जिसे, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1957, के नियम 12 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन, ऐसी पदच्युति या हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से निलम्बनाधीन या निलम्बित चला आ रहा समझा जाए; और जो उस अवधि या उस अवधियों की बाबत जिसके या जिनके दौरान उसे निलम्बनाधीन या निलम्बित चला आ रहा समझा जाए ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में चूक करे, उतनी रकम के बराबर निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों का हकदार होगा जितनी यथास्थिति ऐसी अवधि या अवधियों के दौरान के उसके उपार्जन, निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों की उस रकम से कम हो जो कि उसे अन्यथा अनुज्ञेय होती जहां उसे अनुज्ञेय निर्वाह, और अन्य भत्ते उसके द्वारा उपार्जित रकम के बराबर या उससे कम हों वहां इस परन्तुक की कोई भी बात लागू न होगी ।

आदेश/अनुदेश

1. निर्वाह भत्ते की समीक्षा.—निलम्बित अधिकारी अपने अर्द्ध वेतन अथवा अर्द्ध औसत वेतन पर अपने छुट्टी के वेतन की दर से निर्वाह भत्ता तब तक आहरित करता रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मूल नियम 53(1)(11)(क) के अधीन कोई आदेश पारित न कर दे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन की छह मास (अब तीन मास) की अवधि के भीतर आदेश पास न करने के कारण संबंधित अधिकारी को भारी कठिनाई हो सकती है अथवा सरकार को अनावश्यक खर्च करना पड़ सकता है, मंत्रालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन ऐसे सभी प्राधिकारियों को, जिन्हें अपने अधीन सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित करने की शक्तियां प्राप्त है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदेश जारी करें कि ऐसे सभी मामलों में यथेष्ट समय पर कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ताकि अपेक्षित आदेश उसी समय लागू किये जा सकें जब निलम्बित अधिकारी ने निलम्बन के छह महीने (अब तीन महीने) पूरे कर लिए हों।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 17 जून, 1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-19 (4)-ई० IV/55]

(1-क) मूल नियम 53 के अधीन यह आवश्यक है कि निलम्बन की प्रथम छह (अब तीन महीने) की अवधि के समाप्त होने से काफी समय पूर्व सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रत्येक मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए जिसमें निलम्बन की अवधि छह महीने (अब तीन महीने) से अधिक बढ़ने की सम्भावना हो और यदि वह (सक्षम प्राधिकारी) इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दर में परिवर्तन नहीं किया जाना है तो उक्त आशय के विशेष आदेश पारित किये जाएं और वे परिस्थितियां रिकार्ड में दर्ज की जाएं जिनके आधार पर निर्णय किया गया था।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 16 फरवरी, 1959, का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (16)-ई० IV/58]

(1-ख) यद्यपि मूल नियम 54(1)(11) के परन्तुक में दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा के लिए विशेषरूप से व्यवस्था नहीं है फिर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा प्राधिकारी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्रारम्भ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने के आदेश पारित करने में सक्षम होगा। दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय की जा सकती है।

यदि निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है अर्थात् उसको विलम्बकारी युक्तियां अपनाई हो तो प्रथम समीक्षा के आधार पर एक बार बढ़ाई गई निर्वाह भत्ते की राशि को घटाकर प्रारम्भ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि का 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

इसी प्रकार यदि निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है और सरकारी कर्मचारी ने विलम्बकारी युक्तियां छोड़ दी है तो जिन मामलों में निर्वाह भत्ते की राशि प्रथम समीक्षा के बाद घटा दी गई है उनमें निर्वाह भत्ते की राशि को प्रारम्भ में मंजूर की गई राशि के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 30 जून, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-(1)ई-IV/(क) 66]

(1-ग) प्रथम समीक्षा तीन महीनों के भीतर की जाए यह निर्णय किया गया है कि निर्वाह भत्ते की समीक्षा निलम्बन की तारीख से 3 माह की समाप्ति पर की जानी चाहिए न कि प्रचलित प्रथा के अनुसार 6 महीनों के बाद निर्वाह भत्ते में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सम्बन्धित प्राधिकारी को न केवल निर्वाह भत्ते की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा बल्कि निलम्बन के मूलभूत प्रश्न की पुनरीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23 अगस्त, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16012/1-/79- छुट्टी एकक]

2. निर्वाह भत्ता-समय पर भुगतान.—(i) घनश्याम दास श्री वास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए०आई०आर०:1973 एस०सी० 1183) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब कोई निलम्बित सरकारी कर्मचारी पोषण भत्ता न मिलने के कारण हुई आर्थिक कठिनाईयों की वजह से जाँच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें तो उसके विरुद्ध एक तरफा की गई कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद 311(2) उपबन्धों का उल्लंघन होगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने बचाव का उचित अवसर नहीं मिला।

(ii) उपर्युक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारियों पर यह जोर डाला जा सकता है कि उन्हें निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के पोषण भत्तों का समय पर भुगतान करना चाहिए जिससे उनको आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। यह नोट किया जा सकता है कि जैसा कि इसके स्वरूप से ही जाहिर होता, पोषण भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार को उस अवधि में पोषण के लिए दिया जाता है जिस अवधि में उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती और इसके कारण उसे वेतन नहीं मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद उसे अविलम्ब पोषण भत्ता मिले।

(iii) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय का फैसला यह प्रकट करता है कि उस मामले में अनुशासन प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद भी एकतरफा जांच की कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ने निर्वाह भत्ता न दिए जाने के कारण वित्तीय कठिनाइयों की वजह से जांच में उपस्थित न हो सकने का विशेष रूप से निवेदन किया था। न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि परिस्थितियों में एकतरफा जांच करने से बचाव का उचित अवसर न दिए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होगा। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 14(20) के उपबन्धों को लागू करने से पहले सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस मद को भी ध्यान में रखा जाए।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 6 अक्टूबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/10/76-स्था० (क)]

(2-क) (i) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 की पुनरीक्षा करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की समिति के कर्मचारी पक्ष ने यह बताया है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी अधिकांश निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ii) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि यदि कोई निलम्बित सरकारी कर्मचारी, जीवन-निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण, जांच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो उसके विरूद्ध एकतरफा की गई जांच से यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसे अपने बचाव के उचित अवसर से वंचित रखा गया है। अतः एक बार फिर सभी संबंधित प्राधिकारियों को आग्रह पूर्वक यह कहा जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान किए जाने के लिए मूल नियम 53 के अधीन तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी को, मूल नियम 53 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेने के बाद, जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान अविलम्ब तथा नियमित रूप से मिल जाता है। ऐसे मामलों में जहां एकतरफा कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाए वहां इस बात की जांच तथा पुष्टि कर ली जानी चाहिए कि कहीं सरकारी कर्मचारी जीवन-निर्वाह भत्ते की गैर-अदायगी की वजह से तो जांच में उपस्थित नहीं हो सका।

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 28 अक्तूबर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/17/85-स्था (ए)]

3. **निर्वाह भत्ते में से वसूलियां।**—(1) निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते में से सरकार को देय रकमों की वसूली करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी नियम अथवा आदेश में इस समय कोई उपबन्ध नहीं है। तदनुसार निर्वाह भत्ते में से ऐसी वसूलियां करने का प्रश्न पिछले कुछ समय से विचाराधीन रहा है। अनुज्ञेय कटौतियां निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(क) अनिवार्य कटौतियां

(ख) ऐच्छिक कटौतियां

(2) यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त वर्ग (क) के अन्तर्गत आने वाली निम्नलिखित कटौतियां निर्वाह भत्ते में से की जानी चाहिए :—

(i) आयकर एवं अधिभार (यदि निर्वाह भत्ते के संदर्भ में संगठित कर्मचारी की वार्षिक आय कर योग्य हो)

(ii) मकान किराया तथा सम्बन्धित व्यय जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर आदि।

(iii) सरकार से प्राप्त कर्जे तथा अग्रिम की अदायगी ऐसी दर से जो विभागाध्यक्ष उचित समझकर निर्धारित करें।

(iv) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में अंशदान।

(v) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1977 में अंशदान।

(vi) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 में अभिदान।

(3) वर्ग (ख) के अन्तर्गत आने वाली कटौतियां निम्नलिखित हैं; जो सरकारी कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना नहीं की जानी चाहिए :—

(क) डाक जीवन बीमा पालिसी का देय प्रीमियम।

(ख) सहकारी भण्डार तथा सहकारी ऋण समितियों को देय राशि।

(ग) सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम की अदायगी।

(4) यह भी निर्णय किया गया है कि निर्वाह भत्ते में से निम्नलिखित प्रकार की कटौतियां नहीं की जानी चाहिए :—

(i) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान।

(ii) न्यायालय के आदेशानुसार की जाने वाली कुर्कियों के कारण देय राशि।

(iii) सरकार को हुई ऐसी हानि की वसूली जिसके लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हो।

(5) अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक से निर्णय करेगा कि पूरी राशि की वसूली लम्बित रखी जाए या वसूली निर्वाह भत्ते, अर्थात महंगाई भत्ते एवं अन्य प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर, एक तिहाई की अधिकतम दर से की जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 18 सितम्बर, 1959 और 20 नवम्बर, 1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-15(5)-ई-IV/57]

मूल नियम 54.—(1) जब कोई सरकारी सेवक जिसे पदच्युत किया गया, हटाया गया या अनिवार्यतः निवृत्त किया गया हो अपील या पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप बहाल कर दिया जाए या इस प्रकार बहाल कर दिया जाएगा। निलम्बन पर रहते हुए अथवा न रहते हुए अधिवर्षिता पर निवृत्त न होते तो बहाली का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी—

(क) उन वेतन और भत्तों के बारे में जो कि सरकारी सेवक को कर्तव्य से अनुपस्थिति की कालावधि के लिए जिसमें यथास्थिति इसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन कालावधि की भी, दिए जाने हैं; तथा

(ख) इस बारे में कि उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाएगी या नहीं, विचार करेगा और विनिर्दिष्टतः आदेश देगा।

(2) जहां कि बहाली का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक, जिसे पदच्युत किया गया था हटाया गया था अनिवार्यतः निवृत्त किया गया था, पूर्णतः विमुक्त हो चुका है, वहां सरकारी सेवक को, उपनियम (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह पूरा वेतन और वह पूरे भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह तब हकदार होता जब कि वह पदच्युत न किया गया होता, हटाया न गया होता, अनिवार्यतः निवृत्त न कर दिया गया होता अथवा यथास्थिति ऐसे पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्त किए जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता :

परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों के पर्यवसान में विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जिनके लिए सरकारी सेवक ही सीधे उत्तरदायी है तो वह उसे अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात (उस तारीख से 60 दिन के भीतर, जिस तारीख को उसे इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती है) तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह निदेश कर सकेगा कि सरकारी सेवक को उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन और भत्तों की (राशि) जो सम्पूर्ण राशि नहीं होगी। संदत्त की जाए जो कि ऐसी प्राधिकारी अवधारित करें।

(3) उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी है, सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी।

(4) उन मामलों में जो कि उप नियम (2) के अन्तर्गत नहीं आते जिनमें (ऐसे मामले भी हैं जहां सेवा से पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति का आदेश अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर, अपास्त कर दिया जाता है कि संविधान अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) या खण्ड (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं हुआ है और आगे कोई जांच करना प्रस्थापित न हो तो सरकारी सेवक को राशि की सूचना देने के पश्चात् और ऐसी अवधि (जो किसी भी हालत में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे नोटिस दिया गया है) जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सरकारी सेवक को उपनियम (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए सक्षम प्राधिकारी के अवधारण के अनुसार वेतन और भत्तों की उतनी राशि जो पूर्ण न हो) (प्राप्त करेगा जितने का वह उस दशा में हकदार होता यदि वह पदच्युत न किया गया होता या हटाया न गया होता या अनिवार्यतः निवृत्त न किया गया होता अथवा इस प्रकार पदच्युत, हटाए जाने, अनिवार्यतः निवृत्त किए जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होताः।

(5) उपनियम (4) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसकी पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति से पूर्ववर्ती निलम्बन की अवधि भी है; तब तक कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः यह निदेश न दे कि उक्त अवधि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाए :

परन्तु यदि सरकारी सेवक ऐसी इच्छा करें तो ऐसा प्राधिकारी निदेश कर सकेगा कि कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत; यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त किए जाने के पूर्ववर्ती निलम्बन की अवधि भी है, उस सरकारी सेवक को अनुज्ञात ऐसी किसी भी छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाए जो उस सरकारी सेवक को शोध्य और अनुज्ञेय हो।

टिप्पण :—पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश आत्यंतिक होगा और—

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन महीने से अधिक की असाधारण छुट्टी; और

(ख) स्थायी अथवा स्थायिवत सरकारी सेवक की दशा में, पांच वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी के लिए किसी भी प्रकार की उच्चतर मंजूरी आवश्यक नहीं होगी ।

(6) उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन, ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं ।

(7) उपनियम (2) के परन्तुक या उपनियम (4) के अधीन अवधारित (राशि) नियम 53 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों से कम नहीं होगी ।

(8) इस नियम के अधीन सरकारी सेवक को उसकी बहाली पर किया गया कोई संदाय उस रकम के यदि कोई हो समायोजन के अधीन होगा, जो उसके द्वारा उस अवधि के दौरान जो, यथास्थिति, उसके हटाए जाने, पदच्युति या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख और उसकी बहाली की तारीख के बीच की हो, नियोजन की मार्फत अर्जित की गई हो । जहां इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपलब्धियां अन्यत्र नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या कम हो तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा ।

मूल नियम 54 (क)—(1) जहां सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी जाती है और ऐसा सरकारी सेवक किसी आगे जांच किए जाने के बिना बहाल कर दिया जाता है, वहां कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित की जाएगी और सरकारी सेवक को उपनियम (2) या (3) के उपबन्धों के अनुसार न्यायालय के ऐसे निदेशों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए वेतन और भत्ते दिए जाएंगे ।

(2) (i) जहां सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा केवल इस कारण अपास्त कर दी जाती है कि संविधान अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) अथवा खण्ड (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है और जहां वह गुण-दोषों के आधार पर नियुक्त हो गया है, तो सरकारी सेवक को नियम 54 के उप-नियम (7) के उपबन्धों के अधीन उतनी राशि (वेतन और भत्तों की राशि, जो पूर्ण न हो) प्राप्त करेगा जितनी कि वह उस दशा में हकदार होता यदि वह पदच्युत नहीं कर दिया जाता, हटाया नहीं जाता या अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त नहीं कर दिया जाता या यथास्थिति ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बित नहीं कर दिया जाता तथा जो सक्षम प्राधिकारी माला की सूचना देने के पश्चात और उसके द्वारा इस बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि (किसी भी मामले में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे नोटिस दिया गया हो) के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, अवधारित करे ।

(ii) पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख, जिसके अन्तर्गत यथास्थिति ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी सम्मिलित है, और न्यायालय के निर्णय के बीच की अवधि के नियम 54 के उप-नियम—(5) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

(3) यदि सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति मामले के गुणावगुणों के आधार पर न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसी अवधि को, जो पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख, जिसके अन्तर्गत यथास्थिति ऐसी पदच्युति, निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी सम्मिलित है, और बहाली की तारीख के बीच की है सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के रूप में समझा जाएगा और उसे उस अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनके लिए वह तब हकदार होता जब यदि वह पदच्युति नहीं कर दिया जाता, हटाया नहीं जाता या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं कर दिया जाता या, यथास्थिति, ऐसी पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बित नहीं कर दिया जाता ।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं ।

(5) इस नियम के अधीन सरकारी सेवक को उसकी बहाली पर किया गया कोई संदाय ऐसी रकम के, यदि कोई हो, समायोजन के अधीन होगा जो उसके द्वारा, उस अवधि के दौरान जो यथास्थिति, पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख और उसकी बहाली की तारीख के बीच की

है नियोजक की मार्फत अर्जित की गई हो। जहां इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय उपलब्धियां अन्य नियोजन के दौरान अर्जित उपलब्धियों के बराबर या कम हों तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा।

मूल नियम 54-ख (1) यदि किसी सरकारी सेवक को जिसे निलम्बित किया गया था, बहाल किया जाता है (या जिसे, यदि वह निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त (जिसके अन्तर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है) नहीं होता तो, बहाल किया जाता, तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी निम्न लिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा:—

(क) सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि के लिए, जो यथास्थिति, बहाली पर (उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख जिसके अन्तर्गत समय पूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख भी सम्मिलित है) पर समाप्त होती है, दिया जाने वाला वेतन और भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी या नहीं।

(2) नियम 53 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निलम्बनाधीन सरकारी सेवक की मृत्यु, उसके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक या न्यायालय कार्यवाहियों की समाप्ति के पूर्व हो जाती है वहां निलम्बन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के रूप में मानी जाएगी और उसमें कुटुम्ब को उस अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह, यदि वह निलम्बन नहीं कर दिया जाता, हकदार होता। परन्तुक उक्त संदाय उसको पहले से संदत्त निर्वाह भत्ते के सम्बन्ध में समायोजन के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

(3) जहां बहाली का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन पूर्णरूपेण न्यायसंगत नहीं था, वहां सरकारी सेवक को, उपनियम (8) के, अधीन रहते हुए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह, यदि उसे निलम्बित नहीं किया जाता हो तो, हकदार होता।

परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी को यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों के पर्यवसान में विलम्बन ऐसे कारणों से हुआ है जिनके लिए सरकारी सेवक ही सीधे उत्तरदायी है तो वह उसे अभ्यावेदन का अवसर (उस तारीख से 60 दिन के भीतर जिस तारीख को इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती है) देने के पश्चात तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह निदेश कर सकेगा कि सरकारी सेवक को ऐसे विलम्बन की अवधि के लिए केवल ऐसे वेतन और भत्तों की [ऐसी राशि (जो पूर्ण न हो)] दी जाए जो कि ऐसा प्राधिकारी अवधारित करे।

(4) उपनियम (3) के अधीन आने वाले मामलों में निलम्बन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी।

(5) उपनियम (2) और (3) के अधीन आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक उपनियम (8) और (9) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (वेतन और भत्तों की उतनी राशि (जो पूर्ण न हो) प्राप्त करेगा जितने का उस दशा में हकदार होता यदि वह निलम्बित न किया होता तथा जो सक्षम प्राधिकारी, भत्ता की सूचना देने के पश्चात् और उसके द्वारा इस बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि (जो किसी भी मामले में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे सूचना दी गई है) के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, अवधारित करे।

(6) जहां अनुशासनिक या न्यायालय कार्यवाही का अन्तिम निर्णय लम्बित रहते हुए निलम्बन प्रतिसंहृत किया जाता है तो सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों की समाप्ति के पूर्व, उपनियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश, उपनियम (1) के अभिल प्राधिकारी द्वारा, कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात स्वतः पुनर्विलोकित किया जाएगा और वह, यथास्थिति, उपनियम (3) या उपनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार आदेश देगा।

(7) उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, निलम्बन की अवधि तब तक, कर्तव्य पर व्यतीत अवधि के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः निदेश न दे कि उक्त अवधि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाए;

परन्तु यदि सरकारी सेवक ऐसी वांछा करे तो ऐसा प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि निलम्बन की अवधि ऐसी किसी भी छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाए जो उस सरकारी सेवक को शोध्य और अनुज्ञेय हो।

टिप्पणी :—पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश आत्यंतिक होगा और—

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अधिक की असाधारण छुट्टी, और

(ख) स्थायी या स्थायिवत् सरकारी सेवक की दशा में पांच वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार की छुट्टी, की मंजूरी के लिए कोई भी उच्चतर मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

(8) उपनियम (2), उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं।

(9) उपनियम (3) के परन्तुक या उपनियम (5) के अधीन अवधारित (राशि) नियम 53 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों से कम नहीं होगी।

मूल नियम 55 निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकेगी ।

भारत सरकार के आदेश/अनुदेश

(1). निलम्बित कर्मचारी का कार्य रिजर्व व्यक्ति द्वारा अथवा स्थानापन्न नियुक्ति करके किया जाएगा ।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की जानकारी में हाल ही में एक मामला आया है जिसमें प्रशासनिक प्राधिकारी ने ऐसा कार्य करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया था जो कार्य पहले निलम्बनाधीन रखे गए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, क्या इन परिस्थितियों में अतिरिक्त पदों का सृजन करना आवश्यक है, इस प्रश्न की गृह मंत्रालय और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जांच की गई है । यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 55 के नीचे दिए गए महा निदेशक डाक तथा तार के अनुदेशों के अनुसार, किसी ऐसे प्रतिष्ठान में जहां छुट्टी रिजर्व के लिए प्रावधान मौजूद हो तो सरकारी कर्मचारी के निलम्बन के कारण हुई किसी रिक्ति को रिजर्विस्ट द्वारा भरा जाना चाहिए और जहां रिजर्विस्ट उपलब्ध नहीं है तो वहां उक्त पद को स्थानापन्न रूप से नियुक्ति करके भरा जाना चाहिए । किन्तु अतिरिक्त पद का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ़ 27 (100)-ई०जी० I/57)

अध्याय IX

सेवा निवृत्ति

मूल नियम 56 [1](क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस महीने वह अठ्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(ख) वह कर्मकार जो इन नियमों से शासित है, उस महिने के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस महीने वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

टिप्पणी —इस खण्ड में कर्मकार से वह अत्यंत कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल शिल्पी अभिप्रेत है जो किसी औद्योगिक या निर्धारित कर्म स्थापन में मासिक दर के वेतन पर नियोजित है।

(ग) वह लिपिकवर्गीय सरकारी सेवक जो सरकार सेवा में 31 मार्च, 1938 को या उसके पूर्व प्रविष्ट हुआ था और उस तारीख को,—

(i) जिसका किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार या निलम्बित धारणाधिकार था, या—

(ii) जो किसी स्थायी पद को नियम 14 के खण्ड (घ) के अधीन अनन्तिम अधिष्ठायी हैसियत में धारण करता था और जिसको वह अपनी पुष्टि होने तक अविच्छिन्न रूप से धारण करता रहा हो,

उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस महीने वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

टिप्पण :—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "सरकारी सेवा" पद के अन्तर्गत किसी भूतपूर्व प्रान्तीय सरकारी में की गई सेवा भी है।

[2](गग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मकार या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिपिकवर्गीय सेवक की सेवावधि उसकी साठ वर्ष की आयु पूरी हो जाने के पश्चात्, अति विशेष परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाएंगी, समुचित प्राधिकारी की मंजूरी से बढ़ाई जा सकेगी।

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मकार या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिपिकवर्गीय सरकारी सेवक से भिन्न ऐसे सरकारी सेवक को जिसपर खण्ड (क) लागू होता है, उसकी अठ्ठावन वर्ष की आयु पूरी हो जाने के पश्चात् उसकी सेवावधि समुचित प्राधिकारी की मंजूरी से बढ़ाई जा सकेगी, यदि ऐसा करना लोकहित में है और उसके लिए जो आधार हैं उन्हें लेखबद्ध किया जाता है :

परन्तु साठ वर्ष की आयु के बाद अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में के सिवाय, सेवावधि और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

[3]"परन्तु यह और कि समुचित प्राधिकारी के किसी स्थायी या किसी अस्थायी सरकारी सेवक के मामले में कम से कम तीन मास या किसी अस्थायी सरकारी सेवक के मामले में कम से कम एक मास की लिखित सूचना देकर अथवा ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर, सेवा के विस्तार का, ऐसे विस्तारण की समाप्ति से पहले ही समाप्त करने का हकदार होगा।

[4](ङ) वर्ग 4 की सेवा या पद का सरकारी सेवक उस माह के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस महीने वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

परन्तु सचिवालय बल का वर्ग-4 का कर्मचारी जो सेवा में प्रथमतः 15 सितम्बर, 1969 को या उसके पश्चात् आता है, उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस महीने वह अठ्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या 7 (7) ई.V (क) 74 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह 5 अप्रैल, 1975 से प्रभावी है।

भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के दिनांक 2 मई, 1974 और 24 नवम्बर, 1973 के का ज्ञा० ज्ञा० सं० 33/12/73-स्था० (क) के अनुसार मास के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त "का आदेश क्रमशः श्रेणी क के अधिकारियों के संबंध में 1 अप्रैल, 1974, से और श्रेणी ख, ग, और घ, की सेवा और पदों के संबंध में 1 नवम्बर 1973 से लागू किया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23 जुलाई, 1966 की अधिसूचना संख्या एफ 7(10)ई० V/66 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

3. भारत सरकार, कार्मिक गृह मंत्रालय और प्र०सु० विभाग की दिनांक 11 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना संख्या 26012/4/83-स्था० (क).

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, दिनांक 7 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 7(7)-ई V (क)/74, द्वारा प्रतिस्थापित। ये आदेश 5 अप्रैल, 1975 से लागू होंगें।

भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के दिनांक 2 मई 1974 और 24 नवम्बर 1973 के का० ज्ञा० सं० 33/12/73-स्था० (क) के अनुसार मास के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमशः श्रेणी 'क' के अधिकारियों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 1974 से और श्रेणी 'ख' 'ग' और 'घ' की सेवा और पदों के सम्बन्ध में 1 नवम्बर 1973, से लागू किया गया था।

[1](च) विलोपित (हटा दिया गया) ।

[1](चच) विलोपित (हटा दिया गया) ।

(छ) राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि लोक निर्माण विभाग का सिविल इंजीनियर, यदि वह अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति तक न पहुंचा हो तो, पचास वर्ष की आयु का होने पर सेवा-निवृत्त हो जाएगा ।

(ज) न तो लोक निर्माण का कोई मुख्य इंजीनियर और न भारत सरकार के परामर्शी इंजीनियर का पद धारण करने वाला कोई भी अधिकारी पुनर्नियुक्ति के बिना, पद को पांच वर्ष से अधिक के लिए धारण करेगा, किन्तु इन पदों पर पुनर्नियुक्ति उतनी बार और प्रत्येक मामले में पांच वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए हो सकेगी जितनी राष्ट्रपति विनिश्चित करे :

परन्तु पुनर्नियुक्ति की अवधि उस तारीख के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी जिसको कि सरकारी सेवक अठ्ठावन वर्ष की आयु पूरी कर ले, या मुख्य इंजीनियर की दशा में, उस तारीख के बाद तीन मास से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी ।

टिप्पण 1 :—स्थानापन्न सेवा, तब के सिवाय जबकि ऐसी सेवा में बिना किसी व्यवधान के पुष्टि हो गई हो, इस खण्ड में वर्णित पांच वर्ष की अवधि की गणना में नहीं ली जाएगी ।

[2]टिप्पण 2 :—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंध में इस खण्ड में "मुख्य इंजीनियर" के प्रति निर्देश "इंजीनियर-इन-चीफ" के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

(झ) सिविल विभाग में सेवा करने वाले सैनिक अफिसर का सिविल नियोजन में रहना उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख को वह अठ्ठावन वर्ष की आयु पूरी कर ले ।

[3](ञ) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, समुचित प्राधिकारी को, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यन्तिक अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी सेवक को, तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ते देकर :—

(i) यदि वह समूह "क" या समूह "ख" सेवा में अथवा अधिष्ठायी, स्थायीवत् या अस्थायी हैसियत में पद पर हो और सरकारी सेवा में पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर लेने से पूर्व प्रविष्ट हुआ हो, तो पचास वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्;

(ii) किसी अन्य मामले में, पचपन वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, सेवानिवृत्त कर दे :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात खण्ड (ड़) में निर्दिष्ट उस सरकारी सेवक को, जो 23 जुलाई, 1966 को या उसके पूर्व सरकारी सेवा में प्रविष्ट हुआ था, लागू न होगी ।

[4](ञञ) (i) यदि समय पूर्व सेवा निवृत्त किए गए सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर मामले का पुनर्विलोकन करने पर या अन्यथा सरकारी सेवक को पुनः-स्थापित (बहाल करने) का विनिश्चय किया जाता है तो पुनः स्थापन (बहाल करने) के लिए आदेश करने वाला प्राधिकारी, देय और अनुज्ञेय प्रकार की छुट्टी जिसके अन्तर्गत असाधारण छुट्टी भी है, स्वीकृत करके या उसे अकार्य दिन मानकर जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करे, समय पूर्व सेवानिवृत्ति और पुनःस्थापन की तारीख के बीच की अवधि को नियमित कर सकेगा :

परन्तु यह कि बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए वेतन और भत्तों सहित ड्यूटी पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी यदि पुनःस्थापन (बहाल करने) का आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं थी या समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाता है ।

(ii) जहां समयपूर्व सेवा निवृत्ति का आदेश न्यायालय द्वारा, समयपूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख और पुनः

---

1. भारत सरकार, कार्मिक विभाग के दिनांक 22 मई, 1973 के आदेश सं० 31-7-72-अ०भा०सै० (III) द्वारा विलोपित किया गया ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 8 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ 7(6)-ईV/66 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

3. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 11 मई, 1989 की अधि० संख्या 25013/11/87-स्थापं) (क) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 27 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में सांविधिक आदेश 1226 के रूप में प्रकाशित और उक्त तारीख से प्रभावी ।

4. भारत सरकार, के गृह मंत्रालय (का० और प्र० सु० विभाग) की तारीख 22 जून, 1982 की अधिसूचना संख्या 15013/9/80-स्था० (ए०) द्वारा शासित किया गया तथा शासकिय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी ।

स्थापन (बहाल करने) की तारीख के बीच की अवधि के विनियमन की बाबत विशिष्ट आदेशों के साथ अपास्त किया जाता है और जहां आगे अपील करने का प्रस्ताव नहीं है, वहां पूर्वोक्त अवधि को न्यायालय के निदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

[1](ट) (i) कोई सरकारी सेवक यदि वह समूह "क" या समूह "ख" की सेवा में या पद पर हो (और उसने पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया था) तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात और अन्य सभी मामलों में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात समुचित प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा :

परन्तु :

(क) इस खण्ड की कोई बात खण्ड (ड०) में उल्लिखित किसी ऐसे सरकारी सेवक पर, जिसने 23 जुलाई, 1966 को या उसके पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया था, लागू न होगी; और

[2](ख) इस खण्ड की कोई बात, किसी ऐसे सरकारी सेवक, जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ भी है, को जो (i) विदेश मंत्रालय के भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई० टी० ई० सी०) कार्यक्रम और अन्य सहायक कार्यक्रमों के अधीन नियोजन पर हैं, (ii) किसी मंत्रालय/विभाग के विदेश स्थित कार्यालय में तैनात है, और (iii) किसी विदेशी सरकार के विनिर्दिष्ट संविदा नियोजन पर जाता है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि भारत में स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात, उसने भारत में पद का कार्यभार संभाल लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो ।

(ग) समुचित प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह निलम्बनाधीन सरकारी सेवक को, जो इस खण्ड के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहे, उसकी अनुज्ञा न दे ।

(1-क) (क) उप खण्ड (1) में उल्लिखित कोई सरकारी सेवक तीन महीने कम की अवधि की सूचना स्वीकार करने के लिए ऐसा करने के कारण देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा ।

(ख) उप खण्ड (1-क) (क) के अधीन किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने की सूचना की अवधि में कमी करने के ऐसे किसी अनुरोध पर गुणदोषों के आधार पर विचार कर सकेगा और अगर वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि सूचना की अवधि में कमी करने से किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर कि सरकारी सेवक तीन महीने की सूचना की अवधि के समाप्त होने से पूर्व अपनी पेंशन के किसी अंश का संराशीकरण कराने के लिए आवेदन नहीं करेगा, तीन महीने की सूचना की अपेक्षा में छूट दे सकेगा ।

(2) किसी सरकारी सेवक को, जिसने इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिया है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की सूचना दे दी है, उक्त प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना उसे अपना विकल्प वापस नहीं लेने दिया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि विकल्प वापस लेने का अनुरोध उसकी सेवा-निवृत्ति की आशयित तारीख के भीतर होगा ।

(ठ) खण्ड (झ) में किसी बात के होते हुए भी समुचित प्राधिकारी को, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यंतिक अधिकार होगा कि वह वर्ग की III सेवा या पद के सरकारी सेवक को, जो किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है, तब तक वह तीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उसे तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर, सेवा से निवृत्त कर दे ।

[3](ड) वर्ग III की सेवा या पद का सरकारी सेवक, जो किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है, तीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात समुचित प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर, सेवा से निवृत्त कर सकेगा ।

[4]टिप्पण 1 :—"समुचित प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस पद पर या सेवा में अधिष्ठायी नियुक्तियां करने की शक्ति रखता है, जिससे कि सरकारी सेवक से निवृत्त होने की अपेक्षा की जाए या वह निवृत्त होना चाहता हो ।

---

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 25 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था० (क) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

2. भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 2 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 25013/13/82-स्था० (क) जो दिनांक 20-7-1985 के भारत के राजपत्र में सा० आ० 3325 के रूप में प्रकाशित हुई और उसी तारीख से लागू होती है । विद्यमान परन्तुक (ख) को (ग) कर दिया ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मई, 1969 की अधिसूचना संख्या 7(14)-ई V/67-I द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 21 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एफ 12(2)-ई V/(ग)/63 द्वारा शामिल किया गया ।

[1]टिप्पण 2 :—खण्ड (ञ), (ट), (ठ) या (ड) में निर्दिष्ट तीन मास की रचना सरकारी सेवक के खण्ड (ञ) और (ट) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी करने के पूर्व या खण्ड (क) और (ड) में विनिर्दिष्ट सेवा के तीस वर्ष पूरे कर लेने के पूर्व दी जा सकेगी परन्तु सेवासे निवृत्ति तभी होगी जब वह यथास्थिति सुसंगत आयु पूरी कर ले या तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ले ।

[2]टिप्पणी 3 :—खंड (ञ) और खण्ड (ट) में निर्दिष्ट तीन मास की सूचना अविध की संगणना करने में सूचना की तामील की तारीख और इसकी समाप्ति की तारीख शामिल नहीं की जाएगी ।

[3]"टिप्पणी 4 :—किसी राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक की दशामें, जिसे केन्द्रीय सरकार की सेवा में या पद पर स्थायी रुप से स्थानांतरित किया जाता है, या जो संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुज्ञा के साथ उचित प्रणाली के माध्यम से अपनी स्वेच्छा से केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई पद/सेवा प्राप्त करता है, या जो किसी राज्य सरकार की सेवा से छंटनी किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधीन पद/सेवा प्राप्त करता है, खंड (ञ) और खंड (ट) में निर्दिष्ट "सरकारी सेवा" पद के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन स्थायी, स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में, यदि कोई हो, की गई सेवा जिसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति हो, आएगी ।"

[4]टिप्पण 5 :—सरकारी सेवक को, जिसके अन्तर्गत वह कर्मकार भी शामिल है जिसकी सेवावधि उसकी अधिवर्षता की निहित आयु पूरी कर लेने के पश्चात् बढाई जाती है, ऐसी बढाई गई अवधि के दौरान अन्य पद पर प्रोन्नत नहीं किया जाएगा ।

[5]टिप्पणी 6 :—ऐसी तारीख का जिसकी कोई सरकारी सेवक यथास्थिति अट्ठावन या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अवधारणा सरकारी सेवक द्वारा अपनी नियुक्ति के समय घोषित और जहां तक सम्भव है, पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्न या जन्म रजिस्टर से उद्धरण प्रस्तुत करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जन्म की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा । सरकारी सेवक द्वारा इस प्रकार घोषित और समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जन्म की तारीख, इस टिप्पणमें यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय परिवर्तित नहींकी जा सकेगी । किसी सरकारी सेवक की जन्म की तारीख में परिवर्तन, केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग की या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियोंके संबंध में भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक की या जिस संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी सेवक सेवा करता है, वहां के प्रशासक की मंजूरी से उस दिशा में किया जा सकेगा जब कि—

(क) सरकारी सेवा में उसके प्रवेश से 5 वर्ष के भीतर उस संबंध में कोई अनुरोध किया जाए,

(ख) यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाए कि कोई वास्तविक सदभावित भूल हुई है, और

(ग) जन्म की तारीख में इस प्रकार का परिवर्तन उसे किसी स्कूल या विश्वविद्यालय या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जिसमें वह बैठ चुका है या उस तारीख को जिसको वह ऐसी परीक्षा में पहली बार बैठा था, बैठने के लिए या उस तारीख को जिसको वह सरकारी सेवा में आया था, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अपात्र न बना दे ।

[6]टिप्पण 7 :—सरकारी सेवक जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख है, वह यथास्थिति अट्ठावन अथवा साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर पूर्ववर्ती महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा निवृत्त होगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति और इस विषय में विभिन्न निर्णयों के संबंध में समेकित अनुदेशों के लिए कृपया पेंशन संकलन का परिशिष्ट 10 देखें ।

सेवावृद्धि/पुर्नानियुक्ति के लिए मानदण्ड और क्रियाविधि के संबंध में अनुदेश इस संकलन के अन्त में अलग परिशिष्ट में दिए गए हैं ।

भारत सरकार के आदेश

1. **कलकत्ता/पटना विश्वविद्यालय से दसवीं पास करने वालों के मामले में जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के लिए क्रियाविधी** :—यह बात जानकारी में लाई गई है कि

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मई, 1969 की अधिसूचना संख्या 7(14) ईV/67-I द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । यह संशोधन 31 मई, 1969 से प्रभावी है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 20 अगस्त, 1977 की अधिसूचना सं० 7 (8)-ईV(क) /77 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । यह 10 सितम्बर, 1977 से प्रभावी है ।

3. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7 अक्टूबर, 1988 की अधिसूचना सं० 25013/10/87 स्था० (क) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 19 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में सांविधिक आदेश 1420 के रुप में प्रकाशित और उक्त तारीख से प्रभावी ।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 26 मई, 1969 की अधि० संख्या 7(2)-ईV/69-/ द्वारा शामिल किया गया । इसे 4 अक्टूबर, 1968 से प्रवृत्त समझा जाएगा ।

5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्र० सुधार विभाग की दिनांक 30 नवम्बर, 1979 की अधि० सं० 19017/7/79 स्था० (क) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 के भारत के पत्र में सांविधिक आदेश 3997 के रुप में प्रकाशित और उक्त तारीख से प्रभावी ।

6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या 7(7)-ईV(क) 74 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया । यह 5 अप्रैल, 1975 से प्रभावी है ।

कलकत्ता तथा पटना विश्वविद्यालयों में चल रही प्रक्रिया के अनुसार, जन्म की वास्तविक तारीख दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में नहीं दी जाती थी और इसकी बजाय पहली मार्च को उम्मीदवार की जो आयु होती थी उसे केवल वर्ष और महीने में उल्लेख किया जाता था दिनों का उल्लेख नहीं किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर मानी गई जन्म की तारीख महीने का पहला दिन ही होती थी। इस स्थिति को देखते हुए, संबंधित अधिकारियों को पिछले महीने की अन्तिम तारीख को सेवानिवृत्त होना पड़ता है चाहे उनके जन्म की वास्तविक तारीख कुछ भी हो। अतः यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में, यदि संबंधित अधिकारी इस तथ्य के समर्थन में सबूत दे सके कि संगत समय पर कलकत्ता/पटना विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति की आयु पहली मार्च को वर्षों और महीनों में, दिनों को छोड़कर देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी और अपने द्वारा दावा की गई जन्म की वास्तविक तारीख के समर्थन में जन्म रजिस्टर से उद्धरण के रूप में स्वीकार्य सबूत भी प्रस्तुत कर सके तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेवा पुस्तिका में दी गई जन्म की तारीख को जन्म की वास्तविक तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं।

[भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का दिनांक 29 नवम्बर, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 19017/2/76-स्था० (क)]।

2. सरकारी सेवा में प्रवेश करने के पांच वर्ष बाद अभ्यावेदन देने का कोई नया अवसर प्रदान न करना :— (1) 'जन्म की तारीख में परिवर्तन' विषय पर राष्ट्रीय परिषद समिति की रिपोर्ट, जो विभाग के दिनांक 21 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/15/80-जे०सी०ए० के साथ साथ परिचालित की गई थी, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया जाता है कि रिपोर्ट में दिए गए अनुसार मामले पर एक बार फिर विचार किया गया है।

(2) जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के संबंध में उपलब्ध, जो मूल नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी 5 में दिए गए हैं और जो फरवरी, 1975 में जारी किए गए थे, निम्नलिखित हैं :

"वह तारीख जिसको कोई सरकारी कर्मचारी यथास्थिति, 58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु का होता है, जन्म की उस तारीख को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी जो सरकारी कर्मचारी ने अपनी नियुक्ति के समय घोषित की थी और जिसे समुचित प्राधिकारी ने यथासंभव मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा जन्म के रजिस्टर के उद्धरणों जैसे पक्के कागजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया था। सरकारी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार घोषित की गई तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जन्म की तारीख में उसकी सेवा पुस्तिका तैयार करने के बाद तथा किसी भी स्थिति में परिवीक्षा अवधि पूरी करने अथवा स्थायिवत् घोषित करने, जो भी पहले हो के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। किसी सरकारी कर्मचारी की जन्म की तारीख में बाद की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक द्वारा केवल तभी स्वीकृति दी जा सकती है जब कि यह सुनिश्चित हो जाए कि सेवा पुस्तिका में जन्म की तारीख दर्ज करने में वास्तविक रूप से कोई लिखाई की भूल हो गई है।"

(3) ये सुझाव प्राप्त हुए थे कि उपर्युक्त उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। और सरकारी कर्मचारी को सुस्पष्ट प्रमाण के आधार पर सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख को शुद्ध करवाने की सुविधा दी जानी चाहिए। इस विषय में विभिन्न न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव के सभी पहलुओं की सरकार द्वारा जांच की गई थी। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, यह विचार किया गया था कि सरकार लेखबद्ध की गई जन्म की तारीख में परिवर्तन को न्यायोचित ठहराने वाले प्रामाणिक साक्ष्य के प्रस्तुत करने पर सरकारी कर्मचारी के अधिकार को स्वीकार करेगी। किन्तु, यह विचार किया गया था कि जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के लिए आवेदन सेवा में प्रवेश करने के बाद यथोचित अवधि के भीतर दिए जाने चाहिए और एक बार घोषित और स्वीकृत जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के लिए सदैव ही विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारियों को अपनी अपनी जन्म की तारीख में परिवर्तन करने के लिए काफी समय बाद आवेदन देने की अनुमति दी जाएगी तो [illegible] प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। जहां यह सिद्ध हो जाए कि कोई सद्भावित भूल हुई है वहां तदनुसार मूल नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी 5 को जन्म की तारीख में परिवर्तन की व्यवस्था करने के लिए नवम्बर, 1979 में संशोधित किया गया था। किन्तु जन्म की तारीख में परिवर्तन करने का अनुरोध करने के लिए सरकारी सेवा में कर्मचारी के प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्ष की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। जन्म की तारीख को परिवर्तित करने के लिए अनुरोधों को भेजने के लिए पांच वर्ष की समय-सीमा निर्धारित करने वाला वर्तमान उपबन्ध पहले की स्थिति में एक सुधार है जबकि पहले ऐसा अनुरोध स्थायिवत की घोषणा होने से पहले किया जाता था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह उपबन्ध पहले वाले उपबन्ध का उदारीकरण है और कोई नया प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इस प्रकार, अभ्यावेदन करने के लिए नया अवसर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को और उदार करने का कोई औचित्य सरकार को नजर नहीं आता।

[सचिव, राष्ट्रीय परिषद/जे०सी०एम० (कर्मचारी पक्ष) को प्रेषित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्र० सुधार विभाग का दिनांक 28 नवम्बर, 1980 का पत्र सं० 19017/6/80-स्था० (क)]

3. निश्चित तारीख पर सेवानिवृत्ति के लिए कोई विशेष आदेश आवश्यक नहीं है :—यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति उस तारीख को स्वतः हो जायेगी जिस तारीख को उसने आवश्यक सेवा की आयु प्राप्त की है या किसी सक्षम प्राधिकारी के किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता है जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख का विनिर्देश किया जायेगा ।

अधिवर्षिता की आयु विनियमित करने वाले नियमों या शर्तों और निबंधनों में किसी सरकारी सेवक के द्वारा विशिष्ट आयु प्राप्त हो जाने पर या विशिष्ट सेवावधि पूरी हो जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की व्यवस्था है । ऐसे सभी मामलों में सेवानिवृत्ति स्वतः ही होती है और इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अभाव में सरकारी सेवक को निश्चित तारीख को अवश्य ही सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए । संबंधित प्रशासन प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह अपने नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख सुनिश्चित करें । किसी भी सरकारी सेवक की अन्तिम सेवानिवृत्ति की तारीख पहले से ही पता होती है और इसलिए काफी समय पहले कार्यमुक्त करने की व्यवस्था और इस संबंध में अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में चूक करने का कोई प्रश्न नहीं होता । इस प्रयोजन के लिए, संबंधित प्राधिकारियों को अपने अधीन काम करने वाले सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तारीख का उपयुक्त अभिलेख रखना चाहिए और निश्चित तारीखों पर उनकी सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए ।

फिर भी कोई कर्मचारी इस बात का फायदा नहीं उठा सकता कि उसे कार्यमुक्ति आदि से संबंधित औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं और उसकी सेवा को बढ़ा दिया गया है । यदि कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी लेना चाहता है तो उसे काफी समय पहले आवेदन करना होगा । यदि नहीं तो वह इस तथ्य की सूचना उस कार्यालयाध्यक्ष को देगा जहां वह कार्य कर रहा है या यदि वह स्वयं कार्यालयाध्यक्ष है तो उसकी सूचना अपने आसन्न उच्चाधिकारी को देगा कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाला है या उसका सेवाकाल पूरा हो रहा है जिसके बाद उसे सेवानिवृत्त होना पड़ेगा । यदि उसे सेवा में बने रहने का कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त नहीं होता तो वह निश्चित तारीख को कार्यालयाध्यक्ष को कार्यभार सौंप देगा (या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी को) या यदि वह स्वयं कार्यालयाध्यक्ष है तो वह अपना कार्यभार कार्यालय में अपने अगले उस वरिष्ठतम अधिकारी को सौंप देगा जिसे सामान्यतः उसकी अनुपस्थिति में कार्यालय का कार्यभार सौंपा जाएगा ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 10 दिसम्बर, 1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 33/6/56-स्थापना (क)]

4. (1) छुट्टी के दिन कार्यभार छोड़ना :—यह प्रश्न उठाया गया है कि जब सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी ऐसे दिन सेवानिवृत्त होने वाला हो जो छुट्टी का दिन पड़ता हो तो उसके मामले में पद का कार्यभार छोड़ने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाए । चूंकि सरकारी कर्मचारी उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवा निवृत्त होगा जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पड़ती हो । इसलिए सरकारी कर्मचारी को औपचारिक रूप से उसी दिन के अपराह्न से कार्यभार छोड़ना चाहिए चाहे वह छुट्टी का ही दिन क्यों न हो ।

(2) जिन मामलों में नकदीकरण सामान आदि को सौंपना शामिल हो, उस में सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारी द्वारा यह सभी सामान भारयोजन अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में विभाग के उपस्थित अगले वरिष्ठ अधिकारी को सामान्य वित्त नियमावली 76 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय 3 के सादृश्य पर पिछले कार्यदिवस की समाप्ति पर ही सौंप दिए जाने चाहिए । इसलिए पद के कार्यभार का वास्तविक त्याग सेवा के अन्तिम दिन निर्धारित फार्म में किया जाएगा जिसके लिए कार्यालय में अधिकारी की वास्तविक उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 21-2-1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 19050/8/76-ई IV (बी)]

5. जब नोटिस प्राप्त होने के बाद निलंबित किया गया हो तो सेवानिवृत्त होने की अनुमति रोकना :—तारीख 25-2-1984 की अधिसूचना सं० 25013/25/83-स्था० (क) में दिए गए मूल नियमों के नियम 56 के खण्ड (के) (1) के परन्तुक (बी) [अभी (ग)] की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि उपयुक्त प्राधिकारी को निलम्बनाधीन ऐसे सरकारी कर्मचारी की अनुमति रोकने का अधिकार होगा जो इन नियमों के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता हो । यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस परन्तुक के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी को दिया गया अधिकार उस प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे उसके द्वारा सेवानिवृत्त होने का नोटिस देने के बाद निलम्बित किया गया हो । इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त परन्तुक के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी को दिया गया अधिकार उस प्राधिकारी द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा सेवानिवृत्ति का नोटिस दिए जाने के बाद निलम्बित किया गया हो । परन्तु उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसा अधिकार सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि के समाप्त होने से पहले किया जाएगा ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30-3-1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/31/83/-स्था० (क)]

लेखा परीक्षा अनुदेश]

(1) मूल नियम 56 के खण्ड (क) और (ग) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर समग्र रूप में मूल नियम लागू होते हैं चाहे वे मूलतः स्थायी/अस्थायी पद धारित किए हों या स्थानापन्न हैसियत से धारित किए हुए हों। जब मूलतः कोई स्थायी पद धारित सरकारी कर्मचारी किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तो उस पद के स्वरूप के अनुसार मूल नियम 56(क)और (ग) लागू किया जाना चाहिए न कि उसके द्वारा मूल रूप से धारित स्थायी पद के स्वरूप के अनुसार।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनर्मुद्रित, का पैरा 1, अध्याय खण्ड (I)]

(2) मुद्रित नहीं किया गया।

(3) मूल नियम 56 [खण्ड (क) और (ग)] आम तौर पर पुनःनियुक्त कार्मिकों पर लागू है और सिविल सेवा नियमावली के अध्याय XXI में दिए गए नियम मूल नियम 56 में निर्धारित शर्तों के अधीन हैं परन्तु सिविल सेवा नियमावली के अनुच्छेद 520 अपनी रियायतों के स्वरूप और शर्तों के कारण अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति की पुनःनियुक्ति को एक विशेष श्रेणी में रख देता है जो कि मूल नियम 56 से बाहर है और जिस पर इसी अनुच्छेद में दी गई शर्तें लागू हैं जिनका मंजूरी के प्रत्येक नवीकरण में आवश्यक अनुपालन किया जाना चाहिए।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनर्मुद्रित) का पैरा 3, अध्याय 9 खण्ड I)]

मूल नियम 57 हटा दिया गया।

भाग IV

अध्याय X

छुट्टी

[मूल नियम 58 से 104 तक— मुद्रित नहीं] केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 देखें।

अध्याय XI

कार्य ग्रहण अवधि

[मूल नियम 105 से 107 तक—मुद्रित नहीं]

कृपया केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण अवधि) नियमावली 1979 (परिशिष्ठ 5)

मूल नियम 108 : वह सरकारी सेवक जो अपने पद पर कार्यग्रहण अवधि के भीतर कार्यग्रहण नहीं करता, कार्यग्रहण अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी वेतन या छुट्टी वेतन का हकदार नहीं है। कार्यग्रहण अवधि के अवसान के पश्चात् कर्तव्य से जान बूझकर अनुपस्थिति नियम 15 के प्रयोजन के लिए कदाचार के रूप में मानी जा सकती है।

मूल नियम 108(क) : सरकारी सेवक से भिन्न नियोजन में, या ऐसे नियोजन के दौरान मंजूर की गई छुट्टी पर गया हुआ व्यक्ति यदि सरकार के हित में उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर कर दी जाए तो वह केन्द्रीय सरकार के विवेक पर उस अवधि में जब कि वह सरकार के अधीनस्थ पद के कार्यग्रहण के लिए यात्रा की तैयारी करता है और यात्रा करता है और जब कि वह सरकार के अधीनस्थ पद से प्रतिवर्तित होने पर अपने मूल नियोजन पर लौटने के लिए यात्रा की तैयारी करता है और यात्रा करता है, कार्यग्रहण अवधि पर माना जा सकेगा। ऐसी कार्यग्रहण अवधि के दौरान वह उस वेतन के बराबर वेतन या उस दशा में जब कि कार्यग्रहण अवधि प्राइवेट नियोजन द्वारा मंजूर की गई छुट्टी के ठीक पश्चात् की हो तो, उस छुट्टी वेतन के बराबर वेतन जो कि उसके सरकारी सेवा में नियुक्ति किए जाने के पूर्व उसके प्राइवेट नियोजक द्वारा उसे दिया जाता था अथवा सरकारी सेवा में के पद के वेतन के बराबर वेतन, दोनों में से जो भी कम हो, प्राप्त करेगा।

भाग V

अध्याय XII

अन्यत्र (विभागेतर) सेवा

मूल नियम 109 :— इस अध्याय के नियम उन सरकारी सेवकों को लागू होते हैं जिनका स्थानान्तरण अन्यत्र सेवा में, इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् हो । पूर्णतः स्थानान्तरित सरकारी सेवक उन नियमों के अधीन रहेंगे जो स्थानांतरण के समय प्रवृत्त थे ।

[1]**मूल नियम 110 (क)**—किसी भी सरकारी सेवक को अन्यत्र सेवा में उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यह उपनियम सरकारी सेवक के ऐसे निकाय को, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जो कि पूर्णतः या सारवान् रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, सेवा में स्थानांतरण लागू न होगा ।

(ख) भारत से बाहर और भारत में अन्यत्र सेवा में स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों के अधीन मंजूर किया जा सकेगा जिसे वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे ।

भारत सरकार का आदेश

1. स्थानीय निधियों की अन्यत्र सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी की सहमति केवल तभी आवश्यक है जब ऐसी स्थानीय निधियां सरकार द्वारा शासित न हों :— (1) एक प्रश्न यह उठा था कि क्या मूल नियम 110(क) के परन्तुक सरकारी कर्मचारियों का स्थानीय निधियों में स्थानान्तरण होने के मामले में लागू हो सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 110(क) और इसके परन्तुक में ऐसी स्थानीय निधियों के स्थानांतरण के मामले शामिल हैं जो सरकार द्वारा शासित नहीं हैं । फिर भी, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल वे शक्तियां किसी सरकारी कर्मचारी का ऐसी स्थानीय निधियों के अधीन स्थानान्तरण के मामले में लागू नहीं की जानी चाहिए जो सरकार द्वारा शासित नहीं है । दूसरे शब्दों में, सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसी स्थानीय निधि में जो सरकार द्वारा शासित नहीं है, होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति व्यावहारिक औचित्य (समीचीनता) के एक उपाय के रूप में अभी भी ली जानी चाहिए ।

(2) इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम, 128 के अनुसार सरकारी कर्मचारी, जिसे सरकार द्वारा शासित स्थानीय निधियों से संदाय किया जाता है, मूल नियमावली के अध्याय I से XII तक के उपबन्धों के अधीन है न कि "अन्यत्र सेवा" से सम्बद्ध अध्याय XII के उपबन्धों के अधीन । इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा शासित किसी स्थानीय निधि में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी के मामले में, मूल नियम 110(क) तथा इसके परन्तुक लागू नहीं होते । ऐसे मामले में, मूल नियम 11 लागू होगा और स्थानान्तरण के लिए सरकारी कर्मचारी की सहमति आवश्यक नहीं होगी ।

(3) इस प्रश्न की भी जांच की गई है कि क्या मूल नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास अपने कर्मचारियों को उनकी सहमति के बिना संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं में स्थानान्तरित करने की आवश्यक शक्तियां हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 110 (क) के परन्तुक के अधीन ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्तियां विद्यमान हैं । तदनुसार ऐसी संस्थाओं में स्थानान्तरण करने के लिए सरकारी कर्मचारी की सहमति आवश्यक नहीं होगी ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, दिनांक 17 मई, 1966 का कार्यालय ज्ञापन सं० 27/1/66-स्था०(क)]

लखा-परीक्षा अनुदेश

(1) "अन्यत्र (विभागेतर) सेवा नियमावली" के प्रयोजन के लिए "नेपाल" को भारत से बाहर समझा जाएगा ।

[सेवा-परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल का खण्ड 1 अध्याय XII का पैरा 2(i)]

मूल नियम 111— बाह्य सेवा में स्थानांतरण ग्राह्य होगा जबकि—

(क) स्थानान्तरण के पश्चात किए जाने वाले कर्तव्य ऐसे हो जो सार्वजनिक कारणों से सरकारी सेवक द्वारा किए जाने चाहिए, और

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई०IV(ख)/70 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

53—311 DP&T/ND/88

(ख) स्थानान्तरित सरकारी सेवक, स्थानांतरण के समय, सामान्य राजस्व से संदत्त पद धारण किए हुए हो, या स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता हो, या ऐसे पद पर धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं है।

भारत सरकार का आदेश

1. अधिक सख्ती से लागू किए जाने वाले सिद्धांत :— यदि किसी मामले में यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी निजी उपक्रम में उधार दिया जाना चाहिए तो यह आवश्यक है कि इस नियम के सिद्धांत को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और सामान्यतः सरकारी कर्मचारी को निजी उपक्रम में उधार देना बहुत ही आपवादिक मामले के रूप में समझा जाएगा जिसके लिए विशेष औचित्य की आवश्यकता है।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 17 जनवरी, 1930 का सं० एफ० 1(i)-I-आर 1/30]

2. अन्यत्र (विभागेतर) सेवा के लिए पात्र अस्थायी कर्मचारी :—इस नियम के अधीन अस्थायी सरकारी कर्मचारी का अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण अनुज्ञेय है।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 22 जुलाई, 1924 का सं० एफ/66-सी०एस०टी०]

3. शर्तें यदि जो कार्यमुक्त करने से काफी पहले निर्धारित की जानी चाहिए :—(1) अन्यत्र (विभागेतर) सेवा अंशदान की समय पर वसूली करने और उस पर दाण्डिक ब्याज की अदायगी से बचने के उद्देश्य से, सरकारी कर्मचारी के अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण की सभी शर्तें (विभागेतर) नियोजक के परामर्श से पहले ही तय की जानी चाहिए और अन्यत्र (विभागेतर) नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिए सरकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले ही विभागेतर नियोक्ता लेखा अधिकारी और संबंधित सरकारी कर्मचारी को सूचित कर दी जानी चाहिए।

(2) इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी के अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण की मंजरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी, भविष्य में, सरकारी कर्मचारी के अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरण की स्वीकृति देने वाले आदेशों में निम्नलिखित शर्तों को अतिरिक्त शर्त के रूप में शामिल करेगा :—

"विभागेतर नियोक्ता/सरकारी कर्मचारी छुट्टी वेतन और/या पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की रकम उस महीने की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर अदा करेगा जिस महीने से संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा वह वेतन आहरित किया गया हो जिस पर उक्त अंशदान आधारित है और अंशदान की दरें निम्नानुसार होंगी :—

छुट्टी वेतन अंशदान . रु०......प्रतिमाह
पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदान रु०......प्रतिमाह

अंशदानों की राशि निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अधीन क्रेडिट (जमा) की जानी है :—

(i) पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की राशि "XLIV—अधिवर्षिता के लिए सहायता केन्द्रीय प्राप्तियां—पेंशनों और उपदानों के लिए अंशदान" शीर्ष के अंतर्गत।

(ii) छुट्टी वेतन अंशदान की राशि उस सेवा लेखा शीर्ष के तदनुरूपी प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट की जाएगी जिस लेखा शीर्ष में अधिकारी का वेतन डेबिट किया जाता है अथवा जब कोई तदनुरूपी प्राप्ति मुख्य शीर्ष न हो तो यह राशि "XLIV— विविध की गई सेवाओं के लिए भुगतान की केन्द्रीय-वसूलियाँ" शीर्ष में क्रेडिट की जाएगी।

उपर्युक्त दरें लेखा अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने तक अन्तिम समझी जाएगी और पूर्वव्यापी समायोजन के अध्यधीन होंगी।

(3) छुट्टी वेतन और पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की अनन्तिम दरों की गणना संबंधित सरकारी कर्मचारी का अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण करने की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल और अनुपूरक नियम के डाक तथा तार-संकलन वाल्यूम II के परिशिष्ट II-क, इस संकलन के एक परिशिष्ट के रूप में पुनःउद्धृत, में दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। एक प्रपत्र जिससे अन्तिम दरों की गणना करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलेगी, सूचना के लिए संलग्न है।

अंशदान की अनन्तिम दरों को सूचित करते समय, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह तथ्य भी निर्दिष्ट किया जाए कि अंशदानों का भुगतान शीघ्रता से किया जाना चाहिए जिनमें लेखा अधिकारी द्वारा अन्तिम दरों की सूचना देने के पश्चात् यथा आवश्यक अन्तिम दरों के अनुसार समायोजन और परिवर्तन किया जा सकता है और उनके भुगतान में देरी होने पर दण्ड स्वरूप ब्याज भी लिया जा सकता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 3 सितम्बर, 1960 का का०ज्ञा० सं० एफ० 1(39)-ई-IV(क)/60]

प्रपत्र

....................के अधीन अन्यत्र (विभागेतर) सेवा अवधियां :—

............से　　　.........तक

पुराना सदस्य
नया सदस्य

नाम . . . . . .

जन्म तिथि . . . . .

सेवा प्रारम्भ करने की तारीख . . .

पेंशनग्राही सेवा प्रारम्भ करने की तारीख . . .

अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानांतरण की तारीख . .

अन्य (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण समय . ...से..............तक

अन्यत्र (विभागेतर) सेवा से प्रत्यावर्तन की तारीख .

अन्यत्र सेवा से प्रत्यावर्तन होने पर कार्यग्रहण समय . . ..से..............तक

1. **पेंशन अंशदान**

अधिष्ठायी रूप से धारित ग्रेड का वेतनमान

(1) ....धारित ग्रेड के अधिकतम मासिक

(2) ....वेतन के संबंध में महंगाई वेतन, यदि कोई हो।

सेवावधि से/तक	वर्षों की सं०	प्रतिशतता	पेंशन अंशदान की दर

2. **अंशदायी भविष्य निधि अंशदान**

(1) अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में वेतन की दर।

(2) छुट्टी वेतन अंशदान की राशि

(3) अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की राशि

3. **छुट्टी वेतन अंशदान**

अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में अनुज्ञेय वेतनमान

(1) ....

(2) ....

अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन

(1) ....

(2) ....

अवधि से/तक	अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में वेतन	छुट्टी वेतन अंशदान की दर

4. **अन्यत्र सेवा में ली गई छुट्टी की अवधि**

छुट्टी की अवधि	छुट्टी का स्वरूप	छुट्टी वेतन की दर रु०

5. पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान की वसूली के संबंध में अभ्युक्तियां और अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों।

4. **जिन मामलों में सरकार का अनुमोदन आवश्यक हो तो वहां अग्रिम रूप से प्राप्त किया जाए।**—भारत सरकार की जानकारी में ऐसा मामला आया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन संविधानिक बोर्ड में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्तें संबंधित बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई थीं। अधिकारी को राज्य सरकार और बोर्ड के बीच निर्धारित दरों पर वेतन का भुगतान भी किया गया था यद्यपि बोर्ड के विनियमों के अधीन उक्त शर्तें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी थीं। किन्तु इन शर्तों का भारत सरकार ने अनुमोदन नहीं किया। परिणामस्वरूप अधिकारी को अधिक राशि की अदायगी पहले ही की जा चुकी थी।

ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से यह दोहराया जाता है कि किसी निगमित अथवा अनिगमित निकाय, जो भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन है, में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में ऐसे निकाय से संबंधित विनियमों के अधीन संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित करने से पहले जहां भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक हो वहां अधिकारी को प्रतिनियुक्ति की शर्तें सूचित करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। आपवादिक मामलों में जहां नियुक्ति शर्तें तय करने से पहले करनी होती है तो संबंधित अधिकारी को स्थिति की जानकारी दे दी जाए और अधिकारी को किया गया कोई भी भुगतान उचित स्वीकृति से तथा अनन्तिम रूप से होगा और इस तथ्य का उल्लेख आदेशों में विशेष रूप से किया जाएगा।

किसी निगमित अथवा अनिगमित निकाय में, जो भारत सरकार के पूर्णतः अथवा मूलतः स्वामित्व में हो या नियंत्रणाधीन हो, प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के मामले में, वेतन भा० प्र० सेवा/भा० पु० सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन समानता (इक्वेशन) पर आधारित होगा। गृह मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/100/59-भा० प्र० सेवा (II) में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी समानता (इक्वेशन) गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से की जानी चाहिए। अतः भा० प्र० सेवा/भा० पु० सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों को कोई भी भुगतान करने से पहले समानता (इक्वेशन) के प्रश्न को तय किया जाए।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को ऐसे कानूनी निकायों, निगमों, कम्पनियों आदि जिनसे वे प्रशासनिक रूप से संबंधित हैं, सहित सभी की जानकारी में लाएं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 सितम्बर, 1960 का का०ज्ञा० सं० एफ.2 (63)-ई- III/60]

5. **वह क्रियाविधि जिसमें स्थानांतरित व्यक्ति को अंशदानों का भुगतान करना होता है।**—यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि अंशदानों का भुगतान किया जाता है और भुगतान में विलम्ब होने से सरकार को हानि नहीं होती, यह निर्णय किया गया है कि :

(i) अन्यत्र (विभागेतर) सेवा पर स्थानांतरण के ऐसे सभी मामलों में जिनमें पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि और छुट्टी वेतन के कारण अंशदान करने का दायित्व स्थानांतरित व्यक्ति पर होता है, स्थानांतरित व्यक्ति से विभागेतर नियोक्ता को लिखा गया इस आशय का एक पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसमें वह यह उल्लेख करेगा कि वह अपने वेतन से एक विनिर्दिष्ट मासिक राशि भारत सरकार को भुगतान करेगा और यह राशि विभागेतर सेवा अंशदानों पर आधारित होगी जो कर्मचारी को स्वयं भुगतान करनी है। ऐसे पत्र के जारी किए जाने से विभागेतर नियोक्ता को कानूनी रूप से यह अधिकार मिल जाएगा कि वह सरकारी कर्मचारी के वेतन से आवश्यक कटौतियां करके उन्हें भारत सरकार को भेज दे। इस आशय का एक उपबन्ध भविष्य में अन्यत्र (विभागेतर) सेवा के ऐसे सभी मामलों में सम्मिलित किया जाए जहां स्थानांतरित व्यक्ति को अन्यत्र (विभागेतर) सेवा अंशदानों का भुगतान स्वयं करना हो।

(ii) क्रियाविधिक कठिनाइयों से बचने के उद्देश्य से और गलतियों की सूचना सरकार को तत्काल देने में लेखा अधिकारी को समर्थ बनाने के उद्देश्य से अंशदान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संबंधित लेखा अधिकारियों को भेजे जाएंगे। किन्तु जहां डिमांड ड्राफ्ट जारी करना संभव नहीं हो वहां अंशदान चैक द्वारा भेजे जा सकते हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 फरवरी, 1962 का कार्यालय ज्ञापन सं० (1) (11)ई-IV (क)/61 और दिनांक 5 जुलाई, 1963 का का०ज्ञा० संख्या एफ 1(11)-ई IV/(क)/61-II]

6. सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में परामर्शदात्री संगठनों में प्रतिनियुक्ति.—(1) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मद संख्या 58 का उद्धरण सूचना और मार्गदर्शन के लिए पुनः उद्धृत किया जाता है।

"सिफारिश संख्या 58 : भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम विशेषज्ञों की सेवाओं को एकत्र करके परामर्शदात्री सेवा के निर्यात को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकारी विशेषज्ञों की परामर्शदात्री संगठनों में प्रतिनियुक्ति की सहमति तुरन्त दी जानी चाहिए। सरकार को विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में अपने नियमों में ढील देने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स संबंधी समिति द्वारा की गई उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया है/जांच की गई है और इसे निम्नलिखित टिप्पणी के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया गया है :

"प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र (विभागेतर) सेवा के लिए नियमों में उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं कि प्रत्येक प्रस्ताव पर मामले को आधार मानकर विचार किया जाए। सरकारी विशेषज्ञों की परामर्शदात्री संगठनों में प्रतिनियुक्ति समयबद्ध होनी चाहिए।"

(2) उपर्युक्त सिफारिश और उस संबंध में लिया गया निर्णय सभी मंत्रालयों/विभागों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए उनकी जानकारी में लाया जाता है।

(3) परामर्शदात्री संगठन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों दोनों ही क्षेत्रों में हो सकते हैं। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्यत्र सेवा पर स्थानांतरण का संबंध है, इस विषय में पहले से ही आदेश (देखें परिशिष्ट) विद्यमान है और इसलिए इस विषय पर और आगे आदेशों की आवश्यकता नहीं है।

(4) जहां तक निजी क्षेत्र के परामर्शदात्री संगठनों में (विभागेतर) सेवा का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मूल नियम 111 के अधीन अन्यत्र (विभागेतर) सेवा पर स्थानान्तरण तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि स्थानान्तरण के पश्चात् किए जाने वाले कर्तव्य ऐसे न हों जो सामान्यतः सरकारी सेवक द्वारा किए जाने चाहिएं। उपर्युक्त आदेश (1) में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिस मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवाएं निजी उपक्रम को उधार देने का प्रस्ताव हो तो यह आवश्यक है कि मूल नियम 111 के सिद्धान्तों को अधिक सख्ती से लागू किया जाए और सरकारी कर्मचारी को निजी उपक्रम में उधार दिया जाना आपवादिक मामले के रूप में माना जाना चाहिए जिसके लिए विशेष औचित्य की आवश्यकता है।

जब यह आवश्यक समझा गया हो कि सरकारी कर्मचारी को प्रभावी परामर्शदात्री सेवा के हित में निजी उपक्रम को उधार दिया जाना चाहिए तो मूल नियम 111 और इससे नीचे दिए गए आदेश की अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जाएं। ऐसे मामले में समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य आदेश (देखें परिशिष्ट) लागू होंगे।

(5) जहां विशेष मामले में, समय-समय पर यथा-संशोधित आदेशों (परिशिष्ट) के उपबन्ध में कोई छूट देना आवश्यक समझा गया हो तो इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार किया जा सकता है।

(6) ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 12 नवम्बर, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1(7)-ई-II-(ख)/75]

7. सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का निजी संगठनों में उपयोग.—लोक लेखा समिति ने अपनी 34वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) के पैरा 59 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :—

(i) केवल निजी संगठनों से संबंधित कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने की पद्धति अनुचित है, और

(ii) स्वैच्छिक संगठनों के तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और केन्द्र तथा राज्यों के अन्य विभागों के संवर्गों की वृद्धि करने का तर्क और वांछनीयता स्पष्ट नहीं है और जो निजी संगठन ठेके पर कार्य करते हैं और लाभ अर्जित करते हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को लोन पर प्रतिनियुक्त करने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए।

मूल नियम 111 के उपबन्धों के अधीन अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि स्थानान्तरण के पश्चात् किए जाने वाले कर्तव्य, ऐसे न हों जो सार्वजनिक कारणों से सरकारी सेवक द्वारा किए जाने चाहिए। उक्त नियम के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि

किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवाएं निजी उपक्रम में उधार देने के प्रस्ताव हों तो यह आवश्यक है कि मूल नियम 111 के सिद्धांतों को अत्यधिक सख्ती से लागू किया जाए। सरकारी अधिकारी को निजी उपक्रम में उधार दिया जाना एक बहुत ही अपवादिक मामले के रूप में समझा जाएगा जिसके लिए विशेष औचित्य की आवश्यकता है। इस प्रकार, विद्यमान नियम और आदेश पर्याप्त कठोर हैं और यदि इसका गहराई से अनुपालन किया जाता है तो कोई अवांछनीय परिणाम निकलने की संभावना नहीं है।

अतः निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस संबंध में उपर्युक्त सिद्धांतों और लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिस प्रबन्ध के अधीन अधिकारी को सरकार द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है किन्तु वह स्वैच्छिक संगठन की ओर से कार्य करता है, वह अवांछनीय है और इससे बचना चाहिए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं किसी स्वैच्छिक अथवा प्राइवेट संगठन को सार्वजनिक हित में उधार देनी हों तो वह केवल अन्यत्र सेवा शर्तों पर ही दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक संगठनों और अन्य प्राइवेट निकायों की आवश्यकता पूरी करने के लिए संगठन के विभिन्न संवर्गों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 1 सितम्बर, 1967 का कार्यालय ज्ञापन सं० 14/5/67-स्था० (क)]

8. **ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आदि की शर्तें जिन्हें विश्व बैंक, एशियाई बैंक, ई एस सी ए पी आदि जैसी संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अल्पावधिक विदेश नियुक्ति/कंसलटैन्सी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।**—(1) मुझे, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा फीस स्वीकृत करने से संबंधित इस विभाग के दिनांक 11-2-80 के का० ज्ञा० संख्या 16013/1/79-भत्ता में दिए गए अनुदेशों और मूल नियम 12 के लागू किए जाने से छूट से संबंधित इस विभाग के दिनांक 19-5-81 के का० ज्ञा० संख्या 16011/3/81-स्था० (भत्ता) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है जो ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा फीस प्राप्त की जाने वाली फीस से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अल्पावधिक कंसल्टेंसी/नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विश्व बैंक, एशियाई बैंक, ई एस सी ए पी आदि जैसी संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में विदेश नियुक्ति/कंसलटेंसी स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। उन्हें प्रस्तावित की जाने वाली शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है।

(2) वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि वेतन और भत्तों से संबंधित शर्तें और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अल्पकालिक नियुक्ति/कन्सल्टैंसी पर व्यतीत की गई अवधि का निरूपण निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए :—

(क) जहां संयुक्त राष्ट्र या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां सरकारी कर्मचारी को वेतन और भत्ते अपने निजी नियमों के अनुसार देती हैं वहां सरकारी कर्मचारी द्वारा एजेंसी में व्यतीत की गई अवधि को विभागेतर सेवा के रूप में समझा जाएगा। एजेंसी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह विभागेतर सेवा/कन्सल्टैंसी की अवधि के लिए छुट्टी वेतन तथा पेंशन मद्धे अंशदानों का भुगतान करे। यदि एजेंसी इन अंशदानों का भुगतान नहीं करती है तो सरकारी कर्मचारी को स्वयं ऐसे अंशदानों का भुगतान करना होगा। यदि छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदानों का भुगतान एजेंसी या संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाता है तो अन्यत्र विभागेतर सेवा पर व्यतीत की गई अवधि को पेंशन के लिए तथा छुट्टी हकदारी का निर्धारण करने के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) जब भारत सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी में अल्पावधिक नियुक्ति/कंसल्टैंसी के लिए प्रायोजित है और इस प्रकार भेजे गए सरकारी कर्मचारी को एजेंसी द्वारा केवल निर्वाह भत्ते (अर्थात् दैनिक भत्ते) या परामर्शी शुल्क/मानदेय या दोनों का भुगतान किया जाता है किन्तु अपने निजी नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जाता तो सरकारी कर्मचारी को एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और वेतन तथा भत्तों का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को एजेंसी में प्रतिनियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि के लिए ड्यूटी पर समझा जाएगा। ऐसे मामलों में छुट्टी वेतन और पेंशन मद्धे अंशदानों का भुगतान नहीं किया जाता।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में शामिल मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में जहाँ सरकारी कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अल्पावधिक नियुक्ति/कन्सल्टैंसी स्वीकार करने की सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है और एजेंसी केवल निर्वाह भत्ता या फीस/मानदेय या दोनों देती है तो सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति की अवधि उसे देय और स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समझी जाएगी। ऐसे मामलों में छुट्टी वेतन और पेंशन मद्धे कोई अंशदान देय नहीं होगा।

(घ) उस सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसकी नियुक्ति सरकार के साथ अनुबंधित आधार पर हुई है उसके मामले में यदि संयुक्त राष्ट्र या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में नियुक्ति/कांसल्टैंसी की अवधि 45 दिन से अधिक है तो अनुबंधित नियुक्ति उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जिस तारीख को वह नियुक्ति/कन्सल्टैंसी स्वीकार करने के लिए कार्यभार सौंपता है यदि एजेंसी में नियुक्ति/कंसल्टैंसी की समाप्ति के पश्चात् अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता हो तो उसकी नियुक्ति नए आधार पर की जाएगी। यदि नियुक्ति/कंसल्टैंसी की अवधि 45 दिन या इससे कम है तो नियुक्ति/कंसल्टैंसी की अवधि उपर्युक्त उपखण्डों (क), (ख) और (ग) के अधीन विनियमित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित मुद्दों को जो इस मामले के लिए उपयुक्त हैं, केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट किया जाता है :

क. छुट्टी के दौरान रोजगार :

पिछले कुछ समय से ये सन्देह उठाए गए हैं कि क्या ऐसे मामलों में, जिनमें विदेश नियुक्ति/कंसल्टैंसी की अवधि संबंधित सरकारी कर्मचारी को देय और स्वीकार्य छुट्टी की अवधि के दौरान आती है तो अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 13 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति/कंसल्टैंसी के रूप में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि छुट्टी पर रहते हुए अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना छुट्टी की अवधि के दौरान कोई सेवा या रोजगार स्वीकार करने के लिए वर्जित है। उपर्युक्त नियम में यह भी व्यवस्था है कि सामान्यतः ऐसी मंजूरी नहीं दी जाती और आपवादिक मामलों में या तो अधिकारी की सेवाएं ऐसे कार्यालय में स्थानान्तरित की जाएं जहां वह छुट्टी के दौरान कार्य करना चाहता है या उसे त्यागपत्र देने के लिए कहा जाए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले जिनमें अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य निकायों में विदेश नियुक्ति/कंसल्टैंसी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है तो अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विदेश नियुक्ति/कंसल्टसी स्वीकार करने की अनुमति में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 13 के अधीन अनुमति भी स्वतः ही मिल जाएगी।

ख. वैज्ञानिकों, शिल्पवैज्ञानिकों (प्रोद्योगविद) और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए उपबन्ध :

दिनांक 11-2-80 के का० ज्ञा० सं० 16013/1/79-भत्ता के पैराग्राफ 8 में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे जिन वैज्ञानिकों, शिल्पवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को समग्र अनुसंधान और विकास के हित में सरकार द्वारा विदेश के या देश के विश्वविद्यालयों में या वैज्ञानिक/चिकित्सा संस्थाओं में आगन्तुक प्राध्यापकों, छात्रों आदि के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है तो उनके द्वारा लिए जा रहे पूरे पारिश्रमिक को लेने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाए :—

(i) उन्हें ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान असाधारण छुट्टी मंजूर की जाए;

(ii) नियुक्ति एक बार में दो वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए; और

(iii) वे भारत सरकार को पेंशन अंशदान का भुगतान उसी प्रकार करेंगे जैसे कि अन्यत्र (विभागेतर) सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी द्वारा मूल नियमों के उपबन्धों के अधीन देय होता है। ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते हैं, वे नियोक्ता के अंशदान का भाग स्वयं देंगे जो ऐसी परिलब्धियों के अनुसार होगा जो कर्मचारी उस समय ले रहा होता जबकि वह भारत में ड्यूटी पर होता।

यह भी व्यवस्था की गई है कि उपर्युक्त प्रसुविधा (क) तीन वर्ष से कम लगातार सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों, और (ख) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगी। अनुबंधित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति भी उपर्युक्त सुविधा के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक वे केन्द्रीय सरकार के अधीन कम से कम तीन वर्ष की सेवा नहीं कर लें और वे विदेश नियुक्ति से लौटने पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्धित या अन्यथा आधार पर सरकार में सेवा करने का वचन न दें।

यह मत व्यक्त किया गया है कि उपर्युक्त उपबन्ध ऊपर पैराग्राफ 2 में दिए गए उपबन्धों से कम उदार हैं। अतः यह निर्णय किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अल्पकालिक विदेश नियुक्ति/कंसल्टैंसी स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त विशेषज्ञों, शिल्पवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को दिनांक 11-2-80 के का० ज्ञा० के पैराग्राफ 8 में दिए गए उपबन्धों द्वारा या ऊपर पैराग्राफ 2 में दिए गए उपबन्धों द्वारा शासित होने का विकल्प दिया जा सकता है।

ग. अनुपूरक नियम 12 के अधीन कटौती से छूट :

दिनांक 11-2-1980 के का० ज्ञा० के पैराग्राफ 6 (iii) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए चुने गए विषयों पर रिपोर्ट/पेपर या अध्ययन रिपोर्ट लिखने के लिए सरकारी

कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई राशि का एक तिहाई भाग अनु० नियम 12 के अधीन सामान्य राजस्व में जमा नहीं किया जाता। वित्त मंत्रालय और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से इस विभाग के दिनांक 19-5-81 के का० ज्ञा० संख्या 16011/3/81-स्था० (भत्ता) द्वारा अब आदेश जारी किए गए हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि जिन मामलों में कोई सरकारी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को ओर से पेपर या रिपोर्ट आदि (अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान की सहायता से) लिखता है और ऐसी रिपोर्ट अल्पकालिक कंसल्टैंसी के परिणामस्वरूप लिखी गई है तो ऐसे कार्य के लिए एजेंसी द्वारा दी गई राशि भी अनुपूरक नियम 12 के अधीन न आने वाले अन्य सभी मामलों में, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अल्पकालिक नियुक्ति/कंसल्टैंसी के लिए अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई कंसल्टैंसी फीस/मानदेय अनुपूरक नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार कटौती के अधीन आएगा।

घ. अन्य शर्तें :

इस कार्यालय ज्ञापन में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, एफ० ए० ओ०, ई०, सी० ए० एफ० ई०, आदि जैसे विश्व संगठनों में विदेशी नियुक्ति/कंसल्टैंसी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, वह भारत सरकार से अन्य भुगतान या रियायतें प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि जैसी अन्य शर्तें उसी प्रकार होंगी जो उधार लेने वाले संगठन के साथ निर्धारित की जाएंगी।

ङ. अल्पकालिक कंसल्टैंसी :

उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक नियुक्ति/कंसल्टैंसी से ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तीन महीने से अधिक अवधि की न हो।

(4) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अल्पकालिक विदेश नियुक्ति/कंसल्टैंसी स्वीकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजे जाने के कारण हुई पैंतालीस दिन से अधिक अवधि की रिक्ति को मंत्रालयों द्वारा सामान्य तरीके से भरा जा सकता है। पैंतालीस दिन या इससे कम अवधि की रिक्ति को नहीं भरना चाहिए। छुट्टी रिक्तियों की भर्ती सामान्य नियमों द्वारा शासित होगी।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्र० सुधार विभाग के दिनांक 15 अक्टूबर, 1983 का० ज्ञा० संख्या 16011/3/81-स्था० (भत्ता) के साथ पठित दिनांक 5 मार्च 1984 का का० ज्ञा०]

9. एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में "विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कार्मिक" की प्रतिनियुक्ति:— (1) केन्द्रीय सरकार के एक विभाग/कार्यालय में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों/कार्यालयों आदि में पदों के लिए भेजने के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 60/37/63-स्था० (क) [मूल नियम 13 के नीचे आदेश (2)] और इस विभाग के दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28017/1/81-स्था०(ग) [मूल नियम 13 के नीचे आदेश (3)] के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दोनों कार्यालय ज्ञापनों में दिए गए उपबन्ध भी एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञों की सेवा शर्तों को शासित करते हैं।

(2) अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके अन्तर्गत डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और पैरा-मैडिकल स्टाफ आदि जैसे विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कार्मिकों को एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जा सके। इससे सरकारी कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया था। एक मामले में तो सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी अधिकार संरक्षित थे जबकि सरकारी कर्मचारी के दूसरे वर्ग को ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं था और विदेशों में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता था। चूंकि "विशेषज्ञ वर्ग के नीचे के कार्मिकों" की एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर प्रतिनियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः मांगकर्ता देश सामान्यतः ऐसे अन्य देशों से मांग करते थे जो इस वर्ग के व्यक्तियों की व्यवस्था कर सकें। इसका प्रभाव विशेषज्ञ वर्ग पर भी पड़ता था।

(3) अतः भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रश्न पर विचार करती रही है कि क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसमें "विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कार्मिकों" को एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जा सके और विशेषज्ञ वर्ग के कार्मिकों के समान ही उनके सेवा अधिकारों को संरक्षण देकर उनमें भी संरक्षण की भावना उत्पन्न की जा सके। विदेश मंत्रालय के परामर्श से अब यह निर्णय किया गया है कि "विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के" सरकारी कर्मचारियों को भी विशेषज्ञ वर्ग के कार्मिकों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों के पदों के लिए विभागीय तौर पर परिचालित अथवा किसी सरकारी अभिकरण द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों/कार्यालयों में कार्य कर रहे डिप्लोमाधारी इंजीनियरों, पैरा-मैडिकल स्टाफ आदि जैसे "विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कार्मिकों" के आवेदन-पत्र उनसे त्यागपत्र मांगे बिना, अग्रेषित किए जाने चाहिए। उनके चुन लिए जाने पर इस विभाग के दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28017/

1/81-स्था० (ग) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार उनके सेवा-अधिकारों को संरक्षित किया जाए ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का० और प्र० सु० विभाग का दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 का का०ज्ञा० संख्या 28013/1/80-स्था० (ग)]

10. मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के अधीन सेवा के लिए भेजे जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें।—(1) इस आशय का प्रश्न कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या होनी चाहिए जिन्हें मणिपुर सरकार अथवा त्रिपुरा सरकार के अधीन सेवा के लिए भेजा जाता है । उपर्युक्त विषय पर पहले के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, अब राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि मणिपुर सरकार अथवा त्रिपुरा सरकार के अधीन सेवा के लिए भेजे गए केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को वही भत्ते और सुविधाएं अनुज्ञेय होंगी जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 14-12-83 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20014/3/83-ईIV में दी गई हैं । (देखें परिशिष्ट 11)

(2) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 14-12-1983 के उपर्युक्त आदेशों के जारी होने के समय पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर थे इस आशय का विकल्प दे सकेंगे कि वे उन पर पहले ही लागू शर्तों के अधीन शासित होते रहना पसंद करेंगे अथवा इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 का का०ज्ञा० संख्या 2(45)-स्था० (पी.II)/85]

मूल नियम 112 : यदि सरकारी सेवक को, छुट्टी के दौरान ही अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाए तो ऐसे स्थानान्तरण की तारीख से उसका छुट्टी पर रहना और छुट्टी वेतन लेना समाप्त हो जाएगा।

मूल नियम 113 : (i) अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित सरकारी सेवक उसी काडर या उन्हीं काडरों में बना रहेगा जिसमें या जिनमें वह अपने स्थानान्तरण से ठीक पूर्व अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सम्मिलित था, और उसे उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विहित हैं उन काडरों में ऐसा अधिष्ठायी या स्थानापन्न प्रोन्नति की जा सकेगी जैसी कि आदिष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे। ऐसी प्राधिकारी प्रोन्नति देने में अन्यत्र सेवा में किए गए काम की प्रकृति पर भी विचार करेगा।

(ii) इस नियम की कोई भी बात अधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य को ऐसी अन्य प्रोन्नतियां प्राप्त करने से निवारित नहीं करेगी जैसी कि उस प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए, जो उस सदस्य के सरकारी सेवा में रहने की दशा में प्रोन्नति देने के लिए सक्षम होता ।

भारत सरकार के आदेश

1. जब इतर सेवा में होने पर "एक के लिए एक" सिद्धांत के अनुसार प्रोफार्मा पदोन्नति :—(1) मूल नियम 30 के नीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश द्वारा "आसन्न निकट नियम" में "एक के लिए एक" का सिद्धांत सेवा की नियमित लाइन से बाहर सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होता है । किन्तु मूल नियम 113, जिसके अनुसार इतर सेवा पर प्रतिनियुक्ति के मामले विनियमित होते हैं विशेष रूप से कोई ऐसी शर्त निर्धारित नहीं करता । मूल नियम 113 में ऐसे विशेष उपबन्ध न होने पर यह निर्णय किया गया था कि जब अन्यत्र सेवा पर प्रतिनियुक्ति एक या एक से अधिक सरकारी कर्मचारियों से कनिष्ठ किसी सरकारी कर्मचारी को सामान्य क्रम में पदोन्नत किया जाता है तो अन्यत्र सेवा के उससे वरिष्ठ सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल संवर्ग में संभवतः इस शर्त पर प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी ने उपयुक्त समझा हो । अतः परिणामी स्थिति यह है कि इतर सेवा में, प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों की प्रोफार्मा पदोन्नति के मामले में राज्य सरकार में अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है ।

(2) उपर्युक्त विषमता को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इतर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों की प्रोफार्मा पदोन्नति भविष्य में उसी प्रकार विनियमित की जानी चाहिए जैसे कि उपर्युक्त नियमित सेवा से बाहर सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति के मामले में की जाती है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 18 जून, 1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ए (7)-ई IV(क)/62 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सी०डी०) का दिनांक 3 अक्तूबर, 1962 का अ० शासकीय) पत्र संख्या 5635-पी०टी०आई०/62]

मूल नियम 114 अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक अन्यत्र नियोजन से उस तारीख से वेतन लेगा जिसको कि वह सरकारी सेवाधीन अपने पद का भार त्याग दे। उन किन्हीं भी निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा, अधिरोपित करे, ऐसी कार्यग्रहण अवधि के दौरान उसका वेतन अन्यत्र नियोजक के परामर्श से, स्थानांतरण मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा नियत किए जाएंगे। (इस नियम के अधीन जारी किए गए आदेशों के लिए देखें इस संकलन का परिशिष्ट एक) ।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

जब इतर सेवा शर्तों पर उधार दिया गया कोई सरकारी कर्मचारी अपने विदेश नियोक्ता के सेवा से निवृत्त हुए बिना सेवानिवृत्त होता है तो उसी समय लेखा अधिकारी सामान्य प्राधिकारियों के माध्यम से सेवा निवृत्ति की तारीख और सरकार से ली गई पेंशन की राशि को दर्शाने

वाला एक विवरण इतर नियोक्ता को भेजेगा ताकि इतर नियोजक यदि चाहे तो उसे इच्छुक नियुक्ति की विद्यमान शर्तों में संशोधन करने का अवसर मिल सके।

[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुन:मुद्रित) भा-1, अध्याय XII का पैरा 3]

मूल नियम 115 (क) : सरकारी सेवक के अन्यत्र सेवा में रहने के दौरान उसकी पेंशन के खर्च मद्धे अभिदाय उसकी ओर से साधारण राजस्व में संदत्त किया जाना चाहिए।

(ख) यदि अन्यत्र सेवा भारत में है तो छुट्टी वेतन के खर्च मद्धे अभिदाय भी संदत्त किया जाना चाहिए।

(ग) ऊपर के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन शोध्य अभिदाय स्वयं सरकारी सेवक द्वारा संदत्त किए जाएंगे, सिवाय तब के जब कि अन्यत्र नियोजक उन्हें संदत्त करने के लिए सहमत हो जाए। वे अभिदाय सेवा अन्यत्र सेवा रहते हुए ली गई छुट्टी के दौरान संदेय न होंगे।

(घ) नियम 123 (ख) के अधीन की गई विशेष व्यवस्था द्वारा छुट्टी वेतन मद्धे अभिदाय करने की अपेक्षा भारत से बाहर अन्यत्र सेवा की दशा में भी की जा सकेगी। ये अभिदाय अन्यत्र नियोजक द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

टिप्पण 1:—इस पूरे अध्याय में, पेंशन के अन्तर्गत वे सरकारी अभिदाय भी, यदि कोई हों, हैं जो भविष्यनिधि में सरकारी सेवक के जमा खाते में देय है।

[1]टिप्पण 2: हटा दी गई।

प्रशासनिक अनुदेश
अंशदान के भुगतान के लिए कार्यविधि

1. स्थानान्तरण की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी के इतर सेवा में स्थानान्तरण की मंजूरी के आदेश की एक प्रति नीचे नियम 2 में उल्लिखित लेखा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को स्वयं एक प्रति उस अधिकारी को तत्काल भेजनी चाहिए जो उसके वेतन की लेखा परीक्षा करता है और उस अधिकारी के अनुदेश प्राप्त करने चाहिए कि उसके अंशदानों का हिसाब-किताब कौन अधिकारी रखेगा और उस अधिकारी को कार्यभार के सभी स्थानान्तरणों के समय तथा स्थानों की सूचना देनी चाहिए जो उसके इतर सेवा में जाते समय, उसमें रहते समय या उससे लौटते समय एक पार्टी है और उसको समय-समय पर इतर सेवा में अपने वेतन, ली गई छुट्टियों, अपने डाक-पता और उस अधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

2. (क) भारत से बाहर इतर सेवा के मामले में महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व "लेखा अधिकारी" है।

(ख) भारत में इतर सेवा के मामले में—

(i) यदि इतर सेवा में वेतन सरकारी खजाने से अदा किया जाता है और वेतन की लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है तो लेखा अधिकारी ही ऐसा लेखा परीक्षा अधिकारी है;

(ii) अन्यथा, लेखा अधिकारी उस राज्य का महालेखाकार है जिस राज्य में वह नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट अथवा संबंधित अन्य निकाय स्थित हैं।

टिप्पणी:—भारत में अथवा भारत से बाहर इतर सेवा पर नियुक्त वाणिज्यिक विभागों (अर्थात् रेलवे और डाक तथा तार विभाग) के सरकारी कर्मचारियों के मामले में "लेखा अधिकारी" संबंधित विभाग का लेखा अधिकारी है।

[डाक व तार संकलन के मूल नियम तथा अनुपूरक नियम भाग II के परिशिष्ट 3 का उद्धरण]

भारत सरकार के आदेश

1. मान्यताप्राप्त संघों/यूनियनों में इतर सेवा के कर्मचारियों के विशेष प्रावधान :— (1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों/फेडरेशनों को सहायता प्रदान करने के एक उपाय के रूप में सरकार ने उन्हें यह अनुमति दी है कि वे सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं संबंधित संघों/यूनियनों/फेडरेशनों में काम करने के लिए इतर सेवा शर्तों पर प्राप्त करें। ऐसे मामलों में, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान मूल नियम 120 के साथ पठित मूल नियम 115 के उपबन्धों के अनुसार यूनियनों आदि द्वारा किया जाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) के कर्मचारी पक्ष ने यह अनुरोध किया था कि सेवा कर रहे कर्मचारियों के इतर सेवा में वेतन आदि का व्यय वहन करने तथा इस संबंध में संघों आदि द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अपेक्षित इतर सेवा अंशदानों के खर्च को पूरा करने के लिए मान्यताप्राप्त संघों, यूनियनों, आदि के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किए गए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, मामले की जांच की गई है। कर्मचारियों की यूनियनों, संघों आदि के हितों को और अधिक बढ़ावा देने तथा कर्मचारी संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों के मामले में मान्यताप्राप्त संघों/यूनियनों/फेडरेशनों आदि द्वारा इतर सेवा के लिए दिए जाने वाले पेंशन अंशदान को समाप्त कर दिया जाए। किन्तु यह रियायत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय संघों/यूनियनों/फेडरेशनों तक ही सीमित मिलेगी और यह रियायत प्रत्येक ऐसे संघ/यूनियन/फेडरेशन में इतर सेवा में कार्य कर रहे दो से अधिक कर्मचारियों को एक ही समय में नहीं दी जाएगी।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 18(13)-ई IV(क)/70 द्वारा हटाया गया।

(2) जहां तक संघों/यूनियनों/फेडरेशनों द्वारा भुगतान किए जाने वाले छुट्टी वेतन अंशदान का संबंध है, इसमें भी तब छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है जबकि संघों/यूनियनों/फेडरेशनों, संघों आदि में सेवा की अवधि के दौरान अर्जित छुट्टी के संबंध में संबंधित कर्मचारियों का छुट्टी वेतन वहन करने के लिए यूनियनें आदि सहमत हो जाएं और संबंधित कर्मचारी यूनियनों/संघों/फेडरेशनों में अपनी इतर सेवा की अवधि के संबंध में सरकार से छुट्टी के लिए अपना दावा छोड़ने के लिए सहमत हो जाएं। दूसरे शब्दों में, इतर सेवा की अवधि के दौरान इन अधिकारियों की छुट्टी संबंधित यूनियनों/संघों/फेडरेशनों के नियमों के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी। इन यूनियनों/संघों/फेडरेशनों द्वारा मंजूर की गई छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन का भुगतान भी वही करेंगे और छुट्टी अधिकारियों के छुट्टी खाते में जमा नहीं की जाएगी। इतर सेवा की अवधि के दौरान अर्जित छुट्टी में से न ली गई बकाया छुट्टी, यदि कोई हो, इतर सेवा से अधिकारियों के प्रत्यावर्तन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगी। अन्यत्र सेवा की अवधि भारत सरकार के अधीन के किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का 20 अक्तूबर, 1975 का का० ज्ञा० सं० एफ 1(10)-ई-III(ख)/75]

2. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदानों का भुगतान और समायोजन :—(1) इतर सेवा में उधार दिए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में इतर नियोक्ता से वसूल किए जाने वाले छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदानों का भुगतान और समायोजन विभिन्न लेखा अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :—

(i) रक्षा, डाक-तार और रेलवे से संबंधित कर्मचारियों के मामले में, इतर नियोक्ता से अंशदानों की वसूली करने और वसूली पर निगरानी रखने तथा इतर सेवा के दौरान छुट्टी वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित लेखा अधिकारी पर होगा। इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों/सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर गए इन कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन अंशदानों की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि वही होगी जो इतर सेवा के मामले में है।

(ii) किसी भी श्रेणी के, ऐसे अधिकारियों, जो इतर सेवा में जाने से तत्काल पूर्व अपना वेतन भुगतान की आई० आर० एल० ए० पद्धति के अधीन लेते रहे हैं, उनके अंशदानों के भुगतान की अदायगी आई० आर० एल० ए० लेखा अधिकारी को की जाएगी और वही इसका समायोजन करेगा।

(iii) (क) जिन अस्थायी सरकारी कर्मचारियों, और (ख) भारतीय राजस्व सेवा जैसी कतिपय सेवाओं के अधिकारियों का किसी विशेष पद पर अपना धारणाधिकार नहीं है और जो उपर्युक्त श्रेणी (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनके अंशदानों का भुगतान उस लेखा अधिकारी को किया जाएगा जो उनके इतर सेवा पर जाने के तत्कालपूर्व उनके वेतन का समायोजन कर रहा था और वही अब भी इनका समायोजन करेगा।

(iv) अन्य सभी मामलों में, अंशदानों का भुगतान उस कार्यालय संवर्ग का लेखा अधिकारी को किया जाएगा और वही इनका समायोजन करेगा जिस कार्यालय/संवर्ग में इतर सेवा में जाने वाले सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार है।

(2) पूर्ववर्ती पैराग्राफ के अनुसार जिस लेखा अधिकारी को ये अंशदान देय हों, उसका नाम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की इतर सेवा की प्रतिनियुक्ति की शर्तों में अवश्य बताना चाहिए।

(3) इतर नियोक्ता को यह सलाह दी जाए कि वह संबंधित लेखा अधिकारी को अंशदान रेखित चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा ही भेजे जाएं और उनको कभी भी सरकारी खजाने, बैंक में नकदी के रूप में जमा नहीं किया जाए।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उप-पैराग्राफ (ii), (iii) और (iv) में दिए गए छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदानों की वसूली और समायोजन के लिए उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत ऐसी अन्य सरकारों/विभागों में प्रतिनियुक्ति के मामले में समान रूप से लागू होंगे जहां ऐसे अंशदानों की वसूली करनी होती है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 12 जुलाई, 1966 का का० ज्ञा० संख्या एफ 1(3)-ख/66, दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 की सं० एफ 1(3)-ख/66 और दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 का संख्या एफ 1(11)-ख/70]

3. भारत से बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरान पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि अभिदानों का भुगतान और ऋणों और अग्रिमों की वापसी :—(1) मूल नियम 115 के उपबन्धों के अनुसार भारत से बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी के संबंध में पेंशन लागत मद्धे अंशदान की अदायगी सरकार को करनी होती है। इसी प्रकार, अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित कर्मचारी के मामले में, केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोजक के भाग का भुगतान इतर सेवा की अवधि के दौरान करना होता है। तब ऐसे अंशदान सरकारी सेवक को स्वयं देने होते हैं जब तक कि इतर नियोक्ता उसकी

ओर से भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। उपर्युक्त अंशदानों के अतिरिक्त, अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी को ऐसी भविष्य निधि उस निधि के नियमों के अनुसार में अंशदान करना आवश्यक होता है जिसमें वह अन्यत्र सेवा पर जाने के समय अभिदान कर रहा था। इतर सेवा में प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवक को गृह निर्माण अग्रिम, स्कूटर/मोटर कार अग्रिम आदि जैसा ऋण और अग्रिम की वह राशि भी वापिस करनी होती है जो इतर सेवा पर जाते समय बकाया हो।

(2) यह बात ध्यान में आई है कि भारत से बाहर इतर सेवा में गए सरकारी कर्मचारी किस मुद्रा में अंशदान और वापसियों का भुगतान करें इसके बारे में इस समय कोई कार्यविधि नहीं है। जबकि कुछ मामलों में अंशदान रुपयों में किया जा रहा है तो अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा में किया जा रहा है।

(3) प्राक्कलन समिति ने मामले की जांच की है। प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोकसभा) की अट्ठासीवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में भारत से बाहर इतर सेवा में गए सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सभी पेंशन/अंशदायी और सामान्य भविष्यनिधि अंशदान तथा बकाया ऋणों और अग्रिमों की वापसी उसी विदेशी मुद्रा में करनी चाहिए जिसमें वेतन दिया जा रहा है।

(4) (क) विनियम की दरें सरकार द्वारा निर्धारित दरें होंगी।

(ख) जिन स्थानों में राशि भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है वहां राशि सामान्य बैंक के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। जिन देशों में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से ऐसा प्रेषण की अनुमति नहीं है वहां अंशदान संबंधित भारतीय मिशन में जमा करना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन सं॰ एफ 1(14)-ई-III(ख)/76]

(5) सरकार को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि सामान्य बैंकिंग माध्यम से विदेशी मुद्रा भेजने से विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण संबंधित सरकारी कर्मचारी को कठिनाई होती है। तथा समय समय पर डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजने के लिए व्यवस्था करने में डाक आदि के खर्च के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की काफी राशि व्यय हो जाती है। इसके अनुसार मामले की और जांच की गई है और अब यह निर्णय किया गया है कि भारत से बाहर इतर सेवा पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी भारत में अपने स्थानीय बैंकों के साथ स्थायी प्रबन्ध कर सकता है और इसके अनुसार बैंक भारत से बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरान सामान्य भविष्य निधि के मासिक अंशदान और पेंशन/सामान्य भविष्य निधि अंशदान और ऋण और अग्रिम, यदि कोई हो, की वापसी रुपयों में करने के लिए रखे गए गैर आवासी बैंक खाते से संबंधित लेखा नियंत्रक को भुगतान करने के लिए राशि भेजने का प्रबन्ध करेंगे। ऐसा प्रबन्ध करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना सरकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व होगा कि इन भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा भेजने की व्यवस्था कम से कम वर्ष में एक बार की जाती है और इन भुगतानों के लिए गैर आवासी खाते से विदेशी मुद्रा में राशि भेजने के बारे में संबंधित लेखा नियंत्रक को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। लागू विनियम दरें सरकार द्वारा निर्धारित वहीं दरें होंगी जो हर सरकारी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में वास्तविक राशि भेजने के समय थीं।

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए संशोधित अनुदेश तत्काल लागू होंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 22 सितम्बर, 1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 8(8)-ई-III]

6. भारत से बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरान भारत में नान रेजिडेंट बैंक के खाते के माध्यम से पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदानों और अथवा सामान्य भविष्य निधि के अंशदानों की अदायगी और ऋणों तथा अग्रिमों की वापसी अदायगी किए जाने के लिए दी गई सुविधाओं को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना 1980 के अभिदानों की अदायगी के संबंध में भी लागू करने का निर्णय किया गया है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 11 मई, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(3)-ई-III/82 तथा 21 मई, 1982 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथा-संशोधित]

मूल नियम 116 पेंशन तथा छुट्टी वेतन मद्धे संदेय अभिदायों की दर वह होगी जो राष्ट्रपति साधारण आदेश द्वारा विहित करें।

भारत सरकार के आदेश

1. स्थायीवत कर्मचारियों के मामले में अंशदानों की वसूली:—जब केन्द्रीय सिविल सेवाओं (अस्थायी सेवा) की नियमावली में यथापरिभाषित स्थायीवत सेवा का का कोई सरकारी कर्मचारी इतर सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है तो यथास्थिति पेंशन और छुट्टी वेतन या केवल पेंशन के लिए अंशदानों की वसूली उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार मूल नियम 116 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार समय-समय पर लागू दरों पर स्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में की जाती है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 जनवरी, 1950 का का॰ ज्ञा॰ संख्या एफ I(7)-ई-IV/49]

2. अस्थायी कर्मचारियों के मामले में अंशदानों की वसूली.—इतर सेवा पर स्थानान्तरित अस्थायी सरकारी कर्मचारी के बारे में पेंशन अंशदान की वसूली करने के संबंध में विद्यमान आदेशों में इस बात का निर्णय करना संबंधित सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि अन्ततः पेंशन

के लिए सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा की संभावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे अंशदानों की वसूली की जाए अथवा नहीं। अब नई पेंशन योजना के अन्तर्गत लगातार अस्थायी सेवा की आधी (अब पूर्ण) अवधि को स्थायीकरण के पश्चात् पेंशन के लिए गिना जाता है इसलिए अस्थायी सेवा को पेंशन के गिने लिए जाने की अधिक संभावना है और यह उचित है कि पेंशन अंशदान की वसूली ऐसे सभी मामलों में की जानी चाहिए। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि जब कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी इतर सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है तो पेंशन अंशदानों की वसूली स्थायी सरकारी कर्मचारियों की तरह की जानी चाहिए।

इस प्रश्न की भी जांच की गई है कि क्या अन्यत्र सेवा पर गए अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में पेंशन अंशदान की दर स्थायी सरकारी कर्मचारी की तुलना में कम निर्धारित की जानी चाहिए और इसको कम करना अनावश्यक समझा गया है क्योंकि अंशदान की दर केवल मोटे तौर पर ही निर्धारित की जा सकती है और अस्थायी व्यक्तियों के लिए अलग अलग आधार से हिसाब किताब रखने में कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 जनवरी, 1953 का पृष्ठांकन सं० एफ. 1(e)-ई IV/52]

3. इतर सेवा अंशदान को निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना:—इतर सेवा की अवधि संबंध में मूल नियम 116 और 117 के अन्तर्गत प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित पेंशन और छुट्टी वेतन के लिए देय अंशदान की विद्यमान दरें निकटतम पैसे में निकाली जाती है जबकि पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान की गणना निकटतम पैसे तक करने का कोई विशेष लाभ नहीं है तो भी इन अंशदानों की गणना करने/वसूली में चौतरफा कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है।

अभिप्राय यह है कि इतर सेवा अंशदान की वसूली पूर्ण रुपयों में की जाए :—

(क) मासिक अंशदानों की दरों की गणना करते समय प्रारम्भिक स्तर पर;

(ख) इतर सेवा प्रारम्भ करने पर या समाप्त होने पर महीने के कुछ दिनों के लिए अंशदानों की वसूली करते समय; और

(ग) जब वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ते आदि की दरों में परिवर्तन के कारण मासिक अंशदान की दरें दुबारा नियत की जाती हैं और एक कैलेण्डर मास के लिए वसूली योग कुल अंशदान पूर्ण रुपयों में न हो तो रुपयों को पूर्णांकित करना होगा।

यह निर्णय किया गया है कि इन अंशदानों को, निकटतम रुपयों में पूर्णांकित करना चाहिए और 50 पैसे के बराबर किसी अंश को अगला पूर्ण रुपया माना जाना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 19 मई, 1969 और 2 फरवरी, 1970 का का०ज्ञा० संख्या एफ. 1(5) ई III (ख)/69]

लेखा परीक्षा अनुदेश

(1) इतर सेवा से प्रत्यावर्तित होने से पहले मूल नियम 105 के खण्ड (ख) के अधीन छुट्टी के सातत्य में सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के लिए छुट्टी वेतन अंशदान की गणना उसी वेतन पर करनी चाहिए जो वह छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व ले रहा था।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल भाग I अध्याय XII का पैरा 4]

(2) जब कोई सरकारी कर्मचारी इतर सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है अथवा किसी सरकारी कर्मचारी की इतर सेवा की अवधि बढ़ा दी जाती है तो स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि यथास्थिति पेंशन और छुट्टी वेतन का या केवल पेंशन के अंशदान के मूल नियम 116 के अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार समय समय पर लागू दरों पर वसूली की जाएगी। इसी प्रकार, यदि अधिकारी गैर-पेंशनभोगी आधार पर है और अंशदायी भविष्यनिधि में अभिदान कर रहा है तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निधि के खाते में किए जाने वाले मासिक अभिदान और आवधिक अंशदान इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार वसूल किए जाएंगे।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल के भाग I अध्याय XII का पैरा 5(i)]

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का निर्णय

भारत सरकार की सहमति से नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने यह निर्णय किया है कि इतर सेवा पर जाते समय मूल नियम 105 (ख) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में छुट्टी अंशदान की वसूली उस वेतन के आधार पर की जानी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी इतर सेवा में पद का कार्यभार ग्रहण करने पर लेगा।

[नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का दिनांक 17 मई, 1950 का पत्र सं० 239-ए/40-50]

मूल नियम 117. (क) :—नियम 116 के अधीन विहित पेंशन अभिदाय की दरें ऐसी होंगी ताकि सरकारी सेवक के लिए उतनी पेंशन सुनिश्चित हो जाए जितनी कि उसन सरकार के अधीन सेवा द्वारा उस दशा में उपार्जित की होती तबकि उसका स्थानांतरण अन्यत्र सेवा में न हुआ होता।

(ख) छुट्टी वेतन के लिए अभिदाय की दरें ऐसी होंगी ताकि सरकारी सेवक के लिए इस वेतनमान पर और उन शर्तों के अधीन जो उसे लागू हैं, छुट्टी वेतन सुनिश्चित हो

56—311 DP&T/ND/88

जाए। अनुज्ञेय छुट्टी की दर की संगणना करने में अन्यत्र सेवा में लिया गया वेतन, उसमें से, उन सरकारी सेवकों की दशा में जो कि अपना अभिदाय स्वयं संदत्त कर रहे हों, वेतन का उतना भाग कम करके जितना अभिदाय के रूप में संदत्त किया जाता हो, मूल नियम (2) के प्रयोजनार्थ वेतन के रूप में गिना जाएगा।

[मूल नियम 116 और 117 के संदर्भ में निर्धारित अभिदायों की दरें इस संकलन के परिशिष्ट में दी गई हैं]

महालेखा परीक्षक का निर्णय

इस नियम के अन्तर्गत अंशदान की गणना इतर सेवा के कर्मचारी द्वारा लिए गए अंशदान के छोतक भाग को छोड़कर, वास्तविक वेतन पर की जाएगी।

[महालेखा परीक्षक का दिनांक सितम्बर, 1923 का निर्णय सं० 945-ए/के०डब्ल्यु०, 66-22]

मूल नियम 118. हटाया गया।

मूल नियम 119. [1][अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरण की दशा में अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरण मंजूर करने वाली केन्द्रीय सरकार] —

(क) किसी विनिर्दिष्ट मामले में या विनिर्दिष्ट वर्ग के मामले में शोध्य अभिदाय माफ कर सकेगी; और

(ख) अतिशोध्य अभिदायों पर उद्गृहीत किए जाने वाले ब्याज की दर, यदि कोई हो, विहित करने वाले नियम बना सकेगी।

[मूल नियम 119 (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के लिए देखें नियम 307]

भारत सरकार के आदेश

1. भारत सरकार ने भूटान के लिए विदेश सेवा में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में पेंशन अंशदान समाप्त कर दिया है।

[भारत सरकार, विदेश मंत्रालय का दिनांक 15 फरवरी, 1966 का पत्र संख्या ई-1/227/12/65-बी०एच०]

मूल नियम 120. अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक को यह छूट नहीं होगी कि वह अभिदायों को विधारित करने का और अन्यत्र नियोजन में व्यतीत समय को सरकारी सेवा में कर्त्तव्य के रूप में गिनने के अधिकार के समपहृत किए जाने का निश्चय कर ले। उसकी ओर से संदत्त अभिदाय, यथास्थिति, पेंशन या पेंशन तथा छुट्टी वेतन के उसके दावे को, उस सेवा नियमों के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है, बनाए रखते हैं। न तो उसे और न अन्यत्र नियोजक को, संदत्त अभिदाय में कोई भी सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है और प्रतिदाय के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जा सकता।

मूल नियम 121. अन्यत्र सेवा में स्थानांतरित सरकारी सेवक, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना, अपने अन्यत्र नियोजक से, ऐसी सेवा के बारे में पेंशन या उपदान ग्रहण न कर सकेगा।

भारत सरकार के आदेश

1. **संयुक्त राष्ट्र निकायों में इतर सेवा पर गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त राष्ट्र पेंशन निधि योजना में हिस्सेदारी.** — (1) दिनांक 4 जून, 1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1(16)-ई०-III(ख)/66 (भाग II) (असुद्रित) के अधीन, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय एफ०ए०ओ०, आई० एल० ओ० आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए इतर सेवा में प्रति-नियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि में पूर्णतः सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी तथा संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सेवानिवृत्ति सुविधाओं का भुगतान दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1(16)-ई०III(ख)/66 (अनुबन्ध) में निर्धारित शर्तों के द्वारा विनियमित किया जाता रहेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति सुविधाएं ऐसे सहभागी को देय होंगी जिनकी उम्र संयुक्त राष्ट्र छोड़ने पर साठ वर्ष या उससे अधिक है और जिसकी अंशदायी सेवा पांच वर्ष या उससे अधिक है। उक्त विनियमों और नियमों के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत, प्रारम्भिक सेवानिवृत्ति सुविधाएं ऐसे सहभागी को भी देय होंगी जिसकी उम्र संयुक्त राष्ट्र छोड़ते समय 60 वर्ष से कम किन्तु 55 वर्ष तक है तथा जिसकी अंशदायी सेवा पांच वर्ष या उससे अधिक थी। उक्त अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत, स्थगित सेवानिवृत्ति सुविधाएं ऐसे सहभागी को देय होंगी जिसकी उम्र संयुक्त राष्ट्र छोड़ते समय 60 वर्ष से कम है तथा जिसकी अंशदायी सेवा पांच वर्ष या उससे अधिक थी। उक्त उपबन्धों से यह ज्ञात होता है कि पांच वर्ष या उससे अधिक की अंशदायी सेवा उक्त विनियमों और नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति सुविधाओं की पात्रता के लिए अनिवार्य शर्त है। तदनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 1975 द्वारा यथा संशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 31 में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधि० सं० 18(13)-ई IV (ख)/70 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह 6 फरवरी, 1971 से लागू हुआ।

बैंक या एशिया विकास बैंक अथवा राष्ट्रमण्डल सचिवालय में पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए इतर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी अपने विकल्प पर इतर सेवा के संबंध में पेंशन अंशदान अदा कर सकते हैं तथा के० सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली के अधीन ऐसी सेवा की गणना पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सकते हैं अथवा उक्त संगठनों के नियमों के अधीन स्वीकार्य सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी सेवा को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिन सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी उक्त संगठनों के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प देता है तो उसे दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के का० ज्ञा० संख्या एफ० 1(16)-ई०III(ख)/66 के उपबन्धों के अनुसार सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान रुपयों में भारत में किया जाएगा।

(3) पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित संगठनों में एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम के लिए इतर सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के मामलों को विनियमित करने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि के नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 32 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत अलग होने का निर्णय ऐसे सहभागी पर अनुज्ञेय होगा जिसकी आयु पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ने पर 60 वर्ष से कम है, और यदि पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ते पर वह 60 वर्ष या अधिक उम्र का है किन्तु उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित अनुच्छेद 29, 30 और 31 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति सुविधा का हकदार नहीं है। यदि सहभागी की अंशदायी सेवा पांच वर्ष से कम है तो अलग होने के निर्णय में उसका अपना अंशदान ही शामिल है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 4 जून, 1971 के का० ज्ञा० संख्या एफ० 1(16)-ई०III(ख)/66 (भाग-II) का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमण्डल सचिवालय में एक वर्ष अथवा इससे अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और जो उक्त संगठनों के विनियमों और नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति सुविधाओं का हकदार नहीं होगा, वह मूल नियम 116 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर भारत सरकार का मासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा। इतर सेवा की समाप्ति पर, उसे इतर नियोक्ता से ऐसी निकासी प्रसुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है जो इतर सेवा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो।

(4) उपर्युक्त पैरा 3 में जो कुछ कहा गया है, वह ऐसे अधिकारियों पर लागू होगा जो केवल निकासी सुविधाओं (जो पूर्ण सेवानिवृत्ति सुविधाओं के विपरित हैं) के हकदार हैं, जो उन संगठनों के नियमों और विनियमों के अधीन पूरी सेवानिवृत्ति सुविधाओं के हकदार होंगे वे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 31 द्वारा शासित होंगे। यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (जिसमें उक्त संगठनों में उनकी सेवा की गणना सरकार के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी) के नियमों और विनियमों के अधीन सेवा-निवृत्ति सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प देते हैं और यदि वे सरकारी सेवा में वापिस आ जाते हैं तो सेवा-निवृत्ति सुविधाओं का भुगतान 5 नवम्बर, 1966 के आदेशों द्वारा शासित होगा। अधिकारी ने भारत सरकार को यदि कोई पेंशन अंशदान किया होगा वह उसे वापिस कर दिया जाएगा।

(5) ये आदेश ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो उक्त संगठनों में पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं। फिर भी उन्हें यह विकल्प होगा कि वे अपनी इतर सेवा की अवधि को पेंशन के लिए गिनने के उद्देश्य से सरकार को पेंशन अंशदान करें अथवा विद्यमान शर्तों पर बने रहें जिसके अधीन उन्हें सरकार को पेंशन अंशदान नहीं करना होता है। अधिकारियों को इन आदेशों के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ही अपना विकल्प देना होगा और अधिकारी पिछली अवधि के लिए पेंशन अंशदान करने का विकल्प देते हैं। उन्हें चालू अवधि के अंशदानों के साथ उक्त अवधि के पेंशन अंशदानों का भुगतान करने के लिए मासिक किश्तों में अंशदान करने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु मासिक किश्तों की संख्या बाहर से अधिक नहीं होगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 20 नवम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1(4)-ई.III(ख)/76]

अनुबंध

भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 नवम्बर, 1966 का का० ज्ञा० सं० 1(16)-ई०III(ख)/66

विषय :—संयुक्त राष्ट्र के निकायों में इतर सेवा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति संयुक्त राष्ट्र पेंशन निधि योजना में भाग लेना।

1. विद्यमान आदेशों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय एफ० ए० ओ०/आई० एल० ओ० आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि में तभी सहभागी होने के पात्र हैं जबकि इतर सेवा की अवधि एक वर्ष या इससे अधिक हो किन्तु पांच वर्ष से कम हो। जब इतर सेवा की अवधि पांच वर्ष से अधिक होने पर उन्हें पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच की गई है तथा निम्नलिखित निर्णय किया गया है :—

2. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों में इतर सेवा पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त पेंशन निधि में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इतर सेवा की अवधि के दौरान भारत सरकार को अधिकारी या उसकी ओर से कोई पेंशन अंशदान नहीं दिया जाएगा। इस अवधि को सरकार के अधीन पेंशन की गणना करने के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। अधिकारी संबंधित अवधि के लिए उक्त संगठन से उनके नियमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा यदि अधिकारी सरकार में पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं करता है किन्तु संयुक्त राष्ट्र संगठन में सेवा करते हुए ही सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है तो सरकारी नियमों के अन्तर्गत उसकी पेंशन की गणना सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा के आधार पर की जाएगी। यदि वह पुनः कार्यभार ग्रहण करता है तो और सरकार के अधीन आगे भी सेवा करता है तो सरकारी नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन की गणना सरकार के अधीन उसकी पूर्ववर्ती और बाद की सेवा की सम्पूर्ण अवधि के आधार पर की जाएगी।

3. अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र नियमों के अधीन प्राप्त होने वाली सेवानिवृत्ति सुविधाएं भारत में रूपयों में दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संगठनों में बाह्य सेवा की अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार में पुनः कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के मामले में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं सरकार से प्राप्त वेतन के साथ साथ देय नहीं होंगी बल्कि "XLVIII-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए अंशदान और वसूलियां" खाते के अन्तर्गत भारत सरकार के राजस्व में जमा कर दी जाएंगी और इसकी सूचना राजपत्रित अधिकारियों के मामले में लेखा अधिकारी को तथा गैर-राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष को दी जाएगी ताकि संयुक्त राष्ट्र प्राधिकरण से प्राप्त राशि का रिकार्ड संबंधित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिका में रखा जा सके। यह राशि संबंधित अधिकारी को अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के साथ उस समय दी जाएगी जब वह भारत सरकार की सेवा से अन्तिम रूप से सेवा-निवृत्त होता है और इस राशि का भुगतान करने के लिए सम्बन्धित वर्ष में "65—पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं आदि" के अन्तर्गत व्यवस्था की जाएगी।

2. एकमुश्त प्राप्त और भारत सरकार के पास जमा सेवानिवृत्ति सुविधाओं की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज.—संयुक्त राष्ट्र के संगठनों में इतर सेवा में भारत सरकार के अधिकारियों से एकमुश्त प्राप्त और भारत सरकार के पास जमा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की रकम पर ब्याज दिए जाने के प्रश्न पर कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण, इस सम्बन्ध में कुछ समय से विचार किया जा रहा था। अब राष्ट्रपति ने निर्णय किया है कि सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत जमा राशियों पर, जिसमें वे राशियां भी शामिल हैं, जिनको उन सरकारी कर्मचारियों ने जमा कराई हैं जो पहले से संयुक्त राष्ट्र के निकायों में काम कर रहे थे, और अब सरकार के पास पड़ी है, उनकी पिछली अवधियों के लिए भी उनकी जमा किए जाने की तारीख से ब्याज दिया जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 8-4-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(5)-ई.III/79]

3. एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति.—(1) एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या एशिया, अफ्रिका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में इतर सेवा में गए केन्द्रीय सरकार के जिन अधिकारियों को विदेशी सरकार द्वारा देय उपदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, उन्हें भारत सरकार को पेंशन अंशदान करने और इतर सेवा को पेंशन के लिए गिनने का विकल्प है। यह निर्णय किया गया है कि चूंकि इन विदेशी सरकारों द्वारा दिया गया उपदान पेंशन संबंधी सुविधा नहीं है इसलिए इन सरकारों में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सरकार को सामान्य पेंशन अंशदान दें और इस प्रकार इतर सेवा की अवधि की गणना केन्द्रीय सरकार के अधीन पेंशन के लिए करें। इस आशय की एक विशेष शर्त प्रतिनियुक्ति की शर्तों में अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिए।

(2) इन आदेशों के जारी होने की तारीख को ऐसी सरकारों में पहले से ही इतर सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के भारत सरकार को पेंशन अंशदान करने का विकल्प दिया जाएगा ताकि वे इतर सेवा की अवधि की गणना पेंशन के लिए कर सकें। अधिकारियों को इन आदेशों के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा और जो अधिकारी पिछली अवधि के लिए पेंशन अंशदान करने का विकल्प देते हैं, वे चालू अवधि के लिए अंशदान सहित पिछली अवधि के लिए पेंशन अंशदान की राशि अधिक से अधिक बारह किश्तों में दे सकते हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 जनवरी, 1974 का का० ज्ञा० सं० एफ 1(11)-ई० III (ख)/71]

यह निर्णय किया गया है कि इतर सेवा में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को एशिया, अफ्रिका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों की सरकारों द्वारा (इन सरकारों में उनकी बाह्य सेवा समाप्त हो जाने पर) दिया गया उपदान भारत सरकार के राजस्व में जमा करने की बजाए संबंधित अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। इस प्रकार उपदान की राशि संबंधित अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में संचित निधि का एक भाग होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 का का० ज्ञा० सं० एफ 1(11)-ई० III (ख)/71]

मूल नियम 122 :—भारत में अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक को छुट्टी उस सेवा को लागू होने वाले नियमों के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है, मंजूर होने वाले नियमों के अनुसार नहीं की जा सकेगी, और वह तब के सिवाय सरकार से छुट्टी न ले सकेगा या छुट्टी वेतन प्राप्त न कर सकेगा जब कि वह वास्तव में कर्तव्य को छोड़ दे और छुट्टी पर चला जाए।

प्रशासनिक अनुदेश

भारत में इतर सेवा पर गया सरकारी कर्मचारी मूल नियम 122 में दिए गए नियमों का पालन करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यदि वह ऐसी छुट्टियां लेता है जिनका वह नियमों के अन्तर्गत हकदार नहीं है तो वह अनियमित ढंग से लिए गए छुट्टी वेतन को वापिस करने के लिए जिम्मेदार होगा और यदि वह इस वेतन को वापिस करने से इन्कार करता है तो सरकार के अन्तर्गत उसकी पिछली सेवा जब्त की जाएगी और पेंशन या छुट्टी वेतन के संबंध में सरकार पर उसका कोई दावा नहीं रहेगा।

[मूल नियमों तथा अनुपूरक नियमों का डाक तार संकलन वाल्यूम II के परिशिष्ट 3 से उद्धरण।]

मूल नियम 123(क) :—भारत से बाहर अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक को छुट्टी उसके नियोजक द्वारा ऐसी शर्तों पर मंजूर की जा सकेगी जैसी कि नियोजक अवधारित करे। किसी भी वैयक्तिक मामले में, स्थानान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी पहिले से ही नियोजक के परामर्श से, वे शर्तें अवधारित कर सकेगा जिन पर छुट्टी नियोजक द्वारा मंजूर की जाएगी। नियोजक द्वारा मंजूर की गई छुट्टी के बारे में छुट्टी वेतन नियोजक द्वारा दिया जाएगा और छुट्टी सरकारी सेवक के छुट्टी लेखा के नामे नहीं डाली जाएगी।

(ख) भारत से बाहर अन्यत्र सेवा पर स्थानान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, अन्यत्र नियोजकों में ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जिसके अधीन सरकारी सेवक की छुट्टी, उसे सरकारी सेवक के रूप में लागू नियमों के अनुसार, तभी मंजूर की जा सकेगी जब कि अन्यत्र नियोजक केन्द्रीय सरकार को मूल नियम 116 के अधीन विहित दर से छुट्टी अभिदाय संदत्त करे।

मूल नियम 124 :—अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक; यदि वह सरकारी सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाए, सरकारी सेवा में उस पद के, जिस पर कि उसका धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता, वेतन के आधार पर संगणित और उस पद का वेतन लेगा जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है। उसका वेतन नियत करने में अन्यत्र सेवा में उसका वेतन हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

मूल नियम 125 :—सरकारी सेवक अन्यत्र सेवा से सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित उस तारीख को होता है जिसको कि वह सरकारी सेवा में अपने पद का भार ग्रहण करता है।

परन्तु यदि अन्यत्र सेवा की समाप्ति पर वह अपने पद का कार्य पुन: ग्रहण करने से पूर्व छुट्टी ले ले, तो उसका प्रतिवर्तन उस तारीख से प्रभावशाली होगा जो कि केन्द्रीय सरकार जिसके स्थापन पर वह है, विनिश्चित करे।

भारत सरकार के आदेश

1. **अन्यत्र सेवा पर रहते हुए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की मंजूरी.**—केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 का नियम 38 देखें।

मूल नियम 126 :—जब कोई सरकारी सेवक अन्यत्र सेवा से सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित हो तो उसका वेतन अन्यत्र नियोजक द्वारा दिया जाना बन्द हो जाएगा और प्रतिवर्तन की तारीख से ही उसके अभिदाय भी बन्द कर दिए जाएंगे।

मूल नियम 127 :—जब किसी नियमित स्थापन में कोई संवर्धन इस शर्त पर किया जाए कि उसका व्यय या उसके व्यय का एक निश्चित परिमाण उन व्यक्तियों से वसूल किया जाएगा जिनके फायदे के लिए उस अतिरिक्त स्थापन की सृष्टि की जा रही है तो वसूलियां निम्नलिखित नियमों के अधीन की जाएंगी :—

(क) जो रकम वसूल की जानी है वह, यथास्थिति, सेवा का या सेवा के प्रभाग का कुल मंजूर किया गया व्यय होगी और किसी भी मास के वास्तविक व्यय के अनुसार उसमें कोई फेरफार न होगा;

(ख) सेवा के व्यय में, ऐसी दरों से जैसी कि नियम 116 के अधीन अधिकथित की जाएं, अभिदाय सम्मिलित होंगे और अभिदाय स्थापन के सदस्यों को मंजूर की गई वेतन-दरों के आधार पर संगणित किए जाएंगे;

(ग) केन्द्रीय सरकार वसूलियों की रकम को कम कर सकेगी या उन्हें पूर्णतया छोड़ सकेगी।

भारत सरकार के आदेश

1. महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि चूंकि मूल नियम 127 (क) के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह और महंगाई भत्ते की लागत "सेवा की सफल स्वीकृत लागत" का भाग है इसलिए छुट्टी की अवधि के लिए इन भत्तों का कुल खर्च मूल नियम 127 (क) के अन्तर्गत वसूली के प्रयोजन के लिए शामिल करना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 13 जनवरी, 1948 का का० ज्ञा० सं० एफ. 7(43)-ई IV/47।]

2. एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मूल नियम 127 (क) के अन्तर्गत वसूली के प्रयोजन के लिए मकान किराए भत्ते की गणना कैसे की जाए और क्या मूल नियम 127

(ख) के अन्तर्गत छुट्टी वेतन अंशदान की गणना करने के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते और मकान किराए भत्ते को ध्यान में रखना चाहिए अथवा नहीं, यह निर्णय किया गया है कि, —

(i) मूल नियम 127(क) के अधीन वसूलियां करने के प्रयोजन के लिए नियत राशि का हिसाब लगाने के उद्देश्य से मकान किराए भत्ते की गणना स्थापना की औसत लागत की अधिकतम दर पर की जानी चाहिए, और

(ii) छुट्टी की अवधि के दौरान लिया गया प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मूल नियम 127(ख) के अन्तर्गत वसूली के प्रयोजनों के लिए शामिल करना चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 8 अक्टूबर, 1954 का पत्र संख्या एफ. 1(13)-ई-IV/54.]

3. **सहायक कर्मचारियों के कारण आकस्मिक व्यय का शामिल किया जाना**.—मूल नियम 127 के अधीन लागत वसूल करने के प्रयोजन के लिए सहायक कर्मचारियों आदि के कारण आकस्मिक व्यय को शामिल करने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी । अब यह निर्णय किया गया है कि चपरासी, अवर श्रेणी लिपिक, अपर श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों के संबंध में मूल नियम 27 के अन्तर्गत लागत वसूली वास्तविक लागत (सहायक कर्मचारियों आदि के आकस्मिक व्ययों को शामिल करके) के आधार पर की जाएगी जो निम्न प्रकार से निकाली जा सकती है :—

चपरासी सामान्यतः ली गई औसत वार्षिक लागत	× 2.00
अवर श्रेणी लिपिक . . .	× 1.90
अपर श्रेणी लिपिक . . .	× 1.95
सहायक	× 2.00
अनुभाग अधिकारी . . .	× 1.70

यह जारी होने की तारीख से लागू होगी ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 28 मार्च 1984 का का० ज्ञापन संख्या एफ० 7 (23)ई०-III/84.]

लेखा-परीक्षा अनुदेश

मूल नियम 127 की दूसरी पंक्ति के शब्द "इसकी लागत" उक्त नियम की पहली पंक्ति "संवर्धन" से संबंधित है । नियम का निर्धारित अभिप्राय स्वीकृत किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों की लागत को वसूल करने से है । अतः नियम के खण्ड (ख) के अधीन लिए जाने वाले छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान, यथास्थिति, उस पुराने और/या संशोधित वेतन की दरों पर आधारित होने चाहिए, जिस पर उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति वास्तव में मंजूर की गई है और इस बात का ध्यान न रखा जाए कि जिस व्यक्ति को कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वह पुराना या नया है ।

[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुनःमुद्रित) का भाग I अध्याय XII, पैरा 7.]

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्णय

(1) लिपिक ग्रेड में नए वेतनमान से किसी पद पर मूल नियम 127 के अन्तर्गत लिए जाने वाले पेंशन भोगी उपदान की गणना करते समय यह प्रश्न उठा था कि क्या चयन ग्रेड के अधिकतम वेतन या चयन ग्रेड के अधिकतम का औसतन वेतन तथा सामान्य समय वेतनमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए । महालेखा परीक्षक ने भारत सरकार की सहमति से यह निर्णय किया है कि ग्रेड I (अर्थात चयन ग्रेड) के अधिकतम वेतन को लिपिक ग्रेड के अधिकतम मासिक वेतन के लिए ध्यान में रखना चाहिए ।

मूल नियम 127 (ख) के अन्तर्गत पेंशन संबंधी अंशदानों का तत्व मूल नियम 116 के अधीन निर्धारित दरों पर आधारित है और इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धांत मूल नियम 116 के अधीन आने वाले मामलों में भी समान रूप से लागू होंगे । इसके अतिरिक्त, चूंकि पेंशन संबंधी अंशदान मूल रूप से धारित ग्रेड के अधिकतम वेतन पर आधारित हैं इसलिए संबंधित अंशदान केवल ऐसे मामलों में (मूल नियम 116 या मूल नियम 127 के अन्तर्गत) पर लागू होंगे जिनमें चयन ग्रेड स्वयं संवर्ग का भाग है किन्तु ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें चयन ग्रेड अलग संवर्ग का भाग है और मूल संवर्ग से भिन्न है, अर्थात डाक और तार विभाग के निम्न चयन ग्रेड (रु० 160-10-250) जो वेतनमान रु० 60-170 के लिपिक ग्रेड से भिन्न है ।

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई विशेष चयन ग्रेड मूल संवर्ग से भिन्न माना जाता है, इसके लिए निर्णायक बात यह होगी कि क्या दो डिविजनों में पद संख्या अलग-अलग नियत की गई है या नहीं । जब दो डिविजनों की पदसंख्या, इस उद्देश्य से अलग अलग नियत की जाती है कि किसी व्यक्ति को मूल ग्रेड में स्थायी किया जा सके और चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर सके तो मूल नियम 116 या मूल नियम 127 दोनों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अंशदानों की वसूली करने के प्रयोजन से चयन ग्रेड को एक अलग ग्रेड के रूप में माना जाता है । इस मानदण्ड को लागू करने पर रु० 160-10-300 के वेतनमान में आई० ए० तथा ए० डी० के लिपिक संवर्ग में विद्यमान चयन ग्रेड को रु० 80-5-120-8-200-10/2-220 के सामान्य अपर श्रेणी ग्रेड से अलग माना जाता है ।

इस मानदण्ड को भारत सरकार की सहमति प्राप्त है ।

[नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का दिनांक 29 नवम्बर, 1935 का पृष्ठांकन सं० 229-ए/235-35 और उनका दिनांक 24 जुलाई, 1958 का अशासकीय सं० 1541-ए/477-57.]

(2) मूल नियम 127 के अधीन सृजित किए गए अतिरिक्त स्थापनाओं के संबंध में महालेखाकार बम्बई "औसत लागत" पर आधारित ड्यूटी की अवधियों के लिए महंगाई भत्ते की कटौती कर रहे थे। छुट्टी की अवधि के दौरान दिए गए वास्तविक महंगाई भत्ते को वसूल नहीं किया गया था किन्तु छुट्टी वेतन अंशदान के भाग के रूप में वसूल की गई थी। जिसकी गणना औसत लागत की प्रतिशतता तथा औसत लागत पर स्वीकार्य उपर्युक्त महंगाई भत्ते के रूप में की गई थी।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने निर्णय किया है कि औसत लागत तथा औसत लागत पर स्वीकार्य उपयुक्त महंगाई भत्ते की वसूली करके महालेखाकार, बम्बई, द्वारा अपनाई गई कार्यविधि उपर्युक्त आदेश (1) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार है।

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 9 मई, 1953 का पत्र संख्या 771-प्रशा०-I/110-53]

अध्याय XIII

स्थानीय निधियों के अधीन सेवा

मूल नियम 128.—वे सरकारी सेवक जिन्हें सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों में से संदाय दिया जाता हो, इन नियमों के अध्याय 1 से 11 तक के उपबन्धों के अधीन हैं।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

(1) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों के जिन कर्मचारियों को सामान्य राजस्व से भुगतान नहीं किया जाता है वे इस प्रकार सरकारी कर्मचारी न होने के कारण, मूल नियम के अध्याय I से XI तक के उपबन्धों के अधीन आते हैं।

[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल, खण्ड I, अध्याय XIII का पैरा 1 (i) (पुनःमद्रित)]

(2) "सरकार द्वारा प्रशासनिक स्थानीय निधियों" अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे निकायों द्वारा प्रशासित निधियों से है जो विधि या विधि बल रखने वाले नियमों के द्वारा सामान्य कार्यवाही के संबंध में और न केवल बजट को मंजूर करना या विशेष पद का सृजन करना अथवा भरना या छुट्टी पेंशन या इसी प्रकार के नियमों को अधिनियमित करने जैसे विशिष्ट मामलों में सरकार के नियंत्रणाधीन आते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ऐसी निधियों से है जिनके व्यय पर सरकार का पूरा और प्रत्यक्ष नियंत्रण है।

[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुनःमद्रित) का भाग-I, अध्याय XII, पैरा 1 (ii)]

मूल नियम 129.—उन सरकारी सेवकों का स्थानांतरण, जो ऐसी स्थानीय निधियों के अधीन सेवा में हैं जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है, अध्याय 12 के नियमों द्वारा विनियमित होगा।

मूल नियम 130.—ऐसी स्थानीय निधि से जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है, सरकारी सेवा में स्थानांतरित व्यक्ति ऐसे माने जाएंगे मानो कि वे सरकार के अधीन किसी पहले पद का कार्यग्रहण कर रहे हों और उनकी पूर्व सेवा कर्तव्य के रूप में नहीं गिनी जाएगी। तथापि, केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में पूर्व सेवा को कर्तव्य के रूप में गिनी जाने के लिए, ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, अनुज्ञात कर सकेगी।

अनुभाग IV

अनुपूरक नियम

भाग I

सामान्य

प्रभाग I तथा II

अनुपूरक नियम 1 तथा 2—इस संकलन का भाग II देखें

प्रभाग III—सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश पर स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

(मूल नियम 10 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम)

अनुपूरक नियम 3 :– सरकारी सेवा के लिए स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

"मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने ——————विभाग में नियोजन के लिए अभ्यर्थी——————क, ख—————— की परीक्षा कर ली है और मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्हें ——————————के सिवाय (और कोई संक्रामक या अन्य बीमारी), शारीरिक गठन संबंधी कमजोरी या शारीरिक असमर्थता है। मेरी राय में यह——————के कार्यालय में नियोजन के लिए निर्हता नहीं है।"

भारत सरकार के आदेश

1. शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना/अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगाना :—जब किसी अराजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजा जाए तो परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड को, जहां तक अनपढ़ व्यक्तियों का संबंध है, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर उम्मीदवारों के अंगूठे तथा उंगलियों के निशान प्राप्त करने चाहिए। इन अन्तिम निशानों को बाद में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा-पुस्तिका में दिए गए निशानों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति के मामले में, जो अंग्रेजी, हिन्दी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में हस्ताक्षर कर सकता है, यह पर्याप्त होगा कि परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी, या बोर्ड चिकित्सा प्रमाणपत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में प्राप्त करें और इसके बाद उन हस्ताक्षरों को कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सेवा पुस्तिका में दिए गए हस्ताक्षरों से मिलाकर सत्यापित किया जाए।

[भारत सरकार, सी०आई०डी० का दिनांक 5 जनवरी, 1909 का पत्र संख्या 5463-183, वित्त विभाग का दिनांक 19 मई, 1928 का पत्र संख्या एफ 67-आर I/28, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 मार्च, 1964 का का०ज्ञा० संख्या एफ 20(2)-ईV(क)/64।]

2. उम्मीदवार द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र :—सरकारी सेवा में अराजपत्रित पद पर नियुक्तियों के मामले में यह निर्णय किया गया है कि जब किसी व्यक्ति की सरकारी सेवा के लिए अपनी शारीरिक स्वस्थता की जांच करवाना आवश्यक हो तो जिस प्राधिकारी ने स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निदेश दिया है उसे चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ नीचे दिए अनुसार एक घोषणापत्र भी संलग्न करना चाहिए, जो चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में संबंधित उम्मीदवार द्वारा भरा जाए।

उम्मीदवार का विवरण और घोषणा

उम्मीदवार अपनी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व निम्नलिखित विवरण देगा और संलग्न घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। उसका ध्यान विशेष रूप से नीचे टिप्पणी में दी गई चेतावनी की ओर आकृष्ट किया जाता है :—

1. अपना पूरा नाम लिखें (स्पष्ट अक्षरों में) ....
2. अपनी आयु तथा जन्म स्थान लिखें ....
3. (क) क्या आपको कभी चेचक निकली थी, आवधिक या अन्य कोई बुखार हुआ था, ग्रंथियों में अपवृद्धि हुई थी या पीप आई थी, थूक में खून आना, अस्थमा, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मूर्छा, गठिया उण्डुकपुच्छ हुआ था? ....

   या

   (ख) अन्य कोई बीमारी या दुर्घटना हुई थी जिसमें बिस्तर पर रहना और चिकित्सीय या शल्य उपचार आवश्यक था?

4. आपको पिछली बार टीका कब लगा था ? . . . .

5. क्या आप या आपका कोई निकट संबंधी क्षय रोग, कंठमाला, गाऊट, अस्थमा, दौरों, मिरगी या पागलपन से पीड़ित है ? . . . .

6. क्या आप अधिक कार्य या अन्य किसी कारण से किसी भी प्रकार की घबराहट से पीड़ित हुए हैं ? . . . .

7. क्या आपकी गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा की गई है और सरकारी सेवा के लिए आपको अयोग्य घोषित किया गया है ? . . . .

8. अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे भरें :—

यदि जीवित हों तो पिता की आयु और स्वास्थ्य कैसा है	मृत्यु के समय पिता की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य कैसा है	मृत भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि जीवित हो तो मां की आयु और स्वास्थ्य कैसा है ?	मृत्यु के समय मां की आयु तथा मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य कैसा है ?	मृत बहनों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सभी उत्तर मेरे विश्वास के अनुसार सही तथा ठीक हैं ।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह भी प्रतिज्ञात करता हूं कि मुझे किसी बीमारी या अन्य शर्त के कारण अयोग्यता प्रमाण-पत्र/पेंशन नहीं मिली है ।

. . . .
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

. . . .
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—उपर्युक्त विवरण की यथार्थता के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा । किसी सूचना को जानबूझकर छुपाने के कारण उसे नियुक्ति से हाथ धोने का जोखिम लेना पड़ेगा और यदि वह नियुक्त हो गया हो तो उसको अधिवर्षिता भत्ते और उपदान के सभी दावों से वंचित होना पड़ेगा ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 27 सितम्बर, 1957 का का० ज्ञा० संख्या एफ 5(11)-55-एम.II]

3. अराजपत्रित पदों में रोजगार के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड नहीं है.—अराजपत्रित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए दृष्टि क्षमता के अतिरिक्त शारीरिक स्वस्थता का कोई अन्य मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । चिकित्सा प्राधिकारी को भेजे गए पत्र में पदनाम तथा कार्य की प्रकृति निर्दिष्ट की जानी चाहिए तथा यह स्वास्थ्य परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह यह निर्धारित करे कि उम्मीदवार अपने विद्यमान स्वास्थ्य में अपेक्षित जिम्मेदारियां लगातार तथा कुशलता से वहन करने में योग्य हैं ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 17 दिसम्बर, 1957 का का० ज्ञा० संख्या 5 (II) 12/57-एमII]

4. कोई भी अयोग्यता न होने वाले मामले.— **(क) हकलाहट.**—हकलाहट को शारीरिक विकार नहीं माना जाएगा जिसे किसी लिपिकीय पद के किसी उम्मीदवार के लिए अयोग्यता माना जाए ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का 6 जून, 1985 का का० ज्ञा० संख्या 5(1) 55 एच-II]

(ख) **बहरापन.**—समूह "ग" अथवा समूह "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए शिल्पी श्रेणी अथवा हस्त या कुशल श्रम अथवा नेमी प्रकृति के कार्यों के लिए बहरा-गूंगापन अथवा गूंगापन अपने आप में अयोग्यता नहीं मानी जाए बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति अन्यथा स्वस्थ हो तथा पद को धारण करने के लिए योग्य हो ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का 28 जुलाई, 1950 का का० ज्ञा० संख्या 60/137/50 स्था०]

(ग) **एक आंख की दृष्टि न होना.**—अराजपत्रित पद पर सेवा के लिए एक आंख की दृष्टिहीनता अयोग्यता नहीं है बशर्ते कि दूसरी आंख के कार्य करने का पुर्वानुमान ठीक हो और क्षतिग्रस्त आंख की खराबी से इसकी दृष्टि में किसी खतरे की संभावना न हो तथा दृष्टि क्षमता का मानदण्ड पूरी तरह संतोषजनक हो ।

(घ) **भैंगापन.**—भैंगापन का होना अयोग्यता नहीं माना जाएगा बशर्ते कि वास्तविक दृष्टि क्षमता निर्धारित मानदण्ड की है ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 17 दिसम्बर, 1957 का का०ज्ञा० संख्या एफ 5(11)-12/57-एम. II]

(5) **शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार :**—(i) चिकित्सा प्राधिकारी के पास जांच के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामलों पर बहुत ही सहानुभूति से विचार करना चाहिए ।

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तथा जिनकी उन कार्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्डों द्वारा चिकित्सा परीक्षा कर ली गई है तथा जिन्हें किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए योग्य घोषित कर दिया गया हो, उन पदों पर उनकी नियुक्ति होने पर सरकारी सेवा में सामान्य चिकित्सा परीक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 15 जनवरी, 1958 का का० ज्ञा० सं० एफ 20/29/57-आर०पी०एस० तथा दिनांक 31 जुलाई, 1962 का सं० एफ 5/1/62-स्था० (घ) ।]

अनुपूरक नियम 4 (1)—ऐसा प्रमाण पत्र राजपत्रित सरकारी सेवक की दशा में चिकित्सक बोर्ड द्वारा, और वर्ग 4 से भिन्न के अराजपत्रित सरकारी सेवक की दशा में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सक अधिकारी या समतुल्य हैसियत के किसी चिकित्सक अधिकारी द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) (क) राजपत्रित पद पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी की दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सक बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके सदस्यों में से एक, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में से किसी एक में सम्मिलित की गई चिकित्सीय अर्हता वाली, महिला डाक्टर होगी, और,

(ख) किसी अराजपत्रित पद पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी की दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र (i) दिल्ली में अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम के अधीन किसी सहायक सिविल सर्जन श्रेणी I (महिला) द्वारा; और (ii) किसी अन्य स्थान में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) [1][भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 की अनुसूचियों में से किसी एक में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हता वाली रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) वर्ग 4 के सरकारी सेवकों की दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में से किसी एक में सम्मिलित की गई चिकित्सीय अर्हता वाले प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा और जहां ऐसा कोई प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक न हो वहां निकटतम औषधालय या अस्पताल के ऐसे अर्हित सरकारी चिकित्सीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(4) कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसका तीन मास से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए अस्थायी हैसियत में नियोजित किया जाना संभाव्य हो, इस नियम में यथाविहित सक्षम चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र नियोजन की तारीख से एक सप्ताह के पूर्व या भीतर पेश करेगा । तथापि, जहां तीन मास से अनधिक अवधि के लिए किसी कार्यालय में प्रारम्भ में अस्थायी हैसियत में नियोजित सरकारी सेवक तत्पश्चात् उसी कार्यालय में रख लिया जाता है या बिना व्यवधान के किसी अन्य कार्यालय को अन्तरित कर दिया जाता है और यह संभावना है कि सरकार के अधीन उसकी निरंतर सेवा की कुल अवधि तीन मास से अधिक होगी, वहां वह ऐसा प्रमाणपत्र उस कार्यालय में उसके रख लिए जाने की मंजूरी के आदेशों की तारीख से, या नए कार्यालय में कार्यग्रहण करने से, एक सप्ताह के भीतर पेश किया जाएगा ।

भारत सरकार के आदेश

(1) **राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य परीक्षा की क्रियाविधि:**—केन्द्रीय सरकार के अधीन राजपत्रित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा के मामले में, भविष्य में, अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई क्रियाविधि का पालन किया जाना चाहिए :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पहले से ही सेवा न कर रहे सभी व्यक्तियों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की जानी आवश्यक है ।

(ii) राजपत्रित या अराजपत्रित पद पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पहले से ही अस्थायी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों पर भी स्वास्थ्य परीक्षा के मामले में उपर्युक्त सामान्य नियम (1) यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा ।

किन्तु यदि, किसी व्यक्ति की अपनी पूर्ववर्ती नियुक्ति के संबंध में चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहले ही स्वास्थ्य परीक्षा की गई है और यदि नए पद के लिए निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा का मानक भी वही है तो उसके मामले में फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पणी 1—जो व्यक्ति सेवा में एक वर्ष से कम व्यवधान के पश्चात् दुबारा सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है, उसे इन आदेशों के प्रयोजन के लिए उसकी सेवा भंग की अवधि की गणना न करते हुए लगातार सेवा में माना

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 26 नवम्बर, 1977 की शुद्धि संख्या 1084 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

जाएगा। किन्तु, यदि सेवाभंग की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उसे सरकारी सेवा में नए सदस्य के रूप में समझा जाएगा।

टिप्पणी 2—जो व्यक्ति भिन्न-भिन्न पदों पर लगातार सेवा में है, उसे इन आदेशों के प्रयोजन के लिए उसी पद पर लगातार सेवा में माना जाएगा।

(iii) (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी राजपत्रित पद पर नियुक्त स्थायी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो जब केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी चिकित्सा बोर्ड से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है;

(2) राज्य में राजपत्रित पद पर नियुक्त राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी को जब केन्द्रीय सरकार के अधीन राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी चिकित्सा बोर्ड से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है;

(3) राज्य सरकार के स्थायी अराजपत्रित कर्मचारी को जब केन्द्रीय सरकार के अधीन राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी बोर्ड से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाना आवश्यक होगी किन्तु जब अराजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है तो कोई स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक नहीं होगी; और

(4) यदि नई नियुक्तियां करने के लिए भर्ती नियमों में सभी उम्मीदवारों के संबंध में दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा निर्धारित हो तो इस बात पर ध्यान किए बिना कि वे उसी या अन्य विभागों में पहले से ही स्थायी या स्थायीवत् सरकारी सेवा में हैं या उनकी नई नियुक्ति है, सीधे भर्ती किए गए/चुने गए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार और चिकित्सा प्राधिकार से स्वास्थ्य परीक्षा करवानी चाहिए; किन्तु निम्नलिखित मामलों में दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक नहीं होगी—

(क) जिस व्यक्ति की स्वास्थ्य परीक्षा निर्धारित मानक के अनुसार और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पहले ही की जा चुकी हो, चाहे वह व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती पद पर स्थायी, स्थायिवत् या अस्थायी हो; और

(ख) जो व्यक्ति उसी लाइन के पद पर पहले से ही स्थायी या स्थायीवत् कर्मचारी है और पदोन्नति कोटे की रिक्तियों की नई नियुक्ति पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के नाते वास्तव में इस प्रकार पदोन्नत किया गया हो।

अनुपूरक नियम 4-क के अधीन छूट उसी प्रकार दी जाती रहेगी जैसी कि इस समय वित्त मंत्रालय द्वारा यथा-वश्यक हो, गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से दी जाती है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अक्तूबर, 1950 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 53 (8)-ई V/50, दिनांक 12 फरवरी, 1960 का संख्या एफ 55 (11)-ई V/2/59 और दिनांक 5 जुलाई, 1962 का सं० एफ 15 (1)-ई V (ख)/62 तथा दिनांक 25 जनवरी, 1964 का अशासकीय संख्या 3617-ई (V)/ख/63।]

2. प्रतिकूल निष्कर्षों के विरुद्ध अपील का हक :—

(1) (क) प्रतिकूल स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट की सूचना देना :—पूर्ववर्ती आदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा उल्लेख की गई कमियों का विस्तृत ब्यौरा न देते हुए अस्वीकृति के कारण मोटे तौर पर सूचित किए जाएं। जिन मामलों में अस्वीकृति के कारणों का चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेख न किया गया हो, ऐसे मामले परामर्श के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे जाएं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28 नवम्बर, 1956 के का० ज्ञा० संख्या एफ 43(20)-ई.V/56 के साथ प्राप्त भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 17 नवम्बर, 1956 का का०ज्ञा० संख्या एफ 5 (11)-45/56।]

(ख) केवल निर्णय की संभावित गलती होने पर पुनः स्वास्थ्य परीक्षा :—सामान्यतः परीक्षा चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर संबंधित उम्मीदवार द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए साक्ष्य से सरकार का समाधान हो जाता है कि परीक्षा चिकित्सा प्राधिकारी के निर्णय में निर्णय की गलती है, तो जहां परीक्षा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड हो वहां दूसरे चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अन्य मामलों में किसी अन्य सिविल सर्जन, जिला चिकित्सा अधिकारी समतुल्य हैसियत के चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ या किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा, जैसा भी वह आवश्यक समझे, पुनः स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अनुमति दे सकती है।

[वित्त मंत्रालय स्थापना (विशेष) के दस्तावेज सं० 124 के भाग घ के नीचे पैरा 7(1), भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 18 जनवरी 1952 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(1)-27/51-एम II और भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 1 फरवरी 1962 का पृष्ठांकन संख्या 38/5/52-स्था०।]

(ग) निर्णय की संभावित भूल से संबंधित साक्ष्य मूल प्रमाणपत्र के संदर्भ में हो :— उपर्युक्त आदेश (ख) में दिए गए अनुदेशों के संदर्भ में, यह निर्णय किया गया है कि

यदि किसी उम्मीदवार या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड/सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी जिसने उसकी पहले स्वास्थ्य परीक्षा की थी, के निर्णय में भूल की सम्भाव्यता के बारे में कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो प्रमाणपत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस आशय की टिप्पणी दर्ज न की गई हो कि उसे इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि उम्मीदवार को चिकित्सा बोर्ड, सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी ने सेवा के लिए अयोग्य मानकर पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 27 मार्च, 1953 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(1)-6/53-एम-II]

(ड) सभी अपीलें स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएं :— क्रियाविधि में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सभी अपीलें पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएंगी और स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह परामर्श देगा कि क्या स्वास्थ्य परीक्षा वाले उस चिकित्सा प्राधिकारी की ओर से जिसने पहले स्वास्थ्य परीक्षा की थी, निर्णय देने में कोई गलती हुई है और अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं और यदि स्वीकार की जाती है तो ऐसी पुनः स्वास्थ्य परीक्षा कौन करेगा।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 26 अक्टूबर, 1956 का का० संख्या एफ 5 (II)-45/56-एम-II]

(ङ) नजर कमजोर होने के कारण अयोग्यता के मामले में विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा :— यदि कोई उम्मीदवार नजर कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा की गई अपील पर विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें तीन नेत्रविज्ञानी शामिल होंगे। सामान्यतः विशेष चिकित्सा बोर्ड के निर्णय को अन्तिम समझा जाएगा किन्तु संदेहास्पद मामलों में, और अतिविशेष परिस्थितियों में दुबारा अपील करने की अनुमति होगी।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 17 दिसम्बर, 1957 का का०ज्ञा० संख्या एफ 5(8)-12/57-एम 6 (भाग-II)]

(च) पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपील करने की समय-सीमा :—उपर्युक्त आदेश (ख) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपीलें अपने मामले के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य के साथ चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा बोर्ड के निर्णय उम्मीदवार/सरकारी कर्मचारी को सूचित किए गए पत्र के जारी होने की तारीख के एक महीने के भीतर भेजी जानी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 23 जून, 1953 के का० ज्ञा० संख्या 61(5)-ई० V53 साथ परिचालित भारत सरकार, के स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 1 मई, 1953 का का०ज्ञा० सं० एफ 7(1)-10/53-एम-II]

(छ) अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी कर्मचारियों के मामले में क्रियाविधि :—(1) भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (2) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, ऐसे उम्मीदवारों सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें सिविल सर्जन आदि द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, चिकित्सा अधिकारियों आदि के निर्णय उन्हें सूचित किए जाने वाले पत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। जबकि सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि उनकी अपील स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, दूसरे या उत्तरवर्ती चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उन्हें स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में, क्या क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए इस संबंध में अब निम्नलिखित प्रश्न उठाए उठाये गए हैं :—

(क) क्या उसे (i) प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तत्काल या (ii) सिविल सर्जन आदि के निर्णयों की उसे सूचना दिए जाने की तारीख से एक महीने बाद सेवा से निकाल दिया जाना चाहिए, या

(ख) क्या उसे तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि अपील बोर्ड उसके अनुरोध को अस्वीकार न कर दे अथवा यदि अपील के लिए उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है तो जब तक कि अपील बोर्ड का गठन नहीं हो जाता और वह अपना निर्णय न दे दे।

(2) उपर्युक्त प्रश्नों की विस्तृत जांच करने के पश्चात् अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को निपटाने के लिए नीचे के पैराग्राफ 3 से 5 में दी गई क्रियाविधि का पालन किया जाना चाहिए।

(3) सामान्यतः, किसी अधिकारी की स्वास्थ्य परीक्षा उसकी नियुक्ति से पहले की जानी चाहिए। फिर भी, कतिपय मामलों में, जब किसी अधिकारी को कार्य या प्रशिक्षण के लिए तत्काल कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक हो तो चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही नियुक्ति पहले की जा सकती है यद्यपि नियुक्ति अधिकारी के स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य घोषित होने की शर्त पर होगी। ऐसे सभी मामलों में जब अधिकारी स्वास्थ्य परीक्षा होने पर अयोग्य घोषित हो जाता है और वह उपर्युक्त आदेश (2) के आधार पर अपील करता है तो उसे मामले में अन्तिम निर्णय होने तक सेवा में बनाए रखा जाएगा।

(4) इसी प्रकार, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसकी नियुक्ति निम्नतर प्राधिकारी द्वारा

दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे प्रमाणपत्र के बिना अस्थायी आधार पर की जाती है, यह आवश्यक है कि उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए। यदि उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी यह निर्णय देता है कि संबंधित व्यक्ति सेवा में बनाए रखने के योग्य बिल्कुल नहीं है और यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपील करता है तो संबंधित व्यक्ति को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी का निर्णय मालूम न हो जाए। यदि आगे स्वास्थ्य परीक्षा करने के अनुरोध को स्वीकार न करने का निर्णय किया जाता है तो अधिकारी की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

(5) यह बात भी ध्यान में लाई गई है कि उपर्युक्त आदेश में दिए गए अनुदेशों का सामान्यतः कई मामलों में पालन नहीं किया जाता है। उपर्युक्त पैराग्राफ में दी गई क्रियाविधि का उचित पालन करने के लिए आवश्यक है कि अस्वस्थता से संबंधित सूचना प्राप्त होते ही संबंधित व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ तत्काल भेजी जानी चाहिए कि यदि उम्मीदवार/संबंधित सरकारी कर्मचारी को कोई अपील करनी हो तो सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड के निर्णयों की सूचना दिए जाने के एक महीने के भीतर ही की जानी चाहिए और यदि सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड के निर्णय में जिसने उनकी पहले जांच की थी, किसी भूल की संभाव्यता के बारे में साक्ष्य के रूप में चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश किया जाता है तो प्रमाणपत्र के साथ संबंधित चिकित्सा व्यवसायी की इस आशय की टिप्पणी अवश्य होनी चाहिए कि इस बात को पूर्णतः ध्यान में रखा गया है कि उम्मीदवार को सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड ने सेवा के लिए पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया है।

यदि उम्मीदवार/सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड के निर्णयों की सूचना दिए जाने की तारीख के एक महीने के भीतर कोई अपील नहीं की जाती है तो उसकी सेवा एक महीने की अवधि समाप्त होने पर, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और सामान्यतः उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर कोई अपील करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 13 दिस० 1955 का का० ज्ञा० संख्या 5(35)/55-एच०II]

["अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित मामलों से संबंधित आदेशों के लिए देखें मूल नियम 10 के नीचे आदेश (3)।]

3. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, अंशकालिक और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों पर लागू होना:—अंशकालिक कर्मचारियों को भी उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वस्थता प्रमाणपत्र पेश करना आवश्यक है जिस प्रकार पूर्णकालिक कर्मचारी पेश करते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा फीस यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड को स्वास्थ्य परीक्षा दी जाती है तो उसकी उसे सामान्य तरीके से प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 24 मार्च, 1954 का का० ज्ञा० सं० एफ (45) 1-ईV/64]

टिप्पणी 1:—उपर्युक्त निर्णय डाक तार विभाग के अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों/आकस्मिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अंशकालिक कर्मचारी समझा जाता है।

[डाक तार महानिदेशालय का दिनांक 17 दिसम्बर, 1954 का पत्र संख्या एस०पी०बी० - 61-10/54]

टिप्पणी 2:—यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों और अन्य अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अन्तर्लयन हो जाने पर उनकी स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि :—

(i) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों या अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में उनकी नियुक्ति के समय उनकी स्वास्थ्य परीक्षा ऐसे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा की गई हो जिन्हें नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पदों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए निर्धारित मान्यता दी गई है जिस पद पर उनकी नियुक्ति बाद में की जाती है।

(ii) अंश-कालिक कर्मचारियों या अतिरिक्त विभागीय एजेंटों और नियमित कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा के बीच कोई व्यवधान न हो।

[वित्त, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से जारी किया गया डाक तार महानिदेशक का दिनांक 20 जुलाई, 1961 का परिपत्र संख्या 34/1/60-एस०पी०बी०- और डाक तार महानिदेशक का दिनांक 30 सितम्बर, 1965 का पत्र संख्या 34/5/65-एस०पी०बी०I]

टिप्पणी 3:—यह निर्णय किया गया है कि कार्यप्रभारित स्थापनाओं में मासिक दरों पर कर्मचारियों की सभी भर्ती नियमित स्थापना के तदनुरूप ग्रेडों के कर्मचारियों की भर्ती की शर्तों के अनुरूप होगी।

[महानिदेशक डाक तार का दिनांक 1 फरवरी, 1955 का परिपत्र संख्या एस०टी०बी० 20-66/54, वित्त मंत्रालय (सी) का दिनांक 25 सितम्बर, 1962 का अशासकीय पत्र संख्या 5428/पी टी-I/62]

4. अवैतनिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने की शर्त :—यह निर्णय किया गया है कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए और उसके बाद के अवसरों पर, यदि कोई हो, अपेक्षित

शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र तदनुरूप सरकारी चिकित्सा अधिकारी के समकक्ष स्तर के अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है और उसे स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा प्रमाणपत्र उस राज्य की सरकार द्वारा जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन उम्मीद्वार की नियुक्ति की जाती है या जिसमें उसकी स्वास्थ्य परीक्षा का प्रबन्ध किया जाता है, अपने निजी कर्मचारियों के संबंध में उसी प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जाता हो।

इस प्रयोजन के लिए अवैतनिक चिकित्सक/सर्जन को सिविल सर्जन के समकक्ष और अवैतनिक सहायक सर्जन को सहायक सर्जन के समकक्ष समझा जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 30 मार्च, 1963 का का०ज्ञा० संख्या एफ 15(1)-ईV/(ख)/63]

5. अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा.—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से यह फैसला किया गया है कि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ऐसे सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड–I को जो दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अस्पतालों में प्रभारी हैं, तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड–II अधिकारियों को सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारियों के समकक्ष माना जा सकता है तथा उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 26 सितम्बर, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17011/12/79-एम०एस०]

6. जहां सेवा में व्यवधान एक वर्ष से अधिक न हो वहां अराजपत्रित कर्मचारियों की नए सिरे से चिकित्सा जांच के बिना पुनः नियुक्ति.—एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या एक वर्ष से अनधिक के व्यवधान के पश्चात् सरकारी सेवा में नए सिरे से नियुक्त किए गए अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त आदेश (1) के पैराग्राफ 1 (ii) के नीचे टिप्पणी–1 में दिए गए आदेशों के अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षा के प्रयोजन के लिए लगातार सेवा में माना जा सकता है या नहीं। अब यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त टिप्पणी में दिए गए आदेश अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे, बशर्ते कि सेवा में व्यवधान चिकित्सा के कारणों या त्यागपत्र के कारण न हुआ हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 18 फरवरी, 1960 का का०ज्ञा० संख्या एफ 55(5)-ईV/(ख)/59 और दिनांक 25 जनवरी, 1964 का अशासकीय पत्र संख्या 3617-ई V/(ख)/63]

7. गर्भावस्था की स्थिति में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति.—यह निर्णय किया गया है कि जब परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चल जाये कि अमुक महिला उम्मीदवार 12 सप्ताह या अधिक समय से गर्भवती है तो उसे प्रसव पूरा होने तक अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए। प्रसव की तारीख के 6 सप्ताह पश्चात् स्वस्थता प्रमाणपत्र के उद्देश्य से उसकी पुनः स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी, बशर्ते कि वह किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 12 दिसम्बर 1968 का का०ज्ञा० संख्या एफ 5-21/68-एम०ए० तथा दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 का का०ज्ञा० संख्या 5-15/71 एम०ए०]

यह देखा गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने ऊपर दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया है और कुछ महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था का काफी समय बीत जाने के बाद भी नियुक्त किया गया है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि जो महिला उम्मीदवार परीक्षा के परिणामस्वरूप 12 सप्ताह या अधिक समय से गर्भवती पायी जाएगी उसे अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति प्रसव पूरा होने तक स्थगित रखी जाएगी।

प्रसव की तारीख के छः सप्ताह पश्चात् स्वस्थता प्रमाण-पत्र के उद्देश्य से उसकी पुनः परीक्षा की जाएगी बशर्ते कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे। जिस रिक्ति के लिए महिला उम्मीदवार को चुना गया था उस रिक्ति को उसके लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रसव की तारीख के छः सप्ताह पश्चात् स्वस्थता की दृष्टि से उसकी पुनः परीक्षा की जाएगी। यदि वह स्वस्थ पाई जाती है तो उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और गृह मंत्रालय के दिनांक 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर०पी०एस० (अमुद्रित) के अनुलग्नक के पैरा 4 के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

[भारत सरकार, कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 19 जुलाई, 1976 का का०ज्ञा० संख्या 14034/5/75-स्था०(घ)]

टिप्पणी:—यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आदेश डाक तार विभाग की सभी सेवाओं और पदों पर लागू होते हैं।

[डाक तार महानिदेशक, नई दिल्ली का दिनांक 28 जुलाई, 1969 का पत्र संख्या 34/1/68-एस०पी०बी०आई०]

8. कुष्ठ रोग से ग्रस्त उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा.—उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 24 अक्तूबर, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(II)-41/56-एम.II (अनुमुद्रित) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और कुष्ठ रोग के क्षेत्र में ज्ञान और उपचार की प्रगति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि कुष्ठ रोग से

ग्रस्त उम्मीदवारों को, जिन्हें अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा "नियंत्रित" रोगी या "रोगमुक्त" के रूप में घोषित किया गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन लोक सेवाओं के लिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य नहीं माना जाना चाहिए:—

(i) सरकारी सेवा में प्रारंभिक नियुक्ति हेतु शारीरिक स्वस्थता के लिए समय-समय पर नियमों में निर्धारित उपयुक्त स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा सामान्य चिकित्सा जांच के अतिरिक्त, उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिट या अस्पताल में कार्य कर रहे कुष्ठरोग के सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा या मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग प्रशिक्षण केन्द्र से कुष्ठ रोग में प्रशिक्षित जिला कुष्ठ रोग के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसने कम से कम पांच वर्ष तक कुष्ठ रोग का निदान और उपचार किया हो;

(ii) कुष्ठ रोग का जो सरकारी चिकित्सा अधिकारी प्रथम नियुक्ति के समय उम्मीदवार की परीक्षा करता है उसे विशेष रूप से यह प्रमाणित करना चाहिए कि संबंधित उम्मीदवार ने पूरा उपचार करवाया है और उसे "नियंत्रित रोगी" के रूप में घोषित किया गया है तथा यह सत्यापन रोगी के उपचार के उपलब्ध रिकार्डों तथा प्रमाणपत्र और रोगी की नैदानिक तथा जीवाणु-संबंधी परीक्षा के आधार पर किया जाए।

(iii) मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से कुछ विशेष पदों को जिनके लिए उच्च स्तर की शारीरिक स्वस्थ्यता आवश्यक है, अलग रख सकते हैं किन्तु ऐसा अलगाव कम से कम होना चाहिए, क्यों कि इस आदेश का मुख्य प्रयोजन अहानिकर कुष्ठ रोगियों और जनता के बीच मनोवैज्ञानिक व्यवधान को समाप्त करना है। इस स्थिति की पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(iv) ऐसे व्यक्तियों की भर्ती के समय प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षा के अतिरिक्त यह जांच करने के लिए वार्षिक (प्रारंभिक नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए) स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा बताई गई औषधि यदि कोई हो, की अपेक्षित खुराक ली है, जिसने उसे नियंत्रित रोगी के रूप में घोषित किया था और नियंत्रित रोग की स्थिति बनाये रखी गई है। यदि किसी भी समय स्वास्थ्य परीक्षा से यह पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति को संक्रामक रोग दुबारा हो गया तो ऐसे मामलों को उन्हें इलाज के लिए छुट्टी देने के प्रयोजन से सामान्य नियमों के अधीन निपटाया जाना चाहिए और रोगी को संक्रामक-मुक्त करने के लिए यदि इलाज की अवधि तीन वर्ष के बाद भी जारी रखनी आवश्यक हो तो उसे सेवा से असमर्थ समझा जा सकता है।

(v) ऐसे सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण के लिए कार्रवाई दो वर्ष के बाद ही की जाए, जिसके दौरान वह संक्रामक रोग से मुक्त रहा है और रोग नियंत्रित या उपचारी स्थिति में बना हुआ है।

संदेहास्पद मामले या जिन मामलों में उपर्युक्त क्रिया-विधि का पालन करना आवश्यक न हो, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 25 जून, 1980 का का० ज्ञा० संख्या ए/17011/6/79-एम० एस० I]

9. स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित व्यक्ति की अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्ति.—कार्मिक अधिकारियों की पुस्तिका के उद्धरणों का (नीचे मुद्रित) का हवाला दिया जाता है। जो टी० बी० और प्ल्यूरिसी/कुष्ठ रोग के पुराने रोगियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य हो जाने पर सरकारी सेवा में उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ध्यान में ऐसे बहुत से दृष्टांत आए हैं, जहां व्यक्ति उन पदों के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य हो गए हैं, जिनके लिए उनकी भर्ती की गई थी। इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या उनके मामले में अन्य ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, जिनके लिए वे उपयुक्त पाए जाएं और कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि समूह "ग" अथवा "घ" के ऐसे अधिकारी के मामले में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उस पद के लिए अयोग्य माना गया हो, जिस पद पर वह कार्य कर रहा है, और जिससे उसे कार्यमुक्त किए जाने का प्रस्ताव है अथवा कार्यमुक्त कर दिया गया है तो जहां कहीं व्यवहार्य हो उन रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की शर्तों पर जोर डाले बिना ऐसे किसी अन्य समान/समकक्ष पद के लिए विचार किया जा सकता है जिसके लिए सीधी भर्ती के कोटे के उद्देश्य से उसे उपयुक्त पाया जाये। केन्द्रीय सरकार के अधीन उसकी पहली सेवा को उसकी वास्तविक आयु से घटा दिया जाये और इस प्रकार परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उसके संबंध में यह मान

लिया जाना चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा की शर्त को पूरा करता है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का दिनांक 30 अक्तूबर, 1980 का का० ज्ञापन संख्या 14034/1/80 स्था० (घ)]

I. कार्मिक अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय IV से उद्धरण।

3.4. टी० बी० के पुराने रोगी, जिन्हें टी० बी० से पीड़ित होने के कारण केन्द्रीय सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था किन्तु जिन्हें बाद में टी० बी० विशेषज्ञ द्वारा या प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा रोग से मुक्त तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है तो अपने द्वारा धारित पूर्ववर्ती पद पर यदि रिक्ति विद्यमान हों या अपने ही विभाग में समकक्ष पदों पर पुनर्नियुक्ति के हकदार है तथा आयु सीमा की सामान्य शर्त उनके मामले में लागू नहीं है। ऐसे व्यक्ति जहां कहीं उपयुक्त रिक्तियां हों रोजगार कार्यालयों के हस्तक्षेप के बिना ही संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा पुनर्नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे। यदि ऐसे व्यक्तियों को रिक्तियां न होने के कारण संबंधित मंत्रालय/विभाग में पुनर्नियुक्त न किया जा सके तो उन्हें रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए तथा आयु-सीमा में छूट देने के प्रयोजन के लिए इन व्यक्तियों को "छंटनी किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों" के रूप में समझा जाएगा।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 जुलाई, 1954 का का०ज्ञा० संख्या 37/1/52-डी०जी०एस०]

3.5 ल्यूसिरी-कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण बर्खास्त किए गए तथा बाद में रोगमुक्त और स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रोजगार कार्यालयों के हस्तक्षेप के बिना संबंधित मंत्रालय/विभाग में उसी या समकक्ष पदों पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का का०ज्ञा० संख्या 37/1/52-डी०जी०एस० तथा दिनांक 29 सितम्बर, 1956 का का०ज्ञा० सं० 13/4/-56-आर०पी०एस० और दिनांक 14 जुलाई, 1958 का का०ज्ञा० संख्या 13/4/57-आर०पी०एस०]

II. चिकित्सा जांच परीक्षण पर पुस्तिका के खण्ड IV के अध्याय V से उद्धरण।

17 (iv) ऐसे व्यक्तियों की उन्हीं पदों पर पुनर्नियुक्ति होने पर जिससे वे कार्यमुक्त हुए हों, उनके द्वारा वास्तविक पिछली सेवा पेंशन तथा वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा मानी जाएगी और वेतन के उद्देश्य के लिए उन्हें उसी स्थान पर रखना चाहिए जिस पर वे सेवा से कार्यमुक्त होने के समय थे। फिर भी, सेवा से कार्यमुक्त होने की तारीख तथा उनकी पुनर्नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा का व्यवधान किसी उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। परन्तु अन्य सेवा अन्यथा व्यवधान रहित मानी जाएगी। अन्य पदों पर ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता का नियतन गृह मंत्रालय के परामर्श से होगा तथा उनके वेतन का नियतन वित्त मंत्रालय की सलाह से किया जाएगा।

[गृह मंत्रालय का 8 मई, 1956 का का० ज्ञा० संख्या 13/1/56-आर०पी०एस०]

अनु० नियम 4—क. जहां के सिवाय जहां कोई सक्षम प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे, निम्नलिखित वर्गों के सरकारी सेवकों को स्वस्थता के चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश करने से छूट दी जाती है:—

(1) [1](i) विलोपित किया गया।

(ii) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती किया गया सरकारी सेवक, जिसको सरकार की सेवा में नियुक्ति के लिए विहित विनियमों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षा करानी पड़ी हो।

(2) थामसन महाविद्यालय रूड़की का कोई अर्हित विद्यार्थी जो महाविद्यालय के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर उसे दिए गए स्वस्थता प्रमाण पत्र की तारीख से अठारह मास के भीतर लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया हो।

(3) तीन मास से अनधिक अवधि के लिए किसी अस्थाई रिक्ति में नियुक्त सरकारी सेवक।

(3-क) भारतीय डाक-तार विभाग का चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी जिसका अपने ग्रेड में 15-5-1942 से पूर्व स्थायीकरण हो गया हो, श्रेणी-III में पदोन्नति होने पर बशर्ते कि अछूत बीमारियों के संबंध में उसकी चिकित्सा जांच की गई हो।

(4) वह अस्थायी सरकारी सेवक जिसकी चिकित्सीय परीक्षा एक कार्यालय में हो चुकी है, यदि उसको सेवा में व्यवधान के बिना उसे दूसरे कार्यालय में अन्तरित कर दिया जाता है।

(5) निवृत्ति के तुरन्त पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवक।

टिप्पणी 1.— (क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करना तब आवश्यक है जब—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी स्थायी निधि से संदत्त अनर्हक सेवा से सरकारी सेवा के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति त्यागपत्र देने के पश्चात् या पिछली सेवा के समपहृत हो जाने के बाद पुनर्नियुक्त किया जाता है।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 1971 के आदेश संख्या 18(13)-ई iv/(क)/70 द्वारा विलोपित किया गया।

(ख) जब कोई व्यक्ति उपर्युक्त खण्ड (क) (2) में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में पुर्नानियुक्त किया जाता है तो नियोक्ता प्राधिकारी यह निर्णय करेगा कि चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं।

टिप्पण 2 :—विलोपित किया गया।

भारत सरकार के आदेश

1. प्रशिक्षण पर जाने से पहले स्वास्थ्य परीक्षा :—यह निर्णय किया गया है कि डाक तार विभाग में अधीनस्थ सेवा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रशिक्षण पर जाने से पहले स्वस्थता प्रमाणपत्र अवश्य पेश करना चाहिए।

[एफ०ए० (सी०एस०) का दिनांक 10 मार्च, 1941 का पृष्ठांकन संख्या ई०एस० बी-2I/41]

2. त्यागपत्र देने के पश्चात् नई नियुक्ति होने पर स्वास्थ्य परीक्षा :—टिप्पणी 1 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अपवाद स्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि त्यागपत्र देने के पश्चात् पुर्नानियुक्त किसी व्यक्ति को स्वस्थता प्रमाणपत्र पेश करने से उस स्थिति में छूट दी जानी चाहिए जबकि त्यागपत्र सरकारी या अर्द्ध सरकारी निकाय के अधीन ऐसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए दिया गया हो जिसके लिए उसने आवेदन उपयुक्त विभागीय प्राधिकारी के अनुमोदन और माध्यम से दिया था, बशर्ते कि उसकी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की गई हो तथा उसे ऐसे चिकित्सा मानकों के अनुसार योग्य घोषित किया गया हो जो उसके नए पद के लिए अपेक्षित स्तर से कम न हों।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 का का० ज्ञा० संख्या एफ 67(22)-ई.V/60]

टिप्पणी :—ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिस पर उपर्युक्त उपबन्ध लागू होता है, नियुक्ति प्राधिकारी नये पद के लिए पिछले नियोक्ता से यह पता करेगा कि क्या ऐसे कर्मचारी की किसी उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित स्तर की यदि कोई हो, स्वास्थ्य जांच की गई है।

[स्वास्थ्य परीक्षा पुस्तिका का स्पष्टीकरण II पैरा 3, अनुभाग I, भाग I, दूसरा संस्करण।]

3. अन्य विभाग में राजपत्रित पद पर प्रतिनियुक्ति होने पर स्वास्थ्य परीक्षा :—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भारत सरकार के अन्य विभाग में राजपत्रित पद पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकारी अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा बोर्ड से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उनकी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की गई हो और उन्हें उनकी पहली नियुक्ति पर कार्य करने के लिए योग्य घोषित किया गया हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 18 अगस्त, 1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(2)-ई V (ख)/62]

भाग I-क—वेतन

प्रभाग III-क—स्थानापन्न वेतन

[मूल नियम 2 के अधीन और मूल नियम 35 के संदर्भ में बनाए गए नियम]

[1]अनुपूरक नियम 4 ख. विलोपित किया गया।

भाग II—वेतन में परिवर्तन

प्रभाग IV—प्रतिकारात्मक भत्तों का लिया जाना

[मूल नियम 44 और 93 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम]

सामान्य :

अनुपूरक नियम 5 :—इस प्रभाग में नियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी पद से संलग्न प्रतिकारात्मक भत्तों का सरकारी सेवक द्वारा लिया जाना उसी समय समाप्त हो जाएगा जब वह उस पद को रिक्त कर देता है।

अनुपूरक नियम 6 :—इस प्रभाग में—

(क) **"छुट्टी" से अभिप्रेत है कुल छुट्टी यदि वह चार मास से अधिक नहीं है और यदि छुट्टी की वास्तविक अवधि उस अवधि से अधिक है तो छुट्टी के प्रथम चार मास किन्तु निवृत्ति पूर्व छुट्टी उसके अन्तर्गत नहीं है।**

(ख) **"अस्थायी अन्तरण" से किसी दूसरे आस्थान में कर्तव्य पर कोई अन्तरण, जो 4 मास से अनधिक अवधि के लिए अभिव्यक्त किया गया हो, अभिप्रेत है। इस प्रभाग के प्रयोजन के लिए इसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति भी है। चार मास की सीमा के अधीन रहते हुए, प्रतिकारात्मक भत्ते का हक, यदि अस्थायी कर्तव्य तत्पश्चात् कुल चार मास से अधिक बढ़ा दिया जाता है तो, बढ़ाए जाने के आदेशों की तारीख तक वैसा ही बना रहेगा।**

टिप्पणी:—किसी भी मामले में जब तक इन नियमों में स्पष्टतः अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो तब तक कार्यभार ग्रहण अवधि को इन नियमों में उपबन्धित चार महीने की अवधि में शामिल किया जाए।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 1971 के आदेश संख्या 18(13)-ई. IV (क)/70 द्वारा विलोपित किया गया।

लेखा-परीक्षा अनुदेश

(1) जब लम्बा अवकाश छुट्टी के साथ मिलाया गया हो तो अवकाश और छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि को अनुपूरक नियम 6 (क) के प्रयोजन के लिए छुट्टी की एक अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक के खण्ड II (पुनःमुद्रित) का पैरा 4(i)]

(2) अनुपूरक नियम 6 (क) में यथा परिभाषित "छुट्टी" में असाधारण छुट्टी शामिल है।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक के खण्ड II (पुनःमुद्रित) का पैरा 4(ii)]

[1]**अनुपूरक नियम 6-क—विलोपित किया गया।**

[1]**अनुपूरक नियम 6-ख—विलोपित किया गया।**

[1]**अनुपूरक नियम 6-ग—विलोपित किया गया।**

[2]**अनुपूरक नियम 6-घ—विलोपित किया गया।**

अनुपूरक नियम 7.—घोड़ा या कोई अन्य पशु रखे जाने की शर्त पर, इस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया कोई भत्ता, छुट्टी या अस्थायी अन्तरण के दौरान भी लिया जा सकेगा यदि :—

(i) **छुट्टी या अन्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि छुट्टी या अस्थायी कर्तव्य की समाप्ति पर सरकारी सेवक का उस पद पर, जहां से वह छुट्टी पर, अग्रसर हुआ है या अन्तरित हुआ है, लौट आना या ऐसे किसी पद पर नियुक्त हो जाना संभाव्य है जहां पशु रखना उस सरकारी सेवक की दक्षता की दृष्टि से फायदाप्रद होगा, और**

(ii) **सरकारी सेवक यह प्रमाणित करता है कि उस अवधि के दौरान जिसके लिए दावा किया गया है, वह पशु रखे रहा और उसने उसके रखने पर दावा-कृत रकम खर्च की।**

लेखापरीक्षा अनुदेश

सभी गलतफहमियों को दूर करने के उद्देश्य से छुट्टी या स्थानान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी मंजूरी के आदेश के साथ सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पद या स्टेशन पर लौटने की संभाव्यता के बारे में आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करेगा।

[लेखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनःमुद्रित खण्ड) II का पैरा 5]

नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के निर्णय

(1) नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने भारत सरकार की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के पद या स्टेशन पर लौटने की संभाव्यता प्रमाण पत्र को लेखा-परीक्षा में स्वीकार करने के लिए वैध प्रमाणपत्र के रूप में नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाणपत्र छुट्टी या स्थानान्तरण की मंजूरी के मूल आदेश के साथ मूलतः संलग्न नहीं है, सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें सरकारी कर्मचारी के छुट्टी या अस्थायी स्थानान्तरण पर जाने के लिए वास्तविक रूप से कार्यभार सौंपने से पहले ऐसा आदेश संशोधित कर दिया गया हो।

[नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 17 जनवरी, 1935 का पत्र सं० 15-ए/236-34 और दिनांक 4 नवम्बर, 1943 का पत्र संख्या 581/ए/211-43]

(2) यदि छुट्टी की मूल स्वीकृति वास्तव में घटनाओं के बाद अर्थात् उस समय स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने पर दी जाती है तो वापस लौटने की संभावना के संबंध में प्रमाणपत्र जो कि तर्कसंगत रूप में भूतकाल में होना चाहिए, उस कारण से लेखा-परीक्षा में अ-स्वीकार्य नहीं होगा। लेखा-परीक्षा के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से केवल इस आशय का एक लिखित आश्वासन अपेक्षित है कि मूल छुट्टी की औपचारिक मंजूरी की अवधि तक उस कर्मचारी का किसी अर्हक पद पर रिपोर्ट करना अभिप्रेत है यह तथ्य कि छुट्टी को छुट्टी से लौटने पर इस प्रकार नियुक्त किया गया तर्कसंगत रूप में समर्थक है किन्तु इस आशय का निर्णायक साक्ष्य नहीं है क्योंकि मंजूरीदाता प्राधिकारी का अभिप्राय तभी होता जबकि उसे अनुपस्थित के तथ्य का पहले ही पता चल जाता किन्तु छुट्टी समाप्त होने के पहले ही अपनी इच्छा बदल दी गई। अतः अर्हक पद पर वापसी का तथ्य अभिप्रायः की घोषणा की आवश्यकता के साथ ही समाप्त हो जाता है, सही नहीं है और न ही लेखा-परीक्षा को आपत्ति करने का हक होगा। यदि मंजूरी में अनावश्यक रूप से विलम्ब न करते हुए तर्कसंगत रूप में प्रमाणपत्र भूतकाल में दिया गया हो।

[नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का दिनांक 21 मार्च, 1941 का पृष्ठांकन संख्या 151-ए/40-41]

(3) एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या यह मानना उचित नहीं है कि छुट्टी की अवधि के दौरान

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 1971 के आदेश संख्या 18(13)-ई IV/(क)/70 द्वारा विलोपित किया गया।

यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि मुख्य नियम अनु० नियम 6-क, 6-ख, 6-ग से संबन्धित उपबन्ध विलोपित हो गए हैं। इसलिए उनके नीचे दी गई डाक तार विभाग द्वारा अन्तःस्थापित की गई टिप्पणियां उससे संबंन्धित निर्णय स्वतः विलुप्त हो गए हैं। टिप्पणियां तथा निर्णय, जो केवल डाक तार विभाग पर ही लागू हैं, डाक तार विभाग की स्थानीय नियम-पुस्तक अर्थात डाक तार विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति और भत्ता नियम-पुस्तक में सम्मिलित किए जाएं।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का श्री पी० मुथुस्वामी को संबोधित दिनांक 2 जून, 1971 का पत्र सं० 2012-ई II (ख)/71]

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, शुद्धि पत्र सं० 867(एस०आर०)/दिनांक 7-6-62 द्वारा विलोपित)।

होने वाली पुनः तैनाती की सम्भावना के तत्व में परिवर्तन से प्रतिपूरक भत्ते की स्वीकार्यता पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात्—

(क) श्री आर० ——————————बम्बई में किसी पद पर कार्य करते समय 45 दिन के लिए औसत वेतन पर छुट्टी चला गया। छुट्टी की मूल स्वीकृति में इस आशय का एक प्रमाणपत्र रिकार्ड किया गया कि छुट्टी के समाप्त हो जाने पर उसे उसी पद पर दुबारा तैनात किए जाने की संभावना है। छुट्टी की समाप्ति से पहले उसे जयपुर में तैनात करने के लिए नए आदेश जारी किए गए।

(ख) श्री एस० ——————————कलकत्ता में किसी पद पर कार्य करते समय एक महीने के लिए अर्जित छुट्टी पर गया है। छुट्टी की मूल स्वीकृति में यह उल्लेख किया गया था कि छुट्टी की समाप्ति पर उसे शिलांग में तैनात कर दिया जाएगा। छुट्टी की समाप्ति से पहले उसे कलकत्ता में उसी पद पर वापस आने के आदेश जारी कर दिए गए।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उपर्युक्त निर्णय (2) के अधीन, छुट्टी की स्वीकृति के समय सक्षम प्राधिकारी के मूल अभिप्राय पर जोर दिया गया है और इस अभिप्राय से यह पता चलता है कि बाद में सक्षम प्राधिकारी के अभिप्राय में परिवर्तन हो जाने से प्रतिपूरक भत्तों का हक छुट्टी के दौरान अप्रभावित रहता है। तदनुसार भारत सरकार की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि छुट्टी के दौरान प्रतिपूरक भत्ते की मंजूरी छुट्टी के प्रारम्भ होने से पहले जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र के अनुसार विनियमित की जानी चाहिए न कि छुट्टी के प्रारम्भ होने के पश्चात् जारी किए गए संभावित परिवर्तन वाले संशोधित आदेशों के संदर्भ में।

[नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 10 दिसम्बर, 1952 का पृष्ठांकन संख्या 1169-ए-357-52]

अनुपूरक नियम 7-क.—ऐसा सवारी भत्ता, जिसके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि घोड़ा या अन्य पशु रखा जाए, छुट्टी या अस्थायी अन्तरण या छुट्टी के पहले या अन्त में जोड़े हुए अवकाश दिनों के दौरान अनुज्ञेय नहीं है।

अनुपूरक नियम 7-1 ख.—(1) जिसके विनियमन के लिए नियम 6 क* से 7 क तक और नियम 23 में से किसी में उपबन्ध किया गया है। उससे भिन्न प्रतिकारात्मक भत्ता, छुट्टी या अस्थायी अन्तरण के दौरान लिया जा सकेगा, यदि—

(क) छुट्टी या अन्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि छुट्टी या अस्थायी अन्तरण की समाप्ति पर सरकारी सेवक का उस पद पर, जिससे भत्ता संलग्न है, या किसी वैसे ही भत्ते वाले पद पर, लौट आना संभाव्य है; और

(ख) सरकारी सेवक यह प्रमाणित करता है कि उस अवधि में, जिसके लिए भत्ते का दावा किया गया है, वह उस कुल व्यय या उसके प्रचुर भाग को उपगत करता रहा था, जिसके लिए भत्ता मंजूर किया गया था।

टिप्पणी :—छुट्टी या स्थानांतरण की मंजूरी देने वाला प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि भत्ते का केवल एक ही अंश लिया जा सकेगा। और इस समाधान के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वह मंजूरी प्राधिकारी को यह तसल्ली दिलाए कि यह व्यय रोकने में असमर्थ था अथवा उसे उचित रूप से टाला नहीं जा सकता था और यदि प्राधिकारी को इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकता तो भत्ते के किसी भाग को नहीं ले सकेगा।

(2) द्वीप-पालकों को, उनकी संतान की शिक्षा के लिए मंजूर किया गया भत्ता, छुट्टी के दौरान, छुट्टी के विस्तार या उसकी प्रकृति को विचार में लाए बिना लिया जा सकेगा यदि वह सन्तान, जिसके संबंध में भत्ता लिया जाता है, उसी स्कूल में हाजिरी होती रहती है, परन्तु निवृत्तिपूर्व छुट्टी के दौरान यह भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

डाक तार महानिदेशक के अनुदेश

यह स्पष्ट किया जाता है कि इंजीनियरिंग सुपरवाइजर को अपनी भर्ती यूनिट के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थानांतरण किए जाने के कारण छुट्टी की अवधि के दौरान मंजूर किया गया बाह्य स्टेशन भत्ता अनुपूरक नियम 7-ख (1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

[डाक तार महानिदेशक का दिनांक 18 मार्च, 1968 का परिपत्र संख्या II-22/67-पी ए टी]

अनुपूरक नियम 7-ग.—मूल नियम 105 (क) के अधीन कार्यग्रहण अवधि पर कोई सरकारी सेवक, यदि वह अपने पुराने पद को धारण करने के दौरान शिविर भत्ते का हकदार है और शिविर भत्ता उसके नए पद से भी संलग्न है, कार्यग्रहण अवधि के दौरान, दोनों दरों में से न्यूनतम दर पर, शिविर भत्ता ले सकेगा। यदि सरकारी सेवक अपने पुराने पद में जीवन निर्वाह की विशेष मंहगाई के कारण मंजूर किया गया प्रतिकरात्मक भत्ता लेता था, और उसका स्थानांतरण समान भत्ते वाले किसी अन्य पद पर हुआ है, तो वह मूल नियम 105 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) (1) के अधीन, कार्यग्रहण अवधि के दौरान, प्रतिकरात्मक भत्ता ले सकेगा, परन्तु यदि दोनों पदों से दर भिन्न है, तो वह केवल निम्नतर दर पर ही ले सकेगा।

भारत सरकार के आदेश

1. पारगमन अवधि के दौरान प्रेक्टिस न करने का भत्ता लेना :—अनुपूरक नियम 7-ग के अधीन कार्यग्रहण अवधि पर सरकारी कर्मचारी जीवन निर्वाह विशेष महंगा

*7 तथा 7-क होना चाहिए क्योंकि अनु० नियम 6-क से 6-घ तक विलोपित कर दिए।

पड़ने के कारण मंजूर किया गया प्रतिपूरक भत्ता इसमें निर्धारित शर्तें पूरा करने पर ले सकता है। यह प्रश्न उठाया गया है कि जिस चिकित्सा अधिकारी को प्राईवेट प्रेक्टिस करने के प्राधिकार से मना कर दिया गया है और वह प्रेक्टिस न करने का भत्ता ले रहा है, तो क्या अनुपूरक नियम 7-ग में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होने पर उसे कार्य ग्रहण अवधि के दौरान उक्त भत्ता लेने की भी अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि प्रेक्टिस न करने का भत्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि के दौरान उन्हीं शर्तों पर लिया जा सकता है जो अनुपूरक नियम 7-ग में निर्धारित हैं बशर्ते कि वह प्रमाणित करे कि उसने कार्यग्रहण अवधि के दौरान कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं की है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 मई, 1956 का का० ज्ञा० संख्या 8(7)-ई II (ख)/56।]

[1]अनुपूरक नियम 8—विलोपित किया गया।

प्रभाग V—फीस

[मूल नियम 46-क तथा 47 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम]

अनुपूरक नियम 9.—जब तक राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, सिविल नियोजन में किसी चिकित्सीय अधिकारी द्वारा वृत्तिक परिचर्या से भिन्न सेवाओं के लिए प्राप्त किसी फीस का कोई भी अंश भारत के सामान्य राजस्व में जमा नहीं किया जाएगा।

अनुपूरक नियम 10.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के नियम-निर्माण नियंत्रण के अधीन (1) सिविल नियोजन में भारतीय चिकित्सा सेवा के अधिकारी, और (2) सिविल नियोजन में अन्य चिकित्सक अधिकारी, वृत्तिक परिचर्या से भिन्न सेवाओं के लिए [2]परिशिष्ट 7 में दी गई दरों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए फीस स्वीकार कर सकेंगे :

(1) ऐसे सक्षम प्राधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है, जिसके अधीन चिकित्सक अधिकारी सेवा कर रहा है, ज्ञान और मंजूरी, चाहे साधारण या विशेष के सिवाय कोई कार्य या कार्य-वर्ग, जिसमें फीस स्वीकार की जाती हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति या निकाय की ओर से नहीं किया जा सकेगा।

(2) उन दशाओं में जहां चिकित्सक अधिकारी द्वारा प्राप्त फीस उसके और सरकार के बीच विभाजनीय है, कुल रकम पहले सरकारी खजाने में दे दी जानी चाहिए और तत्पश्चात् चिकित्सा अधिकारी का भाग, स्व० नियम प्रारूप 41 में प्रतिदाय विल पर निकाला जाना चाहिए। ऐसे मामलों में किए गए कार्य और प्राप्त फीस का पूर्ण अभिलेख चिकित्सक अधिकारी द्वारा रखा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—उपर्युक्त क्रियाविधि पेंशन के संराशीकरण के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा किए जाने की उस फीस पर लागू नहीं होगी जिसका तीन-चौथाई भाग स्वास्थ्य परीक्षार्थी द्वारा चिकित्सा बोर्ड को नकद अदा किया जाएगा।

(3) सरकारी प्रयोगशालाओं और रासायनिक परीक्षक के विभाग में किए गए प्राइवेट जीवाणुविज्ञान संबंधी, रोगविज्ञान संबंधी और विश्लेषणात्मक कार्य के लिए फीस का 60 प्रतिशत सरकार के नाम जमा किया जाना चाहिए, शेष 40 प्रतिशत, यथास्थिति, प्रयोगशाला के निदेशक या रासायनिक परीक्षक को अनुज्ञात होगा, जो उसे अपने सहायकों और अधीनस्थों में ऐसी रीति से, जैसी वह साम्यपूर्ण समझे, विभक्त कर सकेगा तथापि अधिकारियों को उन टीकों की दवा के विक्रय-आगम से जो बड़े पैमाने पर रोगनिरोधात्मक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उदाहरणार्थ टी०ए०बी०, हैजा, इन्फलुएंजा और प्लेग के टीकों की दवा, का कोई संदाय नहीं किया जाना चाहिए।

(4) परिशिष्ट 7 में दी गई दरें अधिकतम हैं, जिन्हें कोई चिकित्सक अधिकारी, यदि वह उन्हें स्वयं विनियोजित करने का हकदार है, कम कर सकेगा, या माफ कर सकेगा। उन दशाओं में जहां फीस, चिकित्सक अधिकारी और सरकार के बीच विभाजनीय है, चिकित्सक अधिकारी उन विशेष मामलों में जहां वह रोगी की धनीय परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, न्यूनतम दरें ले सकता है, और सरकार के भाग की संगणना अनुसूचित फीस के स्थान पर वस्तुतः वसूल की गई फीस के आधार पर की जाएगी। परन्तु यह तब जबकि केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिप्राप्त कर लिया जाए।

भारत सरकार के निर्णय

संराशीकरण के मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली फीस की मात्रा :—पेंशन के संराशीकरण

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय दिनांक 27 फरवरी, 1971 के आदेश सं०18(13) ई IV (क)/70 द्वारा विलोपित किया गया।
2. अनुद्रित। देखें मूल नियम और अनुपूरक नियमों का डाक व तार का संकलन, वाल्यूम II का परिशिष्ट 26.

के मामले में, यदि स्वास्थ्य परीक्षा एक ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है तो स्वयं आवेदक चिकित्सा अधिकारी की फीस देगा। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या आवेदक द्वारा इस प्रकार दी गई फीस का कोई भाग सरकार के खाते में जमा करना चाहिए या पूरी फीस चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखी जा सकती है। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित 16 रु० की फीस में से केवल 12 रु० की राशि रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और शेष 4 रु० सरकार के खाते में जमा करने चाहिए।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 20 अक्टूबर 1952 का का० ज्ञा० संख्या 7(1)-21/52-एम-II]

टिप्पणी :—सरकार के हिस्से के 4 रु० आवेदक द्वारा पेंशन के संराशीकरण के लिए सरकारी खजाने में जमा किए जाना चाहिए और खजाने की रसीद स्वास्थ्य परीक्षा के समय 12 रु० की राशि के साथ परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। यह राशि उस राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी जिसके अधीन परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त है।

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 2 अप्रैल, 1953 का का० ज्ञा० संख्या एफ 7(1)/53-एम II]

अनुपूरक नियम 11.—कोई सरकारी सेवक, किसी अन्य सरकार या किसी प्राइवेट, या लोकनिकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना कार्य नहीं कर सकेगा या उसके लिए फीस नहीं ले सकेगा, और सक्षम प्राधिकारी, जब तक कि सरकारी सेवक छुट्टी पर न हो, यह प्रमाणित करेगा कि कार्य उसके पदीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में बाधा के बिना किया जा सकता है।

[1]**अनुपूरक नियम 12.—जब तक राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश नहीं देते तब तक किसी भी सरकारी सेवक को मिलने वाली 500 रु० से अधिक फीस का एक तिहाई* भाग भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।**

[2]टिप्पणी :—उपर्युक्त नियम सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालयों या अन्य सांविधिक निकायों से जैसे चार्टर्ड लेखाकार संस्थान और स्वायत्त निकाय जो पूर्णतः या मूलतः सरकारी अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्त पोषित हैं, निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध या लेक्चर देने के संबंध में उनकी सेवाओं के लिए प्राप्त की गई फीस पर लागू नहीं होगा।

[3]उपर्युक्त नियम सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों में जो पूर्णतः या मूलतः सरकार के स्वामित्व में हैं इसी प्रकार की सेवाओं के लिए प्राप्त की गई फीस पर भी लागू नहीं होता, चाहे वे परीक्षा लेने वाले निकाय न हों।

भारत सरकार के आदेश

1. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा फीस की स्वीकृति के संबंध में समेकित अनुदेश (सिविल नियोजन में चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा फीस की स्वीकृति को छोड़कर) :—(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा फीस की स्वीकृति (सिविल नियोजन में किसी चिकित्सक अधिकारी द्वारा वृत्तिक परिचर्या से भिन्न सेवाओं के लिए स्वीकृत फीस को छोड़कर) को विनियमित करने वाले विद्यमान नियमों और आदेशों में कतिपय असंगतियां भारत सरकार की जानकारी में लाई गई हैं। इस मामले की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा की गई और विद्यमान कार्यालय ज्ञापनों के स्थान पर अनुवर्ती अनुदेश जारी करने का निर्णय किया गया है।

(2) मूल नियम 48 के अनुसार, सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सरकारी कर्मचारी बिना विशेष अनुमति के निम्नलिखित फीस लेने और अपने पास रखने का पात्र है :—

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबन्ध या प्लान के लिए दिया गया पुरस्कार;

(ख) न्याय प्रशासन के संबंध में किसी अपराधी को पकड़ने या सूचना देने के लिए या विशेष सेवा के लिए दिया गया पुरस्कार;

(ग) किसी अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए विनियम या नियम के अनुसार में देय कोई पुरस्कार,

(घ) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रशासन से संबंधित सेवाओं के लिए स्वीकृत कोई पुरस्कार,

(ङ) सरकारी कर्मचारी को ऐसी ड्यूटी के लिए देय कोई फीस जिसे उसे किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा अपनी पदीय हैसियत से करना आवश्यक है।

(3) मूल नियम 9 (6-क) में दी गई परिभाषा के अनुसार, फीस में निम्नलिखित भुगतान शामिल नहीं हैं और इसलिए इन भुगतानों को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(क) अनर्जित आय जैसे सम्पत्ति, लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; और

---

1. यह संशोधित नियम दिनांक 29 अगस्त, 1981 की अधिसूचना सं० 16013/1/79- स्था० (भत्ता) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

*संशोधित सीमा के लिए देखें इस नियम के लिए आदेश (1) का पैराग्राफ 5(क)।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 26 अगस्त, 1974 के का० ज्ञा० सं० एफ 7(1)-ई.II(ख)/74 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

3. दिनांक 16 सितम्बर, 1978 के संशोधन सं० 1086 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(ख) साहित्यिक सांस्कृतिक, कलात्मक वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय चेष्टाओं से आय।

इसके अतिरिक्त फीस में मानदेय शामिल नहीं होता जो किसी सरकारी कर्मचारी को आवसरिक या अन्तरिम स्वरूप के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत की समेकित निधि या राज्य की समेकित निधि या संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से मंजूर किया गया आवर्ती या अनावर्ती भुगतान है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी मानदेय या फीस या उपर्युक्त पैराग्राफ (क) और (ख) में दिए गए प्रकार के भुगतान, जो न तो फीस है और नही मानदेय है, प्राप्त कर सकता है। इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश मुख्यतः सरकारी कर्मचारी द्वारा "फीस" की स्वीकृति को विनियमित करते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पोर्ट्स खेलकूद और एथलेटिक क्रियाकलापों में खिलाड़ी, रैफरी, एम्पायर या टीम के प्रबन्धक के रूप में भाग लेने से होने वाली आय उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत आएगी। किन्तु जब सरकारी कर्मचारी को ऐसे स्पोटर्स क्रियाकलापों में भाग लेने और व्यावसायिक के रूप में भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है तो इनसे प्राप्त आय अनुपूरक नियम 12 में निर्धारित कटौती के अधीन होगी। नीचे उल्लखित स्वरूप की फीस की स्वीकृति उपर्युक्त (ख) में शामिल नहीं होगी :—

(i) ऐसी पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन या रायल्टी जो मात्र सरकारी नियमों, विनियमों और क्रियाविधियों का संकलन है। फिर भी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से अनुपूरक नियम 12 में दिए गए उपबन्धों में छूट दी जा सकती है। बशर्ते कि संबंधित मंत्रालय/विभाग से कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि ऐसी पुस्तक सरकारी नियमों, विनियमों और क्रियाविधियों का मात्र संकलन नहीं है बल्कि पुस्तक से लेखक के विषयसंबंधी उच्च अध्ययन का पता चलता है। यदि अधिकारी जिसके मामले में अनुपूरक नियम 12 के अधीन छूट मांगी जाती है, स्वयं ही संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी है तो प्रमाण पत्र अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

(ii) प्राइवेट निकायों के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, चैरिटेबल या स्पोर्ट्स क्रियाकलापों सहित लिपिकीय, प्रशासनिक या तकनीकी कार्य करने से होने वाली आय।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 और 3 के अधीन छूट दिए गए कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के संबंध में किसी भुगतान को स्वीकार करने से पहले, सरकारी कर्मचारी को अनुपूरक नियम II के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। फीस स्वीकार करने की अनुमति के लिए अनुरोध जहां कहीं आवश्यक हो, के साथ बाहरी कार्य या कार्यकलाप करने की अनुमति का अनुरोध भी किया जाना चाहिए। जहां अनुपूरक नियम II की शर्तों के अधीन उत्तरवर्ती अनुमति भी आवश्यक है। जो प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, उनका उल्लेख परिशिष्ट 4 की क्रम संख्या 3 में किया गया है। स्वीकृति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी स्वयं इस बात की तसल्ली करेगा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य या सेवाएं उस के सरकारी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में बिना किसी बाधा के फालतू समय में किए जा सकेंगे।

5(क) कार्यालय समय के बाद किए गए आवसरिक या नैमेत्तिक कार्य के संबंध में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सरकारी कर्मचारी 500 रु० तक की पूरी फीस स्वयं रख सकता है। यदि फीस इस सीमा से अधिक है तो प्राप्त की गई फीस का एक-तिहाई भाग इस शर्त के अधीन कि उसके द्वारा रखी गई फीस 500 रु० से कम नहीं है, भारत सरकार के नाम जमा की जाए। अनावर्ती और आवर्ती फीस पर अलग-अलग कार्रवाई करनी चाहिए और भारत के सामान्य राजस्व में एक तिहाई भाग जमा करने के प्रयोजन के लिए इन्हें नहीं जोड़ना चाहिए। अनावर्ती फीस के मामले में निर्धारित की गई 500 रु० की सीमा प्रत्येक अलग-अलग मामले में लागू की जाएगी और आवर्ती फीस के मामले में निर्धारित की गई सीमा वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई कुल आवर्ती फीस के संदर्भ में लागू की जाएगी।

(ख) विदेश में अध्ययन छुट्टी पर रहते समय अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार स्वीकार करने के लिए उस प्राधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी जिसने अध्ययन छुट्टी मंजूर की थी। किन्तु, ऐसे मामलों में पारिश्रमिक का एकतिहाई भाग सरकारी राजस्व में जमा करना आवश्यक नहीं होगा।

(6) सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए निम्नलिखित भुगतानों की एक तिहाई राशि सामान्य राजस्व में जमा करने के अध्यधीन नहीं होगी :—

(i) ऐसे भुगतान जिनमें उपर्युक्त पैराग्राफ 2 और 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती,

(ii) सरकारी कर्मचारी द्वारा अध्ययन छुट्टी के दौरान या अन्यथा अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए या व्यावसायिक या तकनीकी विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत की या किसी राज्य की या संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से प्राप्त छात्रवृत्ति या वजीफा;

(iii) यू० एन० ओ० यूनेस्को आदि अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए चुने गए विषयों पर रिपोर्टें,

लेख या अध्ययन रिपोर्ट लिखने के लिए प्राप्त किया गया भुगतान ;

(iv) सरकारी कर्मचारी द्वारा मान्यता-प्राप्त विश्व-विद्यालयों और इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे अन्य सांविधिक निकायों से इन निकायों द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं से संबंधित कार्य का सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादन किए जाने या लेक्चर देने के संबंध में प्राप्त की गई फीस, इसी प्रकार की सेवाओं के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय से जो पूर्णतः या मूलतः भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, प्राप्त की गई फीस;

(v) यात्रा, सवारी, दैनिक या निर्वाह भत्ते आदि के रूप में प्राप्त की गई राशि, यदि जबकि सक्षम प्राधिकारी को यह तसल्ली हो जाए कि सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई राशि लाभ का स्रोत नहीं है;

(vi) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए अविष्कार या पेटेंट के समुपयोजन से प्राप्त आय;

(vii) जब कोई सरकारी विभाग किसी गैर सरकारी संगठन के लिए कार्य करने का उत्तरदायित्व लेता है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अधिकारियों को कार्य पर लगाता है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर भुगतान देता है ;

(viii) प्रबन्ध विज्ञान सहित साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तकों, लेखों, पत्रों और लेक्चरों से प्राप्त आय;

(ix) स्पोर्ट्स, खेलों और एथलेटिक क्रियाकलापों में खिलाड़ी, रैफरी, एम्पायर और टीम के प्रबन्धक के रूप में भाग लेने से होने वाली आय।

7. जब कोई सरकारी कर्मचारी ऊपर सूची में दी गई फीस से भिन्न फीस सक्षम प्राधिकारी विशेष अनुमति के बिना या अनुमति से स्वीकार करता है तो यह फीस उपर्युक्त पैराग्राफ 5 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगी। उदाहरण के रूप में यह प्रतिबंध निम्नलिखित मामलों में लागू होगा :—

(i) जहां कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी पुस्तकों पर बिक्री लाभांश या रॉयल्टी प्राप्त करता है जो मात्र सरकारी नियमों, विनियमों और क्रियाविधियों का संकलन है।

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्णतः प्राइवेट निकाय के लिए सामयिक या आकस्मिक प्रकार का लिपिकीय, प्रशासनिक या तकनीकी कार्य करने के लिए और उनसे फीस प्राप्त करने की अनुमति अनुपूरक नियम II के अधीन दी जाती है। "प्राइवेट निकाय" में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत ऐसी सभी सहकारी समितियां शामिल होंगी जो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

(iii) नियमित पारिश्रमिक वाले अंशकालिक रोजगार से सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई आय जबकि इसकी अनुमति आचरण नियम 15 के अधीन सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हैं, और

(iv) उपर्युक्त पैरा 6 (iii) में उल्लिखित विषयों से भिन्न विषयों पर लेख लिखने या पुस्तक प्रकाशित करने से प्राप्त आय।

8. केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे वैज्ञानिकों, शिल्प-वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को, जिन्हें अनुसंधान और विकास के पूर्ण हित में विदेश में या देश में ही विश्व-विद्यालय या वैज्ञानिक/चिकित्सा संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसरों, अध्यापकों आदि के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उन्हें प्राप्त पारिश्रमिक को पूर्णतः रखने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकती है :—

(क) उन्हें ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान असाधारण छुट्टी मंजूर की जाए;

(ख) यह नियुक्ति एक समय में दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए ; तथा

(ग) वे भारत सरकार को पेंशन अंशदान उसी प्रकार करेंगे जैसे मूल नियमों के उपबन्धों के अधीन विदेश नियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी द्वारा देय होता है। ऐसे कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते हैं, नियोक्ता के अंशदान का भाग स्वयं देंगे, जो ऐसी परिलब्धियों के संदर्भ में होगा, जो वह उस समय ले रहा होता जब वह भारत में ड्यूटी पर होता।

किन्तु, यह प्रसुविधा (i) तीन वर्ष से कम की लगातार सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों, और (ii) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगी। संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भी यह सुविधा तब तक लागू नहीं होगी जब तक वे केन्द्रीय सरकार के अधीन तीन वर्ष की सेवा न कर लें तथा वे सरकार को यह आश्वासन न दे दें कि वे विदेश नियुक्ति से लौटने पर कम से कम तीन वर्ष तक संविदा के आधार पर या अन्यथा सरकार की सेवा करेंगे। इस आश्वासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधि मंत्रालय के परामर्श से उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक बन्ध पत्र निष्पादित कराया जाए।

(9). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि सहित किसी सरकारी संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्राइवेट कंसलटेंसी कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। किन्तु संबंधित संस्थान प्राइवेट पार्टियोंसे कंसलटेंसी कार्य ले सकते हैं और कार्य को चुने गए कर्मचारियों को सौंप सकते हैं। कंसलटेंसी कार्य के करने के लिए प्राप्त की गई फीस संस्थान के खाते में जमा की जाएगी और इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को उपयुक्त मानदेय दिया जा सकता है। दल के सभी सदस्यों को दिया गया मानदेय कुल मिलाकर संस्थान द्वारा प्राप्त फीस के दो-तिहाई भाग से अधिक नहीं होगा। जब किसी अधिकारी की नियुक्ति संविदा आधार पर हुई हो तो संविदा की शर्तों में उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(10) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो फीस के बदले में बाहर का कोई कार्य स्वीकार करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार उनके सरकारी काम-काज में बाधा न पड़े। यदि सरकार द्वारा निदेश दिया जाता है तो वे ऐसा कार्य नहीं लेंगे या कार्य करना बंद कर देंगे।

(11) विदेश समनुदेशन से संबंधित ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए जो अपनी फीस विदेशी मुद्रा में लेता है और अपनी फीस का एक-तिहाई भाग भारत के राजस्व में रुपए में देता है, यह आवश्यक होगा कि वह विदेशी मुद्रा को रुपयों में बदलने के लिए प्राधिकृत किसी बैंक से यह सबूत दे कि उसने बराबर राशि विदेशी मुद्रा में दे दी है। फीस की स्वीकृति देने वाला सक्षम प्राधिकारी मंजूरी इस आशय का अनुबंध करेगा।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 11 फरवरी, 1980 का का० ज्ञा० संख्या 16013/1/79-भत्ता]

उपर्युक्त पैराग्राफ 6 (iii) के अनुसार यू०एन०ओ०, यूनेस्को आदि अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए चुने गए विषयों पर रिपोर्टें, पेपर या अध्ययन रिपोर्टें लिखने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए भुगतानों की एक तिहाई राशि अनुपूरक नियम 12 के अधीन भारत के राजस्व में जमा नहीं की जाती। इस मामले की और आगे जांच की गई है तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान की सहायता से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से कोई पेपर या रिपोर्ट आदि लिखता है और ऐसी रिपोर्ट अल्पकालिक कंसलटेंसी के परिणामस्वरूप लिखी गई है तो ऐसे कार्य के लिए एजेंसी द्वारा दी गई राशि में अनुपूरक नियम 12 के अधीन कटौती से छूट दी जाएगी।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 19 मई, 1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16011/3/81-स्था० (भत्ता)]

मूल नियम 111 के नीचे पैरा 3-ग का आदेश (8) देखें।

[[अनुपूरक नियम 13 से 16 रद्द कर दिए गए।

प्रभाग VI

अनुपूरक नियम 17 से 195 तक

भाग III—सेवा के अभिलेख

प्रभाग VII

[मूल नियम 74 (क) (iv) के अधीन बनाए गए नियम]

राजपत्रित सरकारी सेवक

अनुपूरक नियम 196—राजपत्रित सरकारी सेवक की सेवाओं का अभिलेख उस संपरीक्षा अधिकारी द्वारा और ऐसे प्ररूप में, रखा जाएगा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विहित किया जाए।

भारत सरकार के आदेश

राजपत्रित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिकाएं संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रखी जायें:— नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि महालेखाकार/वेतन तथा लेखा अधिकारियों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के छुट्टी के खाते सहित सेवा रिकार्ड विभागीय प्राधिकारियों को अंतरित किए जाएंगे और इस संबंध में लेखा को लेखा-परीक्षा से अलग करने की सामान्य पद्धति के प्रबन्ध साथ-साथ किए जाएंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 28 फरवरी, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 10(9)-बी (टी० आर०)/76-पैराग्राफ 1]

अराजपत्रित सरकारी सेवक

सेवा पुस्तिकाएं

अनुपूरक नियम 197—किसी स्थायी स्थापन में अधिष्ठायी पद को धारण करने वाले या किसी पद में स्थानापन्न या किसी अस्थायी पद को धारण करने वाले प्रत्येक अराजपत्रित सरकारी सेवक के लिए, सिवाय निम्नलिखित के, ऐसे प्ररूप में, जैसा महालेखा परीक्षक विहित करे, सेवा पुस्तिका रखी जाएगी:—

(क) ऐसा सरकारी सेवक जिसकी सेवा की विशिष्टियाँ किसी संपरीक्षा अधिकारी द्वारा रखे गए सेवा इतिवृत्त या सेवा रजिस्टर में लिखी जाती है।

(ख) पदों में स्थानापन्न या अस्थायी पदों को धारण करने वाले ऐसे सरकारी सेवक, जो केवल ऐसी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के लिए भर्ती किए जाते हैं जिनका एक वर्ष से अधिक के लिए चलते रहना संभाव्य नहीं है, और जो स्थायी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

(ग) राज्य रेलों में ऐसे स्थायी अधीनस्थ गैर-पशनी सेवक जिनके लिए अभिलेख का विशेष प्ररूप विहित किया गया है।

भारत सरकार के आदेश

1. सेवा पुस्तिका के फार्म में संशोधन :— सेवा-पुस्तिका के विद्यमान फार्म के संशोधन का प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन रहा है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से फार्म में संलग्न नमूने (अमुद्रित) के अनुसार संशोधन करने का निर्णय किया गया है। संशोधित सेवा पुस्तिका का फार्म सरकारी सेवा के नए सदस्य पर ही लागू होगा। विद्यमान सरकारी सेवकों के मामले में, नई सेवा पुस्तिका का तभी प्रयोग किया जाएगा जबकि विद्यमान स्टाक समाप्त हो गया हो और उस मामले में विद्यमान प्रविष्टियों को नए फार्म में दुबारा दर्ज लिखने की आवश्यकता नहीं है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 11 मार्च, 1976 का का० ज्ञा० संख्या एफ 3(2)-ई. 4(क)/73]

उपर्युक्त आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारी का फोटो संशोधित सेवापुस्तिका के भाग 1 के प्रथम पृष्ठ पर लगाया जाना चाहिए। यह प्रश्न उठाया गया है कि फोटो की लागत सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी या सरकार द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि फोटो की लागत भविष्य में सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 जुलाई 1977 का का० ज्ञा० संख्या 17011/1/ई.4(क)/77]

प्रयोग में लाया गया संशोधित सेवा पुस्तिका का फार्म संलग्न फार्म (अमुद्रित) में तैनाती रिकार्ड करने के लिए "परिशिष्ट" सहित पुलिस तथा ऐसे ही अन्य विभागों में भी प्रयोग में लाया जाएगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 14 मार्च, 1977 का का० ज्ञा० सं० एफ 3(4)-ई. 4(क)/76]

अनुपूरक नियम 198. उन सभी मामलों में, जिनमें नियम 197 के अधीन सेवा पुस्तिका आवश्यक है, ऐसी पुस्तिका किसी सरकारी सेवक के लिए सरकारी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से रखी जाएगी। वह उस कार्यालय के अध्यक्ष की जिसमें वह सेवारत है अभिरक्षा में में रखी जाएगी, और वह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को उसके साथ ही अन्तरित की जाएगी।

भारत सरकार के आदेश

1. सेवा छोड़ने पर सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति सप्लाई करना :— सेवा पुस्तिका की लागत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए और सेवा-पुस्तिका सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने पर, सेवा से त्याग पत्र देने पर या बर्खास्त करने पर भी वापिस नहीं करनी चाहिए बेशक उसने सेवा-पुस्तिका की लागत पहले ही दे दी हो।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 31 जनवरी, 1955 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 12(6)-ई. IV/54]

इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या त्यागपत्र द्वारा सेवा छोड़ने पर सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति की मांग करता है तो क्या उसे सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति देना अनुज्ञेय होगा और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति सरकारी कर्मचारी को 5 रुपये की प्रतिलिपि फीस का भुगतान करने पर दी जा सकती है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 9 मई, 1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 12(16)-ई.IV/6]

राजपत्रित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिका का रख-रखाव लागू हो जाने और लेखों का विभागीयकरण हो जाने के परिणामस्वरुप एक प्रश्न यह उठा है कि क्या राजपत्रित अधिकारियों से भी प्रतिलिपि लेनी होगी जो मांग करने पर सेवा रिकार्डों के उद्धरण मुफ्त प्राप्त करने के हकदार थे। यह निर्णय किया गया है कि राजपत्रित अधिकारियों को सेवा-पुस्तिका की सत्याहित प्रति सप्लाई करने के लिए 5 रुपये प्रति लिपि फीस देनी होगी। प्रतिलिपि फीस कार्यालय/मंत्रालय/विभाग के उपयुक्त प्रति मुख्य शीर्ष उपयुक्त प्राप्ति के अन्तर्गत लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" के अधीन जमा की जानी चाहिए।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 27 सितम्बर, 1980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-17012/279-छुट्टी एकक]

2. पेंशन के लिए सेवा का सत्यापन :— ऐसे कार्यालयों के मामले में जो स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन है, सभी गैर-राजपत्रित अधिकारियों तथा जो अगले पाँच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने हैं, वाले अधिकारियों की उनकी सेवा-पुस्तिका तथा छुट्टी खातों की जांच संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी के स्थानीय लेखा परीक्षा स्टाफ द्वारा निर्धारित प्रतिशतता तक की जाती है और इस आशय का एक उपयुक्त प्रमाणपत्र वहां पर रिकार्ड किया जाता है।

ऐसे कार्यालयों के मामलों में जो स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सभी गैर-राजपत्रित अधिकारियों जो अगले पांच वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले हैं, की सेवा-पुस्तिकाएं जांच करने के लिए और उसमें उक्त आशय का उपयुक्त प्रमाणपत्र रिकार्ड करने के लिए संबंधित लेखा-परीक्षा अधिकारी को भेजेंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अप्रैल, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 38(4)-ई.V/60]

अनुपूरक नियम 199. **सरकारी सेवक के शासकीय जीवन का प्रत्येक प्रसंग उसकी सेवा पुस्तिका में लेखबद्ध किया जाएगा और प्रत्येक प्रविष्टि उसके कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा या यदि वह स्वयं ही कार्यालय का अध्यक्ष है तो उसके आसन्न वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। कार्यालय के अध्यक्ष को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि सब प्रविष्टियां सम्यक् रूप से की गई हैं और अनुप्रमाणित हैं और पुस्तिका में किसी लेख को मिटाया या उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है और सब संशोधन सफाई से किए गए हैं और उचित रूप से अनुप्रमाणित हैं।**

भारत सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन

(1) अनुपूरक नियम 199 के उपबंधों में छूट देते हुए, कार्यालयाध्यक्षों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को ऐसे सभी राजपत्रित अधिकारियों की सेवा-पुस्तिका (केवल अपनी सेवा-पुस्तिका को छोड़कर) में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दें, जिनके रख-रखाव का उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्ष पर है ।

जिन अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उन्हें निम्नलिखित प्राधिकार भी दिए जाते हैं—

(i) इन दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखें; और

(ii) छुट्टी खाते में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करें :

बशर्ते कि सेवा-पुस्तिका के उपयुक्त रख-रखाव और छुट्टी खाते की प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने और उन्हें अपना अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष पर रहता है। कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष इन दस्तावेजों से कम से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा और ऐसी संवीक्षा करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आद्याक्षर करेगा ।

सेवा-पुस्तिकाओं और छुट्टी खातों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा जिन्हें अपनी सेवा-पुस्तिका और छुट्टी खाते में प्रविष्टियां करने के संबंध में ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । उनकी सेवा-पुस्तिका की प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित की जानी चाहिए । और वह उसे अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 नवम्बर 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(3) ई.IV(क)/76]

(2) भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अधीक्षकों/लेखाकारों (गैर-राजपत्रित) को सेवा-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रविष्टियों और सेवा के वार्षिक सत्यापन को छोड़कर, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका और छुट्टी खाते में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

किन्तु, अधीक्षकों/लेखाकारों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपनी सेवा पुस्तिका और छुट्टी खाते में प्रविष्टियां करने के संबंध में नहीं किया जाएगा और शर्त यह होगी कि जिन राजपत्रित अधिकारियों को सेवा-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं वे दस प्रतिशत सेवा-पुस्तिकाओं की जांच करेंगे और जांच करने के प्रमाणस्वरूप पर उन आद्यक्षर करेंगे ।

टिप्पणी.— यह प्रत्यायोजन निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन है:—

(i) वेतनवृद्धि, वेतन का नियतन आदि से संबंधित प्रविष्टियां वेतनवृद्धि प्रमाणपत्र, वेतन नियतन, विवरण आदि पर आधारित और शाखा अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित होनी चाहिए ।

(ii) छुट्टी के मामले में, छुट्टी की हकदारी मंजूरी देने से पहले ही प्रशासन के प्रभारी शाखा अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 20 अप्रैल, 1967 और दिनांक 21 अगस्त, 1967 का पत्र संख्या 3(3)-ई०जी०आई०/67 और नियंत्रक परीक्षक का दिनांक 3 मई, 1967 का पत्र संख्या 1348-तकनीकी प्रशासनI/698-66]

(3) भारतीय डाक व तार विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों, जो कार्यालयाध्यक्ष नहीं हैं, ऐसी सेवा पुस्तिकाओं (अपनी सेवा-पुस्तिकाओं को छोड़कर), जिन्हें उनके कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखना अपेक्षित है, में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने का प्राधिकार रखते हैं :—

(i) चयन ग्रेड के डाकघर लेखाकार तथा प्रभागीय लेखाकार (इंजीनियरिंग प्रभाग में);

(ii) मुख्य रिकार्ड क्लर्क, आर० एम० एस०;

(iii) सर्किल कार्यालय का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा ग्रेड "क" (रु० 350-450 पुराना वेतनमान) में कोई अधीक्षक या यदि कार्यालय चयन ग्रेड का कोई लेखाकार न हो तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चयन ग्रेड का कोई अधिकारी ।

सेवा पुस्तिकाओं और सेवावृत्तों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें (i) इन दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखने, और (ii) छुट्टी खाते में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने का भी प्राधिकार दिया जाता है लेकिन संबंधित विभागाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेवावृत्तों और छुट्टी खातों के उपयुक्त रख-रखाव और उनमें प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार रहता है। यह

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस मामले में आम पर्यवेक्षण किया जाता है, यह आदेश दिया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आद्यक्षर करेंगे।

[एफ०ए०पी०टी० का दिनांक 30 जून, 1932 का पृष्ठांकन संख्या एस० ए० 82 (23) 30, दिनांक 15 नवम्बर, 1933 का पृष्ठांकन सं० बी० 132-2/32 और एफ०ए० (सी/एस) पृष्ठांकन संख्या 132-3/44, दिनांक 24 नवम्बर, 1955]

(4) डाक तथा तार के कनिष्ठ और वरिष्ठ लेखाकारों को, चाहे वे किसी भी कार्यालय से सम्बद्ध हों, निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं :—

(i) सेवाओं के सत्यापन के बारे में प्रविष्टियों सहित सेवा-पुस्तिकाओं और सेवा-वृत्तों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करना;

(ii) सेवा-पुस्तिकाओं, सेवा-वृत्तों और छुट्टी खातों का रख-रखाव करना और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखना; और

(iii) छुट्टी खातों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करना।

2. जिन कार्यालयों में कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों ही लेखाकार नियुक्त हों तो प्रविष्टियां केवल वरिष्ठ लेखाकार को अनुप्रमाणित करनी चाहिए।

3. इन शक्तियों का प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेवा-वृत्तों और छुट्टी खातों के उपयुक्त रख-रखाव और उनमें प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार हैं और वह प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों का निरीक्षण करता है और उन पर निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप आद्यक्षर करता है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (ग) का दिनांक 14 मई, 1954 का पृष्ठांकन संख्या एस० पी० ए० 302-3/53]

(5) मुख्य डाकघर से सम्बद्ध सहायक पोस्टमास्टरों (लेखा) को उन कार्यालयों के कर्मचारियों (स्वयं को छोड़कर) के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं :

1. (i) सेवा-पुस्तिकाओं और सेवा-वृत्तों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करना;

(ii) दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखना;

(iii) छुट्टी खातों में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करना; और

(iv) विवरणात्मक ब्यौरों को प्रत्येक पांच वर्ष में पुनः अनुप्रमाणित करना।

2. इन शक्तियों का प्रत्यायोजन इस वर्ष के अधीन है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेवा-वृत्तों और छुट्टी खातों के उपयुक्त रख-रखाव और उनमें प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार रहेगा और वह प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों की जांच करेगा और निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आद्यक्षर करेगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (ग) का तारीख 30 जून, 1960 का पृष्ठांकन संख्या 127/1/60-एस०पी०बी०-II]

(6) प्रधान डाकघर के सहायक लेखाकारों (अवर चयन ग्रेड) को उन कार्यालय के कर्मचारियों (स्वयं को छोड़कर) के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं :—

(i) सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करना;

(ii) दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखना;

(iii) छुट्टी खातों में प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करना; और

(iv) विवरणात्मक ब्यौरों को प्रत्येक पांच वर्ष में पुनः अनुप्रमाणित करना जैसा कि डाक व तार एफ० एच० बी० वाल्यूम (द्वितीय संस्करण) के नियम 288(च) द्वारा अपेक्षित है।

2. यह प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेवा-वृत्तों और छुट्टी खातों के उपयुक्त रख-रखाव और उनमें प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखने का जिम्मेदार होगा और वह प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आद्यक्षर करेगा।

[महानिदेशक, डाक तथा तार के दिनांक 26 फरवरी, 1962 के अनौपचारिक नोट पत्र संख्या 137-पी०टी०-ए०/62 द्वारा वित्त मंत्रालय (ग) की सहमति से जारी किया गया उनका दिनांक 28 फरवरी, 1962 का ज्ञापन संख्या 127/1/61-एस०पी०बी०-II]

भारत सरकार के आदेश

1. सेवा पुस्तिका में लगाई जाने वाली घोषणाएं और वेतन नियतन को ज्ञापन :— वेतनमान का विकल्प देने के लिए सरकारी कर्मचारियों की घोषणाएं तथा सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियों के समर्थन में उपयुक्त वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के नियतन को दर्शाने वाले विवरण सेवा-पुस्तिकाओं में ही चिपकानी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 10 मई, 1955 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 3622-स्था० III/क/55]

2. परिधान भत्ते के सम्बन्ध में प्रविष्टियां :— विदेशों में भारतीय मिशनों और पदों पर सेवा कर रहे गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को परिधान भत्ते के भुगतान पर नियंत्रण करने के लिए लेखा-परीक्षा अधिकारी को समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रत्येक भुगतान का

नोट (अर्थात् बिल संख्या राशि और नकदीकरण की तारीख) तथा भुगतान प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का नाम गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका पृष्ठ पर अन्य प्रविष्टियों के साथ कालक्रम से रिकार्ड करना चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 3 जुलाई, 1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(13)-ई-II(ख)/56]

3. **जन्म की तारीख में परिवर्तन** :— देखें मूल नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी-5 ।

4. **जिन निम्न प्राधिकारी को छुट्टी मंजूर करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित की गई है** :— उसके द्वारा अनुप्रमाणन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब सरकारी कर्मचारी का पद रिक्त हो तो उसे भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह छुट्टी मंजूर करने के अपने अधिकार का प्रत्यायोजन अन्य प्राधिकारी को उसी सीमा तक कर सकेगा जो वह उचित समझे, तो अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में प्रविष्टियों के अनुप्रमाणित करने के अधिकार का प्रयोग उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे छुट्टी मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है। तथापि, निम्न प्राधिकारी द्वारा जिसे छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, छुट्टी खातों का उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत छुट्टी खातों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आद्यक्षर करेंगे।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 31 जुलाई, 1958 का अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 4725-ई० IV/क/58 और दिनांक 20 मार्च, 1958 का अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 1554-ई० IV/क/59

5. **सामान्य भविष्य निधि खातों की संख्या सेवापुस्तिका में दर्ज करना** :— नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि जैसे ही किसी सरकारी कर्मचारी को भविष्य निधि में शामिल किया जाता है तो उसे आवंटित खाते की संख्या उसकी सेवा-पुस्तिका के पृष्ठ 1 के दाहिनी और सबसे ऊपर रबड़ स्टाम्प द्वारा दर्ज करनी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 अक्तूबर, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 3(1)-ई-IV/(क)/66]

6. **केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-नामांकन का सेवा-पुस्तिका पर चिपकाया जाना** :— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के सदस्यों द्वारा दिया गया नामांकन कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उनकी सेवा-पुस्तिका पर चिपकाया जाएगा। कार्यालय प्रमुख सेवा पुस्तिका पर इस आशय की प्रविष्टि करेगा कि नामांकन विधिवत् रूप में प्राप्त हुआ है ।

[पैरा 19.7 परिशिष्ट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-15(3)/78-डब्ल्यू०आई०पी०, दिनांक 31 अक्तूबर, 1980]

7. **छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन दी गई मूल निवास की घोषणा सेवा-पुस्तिका में रखी जाए छुट्टी** :— यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई मूल निवास की घोषणा सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी अथवा सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य उचित सेवा अभिलेख में रखी जाएगी ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 11 अक्तूबर, 1956 का कार्यालय ज्ञापन 43/1/55-स्था० (क) भाग-II, पैरा-1(4)]

महानिदेशक, डाक व तार के आदेश

ऊपर दिए अनुसार अपेक्षित है, कम से कम 10 प्रतिशत सेवा-पुस्तिकाओं और सेवा पंजियों के वार्षिक निरीक्षण के संबंध में जहां तक सर्किल आफिस, पुन: प्रेषण केन्द्र और स्टाफ डिपो का संबंध है, सहायक पोस्टमास्टर जनरल को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में मानना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठ विद्युत इंजीनियर को प्रमुख विद्युत इंजीनियर कार्यालय स्थापना के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष के रूप में मानना चाहिए ।

[महानिदेशक, डाक व तार के दिनांक 2 सितम्बर, 1935 और 12 जुलाई, 1943 के पृष्ठांकन संख्या स्थापना बी-132-1/134 और ई/132-3/43]

अनुपूरक नियम 200 :— **नियोजन से निलम्बन की प्रत्येक अवधि और सेवा में कोई अन्य व्यवधान उसकी अवधि के पूर्ण विवरण के साथ सेवा-पुस्तिका के पृष्ठ के एक छोर से दूसरे तक की गई प्रविष्टि में लिखे जाएंगे और अनुप्रमाणक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी प्रविष्टियां अविलम्ब की जाती है।**

अनुपूरक नियम 201 :— **चरित्र के संबंध में कोई वैयक्तिक प्रमाणपत्र, जब तक कि विभागाध्यक्ष ऐसा निदेश नहीं देता है, सेवापुस्तिका में प्रविष्ट नहीं किए जाएंगे । किन्तु यदि सरकारी सेवक किसी निम्नतर अधिष्ठायी पद पर अवनत कर दिया जाता है तो अवनति का कारण संक्षेप में दर्ज किया जाएगा ।**

[1]**अनुपूरक नियम 202** :— **प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों को प्रति वर्ष सेवा पुस्तिकाओं को दिखाने की कार्यवाही करे और उनके द्वारा सेवा-पुस्तिकाएं देखी जाने के प्रमाण के रूप में उनसे उनके हस्ताक्षर ले लें । वह इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि उसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में ऐसा कर लिया है, अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को प्रत्येक सितम्बर**

[1][भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 फरवरी, 1967 की संशोधित पर्ची संख्या 1017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

मास के अन्त तक भेजेगा। सरकारी सेवक अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व, अन्य बातों के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाएं सम्यक रूप से सत्यापित है, और इस रूप में प्रमाणित की गई हैं। अन्यत्र सेवाधीन सरकारी सेवक की दशा में, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी अन्यत्र सेवा के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् उसमें उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

भारत सरकार के आदेश

1. **सेवाओं का वार्षिक सत्यापन :—** साल के प्रारम्भ में एक निश्चित समय पर कार्यालय का अध्यक्ष जांच के लिए सेवा पुस्तिकाएं मंगाएगा और इस बात का इतमीनान करने के बाद कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सेवा के ब्यौरे प्रत्येक सेवा पुस्तिका में सही सही दर्ज है, हर मामले में अपने हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित रूप में एक प्रमाण-पत्र अंकित करेगा :

"जिस रिकार्ड से जांच की गई है से (तारीख) तक की सेवा की जांच की"

टिप्पणी 1.—ऊपर बताई गई सेवा की जांच का आशय यह है कि कार्यालय का अध्यक्ष यह इतमीनान कर ले कि सेवा पुस्तिका में सरकारी कर्मचारी की स्थायी, स्थायी-समान, अल्पकालीन, अस्थायी या स्थानापन्न सभी प्रकार की सेवा का ब्यौरा दर्ज है और वह पूरी तरह वास्तविक तथ्यों के अनुरूप है।

टिप्पणी 2.—सरकारी कर्मचारी की पेंशन और पेंशन योग्य सेवा के प्रश्नों पर जिनके विषय में निर्णय उस समय ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर होता है, उसी समय विचार हो जाना चाहिए जबकि उत्पन्न हो और उन्हें सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति तक या उस तारीख के निकट आगे तक स्थगित नहीं रखना चाहिए। ऐसे सभी प्रश्नों पर जहां आवश्यक हो, यथास्थिति लेखापरीक्षा अधिकारी और/अथवा लेखा अधिकारी से परामर्श करके, निश्चित निर्णय कर लिया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का हवाला देते हुए सेवा पुस्तिका में उसको दर्ज किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3.— सेवा पुस्तिकाओं को रखने के विषय में विस्तृत नियम अनुपूरक नियम 197 से 203 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 4.—विभागेतर सेवा, यदि कोई हो, की अवधियों के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कोई सत्यापन प्रमाण पत्र दर्ज किए जाने की जरूरत नहीं। सेवा-पंजी में पूरक नियम 203 उपबन्धों के अधीन लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया इंदराज ही इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा।

(सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 का नियम 81)

2. **पेंशन के भुगतान में विलम्ब दूर करने के लिए सेवा पंजी उचित रखरखाव की आवश्यकता :—**सेवा पंजियां रखने के संबंध में निम्नलिखित कार्यविधि का पालन किया जाएगा ताकि पेंशन मंजूर करने में तथा उसकी अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर किया जा सके :—

(1) वार्षिक सत्यापन करना तथा साथ ही सेवा के बीसवें वर्ष में अथवा सेवा-निवृत्ति से 5 वर्ष पूर्व इनमें जो भी पहले हो, पिछली सेवा के संबंध में सेवा पंजियों को पूरा करना और प्रमाणित करना सेवा पंजियो रखने वाले अधिकारियों का कार्य होगा।

(2) जहां सेवा की प्रकृति के संबंध में यथा—छुट्टी की अवधियां, सेवा भंग आदि के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश जहां अपेक्षित हों वहां प्राप्त किए जाएं और सेवा पंजी में दर्ज किए जाएं। सेवा-पंजी में किए गए इंदराज सरकारी कर्मचारी को दिखाएं जाएं तथा सेवा-पंजी में उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएं।

(3) असाधारण छुट्टी की अवधियों अथवा सेवा-भंग से पूर्व की अवधियों को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने अथवा न गिने जाने के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अनिवार्य रूप से उसी समय लिए जाएं जिस समय कि अवसर उपस्थित न हो कि बाद में इस प्रकार के आदेशों को सेवा-पंजी में दर्ज किया जाए। जब तक कि सेवा पंजी में अन्यथा न दिखाया गया हो यह मान लिया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त कर दिए गए हैं तथा असाधरण छुट्टी की अवधियों और सेवा भंगो से पूर्व की अवधियों को पेंशन के लिए गिना जाएगा।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा ऊपर खण्ड (ii) और (iii) में दी गई कार्यविधि का पालन करने में की गई भूलचूक के परिणाम स्वरूप अधिक अदायगी होने की संभावना है, जैसे कि असाधारण छुट्टी की अवधियों को पेंशन के लिए गिनने दिए जाने से तथा सेवा भंग के स्वतः माफ़ हो जाने के परिणाम स्वरुप अधिक अदायगी जिन मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारियों की भूलचूक के कारण राज्य को हानि हुई हो, उन मामलों में उचित अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

[वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 24.6.1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या फा० 18(7)-V/(बी)/65, भाग V]

अनुपूरक नियम 203 :— यदि कोई सरकारी सेवक अन्यत्र सेवा को अन्तरित कर दिया जाता है तो उसका कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उसकी सेवा पुस्तिका को संपरीक्षा अधिकारी के पास भेजेगा। संपरीक्षा अधिकारी

उसमें अपने हस्ताक्षर करके अन्तरण की मंजूरी का आदेश अन्यत्र सेवा के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी के संबंध में अन्तरण का प्रभाव और कोई अन्य विशिष्टियां जो वह आवश्यक समझे, दर्ज करने के पश्चात् लौटा देगा। सरकारी सेवक के सरकारी सेवा में पुनः अन्तरण पर, उसकी सेवा पुस्तिका संपरीक्षा अधिकारी के पास फिर से भेज दी जाएगी, जो उसमें अपने हस्ताक्षर करके अन्यत्र सेवा से संबंधित सब आवश्यक विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत छुट्टी और पेंशन के अभिदायों की वसूली का तथ्य भी है; दर्ज करेगा। अन्यत्र सेवा में व्यतीत किए गए समय से संबंधित कोई भी प्रविष्टि संपरीक्षा अधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं की जाएगी।

भारत सरकार के आदेश

1. भूटान सरकार के साथ बाह्य विभाग सेवा की अवधि के संबंध में प्रविष्टियां दर्ज करने और अनुप्रमाणित करने की प्रक्रिया:—(1) अनुपूरक नियम 203 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बाह्य विभाग सेवा से संबंधित सेवा पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी को दर्ज अनुप्रमाणित करनी आवश्यक है। बाह्य विभाग सेवा पर जाने और वापिस आने तथा बाह्य विभाग सेवा अंशदान की वसूली से संबंधित प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाती हैं कि बाह्य विभाग सेवा पर व्यतीत की गई अवधि की गणना पेंशन के लिए की जा सके और ऐसे सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा से निवृत्त होते समय पेंशन मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

(2) सरकारी कर्मचारियों के भूटान सरकार के अधीन बाह्य विभाग सेवा में स्थानान्तरण के मामले में उक्त सरकार से कोई पेंशन अंशदान वसूल नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के दिनांक 15 फरवरी, 1966 के पत्र संख्या ई-1/227/12/65-बी०एच० में दिए गए आदेशों द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। इस प्रकार बाह्य सेवा में व्यतीत की गई सम्पूर्ण अवधि भारत में पेंशन के लिए गिनी जाएगी। जहां तक भूटान सरकार की बाह्य विभाग सेवा की अवधि के दौरान ली गई छुट्टी का संबंध है, प्रतिनियुक्ति के अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित की गई छुट्टी उस सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है जो छुट्टी वेतन के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार हैं। अतः यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बाह्य विभाग सेवा पर जाने और वापिस आने से संबंधित प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएं। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि भूटान सरकार में बाह्य विभाग सेवा पर गए अराजपत्रित अधिकारियों/विकेन्द्रीकृत राजपत्रित अधिकारियों (मंत्रालय/विभाग के अनुभाग अधिकारी आदि) के मामले में ऐसे अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी की बजाय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जाए और उन्हें अनुप्रमाणित किया जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 28 अगस्त, 1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 1(7)-ई.III(ख)/71]

अनुपूरक नियम 204:—विलोपित किया गया।

अनुपूरक नियम 205:—विलोपित किया गया।

भाग IV छुट्टी

प्रभाग VIII से XXI तक

(अनुपूरक नियम 206–292—अमुद्रित)

कृपया केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली, 1972 देखें)

भाग V

कार्यग्रहण अवधि

(अनुपूरक नियम 293 से अनुपूरक नियम 302-क अमुद्रित)

(अनुपूरक नियम 303 से 306-क विलोपित किया गया)

कृपया केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण अवधि) नियमावली, 1979 देखें। – (परिशिष्ट - 5)

भाग VI

अन्यत्र सेवा

प्रभाग XXIV-प्रतिशोध्य अभिदायों पर ब्याज

(मूल नियम 119(ख) के अधीन बनाए गए नियम)

[1]307 (1) अन्यत्र सेवागत किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में शोध्य छुट्टी वेतन या पेंशन के लिए अभिदाय का संदाय प्रति वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या यदि अन्यत्र सेवा पर प्रतिनियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाती है तो अन्यत्र सेवा की समाप्ति पर किया जाए और यदि भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो असंदत्त अभिदाय पर, हर सौ रूपए पर दो पैसे प्रति दिन की दर से ब्याज तब तक कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्टतः माफ नहीं कर दिया जाता, उक्त अवधि के अवसान की तारीख से उस तारीख तक, जिस पर अभिदाय अन्तिम रूप से दे दिया जाता है, सरकार को दिया जाएगा। सरकारी सेवक या अन्यत्र नियोजक में जो भी अभिदाय का संदाय करता है ब्याज भी वही देगा।

(2) छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदायों का अलग-अलग संदाय करना चाहिए क्योंकि ये अलग-अलग लेख शीर्षों में जमा होते हैं और सरकार से वसूली करने योग्य कोई भी राशि इन अंशदायों के प्रति समायोजित नहीं की जानी चाहिए :

भारत सरकार का आदेश

अनुपूरक नियम 307 के संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरणः—(1) इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 19-4-1976 की अधिसूचना संख्या एफ०-1(1)-ई-III(ख)/76 विद्यमान अनुपूरक नियम 307(1) को प्रतिस्थापित करने के लिए जारी की थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होनी थी। दुर्भाग्यवश यद्यपि यह अधिसूचना सभी संबंधितों को परिचालित की गई थी फिर भी उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी थी और इसलिए वैध रूप से लागू नहीं हो सकती थी। अब यह पता है कि अधिसूचना की परिचालित प्रति के प्राधिकार पर मुथु स्वामी के एक संकलन में ऊपर उद्धृत नियम का संशोधित रुपांतर छपा है। तदनुसार यह विचार महसूस किया गया है कि कुछ विभागों ने संभवतः ऊपर उद्धृत अनुपूरक नियम 307 के संशोधित रूप के अनुसार प्रतिवर्ष अभिदाय वसूल किए हों।

(3) तथापि यह अधिसूचना अब राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और दिनांक 10-8-1983 से लागू होगी।

(4) उपर्युक्त प्रसंग में, दिनांक 19-4-1976 से 9-8-1983 के बीच निर्णित मामलों के विनियमन से संबंधित मामलों पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और विधिमंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में दिनांक 19-4-1976 की अप्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वार्षिक आधार पर या दिनांक 19-4-1976 की अप्रकाशित अधिसूचना के जारी होने से पहले अशोधित अनुपूरक नियम 307 के उपबन्धों के अधीन मासिक आधार पर अभिदाय नहीं किया गया था, वहां असंशोधित अनुपूरक नियम 307 के उपबन्धों के आधार पर दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाए क्योंकि इन मामलों में दिनांक 19-4-1976 की अधिसूचना में दी गई सूचना प्राप्त नहीं की गई थी। दूसरी ओर, जिन मामलों में दिनांक 19-4-1976 की उक्त अधिसूचना को प्रवृत्त मानकर वार्षिक आधार पर अभिदाय किया गया

[1](भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(1)ई. III (ख)/76-तारीख 19/4/1976 भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने से रह गई) द्वारा प्रतिस्थापित अब तारीख 10 अगस्त, 1983 की अधिसूचना सं० एफ. (1)-ई.III/83 के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित जो 10 अगस्त, 1983 से लागू है।

था वहां असंशोधित अनुपूरक नियम 307 के संदर्भ में दण्डात्मक ब्याज लिया जाएगा। तथापि, अनुपूरक नियम 307 के अधीन उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन मामलों में इस प्रकार वसूल किए जाने वाले दण्डात्मक ब्याज को माफ करने का निर्णय किया गया है। अनुपूरक नियम 307 के अधीन दण्डात्मक ब्याज लिए जाने या न लिए जाने के संबंध में दिनांक 19-4-1976 से 9-8-1983 तक की अवधि के पिछले मामले तदनुसार विनियमित किए जाएं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का दिनांक 22 अगस्त, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1(1)-ई-111/83]

भाग XXIV-क—यात्रा भत्ता

अनुपूरक नियम 307-क:—किसी सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता अन्यत्र सेवा पर स्थानान्तरण पर यात्रा और उससे सरकारी सेवा को प्रतिवर्तन पर यात्रा के संबंध में अन्यत्र नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा।

टिप्पणी:—उपर्युक्त नियम ऐसे मामलों में भी लागू होगा जिनमें उधार लिया गया सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्यावर्तन हो जाने पर छुट्टी ले लेता है।

भाग VII

प्रत्यायोजन

प्रभाग XXV

[मूल नियम 4, 6 तथा 7 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश]

अनुपूरक नियम 308 :–(क) *परिशिष्ट 4 में राष्ट्रपति द्वारा मूल नियम 4 और 6 के अधीन किए गए शक्तियों के प्रत्यायोजनों की अनुसूची है।

(ख) *परिशिष्ट 13 में राष्ट्रपति के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों की अनुसूची है जो राष्ट्रपति द्वारा मूल नियमों के अधीन बनाए गए विभिन्न अनुपूरक नियमों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। [1][ ]

(ग) संदर्भ की सुविधा के लिए जिन मामलों में वित्त मंत्रालय ने मूल नियम 7 के अधीन यह घोषित किया है कि भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा मूल नियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग किए जाने में उसकी सहमति दिए जाने की उपधारणा की जा सकेगी वे दोनों परिशिष्टों में प्रत्यायोजनों के रूप में शामिल कर दिए गए हैं।

अनुपूरक नियम 309 :– वित्त मंत्रालय ने मूल नियम 7 के अन्तर्गत यह घोषित किया है कि *परिशिष्ट 4 तथा 13 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उन अधिकारियों द्वारा, जिन्हें वे प्रत्यायोजित की गई हैं, प्रयोग किए जाने में यह धारणा की जा सकेगी कि वित्त मंत्रालय की सहमति हो चुकी है।

अनुपूरक नियम 310 :–*परिशिष्ट 4 तथा 13 में किए गए प्रत्यायोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :–

(क) वहां के सिवाय जहां राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, किसी प्राधिकारी द्वारा उस शक्ति का प्रयोग जो उसे प्रत्यायोजित की गई है, केवल उन्हीं सरकारी सेवकों के संबंध में किया जा सकेगा जो उस के प्राधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।

(ख) प्रत्येक प्रत्यायोजित शक्ति की प्रकृति परिशिष्टों के कालम 3 में दिखाई गई है। प्रत्यायोजन का विस्तार इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्ति तक ही है, और कालम 2 में उद्धृत नियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति तक नहीं।

(ग) यदि, यथास्थिति, मूल नियमों या अनुपूरक नियमों द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त कोई शक्ति परिशिष्टों में नहीं दिखाई गई है तो यह समझा लिया जाना चाहिये कि ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं है।

[2](घ) किसी भी परिशिष्ट द्वारा किसी विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का प्रयोग भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा किया जा सकेगा।

[3](ङ) विलोपित।

[3](च) विलोपित।

लेखा परीक्षा अनुदेश

अनुपूरक नियम 310 (क) में "जो प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं" शब्दों का अर्थ "जो उस प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत सेवा कर रहे हैं" समझा जाना चाहिए।

[पैरा 30(i), लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल का भाग-II पुनः मुद्रित]

*इस संकलन के भाग I और II के परिशिष्टों में के रूप उद्धृत

[1] दिनांक 28 जुलाई 1971 के सी०एस० संख्या 1320 द्वारा विलोपित,

[2] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 18 मई, 1972 के आदेश संख्या 18(13)-ई. IV/(क)/70 द्वारा शामिल। यह 20 मार्च 1971 से लागू होगा।

[3] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 27 फरवरी 1971 के आदेश संख्या 18(13)-ई. IV/(क)/70 द्वारा विलोपित।

भाग VIII

सरकारी निवास स्थान

प्रभाग XXVI–निवास स्थानों का आबंटन

(मूल नियम 45 के अन्तर्गत बनाए गए नियम)

अनु० नि० 311. जब सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया कोई भवन या उसका कोई भाग, सरकार ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी के निवास स्थान के रूप में उपयोग हेतु देने के लिए उपलब्ध कर दिया हो तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे भवन को या भवन के भाग को आबंटन के आदेश में विनिर्दिष्ट पद को, उस पदधारी द्वारा निवास स्थान के रूप में उपयोग हेतु आबंटित कर सकेगा।

भारत सरकार का आदेश

आबंटन को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :– अनुपूरक नियम 311 के अन्तरगत किसी पद को निवास स्थान का आबन्टन करने के लिए शक्ति प्रदत्त अधिकारी को ऐसा निवास स्थान रद्द करने का भी उस परिस्थिति में अधिकार होगा जबकि विशिष्ट पद की वैधता समाप्त हो जाए अथवा उक्त पद के कार्यकलापों में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए जिससे उस के पदधारी को अपने शासकीय कार्य के उचित निष्पादन के लिए सरकारी निवास स्थान में रहना आवश्यक न रह जाए।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय (सी) का दिनांक 23 नवम्बर, 1963 का पृष्ठांकन सं० एन०बी०-41-13/52]

अनुपूरक नियम 312. (1) किसी पदधारी के बारे में जिसे कोई निवास स्थान नियम 311 के अधीन आबंटित कर दिया गया है तब तक यह माना जाएगा कि पदधारण काल के दौरान वह निवासस्थान उसके अधियोग में है, जब तक कि इन नियमों के अधीन आबंटन तबदील या निलंबित न कर दिया जाए।

(2) किसी अधिकारी बारे में केवल इसी तथ्य के कारण कि वह किसी निवास स्थान में किसी ऐसे अधिकारी के साथ जो उसका अधियोग कर रहा है, हिस्सेदार है, यह नहीं माना जाएगा कि वह निवास स्थान उसके अधियोग में है।

(3) जब अधिकारी दौरे पर पर्वतीय स्थान पर हो, जहां निवास करने के लिए वह सरकार द्वारा अनुज्ञात है, किन्तु अपेक्षित नहीं है, तब यह माना जाएगा कि निवास स्थान उसके अधियोग में है।

(4) जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे किसी अधिकारी के बारे में जब वह छुट्टी पर जाता है, यह नहीं माना जाएगा कि निवास स्थान उसके अधिभोग में है।

अनुपूरक नियम 313. (1) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित पद के लिए निवास स्थान का आबंटन निलंबित कर सकेगा :–

(क) किसी अधिकारी द्वारा मूल नियम 49 के अधीन किसी दूसरे पद के अतिरिक्त अस्थायी रूप से धारित यदि उस अधिकारी का उस निवास स्थान पर वस्तुतः अधिभोग न हो ;

(ख) जिस पद का पदधारी किसी दूसरे पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, यदि ऐसे कर्तव्यों के कारण वह उस निवास स्थान का अधिभोग नहीं कर सकता हो ;

(ग) जिस पद पर कोई अधिकारी उसी अवस्थान में किसी अन्य पद से स्थानांतरित किया गया है, यदि ऐसे अन्य पद को आबंटित कोई निवास स्थान उस अधिकारी के अधिभोग में है, और सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक नहीं समझता है कि उसे अपना निवास स्थान तबदील करना चाहिए, या

[1](घ) विलोपित।

[1](ङ) विलोपित।

[1](च) जिस पद पर अधिकारी को दो मास से अनधिक के लिए स्थानापन्न है, यदि अधिकारी उन परिस्थितियों के कारण उसका वस्तुतः अधिभोग नहीं कर सकता जो सक्षम प्राधिकारी की राय में आबंटन के निलंबन को न्यायोचित ठहराती है।

(2) राष्ट्रपति के आदेश के सिवाय कोई भी आबंटन उपनियम (1) के अनुसार ही निलंबित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) इस नियम के अधीन निलंबन का आदेश पदधारियों की आगामी तबदीली या जब निलम्बन को न्यायोचित

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्री के तारीख 27 फरवरी, 1971 के आदेश संख्या 18(13)-ई.IV/(क)/70 द्वारा विलोपित। यह 20 मार्च, 1971 से लागू होगा।

ठहराने वाली परिस्थितियां अस्तित्व में नहीं रह जाती जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।

(4) जब किसी पद के लिए किसी निवास स्थान का आबंटन इस नियम के अधीन निलंबित कर दिया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी उस निवास स्थान को सरकार के किसी अधिकारी को यदि उसकी किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षा ही की जाती, तो किसी भी उपर्युक्त व्यक्ति को आबंटित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को आबंटन उस तारीख के पूर्व समाप्त हो जाएगा जिस पर निलम्बन की अवधि समाप्त होती है।

डाक तार महानिदेशालय के आदेश

1. **अराजपत्रित पदों से सम्बद्ध लाइसेंस फीस मुक्त क्वार्टर**:-सर्किल अध्यक्ष किसी ऐसे अराजपत्रित पद के पदधारी का आवास स्थान का अबन्टन निलंबित कर सकते हैं जो लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए बिना ही क्वार्टर का हकदार हो जबकि ऐसा पदधारी गैर सरकारी किराए के मकान में रह रहा हो और उसे आबन्टन की उपयुक्त पूर्व सूचना देना संभव नहीं हो जिससे वह अपने मकान मालिक को मकान खाली करने के लिए वांछित नोटिस दे सके।

निलम्बन की अवधि सामान्यतः नोटिस की उस अवधि के बराबर होगी जो पदधारी को अपने मकान मालिक को देना है किन्तु यह अगले कलैण्डर मास की समाप्ति से आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

[एफ०ए० (सी०) का दिनांक 11 जनवरी, 1940 का पत्र संख्या एन-705/38.]

2. **राजपत्रित पदों से सम्बद्ध क्वार्टर** :—राजपत्रित पदों को आबन्टित निवास स्थान का आबन्टन निलंबित करने के लिए सर्किल अध्यक्ष अनु० नियम 313(1) के अधीन पूरी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

सर्किल अध्यक्ष किसी राजपत्रित पद के पदधारी को आबन्टित निवास स्थान का निलम्बन उस परिस्थिति में भी कर सकते हैं जब कि ऐसा पदधारी गैर सरकारी किराए के मकान में रह रहा हो और आबन्टन की पर्याप्त पूर्व सूचना देना संभव नहीं है। जिससे वह अपने मकान मालिक को मकान खाली करने का अपेक्षित नोटिस दे सके निलम्बन की अवधि सामान्यतः उस नोटिस की अवधि के बराबर होगी जो पदधारी को अपने मकान मालिक को देना है किन्तु यह अवधि अगले कैलेण्डर मास की समाप्ति के बाद नहीं बढ़नी चाहिए।

[एफ० ए० (सी०), का दिनांक 20 फरवरी, 1947 का पृष्ठांकन संख्या एन-47-37/45]

अनुपूरक नियम 314.—किसी निवास स्थान का अधिभोग करने वाला अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे उप पट्टे पर दे सकेगा, अर्थात्

(क) पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा;

(ख) सरकार उप-अभिकृति को मान्यता नहीं देगी;

(ग) पट्टाकर्ता अनुज्ञप्ति फीस के लिए और निवास स्थान की उचित टूट फूट अलावा हुए किसी नुकसान के लिए, वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी रहेगा;

(घ) उप अभिकृति उस तारीख से पूर्व समाप्त हो जाएगी जिस पर पट्टाकर्ता उस पद को धारण करना छोड़ देता है जिसके लिए निवास स्थान आबंटित किया गया है ;

(ङ) पट्टेदार द्वारा संदेय अनुज्ञप्ति फीस, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय पट्टाकर्ता द्वारा सरकार को संदेय अनुज्ञप्ति से अधिक नहीं होगी;

(च) पट्टाकर्ता द्वारा सरकार को संदेय भाड़े की रकम अनुज्ञप्ति फीस जो उसे निवास स्थान को उप-पट्टे पर न देने की दशा में देनी पड़ती अथवा वह अनुज्ञप्ति फीस जो पट्टेदार को निवास स्थान का उसे सीधे सरकार द्वारा आबंटित किए जाने की दशा में देनी पड़ती, इनमें से भी जो भी, राशि अधिक हो, होगी।

भारत सरकार के आदेश

1. **जब पट्टेदार और/या पट्टाकर्ता लाइसेंस फीस मुक्त क्वार्टर का हकदार हो तो उप-किराएदारी पर क्वार्टर दिए जाने पर लाइसेंस फीस की वसूली**:—अनु० नि० 314 (च) के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि किसी सरकारी आवास को उप-किराएदारी पर दिए जाने के मामले में, जब पट्टाकर्ता लाइसेंस फीस से मुक्त क्वार्टर अथवा इसके बदले में मकान किराए भत्ते का हकदार नहीं है, किन्तु पट्टेदार इसका हकदार है, तो पट्टाकर्ता वही लाइसेंस फीस देगा जो उसे निवास स्थान की पट्टेदारी न करने पर देनी होती अथवा पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली लाइसेंस फीस देगा जो उसे उस दशा में देनी पड़ती जबकि सरकार द्वारा उसे लाइसेंस फीस मुक्त कोई अन्य आवास सीधे ही आबन्टन किया जाता, इन दोनों में जो भी अधिक हो।

जब कोई सरकारी निवास स्थान किराएदारी पर दिया जाता है और पट्टाकर्ता अथवा पट्टेदार, लाइसेंस फीस से मुक्त क्वार्टर अथवा इसके बदले में मकान किराए भत्ते का हकदार है तो लाइसेंस फीस की वसूली के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए :—

(i) जब पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार दोनों ही लाइसेंस फीस से मुक्त क्वार्टर अथवा इसके बदले में मकान किराए भत्ते के हकदार हैं तो पट्टाकर्ता उक्त दोनों मकान किराए भत्तों में से अधिक वाले भत्ते के बराबर राशि का भुगतान सरकार को करेगा; तथा

(ii) जब किसी पट्टा कर्ता को तो लाइसेंस फी से मुक्त क्वार्टर अथवा इसके बदले में मकान किराए भत्ते की हकदारी प्राप्त हो, पर पट्टेदार इसका हकदार न हो तो पट्टाकर्ता या तो अपने को देय मकान किराया भत्ते के बराबर राशि अथवा पट्टेदार को देय वह लाइसेंस फीस के बराबर राशि, जबकि आबन्टन सरकार द्वारा सीधे ही उसे किया गया हो, तो इनमें जो भी अधिक हो, सरकार को देगा।

[भारत सरकार, वित्त प्रभाग का तारीख 14 अगस्त 1945 का पृष्ठांकन संख्या एफ 20 (6) एफ II/45]

2. जब लाइसेंस फीस मुक्त क्वार्टर उप किराएदारी पर दिया जाता है तो मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता:-- यह प्रश्न उठाया गया है कि जो सरकारी सेवक सेवा शर्त के रूप में लाइसेंस फीस से मुक्त आवास स्थान अथवा इसके बदले में मकान किराए भत्ते का हकदार है और उसे आवन्टित निवास स्थान के लिए जिसकी वह उपर्युक्त मद (1) के पैरा 2 के अनुसार लाइसेंस फीस देता है, उचित स्वीकृति के बाद उप किराएदारी पर देते हुए भी मकान किराया या भत्ता पाने का हकदार है और ऐसे मामलों में यह निश्चित किया गया है सामान्य किराया भत्ता अनुज्ञेय होगा।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 26 जून, 1950 का का०ज्ञा० संख्या एफ 2(21)ई-III/50]

अनु० नि० 315. उन पदों को धारण करने वाले अधिकारी जिन को निवास स्थान आबंटित किए गए हैं, उस प्राधिकारी की अनुज्ञा से जिसने आबंटन किया है, निवास स्थानों को आपस से बदल सकेंगे। ऐसा विनिमय सरकार द्वारा मान्य नहीं होगा। प्रत्येक अधिकारी उस पद के लिए जिसका वह धारण किए हुए है, आबंटित निवास स्थान की लाइसेंस फीस के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

अनु० नि० 316. सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को, अपने आस्थान से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, ऐसी अनुपस्थिति के पूर्व जिस स्थान का वह अधिभोगी है उसमें स्वयं अपने जोखिम पर, अपना फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्ति बिना किसी अनुज्ञप्ति फीस के रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा पर वह तब जब कि

(क) अनुपस्थिति अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी, यदि कोई हो, निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए उत्तरदायी न हो, या

(ख) ऐसे अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान निवास स्थान को पट्टे पर देने की व्यवस्था न की गई हो।

परन्तु यदि फर्नीचर आदि को रखने के परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर या विनिर्दिष्ट सेवाओं, जैसे पानी, विद्युत या सफाई आदि के लिए करों को समाप्त कराने या उनकी छूट के लिए कोई दावा अग्राह्य हो जाता है तो करों का समाप्ति या छूट के समतुल्य रकम, जो अन्यथा प्रादुभूत हुई होती, उस सरकारी सेवक से वसूल की जाएगी जिसने रियायत का उपभोग किया है।

परन्तु यह और कि फर्नीचर आदि को बिना किसी अनुज्ञप्ति फीस के रखे रहने के लिए अनुज्ञा अधिक से अधिक आठ मास की सीमित अवधि के लिए दी जाएगी।

अनु० नियम 316 क.--यदि उस अधिकारी की, जिसे कोई निवास स्थान आबंटित किया गया है, मृत्यु हो जाती है या उसे सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है, या वह सेवा से निवृत्त हो जाता है तो निवास स्थान का उसका आबंटन, यथास्थिति उसकी मृत्यु, पदच्युति या सेवा निवृत्ति के एक मास के बाद या मृत्यु, पदच्युति या सेवा निवृत्ति के बाद किसी ऐसी तारीख से, जिस पर निवास स्थान वस्तुतः रिक्त कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, रद्द कर दिया जाएगा।

[मूल नियम 45-क के नीचे आदेश सं० 9 देखें जो सेवानिवृत्ति/छुट्टी समाप्ति/मृत्यु के मामलों में निवास स्थान आगे बनाए रखने के लिए संशोधित रियायती अवधियों के संबन्ध में है।

लेखा परीक्षा अनुदेश

अनुपूरक नियम 316-क के अन्तर्गत आने वाले मामलों में लाइसेंस फीस मूल नियम 45-क द्वारा शासित होगी न कि मूल नियम 45-ख द्वारा; अर्थात जब मूल आबन्टन विद्यमान है तो लाइसेंस फीस उसी रियायती दर से ली जानी चाहिए जिस दर से सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, पदच्युति अथवा सेवा-निवृत्ति, जैसी भी स्थिति हो, से पहले उसके द्वारा दी जाती थी। इसी प्रकार, यदि किसी मामले में लाइसेंस फीस मुक्त क्वार्टर मंजूर था तो यह रियायत अनुकम्पा की अवधि के दौरान भी जारी रहनी चाहिए।

[पैरा 5(iv) - अध्याय V भाग 1-लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुनर्मुद्रित)]

अनु० नि० 317 (1) नियम 311 से 316 तक, दोनों को सम्मिलित करते हुए 1 अप्रैल, 1924 को और नियम 316-क 31 जनवरी, 1940 को प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

(2) नियम 311 से 316क तक, दोनों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी वर्ग के ऐसे निवास स्थान को, लागू नहीं होंगे, जिनके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मूल नियम 45 के अधीन बनाए गए नियम 311 से 316क तक से भिन्न नियम प्रवृत्त हैं।

प्रभाग XXVI-क से प्रभाग XXVI-छ तक-(अमुद्रित) प्रभाग XXVII-सरकारी निवास स्थानों की लाइसेंस फीस

(मूल नियम 45-क के अधीन बनाए गए नियम)।

अनु० नियम 318. मूल नियम 45-क के खण्ड 2 के प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान का, उसके समनुषंगी भवनों को सम्मिलित करते हुए और उस स्थल का, जिस पर वह निवास स्थान निर्मित है, वर्तमान मूल्य निम्नलिखित द्वारा प्राक्कलित किया जाएगा –

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी लोक निर्माण अधिकारी द्वारा जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से निम्न पंक्त का न हो; या

(ख) भारतीय डाक तार विभाग के मंडल इंजीनियर द्वारा जब निवास स्थान उक्त विभाग के प्र भाराधीन हो और जब –

(i) वह निवास स्थान ऐसे अधिकारी के अधिभोग में हो जिसका वेतन 150 रू० प्रतिमास से अधिक नहीं है, या

(ii) उस निवास स्थान और उससे संलग्न समनुषंगी भावनों की पूंजीगत लागत पृथक्तः नहीं अपितु सामूहिक रूप से ही ज्ञात हो,

प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा जो निवास स्थान और स्थल का वर्तमान मूल्य अवधारित करेगा।

अनु० नियम 319. मूल नियम 45-क के खण्ड 2 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का, जैसे,

(क) स्थल की भराई, समतल करना और संवारना;

(ख) पुश्ताबंदी व पुश्तादीवारों, अहाता दीवारों, बाड़ों और फाटकों का सन्निर्माण;

(ग) आंधी वर्षा के पानी का जल-निकास; और

(घ) अहाते के अन्दर प्रवेश मार्ग और रास्ते उपगत व्यय, स्थल की तैयारी पर किया गया व्यय माना जाएगा।

अनुनियम 320. मूल नियम 45 क के खण्ड 2 के परन्तुक vi के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को फिटिंग माना जाएगा, अर्थात् –

विद्युत फिटिंग

(क) हर प्रकार के लैम्प (बल्बों को छोड़कर) ;

(ख) पंखे, जिनमें स्विच तथा रेग्युलेटर भी हैं जिनका भाड़ा पृथकतः नहीं लिया जाता ;

(ग) मीटर;

(घ) विद्युत हीटर और जल हीटर, जो दीवारों, फर्श या छतों के लगाये जाएं; और

(ङ) विद्युत लिफ्टें।

स्वच्छता और जल प्रदाय फिटिंग

(क) गर्म पानी के प्रदाय के लिए संयंत्र,

(ख) स्नानागार, बेसिन और शौचालय उपस्कर; तथा

(ग) मीटर।

अनु० नियम 321. पट्टे पर दिए गए निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की मूल नियम 45क के खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अधीन संगणना करने में, पट्टाकर्ता को संदत्त रकम से भिन्न, सरकार द्वारा वहनीय प्रभारों की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित रकम जोड़ दी जाएगी अर्थात् :–

(क) मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षणों और मरम्मतों, ऐसे प्रभारों को वहन करने के लिए वह रकम जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास स्थान के अनुरक्षण और मरम्मत के सरकारी व्यय पर किए ग ए किसी अतिरिक्त काम के अनुरक्षण और मरम्मत को सम्मिलित करते हुए संभाव्य खर्च के रूप में प्राक्कलित की जाए और निवास स्थान के संबंध में स्वामी द्वारा किसी नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकाय को किसी विधि या रूढि के अधीन गृह या सम्पत्ति कर के रूप में संदेय सब रेट या कर जब तक कि ऐसे रेट या करों की रकम पट्टाकर्ता को संदत्त रकम में सम्मिलित न कर दी गई हो, और

(ख) परिवर्धनों और परिवर्तनों पर पूंजीगत व्यय के लिए ऐसे प्रभारों को वहन करने के लिए और ऐसे पूंजीगत व्यय पर ब्याज के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलित रकम जो सरकार की पट्टा की अवधि के दौरान, ऐसे प्रभारों या उनके ऐसे भाग का, जिसकी सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए पट्टाकर्ता को करार न किया हो, प्रति संदाय करने के लिए पर्याप्त हो और उस पर से जो राष्ट्रपति द्वारा मूल नियम 45 क के खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) (1) के अधीन नियत की गई हो;

(i) यदि ऐसे प्रभारों के किसी भाग की प्रतिपूर्ति पट्टाकर्ता द्वारा नहीं की जानी है तो ऐसे प्रभारों के आधे संगणित ब्याज; या

(ii) यदि ऐसे प्रभारों के किसी भाग की पट्टाकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है तो ऐसे प्रभारों और प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम को आधी राशि पर संगणित ब्याज।

अनु० नि० 322. (1) मूल नियम 45 क के खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) के अधीन, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना करने में, सरकार द्वारा संदेय नगर पालिका और अन्य करों के लिए और मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निम्नलिखित रकमें जोड़ दी जाएंगी अर्थात् :–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास स्थान के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए (स्वच्छता, जल प्रदाय और विद्युत अधिष्ठापनों और फिटिंगों को सम्मिलित करते हुए) संभाव्य खर्च के रूप में प्राक्कलित रकम और इसके अतिरिक्त, उस निवास स्थान के संबंध में स्वामी द्वारा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय को किसी विधि या रूढ़ि के अधीन गृह या सम्पत्ति कर के रूप में संदेय रेट या करों की रकम; या

(ख) यदि ऐसा कोई प्राक्कलन नहीं किया गया है तो मूल नियम 45 के खण्ड 2 के अधीन निवास स्थान की पूंजीगत लागत के रूप में ली गई राशि का उतना प्रतिशत, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए और जो उस औसत अनुपात पर आधारित हो जो उसी परिक्षेत्र में वैसी ही डिजाइन और वैसी ही सुविधाओं से युक्त निवास स्थानों के संबंध में ऐसे करों, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वस्तुतः प्रभारित रकमों और निवास स्थानों की पूंजीगत लागत के मध्य है।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिशतता नियत करने का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए—

(क) "संभाव्य खर्च" के अन्तर्गत वे सब प्रभार होंगे जिनका उपगत किया जाना उचित रूप से प्रत्याशित हो;

(ख) "मामूली मरम्मत" के अन्तर्गत प्रतिवर्ष या कालिकतः की गई मरम्मत होगी, किन्तु विशेष मरम्मत इसके अन्तर्गत नहीं है;

(ग) "विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत फर्शों और छतों का फिर से लगाया जाना और लम्बे अन्तरालों पर होने वाले अन्य प्रतिस्थापन होंगे;

(घ) आग, बाढ़, भूकम्प, असामान्य आंधी या अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप आवश्यक मरम्मत के खर्च या संभाव्य खर्च की गणना नहीं की जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा प्राक्कलित रकम या नियत किए हुए अनुपात का पुनरीक्षण कर सकेगा और यदि पांच वर्षों से कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है तो पुनरीक्षण करेगा।

अनु० नियम 323. (1) जब किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना कर ली गई हो तो निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि किए बिना, छोटे परिवर्धनों और परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जा सकेंगे; अर्थात् :—

(क) ऐसे परिवर्धनों और परिवर्तनों का कुल खर्च उस पूंजीगत लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिस पर मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना की गई थी; और

(ख) ऐसे परिवर्धन और परिवर्तन मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना के पांच वर्ष के अन्दर किए जाएंगे।

[1](2) उन मामलों में जहां परिवर्धन या परिवर्तन उन अधिकारी के अनुरोध पर किया गया हो जिसे निवास स्थान आबंटित किया गया हो, परिवर्तनों तथा/अथवा परिवर्धनों की प्राक्कलित लागत के छह प्रतिशत की दर से संगणित अनुज्ञप्ति फीस उस अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त जो मूल नियम 45 क के खण्ड 4 (ख) (i) के अधीन प्रभारित की जाती, कार्य के पूरा होने की तारीख से, उस अधिकारी से वसूल की जाएगी। ऐसी अतिरिक्त वसूली तब तक जारी रहेगी जब तक वह निवास स्थान किसी अन्य अधिकारी को आबंटित न कर दिया जाए या मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना, पुनः अनुपूरक नियम 324 के उपबंध के अधीन, न कर ली जाए।

अनु० नियम 324. (1) जब परिवर्धनों और परिवर्तनों के कारण किसी निवास स्थान की पूंजीगत लागत, उस पूंजीगत लागत से, जिस पर मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना की गई थी, पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो ठीक आगामी पहली अप्रैल से या उस तारीख से जिस पर कोई नया किराएदार अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए दायी हो जाता है, दोनों में से जो भी पहले हो, मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना पुनः की जाएगी।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना से पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर, संगणना पुनः की जाएगी और पुनः की गई संगणना ठीक आगामी पहली अप्रैल से या ऐसी किसी अन्य तारीख से, जिसका राष्ट्रपति निदेश दे, प्रभावी होगी।

[1](3) उप नियम (1) तथा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जब अनु० नियम 323 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट निवास स्थान उस अधिकारी द्वारा खाली कर दिया जाता है जिसके अनुरोध पर परिवर्धन या परिवर्तन किया गया हो तो विद्यमान मानक अनुज्ञप्ति शुल्क और पुनः आबंटन की तारीख को मंजूर किया गया अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क किसी अन्य अधिकारी को उनके पुनः आबंटन पर उस निवास स्थान का अनुज्ञप्ति शुल्क होगा। यदि उस स्थान का मानक अनुज्ञप्ति शुल्क अन्य निवास स्थानों से मिला दिया गया हो तो उसका विद्यमान सामूहिक अनुज्ञप्ति शुल्क अनु० नि० 323 (2)

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 31 जुलाई, 1968 की संशोधन पर्ची सं० 1040 के द्वारा शामिल किया गया।

के अधीन वसूली अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क सामूहिक अनुज्ञप्ति शुल्क होगा।

[1](4) उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निवास स्थान के लिए मू० नि० 45 क-4(ग)(ii) के अधीन विहित अनुज्ञप्ति फीस की सपाट दर, पिछली संगणना की तारीख से तीन वर्ष के अवसान पर पुनः संगणित की जाएगी और पुनः संगणना अगली 1 जुलाई से या ऐसी अन्य तारीख से जो राष्ट्रपति निदेश दें, प्रभावी होगी।

अनु० नियम 325. (1) यदि किसी निवास स्थान में जलप्रदाय, स्वच्छता या विद्युत अधिष्ठापन और फिटिंग से भिन्न सेवाएं, जसे फर्नीचर, टेनिस या सरकार के खर्च पर अनुरक्षित उद्यान (उस उद्यान से भिन्न जिसके संबंध में इन नियमों से भिन्न, मूल नियम 45-क के खंड 6 के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम प्रवृत्त हैं, प्रदान की गई है तो इन सेवाओं के लिए प्रभारित अनुज्ञप्ति फीस जो मूल नियम 45 क के खण्ड 4 के अधीन संदेय अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त और उसी अवधि के लिए होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) फर्नीचर की दशा में अनुज्ञप्ति फीस टिकाऊ और अटिकाऊ वस्तुओं के लिए पृथकतः संगणित की जाएगी;

(ख) अनुज्ञप्ति फीस मासिक अनुज्ञप्ति फीस के रूप में होगी, और निम्नलिखित अर्थात् :—

(i) राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी सेवाओं की पूंजीगत लागत पर, इस निमित्त समय समय पर नियत की जाने वाली दर पर ब्याज,

(ii) फर्नीचर की दशा में, अवक्षयण और मरम्मत, तथा

(iii) फर्नीचर से भिन्न अन्य सेवाओं की दशा में, अनुरक्षण प्रभार;

के संदाय के लिए प्रतिवर्ष अपेक्षित रकम का बारहवां भाग होगी।

परन्तु शिमला, नई दिल्ली और दिल्ली में सरकारी निवास स्थानों में आपूर्ति किए गए फर्नीचर की दशा में अनुज्ञप्ति फीस की संगना नियम 323 और 324 में विनिर्दिष्ट रीति से इस अपवाद के साथ की जाएगी कि जिस अधिकतम सीमा तक परिवर्धन और परिवर्तन अनुज्ञप्ति फीस में तुरन्त वृद्धि को आवश्यक बनाए बिना किए जा सकेंगे वे फर्नीचर की पूंजी लागत का उन नियमों में अधिकथित पाँच प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत होगी। यह उपबंध फर्नीचर के स्केल में कमी किए जाने की दशा में भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा; तथा

(ग) यदि ऐसी सेवाओं की पूंजीगत लागत ज्ञात नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका प्राक्कलन किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी निवास स्थान में सरकार द्वारा विद्युत उर्जा और पानी की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार उपनियम (1) के अधीन और मूल नियम 45 क के खण्ड (4) के अधीन संदेय अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) विद्युत उर्जा और पानी की दशा में, जिसका प्रदाय मीटरों से विनियमित होता है, प्रभार की संगणना मीटरों द्वारा यथा उपदर्शित प्रतिमास उपयोग किए गए यूनिटों के आधार पर की जाएगी। प्रति यूनिट दाम की दर इस प्रकार नियत की जाएगी कि उसके अन्तर्गत, सरकार को लाभ की इतनी मात्रा के अतिरिक्त जितनी सक्षम प्राधिकारी उचित समझे,

निम्नलिखित के संदाय के लिए अपेक्षित रकम आ सके—

(i) भीतर किए गए इंस्टालेशन से सम्पर्क बिन्दु तक की प्रणाली पर उपगत पूंजी लागत पर उस दर पर ब्याज, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त, समय समय पर नियत की जाए;

(ii) पूंजी आस्तियों पर अवक्षयण और अनुरक्षण प्रभार; और

(iii) चालू वास्तविक खर्चे।

(ख) विद्युत उर्जा और पानी की दशा में, जिसका प्रदाय मीटरों से विनियमित नहीं होता, वसूलीय प्रभार ऐसी दरों पर नियत किए जाएंगे जैसी सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

(ग) यदि खण्ड क (1) में वर्णित पूंजीगत लागत या खर्च ज्ञात नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलित किया जा सकेगा।

परन्तु इस उपनियम की कोई बात ऐसे प्रवर्तित नहीं होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारण एकरूपात्मक रहे, अनेक निवास स्थानों को, चाहे वे किसी विशिष्ट क्षेत्र में हों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के हो, विद्युत उर्जा और पानी के लिए प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए एक समूह में रखने से निवारित करे।

(3) विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, उन कारणों से, जो आदेश में लेखबद्ध किए जाने चाहिये, उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस और प्रभार से छूट दे सकेंगे या उनमें कमी कर सकेंगे।

---

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 30-6-1987 की अधिसूचना सं० 11(7)/डब्ल्यू एण्ड ई०/86 द्वारा अन्तः स्थापित।

भारत सरकार के आदेश

1. ब्याज की दर :—मूल नियम 45-क तथा 45-ख के अन्तर्गत बनाए गए अनुपूरक नियमों के प्रयोजन के लिए भी ब्याज की दर वही अपनायी जानी चाहिए जो मूल नियम 45-क-III तथा 45-ख-III के प्रयोजन के लिए लागू की जाती है ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग सं० एफ 3-XLVII और 1/29 दिनांक 19 फरवरी, 1930].

2. फर्नीचर का किराया :—अनुपूरक नियम 325(1) के अधीन यह निर्णय किया गया है कि डाक व तार विभाग के रिहायशी क्वार्टरों तथा बंगलों में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर की मानक लाइसेंस फीस नीचे दी गई दरों पर नियत की जाएं :—

	प्रतिशतताएं जिन पर सप्लाई किए गए फर्नीचर की पूंजीगत लागत पर मानक लाइसेंस फीस वसूल की जानी चाहिए	
	टिकाऊ प्रतिशत	गैर-टिकाऊ प्रतिशत
I. नई दिल्ली :—		
(1) राजपत्रित अधिकारियों के निवास स्थानों पर फर्नीचर	11.25	14.25
(2) अराजपत्रित कर्मचारियों के क्वार्टरों पर फर्नीचर		
(i) नए ढंग का	14.25	21.25
(ii) पुराने ढंग का	15.25	21.25
II. नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान :		
(1) राजपत्रित अधिकारियों के निवास स्थानों पर फर्नीचर	11.25	14.25
(2) अराजपत्रित कर्मचारियों के क्वार्टरों पर फर्नीचर (पुराने तथा नए दोनों ढंग का)	14.25	21.25

[एफ०ए०(सी०) का दिनांक 22 अप्रैल, 1941 का पृष्ठांकन संख्या 232/39]

3. उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सेवाओं के प्रभार की वसूली की दरः—यह प्रश्न उठाया गया था कि सरकारी निवास स्थान के आबन्टनों को अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए व्यय का अंश क्या हो जो सरकारी निवास स्थान के आबन्टकों से वसूली की दर नियत करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए । यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था के लिए वास्तविक व्यय और ऐसी सेवाओं से संबंधित नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त, उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संतान शिक्षण भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता, वर्दी तथा यूनिफार्म, छुट्टी वेतन तथा पेंशन संबंधी लाभों के कारण उचित प्रतिशतता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब तक कि ऐसा पहले नहीं किया गया हो ।

वास्तविक व्यय के आंकड़े उपयुक्त समय के भीतर प्राप्त कर लेना हमेशा संभव नहीं है और इसलिए उपयुक्त समय के भीतर यथा संभव वास्तविक व्यय के विश्वस्त सन्निकटन आंकड़ों का हिसाब लगा लिया जाए और पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय की विभिन्न मदों के लिए उपयुक्त प्रतिशतताएं निकाल ली जाएं ।

[भारत सरकार, आवास मंत्रालय संपदा निदेशालय (नीति सैल) का तारीख 7 अप्रैल, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/(1)/69-नीति]

अनुपूरक नियम 326.— मूल नियम 45 क 1 अप्रैल, 1924 से उन सभी सरकारी सेवकों को, जो उक्त नियम में वर्णित नहीं हैं पर जिन्हें दिल्ली और शिमला में सरकारी निवास स्थानों और क्वार्टरों के आबंटन और अधिभोग को शासित करने वाले नियम लागू थे, लागू हुआ समझा जाएगा । और 1 अप्रैल, 1929 से, उन सरकारी सेवकों से भिन्न जो किसी भारतीय रेल के या रेल राजस्व के खर्च पर अनुज्ञप्ति फीस पर लिए गए निवास स्थानों के अधिभोगी हों, सब सरकारी सेवकों को, जो इन नियमों के नियम 1 में उपवर्णित शर्तों को पूरा करते हों, लागू होगा ।

प्रभाग-28 सरकारी निवास स्थानों की अनुज्ञप्ति फीस

(मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत बनाए गए नियम)

अनु० नियम 327.—मूल नियम 45 ख के खण्ड 2 के प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान का, उसके समनुषंगी भवनों को सम्मिलित करते हुए, और उस स्थल का जिस पर वह निवास स्थान निर्मित है, वर्तमान निम्नलिखित के द्वारा प्राक्कलित किया जाएगा :—

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण अधिकारी, जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो; या

(ख) भारतीय डाक तार विभाग के खण्ड इंजीनियर द्वारा, जब निवास स्थान उक्त विभाग के भारसाधन में हो, और जब. —

(i) वह निवास स्थान ऐसे अधिकारी के अधिभोग में हो जिसका वेतन 150/-रू० प्रतिमास से अधिक नहीं है, या

(ii) उस निवास स्थान और उससे संलग्न समनुषंगी भवनों की पूंजीगत लागत पृथकतः नहीं अपितु सामूहिक रूप से ही ज्ञात हो;

प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा जो निवास स्थान और स्थल का वर्तमान मूल्य अवधारित करेगा।

अनु० नि० 328. मूल नियम 45 ख के खण्ड 2 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित काम, जैसे

(क) स्थल की भराई, समतल करना और उसको संवारना;

(ख) पुश्ताबंदी, पुश्तादीवारी, अहातादीवारों, बाड़ा और फाटकों का सन्निर्माण करना ;

(ग) आंधी वर्षा के पानी की निकास नालियां, और

(घ) अहाते के अन्दर प्रवेश मार्ग और रास्तों पर उपगत व्यय, स्थल की तैयारी पर किया गया व्यय माना जाएगा।

भारत सरकार का आदेश

सामुदायिक उद्यानों पर व्यय :— —यह निर्णय किया गया है कि किसी निवास स्थान के अहाते के भीतर सभी व्यय, चाहे वह घास लगाने का है अथवा आंधी वर्षा के पानी की निकासी के संबंध में है, स्थल की तैयारी पर किया गया व्यय माना जाएगा और तदनुसार मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत लाइसेंस फीस की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

यह भी निर्णय किया गया है कि सामुदायिक लानों अथवा उद्यानों का व्यय मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान की लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा और सामुदायिक उद्यान अथवा लानों का कोई व्यय आबंटकों से वसूल नहीं किया जाएगा जब तक कि निवास स्थान के साथ कोई प्राइवेट लान अथवा उद्यान सम्बद्ध न हो।

[भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय के तारीख 19 फरवरी 1960 के पत्र सं० 13/15/58-आवास के संबंध में वित्त मंत्रालय का महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया तारीख 29 फरवरी, 1960 का पृष्ठांकन संख्या 1417/एम०एफ०(ई०)/60]

अनु०नियम 329. मूल नियम 45 ख के खण्ड 2 के परन्तुक (vi) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को फिटिंग माना जाएगा, अर्थात् :—

विद्युत फिटिंग

(क) हर प्रकार के लैम्प (बल्बों को छोड़कर);

(ख) पंखे जिनमें स्विच और रेग्यूलेटर भी हैं, जिनका भाड़ा पृथकतः नहीं लिया जाता;

(ग) मीटर;

(घ) विद्युत हीटर और जल हीटर, जो दीवारों, फर्श या छतों में लगाए जाएं; और

(ङ) विद्युत लिफ्टें।

स्वच्छता और जल प्रदाय फिटिंग

(क) गर्म पानी के प्रदाय के लिए संयंत्र;

(ख) स्नानागार, बेसिन और शौचालय उपस्कर; और

(ग) मीटर।

अनु० नियम 330. पट्टे पर दिए गए निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की मूल नियम 45 ख के खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अधीन संगणना करने में, पट्टाकर्ता को संदत्त रकम से भिन्न रकम, सरकार द्वारा वहनीय प्रभारों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित रकम जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मतों के ऐसे प्रभारों को वहन करने के लिए वह रकम जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास स्थान के अनुरक्षण और मरम्मत के (सरकारी व्यय पर किए गए किसी अतिरिक्त काम के अनुरक्षण और मरम्मत को सम्मिलित करते हुए) सम्भाव्य खर्च के रूप में प्राक्कलित की जाए, और निवास स्थान के संबंध में स्वामी द्वारा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय को किसी विधि या रूढ़ि के अधीन गृह या सम्पत्ति कर के रूप में संदेय सब रेट या कर जब तक कि ऐसे रेट या करों की रकम पट्टाकर्ता को संदत्त रकम में सम्मिलित न कर दी हो; और

(ख) परिवर्धनों और परिवर्तनों पर पूंजीगत व्यय के लिए ऐसे प्रभारों को वहन और ऐसे पूंजीगत व्यय पर ब्याज के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलित उतनी रकम जो सरकार को पट्टा की अवधि के दौरान ऐसे प्रभारों या उनके ऐसे भाग का जिसकी सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए पट्टाकर्ता ने करार न किया हो, प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त हो और इसके अतिरिक्त उसे दर से जो राष्ट्रपति द्वारा मूल नियम 45 ख के खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) के अधीन नियत की गई हो।

(i) यदि ऐसे प्रभारों के किसी भाग की प्रतिपूर्ति पट्टाकर्ता द्वारा नहीं की जानी है तो ऐसे प्रभारों के आधे पर संगणित ब्याज; या

(ii) यदि ऐसे प्रभारों के किसी भाग की पट्टाकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है तो ऐसे प्रभारों की आधी राशि और प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम की आधी राशि पर संगणित ब्याज।

अनु० नियम० 331(1) मूल नियम 45 ख के खण्ड 3 के उपखण्ड (ख) के अधीन, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना करने में, सरकार द्वारा संदेय नगरपालिका और अन्य करों के लिए और

मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निम्नलिखित रकमें जोड़ दी जाएंगी :—

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास स्थान के अनुरक्षण और मरम्मत के संभाव्य खर्च के रूप में प्राक्कलित रकम और इसके अतिरिक्त उस निवास स्थान के संबंध में स्वामी द्वारा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय को किसी विधि या रूढ़ि के अधीन गृह कर या मरम्मत कर के रूप में संदेय रेट या करों की रकम; या

(ख) यदि ऐसा कोई प्राक्कलन नहीं किया गया है, तो मूल नियम 45 के खण्ड 2 के अधीन, निवास स्थान की पूंजी लागत के रूप में ली गई राशि का उतना प्रतिशत जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए और जो उस औसत अनुपात पर आधारित हो जो उसी परिक्षेत्र में वैसी ही डिजाइन और वैसी ही सुविधाओं से युक्त निवास स्थानों के संबंध में ऐसे करों, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वस्तुतः प्रभारित रकमों और ऐसे निवास स्थानों की पूंजीगत लागत के मध्य है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिशतता नियत करने का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए—

(क) "संभाव्य खर्च" के अन्तर्गत वे सब प्रभार होंगे जिनका उपगत किया जाना उचित रूप से प्रत्याशित हो;

(ख) "मामूली मरम्मत" के अन्तर्गत प्रतिवर्ष या कालिकतः की गई मरम्मत होगी, किन्तु विशेष मरम्मत इसके अन्तर्गत नहीं है;

(ग) "विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत फर्शों और छतों का फिर से लगाया जाना और लम्बे अन्तरालों पर होने वाले अन्य प्रतिस्थापन होंगे;

(घ) आग, बाढ़, भूकंप, असामान्य आंधी या अन्य प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप आवश्यक मरम्मतों के खर्च या संभाव्य खर्च की गणना नहीं की जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय, उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा प्राक्कलित रकम या नियत किए हुए अनुपात का पुनरीक्षण कर सकेगा और यदि पांच वर्षों से कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है तो पुनरीक्षण करेगा।

अनु० नियम 332. जब किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना कर ली गई हो तो, निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि किए बिना, छोटे परिवर्धन और परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जा सकेंगे; अर्थात् :—

(क) ऐसे परिवर्धनों और परिवर्तनों का कुल खर्च, उस पूंजीगत लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिस पर मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना की गई थी, और

(ख) ऐसे परिवर्धन और परिवर्तन मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना के पांच वर्ष के भीतर किए जाएंगे।

अनु० नियम 333. (1) जब परिवर्धनों और परिवर्तनों के कारण किसी निवास स्थान की पूंजीगत लागत उस पूंजीगत लागत से, जिस पर मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना की गई थी, पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो ठीक आगामी पहली अप्रैल से या उस तारीख से जिस पर कोई नया किराए दार अनुज्ञप्त फीस के संदाय के लिए दायी हो जाता है, दोनों में से जो भी पहले हो, मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना पुनः की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन किसी निवास स्थान की मानक अनुज्ञप्ति फीस की पिछली संगणना से पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर, संगणना पुनः की जाएगी और पुनः की गई संगणना ठीक आगामी पहली अप्रैल से या ऐसी किसी अन्य तारीख से जिसको राष्ट्रपति निदेश दे, प्रभावी होगी।

अनु० नियम 334. (1) यदि किसी निवास स्थान में ऐसी सेवाएं, जैसे जल प्रदाय, स्वच्छता या विद्युत अधिष्ठापन और फिटिंग, फर्नीचर, टेनिस कोर्ट या सरकार के खर्च पर अनुरक्षित उद्यान उस उद्यान से भिन्न जिसके संबंध में इन नियमों से भिन्न मूल नियम 45-ख के खण्ड VI के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम प्रवृत्त हैं, प्रदान की गई हैं तो इन सेवाओं के लिए प्रभारित अनुज्ञप्ति फीस जो मूल नियम 45-ख के खण्ड IV के अधीन संदेय अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त और उसी अवधि के लिए होगी; सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) फर्नीचर की दशा में अनुज्ञप्ति फीस टिकाऊ और अटिकाऊ वस्तुओं के लिए पृथक्तः संगणित की जाएगी;

(ख) अनुज्ञप्ति फीस मासिक अनुज्ञप्ति फीस के रूप में होगी और निम्नलिखित, अर्थात् :—

(i) राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सेवाओं की पूंजीगत लागत पर, इस निमित्त समय-समय पर नियत की जाने वाली दर पर ब्याज;

(ii) टेनिस कोर्ट और उद्यान से भिन्न ऐसी सेवाओं की दशा में अवक्षयण और मरम्मत; और

(iii) टेनिस कोर्ट और उद्यान की दशा में, अनुरक्षण प्रभार;

के संदाय के लिए, प्रतिवर्ष अपेक्षित रकम का 12वां भाग होगी :

परन्तु शिमला, नई दिल्ली और दिल्ली में निवास स्थानों में आपूर्ति किए गए फर्नीचर की दशा में अनुज्ञप्ति फीस की संगणना नियम 332 और 333 में विनिर्दिष्ट रीति से इस अपवाद के साथ की जाएगी कि जिस अधिकतम सीमा तक परिवर्धन और परिवर्तन अनुज्ञप्ति फीस में तुरन्त वृद्धि को आवश्यक बनाए बिना किए जा सकेंगे, वे फर्नीचर की पूंजीगत लागत का, उन नियमों में अधिकथित पांच प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत होगी। यह उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, फर्नीचर के मापमान में कटौती की दशा में भी लागू होगा; और

(ग) यदि ऐसी सेवाओं की पूंजीगत लागत ज्ञात नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका प्राक्कलन किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी निवास स्थान में सरकार द्वारा विद्युत ऊर्जा और पानी की आपूर्ति की जाती है तो ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार उप-नियम (1) के अधीन और मूल नियम 45-ख के खण्ड IV के अधीन संदेय अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जाएगा:, अर्थात् :—

(क) विद्युत और पानी की दशा में, जिसका प्रदाय मीटरों से विनियमित है, प्रभार की संगणना मीटरों द्वारा तथा उपदर्शित प्रतिमास उपयोग किए गए यूनिटों के आधार पर की जाएगी। प्रति यूनिट दाम की दर इस प्रकार नियत की जाएगी कि उसके अन्तर्गत, सरकार को लाभ की इतनी मात्रा के अतिरिक्त जितनी सक्षम प्राधिकारी उचित समझे निम्नलिखित के संदाय के लिए अपेक्षित रकम आ सके :—

(i) भीतर किए गए इंस्टालेशन से सम्पर्क बिन्दु तक की प्रणाली पर, उपगत पूंजी लागत पर, उस दर पर ब्याज, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त, समय-समय पर नियत की जाएं;

(ii) पूंजी आस्तियों पर अनुरक्षण और अनुरक्षण प्रभार; और

(iii) चालू वास्तविक खर्च।

(ख) विद्युत, ऊर्जा और पानी की दशा में, जिसका प्रदाय मीटरों से विनियमित नहीं होता, वसूलीय प्रभार ऐसी दरों पर नियत किए जाएंगे, जैसी सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

(ग) यदि खण्ड क (1) में वर्णित पूंजी लागत या खर्च ज्ञात नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपनियम की कोई बात ऐसे प्रवर्तित नहीं होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारण एकरूपात्मक रहे, अनेक निवास स्थानों को, चाहे वे किसी विशिष्ट क्षेत्र में हों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के हों, विद्युत, ऊर्जा और पानी के लिए प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए एक समूह में रखने से निवारित करे।

(3) विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, उन कारणों से जो आदेश में लेखबद्ध किए जाने चाहिए, उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस और छूट दे सकेंगे या उनमें कमी कर सकेंगे।

भारत सरकार के आदेश

1. ब्याज की दर.—मूल नियम 45-क तथा 45-ख के अन्तर्गत बनाए गए अनुपूरक नियमों के प्रयोजनों के लिए भी ब्याज की वही दर अपनायी जाए जो मूल नियम 45-क-III तथा 45-ख-III के प्रयोजनों के लिए लागू है।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग का तारीख 19 फरवरी 1930 का पत्र संख्या एफ० 3-XLVII-आर० 1/29.]

2. अनु० नियम 325 के नीचे भारत सरकार के आदेश की मद 2 देखें।

अनुपूरक नियम 335. नियम 327 से 334 दोनों को सम्मिलित करते हुए, 3 अगस्त, 1927 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

परिशिष्ट—1

मूल नियम 114 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश

राष्ट्रपति, मूल नियम 114 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं। इन आदेशों द्वारा बाह्य विभाग सेवा में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत परिलब्धियों की राशि विनियमित की जा सकेगी।

1. जब किसी सरकारी कर्मचारी का बाह्य विभाग सेवा में स्थानान्तरण स्वीकृत किया जाता है तो उसके स्थानान्तरण आदेश में उसे मिलने वाले वेतन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि यह विचार हो कि उसे अपने मूल वेतन के अलावा कोई अन्य परिलब्धियां या आर्थिक रियायत प्राप्त होगी तो ऐसी परिलब्धी अथवा आर्थिक रियायत का उसी प्रकार से उल्लेख किया जाए। यदि उस परिलब्धि या रियायत के बारे में इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई परिलब्धि अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी और यह समझ लिया जाएगा कि उसे इस प्रकार का लाभ देने का कोई इरादा नहीं है।

2. केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय से पूर्व परामर्श किए बिना बाह्य विभाग सेवा के स्थानान्तरण का कोई भी आदेश जारी नहीं करेगी। उस मंत्रालय को यह छूट होगी कि वह सामान्य, अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामले निर्धारित करें जिनमें यह मान लिया जाएगा कि उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है।

3. स्थानान्तरण की शर्त की मन्जूरी देते समय केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित दो सामान्य सिद्धांन्तों का अनुपालन करेगी :—

(क) सरकारी कर्मचारी को मन्जूर की गई शर्तें इस प्रकार न हों कि उसे नियुक्त करने वाले बाह्य विभाग नियोक्ता पर अनावश्यक भार पड़े।

(ख) स्वीकृत शर्तें उन परिलब्धियों की तुलना में इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिन्हें कि सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा के दौरान प्राप्त कर रहा हो और जिससे वह बाह्य विभाग सेवा सरकारी सेवा से बहुत अधिक आकर्षक लगने लगी हो बशर्ते कि बाह्य विभाग सेवा पर उसका स्थानान्तरण होने से उसकी ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों सरकारी सेवा में उसके पद से सम्बन्धित जिम्मेदारियों आदि से बहुत अधिक हो गई हों तो बाह्य विभाग में उसका वेतन सरकारी सेवा में उसके वेतन तथा स्तर और स्थानान्तरण पर उसके द्वारा किये जाने जाने वाले कार्य को ध्यान में रखकर नियत किया जाना चाहिए।

4. लेकिन यदि ऊपर के पैरा 3 में उल्लिखित दोनों सिद्धान्तों का पालन होता है तो स्थानीय सरकार बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित रियायतें मन्जूर किए जाने के बारे में स्वीकृति दे सकती है। ऐसी रियायतें स्वाभाविक रूप से ही मन्जूर नहीं की जा सकती बल्कि केवल उन्हीं मामलों में मन्जूर की जाती है जिनमें केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मन्जूरी देना उचित है :—

(क) ऐसे अंशदानों को विनियमित करने वाले साधारण नियमों के अन्तर्गत अवकाश वेतन तथा पेंशन के लिए अंशदानों की अदायगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के सामान्य यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत अथवा बाह्य विभाग के नियोक्ता के स्थानीय नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ते तथा स्थायी यात्रा भत्ते, वाहन तथा घोड़ा भत्ते की मन्जूरी।

(ग) यात्रा के दौरान बाह्य विभाग के नियोक्ता के तम्बूओं, नौकाओं तथा परिवहन का प्रयोग, बशर्ते कि इसके कारण स्वीकार्य यात्रा भत्ते की राशि में अनुरूप कटौती की जाए।

(घ) यदि केन्द्रीय सरकार वांछनीय समझे तो फर्नीचर सहित निशुल्क आवास जिसमें फर्नीचर उतना ही होगा जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे।

(ङ) बाह्य विभाग नियोक्ता को मोटर कार, गाड़ियों तथा पशुओं का प्रयोग।

5. ऊपर के पैरा 4 में जिन रियायतों का उल्लेख नहीं किया गया, उनकी मन्जूरी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

[भारत सरकार, वित्त विभाग सं० 1360 ई०वी दिनांक 10-12-1921 तथा पत्र सं० एफ सं० 1(27)आर-1/33 दिनांक 6-11-1933 यथासंशोधित]

भारत सरकार के आदेश

1. नियत किए जाने वाले यात्रा भत्ते के बारे में विशिष्ट शर्तें :— बाह्य विभाग सेवा में स्थानान्तरण होने तथा वहां से प्रत्यावर्तन होने पर की गई यात्राओं के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें बाह्य विभाग के नियोक्ता के परामर्श तथा सहमति से

मन्जूरी देने वाले प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में निर्धारित की जानी चाहिए।

[भारत सरकार वित्त विभाग का 29 जून, 1937 का पत्र संख्या फा 1 (18) आर-137]

2. **चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं :—**कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिस पर केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 लागू होते हैं, बाह्‌य विभाग सेवा में तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक बाह्‌य विभाग का नियोक्ता यह वचन न दे कि उसे दी जाने वाली सुविधाओं का स्तर उससे कम नहीं होगा उसे भारत सरकार की सेवा में रहते हुए प्राप्त होती हैं।

[भारत सरकार, वित्त विभाग परिपत्र सं० डी 8603-ई० IV/48 दिनांक 27-1-1949]

3. **अवकाश की अवधि के दौरान बाह्‌य विभाग के नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अनुपूरक भत्ता।—**भारत में बाह्य विभाग सेवा पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में, छुट्टी वेतन के कारण अंशदान की वसूली बाह्य विभाग में नियोक्ता से करनी होती है और अंशदान के बदले में सरकार छुट्टी वेतन का प्रभार स्वीकार करती है। चूंकि ऐसे अंशदान के लिए निर्धारित दरों का हिसाब सरकारी कर्मचारी की कुल सेवा के दौरान उसके द्वारा सामान्यतः पूरे तथा अर्ध वेतन पर ली गई छुट्टी के आधार पर लगाया जाता है और किसी ऐसे अनुपूरक भत्ते को ध्यान में नहीं लिया जाता जो मूल नियम 9(12) में यथा परिभाषित छुट्टी वेतन का अंश होता, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि बाह्य विभाग सेवा में अथवा सेवा के बाहर रहते हुए ली गई छुट्टी के प्रतिपूरक भत्ते से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। किसी गलतफहमी से बचने के लिए, यह वांछनीय है कि इस आशय की एक शर्त बाह्य विभाग सेवा के स्थानान्तरण की शर्तों में जोड़ दी जानी चाहिये।

(भारत सरकार, वित्त विभाग पृष्ठांकन संख्या एफ 1 (12) आर-1/43 दिनांक 6-10-1943]

4. **बाह्‌य विभाग सेवा के दौरान हुई अशक्तता के कारण विशेष अशक्तता छुट्टी वेतन प्रभारों की वसूली :—**भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को बाह्य विभाग में स्थानान्तरित किये जाने अथवा वर्तमान बाह्य विभाग सेवा करारों का नवीनीकरण करने पर बाह्य विभाग के नियोक्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के बाह्य विभाग सेवा में और उसके दौरान अशक्तता होने के कारण मन्जूर की गई अशक्तता छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन की देयता स्वीकार करनी होगी चाहे ऐसी अशक्तता का बाह्य विभाग सेवा की समाप्ति के बाद ही पता चला हो ऐसे वेतन के लिए छुट्टी वेतन प्रभार बाह्य विभाग के नियोक्ता से सीधे ही वसूल किए जाए और इस आशय की एक शर्त बाह्य विभाग सेवा की शर्तों में जोड़ दी जानी चाहिए।

[भारत सरकार, वित्त विभाग, पृष्ठांकन सं० एफ० 7(13) आर-1/44 दिनांक 6 अप्रैल, 1944]

5. **बाह्‌य सेवा के दौरान छुट्टी वेतन के भुगतान की क्रियाविधि—** (1) उपर्युक्त आदेश (3) के अनुसार भारत में बाह्‌य विभाग सेवा पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में छुट्टी वेतन की वसूली बाह्‌य विभाग के नियोक्ता से की जाती है और ऐसे अंशदान के बदले में, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में रहते हुए अथवा सेवा के अन्त में ली गई छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में छुट्टी का प्रभार सरकार स्वीकार करती है। किन्तु ऐसी छुट्टी के लिए देय प्रतिपूरक भत्ते के सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन बाह्‌य विभाग के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को छुट्टी वेतन तथा भत्तों का भुगतान पूर्णतः बाह्‌य विभाग के नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए, सरकारी अंश की बाद में प्रतिपूर्ति की जाए अथवा छुट्टी वेतन तथा भत्तों का भुगतान प्रथमतः सरकार द्वारा किया जाए और बाद में बाह्‌य विभाग के नियोक्ता भत्तों के सम्बन्ध में अपने दायित्व की प्रतिपूर्ति करें अथवा सरकार तथा बाह्‌य विभाग का नियोक्ता दोनों ही अपने अपने दायित्वों का भुगतान करें और इस प्रकार आगे किए जाने वाले परस्पर विनियोजन से बचा जाए। इस मामले में विद्यमान पद्धति एक समान नहीं है।

मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी बाह्‌य विभाग सेवा के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर ली गई छुट्टियों की अवधि के सम्बन्ध में देय छुट्टी वेतन तथा प्रतिपूरक भत्तों के बारे में सरकार के मूल विभाग तथा बाह्‌य विभाग के नियोक्ता को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को बाह्‌य विभाग सेवा पर स्थानान्तरण की शर्तों के अनुसार अपना-अपना दायित्व सीधे ही पूरा करना चाहिये।

(2) भविष्य में बाह्‌य विभाग का नियोक्ता सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की छुट्टियों का हिसाब रखेगा। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में लेखा अधिकारी द्वारा तथा अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जैसी भी स्थिति हो, छुट्टी लेखे का विवरण सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। तब बाह्‌य विभाग का नियोक्ता यह निर्धारित करेगा कि सम्बन्धित अधिकारी को कितनी छुट्टी दी जा सकती है और फिर वह छुट्टी मन्जूर करेगा तथा राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में लेखा अधिकारी को और अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, इसकी सूचना देगा। इसके पश्चात बाह्य विभाग का नियोक्ता

सम्बन्ध कर्मचारी के छुट्टी वेतन का भुगतान करेगा । इसके पश्चात् वह इस प्रकार भुगतान किए गए छुट्टी वेतन की प्रतिपूर्ति का छमाही दावा लेखा अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष से, जैसी भी स्थिति हो, करेगा । इस प्रयोजन के लिए वह अपने दावे के समर्थन में बाह्य विभाग सेवा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के ब्यौरे, मन्जूर की गई छुट्टी का स्वरूप तथा अवधि, छुट्टी वेतन की दर और भुगतान किए गए छुट्टी वेतन की राशि, राजपत्रित अधिकारी के मामले में लेखा अधिकारी को और अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में उसके मूल विभाग के अध्यक्ष को भेजेगा । प्रतिपूर्ति के उक्त दावे हर छह माह बाद भेजे जाएंगे जो पहली अप्रैल से 30 सितम्बर तथा पहली अक्टूबर से 31 मार्च की अवधि तक होंगे । लेखा अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा भेजे गये दावों का सत्यापन करेंगे और दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बैंक ड्राफ्ट द्वारा करेंगे ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० एफ 1 (34) स्था० iV/57, दिनांक 24-10-57 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 (1)ई III (बी०)/75, दिनांक 21-5-1975]

6. जिस सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा में प्रत्यावर्तित किये बिना ही एक बाह्य विभाग के नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता को स्थानान्तरित कर दिया जाता है, उसका मार्ग वेतन तथा यात्रा भत्ता.—यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो सरकारी सेवा में प्रत्यावर्तित किए बिना ही एक बाह्य विभाग के नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता को स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो उसका मार्ग वेतन तथा भत्ते और स्थानान्तरण यात्रा भत्ता उस बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा जिसके पास कर्मचारी स्थानान्तरण पर जाता है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 5 (29)/ई/iv/बी/67, दिनांक 27-9-1967]

7. बाह्य विभाग सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो जाने पर उधारकर्ता विभाग को छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि मंहगाई भत्ते के रूप में भुगतान करनी होगी.—(1) ऊपर आदेश (3) में व्यवस्था है कि बाह्य विभाग सेवा के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर की गई छुट्टी की अवधि के प्रतिपूरक भत्ते के सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए । इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि ऐसे अधिकारी के मामले में जो बाह्य विभाग सेवा से सेवानिवृत्त होता है, न ली गई छुट्टी के बदले में भुगतान किए गये छुट्टी वेतन पर मंहगाई भत्ते का व्यय मूल विभाग द्वारा अथवा उस बाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा जिसके अधीन वह अपनी सेवा-निवृत्ति से तत्काल पहले कार्य कर रहा था । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो बाह्य विभाग की सेवा में रहते हुए सेवा निवृत्त हो जाता है, जिसकी मृत्यु दयनीय परिस्थितियों में हो जाती है, देय मंहगाई भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन सरकारी कर्मचारी को उधार देने वाले विभाग द्वारा वहन किया जाना चाहिए जो कि उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय उसे स्वीकार्य छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि के एक हिस्से के रूप में होगा ।

(2) ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे । किन्तु इस तारीख से पहले जिन मामलों में अन्यथा निर्णय लिया गया है, उन्हें पुनः कार्रवाई के लिए नहीं लिया जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/21/81/ई II (बी), दिनांक 10-8-1981 तथा दिनांक 24-9-81 का शुद्धि पत्र]

परिशिष्ट–2

मूल नियम 116 तथा 117 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश

सक्रिय बाह्य विभाग सेवा के दौरान पेंशन तथा छुट्टी वेतन के लिए अदा किए जाने वाले अंशदान की दरें

I. बाह्य सेवा में सैनिक अधिकारियों से भिन्न अधिकारी

1. पहले लागू किए गए पेंशन तथा छुट्टी वेतन के अंशदान की दरों का अतिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति मूल नियम 116 तथा 117 को ध्यान में रखते हुए, अनुबन्धों में नियत की गई अंशदान की दरें निर्धारित करते हैं :—

2. (क) पेंशन के अंशदान के प्रयोजन के लिए, सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित सात वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

(1) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जो गैर एशियाई अधिवास के हों ।

(2) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य जो एशियाई अधिवास के हों ।

(3) अन्य अखिल भारतीय और समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के सदस्य जो गैर-एशियाई अधिवास के हों ।

(4) समूह "क" सेवाओं के सदस्य ।

(5) केन्द्रीय सेवाओं के समूह "ख" के सदस्य ।

(6) केन्द्रीय सेवाओं के समूह "ग" के सदस्य ।

(7) केन्द्रीय सरकार के समूह "घ" के कर्मचारी ।

(ख) **मुद्रित नहीं किया गया ।**

(ग) **मुद्रित नहीं किया गया ।**

(3) से (5) **मुद्रित नहीं किया गया ।**

6. जो सरकारी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (भारत) में अभिदान करता है और वह बाह्य विभाग सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह बाह्य विभाग सेवा में लिये गये वेतन की दर पर मासिक अभिदान देगा । बाह्य विभाग का नियोक्ता अथवा स्वयं अधिकारी, मूल नियम 115 के खण्ड (ग) के अधीन की गई व्यवस्थाओं के अनुसार, सक्रिय बाह्य विभाग सेवा की अवधि के दौरान उस दर से अभिदान करेगा जो सरकार फार्मूला $x+xy$ द्वारा नियत करे और जहां x के अन्तर्गत राशि उतनी ही बनती हो जितनी वह अभिदाता के भविष्य निधि खाते में मासिक दर से उस समय जमा करता जब वह बाह्य विभाग सेवा पर नहीं जाता और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा बाह्य विभाग सेवा में लिया गया वेतन "परिलब्धियां" माना जाएगा और "वाई" ऐसी किसी राशि के बराबर होगी जो बाह्य विभाग सेवा में लिए गए वेतन में से वसूली योग्य छुट्टी वेतन अंशदान की राशि बनती हो ।

टिप्पणी.—उपर्युक्त अनुबन्ध—(जिसे इस परिशिष्ट के अन्त में मुद्रित किया गया है) के कॉलम 3 से 6 तक में उल्लिखित केन्द्रीय सेवाओं के वर्ग "क", वर्ग-II, "ख" और वर्ग "ग" तथा वर्ग "घ" के मुद्रित सदस्यों के मामले में संगत प्रतिशतता दर लागू करने के प्रयोजन के लिए "अधिकतम मासिक वेतन" बाह्य विभाग सेवा पर जाने के समय धारित मूल पद का अधिकतम वेतन अथवा उच्च स्थानापन्न पद का अधिकतम वेतन इनमें से जो भी लागू होगा जैसा कि इस परिशिष्ट के नीचे भारत सरकार के आदेश संख्या 3 में व्यवस्था है ।

पेंशन अंशदान की विद्यमान दरों में असाधारण पेंशन का अंश शामिल नहीं है और बाह्य विभाग सेवा की शर्तों में एक अलग खण्ड शामिल किया गया है कि यदि बाह्य विभाग सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी अशक्त हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो अधिकारी पर लागू असाधारण पेंशन नियमों के अधीन स्वार्थ पेंशन अथवा उपदान का भुगतान बाह्य विभाग का नियोक्ता करेगा। चूंकि उपर्युक्त अनुबन्ध में उल्लिखित पेंशन अंशदान की संशोधित दरों में असाधारण पेंशन की मंजूरी के लिए भी अंश शामिल है अतः भविष्य में इसका दायित्व भारत सरकार पर होगा और इस संबंध में विदेशी नियोक्ता का दायित्व निर्दिष्ट करने के लिए बाह्य विभाग सेवा शर्तों में अलग खण्ड जोड़ना आवश्यक नहीं है ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का संकल्प संख्या दिनांक 1-12-1938 जो दिनांक 8-1-1941 के संकल्प संख्या एफ 33(5) आर-II/40 द्वारा संशोधित किया गया तथा भारत सरकार वित्त विभाग की संकल्प संख्या एफ 1(1) आर 1/37 दिनांक 3-6-1939 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1 (10)-ई 111(बी०)/65, दिनांक 17-4-1967 ।]

स्पष्टीकरण .—(1) सक्रिय "विदेश सेवा" अभिव्यक्ति में कार्यग्रहण की ऐसी अवधि भी शामिल है जो अधिकारी को बाह्य विभाग सेवा पर जाने तथा लौटने के अवसरों पर मिलती है और तद्नुसार इन अवधियों के लिए अंशदान उद्ग्राहय है ।

(2) "सेवा अवधि" शब्द का अर्थ है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी की सम्पूर्ण सेवा जिसके किसी पेंशनीय पद पर लगातार अस्थायी सेवा तथा पूर्णतः अस्थायी स्थापना में लगातार अस्थायी सेवा भी शामिल है । "पेंशन योग्य पद" शब्द की अभिव्यक्ति में किसी पेंशन योग्य स्थापना में

ऐसा अस्थायी पद भी शामिल है चाहे वह पद उसी संवर्ग में पेंशनीय पद न हो ।

[भारत सरकार, वित्त विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1-44-ई० iv/57 दिनांक 3-2-58 तथा पत्र संख्या 5720-ई० iv/ए/58, दिनांक 16-10-58 तथा 23-12-1958]

भारत सरकार के आदेश

1. अस्थायी कर्मचारियों के लिए दरें भी वही हों जो स्थायी कर्मचारियों के लिए हैं :— जब किसी अस्थायी कर्मचारी का बाह्य विभाग सेवा में तबादला किया जाता है तो पेंशन अंशदान की वसूली उसी प्रकार की जाए जिस प्रकार स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में की जाती है ।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि क्या बाह्य विभाग सेवा पर कार्य कर रहे अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में पेंशन अंशदान की दर स्थायी सरकारी कर्मचारी से कम होनी चाहिए । ऐसी कटौती अनावश्यक समझी गई है क्योंकि अंशदान की दर केवल मोटे तौर पर नियत की जाती है और अस्थायी कर्मचारियों के लिए अलग आधार बनाने का परिणाम लेखाकरण सम्बन्धी जटिलताएं पैदा करना होगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय पृष्ठांकन संख्या एफ० 1 (6) ई० iv/52, दिनांक 6-1-53]

2. समूह "घ" के कर्मचारियों पर लागू अंशदान की दरें :—(1) यह निर्णय किया गया है कि बाह्य विभाग सेवा में भेजे गए समूह "घ" के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अंशदान की निम्नलिखित दरें लागू की जानी चाहियें :—

(क) छुट्टी वेतन अंशदान की वसूली निम्न प्रकार होगी :—

(1) साधारण छुट्टी नियमों द्वारा शासित व्यक्तियों के मामले में बाह्य विभाग सेवा में लिए गए वेतन का 12½ प्रतिशत ।

(2) संशोधित छुट्टी नियम, 1933 [अब केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972] द्वारा शासित व्यक्तियों के मामले में बाह्य विभाग सेवा में लिए गए वेतन का 11 प्रतिशत ।

(ख) ऐसे मामलों में अंशदान की दर वही होगी जो अनुबंध "ख" के अन्तिम कॉलम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है ।

(2) यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार में अथवा राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति समूह "घ" के सरकारी कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन अंशदान की दरें अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों के समान होंगी । इसका अर्थ है कि :—

(क) साधारण छुट्टी नियमों द्वारा शासित व्यक्तियों के मामले में, छुट्टी वेतन अंशदान की कोई वसूली नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में, लेखा संहिता खण्ड I के परिशिष्ट 3 ख-11 के अनुसार छुट्टी वेतन का आबंटन किया जाएगा ।

(ख) संशोधित छुट्टी नियम 1933 द्वारा शासित होने वाले व्यक्तियों के मामले में, छुट्टी वेतन अंशदान की कटौती उक्त परिशिष्ट 2-ख-11 के नियम 9 के अनुसार की जाएगी ।

(ग) सभी मामलों में पेंशन सम्बन्धी व्यय विभिन्न सरकारों के बीच सेवावधि के आधार पर उक्त परिशिष्ट 3 ख iv के अनुसार विभाजित होगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(35) ई० iv/58 दिनांक 23-8-1961]

3. पेंशन अंशदान इस प्रकार निर्धारित होगा :— (क) वेतन के अधिकतम पर जैसा कि मूल नियम 9 (21) (क) (i) में परिभाषित है :—

1. दिनांक 1-1-86 से केन्द्रीय सरकार के वेतनमान संशोधित हो जाने तथा केवल मूल नियम 9(21) (क) (i) में यथा परिभाषित वेतन के संदर्भ में 1-1-86 से पेंशन की गणना करने के निर्णय के फलस्वरूप, राष्ट्रपति निर्णय करते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की सक्रिय बाह्य सेवा की अवधि के दौरान इस संबंध में देय पेंशन अंशदानों की गणना मूल नियमों के नियम 9(21) (क) (i) में यथा-परिभाषित संशोधित वेतनमान में उस पद के अधिकतम वेतन पर आधारित होगी जो सरकारी कर्मचारी के बाह्य सेवा पर जाने के समय धारित किया गया था अथवा जिस पर उसे बाह्य सेवा में रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हुई हो ।

2. ये आदेश 1-1-86 से लागू होंगे । जो व्यक्ति 1-1-86 को पहले ही बाह्य सेवा में हैं, उनके संबंध में पेंशन अंशदान की गणना उपयुक्त फार्मूले के अनुसार उस तारीख से की जाएगी जिसको वे अपने मूल संवर्ग में संशोधित वेतनमान में आने का विकल्प देते हैं । पहले की अवधि के लिए पेंशन अंशदान विद्यमान आदेशों के अनुसार होंगे ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5-8-87 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/44/85 स्था० (वेतन.II)

(ख) प्रेक्टिस बंदी भत्ता : यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या प्रैक्टिस बंदी भत्ते को जिसे सभी प्रयोजनों के लिए विशेष भत्ता माना जाता है, ऊपर के पैरा में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार देय मासिक पेन्शन अंशदाय नियत करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा । यह निर्णय किया गया है कि चूंकि सिविल सेवा नियमावली के अनुच्छेद 486-ग [केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 33] के अन्तर्गत चिकित्सा निषेध भत्ता पूरे का पूरा गिना जायगा इसलिए सक्रिय बाह्य विभाग सेवा के दौरान वसूल किए जाने वाले मासिक अंशदानों का हिसाब पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन पर तथा ऐसे अधिकतम पर उपयुक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को ध्यान में रख कर लगाया जाएगा ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1 (14) ई० iii (बी)/69, दिनांक 19-7-69]

अनुबन्ध

क. पेंशन अंशदान की मासिक दरें

1-4-1967 से 30-6-82 तक लागू

सेवा की अवधि	समूह "क" सेवा के सदस्य		केन्द्रीय सेवा के समूह "ख" के सदस्य	केन्द्रीय सेवा के समूह "ग" के सदस्य	केन्द्रीय सेवा के समूह "घ" के सदस्य
	समूह I वे व्यक्ति जिन्हें अधिकतम पेंशन सामान्यतः 8100 रु० वार्षिक मिलने की आशा है (अ०भा०से०समूह "क" केन्द्रीय सेवाएं, के०सि०से० के चयन ग्रेड के अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो ऐसे वेतनमानों में कार्य कर रहे हैं जिनका अधिकतम 1800 रुपये अथवा अधिक है)	समूह II-समूह I के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों से भिन्न अधिकारी [के०सि०से० के ग्रेड I के अधिकारी तथा सामान्य केन्द्रीय सेवाओं (समूह "क") के अधिकारी]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.1 वर्ष	48 रुपये	अधिकतम मासिक वेतन का 4%	अधिकतम मासिक वेतन का 4%	अधिकतम मासिक वेतन का 5%*	अधिकतम मासिक वेतन का 7%
1-2 वर्ष	56%	4%	5%	5%	7%
2-3 वर्ष	64%	5%	5%	6%	8%
3-4 वर्ष	73%	5%	5%	6%	8%
4-5 वर्ष	81%	5%	6%	6%	8%
5-6 वर्ष	89%	6%	6%	7%	8%
6-7 वर्ष	97%	6%	6%	7%	8%
7-8 वर्ष	105%	7%	7%	7%	8%
8-9 वर्ष	113%	7%	7%	8%	8%
9-10 वर्ष	121%	7%	7%	8%	8%
10-11 वर्ष	129%	8%	8%	8%	8%
11-12 वर्ष	137%	8%	8%	8%	9%
12-13 वर्ष	145%	9%	8%	9%	9%
13-14 वर्ष	153%	9%	8%	9%	9%
14-15 वर्ष	161%	9%	9%	9%	9%
15-16 वर्ष	169%	10%	9%	10%	9%
16-17 वर्ष	177%	10%	9%	10%	9%
17-18 वर्ष	185%	11%	10%	10%	9%
18-19 वर्ष	193%	11%	10%	10%	9%
19-20 वर्ष	201%	11%	10%	11%	9%
20-21 वर्ष	209%	12%	11%	11%	9%
21-22 वर्ष	218%	12%	11%	11%	10%
22-23 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
23-24 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
24-25 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
25-26 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
26-27 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
27-28 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
28-29 वर्ष	226%	13%	11%	12%	10%
29 वर्ष से अधिक	226%	13%	11%	12%	10%

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० संख्या एफ० 1(10)ई०III (बी)/65 दिनांक 17-4-1967]।

क-2 पेंशन अंशदान की मासिक दरें

1 जुलाई 1982 से लागू

सेवा का वर्ष	बाह्य विभाग सेवा पर जाते समय अधिकारी द्वारा धारित स्थानापन्न/मूल ग्रेड के अधिकतम मासिक वेतन की प्रतिशतता के रूप में बतायी गई मासिक अंशदान की दरें			
	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
0–1 वर्ष	7 प्रतिशत	6 प्रतिशत	5 प्रतिशत	4 प्रतिशत
1–2 "	7 "	6 "	6 "	4 "
2–3 "	8 "	7 "	6 "	5 "
3–4 "	8 "	7 "	7 "	5 "
4–5 "	9 "	8 "	7 "	5 "
5–6 "	10 "	8 "	7 "	6 "
6–7 "	10 "	9 "	8 "	6 "
7–8 "	11 "	9 "	8 "	6 "
8–9 "	11 "	10 "	9 "	7 "
9–10 "	12 "	10 "	9 "	7 "
10–11 "	12 "	11 "	10 "	7 "
11–12 "	13 "	11 "	10 "	8 "
12–13 "	14 "	12 "	10 "	8 "
13–14 "	14 "	12 "	11 "	8 "
14–15 "	15 "	13 "	11 "	9 "
15–16 "	15 "	13 "	12 "	9 "
16–17 "	16 "	14 "	12 "	9 "
17–18 "	16 "	14 "	13 "	10 "
18–19 "	17 "	15 "	13 "	10 "
19–20 "	17 "	15 "	13 "	10 "
20–21 "	18 "	16 "	14 "	11 "
21–22 "	19 "	16 "	14 "	11 "
22–23 "	19 "	17 "	15 "	11 "
23–24 "	20 "	17 "	15 "	12 "
24–25 "	20 "	17 "	16 "	12 "
25–26 "	21 "	18 "	16 "	12 "
26–27 "	21 "	18 "	16 "	13 "
27–28 "	22 "	19 "	17 "	13 "
28–29 "	23 "	19 "	17 "	13 "
29–30 "	23 "	20 "	18 "	13 "
30 वर्ष से अधिक	23 "	20 "	18 "	14 "

ख. छुट्टी वेतन के लिए मासिक अंशदान की दरें

	बाह्य विभाग विदेश सेवा में लिए गए वेतन की प्रतिशतता
सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी *(समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़ कर) जिन पर के० सि० से० (छुट्टी) नियम 1972 लागू होते हैं। . . .	11

II. बाह्य विभाग सेवा में सैनिक अधिकारी

[भारत सरकार, वित्त विभाग की संकल्प सं० एफ० I-XV-आर० I/30, दिनांक 29-6-1923 जिसे 1-4-1936 के संकल्प सं० एफ० I/36 द्वारा संशोधित किया गया था]

अमुद्रित

*समूह "घ" कर्मचारियों पर लागू दरों के लिए इस परिशिष्ट में भारत सरकार का आदेश (2) देखें।

परिशिष्ट-3

मूल नियम 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन

क्रम सं०	मूल नियम संख्या	शक्ति का स्वरूप	उस प्राधिकारी का नाम जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई	प्रत्यायोजित की गई शक्ति की सीमा
1	2	3	4	5
1.	9(6)(ख)	यह आदेश जारी करने की शक्ति कि कतिपय परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।	राष्ट्रपति तथा मुख्य आयुक्त के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजाति क्षेत्र, शिलांग के राज्यपाल।	सभी शक्तियां बशर्ते कि वे भारतीय राजनीति सेवा, एजेन्सी सर्जनों तथा भारतीय शैक्षणिक सेवा के अधिकारियों और मुख्य कालेजों के प्रिंसिपलों के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली जाए।
2.		विलोपित		
3	9(19)	रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारी की नियुक्त करने की शक्ति।	ऐसा कोई भी प्राधिकारी जिसे उक्त पद पर मूल रूप से नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त हो।	सभी शक्तियां
4.	10	सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अलग-अलग मामलों में निरोगता के डाक्टरी प्रमाणपत्र को समाप्त किए जाने की शक्ति।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम के जनजातीय क्षेत्रों, शिलांग के राज्यपाल। 2. मुख्य आयुक्त 3. प्रथम श्रेणी के राजनैतिक रेजीडेंट्स। 4. भारत सरकार के विभाग	सभी शक्तियां
			5. रेल बोर्ड 6. महानिदेशक, डाक-तार 7. वन महानिरीक्षक 8. आयुक्त, उत्तरी भारत, नमक राजस्व	भारत सरकार द्वारा सीधे नियुक्त न किए गए सरकारी कर्मचारियों के मामले में सभी शक्तियां
			9. सभी विभागाध्यक्ष	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में सभी शक्तियां **भारत सरकार का आदेश—** मूल नियम 10 के नीचे भारत सरकार का आदेश संख्या (2) देखें।
			10. सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत तथा पेप्सू के क्षेत्रीय आयुक्त तथा सलाहकार।	सभी शक्तियां
5.	14	पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित करने की शक्ति।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजाति क्षेत्र, शिलांग के राज्यपाल। 2. मुख्य आयुक्त 3. प्रथम श्रेणी के राजनैतिक रेजीडेंट्स 4. भारत सरकार के विभाग 5. रेल बोर्ड 6. महालेखा परीक्षक	सभी शक्तियां
			7. सभी विभागाध्यक्ष	सभी शक्तियां बशर्ते कि उन्हें उन सभी पदों पर नियुक्तियां करने का प्राधिकार हो

1	2	3	4	5
				जिनका पुनर्ग्रहणाधिकार लम्बित रखागया है। टिप्पणी.—1 डाक तार विभाग में सर्किल अध्यक्ष जिन्हें अनु०नि० 2(10) के अधीन विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, समूह "ग" तथा "घ" के ऐसे कर्मचारियों का पुनर्ग्रहणाधिकार निलम्बित कर सकेंगे जिन्हें वे अथवा उनका कोई अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम है (डाक तार महानिदेशक का पत्र सं० 94/3/65-एस० पी०बी०-II दिनांक 5-8-1965) ।
			8. सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत, तथा पेप्सू के क्षेत्रीय आयुक्त तथा सलाहकार ।	सभी शक्तियां
6.	14-ख	पुर्नग्रहणाधिकार अंतरित करने की शक्ति ।	1. महालेखा परीक्षक	सभी शक्तियां
			2. सभी विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि वे दोनों ही संबंधित पदों पर नियुक्तियां करने के लिए प्राधिकृत हों ।
6 क	15	सरकारी कर्मचारी का एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण करने की शक्ति ।	सभी विभागाध्यक्ष	सभी शक्तियां
7.	20	ड्यूटी पर समझे गए सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते नियत करने की शक्ति ।	जिस पद को ध्यान में रखकर सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते नियत किए जाते हैं, उस पद पर मूल नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ।	सभी शक्तियां
8.	24	वेतन वृद्धियां रोकने की शक्ति ।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजाति क्षेत्र शिलांग के राज्यपाल ।	सभी शक्तियां
			2. मुख्य आयुक्त	सभी शक्तियां
			3. ऐसा कोई प्राधिकारी जो सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद पर मूल नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत हो अथवा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के अन्तर्गत वेतन वृद्धियां रोकने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ।	
			4. निदेशक, टेलीग्राफ इंजीनियरी	अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में सभी शक्तियां ।
			5. प्रभागीय टेलीग्राफ इंजीनियरी	
			6. टेलीग्राफ इंजीनियरी उप प्रभागों के प्रभारी अधिकारी ।	सभी स्थापनाओं के सम्बन्ध में उनके अधीन—उप-निरीक्षक से नीचे के स्तर के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी शक्ति बशर्ते कि प्रत्येक मामले की रिपोर्ट प्रभागीय इंजीनियर, टेलीग्राफ को भेजी जाती है ।
			7. टेलीफोन लेखा कार्यालयों के लेखा प्रभारी अधिकारी ।	उनके नियंत्रण के अधीन लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्थापना के बारे में पूरी शक्ति बशर्ते कि प्रत्येक मामले में रिपोर्ट सर्किल निदेशक को भेजी जाती है ।
8.क	26	सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धियों के लिए असाधारण छुट्टी गिनने की अनुमति देने की शक्ति ।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग के राज्यपाल ।	सभी शक्तियां

1	2	3	4	5
			2. मुख्य आयुक्त 3. ऐसा कोई प्राधिकारी जिसे उस पद पर मूल नियुक्ति करने का अधिकार हो जो सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित है।	सभी शक्तियां
			4. बेतार निदेशक 5. टेलीग्राफ निदेशक 6. टेलीग्राफ तथा बेतार के प्रभागीय इंजीनियर।	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में सभी शक्तियां।
[1]8.ख	30	ठीक नीचे के नियम के अधीन पदोन्नति की मंजूरी के प्रयोजन के लिए मूल नियम 30(1) के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत घोषणा जारी करने की शक्ति।	1. भारत सरकार के मंत्रालय 2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।	(मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार के निर्णय संख्या 5 के रूप में सम्मिलित) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 22-6-1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(23) ई III/62 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन सभी शक्तियां।
			3. महालेखाकार 4. महालेखा परीक्षक, रेलवे 5. निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं 6. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड तथा पदेन उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (वाणिज्य)। [3]7. पूर्ति मंत्रालय के अधीन मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी।	सम्बन्धित संवर्गों के लेखा अधिकारियों [2][तथा लेखा परीक्षा अधिकारियों] तक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी शक्तियां।
9	रद्द कर दिया गया।			
10	रद्द कर दिया गया।			
11	33	ऐसे पद पर जिसका वेतन वैयक्तिक है, स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन, कतिपय सीमाओं के भीतर नियत करने की शक्ति।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजातीय क्षेत्र के शिलांग राज्यपाल। 2. मुख्य आयुक्त	सभी शक्तियां
12	35	स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन घटाने की शक्ति।	कोई भी प्राधिकारी जिसे सम्बन्धित पद पर स्थानापन्न नियुक्ति करने का प्राधिकार हो।	सभी शक्तियां
13	36	जिस सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर माना गया हो उसके स्थान पर कार्य पदोन्नति की अनुमति देने के बारे में सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी करने की शक्ति।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग के राज्यपाल। 2. मुख्य आयुक्त।	सभी शक्तियां
			3. महानिदेशक डाक-तार।	सभी शक्तियां बशर्ते कि जिस कर्मचारी के स्थान पर कार्य पदोन्नतियां की गई हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारी न हों।
			4. आबजरवेटरीज (वेधशाला) महानिदेशक, नई दिल्ली।	मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन ड्यूटी पर माने गये सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर स्थानापन्न नियुक्तियों की मंजूरी देने की शक्ति अर्थात् प्रशिक्षण की अवधि के

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की शुद्धि संख्या 1058 दिनांक 4-5-1971 द्वारा जोड़ा गया।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के शुद्धि पत्र संख्या 6(23)ई. III(बी०)/62 दिनांक 15-9-1971 द्वारा जोड़ा गया।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ-1(7)-ई-III(क)/72, दिनांक 1 सितम्बर, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3	4	5
				दौरान जबकि परिणामी रिक्तियां समूह "ख", "ग", या "घ" में पड़ती हों जो अल्पावधि नियुक्तियों पर स्थानापन्न नियुक्तियों से सम्बन्धित वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की शर्त के अधीन होगा।
			5. महालेखाकार डाक तार 6. रेलवे लेखापरीक्षा निदेशक	जिन अराजपत्रित कर्मचारियों को उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा अनुदेश पाठ्यक्रम में भेजने का प्राधिकार है, उनके स्थान पर पदोन्नति करने के संबंध में सभी शक्तियां।
14	40	जिस अस्थायी पद को सरकारी कर्मचारी द्वारा भरे जाने की सम्भावना हो, उसका वेतन नियत करने की शक्ति।	ऐसा कोई प्राधिकारी जिसे नियत वेतन पर अस्थायी पद का सृजन करने का प्राधिकार हो।	सभी शक्तियां
15 से 19क	निकाल दिया गया।			
19ख	46(ख)	ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए स्वीकृति की शक्ति जिसमें मानदेय दिया जाता है तथा मानदेय की मंजूरी अथवा स्वीकृति।	1. रेल बोर्ड	प्रत्येक मामले में अधिकतम 5000 रु० तक सभी शक्तियां।
			2. सभी विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में अधिकतम [1][2500 रु०] तक पूर्ण शक्ति। आवृत्ति मानदेय के मामले में, किसी व्यक्ति को वर्ष में दी गई कुल आवृत्ति अदायगियों पर यह सीमा लागू होती है।
			3. लोक सेवा आयोग	सभी शक्तियां
			4. प्रभागीय इंजीनियर, तार तथा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, आगरा, रंगून, कराची, लाहौर, नई दिल्ली तथा शिमला में तार कार्यालयों में प्रभारी राजपत्रित अधिकारी।	अपने विभाग के नियमों के अनुसार तथा विद्यमान बजट उपलब्ध होने की शर्त के अधीन अपने नियंत्रणाधीन भारतीय डाक तार विभाग इंजीनियरिंग तथा ट्रैफिक शाखाओं के कर्मचारियों को अधिवेतन मंजूर करने की सभी शक्तियां।
			5. निदेशक, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	प्रत्येक मामले में अधिकतम 1000 रुपये तक सभी शक्तियां आवृत्ति मानदेय के मामले में, किसी व्यक्ति को वर्ष में भुगतान की गई कुल आवृत्ति राशि पर यह सीमा लागू होती है।
			6. भारत सरकार के मंत्रालय	प्रत्येक मामले में अधिकतम [2][5000] रुपये तक पूर्ण शक्ति। आवृत्ति मानदेय के मामले में यह सीमा किसी व्यक्ति को एक वर्ष में भुगतान किए गए आवृत्ति की कुल राशि पर लागू होती है।
			7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।	प्रत्येक मामले में अधिकतम [2][5000] रुपये तक पूर्ण शक्ति। आवृत्ति मानदेय के मामले में यह सीमा किसी व्यक्ति को एक वर्ष में भुगतान किए गए आवृत्ति की कुल राशि पर लागू होती है। टिप्पणी 1.—अमुद्रित। टिप्पणी 2.—"एक वर्ष" शब्द चाहे वह इस

1. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 23 दिसम्बर, 1985 के का०ज्ञा सं०—17011/9/85-स्था० (भत्ते) द्वारा 500 के लिए प्रतिस्थापित।

2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 23-12-1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17011/9/85-स्था० (भत्ते) द्वारा 1000 के लिए प्रतिस्थापित।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					मद में कहीं भी पड़ता हो, का अर्थ "वित्त वर्ष" होगा न कि "कलैण्डर वर्ष"।
20.	49	किसी सरकारी कर्मचारी को अस्थायी पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करने अथवा एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तथा सहायक पदों का वेतन नियत करने के लिए और अनुपूरक भत्ते की राशि लेने के लिए शक्ति।	सभी विभागाध्यक्ष		सभी शक्तियां बशर्तें कि वे प्रत्येक सम्बन्धित पद पर सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करने का प्राधिकार रखते हों।
21. से 23.	असुद्रित (परिशिष्ट 8 देखें)				
24. से 28.	असुद्रित (केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के अधीन प्रत्यायोजन देखें)।				
29.	110(ग) व(ख)	भारत में बाह्य विभाग सेवा पर स्थानान्तरण मंजूर करने की शक्ति।	1. राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए, असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग के राज्यपाल।		(क) क्रम सं० 30 की शर्तों के अधीन सभी शक्तियां।
			2. मुख्य आयुक्त, अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग।		(ख) बाह्य विभाग सेवा की अवधि बढ़ाने की मंजूरी देने की शक्ति बशर्तें कि जो सरकारी कर्मचारी उस समय सरकारी सेवा में थे, उनके मामले में मूल रूप से स्वीकृत शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो और पूर्णतः उनके नियंत्रणाधीन हों किन्तु उनके मूल स्थानान्तरण के लिए उच्चतर अधिकारी की मंजूरी केवल इसलिए अपेक्षित हो कि स्वीकार की जाने वाली किसी न किसी शर्त के लिए ऐसी स्वीकृति आवश्यक है।
			3. मुख्य आयुक्त दिल्ली 4. भारत सरकार के विभाग 5. रेल बोर्ड		सभी शक्तियां बशर्तें क्रम संख्या 30 की शर्तें पूरी होती हों।
			6. महा वन निरीक्षक 7. आयुक्त, उत्तर भारत नमक राजस्व		भारत सरकार द्वारा सीधे नियुक्त न किए गए सरकारी कर्मचारी के मामले में सभी शक्तियां। बशर्तें कि क्रम संख्या 30 की शर्तें पूरी होती हों।
			[1]8. भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक।		उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के स्तर से नीचे के पद के अधिकारियों के मामले में पूर्ण शक्ति बशर्तें कि क्रम संख्या 30 की शर्तें पूरी होती हों।
			9. सभी विभागाध्यक्ष		अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्ति बशर्तें कि क्रम संख्या 30 की शर्तें पूरी होती हों।

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 7 जनवरी, 1974 के पत्र संख्या एफ-1(8)ई III(ख)/71 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3	4	5
			10. महालेखाकार, डाक-तार 11. निदेशक, रेलवे लेखापरिक्षा	जिन सरकारी कर्मचारियों का स्तर सहायक लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से ऊपर नहीं है, उनके मामले में सभी शक्तियां बशर्ते कि क्रम संख्या 30 की शर्तें पूरी होती हों ।
			[1] 12. क्षेत्रीय आयुक्त तथा सलाहकार, सौराष्ट्र, राजस्थान मध्य भारत तथा पेप्सू ।	(क) सभी शक्तियां बशर्ते कि क्रम सं० 30 की शर्तें पूरी होती हों । (ख) वाह्य विभाग सेवा को बढाने की मंजूरी देने की शक्ति बशर्ते कि उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो उस समय सरकारी सेवा में थे मूल रूप से स्वीकृत शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, पूर्णतः उनके नियंत्रणाधीन रहेंगे किन्तु उनके मूल स्थानान्तरण के लिए उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति केवल इसलिए अपेक्षित है क्योंकि किसी न किसी शर्त के कारण ऐसी स्वीकृति आवश्यक हो गई है ।
			13. महालेखाकार, निदेशक, लेखा परीक्षा अथवा रक्षा सेवाएं, रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक, अपर उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (वाणिज्य)[1] ।	जिन सरकारी कर्मचारियों का स्तर लेखा अधिकारी अथवा लेखा परीक्षा अधिकारी से ऊपर नहीं है, उनके मामले में पूर्ण शक्ति बशर्ते कि क्रम सं० 30 की शर्तें पूरी होती हों ।
30	114	वाह्य सेवा में वेतन नियत करने की शक्ति ।	वे प्राधिकारी जिन्हें क्रम सं० 29 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की गई है ।	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि— [2](क) वाह्य विभाग सेवा में वेतन उक्त सेवा राष्ट्रपति के उन सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों के अध्यधीन होगा जो वाह्य विभाग सेवा की शर्तों को विनियमित करते हों । (ख) निम्नलिखित रियायतों को छोड़कर कोई अन्य रियायत वेतन के अतिरिक्त मंजूर नहीं की जाएगी :— (i) वाह्य विभाग के नियोक्ता के नियमों के अधीन यात्रा भत्ता ; (ii) वाह्य विभाग के नियोक्ता द्वारा छुट्टी तथा पेंशन सम्बन्धी अंशदान का भुगतान; (iii) इन नियमों के खण्ड VI के अन्तर्गत यात्रा भत्ते की मन्जूरी । मुख्य आयुक्त, अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग को भी निम्नलिखित मंजूरी देने* का प्राधिकार है :— (1) निशुल्क निवास स्थान जिसमें संस्वीकृतिदाता अधिकरी द्वारा उचित समझे जाने पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया जा सकता है, तथा (2) निशुल्क वाहन अथवा इसके बदले में वाहन भत्ता ।

[1]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के शुद्धि पत्र सं० 1053, दिनांक 3-8-1970 द्वारा जोड़ा गया ।

[2]भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 12 जुलाई, 1972 के शुद्धि पत्र संख्या 1066 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5
31	125	बाह्य विभाग सेवा से छुट्टी के बाद लौटने पर सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन की तारीख का निर्णय करने की शक्ति ।	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम, जनजातीय क्षेत्र शिलांग के राज्यपाल, 2. मुख्य आयुक्त, 3. प्रथम श्रेणी के राजनीतिक एजेन्ट्स 4. भारत सरकार के विभाग 5. रेल बोर्ड, 6. महालेखा परीक्षक, 7. क्षेत्रीय आयुक्त तथा सलाहकार सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य-भारत तथा पेप्सू ।	सभी शक्तियां ।
32	127(ग)	विशेष व्यक्तियों के लाभ के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के कारण वसूलियों की राशि में कटौती की शक्ति ।	राष्ट्रपति तथा मुख्य आयुक्तों के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग के आयुक्त ।	उन मामलों में पूर्ण शक्ति जहां किसी अवधि में वास्तविक व्यय एकीकृत लागत से काफी कम पड़ता हो ।
33	130	किसी स्थानीय निधि के अधीन पहली सेवा को सरकारी सेवा में ड्यूटी के रूप में गिनने की अनुमति देने की शक्ति ।	1. भारत सरकार के विभाग 2. रेल बोर्ड 3. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक	सभी शक्तियां ।

परिशिष्ट–4

[अनुपूरक नियम 2 (6)]

प्राधिकारी जो विभिन्न अनुपूरक नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं

क्रम संख्या	अनु० नि० संख्या	शक्ति का स्वरूप	शक्ति किस प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की गई	शक्ति किस सीमा तक प्रत्यायोजित की गई
1	2	3	4	5
1.	4	हटा दिया गया है।		
1.क]		अमुद्रित।]		
2.	10	ऐसा कार्य जिसके लिए फीस का प्रस्ताव है, करने की मंजूरी देने तथा फीस स्वीकार करने की शक्ति।	महानिदेशक भारतीय चिकित्सा सेवा।	किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य परीक्षा निकाय की ओर से परीक्षक का कार्य करने के लिए सिविल सेवा में चिकित्सा अधिकारी के संबंध में पूर्ण शक्ति।
3.	11	–वही–	1. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए राज्यपाल असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग। 2. मुख्य आयुक्त। 3. प्रथम श्रेणी के राजनीतिक एजेन्ट्स। 4. भारत सरकार के विभाग। 5. महालेखा परीक्षक। 6. रेल बोर्ड।	सभी शक्तियां।
			7. महानिदेशक, डाक तार। 8. महा सर्वेक्षक। 9. आयुक्त, उत्तरी भारत नमक राजस्व। 10. मुद्रा नियंत्रक।]	सरकार द्वारा सीधे नियुक्त न किए गए सरकारी कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्ति।
			11. सभी विभागाध्यक्ष।	प्रत्येक मामले में अधिकतम [1][3000 रुपये] तक पूरी शक्ति आवृत्ति शुल्कों के मामले में यह सीमा किसी व्यक्ति को एक वर्ष में किए गए आवृत्ति भुगतानों की कुल राशि पर लागू होती है।
			12. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण।	भारत सरकार अथवा मुख्य सर्वेक्षक द्वारा सीधे नियुक्त न किए गए सरकारी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 250 रुपये तक पूर्ण शक्ति। आवृत्ति शुल्क के मामले में, यह सीमा किसी व्यक्ति को एक वर्ष में किए गए आवृत्ति भुगतानों की कुल राशि पर लागू होती है।
4 से 6		हटा दिया गया है।		
7 से 13		इस संकलन के भाग-II में मुद्रित।		

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय शुद्धि संख्या 16012/2/ई.II(बी०)/76 तारीख 29-4-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3	4	5
14 तथा 15		हटा दिया गया है।		
16 से 55		इस संकलन के भाग- II में मुद्रित।		
55क से 67		अमुद्रित [किन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अधीन प्रत्यायोजन देखें]।		
68 से 70		अमुद्रित (केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियमावली, 1979 का नियम 5(5) देखें)।		
[1]71.	311	किसी विशिष्ट पद के लिए कोई भवन अथवा भवन का भाग आवंटित करने की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग।	आवंटन नियम यदि कोई है, उपबन्धों के अध्यधीन पूर्ण शक्ति।
72.	312(4)	यह निदेश देने की शक्ति कि छुट्टी पर गये किसी अधिकारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह निवास स्थान का अधिभोगी है।	2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक।	
73.	313 (1)	किसी निवास स्थान का आवंटन निलंबित करने की शक्ति।	3. विभागाध्यक्ष।	
74.	313(4)	जिनका आवंटन निलंबित कर दिया हो उन्हें आवास स्थान आवंटन करने की शक्ति।	4. ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जिसे ऊपर के 1 अथवा 2 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जाए।	
75.	314(क)	उप किरायेदारी अनुमोदित करने की शक्ति।		
76.	314(ग)	सरकारी आवास का जो किराया कर्ता द्वारा दिया जा रहा है, उप किरायेदार से उससे अधिक किराया लेने की अनुमति देने की शक्ति।		
77.	316	किसी अधिकारी को यह अनुमति देने की शक्ति कि वह अस्थायी गैरहाजिरी के दौरान किसी आवास में सामान आदि रख सके।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष।	आवंटन नियम यदि कोई है, उपबंधों के अध्यधीन पूर्ण शक्ति।
78.	318 तथा 327	आवासी स्थान के विद्यमान मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए लोक निर्माण अधिकारी नामित करने की शक्ति और विद्यमान मूल्य निर्धारित करने की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष। 4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर जब कि आवास स्थान उनके चार्ज में हो। 5. सर्किल अध्यक्ष जबकि आवास भारतीय डाक तार विभाग के चार्ज में हो।	पूर्ण शक्ति।
79.	321(क) तथा 330(क)	पट्टे पर दिए गए आवासों के अनुरक्षण तथा मरम्मत की संभावित लागत का प्राक्कलन करने की शक्ति।	1. भारत सरकार के विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष।	पूर्ण शक्ति।
80.	321(ख) तथा 330(ख)	परिवर्द्धनों तथा परिवर्तनों पर हुए व्यय की लागत को पट्टे पर दिए गए आवासी स्थानों के किराये में शामिल करने की शक्ति।	4. ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जिसे उपर्युक्त 1 तथा 2 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जाए।	प्रत्यायोजन की शर्तों के अधीन पूर्ण शक्ति।

[1] 71 से 89 तक की मदें भारत सरकार वित्त मंत्रालय, शुद्धि संख्या 2 दिनांक 27-3-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.	322(1)क तथा 331(1)क	सरकारी आवासों के अनुरक्षण तथा मरम्मत की संभावित लागत के प्राक्कलन की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष। 4. जो आवास के०लो०नि०वि० के अधीन है उनके मामले में अधीक्षक इंजीनियर।	पूर्ण शक्ति।
82.	322(1)(ख) तथा 331(1)(ख)	सरकारी आवासों की मरम्मत की लागत का हिसाब लगाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रतिशतता नियत करने की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष।	पूर्ण शक्ति।
83.	322(3) तथा 331(3)	अनु०नि० 322से 331 में उल्लिखित राशि अथवा प्रतिशतता को संशोधित करने की शक्ति।		
84.	325(1) तथा 334(1)	कतिपय सेवाओं के लिए किराया तथा अनुमानित पूंजीगत लागत निर्धारित करने की शक्ति।	4. ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जिसे उपर्युक्त 1 तथा 2 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जा सके।	प्रत्यायोजित की शर्त के अधीन पूर्ण शक्ति।
85.	325(2) तथा 334(2)	विद्युत ऊर्जा तथा पानी और मीटरों का प्रभार निर्धारित करने की शक्ति।		
86.	325(2)(क) तथा 334(2)(क)	सप्लाई की गई विद्युत्त ऊर्जा अथवा पानी प्रभार से सरकार को होने वाली राशि नियत करने की शक्ति	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक।	पूर्ण शक्ति।
87.	325(2)(ख) तथा 334(2)(ख)	जहां मीटरों की व्यवस्था नहीं की गई है वहां विद्युत ऊर्जा तथा पानी के लिए प्रभार नियत करने की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघराज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष।	पूर्ण शक्ति।
			4. ऐसा अन्य कोई प्राधिकारी जिसे उपर्युक्त 1 अथवा 2 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जा सके।	प्रत्यायोजन की शर्त के अधीन पूर्ण शक्ति।
88.	325(2)(ग) तथा 334(2)(ग)	अनु०नि० 325(2) के खण्ड (क)(i) तथा 334(2) में उल्लिखित पूंजीगत लागत का प्राक्कलन करने की शक्ति।	जब आवास लोक निर्माण विभाग के अधीन है तो अधीक्षक इंजीनियर। अन्य मामलों में विभागाध्यक्ष।	
89.	325(2) तथा 334(2)के परन्तुक	विद्युत ऊर्जा, पानी तथा मीटरों का प्रभार निर्धारण करने के प्रयोजन से कई आवासों का एक ग्रुप बनाने की शक्ति।	1. भारत सरकार का विभाग। 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। 3. विभागाध्यक्ष। 4. अन्य कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे उपर्युक्त 1 अथवा 2 द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जा सके।	पूर्ण शक्ति।
	6			6

71—311 D.P. & T/ND/88

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979*

[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 21011/2/79-भत्ता एकक, दिनांक 8 मई, 1979]

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. प्रारम्भिक

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979 है ।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे और इस तारीख को/अथवा इसके बाद होने वाले स्थानान्तरणों पर लागू होंगे ।

(3) ये नियम सिविल सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों, जिनके अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारी भी हैं, को लागू होंगे किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) रेल कर्मचारी ।

(ख) सशस्त्र सेना कार्मिक और ऐसे कर्मचारी जिन्हें रक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों से वेतन दिया जाता है ।

(ग) संविदा पर लगाए गए सरकारी सेवक और ऐसे कर्मचारी जो सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं ।

(घ) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें आकस्मिकता निधि से वेतन दिया जाता है ।

2. (1) जब किसी ऐसे सरकारी सेवक का जिस पर वे नियम लागू होते हैं, किसी ऐसी अन्य सरकार अथवा संगठन के नियंत्रण के अधीन स्थानान्तरण होता है जिसने कार्य ग्रहण काल की सीमा विहित करने से संबंधित अपने अलग नियम बनाए हैं, तो उस सरकार/संगठन के अधीन अपना कार्य ग्रहण करने के निमित्त की जाने वाली यात्रा और उससे वापसी के लिए उस पर उसी सरकार/संगठन के एतद्‌विषयक नियम लागू होंगे, जब तक कि प्रतिनियुक्ति /अन्यत्र सेवा की शर्तों के अनुसार उधार लेने और देने वाले प्राधिकारियों द्वारा परस्पर सहमति से स्पष्ट रूप में भिन्न उपबंध नहीं कर दिए जाते ।

(2) रेल कर्मचारियों, सशस्त्र सेना के कार्मिकों तथा रक्षा सेवा के प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संगठन के ऐसे कर्मचारियों के, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा अन्यत्र सेवा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और कार्य ग्रहण करने और उससे वापसी की यात्रा के लिए कार्य ग्रहण काल का नियमन तब तक इन नियमों के अनुसार ही किया जाए जब तक कि प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र सेवा की शर्तों के अनुसार उधार लेने और देने वाले प्राधिकारियों द्वारा परस्पर सहमति से स्पष्ट रूप में भिन्न उपबंध नहीं कर दिए जाते ।

3. परिभाषाएं

जब तक कि विषय अथवा संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात नहीं है, इन नियमों में परिभाषित पदों का, इन नियमों में प्रयोग इसमें दिए गए अर्थों में ही किया गया है:—

(क) "भारत सरकार का विभाग" से, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई मंत्रालय अथवा विभाग और कोई ऐसा अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो भारत सरकार के किसी विभाग के मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग करता है ।

[1][भारती लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागमें सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्राप्त हैं ।]

(ख) "विभाग का प्रधान" से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जिसे वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अधीन इस रूप में घोषित किया गया है । भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मामले में, विभाग के प्रधान से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ।

---

*[भारत के राजपत्र में दिनांक 19 मई, 1979 को प्रकाशित एवं तारीख 8-5-1979 से लागू है ।]

[1][भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 19011/2/82-भत्ता, दिनांक 27-12-82 द्वारा जोड़ा गया है ।

(ग) "कार्य ग्रहण काल" से किसी सरकारी सेवक को नया पद ग्रहण करने के लिए अथवा तैनाती के स्थान तक यात्रा करने के लिए दिया गया समय अभिप्रेत है ।

(घ) "स्थानान्तरण" से, किसी सरकारी सेवक का उसी स्टेशन के अन्तर्गत या किसी अन्य स्टेशन पर नए पद को ग्रहण करने के लिए जाना अभिप्रेत है । ऐसा उसका मुख्यालय बदल जाने के परिणामस्वरूप भी हो सकता है ।

4. कार्य ग्रहण काल

(1) कार्य ग्रहण काल, किसी सरकारी सेवक को, लोकहित में हुए उसके स्थानान्तरण पर उसी स्टेशन अथवा नए स्टेशन पर नया पद ग्रहण करने के लिए दिया जाता है । अस्थायी स्थानान्तरणों के मामलों में, जिनकी अवधि 180 दिन से अधिक नहीं है, कोई पद ग्रहण काल स्वीकार्य नहीं होगा । ऐसे मामलों में, वास्तविक यात्रा काल ही स्वीकार्य है जैसा कि दौरा यात्रा के मामले में स्वीकार्य है ।

(2) अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के विनियमन संबंधी योजना के अन्तर्गत एक पद से दूसरे पद को स्थानान्तरित किए गए, अधिशेष कर्मचारी पद ग्रहण काल पाने के पात्र होंगे ।

(3) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्हें कर्मचारीवृन्द में लाने के लिए किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से सेवोन्मुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे कार्यालय में पुनर्नियुक्त किया जाता है वे पद ग्रहण काल पाने के पात्र तभी होंगे जब कि उन्हें नए पद पर नियुक्ति के आदेश पुराने पद पर कार्य करते हुए प्राप्त होते हैं । यदि उन्हें पहले पद से सेवोन्मुक्त करने के बाद नए पद पर नियुक्त किया जाता है तो विभाग का प्रधान व्यवधान की अवधि को बिना वेतन पद ग्रहण काल में बदल सकता है परन्तु यह तब जब कि व्यवधान की अवधि 30 दिन से अधिक की न हो और सरकारी सेवक ने सेवोन्मुक्त होने की तारीख तक कम से कम 3 वर्ष की लगातार सेवा कर ली हो ।

(4) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर जो किसी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर सरकारी सेवकों तथा अन्य लोगों के लिए हैं, नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और राज्य सरकार के स्थायी/अनन्तिम रूप में स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अधीन पद ग्रहण काल के हकदार होंगे । किन्तु केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित लगातार सेवा पूरी नहीं की है, पद ग्रहण काल के हकदार तो होंगे किन्तु उस काल के वेतन के हकदार नहीं होंगे ।

5. (1) कार्य ग्रहण काल का आरम्भ कार्यभार पूर्वाह्न में सौंपे जाने की स्थिति में पुराने पद के कार्यभार को छोड़ने की तारीख से और कार्यभार अपराह्न में सौंपे जाने की स्थिति में, ठीक अगली तारीख से होगा ।

(2) सभी मामलों में कार्य ग्रहण काल की गणना पुराने मुख्यालय से की जाएगी, भले ही ऐसे सरकारी सेवक को अपने स्थानान्तरण का आदेश अपने मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त हुआ है या उसने पुराने पद का कार्यभार ऐसे मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर सौंपा है या दौरे पर होने के दौरान उसका मुख्यालय दौरा-स्थान ही कर दिया गया है या उसका अस्थायी स्थानान्तरण स्थायी स्थानान्तरण में बदल दिया गया है ।

(3) एक ही स्टेशन पर नया पद ग्रहण करने के लिए अथवा जहां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाने से निवास स्थान नहीं बदलना पड़ता है वहां पद ग्रहण करने के लिए सरकारी सेवक को एक दिन से अधिक के कार्य ग्रहण काल की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए एक ही स्टेशन पद का आशय नगरपालिका अथवा नगर निगम और साथ ही उपरोक्त नगरपालिका आदि से सम्बद्ध उपनगरीय नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों अथवा छावनी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों से होगा ।

(4) ऐसे मामलों में जहां स्थानान्तरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को होता है और जहां पर निवास स्थान भी बदलना पड़ता है वहां सरकारी सेवक को पद ग्रहण काल, पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच सीधे मार्ग की दूरी और यात्रा के सामान्य साधन को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा । यदि कार्य ग्रहण काल के बाद छुट्टी (छुट्टियां) पड़ती हैं तो सामान्य पद ग्रहण काल को उन छुट्टी (छुट्टियों) तक के लिए बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।

पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच की दूरी	स्वीकार्य काल कार्य ग्रहण	जिन मामलों में स्थानान्तरण के कारण 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा सड़क द्वारा अनिवार्य हो उनमें स्वीकार्य कार्य ग्रहण काल
1,000 कि० मी० अथवा इससे कम	10 दिन	12 दिन
1,000 कि० मी० से अधिक	12 दिन	15 दिन
2,000 कि० मी० से अधिक	15 दिन] वायु मार्ग से यात्रा के मामलों को छोड़कर, जिनके लिए अधिक से अधिक 12 दिन है ।	15 दिन

टिप्पणी:—दूरी से अभिप्रेत है वास्तविक दूरी न कि भारित मील दूरी जिसके लिए रेल द्वारा कतिपय घाट/पहाड़ी खंडों में किराया लिया जाता है।

(5) कार्य ग्रहण काल की जो सीमायें नियम 5(4) में दी गई हैं उन्हें अधिक से अधिक 30 दिन तक विभाग के प्रधान द्वारा और 30 दिन के बाद भारत सरकार के विभागों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि, कार्य ग्रहण काल की कुल अवधि तैयारी के लिए आठ दिन, यात्रा के लिए उचित समय और विस्तारित कार्य ग्रहण काल के ठीक बाद पड़ने वाली छुट्टियों सहित, यदि कोई हो, कुल अवधि के लगभग बराबर होनी चाहिए। यात्रा के समय की गणना करते समय, हड़ताल अथवा प्राकृतिक विपत्तियों के कारण परिवहन व्यवस्था में आई अपरिहार्य बाधाओं के कारण अथवा स्टीमर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा में व्यतीत किए गए समय के लिए, छूट दी जा सकती है।

*6. (1) जब कोई सरकारी कर्मचारी पूरे कार्यग्रहण समय का लाभ उठाये बिना नये पद पर कार्य संभालता है तो नियम 5 के उप-नियम (4) में अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय के दिनों की संख्या जो अधिकतम 15 दिन है, उसके द्वारा वास्तव में लगाये गये दिनों की संख्या को कम करके उसके छुट्टी-खाते में अर्जित छुट्टी के रूप में जमा कर दी जाएगी किन्तु ऐसी छुट्टी जोड़ने के बाद कुल छुट्टी 180 दिनों (अब 240) से अधिक नहीं होगी जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 26(1) (ख) में निर्धारित है।

(2) आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर पद ग्रहण को दीर्घावकाश और/अथवा किसी भी प्रकार की अथवा किसी भी अवधि की नियमित छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(3) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण-यात्रा पर है और उसे मूल स्थानान्तरण आदेश में दिए गए स्थान की बजाए किसी अन्य स्थान को जाने का निदेश दिया जाता है तो वह संशोधित आदेश प्राप्त करने की तारीख तक जितना कार्य ग्रहण काल व्यतीत कर चुका है उसके अतिरिक्त पुनरीक्षित आदेशों की प्राप्ति की तारीख के बाद पूरे कार्य ग्रहण काल का हकदार होगा। इन मामलों में नए पद ग्रहण काल की गणना उसी स्थान से की जाएगी जहां पर उसे पुनरीक्षित आदेश प्राप्त हुए है और मानो कि उसका स्थानान्तरण उसी स्थान से हुआ है।

7. कार्य ग्रहण काल वेतन

सरकारी सेवक कार्य ग्रहण काल के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा और उस दौरान उतना ही वेतन पाने का हकदार होगा जितना उसे पुराने पद का कार्यभार छोड़ने के समय मिल रहा था। साथ ही वह कार्य ग्रहण काल के वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, भी पाने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त वह नगर प्रतिकरात्मक भत्ते, मकान किराया भत्ते जैसे प्रतिकरात्मक भत्ते भी प्राप्त कर सकता है जो कि उसे पुराने स्टेशन पर देय थे जहां से वह स्थानान्तरित हुआ है। उसे सवारी भत्ता अथवा अस्थायी यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

8. प्रकीर्ण :—

जहां भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग को इस बाबत समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के लागू किए जाने के कारण किसी विशेष मामले में अत्यधिक कठिनाई पैदा होती है तो भारत सरकार का वह मंत्रालय अथवा विभाग आदेश द्वारा जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, उस नियम से उस सीमा तक और उन शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगा या उन्हें शिथिल कर सकेगा जो वह मामले पर उचित और न्यायपूर्ण ढंग से कार्यवाई करने के लिए आवश्यक समझे, परन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार का कोई भी आदेश गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

9. यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए निर्देशित कर दी जाएगी।

10. कार्य ग्रहण काल के बारे में वे सभी नियम और अनुदेश जो इन के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रवृत्त थे और जो उन सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं जिन पर कि ये नियम लागू होते हैं, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

भारत सरकार के आदेश

(1) **छुट्टी पर जाते समय/अथवा छुट्टी से लौटते समय किसी दूरस्थ स्थान से/के लिए की जाने वाली यात्रा को शामिल करने के लिए यात्रा समय/काल ग्रहण समय।** केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियमावली, 1979 के लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप, छुट्टी पर जाते समय/अथवा छुट्टी से लौटते समय अथवा स्थानान्तरण पर किसी दूरस्थ स्थान से/के लिए की जाने वाली यात्रा को शामिल करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य यात्रा समय/कार्य ग्रहण समय से संबंधित मूल नियमों तथा पूरक नियमों के कुछ उपबंध और उनके अधीन सरकारी आदेश निष्क्रिय हो गए हैं।

*[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना संख्या 1911/12/84-स्था० (भत्ता) दिनांक 3-7-85 जो भारत सरकार के दिनांक 20-7-85 के राजपत्र में जी० एस० आर० संख्या 670 के रूप में प्रकाशित हुई द्वारा प्रस्थापित]।

जहां तक स्थानान्तरण होने दूरस्थ स्थानों में कार्यग्रहण समय का संबंध है, इसमें कोई कठिनाई प्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि विभागाध्यक्ष केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण समय) नियमावली, 1979 के नियम 5(5) के अधीन कार्यग्रहण समय की अनुमति दे सकते थे। जहां तक छुट्टी के दौरान दूरस्थ स्थानों के लिए कार्य ग्रहण समय का संबंध है, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली में उपयुक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया था। छुट्टी नियमों में संशोधन होने तक, इस विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/12/79–भत्ता तथा दिनांक 13-10/19.81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19011/30/81– भत्ता के अधीन कुछ प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए थे। चूंकि छुट्टी नियमों के संशोधन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए छुट्टी के समय दूरस्थ स्थान को/से यात्रा के मामलों को शामिल करने के लिए दिनांक 16–11–79 तथा 13-10-1981 के कार्यालय ज्ञापनों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जाते हैं :–

(i) अनुबंध के कालम 1 में उल्लिखित दूरस्थ स्थान से/को छुट्टी पर जाने वाला अथवा छुट्टी से उक्त स्थान को/से लौटने वाला सरकारी कर्मचारी उक्त अनुबंध के कालम 3 में निर्धारित हिसाब से एक कैलण्डर वर्ष में एक बार उक्त दूरस्थ स्थान और निर्दिष्ट स्थान के बीच यात्रा में बिताई गई अवधि को शामिल करने के लिए दोनों तरफ के यात्रा समय का हकदार होगा।

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी पर होने के समय भी यह रियायत स्वीकार्य है :—

(क) जो संबंधित दूरस्थ स्थान के अलावा, भारत के किसी अन्य हिस्से का अधिवासी है तथा दूरस्थ स्थान में सेवा के लिए बाहर से विशिष्ट रूप से भर्ती किया गया है; तथा

(ख) जो यद्यपि संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में सेवा के लिए स्थिति अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से विशेष रूप से भर्ती नहीं किया गया है, तथा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर भारत के किसी भाग का अधिवासी है।

(iii) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र का अधिवासी कोई सरकारी कर्मचारी यदि संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अन्य द्वीप में स्थित अपने मूल निवास स्थान को छुट्टी पर जाता है तो वह यात्रा समय के रूप में एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार अपने मूल निवास स्थान के द्वीप को जाने और वहां से लौटने के लिए समुद्र द्वारा की जाने वाली यात्राओं में बिताई गई अवधियों को शामिल करने के लिए हकदार होगा। इस प्रकार, समुद्र द्वारा की गई यात्रा में लगे वास्तविक दिन स्वीकार्य यात्रा समय होगा, परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम सात दिन होंगे।

(iv) जब यात्रा का आरंभ उक्त वर्ष के अगले कैलेण्डर वर्ष में होता है और यात्रा की वापसी उक्त वर्ष के अगले कैलेण्डर वर्ष में होती है तो यह रियायत उस कैलेण्डर वर्ष के लिए गिनी जायेगी, जिसमें छुट्टी आरंभ हुई हो। यात्रा समय की गणना करने में, यात्रा समय के पहले अथवा इसके अन्त में पड़ने वाली सरकारी छुट्टियों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा, परन्तु यात्रा काल के दौरान पड़ने वाली सरकारी छुट्टियों को इसमें शामिल किया जायेगा।

(v) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी कोई सरकारी कर्मचारी संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में सेवा के लिए भर्ती किया जाता है तथा सेवा के लिए लोक हित में उसकी तैनाती मुख्य स्थान पर की जाती है तो, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से छुट्टी पर जाने तथा छुट्टी से वापसी पर वह कार्यग्रहण समय का हकदार एक वर्ष में एक बार होगा।

(vi) ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी जो अण्डमान तथा निकोबार संघ राज्य क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, भारत के किसी भी क्षेत्र का अधिवासी है तथा वहां सेवा के लिए चाहे वह उक्त संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर से भर्ती किया गया हो तो उक्त संघ राज्य क्षेत्र में एक द्वीप में अपने पद से मुख्य स्थान पर उसके मूल निवास स्थान को छुट्टी पर जाते समय उक्त संघ राज्य में अन्य किसी द्वीप में कार्य ग्रहण करने के लिए, उपर्युक्त पैरा 1 (i) में जैसी व्यवस्था है, उतने ही दिनों के कार्य ग्रहण समय का हकदार होगा।

2. दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जब संघ राज्य क्षेत्र से बाहर अपनी छुट्टी बिताता है तो दूरस्थ क्षेत्र के स्थान से अनुबंध में निर्दिष्ट विशिष्ट स्टेशन से दूरस्थ क्षेत्र के स्थान तक के लिए यात्रा समय को यदि इस कार्यालय ज्ञापन के अधीन स्वीकार्य है तो उसे अवकाश सहित कार्यग्रहण समय के रूप में माना जाएगा तथा दो दिनों से अधिक यदि कोई बकाया यात्रा समय है तो उसे वित्त मंत्रालय के दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20014/3/83/ई–IV के उपबंधों के अधीन अवकाश कार्य ग्रहण समय के रूप दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

[भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 17-9-1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 19011/-30/81-स्थापना (भत्ता)]

अनुबंध

छुट्टी पर जाते समय/लौटते समय दूर दराज के स्थानों से/की यात्रा करने के लिए स्वीकार्य मार्ग समय

दूर दराज स्थित स्थान	निर्दिष्ट स्थान	स्वीकार्य मार्ग/समय कार्य ग्रहण समय	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 1. पोर्ट ब्लेयर	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. विशाखापट्नम	स्टीमर द्वारा यात्रा में लगा वास्तविक समय जो सात दिन से अधिक न हो ।	(1) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वहां के उप राज्यपाल, मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के संबंध में उक्त मंत्रालय/विभाग तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को विशेष परिस्थितियों में जब कोई यान कलकत्ता अथवा मद्रास से अथवा तक अधिक समय लेता है, कार्य ग्रहण समय की अधिकतम अवधि बढ़ाने का पूरा अधिकार है ।
2. (1) दक्षिण अंडमान (क) बरातांग (ख) हैवलाक (ग) नील (2) निकोबार द्वीप समूह (क) नानकोवरी (ख) कार निकोबार (3) मध्य अंडमान (क) लांग आईलैंड (ख) रंगत (ग) निमबूटाला (4) उत्तरी अंडमान (क) मायाबंदर (ख) डिगलीपुर (5) छोटा अंडमान (क) हट बे (6) स्टीमर/बोट द्वारा पोर्ट ब्लेयर से सम्बद्ध अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अन्य स्थान	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. विशाखापट्नम } बरास्ता पोर्ट ब्लेयर	स्टीमर द्वारा यात्रा में लगा वास्तविक समय जिसमें दूसरे स्टीमर की प्रतीक्षा के लिए पोर्ट ब्लेयर का पड़ाव भी शामिल है और जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिन है ।	(2) अंडमान तथा निकोबार समूह के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वहां के उप राज्यपाल, मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के संबंध में उक्त मंत्रालयों/विभागों तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे सरकारी कर्मचारियों का कार्यग्रहण समय 15 दिनों तक बढ़ा सकते हैं जबकि उन्हें छुट्टी पर जाते तथा लौटते समय यान की यात्रा में देरी के कारण कलकत्ता/मद्रास में मजबूरन हाल्ट करना पड़े । उप राज्यपाल, मंत्रालयों/विभागों तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, जैसा भी मामला हो, यह अधिकार होगा कि वे इन शक्तियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय अध्यक्षों को पुनः प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।
अरुणाचल प्रदेश			
3. कामेंग जिले में कोई भी स्थान ।	(क) सेपला क्षेत्र के लिए तेजपुर तथा थरीजनों सर्किल तथा (ख) बाकी के लिए बोमडीला	} निर्दिष्ट स्थान से/की यात्रा में हवाई जहाज द्वारा लिया गया वास्तविक समय जिसमें पैदल की गई भू यात्रा भी शामिल है किन्तु यह दूरदराज के स्थान तथा निर्दिष्ट स्थानों के बीच 15 किलोमीटर अथवा इसके किसी भी भाग के लिए एक दिन की दर से परिकलित समय सीमा से अधिक नहीं होगा ।	
4. सबानसीर जिले में कोई भी स्थान ।	कीमिन		
5. उप-मंडल (सब-डिवीजन) डेपरीजो में कोई भी स्थान	लीकाबली		
6. सियोंग जिले में कोई भी स्थान ।	(क) एलांग के लिए लीकाबली (ख) जो हवाई जहाज द्वारा मैचूका और टूरिंग उप-	—यथोपरि—	

1	2	3	4
	मंडल (सब-डिवीजन) जाते हैं उनके लिए मोहनबारी (ग) विगकियोंग तथा मैरियोंग (सबडिवीजन) के लिए लीकाबली अथवा पेसीघाट।		
7. लोहित जिले में कोई भी स्थान।	रोइंग अथवा तेजू बशर्ते कि यदि नदियों में बाढ़ है तो रोइंग अथवा तेजू की बजाए धोल्ला होगा।		
8. तीरप जिले में कोई भी स्थान।	(क) विजयानगर क्षेत्र मे हवाई जहाज द्वारा गये व्यक्तियों के लिए मोहनबारी (ख) चंगलांग उपमण्डल (सब-डिवीजन) के अधीन के स्थानों के लिए चंगलांग (ग) मियो उपमण्डल (सब-डिवीजन) में स्थानों के लिए— (i) सर्दी में मियो (ii) गर्मी में नमचीकीन (घ) बाकी के लिए खोनसा	यथोपरि	
9. लक्षद्वीप अन्डरेथ अमेनी बिद्रा चैतलत किलतन एगाथी स्वारथी सुहेली कलपेनी मिनीकाय	1. मंगलौर 2. केनोर 3. कोजीकोड 4. कोचीन	(i) स्टीमर द्वारा यात्रा में लगा वास्तविक समय (ii) देशी नावों द्वारा यात्रा करने पर प्रत्येक 15 मील के लिए एक दिन।	(1) लक्षद्वीप प्रशासन के कर्मचारियों के संबंध में वहां का प्रशासक, अपने कर्मचारियों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों को तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को यह अधिकार होगा कि कालम 1 अथवा कालम 2 में निर्दिष्ट स्थानों पर स्टीमर उपलब्ध न होने के कारण जबरन हाल्ट करना पड़ता है तो उन मामलों में अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक कार्यग्रहण समय मंजूर कर सकते हैं। प्रशासक अथवा मंत्रालय/विभाग अथवा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को यथास्थिति यह भी अधिकार होगा कि वे इन शक्तियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय अध्यक्षों को पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं। (2) लक्षद्वीप का प्रशासक अथवा मंत्रालय/विभाग अथवा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को यथास्थिति वे सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिनके आधार पर वह कोचीन अथवा कालीकट को/से जलयान द्वारा अधिक समय लिए जाने के कारण विशेष परिस्थितियों में कार्यग्रहण समय की अवधि अधिकतम सात दिन तक बढ़ा सकते हैं।

2. **मार्गदर्शी सिद्धान्त.**—नियम (नियम-4) में आने वाले "नये पद" शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। यह सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह विचार करे कि क्या कार्यग्रहण समय की अनुमति दी जाए या नहीं और जब कार्यभार की रिपोर्ट उचित माध्यम से प्राप्त हो जाती है तो लेखा परीक्षा कार्यालय के लिए यह उचित होगा कि वह इस बात को मान ले कि नए पद का कार्यभार संभालने में लिए गये समय के बारे में प्राधिकारी संतुष्ट है।

फिर भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लेने के लिए कि क्या किसी विशेष मामले में इस नियम के अधीन कार्य ग्रहण समय की अनुमति दी जा सकती है, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए जाते हैं :—

(i) स्थानान्तरण में औपचारिक कार्यभार सौंपना/ग्रहण करना शामिल हो और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना हो।

(ii) नया पद ऐसे कार्यालय से भिन्न कार्यालय में है जिसमें सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण किया गया है।

(iii) स्थानान्तरण पर किसी ऐसे भवन में जाना होगा जो पर्याप्त दूरी पर स्थित है चाहे दोनों पद एक ही कार्यालय की दो अलग अलग शाखाओं में हैं।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय पत्र संख्या 3(2)ई-IV(ख)/62 दिनांक 12-10-64]।

3. **भण्डार के निरीक्षण तथा जांच के लिए कार्यग्रहण समय तथा मार्ग वेतन :**—भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार करती रही थी कि (i) कार्य मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा नए पद का कार्यभार संभालने की अवधि को क्या समझा जाए तथा (ii) ऐसी अवधि के वेतन तथा भत्ते किस प्रकार विनियमित किए जाएं जबकि स्थानान्तरित कार्यभार में कुछेक भण्डार तथा/अथवा ऐसे छुट-पुट कार्य शामिल हैं जिन्हें कार्यमुक्त करने वाले/होने वाले दोनों ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यभार का स्थानान्तरण करने से पहले मिलकर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि ऐसे निरीक्षणों में लगने वाला समय ड्यूटी के रूप में माना जाए जबकि विभागाध्यक्ष इसे अतिशय न समझे। ऐसा कार्यभार संभालने पर, कार्यमुक्त करने वाला अधिकारी निम्न प्रकार वेतन/भत्ते लेगा —

(क) (i) यदि उसका स्थानान्तरण ऐसे पद से हुआ है जिस पर वह स्थायी हैसियत से कार्य कर रहा था तो उस पद में अपना परिकल्पित वेतन, अथवा

(ii) यदि उसका स्थानान्तरण ऐसे पद से हुआ है जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था अथवा छुट्टी से आने के बाद ऐसे पद पर कार्य करता है तो उस पद में स्वीकार्य स्थानापन्न वेतन अथवा वह वेतन जो उसने स्थानान्तरण पूरा होने पर लिया होता इन दोनों में जो भी कम हो, और

(ख) नये स्थान पर यथा स्वीकार्य नगर प्रतिपूरक भत्ता/मकान किराया भत्ता जो यथास्थिति उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के आधार पर होगा।

टिप्पणी :—विभागाध्यक्षों की शक्तियां अधीक्षक अभियंता अथवा समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है, जहां तक कि इनका संबंध उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हो।

यह भी निर्णय किया गया है कि हरेक ऐसे मामले में जहाँ विभागाध्यक्ष अथवा वह अधिकारी जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, यह निर्णय करता है कि कार्य मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को उपर्युक्त निर्णय के उपबंधों के अधीन "ड्यूटी" माना जाए तो नीचे दिए गए प्रपत्र में एक घोषणा जारी कर दी जानी चाहिए।

घोषणा

मैं ...., ... घोषित करता हूं
(नाम) (पदनाम)
कि श्री ....
(कार्यमुक्त किए जाने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम)
तथा श्री ....
(कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का नाम)
(पदनाम)
कार्यभार सौंपने तथा कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में .... से ....
तक की अवधि में कई छुटपुट कार्यों तथा/अथवा भण्डारों के संयुक्त निरीक्षण में लगे हुए थे और मैं उपर्युक्त अवधि को अतिशय नहीं समझता, जिसके दौरान श्री ....
.... (कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का नाम) को ड्यूटी पर माना जाएगा।

स्थान .... नाम ....
तारीख .... पदनाम ....

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 5एफ-2(4)-स्था०-iii/59 दिनांक 4-4-59, 19-8-59 तथा 17-11-59।]

4. **विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले रवानगी पूर्व औपचारिकताओं के लिए दिए गए समय को मार्ग समय के रूप में माना जाए।**—विदेश में प्रशिक्षण पर रवाना होने से पहले दिल्ली से बाहर रह रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को औपचारिकताएं

पूरी करनी होती हैं अर्थात् चिकित्सा जांच, पासपोर्ट और यात्रा के प्रबन्ध आदि और इनमें कुछ समय लगता है।

यह प्रश्न उठता है कि इस अवधि को क्या माना जाए। यह निर्णय किया गया है कि अधिकतम चार दिन तक की अवधि विदेश प्रशिक्षण के संबंध में रवानगीपूर्व औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दी जाए और इसे मार्ग समय माना जाए।

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का० ज्ञा० संख्या 12-(3) ई० IV (ख)/63-दिनांक 5-2-1964]

5. स्थानीय तबादले के मामले में रविवार/छुट्टी को विनियमित किया जाना—पूर्वी प्रभाग कलकत्ता के एक वरिष्ठ डाक अधीक्षक को 6 जून, 1964 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया गया था और उसने डाक जीवन बीमा कलकत्ता में उपनिदेशक का कार्यभार 9 जून, 1964 को पूर्वाह्न में संभाला—7 तथा 8 जून क्रमशः रविवार तथा अवकाश का दिन था। यह प्रश्न उठाया गया था कि ऐसे मामलों में कार्य ग्रहण अवधि को किस प्रकार विनियमित किया जाए।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रथम अवकाश (अर्थात् वर्तमान मामलों में 7 जून, 1964) को अनुपूरक नियम 293 के अधीन कार्यग्रहण समय माना जाए जबकि अगला अवकाश (अर्थात् 8 जून, 1964) कार्यग्रहण समय को साथ जोड़ी गई छुट्टी मानी जाएगी।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, यू०ओ० संख्या 2878/ई. IV(ख)-1/64 दिनांक 21-7-64।]

6. अपनी मर्जी से तबादले के मामले में—केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण काल) के नियमों के नियम 4 (1) के अधीन लोकहित में स्थानान्तरण के मामलों में कार्य ग्रहण करने का समय स्वीकार्य है। किसी पुराने स्थान पर कार्यभार सौंपने की तारीख और दूसरे स्थान पर कार्य ग्रहण करने के बीच की अवधि को, उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में कैसे विनियमित किया जाये जिन्हें उनके अपने ही अनुरोध पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है, का प्रश्न विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के उनके अपने अनुरोध पर स्थानान्तरण के मामले में यदि सरकारी कर्मचारी इसके लिये आवेदन करे और सक्षम प्राधिकारी इसे मंजूर करने का इच्छुक हो, तो पुराने स्थान पर कार्यभार सौंपने की तारीख और दूसरे स्थानपर कार्य ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शामिल करने के लिए उस पर लागू छुट्टी नियमों के अधीन उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य नियमित छुट्टी मंजूरी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

यह आदेश 8.5.79 अर्थात् उस तारीख से जिस तारीख को केन्द्रीय सिविल सेवा (पदग्रहण काल) नियम लागू हुए थे, से प्रभावी होंगे।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक, विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 19011/33/81-स्थापना (भत्ता) दिनांक 29-1-83]

लेखा परीक्षा के अनुदेश

प्रशिक्षण स्थान और जिस स्थान पर सरकारी सेवक को प्रशिक्षण की अवधि के ठीक पहले और बाद में नियुक्त किया जाता है, उस स्थान के बीच की यात्रा के लिए उचित रूप से अपेक्षित समय को उस अवधि का भाग के रूप में समझा जाना चाहिए। इस नियम को ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू करने का आशय नहीं है जो "प्रशिक्षण पद" धारित किए हुए हों, जिन्हें इस प्रकार माना जाए जैसा कि वे इन पदों को स्थानान्तरण पर अपने साथ ही लेकर गए हों।

[लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनः मुद्रित) मैनुअल का खण्ड० I, पाठ XI का पैरा I-क)

लेखा परीक्षा का निर्णय

एक सरकारी कर्मचारी को सैनिक विभाग में नियुक्ति के लिए शिमला से मेरठ में चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था और वह अयोग्य घोषित होने के बाद शिमला लौट आया तो उसे स्थानान्तरण तथा पुनःस्थानान्तरण पर कार्यग्रहण समय की अनुमति होगी।

[लेखा परीक्षा निर्णय संकलन के भाग IV का निर्णय सं० 34]

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निर्णय

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी को कोई कार्य ग्रहण समय स्वीकार्य होगा जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है किन्तु बाद में उसका स्थानान्तरण उसके द्वारा पुराने पद का कार्यभार सौंपने के बाद तथा नये पद का कार्यभार संभालने से पहले रद्द कर दिया जाता है। यह निर्णय किया गया है कि पुराने पद का कार्यभार सौंपने की तारीख तथा स्थानान्तरण आदेश रद्द होने के कारण बाद में उसी पद का कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि को अनुपूरक नियम 298 के अधीन कार्यग्रहण समय के रूप में माना जाना चाहिये।

[नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक पत्र संख्या 997-लेखा परीक्षा/161-67 दिनांक 30-8-67]

परिशिष्ट—6

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन

I

[गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 29-10-1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-राज भाषा (घ)]

विषय :—निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन—एक मुश्त पुरस्कार संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना—पुरस्कार की राशि में वृद्धि ।

1. उपरोक्त विषय पर अब तक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को (1) निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं पास करने पर और (2) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्चस्तर परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नलिखित मान से, एकमुश्त पुरस्कार देने के संबंध में राष्ट्रपति जी की संस्वीकृति देने का निदेश हुआ है :–

परीक्षा	पुरस्कार
(1) हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रू० 250.00 (दो सौ पचास)
(2) हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रू० 250.00(दो सौ पचास)
(3) हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रू० 300.00(तीन सौ)
(4) हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा	रू० 200.00(दो सौ)
(5) हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा	रू०500.00(पांच सौ)
(6) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।	रू० 300.00(तीन सौ)
(7) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी परिचय परीक्षा	रू० 300.00 (तीन सौ)

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त परीक्षा और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा पास करने पर, अराजपत्रित कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त 12 मास की अवधि के लिए वेतन वृद्धि की राशि के समान वैयक्तिक वेतन भी दिया जाए । वैयक्तिक वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश इस वैयक्तिक वेतन के लिए भी लागू होंगे ।

परन्तु :– (1) जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से, जिसने पास की है अथवा जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, अथवा हिन्दी के सेवा-कालीन प्रक्षिण से छूट मिली है, वह कर्मचारी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर एक मुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा ।

(2) जिस कर्मचारी ने पहले ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई मिडिल (कक्षा 8) या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की है, वह कर्मचारी हिन्दी प्रवीण और हिन्दी प्रबोध परीक्षाएं पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा ।

(3) जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई प्राइमरी (कक्षा 5) या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय के साथ (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की है, वह कर्मचारी प्रबोध परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा ।

(4) जिस कर्मचारीने —

(i) सरकारी नौकरी में आने से पहले घोषित किया था कि हिन्दी टाइपिंग में उसकी गति 25 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक थी; अथवा

(ii) उसने पहले ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण लिया है और वहां से हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास की है, अथवा

(iii) जिसके लिए हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होता। वह कर्मचारी हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।

(5) जिस कर्मचारी ने

(i) भारत सरकार की नौकरी में आने से पहले घोषित किया था कि हिन्दी आशुलिपि में उसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक थी, अथवा

(ii) उसने पहले ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और वहां से हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास की है, अथवा

(iii) जिस के लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। वह कर्मचारी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।

2. इस एकमुश्त पुरस्कार के मंजूर किए जाने और इसकी अदायगी के बारे में अन्य शर्तें होंगी :–

(1) उपर्युक्त एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारीयों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात है जहां हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा जहां संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(2) जो कर्मचारी पाठ्यक्रम के रूप में अपने लिए निर्धारित परीक्षा से उंची परीक्षा पास करते है, उन्हें इसके लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

(3) एकमुश्त पुरस्कार उस वैयक्तिक वेतन पर नकद पुरस्कार के अतिरिक्ति होगा जिसके लिए कर्मचारी समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पात्र है।

(4) एकमुश्त पुरस्कार संबंधित कर्मचारी की पहली बार परीक्षा में शामिल होने की तिथि से 15 मास की अवधि के अंदर परीक्षा पास करने पर ही दिया जाएगा।

(5) जिन कर्मचारीयों ने हिन्दी शिक्षण योजना के किसी भी केन्द्र में कभी-भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, चाहे वह कितनी भी थोड़ी अवधि का क्यों न हो, उन्हें उस प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षा के लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

लेकिन यदि अन्य परिस्थितियों के अनुसार प्रचालन कर्मचारी इसके पात्र हैं तो उनके एकमुश्त पुरस्कार में से, केवल इसलिए कटौती नहीं की जाएगी कि वे यदा-कदा हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाओं में भाग लेते रहे हैं।

3. जो कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की निजी तौर पर तैयारी करते हैं, उन्हें कार्यालय के समय में हिन्दी कक्षाओं में जाने वाले अन्य प्रशिक्षणार्थियों के समान ही, निशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी लेकिन जो कर्मचारी स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा की तैयारी करते है, उन्हें निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा नहीं दी जाएगी।

निजी तौर से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कर्मचारी केवल एकमुश्त पुरस्कार के हकदार होंगे। उनके व्यय अथवा उनके द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली फीस की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

4. ये एकमुश्त केन्द्रीय पुरस्कार सरकार के उन कर्मचारीयों को दिए जाएंगे जो जनवरी, 1985 तक होने वाली संबंधित परीक्षाओं में पास होंगे।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन के लिए उनके किन कर्मचारियों को प्रचालन कर्मचारी समझा जाए, इस बारे में प्रशासनिक मंत्रालय स्वयं निर्णय करेंगे। वैसे प्रचालन कर्मचारियों से मतलब सामान्यतः उन कर्मचारियों से होता है, जिनके काम का स्थान नियत नहीं होता और न घंटे नियत होते हैं अथवा जो अधिकतर दौरे पर रहते हैं और जिनके कारण वे नियमित रूप से हिन्दी परीक्षाओं में उपस्थित नहीं रह सकते।

6. एकमुश्त पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/3/76-रा० भा० (घ) दिनांक 21-5-1977 के साथ जो किए गए घोषणापत्र को भरना होगा और इसके आधार पर एकमुश्त पुरस्कार के लिए संबंधित कर्मचारी की पात्रता निर्धारित की जाएगी।

7. एकमुश्त पुरस्कार संबंधित मंत्रालय और विभागों द्वारा मंजूर किया जाएगा और दिया जाएगा तथा इस लेखे पर जो खर्च होगा उनके द्वारा ही वहन किया जाएगा।

भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग यदि चाहे तो विभागाध्यक्ष को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार स्वीकृत करने का अधिकार सौंप सकते हैं।

संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में एकमुश्त पुरस्कारों की मंजूरी और अदायगी संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की जाएगी और इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा वहन किया जाएगा।

8. स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों, सरकारी उद्यमों आदि के कर्मचारियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे इन संगठनों, निकायों आदि को सुझाव दें कि वे नकद पुरस्कार की योजना इसी आधार पर चालू करें और पुरस्कार स्वयं स्वीकृत करें। इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित संगठनों और निकायों आदि द्वारा ही वहन किया जाएगा।

9. ये आदेश दिनांक 1-10-1984 से लागू समझे जाएं।

II

[राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 31-8-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12016/3/76-रा०भा०(घ)]

विषय :—निजी प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को फीस के लिए एडवांस दिया जाना।

1. राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के निम्नश्रेणी लिपिकों/टंककों और आशुलिपिक/आशुटंककों के लिए क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन विषयों पर विभागीय प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कुछ बड़े-बड़े शहरों में ही किया गया है। इस समय ऐसे केन्द्र दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जबलपुर कानपुर और पटना में है। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र उन सभी शहरों में स्थापित करना संभव नहीं है, जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालय है। जहां ऐसे केन्द्र नहीं है, उन स्थानों में तनात कर्मचारियों को निजी तौर पर इन विषयों का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के के लिए प्रावधान किया गया है कि उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा और हिन्दी आशुलिपि परीक्षा, निजी तौर पर पास करने पर, अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त एकमुश्त पुरस्कार भी दिया जाए— हिन्दी टाइपिंग के लिए 150 रूपये और हिन्दी आशुलिपि के लिए 300 रूपये।

2. निजी तौर पर प्रशिक्षण लेने के लिए इन कर्मचारियों को अधिकतर प्राइवेट संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। यद्यपि संबंधित परीक्षा पास करने पर इन कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है, फिर भी चूंकि इसके लिए इन्हें पहले अपने पास से फीस आदि पर खर्चा करना पड़ता है, वे प्रशिक्षण में खास रूचि नहीं लेते। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को जिन के लिए हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और जो प्रशिक्षण के बाद संबंधित परीक्षा पास करने पर किये गये प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त पुरस्कार पाने के पात्र है, उन्हें निजी तौर पर प्राइवेट संस्थानों में हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने के लिए, नीचे लिखी शर्तो पर, बतौर एडवांस, बिना ब्याज, अधिक से अधिक क्रमशः 100 रूपये और 200 रूपये दिये जाएं।

(1) एडवांस की राशि कर्मचारी द्वारा प्राईवेट संस्थान को फीस के रूप में दी जाने वाली वास्तविक राशि (हिन्दी टाइपिंग के लिए 6 महीने की फीस और हिन्दी आशुलिपि के लिए 12 महीने की फीस)। अथवा ऊपर बताई गई राशि, जो भी कम हो वह होगी।

(2) संबंधित संस्थानों में दाखिला लेने के 3 महीने बाद, कार्यालय के अध्यक्ष के, कर्मचारी के तब तक के प्रशिक्षण से संतुष्ट होने पर ही, कर्मचारी को एडवांस दिया जाएगा। इसके लिए कार्यालय का अध्यक्ष अन्य बातों के अलावा, संबंधित संस्थान से प्रमाणपत्र मांग सकता है कि संबंधित कमचारी नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए जाता रहा है तथा उसकी प्रगति संतोषजनक है।

(3) यह एडवांस, अन्ततः, कर्मचारी के हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार में से काट कर, वसूल किया जाएगा।

यदि कर्मचारी एडवांस लेने की तारीख से, एक साल की अवधि में हिन्दी टाइपिंग परीक्षा और 1-½ साल की अवधि में हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास नहीं करता है तो, एडवांस की राशि उसके वेतन से, इस अवधि के तुरन्त बाद चार बराबर बराबर किस्तों में वसूल कर ली जाएगी।

परीक्षा पास करने की अवधि को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा।

3. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त, यह एडवांस, पात्र कर्मचारियों को कार्यालय के अध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर सरकारी कर्मचारियों को बिना ब्याज दिये जाने वाले अन्य एडवांसों की सामान्य शर्तों के अधीन, किया जाएगा और इसका लेखा-जोखा भी वैसे ही रखा जाएगा।

इस प्रकार की शर्तों पर संघशासित क्षेत्रों के कर्मचारी भी इस एडवांस के पात्र होंगे।

इस एडवांस की राशि नीचे लिखे खाते में दिखाई जावे :—

"766—सरकारी कर्मचारियों को उधार आदि अन्य अग्रिम हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए उधार"।

सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों

और विभागों को चाहिए कि वे इन उपक्रमों आदि को सुझाव दें कि वे उपर्युक्त सुविधा अपने कर्मचारियों को भी दें।

4. यह आदेश वित्त मंत्रालय की 4 अप्रैल, 1977 की अ०स०टि०सं० 852ई० II (ए) तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग की 22-7-1977 की अ०शा०टि० सं०डी० 1174बी/एसी/77 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया गया है।)

III

हिन्दी परीक्षा पास करने के लिए वैयक्तिक वेतन की मंजूरी मूल नियम 9(23) के नीचे भारत सरकार का आदेश (3) देखें।

IV

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 12-8-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 14012/55/76-राजभाषा (ग)]

विषय :—विजय के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को "हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता" देना।

1. केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में निहित है। जिनमें सरकारी प्रयोजनों के हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियम तथा नियमों के इन प्रावधानों के बारे में प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से इसका अनुपालन तथा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि हिन्दी में अपना आशुलिपि तथा टाइप का कार्य करने वाले आशुलिपिक और टाइपिस्ट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। क्योंकि अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा टाईपिस्टों के अतिरिक्त हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट नियुक्त करने पर अत्यधिक खर्च होना था इस लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को विशेष भत्ता देकर द्विभाषी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की उपलब्धि बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस विभाग में विचार हो रहा था।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को जो अंग्रेजी टाइप/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं। क्रमशः 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति मास विशेष भत्ता दिया जाए। केवल वही अंग्रेजी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस भत्ते के पात्र होंगे जो हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति दिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं। केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियां इसमें शामिल नहीं होंगे। यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

3. जिस कर्मचारी को यह भत्ता दिया जाएगा उन्हें यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपना सरकारी कार्य दोनों भाषाओं में करता है संलग्न प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आशुलिपिकों के लिए यह प्रमाण-पत्र उस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिस के साथ वह काम करता है और टाइपिस्टों के लिए यह प्रमाण-पत्र संबंधित अवर सचिव या कार्यालय अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा दिया जाएगा। जब आशुलिपिक या टाइपिस्ट दोनों भाषाओं में कार्य करना आरम्भ करें तब से पहले 6 महीनों के लिए यह प्रमाण-पत्र प्रतिमास देना आवश्यक होगा और उसके पश्चात् प्रत्येक 3 महीने में एक बार।

4. वर्तमान योजना जिसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं जारी रहेंगी परन्तु जब इस योजना के अंतर्गत विशेष भत्ते का लाभ मिलने लगेगा तब से अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

5. कार्यालय अध्यक्ष तथा आशुलिपिकों और टाइपिस्टों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप यह विशेष भत्ता संबंधित आशुलिपिक/टाइपिस्ट द्वारा द्विभाषी रूप में कार्य करने पर ही प्राप्त किया जाए। इन निर्देशों के दुरूपयोग और वास्तव में कार्य किए बगैर विशेष भत्ते के विनियोग से अभिप्राय उसी प्रकार का दुरूपयोग माना जाएगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार के नियमों के अंतर्गत यात्रा या अन्य भत्तों के विनियोग के संबंध में अनियमितता को समझा जाता है। इस पहलू पर निगरानी रखने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यदि चाहें तो अपने हिन्दी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

[1]6. यह योजना 15 मई, 1987 से आगे भी जारी रहेगी।

V

[गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 16 फरवरी, 1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या II-12013/3/87-राजभाषा (क-2)]

विषय :—सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16-7-1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 13034/3/185-रा०भा०(ग) द्वारा संशोधित।

74—311 D.P. & T/ND/88

1. सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी। इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे। इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, जो 25 मई, 1984 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी। योजना का विवरण इस प्रकार है :—

2. (1) योजना का क्षेत्र :—केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

(2) पात्रता :

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूलटिप्पणी व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने सम्बन्धी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(3) पुरस्कार.—भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

	प्रत्येक रु०
पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	500
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	300
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	150

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

	प्रत्येक रु०
पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	400
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	200
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	150

(4) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा। उदाहरणार्थ, अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मण्डल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा। रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी।

(5) **पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :**

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह की लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर

करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

(7) **मूल्यांकन समिति :**

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए।

4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा। विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है। इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपनी सहमति अ०शा०टि० सं०एच-78/ई/III, 87/दिनांक 27-1-1988 द्वारा दे दी है।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी।

प्रोफार्मा

श्री/श्रीमती/कुमारी .... की .... को .... समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी।

विवरणी

क्रम सं०	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों, आदि की संख्या जिनमें, हिन्दी में काम किया गया।	हिन्दी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या।	हिन्दी में किए गए अन्य काम		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

स्थानीय निधियां---में स्थानांतरण---मूल नियम 129
किसी भी सरकारी सेवक को भारत से बाहर---में उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा---मूल नियम 110(क)
---संयुक्त राष्ट्र, पेंशन निधि योजना में हिस्सेदारी---मूल नियम 121(भारत सरकार का आदेश)
यदि---पर गए सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया हो तो उसका वेतन---मूल नियम 124
वह क्रियाविधि जिसमें स्थानांतरित व्यक्ति को---भुगतान करता है---मूल नियम 111(भारत सरकार का आदेश 5)
जब---में होने पर "एक के लिए एक" सिद्धांत के अनुसार प्रोफार्मा पदोन्नति---मूल नियम 113 (भारत सरकार का आदेश 1)
अभिदाय की दर---मूल नियम 116 तथा परिशिष्ट 1
अन्यत्र नियोजक से पेंशन या उपदान ग्रहण करने के लिए मंजूरी आवश्यक है---मूल नियम 121
---पर गए अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका---अनु० नियम 203
मान्यताप्राप्त संघों/यूनियनों में---के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान---मूल नियम 115 (भारत सरकार का आदेश 1)
---के लिए पात्र अस्थायी सरकारी कर्मचारी---मूल नियम 111 (भारत सरकार का आदेश 2)
शर्तें आदि जो कार्य-मुक्त करने से काफी पहले निर्धारित की जानी चाहिए---मूल नियम 111(भारत सरकार का आदेश 3)
---में स्थानांतरण के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है---मूल नियम 110(ख)
जब---में स्थानांतरित अनुज्ञेय हो। मूल नियम 111
छुट्टी तथा पेंशन के लिए अंशदान के अन्तर्गत भी देखें।

(यू)

अप्राधिकृत अनुपस्थिति---
उपबन्ध को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी---मूल नियम नियम 17-क, टिप्पणी 2
विशिष्ट प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान/विच्छेद के कारणों को समझना---मूल नियम 17-क
केवल पर्याप्त अवसर देने के बाद ही पैनल उपबन्धों का लेना---मूल नियम 17-क(भारत सरकार का आदेश 1)

असाधारण छुट्टी---
जब---चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर ली गई हो तो वेतनवृद्धियों की गणना---मूल नियम 26(ख)
राष्ट्रपति यह निदेश दे सकेगा कि चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से भिन्न---वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी---मूल नियम 26(ख) परन्तुक

अस्थायी पद---
---की परिभाषा---मूल नियम 9(30)
निलम्बनाधीन कर्मचारी के---की अवधि बढ़ाना---मूल नियम 53(भारत सरकार का आदेश)
वेतन नियत करना---मूल नियम 39-40

आयु---
जिस पर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना है---मूल नियम 56

आवास-स्थान (आवास-स्थानों) का आबंटन---
---को निलंबित करने की शर्त---अनुपूरक नियम 313 सामान्य शर्तें---अनुपूरक नियम 311-317

इनाम
सामान्य अनुदेश---मूल नियम 48(भारत सरकार का आदेश 1)
---की स्वीकृति विनियमित करने वाले नियम---मूल नियम 48

उपलब्धियां---
मूल नियम 45-क और मूल नियम 45-ख मूल नियम 45-ग के प्रयोजनों के लिए---की परिभाषा
अनुज्ञप्ति फीस आवंटित की---के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी---
मूल नियम 45-क IV(ख)(1)
मूल नियम 45-ख-IV (ख)(1)
---राष्ट्रपति द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत की जाएं---मूल नियम 9(21)(क)(iii)

औसत वेतन---
किसी पद के औसत वेतन की गणना कैसे की जाए---मूल नियम 9(31)(भारत सरकार का आदेश 2)

क

कदाचार---
---के मामले में कम वेतन वाले पदों पर स्थानांतरण---मूल नियम 15

कर्तव्य---
समय-वेतनमान वाले पद में---की सम्पूर्ण अवधि उस समय-वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए गणना में ली जाती है---मूल नियम 26(क)
अनिवार्य तथा हिन्दी परिक्षाओं में बैठना---के रूप में माना जाए---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 4)
वे परिस्थितियां जिनमें केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को---के रूप में घोषित कर सकती हो---मूल नियम 9(6)(ख)
प्रशिक्षण को---के रूप में माने जाने की शर्तें---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 12)
वेतन और भत्तों की गणना करने की तारीख---मूल नियम 17
---की परिभाषा---मूल नियम 9(6)
सरकारी कर्मचारी---से लगातार पांच वर्ष की अनुपस्थिति के पश्चात् सरकारी नौकरी में नहीं रहेगा---मूल नियम 18
भारत में शिक्षण या प्रशिक्षण चर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारी---पर है---मूल नियम 9(6)(ख)(1)
"भारत में शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम" अभिव्यक्ति का विवेचन---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 10)
कार्यग्रहण समय की गणना---के रूप में की जाए---मूल नियम 9(6)(ख)(11)
तैनाती आदेश की प्रतीक्षा की अवधि को---के रूप में माना जाए---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 1)
अभियंता अधिकारियों के मामले में भण्डारों की जांच तथा निरीक्षण में लगी अवधि---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 17)
नियुक्ति से पहले के प्रशिक्षण की अवधि को विभागीय परीक्षाओं में बैठने की पात्रता के लिए---के रूप में माना जाना---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश 24)
परिवीक्षाधीन या शिक्षु के रूप में सेवा जब---के रूप में मानी जाए---मूल नियम 9(6)(क)(1)
यात्रा के दौरान बाध्यकारी परिस्थितियों में रुकने की अवधि को---के रूप में माना जाना---मूल नियम 9(6)(भारत सरकार का आदेश 16)

ट

ठीक नीचे का नियम—
अपात कमीशन से सिविल नियोजन पर वापिस आने पर सेवा की गणना—को लागू करना—मूल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश 9)
—के अधीन लाभ मंजूर करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन—मूल नियम 30(भारत सरकार का आदेश 6)
—से संबंधित विभिन्न निर्णयों की सही परिधि—मूल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश 4)
—के मार्गदर्शी सिद्धांत—मूल नियम 30(भारत सरकार का आदेश 2)
एक के लिए एक नियम—मूल नियम 30(भारत सरकार का आदेश 3)
भारत/विदेश में प्रशिक्षण/अनुदेश पर रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति—मूल नियम 30(भारत सरकार का आदेश 10)
विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों पर—लागू करने के मामले में रोक—मूल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश 5)

त

तारीख
—वेतन और भत्तों की गणना करने की—मूल नि० 17 जन्म की—में परिवर्तन करने के लिए क्रियाविधि—मूल नियम 56 टिप्पणी (भारत सरकार का आदेश 1)
त्यागपत्र—
—के पश्चात् पुनर्नियुक्ति होने पर आवश्यक चिकित्सीय प्रमाणपत्र —अनु०नि० 4-क, टिप्पणी।
तकनीकी औपचारिकता—मूल नियम 22(भारत सरकार का आदेश 6)

द

दक्षतारोध—
मूल नियम 31(2) और 31 (भारत सरकार का आदेश 3) के अधीन पुनः निर्धारण के मामले में स्वतः—पार करना
कनिष्ठ समय वेतनमान का—वरिष्ठ समय वेतनमान में लागू नहीं किया जा सकता—मूल नियम 25(भारत सरकार का आदेश 14)
पहले से लागू—पार करने पर स्तर का नियतन—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 1)
—लागू किए जाने पर सरकारी कर्मचारी को सूचना दी जाए—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 3)
—से ठीक ऊपर की वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियां रोकने वाले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी—मूल नियम 25
अगला पुनरीक्षण—मूल नियम 25(भारत सरकार का आदेश 4)
पदोन्न पद में वेतन नियत करते समय—पार करने पर कोई आदेश आवश्यक नहीं—मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 4)
निम्नलिखित मामलों पर विचार करने की क्रियाविधि—जब विभागीय कार्यवाहियां विलम्बित हों—मूल नियम 25(भारत सरकार का आदेश 7)
जब आचरण की जांच की जा रही हो—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 7)
—को हटाए जाने के बाद वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख बहाल करना—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 9)
बहाली पर—लागू किए जाने तथा वेतन नियत करने के लिए संशोधित क्रियाविधि—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 5)
जब—पार करने की नियत तारीख वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति की समाप्ति के बाद पड़ती हो—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 11)
जब —के बाद की वेतनवृद्धि की अनुमति गलती से दी दे गई हो—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 13)
जब एक ही रिपोर्ट लिखे जाने से पहले ही अधिकारी को—पार करनी होती है—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 12)
जब अधिकारी —के स्तर पर रुका हो और वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति लगाई गई हो—मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 10)
दुराचार—
जिस सरकारी कर्मचारी को—के कारण निम्न ग्रेड में अवनत कर दिया गया था किन्तु बाद में पदोन्नत कर दिया गया, उसकी पिछली सेवा वेतनवृद्धि के लिए गिनी जा सकती है—मूल नियम 29

ध

धारणाधिकार—
वे परिस्थितियां जिनमें सरकारी कर्मचारी का अपने पद पर—बना रहता है—मूल नियम 13
वे परिस्थितियां जिनमें—अर्जित करता है—मूल नियम 12-क
—स्थायीकरण प्राप्त करने के समान है—मूल नियम 12-क (भारत सरकार का आदेश 1)
स्थानान्तरण/पदावनति होने की स्थिति में नए पद में—प्रदान करने के लिए अधिसंख्यक पद का सृजन करना—मूल नियम 15 (भारत सरकार का आदेश 1)
—की परिभाषा—मूल नियम 9(13)
अन्यत्र सेवा के दौरान—मूल नियम 13
कार्यग्रहण काल के दौरान—मूल नियम 13
छुट्टी के दौरान—मूल नियम 13
एक पद पर केवल एक अनन्तिम नियुक्ति—मूल नियम 14 (भारत सरकार का आदेश 2)
सैनिक सेवा में बुलाए जाने पर सिविल पद में—को बनाए रखना—मूल नियम 13 (भारत सरकार का आदेश 1)
जिन सरकारी कर्मचारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया जाता है उनके मामले में मूल विभाग में—रखा जाना—मूल नियम 13 (भारत सरकार का आदेश 2)
विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर—रखना—मूल नियम 13 (भारत सरकार का आदेश 3)
तीन वर्षों के भीतर अधिवर्षिता के मामले में—के निलम्बन का सहारा न लिया जाना—मूल नियम 14 (भारत सरकार का आदेश 1)
बाह्य सेवा के नियोजक द्वारा स्थायी रूप से आमेलित कर लिए जाने की हालत में—का समाप्त होना—मूल नियम 14-क (भारत सरकार का आदेश 1)

इसमें समचुअरी भत्ता नहीं आता--मूल नियम 9(5)
छुट्टी या अस्थायी अन्तरण के दौरान लिया जा सकेगा--अनु० नि० 6 तथा 7-ख
इसमें यात्रा भत्ता आता है --मूल नियम 9(5)
इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ता कुल मिलाकर लाभ का स्रोत न बन जाए--मूल नियम-44

प्रत्यायोजन--(प्रत्यायोजनों)--
केन्द्रीय सरकार, मूल नियमों द्वारा उसे दी गई कतिपय शक्तियां अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी--मूल नियम 6
परिशिष्टों में दिए गए--पर वित्त मंत्रालय की सहमति दी गई मान ली जाएगी--अनु० नि० 308
मूल नियमों के अधीन किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग अथवा प्रत्यायोजन वित्त मंत्रालय से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा--मूल नियम 7
नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती--मूल नियम 6(क)

प्रथम नियुक्ति--
--होने पर जिस तारीख से वेतन लेना आरम्भ होता है--मूल नियम 17
--होने पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र--अनु० नियम 3

प्रोफार्मा पदोन्नति--
--असम्न निकट नियम में देखें।

प्रारंभिक वेतन--
एक समय वेतनमान से दूसरे समान वेतनमान पर स्थानान्तरण के मामले में--मूल नियम 22, परन्तुक
पुराने पद पर प्रत्यावर्तन के मामले में--मूल नियम 22, (नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय-1)
पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारी का--मूल नियम 22, परन्तुक
किसी उच्च पद पर पदोन्नति होने पर--मूल नियम 22-ग
जब किसी सरकारी कर्मचारी को समय वेतनमान में किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो तो--मूल नि० 22
जब किसी सरकारी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन या शिशु के रूप में नियुक्त किया जाता है तो--मूल नियम 22-ख
जब पद का वेतन बदल दिया जाता है तो--मूल नियम 23

फीस--
--सरकारी कर्मचारी द्वारा--की स्वीकृति--मूल नियम 9(6)(क) तथा अनु० नि० 9
समेकित अनुदेश--अनु० नियम 12 (भारत सरकार का आदेश-1)
प्राइवेट व्यक्तियों या निकायों आदि से अनु० नि० 11
--सरकार के पास कब जमा करवानी चाहिए--अनु० नियम 12

ब

बहाल करना--
यदि--के बाद पदच्युति या निलम्बन हो जाता है तो उसका वेतन और भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा--मूल नियम 54, 54-क तथा 54-ख

भ

भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति--
--पर सरकारी कर्मचारी के औसत वेतन की संगणना--मूल नियम 9(2) परन्तुक (क)
तारीख जिससे--आरम्भ और समाप्त होती है--मूल नियम 51 (लेखा परीक्षक अनुदेश-1)
सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति--मूल नियम 51 (भारत सरकार का आदेश-3)
छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तें--मूल नियम 51 (भारत सरकार का आदेश-2)
एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति--मूल नियम 125 (भारत सरकार का आदेश-3)
--शर्तें लागू करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त--मूल नियम 51 (भारत सरकार का आदेश--1)
वेतन तथा भत्ते किस प्रकार विनियमित किए जाएं--मूल नियम 51 विश्वविद्यालयों और माने गए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रक्रिया--मूल नियम 51 (भारत सरकार का आदेश-4)

म

मानदेय--
परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रेरित करने के लिए--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-15)
हिन्दी से और हिन्दी में अनुवाद के लिए--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-12)
मध्यस्थ के रूप में नियुक्त सरकारी सेवक को--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-5)
गेस्टेटनर आपरेटरों के रूप में कार्य कर रहे समूह "घ" के कर्मचारियों के लिए--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-11)
ड्राइवर के कार्यों के निष्पादन के लिए देय--मूल नियम 46 (भारत सरकार आदेश-9)
रिपोर्टरों/आशुलिपिकों को--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-10)
--किन परिस्थितियों में मंजूर किया जा सकता है--मूल नियम 46(ख)
--की परिभाषा 9(9)
मंजूरी/स्वीकृति के लिए नियमों का बनाया जाना--मूल नियम 47
--की मंजूरी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-13)
किसी स्वीकृति पद की अतिरिक्त ड्यूटी के लिए कोई नहीं--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-6)
कार्य में अस्थायी वृद्धि के लिए कोई--नहीं--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-1)
निगमों के स्थापन के कार्य में लगाए गए राजपत्रित अधिकारियों को कोई--नहीं--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-4)
संघलोक सेवा आयोग की नियुक्तियों के संबंध में अलग से मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-2)
लेखों/प्रसारणों के लिए--की दरें--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-8)
प्रसारण की अनुमति का अर्थ है--के लिए मंजूरी--मूल नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-3)

माफ करना--
वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए त्यागपत्र को--मूल नियम 22 (भारत सरकार का आदेश-6)

सरकारी सेवक के सम्पूर्ण समय के लिए पारिश्रमिक---मूल नियम 11

वरिष्ठता संशोधन के मामले में काल्पनिक नियतन---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 7)

स्थानापन्न सरकारी सेवकों का---मूल नियम 30-36.

स्थानापन्न---का संरक्षण नहीं---मूल नियम 22-क (भारत सरकार का आदेश 1)

संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति होने पर---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 1)

एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति होने पर---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 2)

उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर---मूल नियम 22-ग भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर---मूल नियम 51

एक समूह "क" पद से दूसरे समूह "क" पद में पदोन्नति---मूल नियम 22 (भारत सरकार का आदेश 9)

किसी स्थायी सेवक को स्थानापन्न पद से पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 8)

किसी संवर्ग बाह्य पद से प्रत्यावर्तन होने पर---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 3)

उच्चतर से निम्नतर श्रेणी या पद पर शास्ति के रूप में अवनति होने पर---मूल नियम 28

किसी सरकारी कर्मचारी का अपने पुराने पद पर पुनः स्थानान्तरण होने पर---मूल नियम 22 (नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय 1)

समय वेतनमान वाले किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति होने पर---मूल नियम 22 और 23

समय वेतनमान वाले किसी पद पर, अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति होने पर, जिसका वेतन घटा दिया गया है---मूल नियम---22-क

एक समय वेतनमान से दूसरे समान समय वेतनमान में स्थानान्तरण होने पर---मूल नियम 22

जब किसी पद का---बदल दिया गया हो तो अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक पुराने---को बनाए रखने का विकल्प---मूल नियम 23वैयक्तिक---मूलनियम 9(23) तथा 37

किसी पद का अनुमानित---मूल नियम 9(24)

स्थायीवत् वेतन का संरक्षण---मूल नियम 22(भारत सरकार का आदेश 5)

अदक्षता या कदाचार के मामलों में कम---वाले पद पर अवनति---मूल नियम 15

समान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति---मूल नियम 29

स्थायीकरण के रद्द किए जाने पर---का पुनः निर्धारण---मूल नियम 31-क (भारत सरकार का आदेश 1)

विशेष---मूल नियम 9(25)

अधिष्ठायी---मूल नियम 9(28)

अस्थायी पदों के वेतन---मूल नियम 39-40

वेतनमान---मूल नियम 9(31)

वेतन को बढ़ाना---

असंगति को दूर करने के लिए---मूल नियम 22-ग को लागू करने के परिणाम स्वरूप ---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 10-क और ख)

प्रतिरोध वेतनवृद्धि प्रदान करने के परिणामस्वरूप---(भारत सरकार का आदेश 10 ग)

समूह "ग" तथा "घ" संवर्गों में चयन ग्रेडों के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 10-च)

समूह "क" पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति के मामले में--- --- मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 10-घ)

1-5-1981 से पहले पदोन्नत वरिष्ठ अधिकारी के मामले में---मूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 10-ङ)

वेतन में वृद्धि---

मूल नियम---44-48-ख

वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां)---

अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में उच्च गति प्राप्त करने पर अग्रिम---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 8 तथा 9)

अग्रिम---मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश) 4

उच्च प्रारम्भिक वेतन की मंजूरी के लिए शर्तें---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 3)

---के लिए सेवा, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण समय, अन्यत्र (विभागेतर) सेवा आदि की गणना करने की शर्तें---मूल नियम 26

---के लिए छुट्टी की गणना---निर्णायक तारीखें---मूल नियम 26 (भारत सरकार का आदेश 7)

अगली---तथा एक---रोकने के बीच अन्तर---मूल नियम 24 (भारत सरकार का आदेश 1)

बीच में पड़ने वाली---लेना---मूल नियम 29 (महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश 2)

शास्ति के सक्रिय रहने के दौरान अग्रिम---लेना---मूल नियम 29 (महानिदेशक डाक व तार के अनुदेश 1)

समय से पहले---देने के पश्चात् भावी---सामान्य रीति से विनियमित की जाएं---मूल नियम 27 (भारत सरकार के आदेश 1)

देय तारीख से पहले---की मंजूरी---मूल नियम 27 दक्षतारोध से ठीक ऊपर की---की मंजूरी---मूल नियम 25

प्रथम शास्ति के सक्रिय रहने के दौरान लगाई गई दूसरी शास्ति को लागू करना---मूल नियम 29 (महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश 3)

---के लिए अवधियों की गणना करने का तरीका---मूल नियम 26 (भारत सरकार का आदेश 8)

पिछली स्थानापन्न अवधियों के मामले में अगली---की तारीख निर्धारित करने का तरीका---मूल नियम 26 (भारत सरकार का आदेश 9)

अवर श्रेणी लिपिकों के मामले में टंकण परीक्षा पास करना---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 11, 12 तथा 13 तथा महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश)

समय से पहले---मंजूर करने के कारण निर्दिष्ट न किए जाएं---मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 2)

निम्न ग्रेड, पद या निम्न समय वेतनमान पर अवनति---मूल नियम 29 (भारत सरकार का आदेश 3 तथा प्रशासनिक अनुदेश)

समय वेतनमान में निम्नतर अवस्था में अवनति---मूल नियम 29 (भारत सरकार का आदेश 2)

सैनिक आफिसर—

सिविल नियोजन के—की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर आयु—मूल नियम 56(J)

—की परिभाषा—मूल नियम 9(16)(ख)

—के "वेतन" में वेतन तथा भत्ते शामिल हैं—मूल नियम 9(21)(ख)

सैनिक आयुक्त आफिसर—

—की परिभाषा—मूल नियम 9(16)(क)

स्थानापन्न पदोन्नति (पदोन्नतियां)—

केन्द्रीय सरकार, मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन कर्तव्य पर माने गए सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर—अनुज्ञात कर सकेगी—मूल नियम 36

स्थानापन्न रूप से कार्य करना—

सक्षम प्राधिकारी, किसी सरकारी सेवक को, किसी रिक्त पद पर—के लिए अधिष्ठायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है जिस पर किसी अन्य सरकारी सेवक का धारणाधिकार न हो—मूल नियम 9(19)

सक्षम प्राधिकारी मूल नियम 9(6)(ख) के अधीन कर्तव्य पर माने गए सरकारी सेवकों के स्थान में स्थानापन्न प्रोन्नति अनुज्ञात कर सकता है—मूल नियम 36

—की परिभाषा मूल नियम 9(19)

किसी पद में समय वेतनमान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन—मूल नियम 31

जब सरकारी सेवक किसी ऐसे पद में—जिसका वेतन किसी अन्य सरकारी सेवक के लिए वैयक्तिक दर पर नियत किया गया है—मूल नियम 33

जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है और उसे उच्च पद पर—के लिए नियुक्त किया जाता है—मूल नियम 26(ग)

स्थानापन्न वेतन—

बढ़ा हुआ वेतन "तब के सिवाय नहीं लिया जबकि स्थानापन्न नियुक्ति में ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ग्रहण सम्मिलित नहीं है जो अधिक महत्वपूर्ण या भिन्न प्रकृति के हैं—मूल नियम 30(1)

पदोन्नति होने पर—का नियतन—मूल नियम 22-ग

स्थानापन्न सरकारी सेवक—

केन्द्रीय सरकार—के वेतन को इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से कम रकम पर नियत कर सकती है—मूल नियम 35

—का वेतन विनियमित करने वाले नियम—मूल नियम 30-36

स्थानापन्न सेवा—

उच्चतर पद में—निम्नतर स्थानापन्न पद को लागू समय वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाती है—मूल नियम 26(ग)

किसी अन्य पद पर—किसी ऐसे पद को लागू समय वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाती है जिस पर सरकारी सेवक का धारणाधिकार है—मूल नियम 26(ख)

स्थानीय निधि (निधियां)—

—की परिभाषा—मूल नियम 9(14)

—से संदत्त अनर्हक सेवा से सरकारी सेवा के पद पर पदोन्नति होने पर चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करना आवश्यक है—अनु० नि० 4-क, टिप्पणी I

—से मानदेय—मूल नियम 46

ऐसी—से जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है, सरकारी सेवा में स्थानान्तरित व्यक्ति ऐसे माने जाएंगे मानो कि वे किसी पहले पद का कार्यग्रहण कर रहे हों—मूल नियम 130

सरकार द्वारा प्रशासित—से संदत्त सेवा कैसे विनियमित की जाए—मूल नियम 128

ऐसी सेवा कैसे विनियमित की जाए जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है—मूल नियम 129

स्थायी पद—

—की परिभाषा—मूल नियम 9(22)

पदच्युति/हटाए जाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में—खाली रखना—मूल नियम 54 (प्रशासनिक अनुदेश 2)

जिन वरिष्ठ अधिकारियों का पहले स्थायीकरण नहीं किया गया था उन्हें समायोजित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से—का सृजन किया जाना—मूल नियम 31-क (भारत सरकार का आदेश 2)

दो या अधिक सरकारी सेवकों को एक ही—पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता—मूल नियम 12

स्वस्थता प्रमाणपत्र (या स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र)—

—तत्काल पुनर्नियुक्ति पर आवश्यक नहीं—अनु० नियम 4-क

—कुष्ठ रोग से ग्रस्त उम्मीदवारों की——अनु० नि 4 (भारत सरकार का आदेश 8)

त्यागपत्र के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर आवश्यक—अनु० नि० 4-क टिप्पणी 1

अवैतनिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिए गए—को स्वीकार करना—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 4)

पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलें स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएं—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 2)

—की प्रत्याशा में नियुक्ति—मूल नियम 10 (भारत सरकार का आदेश 4)

आपवादिक मामले में पूर्ण छूट—मूल नियम 10 (भारत सरकार का आदेश 6)

गर्भावस्था की स्थिति में महिला कर्मचारी की नियुक्ति—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 7)

वह फार्म जिसमें तैयार किया जाना चाहिए—अनु० नि० 3

सरकारी सेवकों को—पेश करने से छूट दी जाती है—अनु० नि० 4-क

पेंशन योग्य प्रतिष्ठानों में—के बिना कोई नियुक्ति नहीं—मूल नियम 10 (भारत सरकार का आदेश 2)

अयोग्य घोषित करने वाले—को अनदेखा करने का कोई विवेकाधिकार नहीं—मूल नि० 10 (भारत सरकार का आदेश 2)

किस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा—अनु० नि० 4

अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी कर्मचारियों के मामले में क्रियाविधि—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 12)

केवल निर्णय की संभावित भूल के मामले में पुनः स्वास्थ्य परीक्षा करना—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 2)

—को दर्ज करना—मूल नि० 10 (भारत सरकार का आदेश 7)

—पेश करने की सेवा पंजी में प्रविष्टि—अनु० नि० 10 (भारत सरकार का आदेश 7)

—पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपील करने की समय सीमा—अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश 2)

स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहना—

—की गणना वेतनवृद्धियों या पेंशन के लिए नहीं की जाती—मूल नियम 26 (लेखा परीक्षा अनुदेश 2)